चतुर्दश माला, खंड 3, अंक 18

बुधवार, 18 अगस्त, 2004
27 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 18, बुधवार, 18 अगस्त, 2004/27 श्रावण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
एथेंस ओलम्पिक में रजत पदक जीतने पर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर को बधाई	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 325	3-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 341	40-69
अतारांकित प्रश्न संख्या 2908 से 3137	69-503
सभा पटल पर रखे गए पत्र	503-509, 566
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन	509
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	510
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	510
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
पैंसठवां और छियासठवां प्रतिवेदन	511
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ पच्चीसवां से एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन	511
परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
अठहत्तरवां प्रतिवेदन	512
समितियों का निर्वाचन	
(एक) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड	512

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) कयर बोर्ड	513
(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	513
(चार) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	514
(पांच) ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया	514-515
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर रोक और श्रमजीवी वर्गों पर अन्य प्रतिबंध लगाए जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम	515-539
श्री ए. कृष्णास्वामी	515, 516-517
श्री सुरेश पचौरी	515-516, 534-539
श्री बसुदेव आचार्य	517-519
श्री गुरूदास दासगुप्त	519-522
श्री के. सुब्बारायण	522-523
श्री संतोष गंगवार	525-526
श्री सांताश्री चटर्जी	527
श्री शैलेन्द्र कुमार	527-528
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	528-529
श्री अनंत गंगाराम गीते	529-530
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	530
श्री वरकला राधाकृष्णन	531-532
श्री रामदास बंडु आठवले	532
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	532
श्री रघुनाथ झा	533
श्री तरित बरण तोपदार	534
नियम 377 के अधीन मामले	543-551
(एक) तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इरोड जिले में अमरावती नदी तट से बालू हटाए जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	543-544
(दो) आंध्र प्रदेश को नेशनल ड्रेनेज टेक्नालाजी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता ताकि राज्य अनुसंधान कर सके और जल निकासी सुधार के उपाय अपना सके	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	544

विषय		कॉलम
(तीन)	भिवाड़ी और रेवाड़ी शहरों को बड़ी रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता	
	डा. करन सिंह यादव	544-545
(चार)	देश में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	545
(पांच)	मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.एस. गढ़वी	545-546
(छह)	वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के संसद सदस्य की सिफारिशों पर अनिवार्य रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम स्वरूप कोली	546
(सात)	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर रीवा में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	547
(आठ)	कर्नाटक के उदुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में समुद्र द्वारा भू-क्षरण की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यक़ता	
	श्रीमती मनोरमा माधवराज	547-548
(नौ)	पश्चिम बंगाल में मोहितनगर समपार पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	548
(दस)	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के आगरा-कानपुर खंड पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	548-649
(ग्यारह)	महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र को आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनंत गुढ़े	549
(बारह)	केन्द्रीय सहायता देकर उड़ीसा में दरिंगीबाड़ी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुग्रीव सिंह	549-550
(तेरह)	केरल में काजू उद्योग का पुनरुद्धार करने और उसे बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	550
(चौदह)	महाराष्ट्र में नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल दूरसंचार सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री देविदास पिंगले	550-551
(पन्द्रह)	झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या को सुलझाए जाने की आवश्यकता	
	श्री टेक लाल महतो	551

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	561-566, 567-654
(एक) देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति	561-634
श्री रामकृपाल यादव	561-565
श्री जयप्रकाश	567-571
श्री विक्रम केशरी देव	571-575
डा. सुजान चक्रवर्ती	576-581
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	581-583
श्री रामजीलाल सुमन	583-588
श्री दुष्यंत सिंह	588-592
श्री रघुनाथ झा	592-595
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	595-599
श्री सुखराम सुधाकर रेड्डी	599-601
श्री बीर सिंह महतो	602
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	602-606
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	606-609
श्री सर्वानंद सोनोवाल	609-611
श्री शैलेन्द्र कुमार	611-614
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	615-616
श्री टेक लाल महतो	617
श्री भर्तृहरि महताब	617-620
श्रीमती जयाप्रदा	620-622
श्री पी.एम. सईद	622-634
(दो) जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याएं	634-654
श्री बसुदेव आचार्य	634-642
श्री किन्जरपु येरननायडु	642-643
श्री अधीर चौधरी	643-648
श्री प्रदीप गांधी	648-653
कार्य मंत्रणा समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	634
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	655-656
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	656-670
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	671-672
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	671-672

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 18 अगस्त, 2004/27 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हमें एक बहुत सुखद सूचना मिली है जिसकी मुझे घोषणा करनी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): कल एथेंस ओलम्पिक में भारत के श्री राठौड़ ने सिल्वर मैडल जीता है। सारे सदन को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं वही करने जा रहा हूं, लेकिन आप मौका तो दें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

एथेंस ओलम्पिक में रजत पदक जीतने पर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे विश्वास है कि एथेंस ओलम्पिक खेलों में डबल ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने की शानदार उपलब्धि के लिए सम्पूर्ण सभा मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर को बधाई देने में मेरे साथ सम्मिलित होगी। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी भारतीय ने ओलम्पिक खेलों की किसी एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उन्होंने देश और इसके सशस्त्र बलों को गौरवान्वित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपलब्धि से भारतीय ओलम्पिक दल को नई ऊँचाईयां छूने और देश को यश दिलाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मेजर राठौर की इस उपलब्धि से देश के खिलाड़ियों और युवा वर्ग को अपने-अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): अध्यक्ष महोदय, कल सदन में सदन के नेता ने यहां पर स्टेटमेंट दिया कि पैट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा वीर सावरकर का जो अपमान किया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इससे निपटें। यदि आप सब निर्णय देने के लिए हैं तो अध्यक्ष किसलिए है? आप आपस में इसका निर्णय करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठिए। हमें व्यवस्थित तरीके से कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। जब मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, तो आपको उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सावरकर जी के अपमान के संदर्भ में कल हमने हाउस में यह मामला उठाया था। उस संदर्भ में सदन के नेता ने सदन में उठकर कहा कि सरकार की ओर हम जांच-पड़ताल करके उस पर बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे। मणिशंकर अय्यर जी भारत सरकार में मंत्री हैं। वह कल दोपहर तक राज्य सभा में थे और फिर लोक सभा में आए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वह इस पर कब बयान देगी?

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात भी सुनें।

[अनुवाद]

मुझे यकीन है, सभी मंत्री यहां हैं। सभा के नेता ने कुछ वक्तव्य दिया है। मुझे उसके बारे में पता चला है, यद्यपि मैं यहां नहीं था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: राज्य सभा में आज इसी विषय पर 12 बजे बयान होने वाला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें दूसरी सभा से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अब हम प्रश्न काल शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस पर यहां कब स्टेटमेंट देगी? *...(व्यवधान)* कल राज्य सभा सदस्य राशिद अल्वी जी ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप बैठिए।

[अनुवाद]

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक महत्वपूर्ण दल के योग्य और जिम्मेदार नेता हैं। मुझे विश्वास है, अन्य माननीय सदस्य आपसे कुछ सीखेंगे। सभा के नेता ने वक्तव्य दिया है। उन्हें थोड़ा मौका दीजिए। हम इसका समाधान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दूसरे सदन की कोई बात या वहां के किसी सदस्य के बारे में उल्लेख नहीं किया जा सकता, यह नियम है। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा वार्ता

*322. **श्री नकुल दास राई:**
श्री खारबेल स्वाईं:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि-स्तर पर सीमा वार्ता का तीसरा दौर आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने नाथूला सीमा के रास्ते चीन के साथ व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): (क) से (ङ) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) सीमा प्रश्न पर भारत और चीन सरकार के विशेष प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक 26-27 जुलाई, 2004 तक नई दिल्ली में हुई। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि क्रमश: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जे.एन. दीक्षित और उप विदेश मंत्री श्री दाई बिन्गुओ की बैठक मैत्रीपूर्ण, रचनात्मक और सहयोगी वातावरण में हुई। 27 जुलाई को श्री दाई बिन्गुओ ने प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री श्री वेन जिआबाओ का एक पत्र प्रधानमंत्री महोदय को सौंपा। दोनों पक्ष आपस में सुविधाजनक तिथि को अगली बैठक करने पर सहमत हुए।

(ग) से (ङ) जून 2003 ने प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन ने सीमा-व्यापार बढ़ाने पर एक समझौता-ज्ञापन संपन्न किया जिसके अंतर्गत नाथुला को भारत-चीन व्यापार के लिए एक अन्य दर्रा बनाया गया है। भारतीय पक्ष ने सिक्किम के चांगू को सीमा व्यापार बाजार स्थल नामित किया है जबकि चीनी पक्ष तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रेकिंगगांग को सीमा व्यापार बाजार स्थल नामित करने पर सहमत हुआ है। करार को निष्पादित करने के तौर-तरीकों को संबंधित एजेंसियों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री नकुल दास राई: अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि अगले चरण की भारत-चीन वार्ता की तिथि तय की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इन सभी सीमा विवादों का समाधान कब तक कर लिया जाएगा।

मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा। अच्छे भारत-चीन संबंधों की उपलब्धि प्राप्त कर लेने पर क्या सरकार सिक्किम राज्य से होकर

भारत-चीन व्यापार मार्ग, जो कि नाथुला सीमा से है—शीघ्र खोलने के बारे में कार्य करेगी?

मैं इन प्रश्नों पर विशेष जोर देना चाहूंगा क्योंकि नया रास्ता खुलने से पर्यटन, व्यापार, तीर्थाटन, और खाद्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जवाब देने दें। उसके बाद आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नकुल दास राई: महोदय, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे सिर्फ हमारी पर्वतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि ही नहीं होगी बल्कि पूरे देश को आर्थिक लाभ होगा। वर्तमान परिदृश्य क्या है? अंतिम निर्णय कब तक आने की संभावना है?

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। सबसे पहले, भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे के समाधान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। तीन चरणों की वार्ता हुई है और अगले चरण की वार्ता आगामी कुछ महीनों में होगी।

नाथुला से व्यापार के संबंध में, आपकी अनुमति से मैं पढ़ना चाहूंगा, महोदय:

> ''जून, 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन ने सीमा व्यापार बढ़ाने संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो नाथुला के रूप में भारत-चीन सीमा पर एक अन्य दर्रा खुला है और सीमा के दोनों तरफ एक अतिरिक्त मार्ग स्थापित करता है। भारतीय पक्ष सीमा व्यापार बाजार के स्थान के रूप में सिक्किम राज्य के चांग्गु को मानता है, जबकि चीनी पक्ष सीमा व्यापार बाजार के स्थल के रूप में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रेन्किन्गैंग को मानता है। दोनों पक्ष व्यक्तियों के प्रवेश और निकास, भारतीय सीमा व्यापार में परिवहन के साधनों और वस्तुओं के प्रवेश के लिए नाथुला को दर्रा (रास्ते) के रूप में उपयोग करने पर सहमत हो गए हैं। आवश्यक अवसंरचना की स्थापना सहित इस तथ्य को कार्यरूप प्रदान करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा ठोस कार्यविधि तैयार की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और संबंधित विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रमुख एजेंसी है।''

अध्यक्ष महोदय: अब, दूसरा पूरक प्रश्न, क्या आपका कोई और प्रश्न है?

श्री नकुल दास राई: नहीं, महोदय, धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, क्या हमने तिब्बत को पूर्ण स्वायत्तता देने के बारे में चीनी प्राधिकारियों के साथ बात की है? यदि हमने इस संबंध में उनके साथ कोई चर्चा की है, तो उस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी क्योंकि धर्म गुरू दलाई लामा ने अपनी मांग छोड़ दी थी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसी बात इस प्रश्न से नहीं उठती, आपने पहला प्रश्न किया है कि क्या ऐसी कोई बातचीत हुई थी।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे प्रश्न पूरा करने दें। यदि आप अनुमति नहीं देंगे, तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे प्रश्न पूछने दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह इस प्रश्न से कितना जुड़ा हुआ है।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे प्रश्न पूछने दें, यदि आप अनुमति नहीं देते हैं, तो यह दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया जारी रखें।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं भारत-तिब्बत सर्वदलीय संसदीय मंच का संयोजक हूं। स्वाभाविक है कि मुझे ऐसे प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके अधिकार से इन्कार नहीं करता। कृपया जारी रखें।

श्री खारबेल स्वाईं: धर्मगुरू दलाई लामा ने स्वतंत्र तिब्बत की अपनी मांग या विचार को छोड़ दिया था। क्या हमने तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने के लिए चीनी अधिकारियों से बात की है? यदि हां, तो उस पर चीन का क्या जवाब था?

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, जैसा कि आपने कहा है, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है जिसका मैं उत्तर दे रहा हूं और जो पूछा गया है। तिब्बत के बारे में हमारी नीति सुज्ञात है। हम तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं और यही सरकार की नीति है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने केवल व्यापारिक संबंधों के बारे में सदन के सामने अपना पक्ष रखा है लेकिन हजारों तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भारत से जाते हैं और जिस रास्ते से चीन द्वारा जाने की अनुमति है, वह

ज्यादा दुष्कर और परेशानी वाला है। वहां अक्सर भूस्खलन होता है और यात्री रास्ते में रुक जाते हैं। एक और यात्रा का रास्ता जो लद्दाख होकर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आसान और सुलभ है। क्या भारत सरकार चीन की सरकार से बात करके भारत के तीर्थयात्रियों के लिए लद्दाख होकर जाने वाली जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, उसे भी खुलवाने की कोई पहल करेगी?

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, मैं निश्चय ही आवश्यक पूछताछ करूंगा। सम्मान सहित मैं यह भी कहता हूं कि इस बारे में कोई भी आश्वासन देने में मैं असमर्थन हूं क्योंकि यह चीन के साथ हमारे संबंधों से जुड़ा प्रश्न है। हमें कहां जाना है और कैसे जाना है इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया है किन्तु मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, भारत और चीन के बीच में नाथूला पास संबंधित एक एग्रीमेंट बार्डर ट्रेड और कामर्स का होगा। मेरा सवाल है कि क्या भारत सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है? क्योंकि जैसा मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उसके लिये इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेप करने पड़ेंगे। ऐसा केवल एक ही हाईवे है जो बंगाल से उत्त बिहार और सिक्कम के अंदर जाकर नार्थ ईस्ट को जोड़ता है। हम जानते हैं कि भारत-बंगला देश की सीमा के बीच इनफ्रास्ट्रक्चर रैडी नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे कारोबार में ढिले होता है। जिस तरह से चीन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, क्या सरकार ने दूसरी मिनिस्ट्रीज-सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री से बातचीत करके तैयारी का काम शुरू कर दिया है? यदि शुरू कर दिया है तो वह मामला किस लैवल तक है? इसके अलावा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने चीन के साथ जो कमिटमेंट किये हैं, अंदरूनी तौर पर वे अपनी तैयारी किस लैवल तक ले गये हैं?

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह: सरकार के विभिन्न विभाग इस पर काम कर रहे हैं। हम इस विषय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि जब गत वर्ष जून में श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे तब व्यापार के संबंध में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और विभिन्न संबद्ध मंत्रालय इस काम को कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं अपने मित्र वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इनसे संपर्क करें तथा इस संबंध में जानकारी दें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: हम चीन के साथ दो भिन्न रणनीतियां अपना रहे हैं। एक है अपनी सीमा समस्या को हल करना। हम पिछले 42 वर्षों से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर, चीन विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अतएव, निश्चय ही हम चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई अन्तर्निहित विरोधाभास है। एक तरफ तो हम अपनी उलझी सीमा समस्या को चीन के साथ सुलझाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम आर्थिक संबंध विकसित करना चाहते हैं। क्या आर्थिक संबंधों का विकास सीमा समस्या को सुलझाने में आड़े आ रहा है? या अपने नजदीकी पड़ोसी के साथ अपने स्वाभाविक आर्थिक संबंध को हमें जितना बढ़ाना चाहिए, यह सीमा समस्या हमें उतना बढ़ाने नहीं दे रही है?

श्री के. नटवर सिंह: जी नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। सीमा समस्या से निपटने के लिए दोनों तरफ एक व्यवस्था है। सीमा के सवाल पर विशेष प्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, व्यापार के विषय में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष के अन्त तक चीन के साथ हमारा व्यापार 10 बिलियन डालर तक पहुंच जाना चाहिए। अत: सीमा मुद्दे पर चर्चा हमारे आर्थिक संबंध सुधारने के आड़े नहीं आ रही है, जो बहुत बेहतर चल रहा है।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा प्रश्न चीन के साथ सीमा संबंध के बारे में है। हाल ही में एक खबर छपी है। हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए कि यह सत्य है अथवा नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या चीन ने पूर्वोत्तर राज्यों विशेषत: अरुणाचल प्रदेश और देश के अन्य पड़ोसी राज्यों को जोड़ने के लिए म्यांमार के रास्ते एक नया रास्ता खोलने में रुचि दिखायी है। इस प्रस्ताव पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री के. नटवर सिंह: यदि माननीय सदस्य मुझे ठीक-ठीक बताएं कि यह खबर कहां छपी थी और इस खबर की सत्यता क्या है, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं आपको ब्यौरा दूंगा। 1962 में भारत-चीन संघर्ष के तुरंत बाद एक सड़क बंद कर दी गई थी। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से होकर चीन जाती थी। वह प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रकार की खबर आयी है। मैं आपको वह तिथि और समाचार-पत्र का नाम बताऊंगा। यह एक भारतीय समाचार-पत्र है, एक आर्थिक समाचार-पत्र है, जिसमें यह बात छपी है। मैं आपको वह दूंगा।

श्री के. नटवर सिंह: मैं इसका स्वागत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खीरेन रिजीजू: अप्रैल माह में मुख्य उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग का दौरा अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से चीन के साथ व्यापार मार्ग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए किया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के रास्ते व्यापार मार्ग की व्यवहार्यता के बारे में अन्तिम दौर की वार्ता के दौरान चर्चा हुई थी।

दूसरे, मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण भी चाहूंगा। एक माह पूर्व, माननीय राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कोलकाता में कहा था कि नई सरकार व्यापार नीति की समीक्षा करने जा रही है। अत: मैं इस संबंध में वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहूंगा।

श्री के. नटवर सिंह: मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि जिस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सीमा के सवाल पर विशेष प्रतिनिधि स्तर पर हमने जो वार्ता की थी, उससे संबंधित है। जहां तक मेरे सहकर्मी द्वारा दिए गए वक्तव्य का सवाल है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है किन्तु मैं निश्चय ही उनसे इस विषय में पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप उन्हें बता सकते हैं।

श्री के. नटवर सिंह: मैं ऐसा ही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, आजकल ऐसी चर्चा चल रही है और हमें खुशी है कि चीन के साथ हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। जिस तरह स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश में दोनों तरफ की फौजों ने मिलकर इसमें शिरकत की, उससे इंडीकेशंस मिल रही हैं कि हमारे बॉर्डर पर रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो हमारा इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिए लद्दाख क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो 1962 के बाद से चीन के कब्जे में हैं, भारत सरकार की तरफ से उसे चीन को सिसीड करने की बात चल रही है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन हमारे देश के इतने बड़े क्षेत्रफल को अरुणाचल और सिक्किम में अपने इंटरेस्ट को प्रोटैक्ट करने के बदले में चीन को देने के लिए राजी हो जायेगा?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि लद्दाख के देमचुक क्षेत्र में ट्रेड रिलेशंस के लिए वहां कस्टम ऑफिशियल्स ने विजिट किया था और वहां ट्रेड रिलेशंस कायम करने की बात की थी। काफी वर्षों से इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या लद्दाख का क्षेत्र ट्रेड रिलेशंस के लिए खोला जायेगा? यह बहुत चिंता की बात है कि लद्दाख के लोगों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे क्षेत्र को अगर हम चीन को देते हैं तो उसमें आपकी क्या रिएक्शन होगी। मैं इस पर इस सदन और भारत की जनता की रिएक्शन जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वास्तव में इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। तथापि, यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसीलिए मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री के. नटवर सिंह: मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया विषय एक अटकल है। उन्होंने जो कहा उसमें कोई तथ्य नहीं है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय अध्यक्ष जी, चीन के साथ व्यापार करने के लिए यहां नाथुला पर चर्चा हुई और माननीय मोहन सिंह जी ने लद्दाख के बारे में कहा। इसी तरह से उत्तरांचल में जोशीमठ से माणा होते हुए बहुत पुराना पारम्परिक रूट रहा है, इससे बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था, लेकिन 1962 के बाद वह बंद हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको जानकारी है कि इस रूट को अन्य रूट के साथ खोला जाए, क्या इस प्रकार की मांग है। यदि जानकारी है तो कृपया बतायें, क्या स्थिति है, यदि नहीं, तो बतायें कि क्या आप इस पर विचार करेंगे?

श्री के. नटवर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद मंत्री रह चुके हैं और आपको इस बात का पता है तथा आप उसी इलाके से आते हैं। मगर आपने जो सवाल उठाया कि बाराहुती के पास या कहीं इधर से होता है कि नहीं, वहां हमारे यात्री जाते हैं, वहां कोई रुकावट नहीं होती है, यदि रुकावट होती है तो बातचीत कर लेते हैं। मगर यदि आप इस बारे में स्पष्ट पूछ रहे हैं तो आपको बताने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में बाल मृत्यु दर

*323. **श्री अनन्त नायक:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग, डा. आर.एम.एल. अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सरकारी अस्तालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निवारक जांच करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में उन अस्पतालों की पहचान की है जिनमें बाल मृत्यु दर बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जो बहुविधयक उपचार संस्थाएं हैं, जैसे केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। विशिष्टता/अति-विशिष्टता वाले विभिन्न नए क्षेत्रों में अत्याधुनिक उपकरणों को शामिल करके तथा उपचार सुविधाओं की शुरूआत, दोनों के जरिए सुविधाओं का अपेक्षित उन्नयन किया जाता है जिससे कि जरूरतमंद रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। इन अस्पतालों में न केवल दिल्ली बल्कि निकटवर्ती राज्यों एवं देश के अन्य भागों में अनेक रोगियों को तृतीयक परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अस्पताल तथा स्वास्थ्य विभाग, दोनों में अन्त:-निर्मित (इन-बिल्ट) तंत्र भी हैं जिनसे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इन अस्पतालों में प्रदत्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का स्तर बना रहे।

सफदरजंग अस्पताल के बाल-रोग चिकित्सा वार्डों में हुई असामान्य मौतों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसरण में, दिल्ली के तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों जहां बड़ी संख्या में बच्चों का उपचार किया जाता है अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, कलावतीशरण बाल अस्पताल तथा लोक नायक अस्पताल में विगत तीन वर्षों के दौरान बाल मृत्यु दर की स्थिति की समीक्षा की गई। तथापि, आंकड़ों से हाल के वर्षों में इन अस्पतालों में बाल मृत्यु दर में किसी असामान्य वृद्धि का पता नहीं चला है। यह भी देखा गया कि अधिकांश मौतें दाखिले के 48 घण्टे के भीतर हुईं और ये कार्डियो-रेसपिरेटरी फेल्योर, तीव्र न्युमोनिया, तीव्र निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) तथा आघात, गंभीर सी.एन.एस. संक्रमणों, जन्मजात अपसामान्यताओं तथा सेप्सिस इत्यादि जैसे विभिन्न रोगों के कारण हुईं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त नायक: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने उत्तर में लिखा है कि मेज्योरिटी में जो शिशुओं की मृत्यु हुई है वह 48 घंटे के अंदर हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में निकला है कि तीन जुलाई को एक दिन में 12 शिशुओं की मृत्यु हुई और इनमें से आठ का सेम डे एडमिशन हुआ था। इन आठ शिशुओं की एडमिशन के पांच-छ: दिन के अंदर उसकी मृत्यु हुई है। इसके बाद कुछ मैडिकल कालेजों में मंत्री जी ने सरप्राइज विजिट भी की है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जब एम्स की सरप्राइज विजिट की तो एम्स में क्या कमियां देखीं और उनको सुधारने के लिए क्या उपाय किये हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य ने सफदरजंग अस्पताल के बारे में उल्लेख किया है जिसके संबंध में 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में रिपोर्ट आई थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध में बनाया गया था और उस समय इसमें अमरीकी सेना ठहरती थी और वह इसे बैरक के रूप में प्रयोग कर रही थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिकांश अस्पताल भवन पुराने हैं जिन्हें पुन: बनाए जाने की जरूरत है। मैंने दो महीनों में अस्पताल का दो बार दौरा किया था। पहला दौरा चार घंटे का था और दूसरी बार मैंने बच्चों के वार्ड का तीन घंटे तक दौरा किया। मैंने रिपोर्ट में दी गई सभी मौतों का एक-एक करके पता लगाने का कार्य किया। मैंने अस्पताल की जांच करने के भी आदेश दिए थे। इन मामलों में अधिकांश अर्थात् 80 प्रतिशत मामले मौत के थे जो 48 घंटों के भीतर हुई थी। सफदरजंग अस्पताल एक तृतीयक अस्पताल है जहां असाध्य रोग से पीड़ित मरीज आते हैं और जिन मरीजों को दूसरे अस्पतालों से भेजा जाता है उन्हें भर्ती किया जाता है और जब वे स्वयं अस्पताल आते हैं तो वे बहुत ही चिंताजनक स्थिति में होते हैं।

इस मामले में, 80 प्रतिशत मौतें 48 घंटों के भीतर हुई थी और अधिकांश शिशु जो यहां आए थे, उनको हृदय-श्वसन तंत्र का फेल होना, गंभीर निमोनिया, गंभीर डिहाइड्रेशन और घात, गंभीर मस्तिष्क सी.एन.एस. संक्रमण, जन्मजात विकृता, खून की खराबी

आदि बीमारियां थी। किंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि चिकित्सा संबंधी लापरवाही के कारण एक भी मौत न हो और यदि कोई दोषी डाक्टर पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मेरे द्वारा अस्पताल का दौरा करने के बाद कई खामियों का पता चला और इस स्तर पर उनको ठीक किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त नायक: अध्यक्ष जी, सारे देश से कई पेशेन्ट ट्रीटमैंट के लिए एम्स आते हैं लेकिन देखने में आता है कि कुछ सीरियस पेशेन्ट्स को भी ट्रीटमैंट के लिए महीने पर इंतजार करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कुछ शिकायतें मंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग को मिली हैं और इनको सुधारने के लिए मंत्री जी ने कुछ निर्देश दिये हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। किंतु 'एम्स' एक उत्कृष्ट अस्पताल है जो अनुसंधान कार्य कर रहा है। वह अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता के अनुसार मरीजों को भर्ती करता है। तद्नुसार इसके अतिरिक्त, वह सफदरजंग अस्पताल को मामले भेजता है।

अध्यक्ष महोदय: जगह की हमेशा कमी रहती है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा—अभी वापस नहीं आए हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: गत कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप हर सैकिंड 'सर'-'सर' बोलेंगे, तो मैं आपकी बात कैसे सुनूंगा? आप अपनी बात तरीके से कहिए। आप अच्छे तरीके से अपना हाथ उठाइए और मैं इस पर ध्यान दूंगा। आप मेरी आंख की तरफ देखने का प्रयत्न करें। यह संसदीय प्रणाली का एक भाग है। किसी और सदस्य द्वारा मुझे 'सर' पुकारने पर भी उसे बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: इस तथ्य के बावजूद कि इस देश में जीवन की आयुष्मता में वृद्धि हुई है, गत कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। क्या सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी और क्या सरकार विशेष रूप से उड़ीसा और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ती शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाने हेतु एक समिति सहित कुछ विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति करेगी।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की चिंता का संबंध हैं, गत दो दशकों में शिशु मृत्यु दर गिरकर प्रति 1000 जीवित शिशुओं में लगभग 63 मौतों तक आ गई है। महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली में इन शिशु मौतों के विभिन्न कारण हैं। हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति बनाने जा रहे हैं जिसमें इस पैनल में सारे देश के सभी विशेषज्ञ न केवल शिशु मौत अपितु स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टी.एम.टी. करने के लिए मरीजों को एक-एक, दो-दो महीने इंतजार करना पड़ता है जिससे रोगियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी जानकारी है, यदि है, तो वे इस बारे में क्या त्वरित उपाय कर रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता की बात पर गौर फरमाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। आप सारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि ए.आई.एम.एस., डा. राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टरों की निर्धारित मानदंडों के अनुसार जितनी पोस्टें होनी चाहिए, उसके मुताबिक डाक्टर नहीं हैं और इस कारण से बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है?

महोदय, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार ने देश के कई भागों में ए.आई.एम.एस. टाइप के अस्पताल खोलने का निर्णय किया था और उसी संदर्भ में पटना में माननीय उप राष्ट्रपति महोदय ने एक अस्पताल का शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद वहां काम बिलकुल ठप्प है और केवल पटना ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों में जहां-जहां इस तरह के अस्पताल खोलने के प्रबन्ध किए गए थे, वे ठप्प पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ए.आई.एम.एस. की तरह

के अस्पताल देश में कई स्थानों पर खोलने का जो निर्णय हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, उसकी उपलब्धि क्या है और चाइल्ड विशेषज्ञ डाक्टरों की जो वर्तमान संख्या है, क्या उसको बढ़ाएंगे, यही मेरे दो प्रश्न हैं?

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: जहां तक शिशु मौतों का संबंध है, ये मौतें डाक्टरों की कमी से नहीं हुई हैं। किंतु सामान्य तौर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्ष 2001 के आदेश के तह स्वास्थ्य मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों में सीधी भर्ती में कमी करने की पूर्ववर्ती सरकार की एक नीति के कारण सारे देश में डाक्टरों की कमी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सैंक्शंड पोस्ट्स कितनी हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें। यह सही नहीं है। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। आप अधीर मत होइये।

डा. अंबुमणि रामदास: पूर्ववर्ती सकार के दौरान, मई, 2001 के आदेश में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली वर्तमान रिक्तियों के एक-तिहाई भाग अथवा कुल रोजगार का एक प्रतिशत, जो भी कम हो, भाग सीधी भर्ती में कम करने का आदेश दिया है। इसके कारण हमारे पास सभी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों में डाक्टरों और तकनीकी स्टॉफ की सीधी भर्ती की सभी रिक्तियां हैं। मैंने इस बारे में हमारे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री, श्री सुरेश पचौरी को लिखा है और माननीय प्रधानमंत्री भी इस बारे में चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय: आपको 'एम्स' के बारे में उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, सैकिंड पार्ट का उत्तर नहीं आया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपनी आवाज से हरेक को हतोत्साहित कर दिया है। मैं हतोत्साहित हूं, वे हतोत्साहित हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में जैसा कि मैंने पिछले सत्र में माननीय अध्यक्ष को बताया है, इस परियोजना की गत वर्ष परिकल्पना की गई थी और अब हम व्यय वित्त समिति के पास जा रहे हैं। मैं भी बहुत चिंतित हूं। पटना, बिहार में भी 'एम्स' जैसे अस्पताल बनाने की एक परियोजना पर काम होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आपको पटना का दौरा करना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं रविवार को वहां जा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई धन की व्यवस्था या धन का आबंटन तो हुआ ही नहीं है? ...*(व्यवधान)* जब बजट में धन की कोई व्यवस्था नहीं है तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुपूरक की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको अनुपूरक की अनुमति देने के बारे में सोच रहा था। परन्तु मैं ऐसा नहीं करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं उन्हें आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा है कि वह वहां जाएंगे, इस पर विचार करेंगे और ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, वह कुछ करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कहिए परन्तु मेरे दबाव में आकर नहीं। मुझे मंत्रियों का भी बचाव करना है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इसका उत्तर दूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय, सदस्य ने इसके बारे में पूछा है। आप उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। कृपया बैठ जाइये। मैं प्रत्येक को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा हूं। मैं 8, 10 अथवा 12 तक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी यदि आपको कुछ और कहना है तो कहिए परन्तु मेरे दबाव में आकर नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, अ.भा.आ.सं. जैसे अस्पतालों की आधारशिलाएं पूर्व सरकार द्वारा रखी गई थीं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: 100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

डा. अंबुमणि रामदास: कोई भी औपचारिकता पूरी किए बिना आधारशिलाएं रखी गई थीं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी: कौन सी औपचारिकताएं?

अध्यक्ष महोदय: आंखों देखा हाल नहीं सुनाया जा सकता। *...(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: मैं आपको बताऊंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं। अब श्री प्रभुनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह के अतिरिक्त और किसी का भी वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार सिंह, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री प्रभुनाथ सिंह का अनुपूरक प्रश्न ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह लिखा है कि 48 घंटे के अंदर बच्चों की मृत्यु हुई है। इसमें दो सवाल उठते हैं—पहला यह है कि जो ऑल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट, डा. राममनोहर लोहिया वगैरह या दूसरे जो अस्पताल हैं, वहां जांच प्रक्रिया इतनी लम्बी चलती है और कभी-कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि मशीन खराब होने की वजह से मरीजों को बाहर भेजा जाता है। जिनके पास आर्थिक संसाधन होते हैं, वे मरीज बाहर जांच करवा लेते हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं वे इंतजार करते हैं, जिसके कारण एडमिशन होने में, अस्पताल में बच्चों का दाखिला होने में विलम्ब होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जिस अस्पताल में जाकर देखा, क्या आपने वहां इस बात की जानकारी ली कि जांच के कारण कितने ऐसे बच्चों का एडमिशन कराने में विलम्ब हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई या डाक्टरों की लापरवाही और मनमानी के कारण कितने बच्चों की मृत्यु हुई? क्या इसकी आपने अलग-अलग जांच करवाई है और अगर जांच नहीं करवाई है तो क्या आप इन सवालों पर जांच कराना चाहते हैं, यह हम आपसे जानना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाएं रखें। श्री प्रभुनाथ सिंह आपने अपना प्रश्न कर लिया है। आप मंत्री नहीं हैं। आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, आप रेल मंत्री जी को समझाएं कि इन्हें हर मामले में नहीं बोलना चाहिए। यह हर समय बैठे-बैठे बोलते रहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मौका दिया है। आप यूटिलाइज कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अनुशासन और व्यवस्था होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जांच प्रक्रिया के संबंध में, किसी भी रोगी को बाहर जांच कराने के लिए नहीं कहा जाता। सभी जांच अस्पताल परिसर में ही करायी जाती हैं। यदि कोई ऐसा मामला है जहां रोगी को बाहर से जांच कराने के लिए कहा गया हो तो माननीय सदस्य मुझे भी बताएं। तत्पश्चात्, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री विक्रम केशरी देव: मैं कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने मुझे बाधा पहुंचाई है। मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

श्री विक्रम केशरी देव: भारत में शिशु मृत्यु दर नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे अन्य एशियाई देशों से अधिक है। इसलिए, सरकार शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है क्योंकि दसवीं योजना अवधि के दौरान हमें शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार शिशु जन्म पर 28 तक नीचे लाना था? इसलिए, मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु पूर्व राजग सरकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे अथवा नहीं। धन्यवाद।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मेरे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) के बारे में बहुत चिंतित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार आई.एम.आर. को वर्ष 2010 तक प्रति हजार रोगियों पर 30 तक आना चाहिए। आज प्रति हजार 63 की आई.एम.आर. है। निश्चय ही आई.एम.आर. को और कम करने हेतु कदम उठाये जाएंगे। उदाहरणार्थ, प्रतिरक्षण नीति में वर्तमान 45 प्रतिशत से 90 प्रतिशत बच्चों के स्थान पर हमने सभी बच्चों को प्रतिरक्षण के अंतर्गत लाने की योजना बनाई है। हम प्रतिरक्षण प्रक्रिया में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं और आई.एम.आर. को रोकने तथा कम करने हेतु सभी कदम उठाये जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर: अध्यक्ष महोदय, हाल ही में कुछ संगठनों ने या दवा कम्पनियों ने यह दावा किया कि भारत में ही एड्स की दवा विकसित कर ली गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन दावों की जांच सरकार ने कर ली है और दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्यों?

अध्यक्ष महोदय: देखिये, क्या क्वश्चन है। माननीय मंत्री जी क्या आप अब इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जब सभा मेरे अगले प्रश्न अर्थात् प्रश्न सं. 324 पर विचार करेगी तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मो. ताहिर, क्या आप अगले प्रश्न पर चले गए हैं? कृपया आप बैठ जाइये।

चौधरी लाल सिंह, कृपया सुसंगत प्रश्न पूछिए और अपनी सुरक्षा से संबंधित कुछ मत पूछिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप सर हैं। इसलिए, मैं आपको सर कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह भी मिलेगा।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि मेरे एक साथी ने पहले भी सवाल पूछा है, मैं भी जानना चाहता हूं कि पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट कोई वायदा कर जाये, जो चीजें सैंक्शन कर जाये, उस कुर्सी पर हम जाकर बैठ जाते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें रोक रहा हूं। आप उन्हें तंग क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल सिंह, अब आप मुख्य विषय पर बोलिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: रेलेवेंट है, प्लीज आप सुन लें, मैं वही कह रहा हूं। उसी कुर्सी पर पहले जो फैसला होता है, जो फैसला हमारे जम्मू-कश्मीर के बारे में हुआ, एम्स अपग्रेडेशन टू जी.एम.सी., क्या उस फैसले को पूरा करना इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस मेडीकल कालेज को एम्स में अपग्रेड करना है, क्या वह नहीं करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं एम्स जैसी छह नयी संस्थाओं की स्थापना के संबंध में सभी सदस्यों की चिन्ता को भली-भांति समझता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि हम इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित हैं क्योंकि इन सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, और इन संस्थाओं की स्थापना इन राज्यों में की जानी चाहिए। मैंने योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था, चूंकि इसमें कुछ वित्तीय अड़चनें थीं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दें।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मंत्रियों से यह चाहते हैं कि वे केवल आपकी संतुष्टि के लिए उत्तर दें? यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: इस मुद्दे पर मैंने योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था, और हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, असम में, विशेषकर चाय बागानों में कोई अस्पताल और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्थाएं नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इतने सारे अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् स्वास्थ्य से संबंधित है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: इसके परिणामस्वरूप, हजारों चाय श्रमिकों को आंत्रशोथ, हैजा और अतिसार के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस वर्ष भी मई, जून, जुलाई के महीनों में 4700 लोगों के आंत्रशोथ फैलने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली। इस संबंध में मैं पहले ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, पहले ही इसके कारण लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न है। इस स्थिति से निपटने के लिए, विशेषत: असम में, चाय बागान श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: जहां तक असम का संबंध है, मैं असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां दो सप्ताह पहले गया था। मैं उन शिविरों में भी गया हूं जहां पुनर्वासित लोगों को रखा गया था। हमने असम सरकार द्वारा मांगी गई सभी प्रकार की सहायता जैसे डी.डी.टी., क्लोरीन गोलियां, मच्छरदानियां सर्प-विष रोधी टीके, इत्यादि प्रदान की थी।

हमने असम सरकार को सभी औषधियों और सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

चाय बागानों के संबंध में उनका यह नियम है कि चाय बागानों के मालिकों को अपने श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी मामलों को देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा कृपया अपना विशेष प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं एक केवल एक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: स्वभावत: आप केवल एक ही प्रश्न पूछने के हकदार हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोलकाता में किसी अस्पताल का उन्नयन एम्स स्तर के अनुरूप करने की परिकल्पना कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप कोई भी अथवा प्रत्येक प्रश्न पूछ ले रहे हैं। नि:सन्देह, मैं कोलकाता की उपेक्षा नहीं कर सकता।

डा. अंबुमणि रामदास: जहां तक नये संस्थानों की स्थापना आदि पुराने संस्थानों के उन्नयन का संबंध है, मेरा उत्तर वही है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यही बात आप पर भी लागू होती है। अब श्री राम कृपाल यादव जी प्रश्न पूछेंगे जो अंतिम प्रश्न होगा। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए और आप कृपया विषय पर ही बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह: अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्नों का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरे क्वैश्चन्स भी आने वाले हैं। मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। आप यहां बैठकर देखिये। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, अभी केवल दूसरा प्रश्न ही चल रहा है। बाकी प्रश्नों का क्या होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे कृपया आदेश मत दीजिए। आप शालीनता से व्यवहार करें। आप कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह: हम लोग तैयारी करके आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कभी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। आप अध्यक्षपीठ को आंखें नहीं दिखा सकते। आप अध्यक्षपीठ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में खासकर दिल्ली के 'एम्स' में मरीजों के बढ़ते हुए भार की सोच के तहत तत्कालीन सरकार ने चुनाव के अवसर पर पटना सहित देश के पांच राज्यों में 'एम्स' खोलने का निर्णय किया और उनका शिलान्यास भी हुआ। पटना हमारा संसदीय क्षेत्र है। पटना ने तो जगह भी दे दी लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी इस संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाये कि वह खुलेगा या नहीं। बिहार का पूरा भार पटना पर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। मैंने इस प्रश्न पर आपको बहुत समय दिया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी साफ तौर बतायें कि वह हास्पिटल सैंक्शन हुआ है या नहीं और वह खुलेगा या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि बिना सैंक्शन के वह क्यों खोला गया और क्यों उसका शिलान्यास किया गया? महामहिम राष्ट्रपति जी को क्यों इसमें इन्वाल्व किया गया, यह हम और देश जानना चाहता है।

[अनुवाद]

श्री अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या 324 पर आते हैं। श्री अधलराव पाटील शिवाजी पहला अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं है इसलिए आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसमें कुछ नया जोड़ने वाले नहीं हैं। अब प्रश्न 324 का उत्तर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

एड्स का उन्मूलन

*324. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में करीब 1-7 मिलियन लोग एड्स से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के बजट में एच.आई.वी./एड्स की वृद्धि शून्य स्तर तक करने हेतु कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त प्रयोजनार्थ विदेशी एजेन्सियों; विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त हो रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा एड्स की दवा हेतु किसी विदेशी कम्पनी के साथ किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गैर-सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा एड्स जागरूकता कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहायता राशियों के समुचित उपयोग पर निगरानी रखने और जांच करने हेतु कौन-सा तंत्र अपनाया गया है; और

(ज) एड्स से निपटने के लिए क्या कार्य योजना अपनायी गयी है/अपनायी जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने विगत वर्षों में विशिष्ट उच्च ज़ोखिम वाले समूहों तथा सामान्य जनसंख्या में एच आई वी संक्रमण की वृद्धि के रुझानों का पता लगाने और उनकी मानीटरिंग करने के लिए एक वार्षिक एच आई वी प्रहरी निगरानी सर्वेक्षण को संस्थागत बनाया।

एच आई वी प्रहरी निगरानी दौर, 2003 में देश में 5.1 मिलियन एच आई वी संक्रमण होने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निदेशन और समन्वय करती है। प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना 1992-1999 से कार्यान्वित की गई थी और वर्तमान द्वितीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना 1999 से 2006 तक कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने 2002 में एक राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति अंगीकार की है जिसमें देश में 2007 तक एच आई वी/एड्स का शून्य वृद्धि स्तर हासिल करने की बात सोची गई है। सरकार ने 2002 में एक राष्ट्रीय रक्त नीति तथा उसके बाद 2003 में रक्त निरापदता पर एक विस्तृत कार्य योजना अंगीकार की है।

द्वितीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(1) भारत में एच आई वी संक्रमण की वृद्धि दर को कम करना; और

(2) एच आई वी/एड्स के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत की क्षमता को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में एच आई वी के साथ रह रहे लोगों की परिचर्या, उपचार और सहायता की अनेक कार्यनीतियों के साथ एच आई वी के निवारण की अनेक प्रचालनात्मक कार्यनीतियां हैं। निवारण पर हमारे कार्यकलाप निम्नलिखित पर संकेन्द्रित हैं:

* आचरण परिवर्तन सम्प्रेषण, परामर्श और परीक्षण, कण्डोम संवर्धन और यौन-संचारित संक्रमणों के इलाज के लिए रेफरल सुविधाओं के माध्यम से अधिक खतरे वाले लोगों के लिए निवारक कार्यकलाप। ये कार्यकलाप जागरूकता तथा अन्तर-वैयक्तिक सम्प्रेषण के माध्यम से अनुकूल वातावरण बनाकर अधिक खतरे वाले स्थलों पर लक्षित कार्यकलापों के द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

* सभी वर्गों में सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण का प्रचार-प्रसार करके, निरापद रक्त, स्वैच्छिक परीक्षण एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम करके आम लोगों के लिए निवारक गतिविधियां, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय टॉक एड्स कार्यक्रम के माध्यम से किशोरों एवं वयस्क युवाओं तक पहुंच बढ़ाकर तथा नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले युवाओं में जागरूकता पैदा करना;

* सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों को जरिए कम लागत वाली परिचर्या और सहायता हेतु कार्यकलाप, प्रसवपूर्व क्लीनिकों में एचआईवी पाजीटिव माता से नवजात शिशु में एचआईवी के संचरण को रोकने वाली सेवाओं की स्थापना जिसे सामान्यत: माता से बच्चों में होने वाले संचरण की रोकथाम के रूप में जाना जाता है, एचआईवी-क्षयरोग सह-संक्रमण को रोकना, अवसरवादी संक्रमण के लिए एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों का उपचार और पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के साथ स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का बचाव करना।

* हमने हाल ही में एड्स से पीड़ित लोगों की परिचर्या और सहायता के लिए कार्यसूची में विस्तार किया है तथा छह उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और नागालैंड) में चुने गए 8 सरकारी अस्पतालों में एंटिरिट्रोवायरल उपचार शुरू किया है। हम अगस्त, 2004 से आगे चुने गए सरकारी अस्पतालों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 25 कर देंगे। हम औसत एचआईवी व्याप्तता दर वाले राज्यों तथा कम व्याप्तता दर वाले राज्यों के सरकारी अस्पतालों को शामिल करेंगे।

एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के लिए एंटिरिट्रोवायरल उपचार से उनकी रोग प्रतिरक्षण प्रणाली को बढ़ाने तथा बेहतर स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप वे सक्रिय जीवन पुन: शुरू करने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम निम्नलिखित उपायों में सहायता करता है:

- जांचपूर्व और जांचोत्तर परामर्श सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक एच आई वी जांच करवाने वाले लोगों के लिए 709 स्वैच्छिक परामर्श और जांच केन्द्र।
- एच आई वी पाजिटिव माताओं से उनके नवजात शिशुओं में होने वाले एचआईवी के संचरण को रोकने के लिए प्रसवपूर्व क्लीनिकों में 273 स्थल।
- 1020 रक्त बैंक, शुद्ध रक्त तथा रक्त उत्पादों की अधिक व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रत्येक जिला में एक-एक रक्त बैंक।
- स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम जिसमें देश भर के 60,000 स्कूल कवर किए जा रहे हैं, एच आई वी/एड्स की सूचना प्रदान करने हेतु युवा एवं किशोरों तक पहुंचता है।
- यौन संचारित रोगों का शीघ्र निदान, उपचार तथा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और उपभोज्यों वाले 738 यौन संचारित रोग (एस टी डी) क्लीनिक।
- देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रमुख अस्पतालों को आगे भुगतान के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता के जरिए एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए "अवसरवादी संक्रमणों" का प्रबंधन।
- कार्यस्थान संबंधी उपायों सहित अन्तर-क्षेत्रीय एचआईवी निवारण कार्यकलाप।
- रेल मंत्रालय तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम सार्वजनिक-निजी भागीदारियों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में परिचर्या और उपचार हेतु सहायता।
- निगरानी, प्रशिक्षण, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन, प्रचालनात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमताओं का निर्माण।

सरकार ने किसी विदेशी कंपनी के साथ एड्स की दवाओं के लिए किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अवसरवादी संक्रमण के उपचार की दवाएं तथा रिट्रोवाइरलरोधी औषधें देशी स्रोतों से ही खरीदी जाती हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विस्तृत मानिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई है। उपयुक्त मूल्यांकन को समर्थ बनाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों से उनकी संबद्ध राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से नियमित फीडबैक सुनिश्चित करने के लिए एक कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं एक कार्यक्रम वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

पोषित गैर-सरकारी संगठनों के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाने वाली लेखापरीक्षा के अध्यधीन होते हैं। बाह्य मूल्यांकन उन गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में किया जाता है जो तीन वर्षों से अधिक समय से इंटरवेंशन कार्यक्रम कार्यान्वित करते आ रहे हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च तथा निम्न व्याप्तता वाले राज्यों का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित दौरा किया जाता है।

विदेशी संगठनों से प्राप्त हो रही वित्तीय सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक अनुबंध संलग्न है।

अनुबंध

विदेशी संगठनों से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण

वित्तपोषक एजेंसी	राशि (करोड़ में)	अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
विश्व बैंक	959.00	1999-2006	क्रेडिट के रूप में राशि
डीएफआईडी	487.40	2002-2007	अनुदान के रूप में सहायता

	2	3	4
मिलनाडु और पांडिचेरी में यूएसएआईडी ा सहायता प्राप्त एपीएसी परियोजना	64.58	2002-2007	अनुदान के रूप में सहायता
महाराष्ट्र में यूएसएआईडी से सहायता प्राप्त एकीईआरटी रियोजना	166.00	2002-2007	अनुदान के रूप में सहायता
सीआईडीए	37.81	2002-2007	अनुदान के रूप में सहायता
ख्यूएसएआईडी	24.65	2002-2007	अनुदान के रूप में सहायता
यूएनडीपी	6.47	2002-2007	अनुदान के रूप में सहायता
डब्ल्यूएचओ डब्लूएचओ कंट्री बजट द्विवार्षिक 2004-05 एड्स, टी.बी. और मलेरिया के लिए ग्लोबल फंड	0.5	2004-2005	अनुदान के रूप में सहायता
जीएफएटीएम (राउंड-2) (जनवरी 2003) नवजात शिशु को एचआईवी पाजिटिव से ग्रस्त मां से संक्रमण से बचाने के लिए	122.74	2004-06	5 वर्ष (2004-09) के लिए 480.38 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया गया
जीएफएटीएम (राउंड-3) (अक्टूबर 2003) एच आई वी-वाई बी सह-संक्रमण के प्रबंधन में तेजी लाने के लिए	–	–	5 वर्ष (2004-09) के लिए 71.14 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया गया
जीएफएटीएम (राउंड 4) (जून 2004) एड्स से ग्रस्त लोगों के एंटीरिट्रोवायरल उपचार तथा जन सामान्य में एच आई वी से बचाव सम्बन्धी कार्यनीतियों, उपायों के कार्यान्वयन के लिए	–	–	5 वर्ष के लिए 760.90 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया गया।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजी: मेरा प्रश्न भारत में एड्स को मिटाने से सम्बन्धित है। जैसा कि हम जानते हैं भारत में 55-60 लाख से भी अधिक लोग एच आई वी से संक्रमित हैं। मैं माननीय मंत्री से बच्चों, व्यस्कों और वृद्धों में एड्स के प्रभाव क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं। क्या सरकार ने कोई भी नया व्यक्ति एड्स से प्रभावित न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बारे में आंकड़ों का संकलन किया है?

डा. अंबुमणि रामदास: अभी तक तो हमारे पास प्रभावित बच्चों, व्यस्कों एवं महिलाओं में प्रभाव का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है। हम अपने देश में एड्स के प्रभाव क्षेत्र एवं घटनाओं के बारे में किसी बाह्य एजेंसी जैसे भारतीय प्रबन्धन

संस्थान बैंगलोर या अहमदाबाद या अन्य किसी बाह्य एजेंसी से राष्ट्रीय मूल्यांकन-सह-सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं। उस सर्वेक्षण से हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम कहां पिछड़ रहे हैं एवं हमारा केन्द्र बिन्दु क्या होना चाहिए। इस सर्वेक्षण से मैं समझता हूं, हमें अधिक विवरण मिल सकेंगे।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए निरोधक या आरोग्यकर वैक्सीन के अनुसंधान या परीक्षण पर विचार कर रही है या परीक्षण चल रहे हैं, क्या गर्भावस्था के मामलों में एंटी-रिट्रोवाइरल थेरापी के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है और क्या भारत में एड्स से लड़ने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया है।

डा. अंबुमणि रामदास: निरोधक वैक्सीन के बारे में, हम तीन प्रकार की वैक्सीन पर ध्यान दे रहे हैं, वे हैं: 1. संवर्धित वैक्सीन अंकारा टाइप, 1. एच.आई.वी.-1 सबटाइप-सी डी.एन.ए. और 3. रिकोम्बिनो एडीनो एसोसिएटेड वाइरस। प्रथम वैक्सीन के सम्बन्ध में क्लीनिकल परीक्षण अगले वर्ष के प्रारम्भ में शुरू हो जाने चाहिए। एचआईवी-1 सब टाइप-सी डीएनए वैक्सीन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर हम अनुसंधान करने की सोच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी—अनुपस्थित। श्री पी. करुणाकरन।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, देश के कुछ भागों से रिपोर्ट मिली हैं कि जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं एवं जो एचआईवी से प्रभावित हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या ऐसी घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं? यह अमानवीय व्यवहार है। मासूम बच्चे जो एड्स के बारे में कुछ नहीं जानते वे अध्ययन करने एवं जीने के अधिकार से वंचित किये जा रहे हैं। क्या यह इस बात को नहीं दर्शाता है कि लोगों में अभी भी एड्स के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। सरकार इस बारे में क्या उपाय करना चाहती है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य की चिंता में मैं भी शामिल हूं। हम अभी एचआईवी से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विधान बनाने के लिए बातचीत की प्रारंभिक अवस्था में हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, हमें बताया गया है कि देश के प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य में सभी बड़े अस्पतालों को आगे धनराशि संवितरण के लिए राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में मेरा अनुभव भिन्न है। कुछ समय पूर्व, एंटी-रेट्रोवाइरल दवाईयां, जो मेरे संघ राज्य चण्डीगढ़ सहित विभिन्न संघ राज्यों को उपलब्ध करायी जा रही थी बन्द कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री से इसके कारण जानना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्थानों, जिन्हें वे अत्यधिक प्रभावित मानते हैं, के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी स्थानों जो कम प्रभावित हैं और जहां एड्स रोकने की आवश्यकता है के लिए भी एंटी रिट्रोवाइरल उपचार के लिए क्या सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

डा. अंबुमणि रामदास: यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। एंटी-रिट्रोवाइरल के बारे में मैं यह बताा चाहता हूं कि इसे हमने इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है। लगभग आठ सरकारी अस्पतालों में एंटी-रिट्रोवाइरल सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष के अंत तक हमने एंटी-रिट्रोवाइरल थैरेपी के लिए कुल 25 अस्पतालों की पहचान करने की योजना बनायी है।

श्री पवन कुमार बंसल: यह तो विवरण में पहले से ही दिया गया है। कुछ ऐसे अस्पताल थे जिन्हें पहले सहायता दी जा रही थी, उन्हें अब सहायता पूर्णत: बन्द कर दी गई है।

डा. अंबुमणि रामदास: यदि ऐसा कोई विनिर्दिष्ट अस्पताल है तो मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसकी सूचना मुझे दें और मैं उन्हें पुन: बताऊंगा।

श्री पवन कुमार बंसल: सूचना तो बहुत पहले जा चुकी हैं लेकिन इसके बारे में अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में मेरे पास सूचना नहीं है, वह बहुत पहले भिजवाई जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न देश की मानवता से जुड़ा हुआ है जिसमें महिलाएं बहुत प्रभावित हैं और सम्माननीय मंत्री जी को महिलाओं के आंकड़े पता नहीं हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि इन्होंने सर्वे नहीं किया तो सात लाख लोग कैसे आ गए और इनमें महिलाएं कितनी हैं? यह देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है। आज देश अगर किसी कठिन समस्या से गुजर रहा है तो उसमें एड्स भी एक है।

दूसरा प्रश्न है कि जब पति-पत्नी दोनों इससे प्रभावित होते हैं तो उनकी संतान के भरण-पोषण के लिए, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए, उनके निर्वहन के लिए क्या सरकार कोई योजना बनाने जा रही है? यदि सरकार कोई योजना बनाने जा रही है तो कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। हम एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) से नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी से कराने की सोच रहे हैं। उस सर्वेक्षण के बाद ही हम आंकड़े दे पाएंगे कि कितने बच्चे प्रभावित हैं और कितनी महिलाएं प्रभावित हैं। आज की तिथि तक, हमारी जानकारी में एचआईवी/एड्स से प्रभावितों के लगभग 78,000 मामले हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल एक प्रश्न की ही अनुमति है।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: मैंने पूछा था कि पति-पत्नी दोनों पीड़ित हैं तो सरकार उनके बच्चों के लिए योजना बना रही है, क्योंकि वे कोई काम नहीं कर सकते और सड़कों पर भीख मांगते हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: इस बारे में आज की तिथि में हमारे पास कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य, खासकर झारखंड में विगत तीन वर्षों में जिला और प्रखंड स्तर पर एचआईवी की जांच और चिकित्सा के लिए कितने केन्द्र खोले गए हैं और उससे लाभांवित लोगों का ब्यौरा क्या सरकार देना चाहेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? क्या आपके पास इसके बारे में कोई सूचना है?

डा. अंबुमणि रामदास: हमारे पास विशेष रूप से झारखण्ड के बारे में कोई सूचना नहीं है। लेकिन हमारे पास पूरे भारत से सम्बन्धित आंकड़े हैं। हमारे पास लगभग 709 स्वैच्छिक जांच एवं सलाहकार केन्द्र हैं। कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक तौर पर अपनी जांच के लिए इन केंद्रों में आ सकता है। हमारे पास लगभग 738 एसटीआई क्लिनिक एवं 670 सेंटीनल साइट हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, यदि झारखण्ड से सम्बन्धित कोई सूचना है, तो कृपया माननीय सदस्य को बताएं।

डा. अंबुमणि रामदास: हां, महोदय, वह मैं बताऊंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री जी ने कुछ सूचनाएं दी हैं। विदेशी एजेंसीज के माध्यम से कहा गया है कि इस दशक के अंत तक हिन्दुस्तान में 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग एचआईवी पोजिटिव होंगे। यह एक इकोनॉमिक लायबिलिटी बनने वाली है। क्या सरकार ने इसका मूल्यांकन किया है और इसके लिए क्या प्रभावशाली कदम उठा रही है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो मानीटरिंग मेकेनिज्म है, क्या सरकार उसमें संसद सदस्यों को भी इन्वाल्व करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप निगरानी तंत्र में रखने के लिए माननीय संसद सदस्यों को भी शामिल करेंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं एचआईवी/एड्स पर माननीय सदस्य की चिंता समझता हूं। यह हमारे लिए भी बहुत गम्भीर चिंता का विषय है। यद्यपि, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार इस बारे में बहुत गम्भीर है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम/घोषणापत्र में एचआईवी/एड्स का उल्लेख है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक दूसरे की बात न काटें या फुसफुसाहट बन्द करें।

डा. अंबुमणि रामदास: घोषणापत्र में एचआईवी/एड्स का उल्लेख स्वत: ही यह दर्शाता है कि हम एच आई वी/एड्स के बारे में गम्भीर हैं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय संसद सदस्यों से एच आई वी/एड्स संसदीय मंच में सम्मिलित होने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

गत वर्ष जुलाई में सम्पन्न हुई मंच की अंतिम बैठक में मात्र 100 संसद सदस्यों ने भाग लिया था। इस वर्ष, मैं आपके माध्यम से एच आई वी/एड्स पर संसदीय मंच की बैठक में भाग लेने हेतु सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब आपने सभी संसद सदस्यों से अपील की है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बाहर जाऊंगा और आपको यहां बैठने के लिए कहूंगा।

श्रीमती मिनाती सेन: महोदय, एड्स प्रभावित देशों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान सबसे ऊपर है। यह धारणा बनी हुई है कि बच्चों का यौन शोषण करने से एच आई वी के मरीज ठीक हो जाते हैं और इसी धारणा की वजह से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। अब भारत में भी बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या दक्षिण अफ्रीका में विद्यमान ऐसी प्रवृतियां भारत में भी फैल रही हैं। मैं इसके बारे में ब्यौरा जानना चाहती हूं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि भारत में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं एड्स के मरीज हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वे लोग जांच कर रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: जहां तक भाग (क) का प्रश्न है, बच्चों के यौन शोषण के मामलों में बढ़ोतरी का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जो इस धारणा की वजह से किया गया हो कि इससे एच आई वी/एड्स के मरीजों को इस रोग से निजात मिले।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रश्न के अन्य भागों के संबंध में यह बता दिया है कि इसे पहले ही किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि यह बहुत सैंसटिव प्रश्न है और इसमें पति द्वारा पत्नी को यह रोग प्राप्त होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि इसमें बच्चों के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं है। अभी योजना नहीं है लेकिन इसके अवेयरनैस के लिए बहार से बहुत सारा पैसा आता है और हम भी अवेयरनैस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। मंत्री महोदय इस बात को सोचेंगे कि अवेयरनैस के साथ-साथ जिस पति-पत्नी को यह रोग होता है जिनको मृत्यु साक्षात सामने दिखायी देती है और पूरा परिवार मृत्यु के साए में जीता है, उनके पास दवा के लिए कोई पैसा नहीं रहता, ऐसे लोगों को दवा भी साथ-साथ मिले, ऐसी कोई योजना बना कर, उसके लिए अलग से फंड बनाने की व्यवस्था करेंगे? साथ ही साथ आगे उनके बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि वे कमा नहीं पाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: यद्यपि हमारा सबसे पहला ध्यान एड्स की रोकथाम पर है, हम इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एड्स के मरीजों की देखभाल और उनकी सहायता कर रहे हैं। अब हम यह कह रहे हैं कि एड्स को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु इसका इलाज किया जा सकता है। चूंकि हम एंटी-रेट्रोवाइरल थिरेपी पर कार्य कर रहे हैं, हमने इसके लिए काफी धनराशि का प्रावधान किया है।

जहां तक माननीय सदस्य की चिन्ता का प्रश्न है, हम एच आई वी पीड़ित इन बच्चों की देखभाल करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निधियां मुहैय्या करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: संसदीय मंच आपकी सहायता करेगा।

[अनुवाद]

मौसम विज्ञान विभाग की विफलता

*325. **श्री राजेश कुमार मांझी:**
श्री खाडिगा रामकृष्णा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम विज्ञान विभाग मानसून की गतिविधि तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेवार अन्य कारकों का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विभाग को बेहतर उपकरणों से सुसज्जित करने का है ताकि यह समय पर और सही पूर्वानुमान लगा सके;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या योजनाएं तैयार की गयी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो लोगों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय प्रायद्वीप में मानसून की वर्षा भूमण्डल में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती है। सम्पूर्ण विश्व में इस समय जो प्रेक्षण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं उनसे मानसून की गतिविधि के स्थानिक और सामयिक परिवर्तनों पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। परन्तु प्रेक्षणों के आधार पर देश में होने वाली वर्षा के स्वरूप का पता लाभदायक पूर्वानुमानों के लिए किया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग सम्पूर्ण देश में काफी लम्बे समय से वर्षा की मानीटरिंग करता आ रहा है और उसने कुल मौसमी वर्षा और मौसम वैज्ञानिक उप-मण्डलों के लिए अल्पावधि का पूर्वानुमान करने के लिए पहले ही माडल तैयार कर लिये हैं। इन पूर्वानुमानों ने हमारे प्रचालन कार्यों, विशेषकर कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) ने अप्रैल, 2004 में सम्पूर्ण देश के लिए दक्षिण-पश्चिमी मानसून की मौसमी वर्षा (जून से सितम्बर तक कुल) के संबंध में एक दीर्घावधि पूर्वानुमान (एल आर एफ) जारी किया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2004 को एक सामान्य वर्ष होने की आशा की जाती है जिसमें वास्तविक वर्षा दीर्घावधि औसत (एल पी ए) का 100% (±4% की माडल त्रुटि के साथ)। 11 अगस्त, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में दर्ज की गई वास्तविक वर्षा समग्र रूप से लगभग 93% है। इस पूर्वानुमान में कितनी सच्चाई है इसका निर्धारण केवल मौसम के अंत में ही किया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष केरल तट में मानसून शुरू होने की तारीख 18 मई, 2004 होने की भविष्यवाणी भी की थी। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग सम्पूर्ण देश में मानसून के बढ़ने की मॉनीटरिंग भी करता आ रहा है और इसकी प्रगति के बारे में सरकार को सलाह देता आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग किसानों की सहायता के लिए उनके क्रियाकलापों की योजना बनाने हेतु क्षेत्रवार अल्पकालिक (2-3 दिवसीय) पूर्वानुमान भी जारी करता है।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, जिन्हें बेहतर रूप से समझा जाता है, जैसी घटनाओं के संबंध में अंतरिक्ष और भूमि आधारित रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके काफी सही रूप से उनके मार्ग और गंभीरता की भविष्यवाणी करना अपेक्षतया आसान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नियमित आधार पर सफलता के साथ चक्रवात की चेतावनी देता आ रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानसूनों की भविष्यवाणी के बारे में विभाग का निष्पादन नीचे की सारणी में दिया गया है:

वर्ष	पूर्वानुमान (दीर्घावधि औसत का प्रतिशत)	प्राप्त की गई वर्षा (दीर्घावधि औसत का प्रतिशत)
2001	98	91
2002	101	81
2003	96	102

वर्ष 2002 एक असामान्य वर्ष था और जुलाई के महीने में सूखे की स्थिति शुरू होने के कोई संकेत नहीं थे।

(ग) और (घ) उपस्करों और माडलों का उन्नयन एक निरन्तर और विकासमान प्रक्रिया है। सरकार मौजूदा प्रेक्षण नेटवर्क को बढ़ाने संचार सुविधाओं के उन्नयन और मौसम पूर्वानुमान माडलों के सुधार के प्रति वचनबद्ध है। प्रेक्षणात्मक और पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के आबंटन हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ तैयार किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विस्तारित अवधि के पूर्वानुमानों की एक गतिशील जलवायु भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करने पर पहले ही संयुक्त रूप से कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि हम मौसम विज्ञान विभाग को विश्वस्तरीय अति-आधुनिक मशीनों से सुसज्जित कर रहे हैं। यह बात ठीक है लेकिन मौसम विज्ञान विभाग कई महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून का वृतीय पैटर्न, सूर्य-पृथ्वी सम्पर्क और सूर्य धब्बों से उत्पन्न ताप इत्यादि का उपयोग मानसून की भविष्यवाणी में नहीं कर रहे हैं जबकि इन सभी पैरामीटरों का उपयोग संसार के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। क्या सरकार मानसून की भविष्यवाणी के लिए इन सभी पैरामीटरों का उपयोग करने के लिए निकट भविष्य में निर्देश देगी ताकि सही भविष्यवाणी हो सके।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आइये हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उत्तर के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी करने हेतु कोई अंतर्राष्ट्रीय मानदंड नहीं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में मानसून और वर्षा की भविष्यवाणी हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं, परन्तु दक्षिण-पश्चिम मानसून हेतु कोई विशिष्ट माडल नहीं है। हमने अपना माडल ईजाद किया है। वस्तुत:, मानसून की भविष्यवाणी जैसी कोई चीज नहीं है। हम मात्र दीर्घावधि आधार पर वर्षा की संभावना को बता सकते हैं। परन्तु यह बताना मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि किसी खास जिले में अमुक दिन को वर्षा होने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गांवों में मानसून मैनेजर की बहाली की जरूरत को समझती है जो किसानों को मानसून डाटा को समझाने के लिए ट्रेनिंग दे?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: वस्तुत:, हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या यह है कि आंकड़ों को एकत्रित करने तथा आंकड़ों का प्रसार करने के कार्य को अभी तक आन-लाइन नहीं किया गया है। यह कार्य एक ही समय नहीं हो पाता है। वास्तव में, दो सप्ताह पहले तक जिला स्तर पर किसी आंकड़े का प्रसार बिल्कुल नहीं हो रहा था।

मध्याह्न 12.00 बजे

वस्तुत:, मंत्रालय ने मात्र दो सप्ताह पहले यह निर्णय लिया था कि अब हम जिला स्तर पर आंकड़े का प्रसार करेंगे और यह कार्य विद्यमान मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, भारतीय मौसम विभाग आंध्र प्रदेश के पूर्व-तट हेतु, जो कि प्राय: चक्रवातों से प्रभावित होता रहता है, सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने पर विचार कर रहा है ताकि चक्रवात की पूर्व चेतावनी दी जा सके। इस संबंध में क्या होने जा रहा है? क्या आंध्र प्रदेश की जनता को विशेषकर किसानों को सहायता देने के संबंध में इस कार्य को करने के लिए भारत सरकार को कोई योजना प्राप्त हुई है?

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, सिर्फ आंध्र प्रदेश का प्रश्न नहीं है बल्कि विभिन्न स्तरों पर निवेश के माध्यम से सम्पूर्ण मौसम विभाग को उन्नत बनाने का प्रश्न है। कम्प्यूटरों और उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक कम्प्यूटरों को खरीदा जाना चाहिए, बल्कि आवश्यक रूप से खरीदा जाना चाहिए तथा सरकार ऐसा करने की योजना बना रही है। वस्तुत:, हम सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह इस पर विचार करे और निवेश किए जा सकें। मानसून का मुद्दा वर्षा का मुद्दा नहीं है बल्कि यह जीवन का प्रश्न है और इस प्रकार इसे जीवन से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में चर्चा कराई जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप नोटिस दें। आपको प्रक्रिया की जानकारी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के विकास हेतु नीति

***326. श्री खीरेन रिजीजू:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए इसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के विकास हेतु कोष स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को कितना ऋण दिया गया;

(च) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु एक नयी योजना शुरू की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योग पहले ही एक मुक्त क्षेत्र है, जहां बिना किसी सरकारी नियंत्रण के व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं, बशर्ते कि कुछ सामान्य कानूनों एवं क्षेत्र विशिष्ट स्थानीय विनियमों का अनुपालन किया जाए।

(ग) और (घ) 10,000 करोड़ रु. के फंड के साथ लघु एवं मध्यम उद्यम (एस एम ई) निधि 1 अप्रैल, 2004 से परिचालन में आ गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड़बी) के माध्यम से परिचालित की जा रही यह निधि आगामी दो वर्षों अर्थात् 2004-05 एवं 2005-06 में प्रयुक्त की जानी है। एस एम ई निधि की 80% राशि ऐसी लघु उद्योग इकाइयों के लिए निर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव है, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में 1 करोड़ रु. तक का निवेश है तथा शेष 20% राशि अन्य लघु उद्योग/सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं, मध्यम स्तर के उद्यमों एवं आधारिक संरचना परियोजनाओं आदि के लिए है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बहियों में लघु उद्योगों के ऋण खातों में पिछले तीन वर्षों के लिए बकाया राशि का ब्योरा निम्नलिखित है:

मार्च, 2002 के अन्त में	–	49743 करोड़ रु.
मार्च, 2003 के अन्त में	–	52988 करोड़ रु.
मार्च, 2004 के अन्त में	–	58277 करोड़ रु. (अनन्तिम)

(च) और (छ) केन्द्रीय सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास एवं संवर्धन का समर्थन करती है, जो समान रूप से देश भर में कार्यान्वित किए जाते हैं। तथापि, एकीकृत आधारिक संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना के मामले में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से केन्द्रीय अनुदान अधिकतम 4 करोड़ रु. की शर्त के अधीन 80% की दर से दिया जाता है, जबकि सामान्यत: अधिकतम 2 करोड़ रु. 40% की दर से केन्द्रीय अनुदान का नियम है।

[अनुवाद]

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना

*327. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में रह रहे मुसीबत में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा इस समय क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास मुसीबत में फंसे अपने देशवासियों की सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय दूतावासों का हेल्पलाइन सेवाएं और 'ओपन हाउस' शुरू करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को विदेशों में रह रहे विपत्ति में फंसे भारतीयों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय प्राधिकारियों और उनके नियोक्ताओं के समक्ष उठाने के स्थायी अनुदेश दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सऊदी अरब में रियाद स्थित भारत के राजदूतावास ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए उनकी शिकायतों के निवारण हेतु सलाह और सहायता के लिए हमारे मिशनों से संपर्क हेतु 19 जुलाई, 2004 से 24 घंटे की टेलीफोन आधारित हेल्पलाइन सेवा आरंभ की है।

(घ) रियाद स्थित भारतीय राजदूतावास और जेद्दाह स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास ने 8 जुलाई 2004 से महीने के प्रत्येक दूसरे बृहस्पतिवार को "ओपन हाउस" का आयोजन करना आरंभ किया है। सरकार ने खाड़ी स्थित अन्य देशों में भारतीय मिशनों में 'हेल्प लाइन' सेवाएं आरम्भ करने और "ओपन हाउस" आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

पीएमआरवाई के अधीन निधियों के आवंटन के लिए मानदंड

*328. श्री एम. अजंनकुमार यादव:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएमआरवाई के अधीन निधियों के आवंटन के लिए अनुपालन किए जाने वाले मामले और इन निधियों के प्रयोग के लिए निर्धारित दिशानिर्देश;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ग) अगर हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई और उसके परिणाम;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पीएमआरवाई के अधीन आवंटित और जारी वित्तीय सहायता की राशि;

(ङ) क्या कुछ राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों ने पीएमआरवाई के लिए अधिक निधियां आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(च) अगर हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाया गया कदम?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित लाभार्थियों के कुल लक्ष्य की तुलना में कार्यान्वयन बैंकों द्वारा वैयक्तिक लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए निधियां जारी करने हेतु और राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को उद्यमिता विकास (प्रशिक्षण एवं आकस्मिकता आदि) के हेतु निधियां प्रदान करती है। लक्ष्यों का आवंटन, जनसंख्या तथा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान योजना में राज्य के कार्यनिष्पादन देय हो चुके ऋणों की वसूली और राज्य/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों पर भी उचित तौर पर विचार किया जाता है। इन निधियों के उपयोग हेतु दिशानिर्देश विवरण-I पर हैं।

(ख) जी नहीं। राज्य/संघ शासित प्रदेशों से ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उद्यमिता विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को बैंकों द्वारा संवितरित किए गए ऋणों एवं प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर है। केन्द्र सरकार से सब्सिडी हेतु सहायता कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया जाता है। अत: सब्सिडी हेतु जारी की गई सहायता का राज्यवार/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान, सब्सिडी हेतु क्रमश: 178.80 करोड़ रु., 152.55 करोड़ रु. एवं 147.63 करोड़ रु. राशि की निधियां भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत की गई हैं।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2004-05 के लिए लक्ष्यों की वृद्धि के लिए असम, मेघालय और नागालैंड के पूर्वोत्तर राज्यों सहित, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2004-05 के लिए इन राज्यों के लिए लक्ष्यों को उनके अनुरोधों के अनुसार संशोधित किया गया है।

विवरण I

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों के उपयोग हेतु दिशानिर्देश

(1) कार्यान्वयन बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने हेतु :

(क) उद्योग/सेवा क्षेत्र	:	2.00 लाख रु. तक की परियोजना लागत
(ख) व्यापार क्षेत्र	:	1.00 लाख रु. तक की परियोजना लागत

टिप्पणी: बैंक ऋण परियोजना लागत का 80% है शेष 20% केन्द्र सरकार से सब्सिडी और लाभार्थी से मार्जिन मनी अंशदान है।

(2) केन्द्र सरकार से सहायता:

(1) सब्सिडी के लिए निधियां परियोजना लागत के 15% की दर से जारी की जाती हैं जिसकी सब्सिडी के लिए निधियां प्रति लाभार्थी सीमा 7,500 रु. (पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रति लाभार्थी सीमा 1500 रु.) हैं।

सब्सिडी के लिए निधियां भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत की जाती हैं और यह राज्य/संघ शासित प्रदेशों को सीधे जारी नहीं की जाती है। ये निधियां कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिकों को दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक इन निधियों का उपयोग सुनिश्चित करता है।

(2) प्रशिक्षण एवं आकस्मिकता हेतु निधियां:

प्रशिक्षण निधियां: इस योजना के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को ऋण संस्वीकृत किए गए हैं, उन्हें उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना की स्थापना के लिए 15-20 कार्य दिवसों तथा सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के लिए 7-10 कार्यदिवसों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता जारी करने के लिए मानक निम्नोक्त हैं:

उद्योग क्षेत्र के लिए

वृत्तिका	:	300 रु.
प्रशिक्षण व्यय	:	700 रु.
कुल	:	1000 रु.

सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए

वृत्तिका	:	150 रु.
प्रशिक्षण व्यय	:	350 रु.
कुल	:	500 रु.

(3) आकस्मिकता निधियां:

आकस्मिकता निधियां संस्वीकृत ऋण प्रति लाभार्थी 250 रु. की दर से जारी की जाती है। ये निधियां प्रचालनात्मक व्ययों हेतु प्रदान की जाती हैं।

प्रशिक्षण, आकस्मिकता आदि हेतु निधियां राज्य/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेशों से इन निधियों का उपयोग प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। पूर्व वर्षों का अधिशेष/कमी को बाद में जारी की जाने वाली निधियों में समायोजित किया जाता है।

(4) इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में योजना आदि के मूल्यांकन के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण II

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों के आधार पर बैंकों द्वारा संवितरण ऋणों तथा उद्यमिता विकास (प्रशिक्षण, आकस्मिकता आदि) हेतु केन्द्र सरकार से सहायता का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि	केन्द्र सरकार से सहायता	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि	केन्द्र सरकार से सहायता	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि	केन्द्र सरकार से सहायता
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	3944.42	19.73	4227.09	38.86	3406.77	68.99
हिमाचल प्रदेश	1605.63	7.13	1504.99	16.96	1881.3	1948
जम्मू एवं कश्मीर	754.21	4.29	517.15	2.49	556.73	13.16

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	5209.82	103.23	4779	30.22	3479.24	78.18
राजस्थान	6886.93	0.00	6542.92	57.83	4562.11	106.01
चंडीगढ़	89.41	0.48	29.32	0.37	74.37	0.47
दिल्ली	482.06	0.00	453.90	0.00	486.29	0.00
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
असम	2818.12	42.85	3279.33	110.73	1125.99	58.97
मणिपुर	157.01	4.50	377.42	0.00	287.85	5.57
मेघालय	501.53	13.56	197.54	1.86	217.65	7.10
नागालैंड	41.53	2.99	138.36	6.84	19.6	1.00
त्रिपुरा	643.92	21.40	663.44	17.35	1363.62	18.23
अरूणाचल प्रदेश	381.72	1.74	273.07	3.81	232.57	3.47
मिजोरम	43.75	1.62	107.87	4.71	809	3.61
सिक्किम	19.37	0.15	13.17	0.10	21.74	0.48
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	7273.89	0.00	6626.81	0.00	6408.17	101.54
झारखंड	3126.11	45.00	3543.38	0.00	2824.67	0.00
उड़ीसा	4001.49	75.50	4540.69	20.50	1033.52	91.34
पश्चिम बंगाल	1620.15	0.00	1627.77	0.00	1380.48	0.00
अंडमान एवं निकोबार	111.56	1.06	110.23	0.59	100.39	1.06
केन्द्रीय क्षेत्र						
मध्य प्रदेश	10923.26	94.98	10422.02	120.21	5449.61	149.32
छत्तीसगढ़	1619.16	17.00	1886.82	0.00	1041.18	36.08
उत्तर प्रदेश	25412.31	368.92	25561.85	204.37	20709.94	402.53
उत्तरांचल	2122.53	34.00	2885.50	0.00	3003.62	25.83
पश्चिम बंगाल	–	–		–	–	
गुजरात	4092.86	31.88	3720.83	666.94	2757.32	20.27
महाराष्ट्र	10584.85	72.28	10425	29.15	7719.91	191.31
दमन एवं दियू	5.73	0.18	1.00	0.07	1	0.04

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	119.32	0.47	200.60	0.00	113	0.00
दादर एवं नगर हवेली	8.55	0.26	7.00	0.11	0	0.15
दक्षिण क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
आन्ध्र प्रदेश	6319.71	109.65	7934.49	63.92	5350.81	191.44
कर्नाटक	7159.16	121.27	6328.81	49.76	4222.01	148.93
केरल	4791.85	117.72	5413.49	55.26	5368.39	112.21
तमिलनाडु	4654.12	106.70	4361.54	40.29	4082.63	147.94
लक्षद्वीप	15.67	0.11	7.07	0.08	9.11	0.12
पांडिचेरी	94.71	1.69	101.56	1.02	99.11	5.37
विनिर्दिष्ट नहीं है	844.03	–	826.10	–	700.27	5.37
अखिल भारतीय	118480	1422.36	119637.62	1544.38	90899.97	2010.20

विकासशील देशों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के पाठ्यक्रम

***329. श्री रामदास बंडु आठवले:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकासशील देशों ने भारत से उनके यहां आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पाठ्यक्रम आरंभ करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (भा.चि.प. एवं हो.) के संवर्धन, विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए कई केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें प्रारंभ की हैं। इन स्कीमों में भा.चि.प. एवं हो. शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, चिकित्सा किटों की आपूर्ति, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण, अच्छी विनिर्माण पद्धति प्रमाणन प्राप्ति हेतु औषधि विनिर्माण एकांशों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं के सर्जन हेतु भा.चि.प. एवं हो. उद्योग को सहायता, सांविधिक संस्थानों, केंद्रीय अनुसंधान परिषदों, शैक्षणिक संस्थानों, भेषज संहिता प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को वित्तीय सहायता और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आयुष पद्धति के संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार हेतु सहायता सम्मिलित है।

[अनुवाद]

मधुमेह रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं

***330. श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मधुमेह रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से मधुमेह के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा मधुमेह रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले दो दशकों से मधुमेह की व्यापतता में वृद्धि हो रही है। 1980 के दशक के आरम्भ में किए गए अध्ययनों से शहरी क्षेत्रों में 3-4 प्रतिशत की व्यापतता होने का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित अनुमानों के अनुसार देश में 32 मिलियन मधुमेह रोगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक भारत में 80 मिलियन मधुमेह रोगी होने का अनुमान लगाया है।

देश के विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्यापतता में वृद्धि दर्शाने वाला जानपदिक रोग विज्ञान (एपिडीमिआलॉजिकल) संबंधी कारणों में संभवत: वृद्धावस्था, अस्वास्थ्यकर आहार, मोटापा, आरामदायक जीवन शैली और रोग का पता लगाने की बेहतर सुविधाओं का होना है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने पिछले 35 वर्षों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और वित्त पोषण करने वाले अन्य सरकारी अभिकरणों की सहायता से मधुमेह पर कई अध्ययन किए हैं। आरम्भिक अध्ययन 1970 के दशक के आरम्भ में किया गया जो प्रमुख बहु-केन्द्रीय अग्रगामी अध्ययन था, जिसमें देश के 6 विभिन्न भागों में मधुमेह की व्यापतता का अध्ययन किया गया। उसके बाद देश में मधुमेह की व्यापतता का अन्य अध्ययनों से मूल्यांकन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मधुमेह से होने वाली विभिन्न जटिलताओं पर भी कई अध्ययन किए हैं जिनमें नेत्र, किडनी, नाड़ियां और हृदय को प्रभावित करने वाली जटिलताएं शामिल हैं। रोग बढ़ने के सम्भावित कारणों पर भी कार्य किया गया है। इन प्रयासों से रोग भार की बेहतर समझ विकसित हुई है, हमारे देश में विश्व के अन्य भागों की तुलना में रोग बढ़ने के विशिष्ट कारणों की जानकारी मिली है और उपयुक्त उपचार कार्यनीतियों के लिए योजनाएं बनाने में भी सहायता मिली है।

मधुमेह का उपचार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली तथा शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में सभी स्तरों पर किया जाता है। चूंकि मधुमेह जीवन शैली से जुड़ा रोग है, इसलिए देश के बच्चों और वयस्कों में मधुमेह नियंत्रण के लिए जीवन शैली में निवारण कार्यकलाप अपनाए जाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यकलापों पर सरकार के सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलापों के माध्यम से बल दिया जाता है जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के माध्यम से किए जाने वाले कार्यकलाप भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन पूछताछ/शिकायत सेवाओं में सुधार करना

*331. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन पूछताछ सेवा और शिकायत सेवा में सुधार करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अधिकांश शहरों में टेलीफोन पूछताछ सेवा और शिकायत सेवा प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है जिसके फलस्वरूप काफी समय तक टेलीफोन गड़बड़ी ठीक नहीं की जाती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सारे देश में उक्त सेवाओं के लिए एक समान टेलीफोन नंबर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, हां।

(ख) देश के अधिकांश शहरों में टेलीफोन पूछताछ सेवा और शिकायत सेवा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं और टेलीफोन संबंधी अधिकतर खराबियां उचित समय में ठीक कर दी जाती हैं। तथापि, निर्देशिका संबंधी पूछताछ के मामले में कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कभी-कभी यह सेवा प्रभावित हो जाती है।

(ग) उपरोक्त सेवाओं के टेलीफोन नम्बर पूरे देश में पहले से ही एक समान हैं।

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सेवा का नाम	टेलीफोन नम्बर
1	2
ट्रंक पूछताछ सेवा	181
एस टी डी/आई एस डी सूचना सेवा	182

1	2
राष्ट्रीय निर्देशिका पूछताछ सेवा	183
अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक पूछताछ सेवा	187
निर्देशिका पूछताछ सेवा	197
टेलीफोन शिकायत दर्ज सेवा	198
आटोमैटिक परिवर्तित नम्बर सेवा	1951/1952

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें

*332. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मदों को लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 2004 के अंत तक आरक्षित मदों की संख्या कितनी थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मदों का आरक्षण समाप्त किया गया तथा यह अनाआरक्षण किन किन तारीखों को किया गया; और

(घ) आरक्षित सूची से कई मदों को हटाने के पश्चात लघु उद्योग क्षेत्र के लाभों का आकलन क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 2004 के अन्त की स्थिति के अनुसार 675 मदें केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए आरक्षित की गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से 141 मदों (जिनमें 4 उप मदें शामिल हैं) को अनारक्षित किया गया है। इनमें से 1 मद को अधिसूचना एस ओ 2 (ई) दिनांक 1.1.2001 के अनुसार; 14 मदों (जिनमें 2 उप मदें शामिल हैं) को अधिसूचना एस ओ 603 (ई) दिनांक 29.6.2001; के अनुसार; 51 मदों (जिनमें 1 उप मद शामिल है) को अधिसूचना एस ओ 533 (ई) दिनांक 20.5.2002 के अनुसार और 75 मदों (जिनमें 1 उप मद शामिल है) को अधिसूचना एस ओ 649(ई) दिनांक 3.6.2003 के अनुसार अनारक्षित किया गया है।

(घ) पिछले वर्षों में अनारक्षण स्टेक होल्डर्स से परामर्श के पश्चात् किया गया है, ताकि लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, निर्यात संवर्धन एवं इकानिमीज आफ स्केल के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

अस्पताल के अपशिष्ट का निपटान

*333. **श्री पुन्नूलाल मोहले:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों द्वारा अस्पतालों के अपशिष्ट विशेषकर पारे के अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण और अन्य बिमारियां फैलती हैं, जैसा कि 2 जुलाई, 2004 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने अस्पताल के खतरनाक अपशिष्टों को तत्काल जलाने के लिए 'इनसिनरेटर्स' विकसित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में इनसिनरेटर्स लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के संबंध में एक गैर-सरकारी संगठन 'टाक्सिक्स लिंक' द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अध्ययन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है कि वह जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 1998 तथा मई, 2003 में यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम के अनुसरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से सभी आवश्यक कार्रवाई करे। पारे वाले डिस्पोजेबल अपशिष्ट, पारा युक्त और पारा मिश्रणों वाला उत्पत्ति स्रोत 50 मिग्रा. प्रति किलोग्राम के बराबर अथवा अधिक हो, तो इनका

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2003 के अनुसार निपटान किया जाना है। इस प्रकार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों को इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, वे दिल्ली प्रदूषण समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

आपाती अपशिष्ट सामग्री जिसमें खतरनाक अपशिष्ट भी शामिल हैं और जिनका निपटान जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 1998 तथा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधन नियम, 2003 के अनुसार किया जाना चाहिए, इनसिनरेटेरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न अस्पतालों में उनकी जरूरतों के अनुसार इन्सीनेरेटरों को स्थापित किया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान 243 इन्सीनेरेटर सरकारी अस्पतालों सहित अन्य अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देश में ऐसे 69 सामान्य जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान सुविधा केंद्र हैं जहां इनसिनेरेटरों की सुविधा उपलब्ध है।

टाक्सिक्स लिंक नामक गैर-सरकारी संगठन की "लर्किंग मिनेस-मरकरी इन द हेल्थ-केयर सेक्टर" शीर्षक वाली रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों के समक्ष आ रही कठिनाइयां

***334. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं ग्रामोद्योग की सहकारी समितियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका अभी तक क्या परिणाम निकला?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) जी नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है क्योंकि पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहकारी समितियों की बहुत कम भागीदारी रही है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास विभाग के अधीन देश में सहकारिता विकास के लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, जो देश में विभिन्न सहकारी समितियों के विकास में सहायता कर रही है, ने सूचित किया है कि कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र सहित सहकारी समितियां व्यवसायिक प्रबंधन की कमी, कर्मचारी आधिक्य, रुग्ण सहकारी समितियों के पुनर्वास के लिए स्कीमों की गैर-उपलब्धता, कमजोर वित्तीय स्थिति, अव्यवहार्य आकार, राज्य सरकारों आदि से सहायता की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रही है।

सहकारी समितियों के निष्पादन सुधार के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक ऋण की निधियों का निषेचन और कार्यशील पूंजी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, न्यूनतम आर्थिक आकार तथा क्षमता वृद्धि शामिल है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत युवकों को लाभ

***335. श्री जे.एम. आरून रशीद:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को अभी तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के पूरे लाभ नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बेरोजगार युवकों को इस योजना के पूरे लाभ मिलें?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1993 को शुरू की गई थी। योजना की सफलता के कारण इसे 9वीं योजना अवधि और बाद में 10वीं योजना अवधि में भी जारी रखा गया। वर्ष 1993-94 से 2003-04 की अवधि के लिए नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 22.40 लाख के लक्ष्य की तुलना में 19.70 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण संवितरित किए गए और अनुमानित तौर पर 29.55 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया गया।

योजना की सफलता का पता लगाने के लिए योजना के मूल्यांकन के दो दौर आयोजित किए गए। कार्यक्रम वर्ष 1993-94 से 1994-95 के लिए पी एम आर वाई के मूल्यांकन के प्रथम दौर के अनुसार 15,098 संवितरित मामलों (99.3% सफलता दर) में से 15002 इकाइयों की स्थापना की गई; स्वीकृति लक्ष्य का 80% तथा स्वीकृत मामलों के 83 प्रतिशत में ऋण संवितरित किए गए एवं सृजित रोजगार प्रति इकाई 2.39 था। कार्यक्रम वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए पी एम आर वाई के मूल्यांकन के दूसरे दौर के अनुसार, स्वीकृति लक्ष्य का 81.6% तथा स्वीकृत मामलों के 74.7% ऋण संवितरित किए गए एवं सृजित रोजगार प्रति क्रियाशील इकाई 1.94 व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त संवितरित ऋण मामलों के 89.7% में परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया। कवर किए गए क्रियाकलाप, आयु में छूट, शैक्षिक अर्हता, पारिवारिक आय, ब्लाक/मण्डल स्तर पर टॉस्क फोर्स का गठन जैसे योजना के कुछ मापदण्डों को उपर्युक्त मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया और कार्यान्वयन अभिकरणों से फीड बैक प्राप्त किया गया। कार्यक्रम वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के लिए अब मूल्यांकन का तीसरा दौर प्रगति पर है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नई नीति

***336. डा. राम लखन सिंह:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे और मझौले उद्योगों के लिए अवसंरचना, वित्त पोषण, उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुसंधान इत्यादि से संबंधित नीति में संशोधन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मौजूदा नीतियों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। सरकार लघु उद्योगों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक है, जिन्हें समय-समय पर घोषित विभिन्न नीतिगत उपायों द्वारा पूरा किया जाता है। इसी के अनुरूप, अगस्त, 2000 में सरकार द्वारा घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज में लघु उद्योगों की घरेलू तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मूलभूत ढांचे, ऋण, विपणन तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए उपायों की घोषणा की गई। इस देश में मध्यम उद्योगों के लिए कोई अलग नीति नहीं है। मंत्रालय लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक मुख्य संवर्धनात्मक पैकेज तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। पैकेज के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

दक्षेस (सार्क) के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

***337. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस (सार्क) के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में सरकार द्वारा उठाये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच आमने-सामने वार्ता हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इन वार्ताओं का ब्यौरा क्या है और इनका क्या परिणाम निकला;

(च) क्या दक्षेस (सार्क) देश अपना 'वीजन 2020' (अवलोकन 2020) तैयार करने पर विचार कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वीजन से सदस्य देशों के बीच किस सीमा तक संबंध सुदृढ़ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सार्क के मंत्रिपरिषद की 25वीं बैठक दिनांक 20-21 जुलाई, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित हुई थी।

(ख) कार्यवृत्त में शामिल जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, वे हैं: गरीबी उन्मूलन, सार्क (साफ्टा) में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना, आतंकवाद, ऊर्जा, जैवप्रौद्योगिकी, पर्यावरण और संचार से संबंधित मामलों में सहयोग। सार्क गरीबी उन्मूलन निधि पर भी चर्चा हुई जिसके लिए भारत ने जनवरी 2004 में बारहवें शिखर सम्मेलन में भारत से बाहर स्थित सार्क देशों में परियोजनाओं के लिए प्रदान किए जाने हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डालर का योगदान करने

की सहमति व्यक्त की थी इसके अतिरिक्त भारत ने इस निधि के अंतर्गत ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव भी किया है। सभी सार्क सदस्य देशों ने आतंकवाद की विभीषिका को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया और आतंकवाद का सामना करने तथा अत: राष्ट्रीय अपराधों पर सार्क देशों के बीच सहयोग पर मंत्रिमंडलीय बैठक की मेजबानी हेतु बंगलादेश के प्रस्ताव का स्वागत किया।

(ग) भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए हैं:

(1) सार्क के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग उद्यमों से संबंधित मुद्दों पर विचार हेतु सार्क संसदीय मंच का गठन, और मंच की अगली बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया।

(2) आर्थिक, व्यापारिक, वित्तीय और मौद्रिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से संबंधित विचारों और पहलों के संवर्द्धन हेतु सार्क सदस्य देशों के वित्तीय और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सार्क उच्च आर्थिक परिषद की स्थापना।

(3) इस क्षेत्र में प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु सार्क आधारभूत निधि का गठन।

(4) सार्क सोशल चार्टर के लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिदेशाधीन सदस्य देशों में राष्ट्रीय समितियों का गठन और सार्क गरीबी उन्मूलन निधि को शामिल करते हुए सहयोगात्मक गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के संवर्द्धन हेतु एक दूसरे के साथ परामर्श करना।

(5) तपेदिक और एच.आई.वी./एड्स के लिए सार्क जागरूकता वर्ष के भाग के तौर पर परिषद ने तपेदिक और/अथवा एच.आई.वी./एड्स के क्षेत्र में "समर्पित सामाजिक सेवाओं" के लिए सार्क युवा पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत ने इस वर्ष विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बैठक की मेजबानी करने, सार्क देशों के पैरामैडिक्स को प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रत्येक सार्क देश में चिकित्सीय वैनों और मोबाइल जागरूकता यूनिटों को भेजने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) सार्क बैठक के समापन पर विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री श्री कसूरी से तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की। सार्क से संबंधित मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने हिंसा रहित माहौल में चर्चा जारी रखने और आतंकवाद की विभीषिका से निपटने के महत्व को दोहराया।

(च) और (छ) जुलाई 1998 में कोलम्बो में प्रस्तुत 10वें सार्क शिखर सम्मेलन को प्रस्तुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल की रिपोर्ट में 2015 सार्क सीमाशुल्क संघ, तदुपरान्त 2020 तक सार्क आर्थिक संघ, साथ ही विदेशी परोक्ष निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए समान निवेश क्षेत्र के सृजन का दिशानिर्देशन निहित है।

अंतर्राष्ट्रीय 'एड्स' सम्मेलन

***338. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15वां अंतराष्ट्रीय 'एड्स' सम्मेलन हाल ही में बैंकाक में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) इस चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(घ) इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या अमरीकी और यूरोपीय औषध निर्माता कंपनियों ने सम्मेलन के दौरान भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एड्स औषधियों के निर्माण के संबंध में मीडिया और सोसायटी को गुमराह किया है;

(च) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन के दौरान उनके दुष्प्रचार का प्रतिकार किया था;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) एड्स औषधियों का निर्माण करने वाली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) पन्द्रहवां अन्तरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन 11 से 16 जुलाई, 2004 तक बैंकाक में आयोजित किया गया। अन्तरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन का विषय "सभी के लिए पहुंच" था। बहुत सी आयोजित और अनियोजित बैठकों से यह बात सामने आई कि एचआईवी/एड्स के बारे में लोगों को जानकारी देने पर बल दिया जाए और साथ ही एचवाईवी निवारक सेवाओं, उपचार, परिचर्या सेवाओं की पहुंच तथा एचआईवी से पीड़ित लोगों की सहायता पर बल दिया जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 सरकारी अधिकारियों

के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और इसके अतिरिक्त लगभग 60 व्यक्तियों को यूएनएड्स द्वारा प्रायोजित किया गया। सम्मेलन की चर्चाओं को 5 विषयों में बांटा गया था–

1. चिकित्सीय अनुसंधान
2. उपचार और परिचर्या
3. जानपदिक रोग विज्ञान और रोकथाम
4. सामाजिक आर्थिक विषय, और
5. नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन।

सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई–

1. उपचार, परिचर्या और सहायता की व्यवस्था के साथ-साथ निवारक कार्यनीतियों में भी तेजी लाने की आवश्यकता है।
2. कम एचआईवी व्याप्तता और अत्यधिक एचआईवी व्याप्तता क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
3. हमें गर्भवती महिलाओं और युवा लोगों जैसे असुरक्षित लोगों के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां अपनाकर अधिक खतरे वाले वर्गों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर संयुक्त रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
4. हमें सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग और सहभागिता को सुदृढ़ करके बहु-क्षेत्रीय अनुक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है।
5. चूंकि बहुत से समाजों में एचआईवी रोकथाम में कण्डोम ने निर्णायक भूमिका निभाई है, इसलिए हमें अपने रोकथाम कार्यनीति में कण्डोम को एक मुख्य घटक के रूप में शामिल करना है।
6. एचआईवी रोग का सामना करने के लिए हमें सभी कार्यों में युवा लोगों, महिलाओं और एचआईवी/एड्स पीड़ित लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है।
7. हमें एचआईवी/एड्स पीड़ित लोगों के प्रति घृणा और भेदभाव को दूर करने के लिए अनुकूल वातावरण (विधान आदि) बनाने की आवश्यकता है।

15वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन की एक विशेषता लीडरशिप प्रोग्राम का होना था जो एचआईवी से पीड़ित लोगों, पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों, सुइयों से नशीली दवा लेने वाले व्यक्तियों, वेश्यावृत्ति से जुड़े लोगों, महिलाओं, युवा लोगों, एड्स कार्यक्रमों से जुड़े शीर्ष लोगों, सरकार, गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओ, प्राइवेट क्षेत्र, धर्म, विज्ञान, यूनीफार्मड सर्विसेज के प्रतिनिधियों और विश्व स्तर पर इस कार्य में लगे लोगों को एक मंच पर लाया। विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने एचआईवी/एड्स से पीड़ित अथवा इनसे प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और एचआईवी संक्रमणों को रोकने के प्रति वचनबद्धता प्रकट की।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में एचआईवी की रोकथाम के लिए कई प्रचालन कार्यनीतियां हैं जिनके साथ एचआईवी पीड़ित लोगों की परिचर्या, उपचार और सहायता जुड़ी हुई है। रोकथाम संबंधी हमारे कार्यकलापों में निम्नलिखित पर बल दिया जाता है–

1. आचरण परिवर्तन सम्प्रेषण, परामर्श और परीक्षण, कण्डोम संवर्धन और यौन-संचारित संक्रमणों के इलाज के लिए रेफरल सुविधाओं के माध्यम से अधिक खतरे वाले लोगों के लिए निवारक कार्यकलाप। ये कार्यकलाप जागरूकता तथा पारस्परिक सम्प्रेषण के माध्यम से संगत वातावरण बनाकर अधिक खतरे वाले स्थानों में लक्षित कार्यकलापों के द्वारा किए जाते हैं।
2. स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय वार्ता एड्स कार्यक्रम के माध्यम से किशोरों एवं वयस्क युवाओं तक पहुंच बढ़ाकर तथा नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले युवाओं में जागरूकता पैदा करके सभी वर्गों में सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण का प्रचार-प्रसार कर, सुरक्षित रक्त, स्वैच्छिक परीक्षण एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम करके आम लोगों के लिए निवारक गतिविधियां लाना।
3. कम लागत परिचर्या हेतु कार्यकलाप तथा सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों के जरिए सहायता, प्रसवपूर्व क्लीनिकों में एचआईवी पाजीटिव माता से नवजात शिशु में एचआईवी के संचार को रोकने वाली सेवाओं की स्थापना जिसे सामान्यत: माता-पिता से बच्चों में होने वाले संचार की रोकथाम कहा जाता है, एचआईवी-क्षयरोग सह-संक्रमण को रोकना, अवसरवादी संक्रमण के लिए एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों का उपचार और रोग होने के बाद रोग निरोधन वाले स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की सुरक्षा करना।
4. हमने हाल ही में एड्स से पीड़ित लोगों की परिचर्या और सहायता के लिए कार्यसूची में विस्तार किया है

तथा छह उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और नागालैंड) में निर्धारित 8 सरकारी अस्पतालों में एण्टीरिट्रोवायरल उपचार शुरू किया है। हम अगस्त, 2004 से निर्धारित सरकारी अस्पतालों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 25 कर देंगे। हम गुजरात और गोवा जैसे औसत एचआईवी व्याप्तता दर वाले राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान जैसे कम व्याप्तता दर वाले राज्यों के सरकारी अस्पतालों को शामिल करेंगे।

एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों से एण्टीरिट्रोवायरल उपचार रोग प्रतिरक्षण प्रणाली को बढ़ाने तथा बेहतर स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में सहायता मिलेगी जिसके कारण वे सक्रिय जीवन शुरू करने में सक्षम होंगे।

इसके साथ-साथ सरकार को यह भली-भांति पता है कि जब कभी भी हम एचआईवी संक्रमण के वाहक लोगों से आम लोगों में उसके संक्रमण को रोक कर उच्च जोखिम वाले लोगों से एचआईवी संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सफल हो जाएंगे, तभी हम एचआईवी/एड्स की शून्य वृद्धि दर प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हम एड्स से ग्रस्त सभी लोगों की एचआईवी के निवारण सहित इसकी परिचर्या, उपचार और सहायता हेतु सेवाओं की पहुंच बढ़ाना जारी रखेंगे।

जैसे ही पन्द्रहवें अन्तरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के पहले दिन की शुरूआत हुई, 12 जुलाई, 2004 को दैनिक बैंकाक पोस्ट में पूरे पृष्ठ का एक विज्ञापन छपा था, जिसका शीर्षक था, "दुष्प्रचार से सावधान रहें"। इस विज्ञापन में आगे उल्लेख किया गया था कि विश्व भर के एचआईवी के रोगी सुरक्षित, प्रभावकारी और काफी संख्या में उपचार के विकल्प पाने के अधिकारी हैं न कि झूठी दिलासा और घटिया दवाओं के। इस विज्ञापन में विशिष्ट रूप से भारतीय सामान्य निर्माता सिप्ला को लक्षित किया गया है जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि 27 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिप्ला की दो औषधों को इसलिए सूची से निकाल दिया था क्योंकि ये औषधें "जैव-समतुल्य" नहीं थी। अन्य शब्दों में औषधें उस तरीके से काम नहीं करतीं जैसी कि पेटेंटिड औषधें काम करती हैं, जिनको औषधों को सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए सम्पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् ही लाइसेंस दिया गया था।

सरकार ने इस मामले की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझने के लिए विस्तृत सूचना मांगी है। यू एन एड्स से प्राप्त हुए ब्यौरे से इंगित होता है कि बहुत ही कम ख्याति प्राप्त संयुक्त राज्य का दल, जो एड्स रिस्पोंसिबिलटी प्रोजेक्ट के नाम से विख्यात है और उसकी अध्यक्षता एचआईवी/एड्स संबंधी 35 सदस्यीय राष्ट्रपति परामर्शी परिषद के एक सदस्य और अन्तरराष्ट्रीय उप-समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ने पन्द्रहवें अन्तरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के पहले दिन एक पूरे पृष्ठ के विज्ञापन में सामान्य औषध निर्माताओं की ओलचना की है और उन पर इस बात का आरोप लगाया गया है कि वे अपने उत्पादों की लागतों, सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर दावे कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टें हैं कि इस संगठन अर्थात् एड्स रिस्पोंसिबिलिटी प्रोजेक्ट का मुख्य कार्य सस्ती औषधों के उपयोग का विरोध करना है।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने अगले दिन एक प्रैस ब्रीफिंग बुलाई और यह स्पष्ट किया कि भारतीय कम्पनियों द्वारा विनिर्दिष्ट एण्टीरिट्रोवायरल औषधें विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों वाली हैं और उन पर लगाए गए आरोप झूठे तथा बेबुनियाद हैं।

एड्स के लिए जेनेरिक औषधियों के भारतीय बहुराष्ट्रीय निर्माताओं के नाम की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

एड्स की औषध का विनिर्माण करने वाली भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम

क्र.सं.	विनिर्माता कम्पनी का नाम	एण्टीरिट्रोवायरल औषध
1	2	3
1.	मैसर्स सिपला लि., मुम्बई	स्टेवूडाठन, लेमिवडाठन, जीदोवुडाईन, इंडीनाविर, दीदानोसाइन, नेवीरापाइन एवं कोम्बीनेशन
2.	मैसर्स ग्लैक्सो इण्डिया लि., मुम्बई	लेमिवूडाइन
3.	मैसर्स बेरींज वेलकम (इण्डिया) लि., मुम्बई	जीडोवुछरइन

1	2	3
4.	मैसर्स निकोलस पेरामल इण्डिया लि., मुम्बई	जलुटाबाइन, सेक्विनेविर
5.	मैसर्स एब्बोट्स लेबोरेटरिज (इण्डिया) प्रा.लि., मुम्बई	रिटोनाविर
6.	मैसर्स आरोबिन्दो फार्मा लि., हैदराबाद	नेवीरापाइन, लेमिवूडाइन
7.	मैसर्स हीट्रो ड्रग्स लि., हैदराबाद	इंडिनविरा, लेमिवुडाइन, जिडोवुडाइन
8.	मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स लि., बड़ौदा	लेमिवुडाइन
9.	मैसर्स रेनबक्सी लेबोरेट्रीज लि., नई दिल्ली	लेमिवूडाइन, जिडोवूडाइन एवं कम्बीनेशन्स
10.	मैसर्स मेप्रो फार्मास्यूटिकल्स (प्रा.) लि., सुरेन्द्र नगर (गुजरात)	लेमिवुडाइन
11.	मैसर्स उप्का लेबोरेट्रीज लि., मुम्बई	लेमिवुडाइन
12.	मैसर्स काडिला हेल्थकेयर लि., अहमदाबाद	लेमिवुडाइन
13.	मैसर्स जेनिक्स फार्मा लि., हैदराबाद	लेमिवुडाइन
14.	मैसर्स खण्डेलवाल लेबोरेट्रीस लि., मुम्बई	लेमिवुडाइन
15.	मैसर्स लुपिन लेबोरेट्रीज लि., मुम्बई	लेमिवुडाइन
16.	मैसर्स इंफार फार्मास्यूटिकल्स लि., अहमदाबाद	लेमिवुडाइन
17.	मैसर्स मिधि फार्मास्यूटिकल्स लि., मुम्बई	लेमिवुडाइन
18.	मैसर्स लिवा फार्मा लि., मुम्बई	लेमिवुडाइन

अमरीका द्वारा प्रतिबंधों का हटाया जाना

***339. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिये हैं और उसे आर्थिक एवं सैन्य सहायता देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने अब तक भारत के विरुद्ध अपने प्रतिबंधों को नहीं हटाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने इस बारे में अमरीका से विरोध प्रकट किया है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों को सहायता देना जारी रखा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों को सहायता देने से रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने में अमरीका कितना सफल रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) 1998 में पाकिस्तान द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षणों के बाद लगाये गये प्रतिबंध हटा लिये गये हैं। तथापि 1999 में सेना द्वारा सत्ता हथियाये जाने के बाद लगाये गये प्रतिबंध जारी हैं हालांकि वास्तव में 11 सितम्बर, 2004 के आतंकवादी हमलों के पश्चात् वार्षिक रूप में इन्हें हटा दिया गया है।

जून 2003 में अमरीका ने पाकिस्तान के लिए लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालरों की सहायता की घोषणा की जो कि वर्ष 2005 से आरंभ होकर पांच वर्षों के लिए आर्थिक और सैनिक सहायता में बराबर-बराबर बांटी गयी है।

(ख) अमरीका ने भारत के विरुद्ध लगाये गये सभी प्रतिबंध उठा लिये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और ए पी जी एल के पास 25 नवम्बर, 2003 को हुए युद्ध-विराम के बाद मई 2004 तक घुसपैठ की मात्रा में कुछ कमी आयी है। जून और जुलाई में घुसपैठ की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा अब तक पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के लिए कोई विश्वसनीय उपाय नहीं किये हैं। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ प्रशिक्षण शिविरों और आरंभिक केन्द्रों को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

(ङ) अमरीकी सरकार ने समय-समय पर घुसपैठ समाप्त करने और पाकिस्तान में आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के बारे में बयान दिये हैं जिसमें सार्वजनिक बयान भी शामिल हैं। तथापि, सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से घुसपैठ नहीं रुकी है तथा आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। हाल के सार्वजनिक वक्तव्यों में अमरीकी अधिकारियों ने माना है कि घुसपैठ जारी है तथा सभी बुनियादी ढांचे और सीमा-पार गतिविधियों के समर्थन को समाप्त नहीं किया गया है।

डाक सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करना

*340. **श्री दुष्यन्त सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, डाक सेवा नेटवर्क को चुस्त-दुरुस्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दसवीं योजना में क्या करने का प्रस्ताव है; और

(ग) डाकघरों के माध्यम से म्युचूअल फंड, बीमा और गृह ऋण जैसे वित्तीय कारोबार को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) 10वीं योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा मौजूदा डाक नेटवर्क की पुनरीक्षा करना तथा नए डाकघर केवल मौजूदा कर्मचारियों की पुनर्तैनाती करके ही खोले जाने अपेक्षित हैं। तदनुसार 10वीं योजना अवधि के दौरान सभी डाकघर केवल मौजूदा कार्यबल की पुनर्तैनाती करके ही खोले गए हैं। वर्तमान नीति के अनुसार अनुमोदित पहुंच के स्तर को बिना प्रभावित किए डाक नेटवर्क को औचित्यसम्मत बनाने की दिशा में भी कार्रवाई शुरू की गई है।

फरवरी 2001 से, 250 चुनिंदा डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंड और बॉण्ड वितरित किए जा रहे हैं। विभाग अपने पूरे नेटवर्क में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा का विक्रय भी करता है। इस वर्ष से विभाग ने कुछ डाकघरों के माध्यम से चुनिंदा गैर-जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय भी प्रारंभ किया है, इसका क्रमिक रूप से पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। डाक नेटवर्क के माध्यम से गृह ऋणों का संवितरण नहीं किया जाता।

मानव विकास रिपोर्ट

*341. **श्री सुरेश कुरूप:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव विकास रिपोर्ट 2004 में 177 में से भारत का स्थान 127वां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट में इस बात का संकेत है कि शिक्षा संबंधी कार्य निष्पादन नितांत अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो देश में शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक कार्य निष्पादन न दर्शाने के क्या कारण हैं;

(ङ) मानव विकास रिपोर्ट 2002 और 2003 में भारत का स्थान कौन सा था;

(च) क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में शिक्षा के संबंध में की गई टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा तैयार की गयी मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2004 में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के अनुसार भारत का स्थान 177 देशों में से 127वां हैं। इस स्थान पर रखे जाने से भारत को मध्यवर्ती मानव विकास वाले देशों के समूह में शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) एक मिश्रित सूचकांक है जो किसी देश की औसत उपलब्धियों का मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों, अर्थात् दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान और संतोषजनक जीवन स्तर के आधार पर मूल्यांकन करता है। तथापि वर्ष 1990 से यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जा रही विभिन्न मानव विकास रिपोर्टों में परिकलित और प्रकाशित किए जाने वाले भारत

के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मूल्य में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुधार होता दिखाई दे रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। शिक्षा सूचकांक के मूल्य में जो कि वयस्क साक्षरता एवं सकल नामांकन अनुपात का एक मिश्रित सूचकांक है, पिछले कुछ वर्षों से भारत के लिए सतत् सुधार होता दिखाई दे रहा है।

(ङ) वर्ष 2003 के एचडीआर में भारत का स्थान 175 देशों में वही 127वें स्थान पर था। तथापि, वर्ष 2002 के एचडीआर में भारत का स्थान 173 देशों में से 124वां था।

(च) और (छ) वर्ष 2004 के एचडीआर में शिक्षा के संबंध में कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं की गयी है। इस रिपोर्ट में 0.595 मूल्य के एक मिश्रित एचडीआई का अनुमान लगाया गया है। इसके बदले में यह मूल्य क्रमश: 0.64 मूल्य के जीवन प्रत्याशा सूचकांक, 0.59 मूल्य के शिक्षा सूचकांक और 0.55 मूल्य के जीडीपी सूचकांक पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा सूचकांक मूल्य में सतत् सुधार देखने को मिला है। अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

बिहार में सड़कों और रेल उपरि पुलों का निर्माण

2908. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य के विभिन्न भागों में 32 सड़कों और रेल उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राज्य सड़क निर्माण विभाग ने रेलवे के साथ लागत भागीदारी के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों में निर्माण के लिए 15 सड़क उपरि पुलों (आर ओ बी) की सूची प्रस्तुत की है। इनमें से एक आर ओ बी का निर्माण चल रहा है और एक अन्य आर ओ बी के लिए साध्यता अध्ययन को स्वीकृति दी गई है। राज्य सड़क निर्माण विभाग, बिहार से शेष 13 आर ओ बी के लिए साध्यता अध्ययन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन

2909. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 से जनवरी 2004 तक मध्य प्रदेश में विदिशा के गांवों से टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अन्य कितने गांवों से ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदकों को अब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ग) शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन न प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2000-2001 से जनवरी 2004 तक मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र के गांवों से 921 आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) वर्ष 2000-2001 से जनवरी 2004 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के अन्य 9705 गांवों से आवेदन प्राप्त हुए तथा इन गांवों के 119046 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ग) शेष आवेदकों को क्षेत्रों की तकनीकी अव्यहार्यता के कारण कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके।

[अनुवाद]

क्वाइन बाक्स इन्स्ट्रूमेन्ट्स की खरीद

2910. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में क्वाइन बाक्स मालिक भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों से क्वाइन बाक्स इन्स्ट्रूमेन्ट्स की खरीद करने के लिए बाध्य किए जाते हैं;

(ख) क्या क्वाइन बाक्स मालिक जिन्होंने खुले बाजार से क्वाइन बाक्स की खरीद की है, उन्हें भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. लिमिटेड का पुनरुद्धार

2911. श्री महबूब जाहेदी: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) अपने प्रबंधन की उदासीनता के कारण अपनी संभावित व्यवहार्यता के बावजूद भी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंजीनियरिंग समूह और मुख्यालय कर्मचारियों के बीच के वेतनमान में अत्यधिक भेदभाव है जिन्हें पिछले पांच महीनों से अपना वेतन भी नहीं मिला पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कामगारों के पांच महीनों के बकाये वेतन का भुगतान करने हेतु धनराशि जारी करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रुग्ण इकाई के पुनरुद्धार हेतु क्या रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने इस आशा से जून, 2001 में, उपर्युक्त निगम के पुनरुज्जीवन के लिए 139.55 करोड़ रु. का पैकेज संस्वीकृत किया था कि उपर्युक्त निगम चार वर्षों की अवधि में पुनरुज्जीवित हो जाएगा। फिर भी, उपर्युक्त पुनरुज्जीवन-योजना के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं और उपर्युक्त निगम के कार्य-निष्पादन के संकेतकों ने यह उजागर किया है कि उपर्युक्त निगम व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को वेतन दिए जाने के मामले में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। फिर भी, उपर्युक्त निगम के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में निम्नलिखित कारणों से अंतर है:-

(1) गैर-औद्योगिक स्थापनाओं के उप-स्टाफ सहित, उपर्युक्त निगम के मुख्यालय और अन्य प्रभागों/एककों में कार्यरत अधिकारी, पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारी, केन्द्र-सरकार के सी.डी.ए./आई.डी.ए. वेतनमान के अंतर्गत आते हैं।

(2) राजाबागान डॉकयार्ड और पश्चिम बंगाल में उपर्युक्त निगम की अन्य औद्योगिक स्थापनाओं में तैनात सभी प्रचालन कर्मचारी और सदृश श्रेणियों के कर्मचारी, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के त्रिपक्षीय वेतन-निर्धारण के अंतर्गत आते हैं।

(3) असम में फ्लोटिंग स्टाफ, पायलटेज और कंजरवेन्सी स्टाफ एवं पाण्डु, असम में फ्लोटिंग कार्यशाला के कर्मचारियों का वेतनमान, प्रतिनिधि यूनियनों और निगम के प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय स्तर पर तय किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने उपर्युक्त निगम के वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए धन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, परन्तु सरकार, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को एक और पुनरुज्जीवन-पैकेज देने का विचार नहीं कर रही है, क्योंकि उसके कार्य-निष्पादन के संकेतक ऐसी अपेक्षा नहीं दर्शाते। फिर भी, पोत-परिवहन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से उपर्युक्त निगम को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया है।

गुड़गांव में टेलीफोन कनेक्शन

2912. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002, 31 मार्च, 2003 और 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार गुड़गांव शहर में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) क्या उपभोक्ताओं ने निजी कंपनियों के टेलीफोन कनेक्शन को अधिक पसंद किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. गुड़गांव द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने किराये को 250 रु. से घटा कर 100 रु. प्रति माह करने का प्रस्ताव किया है ताकि वे निजी कंपनियों और सेल्यूलर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुड़गांव में भारत संचार निगम लि. की कार्यरत कनैक्शनों की संख्या नीचे दी गई है:-

	सम्पूर्ण-गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए)	गुड़गांव शहर
31.3.2002 की स्थिति के अनुसार	1,12,975	93,176
31.3.2003 की स्थिति के अनुसार	1,15,734	94,334
31.3.2004 की स्थिति के अनुसार	1,17,255	90,487

(ख) और (ग) कुछ उपभोक्ताओं ने शायद वाणिज्यिक बाध्यताओं तथा प्रचुरता के लिए निजी प्रचालकों से कनैक्शन लिए हैं। तथापि, उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गुड़गांव गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में बीएसएनएल के टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या बढ़ गई है।

(घ) लाभ की गणना हरियाणा दूरसंचार सर्किल स्तर पर उनके सभी गौण स्विचन क्षेत्रों (जिसमें गुड़गांव शामिल है) के लिए की जाती है। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान गुड़गांव गौण स्विचन क्षेत्र के राजस्व तथा व्यय संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रु. में)

वर्ष	राजस्व	कार्यचालन व्यय	पूंजीगत व्यय
2001-2002	16169.7	1365.4	4398.3
2002-2003	14854.1	2205.4	4184.6
2003-2004	15489.1	2758.6	2432.1

(ङ) और (च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बीएसएनएल पहले से ही विविध कॉलिंग पद्धतियों के अनुरूप उपभोक्ता-अनुकूल पैकेज दे रहा है।

अत्यधिक बिल देना

2913. श्री छेवांग थुपस्तन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल, लद्दाख में शर्गोल एक्सचेंज के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिना एस.टी.डी. सुविधाओं के न्यूनतम 10,000 रु. से अधिकतम 75,000 रु. तक की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अत्यधिक बिल देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अत्यधिक बिल देने की इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या कार्रवाई कोई है, की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। यह सत्य है कि कारगिल में शर्गोल एक्सचेंज के अन्तर्गत 129 उपभोक्ताओं को बिलिंग अवधि (11.7.2003) के लिए 10,000 रु. से लेकर 75,000 रु. तक के बिल प्राप्त हुए हैं।

(ख) एक्सचेंज में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ।

(ग) उपभोक्ताओं को संशोधित बिल जारी कर दिए गए हैं।

आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात

2914. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पश्चिमी देशों विशेषकर यूरोप में अधिक आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने पाश्चात्य देशों के संघ समेत और देशों को आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। चूंकि गुणवत्ता के प्रति सचेत पाश्चात्य/यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूर्व-अपेक्षा रहती है, अत: सरकार ने औषधीय पादपों/कच्ची औषधियों की नियोजित खेती के लिए प्रोत्साहन/आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त आयुर्वेदिक उत्पादों के भेषजसंहिताबद्ध मानक तैयार किए हैं। आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माता एकांशों को अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों आदि में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक को 25% से अधिकतम 1 लाख रु. तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें अपने एकांशों के आधुनिकीकरण और उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं पर खरे उतरने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। सरकार यूरोपीय संघ के देशों समेत विभिन्न देशों में आयुर्वेदिक/जड़ी-बूटीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर औषधीय पादपों/

कच्ची औषधियों के बाजार का सर्वेक्षण भी कराती है। सरकार जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान आयुर्वेदिक उत्पादों की वार्षिक प्रदर्शनी भी आयोजित करती है।

[हिन्दी]

सतना में बी.एस.एन.एल. सुविधा

2915. श्री गणेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में बी.एस.एन.एल. सुविधा उपलब्ध है;

(ख) सतना जिले में कितने सिम कार्ड प्रदान किए गए हैं;

(ग) बी.एस.एन.एल. सिम कार्ड प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार सतना जिले में अधिक सिम कार्ड प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो कब से?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) 31.7.2004 की स्थिति के अनुसार सतना शहर में 1706 सेल्यूलर कनेक्शन कार्य कर रहे थे।

(ग) सिम कार्ड उपलब्ध क्षमता के अनुसार सीमित रूप से प्रदान किए जाते हैं। ये कार्ड "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर, उपभोक्ता की पहचान के प्रमाण तथा उसके पते के सत्यापन के बाद, प्रदान किए जाते हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) जी हां। बीएसएनएल ने अमरपाटन, मैहर, नागोड तथा मघगवान में तरंग/डब्ल्यूएलएल सेवा प्रदान करने की योजना बनाई है और इसे मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान करने की संभावना है, बशर्ते उपस्कर उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न संवर्ग में अधिकारियों की संख्या

2916. श्री प्रसन्न आचार्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए सृजित दस पदों सहित अखिल भारतीय सेवा और समूह 'क' के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित निदेशक के पदों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वास्थानिक अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा समूह 'क' के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित उप सचिव के पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त पदों को धारण करने में अखिल भारतीय सेवा और समूह 'क' के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के बीच विषमता उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सही है कि 767 स्व-स्थानिक अवर सचिव भी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पुनर्गठित संवर्ग के 1400 पदों में शामिल थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) 1.8.2004 की स्थिति के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं तथा समूह 'क' अधिकारियों एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित निदेशकों के पदों की संख्या इस प्रकार है:-

(1)	अखिल भारतीय सेवाएं और समूह 'क'	326
(2)	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी (13 समतुल्य पदों सहित)	119

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं तथा समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों एवं स्वस्थाने अधिकारियों सहित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित उप सचिव के पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

(1)	अखिल भारतीय सेवाएं और समूह 'क'	122
(2)	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी	198

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग पुनर्संरचना का निर्णय करते समय, 167 स्वस्थाने अवर सचिवों को ध्यान में रखा गया। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड की संवर्ग संख्या को अन्ततः 1400 नियत किया गया है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के सहायतार्थ नीति

2917. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी नीति बनाने का है जिसमें सी.जी.एस.एस. लाभार्थियों पर अस्पताल द्वारा किये गये व्यय का वहन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पेंशनधारी सी.जी.एच.एस. कार्डधारी का मामला उसी कार्यालय/विभाग में निपटाया जाएगा जहां उसने सेवा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार मामले का निपटारा औषधालयों में करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सेवारत कर्मचारियों (सी जी एस लाभार्थियों) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों का निपटान उसी विभाग/मंत्रालय द्वारा किया जाता है जहां कर्मचारी कार्यरत है। तथापि, सी जी एच एस कार्डधारी पेंशनभोगियों के मामले में विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी आदेश 14.10.2003 को तथा विस्तृत आदेश 6.2.2004 को जारी किए गए थे जिनके माध्यम से पेंशनभोगियों को यह विकल्प प्रदान किया गया है कि वे अपनी अंतिम नियुक्ति से जुड़े कार्यालय से मेडिकल दावों को समायोजन करा सकते हैं। तथापि, पेंशनभोगी सी जी एच एस लाभार्थियों की ओर से विकेन्द्रीयकृत प्रक्रिया के प्रति कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया न होने के कारण स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 12.5.04 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) के आलोक में पेंशनभोगी सी जी एच एस कार्डधारियों के चिकित्सा दावों का निपटान पहले की ही तरह सी जी एच एस संगठन द्वारा सीधे किया जाता रहेगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

2918. श्री विजय कृष्ण:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अस्तित्व में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने एक नए न्यायालय की स्थापना की संधि की पुष्टि की है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होगा;

(घ) क्या भारत ने भी इस संधि की पुष्टि की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) पूर्णाधिकारियों के संयुक्त राष्ट्र राजनयिक सम्मेलन ने रोम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर 17 जुलाई, 1998 में न्यायालय का अध्यादेश लागू किया । रोम का अध्यादेश 1 जुलाई, 2002 को प्रभावी हुआ। यह न्यायालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई सी सी) के रोम अध्यादेश में 94 पक्षकार हैं। रोम अध्यादेश में हस्ताक्षर करने वाले सहित पक्षकारों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) भारत, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का पक्षकार नही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध

में राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया की प्रमुखता को सुरक्षित रखने की इसकी कुछ शर्तें हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बीच संबंधों से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। तथापि, सरकार न्यायालय की गतिविधियों की प्रगति और कार्रवाई का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर रही है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम अध्यादेश

17 जुलाई 1998 रोम

सहभागी

सहभागी	हस्ताक्षर	अनुसर्मथन, स्वीकृति (स्वी), अनुमोदन (अनु), परिग्रहण (परि)
1	2	3
अफगानिस्तान		10 फरवरी 2003 परि
अल्बानिया	18 जुलाई 1998	31 जनवरी 2003
अल्जीरिया	28 दिसंबर 2000	
अंडोरा	18 जुलाई 1998	30 अप्रैल 2001
अंगोला	7 अक्टूबर 1998	
एंटीगुआ और बारबुडा	23 अक्टूबर 1998	18 जनवरी 2001
अर्जेनटीना	8 जनवरी 1999	8 फरवरी 2001
अरमेनिया	1 अक्टूबर 1999	
ऑस्ट्रेलिया	9 दिसंबर 1998	1 जुलाई 2002
ऑस्ट्रिया	7 अक्तूबर 1998	28 दिसंबर 2000
बाहमाज	29 दिसंबर 2000	
बेहरीन	11 दिसंबर 2000	
बांग्लादेश	16 सितंबर 1999	
बारबाडोज	8 सितंबर 2000	10 दिसंबर 2002
बेल्जियम	10 सितंबर 1998	28 जून 2000
बेलीज	5 अप्रैल 2000	5 अप्रैल 2000
बेनीन	24 सितंबर 1999	22 जनवरी 2002
बोलिविया	17 जुलाई 1998	27 जून 2002
बोस्निया और अर्जेगोविना	17 जुलाई 2000	11 अप्रैल 2002
बोत्सवाना	8 सितंबर 2000	8 सितंबर 2000

1	2	3
ब्राजील	7 फरवरी 2000	20 जून 2002
बुल्गारिया	11 फरवरी 1999	11 अप्रैल 2002
बुर्किना फासो	30 नवंबर 1998	16 अप्रैल 2004
बुरुंडी	13 जनवरी 1999	
कम्बोडिया	23 अक्टूबर 2000	11 अप्रैल 2002
कैमरून	17 जुलाई 1998	
कनाडा	18 दिसंबर 1998	7 जुलाई 2000
केप वर्डे	28 दिसंबर 2000	
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	7 दिसंबर 1999	3 अक्टूबर 2001
चाड	20 अक्टूबर 1999	
चिली	11 सितंबर 1998	
कोलम्बिया	10 दिसंबर 1998	5 अगस्त 2002
कोमोरोज	22 सितंबर 2000	
कांगो	17 जुलाई 1998	3 मई 2004
कोस्टा रिका	7 अक्टूबर 1998	7 जून 2001
कोत द आइवर	30 नवंबर 1998	
क्रोएशिया	12 अक्टूबर 1998	21 मई 2001
साइप्रस	15 अक्टूबर 1998	7 मार्च 2002
चैक गणराज्य	13 अप्रैल 1999	
कांगो लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	8 सितंबर 2000	11 अप्रैल 2002
डेनमार्क[2]	25 सितंबर 1998	21 जून 2001
डजिबूती	7 अक्टूबर 1998	5 नंवबर 2002
डोमिनिका		12 फरवरी 2001 परि
डोमिनिकन गणराज्य	8 सितंबर 2000	
इक्वाडोर	7 अक्टूबर 1998	5 फरवरी 2002
मिस्र	26 दिसंबर 2000	
एरिट्रिया	7 अक्टूबर 1998	

एस्टोनिया	27 दिसंबर 1999	30 जनवरी 2002
फिजी	29 नवंबर 1999	29 नवंबर 1999
फिनलैंड	7 अक्टूबर 1998	29 दिसंबर 2000
फ्रांस	18 जुलाई 1998	9 जून 2000
गैबोन	22 दिसंबर 1998	20 सितंबर 2000
गाम्बीया	4 दिसंबर 1998	28 जून 2002
जॉर्जिया	18 जुलाई 1998	5 सितंबर 2003
जर्मनी	10 दिसंबर 1998	11 दिसंबर 2000
घाना	18 जुलाई 1998	20 दिसंबर 1999
यूनान	18 जुलाई 1998	15 मई 2002
गुइनिआ	7 सितंबर 2000	14 जुलाई 2003
गुइनिआ-बिसाउ	12 सितंबर 2000	
गुयाना	28 दिसंबर 2000	
हेती	26 फरवरी 1999	
होंडूरस	7 अक्टूबर 1998	1 जुलाई 2002
हंगरी	15 जनवरी 1999	30 नवंबर 2001
आइसलैंड	26 अगस्त 1998	25 मई 2000
इरान (इस्लामिक गणराज्य)	31 दिसंबर 2000	
आयरलैंड	7 अक्टूबर 1998	11 अप्रैल 2002
इजराइल[3]	31 दिसंबर 2000	
इटली	18 जुलाई 1998	26 जुलाई 1999
जमाइका	8 सितंबर 2000	
जॉर्डन	7 अक्टूबर 1998	11 अप्रैल 2002
केन्या	11 अगस्त 1999	
कुवैत	8 सितंबर 2000	
किरगिजस्तान	8 दिसंबर 1998	
लाटविया	22 अप्रैल 1999	28 जून 2002

1	2	3
लेसोथो	30 नवंबर 1998	6 सितंबर 2000
लिबेरिया	17 जुलाई 1998	
लिशतेनशिएन	18 जुलाई 1998	2 अक्टूबर 2001
लिथुवानिया	10 दिसंबर 1998	12 मई 2003
लक्जमबर्ग	13 अक्टूबर 1998	8 सितंबर 2000
मैडागास्कर	18 जुलाई 1998	
मालावी	2 मार्च 1999	19 सितंबर 2002
माली	17 जुलाई 1998	16 अगस्त 2000
माल्टा	17 जुलाई 1998	29 नवंबर 2002
माशंल द्वीपसमूह	6 सितंबर 2000	7 दिसंबर 2000
मॉरिशस	11 नवंबर 1998	5 मार्च 2002
मैक्सिको	7 सितंबर 2000	
मोनाको	18 जुलाई 1998	
मंगोलिया	29 दिसंबर 2000	11 अप्रैल 2002
मोरक्को	8 सिंतबर 2000	
मोजाम्बिक	28 दिसंबर 2000	
नामिबिया	27 अक्टूबर 1998	25 जून 2002
नाउरु	13 दिसंबर 2000	12 नवंबर 2001
नीदरलैंड[4]	18 जुलाई 1998	17 जुलाई 2001 स्वी
न्यूजीलैंड[5]	7 अक्टूबर 1998	7 सितंबर 2000
नाइजर	17 जुलाई 1998	11 अप्रैल 2002
नाइजीरिया	1 जून 2000	27 सितंबर 2001
नार्वे	28 अगस्त 1998	16 फरवरी 2000
ओमान	20 दिसंबर 2000	
पनामा	18 जुलाई 1998	21 मार्च 2002
परागुवे	7 अक्टूबर 1998	14 मई 2001
पेरू	7 दिसंबर 2000	10 नवंबर 2001

1	2	3
फिलिपिन्स	28 दिसंबर 2000	
पोलैंड	9 अप्रैल 1999	12 नवंबर 2001
पुर्तगाल	7 अक्टूबर 1998	5 फरवरी 2002
कोरिया गणराज्य	8 मार्च 2000	13 नवंबर 2002
मोल्डोवा गणराज्य	8 सितंबर 2000	
रोमानिया	7 जुलाई 1999	11 अप्रैल 2002
रूसी परिसंघ	13 सितंबर 2000	
सेंट लुसीया	27 अगस्त 1999	
सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडिन्स		3 दिसंबर 2002 परि
समोआ	17 जुलाई 1998	16 सितंबर 2002
सैन मैरिनो	18 जुलाई 1998	13 मई 1999
साओ टोमे और प्रिंसिपे	28 दिसंबर 2000	
सेनेगल	18 जुलाई 1998	2 फरवरी 1999
सर्बिया और मोंटेनेग्रो	19 दिसंबर 2000	6 सितंबर 2001
सेशल्स	28 दिसंबर 2000	
सिएरा लिओने	17 अक्टूबर 1998	15 सितंबर 2000
स्लोवाकिया	23 दिसंबर 1998	11 अप्रैल 2002
स्लोवेनिया	7 अक्टूबर 1998	31 दिसंबर 2001
सोलोमन द्वीपसमूह	3 दिसंबर 1998	
दक्षिण अफ्रीका	17 जुलाई 1998	27 नवंबर 2000
स्पेन	18 जुलाई 1998	24 अक्टूबर 2000
सुडान	8 सितंबर 2000	
स्वीडन	7 अक्टूबर 1998	28 जून 2001
स्विटरजरलैंड	18 जुलाई 1998	12 अक्टूबर 2001
सीरियाई अरब गणराज्य	29 नवंबर 2000	
तजाकिस्तान	30 नवंबर 1998	5 मई 2000
थाईलैंड	2 अक्टूबर 2000	

1	2	3
मैसेडोनिया का पूर्व युगोस्लाविया गणराज्य	7 अक्टूबर 1998	6 मार्च 2002
तिमोर-लेस्टे		6 सितंबर 2002 परि
ट्रिनीडाड व टौबैगो	23 मार्च 1999	6 अप्रैल 1999
यूगांडा	17 मार्च 1999	14 जून 2002
यूक्रेन	20 जनवरी 2000	
यूनाइटेड अरब अमिरात्स	27 नवंबर 2000	
यूनाटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड	30 नवंबर 1998	4 अक्टूबर 2001
नॉर्दन आयरलैंड		
तनजानिया का संयुक्त गणराज्य	29 दिसंबर 2000	20 अगस्त 2002
संयुक्त राज्य अमेरिका[6]	31 दिसंबर 2000	
उरुगुवे	19 दिसंबर 2000	28 जून 2002
उजबेकिस्तान	29 दिसंबर 2000	
वेनेजुएला	14 अक्टूबर 1998	7 जून 2000
यमन	28 दिसंबर 2000	
जाम्बिया	17 जुलाई 1998	13 नवम्बर, 2002
जिम्बाबवे	17 जुलाई 1998	

समुद्री जैव प्रौद्योगिकी हेतु नए केन्द्र की स्थापना

2919. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जामनगर, गुजरात में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी हेतु एक नए केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जामनगर, गुजरात में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी हेतु एक नए केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

2920. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा':** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की विनिर्दिष्ट ऊपरी सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नैनीताल को आगरा से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना

2921. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नैनीताल को आगरा से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से नैनीताल पहले से ही आगरा से जुड़ा हुआ है:-

(1) नैनीताल से रामपुर	–	रा.रा.-87
(2) रामपुर से मुरादाबाद	–	रा.रा.-24
(3) मुरादाबाद से आगरा	–	रा.रा.-93

[अनुवाद]

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास

2922. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम में मंगलदोई टाउन में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 पर बाइपास बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बैली पुल के कारण मंगलदोई टाउन में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 पर यातायात की समस्या के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैली पुल के स्थान पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) इस वर्ष मंगलदोई में एक स्थायी पुल के निर्माण के लिए उप मृदा जांच किए जाने की योजना है और वास्तविक निर्माण कार्य के 2005-06 में शुरू होने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में विशेष कार्यक्रमों हेतु आवंटन

2923. श्री गिरिधर गमांग:
श्रीमती अर्चना नायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए वित्त वर्ष 2003-04 तक के.बी.के. योजना सहित विशेष कार्यक्रमों/विशेष योजनाओं के लिए किए गए आवंटन का योजनावार, कार्यक्रमवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विशेष कार्यक्रमों के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा के.बी.के. क्षेत्रों की लघु अवधि और दीर्घावधि कार्ययोजना की प्राप्ति हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) वर्ष 2002-03 से पहले, योजना आयोग उड़ीसा के केबीके जिलों के विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित करता था। वर्ष 1998-99 से 2001-02 तक 243.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। केन्द्रीयभूत ध्यान देने के लिए वित्तीय वर्ष 2002-03 से केबीके जिलों की विशेष योजना को राष्ट्रीय सम विकास योजना के एक घटक के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस योजना में स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार सूखा निवारण, जीविकोपार्जन सहायता, सम्बद्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि की मुख्य समस्याओं के समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस विशेष योजना के तहत राज्य सरकार को वर्ष 2002-03 के दौरान 200 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2003-04 के दौरान 250 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इन स्कीमों के लिए किये गये आबंटन को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) विशेष योजना के लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल स्कीमों में निहित है और ये प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस क्षेत्र की सहायता को सुदृढ़ बनाने के लिए, इन जिलों की योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अब 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जा रही है तथा इसे बढ़ाया गया है जैसाकि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया

है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार करने की दृष्टि से मुख्य प्रशासक, विशेष क्षेत्र विकास (केबीके) परियोजना और उप मुख्य प्रशासकों को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं। इसके अलावा, कार्य योजना बनाने और स्कीमों की समीक्षा एवं मानीटरिंग करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति गठित की गई है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	आबंटन	
		2002-03	2003-04
1.	कृषि	11.74	15.00
2.	सहकारिता	8.96	7.00
3.	ऊर्जा	0.00	8.20
4.	मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास	3.56	6.00
5.	वन एवं पर्यावरण	18.15	24.70
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.00	13.90
7.	आवास एवं शहरी विकास	6.00	12.00
8.	योजना एवं समन्वय	12.50	15.10
9.	पंचायती राज	0.00	15.00
10.	ग्रामीण विकास	38.00	40.50
11.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास	20.00	21.00
12.	वस्त्र एवं हथकरघा	3.00	1.50
13.	महिला एवं बाल विकास	33.59	32.20
14.	जल संसाधन	20.00	21.90
15.	निर्माण	14.50	16.00
	कुल :	200.00	250.00

गरीबी और बेरोजगारी संबंधी समिति

2924. श्री सुदाम मरन्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: -

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 2020 तक गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने हेतु एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में शामिल किए गए गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या "आल इंडिया एसोसिएशन फार एससी/एसटी एंड फिजिकली हैंडिकेप्ड पीपल्स अपलिफ्टमेंट" भी विषयवस्तु संबंधी कुछ तथ्यों का पता लगाने हेतु संपर्क कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत चार वर्षों के दौरान गरीबी और बेरोजगारी दूर करने संबंधी समिति का ब्यौरा क्या है और इस समिति पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग ने डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 'इंडिया विजन 2020' संबंधी एक समिति गठित की थी। समिति के सदस्य अपनी व्यक्तिगत योग्यता के विशेषज्ञ थे। इस समिति में किसी भी गैर-सरकारी संगठन को शामिल नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के उत्थान संघ ने वर्ष 2020 तक गरीबी और बेरोजगारी दूर करने हेतु योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस संघ को ''इंडिया विजन 2020'' संबंधी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी दर और गरीबी के अनुपात के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 1999-2000 में आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी अनुपात का अनुमान 1993-94 में 36 प्रतिशत की तुलना में 26.1 प्रतिशत लगाया गया था। बेरोजगारी दर 1993-94 में 5.99 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में 7.32 प्रतिशत थी। ''इण्डिया विजन 2020'' संबंधी समिति को योजना आयोग के बजट से सहायता प्रदान की गई थी।

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी की सुविधाओं का लाभ उठाना

2925. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारी आवास परिसर, वसंत विहार, नई दिल्ली की सी.बी.आई. कालोनी में एक सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परिसर में रहने वाले लोक सभा और राज्य सभा कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारी उक्त डिस्पेंसरी का लाभ उठाने के हकदार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि सभी सरकारी कर्मचारी उक्त डिस्पेंसरी की सुविधाओं का लाभ उठा सकें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। सिर्फ सी बी आई कालोनी के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सी बी आई कालोनी, वसन्त विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या-50 (आर. के. पुरम-3) का केवल एक विस्तार केन्द्र खोला गया है क्योंकि कालोनी में रहने वाले ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को लम्बी अवधि के लिए दौरों पर जाना अपेक्षित होता है और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान में वसन्त विहार में एक पूर्ण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए कोई सरकारी स्वीकृत नहीं है और सी बी आई कालोनी में लाभार्थियों को वर्तमान सुविधा केवल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या-50 (आर. के.-3) से लिए गए समिति स्टाफ के साथ ही चल रही है। इसलिए, नजदीकी कालोनियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को सी बी आई कालोनी, वसन्त विहार स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विस्तार केन्द्र के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. ट्रस्ट लाइन सर्विस

2926. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:
श्री राजनारायन बुधौलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एम.टी.एन.एल. ट्रस्ट लाइन सर्विस शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) एमटीएनएल ने दिनांक 5 अगस्त, 2004 को ही एम टी एन एल ट्रस्ट लाइन सेवा शुरू कर दी। एम टी एन एल ट्रस्ट लाइन सेवा एक लाइसेंसशुदा प्रमाणीकरण प्राधिकरण है जिसका गठन, डिजिटल सिगनेचर सर्विस जारी करने/उसकी समीक्षा करने/उसे समाप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा सी सी ए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है।

(घ) एम टी एन एल द्वारा इस सेवा के लिए लगभग 12.5 करोड़ रु. खर्च किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि देना

2927. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रमों और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और गुजरात में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी हेतु किसी एजेंसी की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी पाए गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगे स्वयंसेवी संगठनों को धन उपलब्ध कराती है।

(ख) सूची विवरण-I पर संलग्न है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठनों के मल्यांकन कार्य के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसियों के एक पैनल का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों का मूल्यांकन परियोजना का प्रथम वर्ष और तृतीय वर्ष पूरा हो जाने पर किया जाता है। लिंग संबंधी मामलों के सहायतार्थ योजना, जिसके लिए यू एन एफ पी ए द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी, के तहत वित्तीय सहायता मानिटरिंग एन जी ओ नामक एक निर्दिष्ट गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से उपलब्ध करायी गई थी। जबकि परियोजना को एक कार्यान्वयनकर्ता गैर-सरकारी संगठन द्वारा कार्यान्वित किया गया था। मानिटरिंग एन जी ओ ने परियोजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग कार्य किया।

(ङ) और (च) जिन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध हाल ही में शिकायतें मिली हैं और उन पर जो कार्रवाई की गयी है, उनकी सूची विवरण-III पर दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान जिन गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में रखा गया है, उनका ब्यौरा विवरण-IV पर दिया गया है।

विवरण I

मदर एन जी ओ स्कीम

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	मदर एन जी ओ का नाम	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	एकलव्य मेमोरियल लीग, प्रकाशम	आन्ध्र प्रदेश	1,000,000.00		978,414.00
2.	राहुल्स मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज सोसाइटी, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	4,000,000.00	3,898,562.00	3,200,000.00
3.	सोसाइटी फार नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू रूरल डेवलपमेंट, प्रकाशम	आन्ध्र प्रदेश	2,234,000.00		1,936,708.00

1	2	3	4	5	6
4.	सेंट पीटर्स मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर्स (फीमेल), गुंटूर	आन्ध्र प्रदेश		900,000.00	850,000.00
5.	हेड्स, अनन्तपुर	आन्ध्र प्रदेश	750,000.00	739,649.00	2,689,345.00
6.	सोसल ऐक्शन फार सोसल डेवलपमेंट, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1,500,000.00		1,440,000.00
7.	गुजरात वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन, अहमदाबाद	गुजरात		1,250,000.00	
8.	सेंटर फार हेल्थ एजूकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस (चेतना), अहमदाबाद	गुजरात	876,997.00	676,317.00	1,345,849.00
9.	फेमिली प्लानिंग ऐसोसिएशन आफ इंडिया, अहमदाबाद	गुजरात	1,200,000.00	1,395,562.00	
10.	समग्र विकास ट्रस्ट, अमरेली	गुजरात	1,000,000.00	2,426, 389.00	

लिंग मामलों से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए सहायता

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	एन जी ओ का नाम	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1.	विशाखा जिला नव निर्माण समिति, विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	808,920.00	808,071.00	-
2.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	669,600.00	709,753.00	-
3.	दीपक चैरिटबल ट्रस्ट, वड़ोदरा	गुजरात	1,574,034.00	149,957.00	219,396.00

विवरण II

आर सी एच स्कीम के तहत पूर्व-मूल्यांकन/मूल्यांकन/फील्ड मूल्यांकन के लिए पैनल

1. निदेशक,
भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान,
1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर एयरपोर्ट,
जयपुर।

2. निदेशक,
भारतीय परिवार कल्याण संघ,
बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट,
मुम्बई।

3. निदेशक,
नबकृष्णा चौधरी,
सेंटर फार डेवलपेंट स्टडीज,
भुवनेश्वर-751013

4. निदेशक,
एन आई एच एफ डब्ल्यू,
मुनीरका, नई दिल्ली।

5. मुख्य कार्यकारी,
वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया,
टांग स्वास्थ्य भवन,
40, इंस्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।

6. निदेशक,
सी आई एन आई, दौलतपुर गांव,
पैलान पी.ओ., वाया जोका, 24 परगना
पश्चिम बंगाल-743512

7. निदेशक,
गांधीग्राम इंस्टीच्यूट आफ रूरल हेल्थ एंड फेमिली वेल्फेयर ट्रस्ट,
अम्बाथुराई आर.एस.,
डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु-624302

8. निदेशक,
ओम कैलाश टावर,
190-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ

विवरण III

गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई-रिपोर्ट

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	की-गई-कार्रवाई
1.	गोदावरी फाउंडेशन, महाराष्ट्र	मदर एन जी ओ के विरुद्ध धन के कथित दुरुपयोग की शिकायत थी। कंसल्टेंट ए आर सी द्वारा दिनांक 29.5.2003 से 30.6.2003 तक जांच की गयी थी। दूसरी बार जांच अवर सचिव (एस. 1) के सहयोग से ए सी (एन जी ओ) द्वारा 12-14 नवम्बर, 2003 तक की गयी थी। गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध आरोपों को ठीक नहीं पाया गया।
2.	आर्थिक अत्मनिर्भरता सामाजिक विकास अभिकरण, पटना, बिहार	मदर एन जी ओ द्वारा किए गए कदाचारों के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की टिप्पणियां मंगवाई गयी हैं। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
3.	चेतना, राजस्थान	वर्ष 2002-03 के लिए उपयोगिता-प्रमाणपत्र के अनुसार, इस संगठन के पास 1,58,551/- रु. की व्यय न की गई राशि शेष है। राजस्थान स्थित चेतना नाम संगठन अलग से पंजीकृत नहीं है। आगे दी जाने वाली सहायता-अनुदान को तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक यह संगठन राजस्थान में पंजीकृत होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
4.	डेवलपमेंट एक्शन थ्रू सेल्फ हेल्थ नेटवर्क (दर्शन), केरल	इस गैर-सरकारी संगठन को 'डे केयर सेंटर' के लिए 1,41,400 रु. की राशि की गयी थी। यू एस एफ पी ए के दौरे और मानिटरिंग रिपोर्टों से पता चला है कि संगठन के लेखों के रख-रखाव में अनियमितता हैं और धन का दुरुपयोग हुआ है। आगे धन जारी करना रोक दिया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लेखा परीक्षा विंग से इस गैर-सरकारी संगठन के लेखों की लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण IV

विगत तीन वर्षों के दौरान कालीसूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	रीवानसिद्धेश्वर प्रसन्ना एजूकेशन सोसाइटी, बीदर, कर्नाटक
2.	नेशनल एजूकेशनल माइनारिटीज सोसाइटी, कोटापेट, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश
3.	ग्रामीण विकास संस्थान, भरतपुर, राजस्थान
4.	हरिजन पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, मधेपुर, मधुबनी, बिहार
5.	हस्तकला विकास केन्द्र, मधेपुर, मधुबन, बिहार

[हिन्दी]

दवाओं के वितरण में अनियमितताएं

2928. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क वितरित की जाने वाली दवाएं जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: यह संबंधित राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क वितरित की जाने वाली दवाइयां जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच जाएं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अस्पताल फार्मलूरी और मौजूदा नीति के अनुसार दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किया जाता है। आपाती जरूरत में जीवन रक्षक दवाइयों का भी प्रापण किया जाता है और गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों को उनकी आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को महंगी दवाइयों के प्रापण के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि में से सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की स्थापना

2929. श्री ए. के. मूर्ति: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरई में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा का अन्य शहरों में भी विस्तार किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने चेन्नई और मदुरई में "वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन)" सुविधाएं पहले ही स्थापित कर दी हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित 10 नोड नेटवर्क सहित वी पी एन सुविधाएं देश भर में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी दन्त महाविद्यालय में प्रवेश

2930. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से सरकारी दन्त महाविद्यालय, रायपुर में द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रवेश हेतु अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पान्नाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने बी डी एस पाठ्यक्रम-द्वितीय वर्ष के लिए अनुमति के नवीनीकरण पर विचार करते हुए गवर्नमेंट डेंटल कालेज, रायपुर में कुछ कमियां बताई हैं और पुष्टिकरण हेतु उन्होंने कालेज प्राधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया हैं। अनुमति के नवीनीकरण पर अनुपालन रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान को पुन: खोलना

2931. श्री प्रदीप गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त संस्थान को पुन: खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) संस्थान कार्य कर रहा है और इसे बन्द नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अस्पताल खोलना

2932. श्री जुएल ओराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में केवल महिला रोगियों के लिए कुछ अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये अस्पताल किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में मोहना, राजाकनिका, दानगढ़ी और मुन्नीगुड़ा में ऐसे अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या दसवीं योजना के दौरान राज्य में केवल महिलाओं के लिए कुछ उप-केन्द्र भी खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) 10वीं योजना के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लिए अस्पताल अथवा उप-केन्द्र खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में धार्मिक स्थल

2933. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुओं, सिक्खों और जैनियों के कुछ धार्मिक स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं और ये कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन धार्मिक स्थलों का दौरा करने हेतु भारतीयों के लिए कोई नियम बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन धार्मिक स्थलों की स्थिति कैसी है और इनके रख-रखाव हेतु क्या तंत्र है;

(च) क्या सरकार इन स्थलों के रख-रखाव की जिम्मेदारी भारतीय संस्थानों को देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (छ) भारत और पाकिस्तान में अवस्थित अनेक धार्मिक स्थानों के लिए तीर्थयात्रियों की यात्रा का विनियमन सितम्बर, 1974 में संपन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल के जरिए होता है। इसमें धार्मिक यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के सिद्धांतों का उल्लेख है। इस प्रोतोकोल के प्रावधानों के अनुसरण में दोनों पक्ष यात्रा किये जाने वाले धार्मिक स्थलों की एक सूची तथा यात्रा पर गये तीर्थयात्रियों की जांचों के आधार पर सहमत हुए है। तदनुसार, भारत से तीर्थयात्रियों के जत्थे पाकिस्तान में अवस्थित पांजा साहिब (हसनाबदल), ननकाना साहिब (पिंडी), शदानी दरबार (ह्यात पिताफी) इत्यादि की यात्रा पर जाते हैं।

प्रोतोकोल के अतंर्गत संबंधित देशों की बाध्यता है कि वह सहमत सूची के पूजा स्थलों के समुचित रख-रखाव और इनकी पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करे। सरकार को इस आशय के रिपोर्टों की जानकारी है कि पाकिस्तान में अवस्थित कुछ पूजा स्थलों का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है तथा इनकी पवित्रता संरक्षित नहीं रखी जा रही है। पाकिस्तान की सरकार को इस संबंध में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों से अवगत कराया जाता है।

प्री-पेड और पोस्ट-पेड टेलीफोन कनेक्शन

2934. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में बी.एस.एन.एल. के प्री-पेड और पोस्ट-पेड टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) कुल कितने आवेदकों ने नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदन किया है;

(ग) प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के प्री-पेड और पोस्ट-पेड सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मौजूदा नीति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड महाराष्ट्र सर्किल में मोबाइल सेवा की प्रतीक्षा सूची अनुरक्षित नहीं करता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) 4.5 लाख लाइनों की सेल्यूलर क्षमता स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की मांग की पूर्ति के लिए उक्त क्षमता उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध हो जाएगी।

विवरण

31.07.2004 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सर्किल में कार्यरत मोबाइल फोन

क्र.सं.	जिले का नाम	प्री-पेड कनेक्शनों की संख्या	पोस्ट-पेड कनेक्शनों की संख्या	कुल कार्यरत सेल्यूलर कनेक्शन
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	17340	10353	27693
2.	अकोला	4413	4422	8835
3.	वासिम	947	410	1357
4.	अमरावती	4235	4713	8948
5.	औरंगाबाद	7539	12367	19906
6.	बीड	4475	4556	9031
7.	भंडारा	2455	1714	4169
8.	गोंडिया	2395	1676	4071
9.	बुलधाणा	3726	3520	7246
10.	चन्द्रपुर	5615	3665	9280
11.	धुले	3100	5428	8528
12.	नंदुरबार	900	866	1766
13.	गडचिरौली	2695	608	3303
14.	गोवा (दक्षिणी)	13388	6159	19547
15.	गोवा (उत्तरी)	17722	4508	22230
16.	जलगांव	4984	10305	15289
17.	जालना	4913	2168	7081
18.	कल्याण	48757	9281	58038
19.	कोल्हापुर	18100	14135	32235
20.	लातूर	5531	6419	11950
21.	नागपुर	20795	20485	41280
22.	नांदेड़	7550	4860	12410
23.	नासिक	14007	27724	41731
24.	औसमानाबाद	5852	2026	7878

1	2	3	4	5
25.	परभनी	3470	2944	6414
26.	हिंगोली	1290	701	1991
27.	पुणे	59866	90005	149871
28.	रायगढ़	11729	3301	15030
29.	रत्नागिरी	8773	1849	10622
30.	सांगली	6146	6365	12511
31.	सतारा	5387	6713	12100
32.	सिंधुदुर्ग	9148	1496	10644
33.	शोलापुर	10479	9526	20005
34.	वर्धा	4544	3333	7877
35.	यवतमाल	5414	4190	9604
	जोड़	347680	292791	640471

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

2935. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कार्य को वर्तमान सरकार द्वारा जारी रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जयपुर-किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 और अजमेर जिले में किशनगढ़-विजयनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-69 हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के लिए किसानों को मुआवजा दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष किसानों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को काफी हद तक दिसम्बर, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए धनराशि जुटा ली गई है तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्माण कार्यों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) और (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा रा.रा.-8 के जयपुर-किशनगढ़ खंड के लिए अब तक 25.52 करोड़ रु. के मुआवजे का निर्धारण किया गया है। यह धनराशि वितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करा दी गई है। शेष भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण दिसम्बर, 2004 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। किशनगढ़ और विजयनगर के बीच का खंड रा.रा.-79 ए और अजमेर में रा.रा.-79 पर पड़ता है न कि रा.रा.-69 पर। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस खंड के लिए अब तक 12.66 करोड़ रु. के मुआवजे का निर्धारण किया गया है और शेष भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण सितम्बर, 2004 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

परिवार पेंशन हेतु योजना

2936. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असाध्य मानसिक अपंगता, रोग या कमजोरी से पीड़ित केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के आश्रितों को परिवार पेंशन का भुगतान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मानदंड/शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय कितने व्यक्ति ऐसी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) कुटुम्ब पेंशन, किसी सरकारी कर्मचारी के ऐसे पुत्र या ऐसी पुत्री को, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के अन्तर्गत परन्तुक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जीवन पर्यन्त देय होगी, जो मानसिक व्याघात सहित किसी भी मानसिक विकार अथवा अपंगता से पीड़ित हो अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा अशक्त हो, जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने के उपरांत भी आजीविका कमाने में असमर्थ हो:

(1) यदि ऐसा पुत्र अथवा पुत्री, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दो अथवा उससे अधिक बच्चों में से एक हो तो कुटुम्ब पेंशन आरम्भ में जन्म क्रम के अनुसार नाबालिग बच्चों को देय होगी जब तक कि अन्तिम नाबालिग बच्चा पच्चीस वर्ष की आयु का न हो जाए और उसके उपरांत कुटुम्ब पेंशन मानसिक विकार अथवा अपंगता से पीड़ित अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा अशक्त पुत्र अथवा पुत्री के पक्ष में बहाल कर दी जाएगी;

(2) जुड़वां बच्चों को कुटुम्ब पेंशन समान भागों में देय होगी;

(3) बालिग आयु के हो गए शारीरिक रूप से अपंग पुत्र/पुत्री के मामले के सिवाय, ऐसे पुत्र/ऐसी पुत्री को कुटुम्ब पेंशन एक अभिभावक के माध्यम से दी जाएगी जैसे कि वह नाबालिग ही हो;

(4) मानसिक व्याघात से पीड़ित पुत्र अथवा पुत्री के मामले में, कुटुम्ब पेंशन सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी द्वारा अपने जीवन काल में कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई नामांकन प्रस्तुत नहीं किए गए होने की स्थिति में, ऐसे सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी के पति/पत्नी द्वारा, यथास्थिति, बाद में नामित व्यक्ति को देय होगी;

(5) ऐसे किसी पुत्र अथवा ऐसी किसी पुत्री को जीवनपर्यन्त कुटुम्ब पेंशन दिए जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी अपनी संतुष्टि कर ले कि विकलांगता ऐसे स्वरूप की है जिससे कि वह उसे अपनी आजीविका कमाने से रोकती है तथा ऐसी विकलांगता सिविल सर्जन के स्तर के चिकित्सा अधिकारी से हासिल प्रमाणपत्र द्वारा साक्ष्यांकित हो जिसमें बच्चे की मानसिक और शारीरिक हालत का यथासंभव सही-सही खुलासा हो; और

(6) ऐसा पुत्र/ऐसी पुत्री अथवा उसका अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, हर तीसरे वर्ष, सिविल सर्जन के स्तर के चिकित्सा अधिकारी से हासिल इस आशय का एक प्रमाणपत्र पेश करेगा/करेगी कि वह मानसिक विकार अथवा अपंगता से पीड़ित चल रहा/रही है अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा अशक्त चल रहा/चल रही है।

(ङ) पेंशन प्रदान किए जाने से संबद्ध कार्य विकेन्द्रीकृत है तथा इस बारे में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में केन्द्रीयकृत रूप से कोई अभिलेख (रेकॉर्ड) नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

राप्ती नदी के ऊपर पुल

2937. योगी आदित्यनाथ: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-28 पर राप्ती नदी के ऊपर पुल बनाने का काम शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना की निष्पादन प्रगति 25 प्रतिशत है और इस कार्य को मार्च, 2006 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

एम्स में आरक्षित कोटे को भरना

2938. श्री कैलाश बैठा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित डाक्टरों और कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षित कोटा भर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आरक्षित कोटे को कब तक भरे जाने की संभावाना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

2939. श्री मो. ताहिर: क्या **संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुल्तानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज विशेषकर ईरीभर टेलीफोन एक्सचेंज खराब रहता है और इसकी एस.टी.डी. सुविधा भी प्राय: बाधित रहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और एस.टी.डी. सुविधा के कब तक बहाल होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के निपटारे का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) कुरेभर टेलीफोन एक्सचेंज सहित, सुल्तानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एसटीडी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, कुरेभर टेलीफोन एक्सचेंज में एक्सचेंज की खराबी तथा एसटीडी सेवा में व्यवधान संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	खराबी		बहाली		टिप्पणी
	तारीख	समय (घंटे)	तारीख	समय (घंटे)	
1.	20.10.03	11.00	20.10.03	18.00	माध्यम में खराबी
2.	24.12.03	10.00	24.12.03	16.00	माध्यम में खराबी
3.	04.02.04	18.00	05.02.04	1.00	माध्यम में खराबी
4.	07.06.04	21.00	08.06.04	10.00	एक्सचेंज में खराबी

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर कार्य की प्रगति

2940. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के अंतर्गत केरल में थूपोली से कालरकोड तक की सड़क अभी तक अधूरी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर शेष कार्य पूरा होने के करीब है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के उक्त हिस्से के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य का आशय तुमपोली को कालरकोड को जोड़ने के लि रा.रा.-47 पर अलापुझा बाइपास के निर्माण से है। अलापुझा बाइपास की कुल लंबाई 7.58 कि.मी. है। 3.73 कि.मी. लंबा पहला चरण पूरा कर लिया गया है। 3.85 कि.मी. लंबे दूसरे चरण के लिए 20.05.2003 को प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा जनवरी, 2006 तक यह कार्य पूरा किया जाना है।

मादा भ्रूण हत्या के मामले

2941. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारिक रूप से मादा भ्रूण हत्या और लिंग निर्धारण के आधार पर गर्भपात के कितने मामले सामने आए हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पी एन डी टी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कितने डाक्टरों/क्लिनिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) मादा भ्रूण हत्या के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1999-2003 तक की अवधि के दौरान मादा भ्रूण हत्या की घटना का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पी एन डी टी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 415 मामले लंबित हैं। इनमें से 336 मामले केन्द्र के पंजीकृत न होने; 12 मामले रिकार्डों का रख-रखाव न करने; 21 मामले भ्रूण लिंग के बारे में बताने के संबंध में; 12 मामले पूर्व गर्भधारण/जन्म पूर्व लिंग चयन संबंधी सुविधाओं के विज्ञापन के संबंध में और 34 मामले अन्य उल्लंघनों से संबंधित हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2003 की अवधि के दौरान सूचित किए गए मादा भ्रूण हत्या के मामले

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्र	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3	8	0	0	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	1
4.	बिहार	4	1	0	0	1
5.	छत्तीगढ़	उ.न.	उ.न.	5	0	9
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	7	0	4	9	1
8.	हरियाणा	9	13	3	6	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	6	0
10.	जम्मू व कश्मीर	1	0	0	2	1
11.	झारखंड	उ.न.	उ.न.	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	1	1	7	0
13.	केरल	0	0	0	2	0
14.	मध्य प्रदेश	17	14	7	4	9
15.	महाराष्ट्र	13	41	17	10	8

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	1	0	0	0
21.	पंजाब	3	0	7	10	4
22.	राजस्थान	3	9	8	6	11
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	1	0
27.	उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.	0	0	0
28.	प. बंगाल	0	0	0	0	0
29.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	1	0	0	0
31.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	2	2	20	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35.	पांडीचेरी	0	0	0	0	0
	योग	61	91	55	84	52

तमिलनाडु में अंतरदेशीय जलमार्ग

2942. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के अंदर और बाहर यात्रियों और वस्तुओं के लिए चेन्नई और अन्य क्षेत्रों के बीच अंतरदेशीय जलमार्ग शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-मरक्कौणम नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को भरना

2943. श्रीमती परनजीत कौर गुलशन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों, संस्थानों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बैकलाग रिक्तियों सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे को भरने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार इसके लिए नियत समय सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सीधी भर्ती कोटे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि को अनुदेश 5 अगस्त, 2004 को जारी कर दिए गए हैं।

(ख) विशेष भर्ती अभियान की समय सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विशेष भर्ती अभियान की समय सूची

क्र.सं.	कार्रवाई	निर्धारित तारीख
1	2	3
1.	मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को अभियान का संचालन किए जाने के संबंध में अनुदेश जारी किया जाना।	16.08.2004 तक
2.	संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालयों/विभागों में 01.07.2004 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना को एकत्र किया जाना।	30.09.2004 तक
3.	संबंधित मंत्रालयों/विभागों/नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संबंधित भर्ती अभिकरणों को रिक्तियां सूचित करना।	1.11.2004 तक
4	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा विज्ञापन दिया जाना।	1.12.2004 तक
5.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा आवेदन-पत्रों/नामांकनों को प्राप्त किया जाना।	15.1.2005 तक
6.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा साक्षात्कारों/परीक्षाओं आदि का आयोजन।	15.3.2005 तक

1	2	3
7.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाना।	15.42005 तक
8.	चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाना।	16.5.2005 तक

अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच बस सेवा

2944. श्री अतीक अहमद: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिखों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच बस सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उक्त बस सेवा के नियमित रूप से कब तक चलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में परियोजनाओं हेतु आवंटन

2945. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल बजट आवंटन में से विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है;

(ख) गुजरात में आज की स्थिति के अनुसार विकासात्मक और गैर विकासात्मक परियोजनाओं पर बजट आवंटन की कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विकासात्मक परियोजनाओं के खर्च में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त वृद्धि को किस प्रकार से कम किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार द्वारा किया गया कुल योजना व्यय 24657.98 करोड़ रुपये था, जिसमें से 24640.74 करोड़ रुपये विकासात्मक परियोजनाओं (आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं) पर था और जो कुल व्यय का 99.93 प्रतिशत था। गैर-विकासात्मक परियोजनाओं (सामान्य सेवाओं) पर किया गया व्यय 17.24 करोड़ रुपये था और जो कुल व्यय का 0.07 प्रतिशत था।

(ख) वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च किए गए योजना आबंटन का प्रतिशत क्रमश: 99.98 प्रतिशत और 0.02 प्रतिशत था। वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान (संशोधित अनुमान) विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रतिशत व्यय क्रमश: 99.96 प्रतिशत और 0.04 प्रतिशत था।

(ग) जहां तक योजना व्यय का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विकासात्मक व्यय में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सी.जी.एच.एस. द्वारा पैनल में रखे गए निजी अस्पताल

2946. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता और दिल्ली में सी.जी.एच.एस. द्वारा पैनल में रखे गए निजी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन निजी अस्पतालों में सी जी एच एस के केवल उन लाभार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जो अग्रिम भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समझौता ज्ञापनों के उल्लंघन की बात सरकार के ध्यान में आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित है कि आपात-स्थिति के मामले में, मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी को भर्ती करने से इन्कार नहीं करेगा अथवा उससे अग्रिम की मांग नहीं करेगा और संबंधित रोगी को वैध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड प्रस्तुत करने पर क्रेडिट की सुविधाएं प्रदान करेगा। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल/नैदानिक केन्द्र विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं/जांचों/अन्वेषणों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमोदित अधिकतम दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए अपने बिल सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित विभाग को तथा पेंशनर लाभार्थियों के मामले में संबंधित अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

गैर-आपाती मामलों के लिए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत करने पर, मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल/नैदानिक केन्द्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर कार्डधारियों को क्रेडिट की सुविधा प्रदान करेगा।

(घ) जी, हां। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल ने एक आपाती मामले में अस्पताल में रोगी को भर्ती करने के लिए अग्रिम अदायगी की मांग की थी जबकि समझौता ज्ञापन के अनुसार अस्पताल के रोगी को उससे किसी अग्रिम की मांग किए बगैर भर्ती करना चहिए था।

(ङ) संबंधित अस्पताल को आपात स्थिति में भर्ती किए गए लाभार्थी को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार क्रेडिट की सुविधा देने की सलाह दी गई थी।

विवरण

मंत्रालय के दिनांक 7 सिम्बर, 2001, 6 मई, 2002, 14 मई, 2002, 15 मार्च, 2002, 2 अगस्त, 2002 और 26 अगस्त, 2002 का कार्यालय ज्ञापन सं. आर.ई.सी.-24/2001/जेडी(एम)/सी.जी.एच.एस./दिल्ली/सी.जी.एच.एस.(पी) और मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 2003 तथा 22 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. आर.ई.सी.-24/2001-2002/जेडी(एम)/सी.जी.एच.एस./दिल्ली/सी.जी.एच.एस.(पी) द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त
1	2	3
1.	सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल रोड, नई दिल्ली-60	कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रकियाएं, रीनल प्रक्रिया, रीनल ट्रांसप्लान्टेशन, गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी प्रक्रियाएं, लीवर ट्रांसप्लान्टेशन और जेनेटिक लैब प्रक्रियाएं
2.	सुंदर लाल जैन अस्पताल, अशोक विहार, फेज-3, नई दिल्ली	सामान्य, विशिष्ट प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर) और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	तीरथ राम शाह अस्पताल, तीस हजारी के निकट, बैटरी लेन, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
4.	संत परमानन्द अस्पताल, 18 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर, नैदानिक

1	2	3
5.	जीवन माला अस्पताल, 67/1, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन कार्डियक सर्जरी को छोड़कर नैदानिक
6.	मोहन नेत्र संस्थान,11-बी, गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन-आप्थेलमोलॉजी
7.	कैंसर अस्पताल, ए एच-11, शालीमार बाग, दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन मिनिमम इनवेसिव सर्जरी (लेप्रोस्कोपिक)
8.	सरोज अस्पताल, मधुबन चौक, रोहिणी, दिल्ली-85	सामान्य प्रयोजन, नैदानिक और नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
9.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, ब्लाक डी, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली-52	भौतिक-चिकित्सा, परम्परागत विकिरण विज्ञान एवं लेब.
10.	मिलेनियम अस्पताल, बी-1/1, पूसा रोड, नई दिल्ली	सामान्य तथा नैदानिक प्रयोजन
11.	आर.बी. सेठ जेसा राम और ब्रादर्स चैरिटेबल अस्पताल, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन
12.	जीवन नर्सिंग होम और अस्पताल, 2-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सामान्य सर्जरी
13.	न्यू दिल्ली स्कैन इंस्टीच्यूट, (सर गंगा राम अस्पताल) राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	सीटी
14.	नार्थ एम आर स्कैन रिसर्च इंस्टीच्यूट, सर गंगाराम अस्पताल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	एम आर आई
15.	महाजन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डेनसिटोमेट्री सेंटर, सर गंगाराम अस्पताल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	न्यूक्लियर चिकित्सा एवं बोन डेंसिटोमेट्री
16.	सी डी डायग्नोस्टिक (सुंदर लाल जैन अस्पताल), अशोक विहार, फेज-3, दिल्ली	सीटी
17.	मेट्रो हैल्थ केयर सेंटर (तीरथ राम शाह अस्पताल) तीस हजारी के नजदीक, बैटरी लेन, नई दिल्ली	सीटी
18.	सिद्धार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, सिद्धार्थ कैट स्कैन स्पेसिलिटी, 2169, शादी खाम पुर, मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	यू एस जी, सीटी और प्रयोगशाला
19.	शालीमार डायग्नोस्टिक सेंटर, एडी-130ए, शालीमार बाग, दिल्ली	पंरपरागत विकिरण विज्ञान और प्रयोशाला
20.	डा. एस.एस. डोडा अल्ट्रासाउंड सेंटर, 23-बी पूसा रोड, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, यू एस जी और मैम्मोग्राफी
21.	जैएमआर इंस्टीच्यूट आफ इमेजिंग एंड रिसर्च सेंटर, 35-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	सी टी और एम आर आई
22.	नार्थ दिल्ली पैथ क्लिनिक, 56-ए, कमला नगर, दिल्ली	प्रयोगशाला
23.	डा. लाल पैथ लैब (प्रा.) लिमिटेड, एस्की होम, 54 हनुमान रोड, नई दिल्ली	लैब
24.	दीवानचंद सत्यपाल अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर, 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सभी रेडियोलोजिकल जांचें और न्यूक्लियर मेडिसिन

1	2	3
25.	मिलेनियम बोन डेन्सिटोमेट्री एंड ओस्टियोपोरोसिस रिसर्च सेंटर, 47, पूसा रोड, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमिट्री
26.	सरल एडवांस्ड डायग्नोस्टिक(पी.) लिमिटेड, ई-1073, सरस्वती विहार, पीतमपुरा एंड 2, शक्ति विहार, पीतमपुरा, दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, यू एस जी, सी टी, एस आर आई और प्रयोगशाला
27.	डा. सुरी लैब प्राइवेट लिमिटड, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
28.	डा. हांडा इमेजिंग सेंटर, 34-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	एक्सरे, ओपीजी, यूएसजी, कलर, डोप्लर, ममोग्राफी
29.	मैक्स मेडसेन्टर-नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक, ए-2, 3 एंड 4, नेताजी सुभाष प्लेस वजीरपुर जिला केन्द्र, दिल्ली-32	नैदानिक प्रयोगशाला
30.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-25	कार्डियो वास्कुलर शल्य चिकित्सा, इन्वेसिव एवं नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी और पैडिट्रिक कार्डियोलाजी
31.	इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, दिल्ली-44	सभी विकिरण विज्ञानी जांचें और न्यूक्लियर चिकित्साएं, लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा, डायलिसिस, मूत्र विज्ञान, अंग प्रतिरोपण (रीनल, जिगर) लिथोट्रिप्सी, ज्वायंट प्रतिस्थापन, रेडियेशन थिरेपी, कार्डियोलाजी, कार्डियक शल्य चिकित्सा, कार्डियो थोरेसिक, वास्कुलर शल्य चिकित्सा
32.	बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 1 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62	कार्डियक प्रक्रियाएं जैसे सी ए जी, सी ए बी जी, पी टी सी ए, ई पी स्टडी, कार्डियो वास्कुलर प्रक्रियाएं, एम आर आई, सी टी, इमेजिंग, केमोथिरेपी और कैंसर रेडिएशन थिरेपी
33.	इंडियन स्पाइनल इन्जुरी सेंटर, 50-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली	विशिष्टता एवं डायग्नोस्टिक (स्पाइनल इन्जुरी, स्पाइन और फिजियो थेरेपी से जुड़े रोग)
34.	पुष्पावती सिंघानियां रिसर्च इंस्टीच्यूट, प्रेस इन्क्लेव मार्ग, शेख सराय, नई दिल्ली-17	लीवर, रेनल और डायजेस्टिव रोग के लिए विशिष्ट प्रयोजन
35.	आर जी स्टोन यूरोलाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफ-7, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी
36.	मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, 14, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	विशिष्ट प्रयोजन—कार्डियोलॉजी, कार्डियक एंड वास्कूलर सर्जरी और संबद्ध डायग्नोस्टिक
37.	नार्थ प्वांइट अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड, एस 357, पंचशील पार्क , नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी
38.	द हार्ट सेंटर, 2 रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	नॉन इन्वैसिव कार्डियक प्रक्रिया
39.	सेंटर फार साइट, ए-23, ग्रीन पार्क, अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली-16	आप्थलमोलोजी
40.	मजिदा अस्पताल, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर,	डायग्नोस्टिक प्रयोजन
41.	जी.एम. मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर फार मेडिकल सांइसेज, मंदिर मार्ग, प्रेस इन्कलेव के पास, साकेत, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया

1	2	3
42.	आर्थोनोव्रा हास्पिटल, सी-5/29, एस.डी.ए. के पीछे, मेन आईटीआई गेट, नई दिल्ली-16	आर्थोपैडिक, ट्रामा एवं क्रिटीकल केयर
43.	नेनू आई इंस्टीट्च्यूट एण्ड रिसर्च, 1/31, शेख सराय इंस्टीट्च्यूशनल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली	नेत्र संबंधी प्रयोजन
44.	प्रेसिजन डेन्टल केयर, सी-159, सरिता विहार, नई दिल्ली	कोस्मैटिक दंत चिकित्सा परिचर्या को छोड़कर, डे-केयर दंत चिकित्सा उपचार
45.	मैक्स मेडिकल सेंटर, एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-17	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सीटी, एम आर आई, मैमोग्राफी, यूएसजी, इको होल्टर, पी एफटी, आडियोमिट्री और स्पीच थेरेपी
46.	जी एम आर इंस्टिट्च्यूट एंड एम आर आई स्कैन सेंटर, ए-13, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	एम आर आई
47.	ओरगन इमेजिंग रिसर्च सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली	सी टी और एम आर आई
48.	डा. पी भसीन पैथ लैब, एस-13, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली	लैब
49.	एन एम सी इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर (विमहांस कैम्पस), 1, इंस्टीट्च्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली	सी टी, एम आर आई, कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू एस जी और लैब
50.	कर्नल पंत इमेजिंग सेंटर, ए-22, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	यू एस जी, मैमोग्राफी
51.	दिल्ली एम आर और सीटी स्कैन, (एसलोक हास्पिटल), 25-ए/एबी, एस.जे. एन्क्लेव, नई दिल्ली	एम आर आई, सी टी और यू एसजी
52.	बसंत विजन एक्स-रे और यूएसजी क्लीनिक, टी-9/4, बंसत विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, यू एस जी
53.	स्पेशिलिटी रेनबेक्सी लिमिटेड, सी/ओ, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, सेक्टर-सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली	लैब
54.	कोहली इमेजिंग और डायग्नोस्टिक, 70, मांउट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डोप्लर
55.	सांघी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस-51, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
56.	फोकस इमेजिंग और रिसर्च सेंटर प्राइवेट, लिमिटेड 47/1-2, मेन यूसूफ सराय मार्किट, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली	एम आर आई
57.	डा. एम.एल. अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक, ए/1/150, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली	एक्सरे एवं यू एस जी
58.	साऊथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे क्लीनिक, ए-44, हौज खास, नई दिल्ली	एक्सरे, ओ पी जी यू एस जी, कलर डाप्लर, मैमोग्राफी
59.	दी क्लीनिकल लैबोरेटरी, ई-13/9, वसंत विहार, नई दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच

1	2	3
60.	श्री राम सिंह अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, बी-25-2626ए, ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली	केवल सामान्य प्रयोजन के लिए
61.	आनन्द अस्पताल, 21 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली	विकिरण चिकित्सा एवं हीमो-डायलिसिस
62.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली	कैंसर निदान, केमोथिरेपी, रेडियेशन, पैलिएटिव प्रक्रिया, पुनर्वास और सामान्य नैदानिक प्रयोजन
63.	गामी डाइयोगनोस्टिक सेंटर, गुजरात विहार, विकास मार्ग, दिल्ली	प्रयोगशाला संबंधी जांच
64.	डा. सविता जैन अरुण इमेजिंग सेंटर, डी-29, विवेक विहार, दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियालोजी, सीटी और एम आर आई
65.	डा. आनंद इमेजिंग और न्यूरोलोजिकल सेंटर, एफ-24, प्रीत विहार दिल्ली	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सीटी और एम आर आई
66.	माता चन्ना देवी अस्पताल, सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन और डायलिसिस, नान-इनवैसिव कार्डियक प्रोसिजर, डायग्नोस्टिक, कार्डियक सर्जरी को छोड़कार
67.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, रोड सं. 35, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26	सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोजन डायलिसिस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नान-इन्वेसिव कार्डियक प्रोसिजर आदि, डायग्नोस्टिक (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर)
68.	राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-5, रोहणी, दिल्ली	कैंसर डायग्नोसिस, कैंसर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी
69.	जयपुर गोल्डन हास्पिटल, 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, रोहणी, नई दिल्ली	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन (कार्डियक सर्जरी को छोड़कर सीएबीजी, एंजीयोग्राफी तथा कार्डियो थोरेसिस सर्जरी सहित) और नैदानिक (सीटी छोड़कर)
70.	इण्डियन स्पाइनल इन्जयरी केन्द्र, 50-सी, वंसत कुंज, नई दिल्ली	विशिष्ट तथा नैदानिक (स्पाइनल इंजरी, स्पाइन्स और फिजीयोथिरेपी से संबद्ध रोग)
71.	नासा स्कैन सेंटर, 38, पॉकेट-सी-9, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली	लेब, एक्सरे, यूएसजी, कलर डोप्लर, एमआरआई को छोड़कर सीटी
72.	गणेश डाइयागनोस्टिक और इमेजिंग सेंटर, 109, पॉकेट-ए-1, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली	एक्सरे यूएसजी, सीटी, एमआरआई
73.	सचदेवा डाइयोगनोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ई-991, सरस्वती विहार, दिल्ली	विशेष जांच सहित एक्सरे, यूएसजी, कलर डोप्लर, बोन डेन्सीटोमेट्री
74.	डा. चोपड़ा बोन डेनसिटोमेट्री सेंटर और लैब, 2, राजौरी पैलेस, जे 1/162, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमेट्री
75.	जनता एक्स-रे क्लीनिक, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	परंपरागत विकिकरण विज्ञान, सीटी, एम आर आई, मैम्मोग्राफी, यू एस जी और कलर डाप्लर एवं प्रयोगशाला
76.	राष्ट्रीय सी टी स्कैन एवं नैदानिक केन्द्र, 17, एन.डब्ल्यू.ए., पंजाबी बाग, क्लब रोड, नई दिल्ली।	कलर डाप्लर एवं इको

1	2	3
77.	सीटी एक्सरे एंड स्कैन सेंटर, 4बी/5, तिलक नगर, नई दिल्ली	परंपरागत विकिरण विज्ञान, सीटी, मैम्मोग्राफी, यू एस जी और कलर डोप्लर एवं प्रयोगशाला
78.	कल्याणी अस्पताल(प्रा.) लिमिटेड, 354/2, मेहरौली रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
79.	डा तनेजा अस्पताल, 113-ए, न्यू कालोनी, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
80.	शीतला अस्पताल और आई इंस्टिट्च्यूट प्राइवेट लिमिटेड, डीएसटी कालेज के पास, नई रेलवे रोड, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन
81.	उमकल हास्पिटल एण्ड एम.पी. हार्ट रिसर्च इंस्टीट्च्यूट, ए-520, सुशान्त लोक-1, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया
82.	मार्डन डायग्नोस्टिक और रिसर्च सेंटर, 363/4, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव (जवाहर नगर)	कन्वेंशनल रेडियोलोजी, सीटी और लैब
83.	उमा संजीवनी हेल्थ सेन्टर, 1, दक्षिण मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज-2, गुड़गांव	नैदानिक प्रयोगशाला (लैब)
84.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल, मोहन नगर, गाजियाबाद	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन जिसमें नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया कार्डियक सर्जरी शामिल है और नैदानिक
85.	संतोष मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अस्पताल, 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
86.	यशोदा अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, 3-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक और नॉन इनवैसिव कार्डियोजोजी, इको, कलर डोपलर, टीएमटी, सीटी स्कैन
87.	यू.पी. स्टोन एंड यूरोलॉजी सेंटर, 2-ए/40, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001	लिथोट्रिप्सी
88.	मेट्रो अस्पताल एंव हार्ट इस्टीट्च्यूट, X-1, सेक्टर-12, सी-94, सेक्टर-11, नोएडा	सामान्य और विशिष्ट प्रयोजन-कार्डियोलोजी, कार्डियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं
89.	कैलाश अस्पताल एंव रिसर्च सेंटर, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया (कार्डियक इन्वैसिव प्रक्रिया और कार्डियक सर्जरी#)
90.	नोएडा मेडिकेयर सेंटर, 16-सी, ब्लाक-ई, सेक्टर-30, नोएडा	सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन और नैदानिक, नॉन इनवैसिव कार्डियक प्रक्रिया
91.	सत्या मेडिकल सेंटर, ए-98/ए, सेक्टर-34, नोएडा	केवल सामान्य प्रयोजन
92.	प्रकाश अस्पताल, डी-12, 21ए, 12बी, सेक्टर-33, नोएडा	सामान्य प्रयोजन
93.	नोएडा डायग्नोस्टिक सेंटर, डी-4, सेक्टर नं. 20, नोएडा	कन्वेंशनल रेडियोलोजी एंड लैब
94.	एस्कोर्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर लि., नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद	सामान्य/विशेषज्ञ प्रयोजन तथा नैदानिक प्रयोजन, कार्डियक सर्जरी को छोड़कर
95.	फरीदाबाद सीटी स्कैन सेंटर, नीलम चौक, फरीदाबाद	सी टी

#22 मार्च, 2004 से।

दिनांक 20 जनवरी, 2004 के मंत्रालय के का.ज्ञा. संख्या एस. 11011/33/2001-सीजीएचएस डेस्क-II/सीजीएचएस-(पी) के तहत सीजीएचएस, कोलकाता के अंतर्गत मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों की सूची

क्र.स.	अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त है
1	2	3
1.	सुरक्षा अस्पताल (सुश्रुत क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड), जेसी. 16 एवं 17, सैक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	सीटी स्कैन और एमआर आई सहित बहुविषयक विशिष्ट उपचार।
2.	पीयरलेस हास्पिटल एंड बी.के. राय रिसर्च सेंटर, 360, पंनसायर, कोलकाता	न्यूरोसर्जरी तथा कार्डियोथोरेसिस सर्जरी में एमआरआई तथा विशिष्ट उपचार को छोड़कर सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं।
3.	रूबी जनरल अस्पताल लिमिटेड, कस्बा गोलपार्क, ईएम बाइपास, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन तथा एमआरआई को छोड़कर सामान्य प्रयोजन/विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं।
4.	बी.एम. बिड़ला हार्ट रिसर्च सेंटर नेशनल लाइब्रेरी एवेन्यु, कोलकाता।	कार्डियोलाजी तथा कार्डियोथोरेसिस सर्जरी के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं।
5.	सुश्रुत आई फांउडेशन एंड रिसर्च सेंटर, एचबी-/36/ए, सैक्टर-3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	केवल नेत्र-विज्ञान के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं।
6.	सिल्वरलाईन आई हास्पिटल, 396, प्रिंस अनवर शाह रोड़, कोलकाता	केवल नेत्र-विज्ञान के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं।
7.	शंकरनाथ डायलिसिस सेंटर एंड नर्सिंग होम, स्विस पार्क, कोलकाता	केवल डायलिसिस (हीमोडायलिसिस) के लिए विशिष्ट उपचार।
8.	रवीन्द्र नाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक सांइसेज, 124, मुकन्दपुर, संतोषपुर कनेक्टर के निकट, कोलकाता	केवल कार्डियोलाजी तथा कार्डियोथोरेसिस के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं।
9.	वोकहार्डट हास्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट, 111-ए, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता	लिथोट्रिप्सी तथा रीनल रोगों के लिए विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाएं।
10.	द कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीटच्यूट 7/2, डायमंड हार्बर रोड, कोलकत्ता	केवल एमआरआई एवं सीटी स्कैन सहित सीटी स्कैन सहित सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं।
11.	बेहाला बालनंद ब्रह्मचारी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 151 एवं 153, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता	सामान्य प्रयोजन उपचार नैदानिक प्रक्रियाएं।
12.	राम कृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, 99, शरत बोस रोड, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन सहित सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं।

1	2	3
13.	एपोलो ग्लेनीगल्स हास्पिटल लिमिटेड, 58, कनाल सर्कुलर रोड़, कोलफाता	केवल सामान्य प्रायोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं।
14.	एएमआरआई अपोलो हास्पिटल, धकूरिया ब्रिज, कोलकाता	केवल एमआरआई सहित सामान्य प्रयोजन उपचार एवं नैदानिक प्रक्रियाएं।
15.	वेस्ट बैंक हास्पिटल, अंदुल रोड, हावड़ा कोलकाता	केवल मामान्य प्रयोजन एवं नैदानिक प्रक्रियाएं
16.	सुरक्षा नैदानिक एवं नेत्र अनुसंधान प्रा.लि., फूलबागान, कोलकाता	केवल यूएसजी एवं सीटी स्कैन सहित पैथालोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं।
17.	बेले क्यू क्लीनिक, ब्रह्मचारी रोड, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन सहित पैथोलोजिकल, कार्डियोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं।
18.	पाथो ट्रीट नैदानिक केन्द्र एवं पोली क्लीनिक, दमदम रोड़, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें, एक्स-रे एवं यूएसजी।
19.	नाटिंगेल नैदानिक एवं मेडीकेयर केन्द्र प्रा. लि., शेक्सपीयर सारानी, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं।
20.	क्लीनिकल लैबोरेट्रीज प्रा. लि., चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता	केवल पैथोलोजिकल जांचें।
21.	मेडी क्लू अनुसंधान एवं नैदानिक, चौरंगी रोड़, कोलकाता	केवल यूएसजी सहित केवल पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं।
22.	ईस्टर्न नैदानिक एवं मेडिकल सेंटर लि., मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कोलकाता	सीटी स्कैन एमआरआई सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं।
23.	रिलायंस डायग्नोस्टिक्स, साल्टलेक सिटी, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें, एक्स-रे एवं यूएसजी
24.	वेल्किन मेडिकेयर प्रा.लि., 1699, गरिया स्टेशन रोड़, कोलकाता	केवल यूएसजी सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
25.	नॉर्थ सिटी नैदानिक एवं अनुसंधान केन्द्र (प्रा.)लि., कैनल बैस्ट रोड, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन एवं एमआरआई सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
26.	कलकत्ता हार्ट अनुसंधान केन्द्र, सरत बोस रोड, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
27.	स्वास्तिक मेडिकेयर डायग्नोस्टिक्स रिसर्च सेंटर, 31, पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता	केवल यूएसजी सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
28.	मां दुर्गा नैदानिक एवं अनुसंधान संस्थान, सीआईटी स्कीभ नं. 7 एम, कोलकाता	केवल यूएसजी सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं
29.	एन.जी. मेडिकेयर एवं कलकत्ता होप, राम बिहारी एवेन्यू, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल इनफर्टिलिटी क्लिनिक जांचें, एक्स-रे, यूएसजी एवं सीटी स्कैन।

1	2	3
30.	मेडीनोवा नैदानिक सेवाएं लि., शरत चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता	केवल सीटी स्कैन सहित पैथोलोजिकल एवं रेडियोलोजिकल प्रक्रियाएं।
31.	ईस्टर्न मेडिकल एवं अनुसंधान संस्थान, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	केवल पैथोलोजिकल जांचें।

गुवाहाटी-नलबाड़ी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2947. श्री राजेन गोहेन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरी को कम करने के मद्देनजर गुवाहाटी-नलबाड़ी राजमार्ग बरास्ता हाजो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नागांव-होजई राजमार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) गुवाहाटी-नलबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बरास्ता हाजो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रोत्साहन आधारित जनसंख्या नियंत्रण उपाय

2948. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफल बनाने हेतु इन्हें प्रोत्साहन आधारित बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सभी सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निगरानी हेतु कोई तंत्र गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (एनपीपी, 2000) में प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों की स्वैच्छिक एवं सूचित इच्छा और सहमति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। बहरहाल, छोटा परिवार मानक को अपनाने के लिए बंध्याकरण हेतु क्षतिपूर्ति, मातृत्व लाभ स्कीम, बालिका समृद्धि योजना, आदि जैसे प्रोत्साहित और प्रेरित करने वाले उपाय लागू हैं। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें भी विभिन्न विकासात्मक स्कीमों में परिवार कल्याण अपनाने वालों को प्राथमिकता देती हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस)के कार्यान्वयन की रीति केन्द्रीय सरकार के संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनायी जाती है। सीएसएस का कार्यान्वयन अंतत: राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है तथा इसकी मानीटरिंग राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। योजना आयोग अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्र की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों के सामयिक एवं कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सदस्य की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों की तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) करता है। योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना विचार-विमर्श और मध्यावधि मूल्यांकन भी किया जाता है जिसके द्वारा इन स्कीमों की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) भी समय-समय पर केन्द्र प्रायोजित-स्कीमों सहित चयनित योजनाओं/स्कीमों का मूल्यांकन करता है।

बी एस एन एल के कार्यकलापों का निजीकरण

2949. श्री परसुराम माझी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के कुछ कार्यकलापों का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बी.एस.एन.एल. के वे कौन से क्षेत्र हैं जिनकी पहचान निजीकरण करने के लिए की गई है;

(ग) इन कार्यकलापों को निजी क्षेत्र में सौंपने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकार के पास बीएसएनएल के कार्यकलापों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि का आवंटन

2950. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक संगठन को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विषैले पदार्थों का दुष्प्रभाव

2951. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बच्चों को रंगों और कंप्यूटरों में प्रयोग में किए जाने वाले विषैले पदार्थों के खतरनाक दुष्प्रभावों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन विषैले तत्वों द्वारा किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इन घटकों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मनोरोगियों की संख्या में बढ़ोतरी

2952. श्री निहाल चन्द : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में मनोरोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है जैसाकि 24 जुलाई, 2004 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) पुरुषों और महिला के रोगियों के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुरुषों की तुलना में महिला रोगियों की संख्या अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) हमारे देश में उपचार के लिए अस्पतालों/पुनर्वास केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसे रोगियों की मदद व इलाज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की संख्या जनांकिकीय तत्वों में परिवर्तनों जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि तथा विश्वभर में अवसाद (डिप्रेशन) की दर में समग्र वृद्धि के कारण बढ़ रही है।

जानपदिक विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि जनसंख्या का 1 से 2% भाग बड़े मानसिक विकारों तथा 5 से 10% भाग छोटे मानसिक विकारों से पीड़ित है।

(ग) से (ङ) मानसिक रोगियों की संख्या से संबंधित राज्यवार तथा लिंगवार आंकड़े केन्द्रीय आधार पर नहीं रखे जाते हैं।

(च) सरकारी क्षेत्र में 37 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं:- आंध्र प्रदेश-2; असम-1; दिल्ली-1; गोवा-1; गुजरात-4; जम्मू-2; झारखंड-2; कर्नाटक-2; केरल-3; मध्य प्रदेश-2; महाराष्ट्र-4; नागालैंड-1; पंजाब-1; राजस्थान-1; तमिलनाडु-1; उत्तर प्रदेश-3; पश्चिम बंगाल-6। देश में 120 से अधिक निजी मनश्चिकित्सीय अस्पताल हैं। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 50 पुनर्वास केन्द्र हैं। अनेक सरकारी मेडिकल कालेजों में मनश्चिकित्सा विभाग हैं।

(छ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार ने देश में 100 जिलों को कवर करने हेतु जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का बिस्तार करने; सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों तथा साथ ही मेडिकल कालेजों की मनश्चिकित्सीय शाखाओं को सुदृढ़ करने; तथा सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यकलाप, अनुसंधान प्रशिक्षण आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। इन उपायों से देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

2953. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्छ टेलीफोन एक्सचेंज के अंतर्गत कितने गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या इस एक्सचेंज ने कनेक्शन प्रदान कराने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों का निर्धारण किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैजलाढाव बिछारिया, पडारिया, नेतन्द और कदोडीह जैसे आसपास के क्षेत्रों में कनेक्शन उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) झारखंड में कोडरमा जिले के मरकच्छ टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत तीन गांवों नामत: जुमआ, मरकच्छ, शाहगंज में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिलहाल तारशुदा लाइनों और डब्ल्यूएलएल प्रणाली पर कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

अंगों के प्रत्यारोपण के लिए कानून

2954. श्री एम. अप्पादुराई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अंगों के प्रत्यारोपण के लिए एक समान प्रभावी कानून बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों को दिमागी मृत्यु और अंगदान के संबंध में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया है।

(ख) सरकार ने मानव अंगदानों, मानव अंगों के निष्पक्ष तथा न्यायसंगत वितरण और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में प्रतिरोपण कार्यक्रम को सुकर बनाने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सुविधा तथा नोडल केन्द्र के रूप में आर्गन रिट्रीवल एंड बैंकिंग आर्गेनाइजेशन (ओर आर बी ओ) गठित किया है। देश के विभिन्न भागों में कुछ गैर-सरकारी संगठन भी अंगदान को बढ़ावा दे रहे हैं।

ओ.आर.बी.ओ. प्रतिरोपण की अपेक्षा वाले मरणासन्न रोगियों की प्रतिक्षा सूची, दाता पंजीयन, दाता के साथ प्रापकों का तालमेल, अंगों के प्रमाण से लेकर प्रतिरोपण तक समन्वय, संबद्ध सभी अस्पतालों, संगठनों तथा व्यक्तियों को सूचना का प्रचार-प्रसार, जागरूकता पैदा करने, अंगदान को बढ़ावा देने तथा प्रतिरोपण संबंधी कार्यकलापों का अनुरक्षण कर रहा है। दिल्ली में अंगदान तथा प्रतिरोपण की प्रक्रिया के सुप्रवाही कार्यकरण तथा समन्वय के लिए ओ.आर.बी.ओ. के साथ 15 अस्पतालों (सरकारी, सार्वजनिक एवं धर्मार्थ) का नेटवर्क बनाया गया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लंबित प्रस्ताव

2955. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3.04 करोड़ रु. की लागत से कुल्लू में रामशिला-बिजाली महादेव रोड के शेष कार्य को पूरा करने, 4.03 करोड़ रु. की लागत से थिमाग-कोटखेर-हटकोटी सड़क का दोहरीकरण, 448.35 लाख रु. लागत से मनाली

बाइपास का निर्माण और चक्की पुल के निर्माण संबंधी चार प्रस्तावों को केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है और आज की तारीख तक इन्हें लंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुल्लू में रामशिला-बिजाली महादेव रोड एक ग्रामीण सड़क है और इसे केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृति नहीं दी जा सकती इसलिए यह प्रस्ताव राज्य लोक निर्माण विभाग को वापस कर दिया गया है। थियाग-कोटखेर-हटकोटी सड़क को 4.03 करोड़ रु. की लागत से दो लेन का बनाने का प्रस्ताव 5.1.2004 को स्वीकृत कर दिया गया है। मनाली बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव 29.3.2004 को राज्य लोक निर्माण विभाग को वापस कर दिया गया है क्योंकि यह कार्य वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया गया था। राज्य लोक निर्माण विभाग चक्की पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया में है। भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् धनराशि की उपलब्धता और परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चक्की पुल के निर्माण प्राक्कलन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाना

2956. श्री अधीर चौधरी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लघु उद्योग अपने आपको बचाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योग देश के मौजूदा निर्यातों में निरन्तर लगभग 34% का योगदान कर रहे हैं, जो कि विदेश मार्किटों में उनकी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। सरकार ने लघु उद्योग सेक्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा निर्यातों हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणन की अधिप्राप्ति के संबंध में सहायता स्कीम, गुणवत्ता पुरस्कार, निर्यात सम्बद्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सब्सिडाइजिंग भागीदारी, इसके अलावा, क्रेडिट की सुगम पहुंच के सुनिश्चय के संबंध में कदम उठाए गए हैं, 25 लाख रु. तक के कोलैट्रल मुक्त ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजीगत सहायता, सुधरी हुई बुनियादी संरचना तथा लघु उद्योग एम.डी.ए. स्कीम के तहत विदेशी मेलों में भाग लेने, अध्ययन दौरे तथा विदेशों में प्रचार सामग्री के सृजन हेतु वैयक्तिक सहायता प्रदान करना है।

तमिलनाडु में स्वास्थ्य योजनाएं

2957. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में क्रियान्वित की गई केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और योजनाओं के और विस्तार हेतु केन्द्र सरकार से और अधिक धन प्राप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में संचारी और गैर-संचारी रोगों यथा—मलेरिया, टी.बी., कुष्ठरोग, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य के नियंत्रण के लिए विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य में राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकार कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के लिए क्षमता निर्माण और सरकारी मेडिकल कालेजों में निदान सुविधा तथा ड्रग-डि-एडिक्शन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई भी अनुरोध स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, योजना आयोग में तमिलनाडु सरकार की ओर से डा. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई में नए पुस्तकालय के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने संबंधी अनुरोध 2004-05 के दौरान प्राप्त हुआ था। चूंकि यह निर्माण गतिविधि के लिए सहायता प्राप्त करने के संबंध में था, अत: अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधी इस अनुरोध पर योजना आयोग सहमत नहीं हुआ।

एम.टी.एन.एल. की दोषपूर्ण दूरभाष सेवाएं

2958. श्री बीर सिंह महतो:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. दिल्ली की दूरभाष सेवाओं को देश की अन्य दूरभाष सेवाओं की तुलना में ज्यादा दोषपूर्ण पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) एम.टी.एन.एल. की दूरभाष सेवाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। एमटीएनएल, दिल्ली की टेलीफोन सेवाएं देश की अन्य टेलीफोन सेवाओं की तुलना में कमोबेश समान स्तर की ही हैं।

(ग) एमटीएनएल, दिल्ली ने टेलीफोन सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) ई 10-बी प्रौद्योगिकी स्विचों को अत्याधुनिक डिजिटल एक्सचेंजों से बदलना।

(2) पांच वर्ष से अधिक पुराने अथवा दो बार से अधिक मरम्मतशुदा टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलना।

(3) ज्यादा रिमोट स्विच यूनिट/रिमोट लाइन यूनिट/कन्सेन्ट्रेटिड लाइन उपस्कर/डिजिटल लूप कन्सेन्टेर इत्यादि की योजना बनाकर बाह्य संयंत्र का पुनर्निर्माण करना तथा उपभोक्ता लूप लेंग्थ कम करना।

(4) पेपर कोर भूमिगत केबलों को जैली-भरे केबल/ऑप्टिकल फाइबर केबल से बदलना।

(5) कॉरडैक्ट, डब्ल्यूएलएल, पीएएस सहित बेतार प्रौद्योगिकी की शुरुआत।

(6) एमटीएनएल, सेल्यूलर मोबाइल तथा डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने के लिए भी अनेक उपाए किए हैं।

[हिन्दी]

विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

2959. श्री छत्तर सिंह दरबार:
श्री ब्रह्मानंद पंडा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान करने का है, जैसाकि उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के मामले में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) कुछ राज्यों को 'विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा' निर्धारित मानदण्ड के आधार पर, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक अवस्थिति होना, पर्वतीय क्षेत्र, अपर्याप्त आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना, जनजातीय जनसंख्या की प्रचुरता और विकास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित और कमजोर संसाधन आधार शामिल हैं, प्रदान किया गया है।

(ख) जी, नहीं। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि वे उपर्युक्त (क) पर निर्दिष्ट सभी मानदण्डों को पूरा करते हैं। उड़ीसा राज्य को 'विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा' प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मध्य प्रदेश उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट सभी मानदण्डों को पूरा नहीं करता।

राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाना

2960. श्री अजीत कुमार सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरा-सासाराम राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने का प्रस्ताव कई वर्षों से योजना आयोग से पास लंबित पड़ा है;

(ख) क्या इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता के पास यातायात हेतु इस सड़क का कोई विकल्प नहीं है;

(ग) क्या यह राज्य राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और सरकार द्वारा वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की मंशा इस राज्य राजमार्ग को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के प्रस्तावों पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। पिछली बार दिनांक 25.2.2004 को नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बाद बिहार सरकार से आरा-सासाराम राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव इस मंत्रलाय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) आरा-सासाराम सड़क एक राज्यीय सड़क है और इसके विकास एवं अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। एक वैकल्पिक रूट और इसकी मरम्मत का विषय इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

(घ) और (ङ) आरा-सासाराम राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एमटीएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2961. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के कारण एम.टी.एन.एल. के और कार्य सक्षम होने और इस क्षेत्र में अन्य कंपनियों से स्पर्धा करने की संभावना है;

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान पर एम.टी.एन.एल. की वित्तीय देनदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों को भुगतान करने के पश्चात् एम.टी.एन.एल. को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) फिलहाल, एमटीएनएल में कोई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वीआरएस) पैकेज कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वाडिनार क्षेत्र को पत्तन सीमा से अलग करना

2962. श्री महेश कनोडीया:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाडिनार क्षेत्र को कांडला पत्तन न्यास की पत्तन सीमा से अलग करने के संबंध में तथा इसे गुजरात सरकार को वापस करने के गुजरात सरकार के लम्बे समय से किए जा रहे अनुरोध के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) गुजरात सरकार को हुए वाणिज्यिक घाटे की पूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा वाडिनार को सलाया लघु पत्तन की परिसीमा से निकाल दिए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने की और भारत सरकार द्वारा इसे कांडला पत्तन की परिसीमा में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, वाडिनार, कांडला पत्तन की परिसीमा में शामिल किया गया। दोनों सरकारों, अर्थात्, भारत सरकार और गुजरात सरकार, द्वारा जारी की गई उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार, कॉडला पत्तन न्यास को वाडिनार पत्तन का क्षेत्राधिकार सौंप दिया गया है और इस प्रकार, वाडिनार पत्तन, कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। चूंकि वाडियार, कांडला पत्तन न्यास का एक अभिन्न अंग है, अत: वाडिनार पत्तन को राज्य सरकार को सौंप दिए जाने के गुजरात सरकार के अनुरोध से सहमत नहीं हुआ जा सकता और इसलिए गुजरात सरकार को मुआवजा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय

2963. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं योजना में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक उपचार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (भा.चि.प. एवं हो.) को संवर्धित करने के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमें प्रारंभ की हैं। इन स्कीमों में भा.चि.प. एवं हो.। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता देना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, चिकित्सा किटों की आपूर्ति, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण, अच्छी विनिर्माण पद्धति प्रमाणन की प्राप्ति हेतु औषधि विनिमार्ण एकांशों को सहायता देना और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं आदि के सृजन हेतु भा.चि.प. एवं हो. उद्योग को सहायता देना सम्मिलित है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7 आयुर्वेद, 7 होम्योपैथी औषधालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इनमें से 2003-2004 में 2 आयुर्वेद और 2 होम्योपैथी औषधालय पहले ही खोल दिए गए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के नए औषधालयों के लिए 7.00 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन

2964. श्री संजय धोत्रे:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करने और कोल्हापुर, लातूर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अमरावती के सिविल अस्पतालों को क्षेत्रीय रेफरल केन्द्र में परिवर्तित करने हेतु जापान की वित्तीय सहायता से लगभग 21.45 करोड़ रुपए की लागत वाली मशीनरी और आवश्यक उपकरणों को खरीद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 हेतु सहायता अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार का एक प्रस्ताव, 21 फरवरी, 2002 को जापान सरकार के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें कोल्हापुर, लातूर, गढ़चिरोली, चन्द्रपुर तथा अमरावती के सरकारी मेडिकल कालेजों तथा सिविल अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु जापान से 21.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव को जापान सरकार के समक्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 में विचार करने हेतु दिनांक 29 अगस्त, 2002 को पुन: प्रस्तुत किया गया।

(ग) इस प्रस्ताव पर जापान सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एम्स के चिकित्सकों का लम्बे अवकाश पर रहना

2965. श्री सीताराम सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एम्स' के 50 प्रतिशत से अधिक चिकित्सक 15 मई से 15 जुलाई, 2004 तक अवकाश पर नहीं जा सकते जैसाकि दिनांक 12 जून, 2004 के 'हिन्दुस्तान' दैनिक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) अवकाश की स्वीकृति संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या नियमों के अन्तर्गत लंबे अवकाश की स्वीकृति अनुमत्य है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) नियमों का उल्लघंन करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) क्या उक्त अवकाशावधि के दौरान रोगियों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (झ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली संसद के एक अधिनियम के अधीन स्थापित एक स्वायतशासी निकाय है। संस्थान के अधीन सेवा का संचालन अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों द्वारा किया जाता है। निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुमोदन से अध्यापन स्टाफ/संकाय सदस्यों को प्रति वर्ष ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश दो भागों अर्थात् 16 मई से 14 जून और 16 जून से 15 जुलाई (ग्रीष्मकालीन अवकाश) तथा 14 दिसम्बर से 22 दिसम्बर और 23 दिसम्बर से 31 दिसम्बर (शीतकालीन अवकाश) प्रदान किया जाता है। उन संकाय सदस्यों जिनको पहले भाग में अवकाश प्रदान किया जाता है, को दूसरे भाग में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करनी पड़ती है और इसी दूसरे भाग में जिनको अवकाश दिया जाता है उनको पहले भाग में रिपोर्ट करनी पड़ती है। इस प्रकार, अवकाश के प्रत्येक भाग में 50% स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है ताकि रोगी परिचर्या सेवाओं को कोई हानि न हो। आपवादिक मामलों में, निदेशक, अखिल भारती आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुमोदन से संकाय सदस्यों को दोनों भागों का अवकाश प्रदान किया जाता है। तथापि, प्रत्येक भाग में 50% संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अवकाश के संबंध में अभी तक नियमों के किसी भी उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है। अवकाश की अवधि के दौरान रोगियों को देखने के लिए संस्थान में पर्याप्त संख्या में डाक्टर उपलब्ध रहते हैं।

[अनुवाद]

असामान्य भूकंपीय एवं विवर्तनिक परिवर्तन

2966. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री विजय कृष्ण:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशक के दौरान भारतीय विवर्तनिक पट्टी में असामान्य भूकंपीय एवं विवर्तनिक परिवर्तन हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में बार-बार भूकंप आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त के मद्देनजर सरकार का विचार देश में भूकंप जोन निर्धारण प्रणाली में सुधार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) महोदय, भूकंपीय/भू-भौतिकीय अध्ययनों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय प्लेट 5 सें.मी. प्रति वर्ष की गति से उत्तरी, उत्तरी-पूर्वी दिशा में संचलन कर रही है। पिछले कुछ दशकों से प्लेट के संचलन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय प्लेट का संचलन हिमालयी पट्टी और प्लेट के अंतर्गत कमजोर जोनों में दबाव उत्पन्न करता है और जब कभी दबाव स्तर इन नाजुक स्तरों से बढ़ जाता है तो भूकंप उत्पन्न होते हैं।

(ख) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) देश के भूकंपीय जोन मानचित्र की समय-समय पर पुनरीक्षा और उसे अद्यतन बनाने के लिए नोडल एजेंसी है। भूकंपीय जोनिंग मानचित्र को हाल ही में वर्ष 2002 में अद्यतन बनाया गया है। इस मानचित्र के अनुसार देश को चार भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। जोन-5 को सर्वाधिक गंभीर और जोन-2 को सबसे कम गंभीर समझा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आधुनिकतम डिजीटल भूकम्पलेखियों (सिस्मोग्राफ्स) को स्थापित करके भूकंप की गतिविधि

की निगरानी के लिए अनेक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करता आ रहा है। भूकंपीय आंकड़े भूकंपीय जोनिंग मानचित्र की समय-समय पर पुनरीक्षा/अद्यतनीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुपोषण के कारण बच्चों की मौत

2967. **श्री सुशील कुमार मोदी:**
श्री रमेश बैस:
श्री मोहन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान देश में कुपोषण के कारण हजारों बच्चों की मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के दौरान तथा 15 जुलाई तक तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों की बड़े पैमाने पर हुई असामयिक मौत का कारण पता लगाने हेतु कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) कुपोषण के कारण होने वाली शिशु मौतों की संख्या के ब्यौरे का रख-रखाव केन्द्रीय आधार पर नहीं किया जाता है। कुपोषण एक बहुमुखी समस्या है और यह बच्चों में मौत का एक प्रत्यक्ष कारण नहीं है लेकिन इससे संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध शक्ति को कम करके रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।

बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवा

2968. **श्री देविदास पिंगले:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सेल्यूलर सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और इसकी रोमिंग प्रणाली भी बहुधा विफल हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपभोक्ताओं को बेहतर और अधिक विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सहित सभी सेल्यूलर सेवा प्रचालकों, के सेवा निष्पादन संबंधी गुणवत्ता (क्यू ओ एस) की तिमाही आधार पर मॉनीटरिंग करता है। इन मानीटरिंग रिपोर्टों से यह देखा गया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्यूलर सेवा जैसे 24 घंटे के भीतर दोष दूर करना, कॉल समापन दर (लाइसेंसधारक के अपने नेटवर्क के भीतर) इत्यादि जैसे कुछेक सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों में कुछ कमी को छोड़कर, सामान्यत: निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्यूलर सेवाओं की फ्रीक्वेंसी (बैंडविड्थ) ठीक है तथा रोमिंग प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने नेटवर्क के मानिटरिंग कार्य को मजबूत बनाया है तथा इसके असफल होने पर, सेवा की यथासंभव शीघ्र बहाली और ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

एड्स अभियान पर किया गया व्यय

2969. **श्री उदय सिंह:**
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री जुएल ओराम:
श्री के.एस. राव:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) एड्स को नियंत्रित करने में असफल रहा है जैसाकि दिनांक 17 जुलाई, 2004 के 'दी टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में एच.आई.वी./एड्स के मामलों की संख्या में इसकी रोकथाम करने के अभियानों के बढ़ते रुझान के बावजूद वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान एन.ए.सी.ओ. द्वारा संस्वीकृत और वहन किए गए व्यय की धनराशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर एक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट से यह परिणाम निकालना सही नहीं है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने अधिदेश पूरा नहीं किया है।

सरकार देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निदेशन और समन्वय करती है। प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना 1992 से 1999 से कार्यान्वित की गई थी और वर्तमान द्वितीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना 1999 से 2006 तक कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने 2002 में एक राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति और एक राष्ट्रीय रक्त नीति तथा उसके बाद 2003 में रक्त निरापदता पर एक विस्तृत कार्य योजना अंगीकार की।

उच्च जोखिम वाले समूहों और अंतिसंवेदनशील जनसंख्या की जरूरतों पर ध्यान देते हुए एच आई वी के निवारण के लिए प्रचालनात्मक कार्यनीतियां संस्थापित की गई हैं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्षों से इनकार विस्तार किया है। यौन कर्मियों, पुरुष के साथ सेक्स करने वाले पुरुषों तथा इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधों के प्रयोगकर्ताओं जैसे पहचान किए गए कोर समूहों की निजी जिन्दगी तक पहुंच बनाना अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य है।

सरकार ने एक वार्षिक एच आई वी प्रहरी निगरानी को संथागत रूप से शुरू किया है जो एच आई वी महामारी में उत्तरोत्तर वृद्धि के रुझानों का पता लगाती है। प्रहरी निगरानी के लिए प्रारंभिक आंकड़ों का इस्तेमाल देश में एच आई वी संक्रमणों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। दौर, 2003 में उसमें प्रति 100 नए एच आई वी संक्रमणों के लिए एच आई वी की वृद्धि दर में कमी होने का अनुमान लागाया गया है, हमने 2002 के मुकाबले 2003 में 4 एच आई वी संक्रमण कम दर्ज किए हैं। 2001 से 2002 तक एच आई वी संक्रमण की संख्या में 6.1 लाख तक तथा 2002 से 2003 तक 5.4 लाख तक की वृद्धि हुई।

तथ्य यही है कि सरकार द्वारा एच आई वी के निवारण एवं नियंत्रण के लिए लागू किया गया व्यापक कार्यक्रम एच आई वी के फैलाव और व्याप्तता में वृद्धि को रोकने में सफल रहा है। तमिलनाडु और मणिपुर में प्रसवपूर्व माताओं जैसे कुछ समूहों में शुरू में सीरा-स्थिरीकरण के संकेत मिले हैं।

अन्ततः प्रैस रिपोर्टर ने एच आई वी की स्थिति के रहस्योद्घाटन के बारे में तथ्यों को सत्यापित करने की परवाह नहीं की है। यह सत्य है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अवधि में एच आई वी पाजिटिव व्यक्ति के लिए एच आई वी की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। तथापि, यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। जुलाई, 2003 में अंगीकार की गई रक्त निरापदता संबंधी कार्य योजना में परिणाम जानने वाले दाता को एच आई वी की स्थिति का रहस्योद्घाटन करने का अधिदेश दिया गया है और इसे अब देशभर में रक्त बैंकों तथा स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

दूसरे शब्दों में, यह अब स्पष्ट है कि मीडिया में आई रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट जो 1998-99 की अवधि से संबंधित है, में सनसनी पैदा करने का प्रयास किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई राशि और नाको द्वारा किया गया व्यय नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजटीय प्रावधान		किया गया व्यय
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
1.	2001-2002	210	225	225.00
2.	2002-2003	225	242	242.00
3.	2003-2004	225	225	233.00
4.	2004-2005	259	-	109.89 (जुलाई, 04 तक)

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. कोष का निवेश

2970. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने अपने गठन के पश्चात् अपनी आय में वृद्धि करने हेतु अपने कोष को अन्य विभागों की योजनाओं में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें एम.टी.एन.एल. ने अपने कोष का निवेश किया है और जो अब उस धनराशि को वापस नहीं कर रहीं हैं अथवा जो कंपनियां दिवालिया हो गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अपने धन को उगाहने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

संस्थान का नाम	निवेश की राशि तथा तारीख	निवेश का स्वरूप
मै. आईटीआई लि. (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम)	दिनांक 31.3.2002 को 100 करोड़ रु.	8.75 प्रतिशत संचयी विमोच्य अधिमानी शेयर
मै. महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेल्पमैंट कोर्पोरेशन (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रन)	दिनांक 14.5.2002 को 250 करोड़ रु.	प्रति वर्ष 11.5% की ब्याज-दर वाले सुरक्षित विमोच्य बंध-पत्रों का ब्याज-भुगतान अद्यतन है।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता, क्योंकि निवेश के विमोचन का अभी समय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर की योजनाओं का अनुमोदन

2971. चौधरी लाल सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई योजनाओं की परियोजना-वार लागत का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षण नीति का मूल्यांकन

2972. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों इत्यादि को आरक्षण देने के निर्णय से पहले विद्यमान आरक्षण नीति की सफलता अथवा असफलता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) आरक्षण प्रावधानों के कार्यान्वयन के पश्चात् सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व एक जनवरी 1965 को क्रमश: 13.17% और 2.25% था जो कि बढ़कर एक जनवरी 2003 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 16.52% और 6.46% हो गया है।

असम में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2973. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में उन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, जिनकी तत्काल मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक राजमार्ग के संबंध में क्षेत्रवार प्रस्ताव किया गया है और कितनी संस्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की मरम्मत और उसे दो लेनों वाला नहीं बना पाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2836 कि.मी. है। उनकी मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 2004-05 में अब तक असम से 31.33 करोड़ रु. के 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को तकनीकी मापदंड पूरे किए जाने और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन स्वीकृति दी जानी है। सीमा सड़क संगठन के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो यह कार्य स्वयं करता है, ने असम में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अब तक 14.92 करोड़ रु. के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं।

(ख) और (ग) सीमा सड़क संगठन ने मई, 2004 में रा.रा.-52 को असम सरकार से ले लिया है और वह उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत इस राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रख रहा है। तथापि, धनराशि की कमी के कारण अभी तक दो लेन बनाने का कार्य नहीं किया जा सका है।

टेक्नोलॉजी पार्कों के साथ पंजीकृत कम्पनियां

2974. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के सॉफ्टवेयर पार्कों के साथ पंजीकृत कम्पनियों की सूची में कौन-कौन सम्मिलित हैं;

(ख) क्या कुछ तकनीकी फर्मों ने हाल में भारत के सॉफ्टवेयर पार्कों के साथ पंजीकृत कम्पनियों की सूची से अपना नाम हटा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 8180 इकाइयां पंजीकृत हैं। इन इकाइयों की सूची वेबसाइट http:/ www.stpi.soft.net.in पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। साफ्टवेयर उद्योग में चक्रिय परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी समय आते हैं जब नई परियोजनाओं की नश्वरता की दर काफी अधिक होती है। एसटीपीआई योजना के अंतर्गत पंजीकरण होने से किसी भी इकाई को कोई पूर्व निर्धारित अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किंतु, मार्च, 2000 तक पंजीकृत और अब तक 3 वर्ष पूरी कर चुकी प्रचालन न करने वाली इकाइयों की गहन समीक्षा की गई है और एसटीपीआई ने 2803 इकाइयों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।

[हिन्दी]

आर.ए.पी.एस. द्वारा विद्युत का उत्पादन

2975. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र की 2, 3 एवं 4 इकाइयों हेतु 1 जनवरी, 2004 से 279.79 पैसे प्रति इकाई की दर निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य के बावजूद विद्युत की दरों में वृद्धि को उचित ठहराया है कि यह इकाई लगभग चार वर्षों से बंद थी;

(ग) क्या इस संबंध में सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) और राजस्थान के बीच कोई बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। तथापि, वर्तमान शुल्क-दर को और भी घटाकर 264.49 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर में चार यूनिट परिचालनरत हैं। यूनिट 2, 3 और 4 ने पिछले चार वर्षों में भली-भांति काम किया है। यूनिट-1 (आरएपीएस-1) को सीमित सुरक्षा संबंधी अपग्रेडिंग कार्यों के लिए 1.5.2002 को बन्द कर दिया गया था। इन कार्यों को पूरा कर लिया गया है और यह यूनिट 8.2.2004 को ग्रिड के साथ पुन: जोड़ दिया गया है।

(ग) से (ङ) विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच हुई बैठक में निम्नलिखित मदों पर सहमति हुई:

1. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) ने वर्ष 2003 में अपने हिस्से का अभ्यार्पण कर दिया था। वे अब विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित अनुसार अपना विद्युत का हिस्सा लेंगे।
2. परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूनिट 2, 3 तथा 4 के लिए यथा-अधिसूचित पूल शुल्क-दर लागू रहेगी।

[अनुवाद]

मोटर वाहनों की मियाद

2976. श्री गुरूदास कामत: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़कों पर चलाए जाने के लिए मोटर वाहनों और अन्य वाहनों की मियाद निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुरानी कारों को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी. बी. आई. जांच हेतु अनुमति

2977. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2003 से 31 मई, 2003 के दौरान दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अन्तर्गत सी.बी.आई. जांच कराने की उत्तर प्रदेश सरकार को कितने मामलों में अनुमति दी गई है;

(ख) क्या भारत सरकार के सचिव (समन्वय जन शिकायत) ने 1 अक्तूबर, 2003 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को 5000 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी के मामले को बिना किसी औपचारिक जांच के बंद किए जाने के संबंध में सूचित किया था;

(ग) यदि हां, तो सी.बी.आई. की जांच कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस मामले में सी.बी.आई. जांच हेतु किसी संसद सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या इसकी प्रगति रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ज) यदि हां, तो इसके कब तक रखे जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) 1.1.2003 से 31.5.2003 की अवधि के दौरान दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मामलों में अपनी सहमति प्रदान की ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर दे दिया गया है।

(छ) और (ज) प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

किसान विकास पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों की चोरी

2978. श्री राजेश वर्मा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में नासिक से गुजरने वाली रेल के वैगनों से किसान विकास पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों की चोरी की बात आई है, जैसा कि दिनांक 7 जुलाई, 2004 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाएं किन-किन स्थानों से सूचित की गई हैं और ऐसे मामलों में कितने व्यक्ति संलिप्त पाए गए हैं;

(ग) किस श्रृंखला के किसान विकास पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों की चोरी की गई और उन स्थानों के नाम तथा किसान विकास पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों की श्रृंखला क्या हैं;

(घ) कुल कितने मूल्य के किसान विकास पत्र चोरी किए गए हैं और इस संबंध में कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ङ) इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नासिक से गुजरने वाले रेल वैगनों से किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) की चोरी का कोई मामला ज्ञात नहीं है। हालांकि भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक से विभाग के विभिन्न सर्किल स्टैम्प डिपो (सीएसडी)के रास्ते में ऐसे पत्रों की चोरी के मामले सामने आए हैं।

(ख) और (ग) चोरी के घटनास्थल तथा इसमें शामिल लोगों की संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि इनकी चोरी अज्ञात बदमाशों द्वारा रास्ते में की गई, जब ये बचत-पत्र रेलवे की हिफाजत में थे और डाक विभाग को सुपुर्द नहीं किए गए थे। चोरी की ये घटनाएं डाक विभाग द्वारा रेलवे से सुपुर्दगी के समय सामने आई। चोरी हुए ऐसे बचत-पत्रों की संख्या और श्रृंखला का उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चोरी हुए बचत-पत्रों का अंकित मूल्य 410.18 करोड़ रु. (चार सौ दस करोड़ अठारह लाख रु. केवल) है, इनमें से 12,34,57,602/-रु. (बारह करोड़ चौंतीस लाख सत्तावन हजार छह सौ दो रु. केवल) कुल मूल्य के किसान विकास पत्रों और 19,03,000/-रु. (उन्नीस लाख तीन हजार रु. केवल) कुल मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्रों का धोखे से भुगतान किया जा चुका है।

(ङ) सीबीआई और राज्य पुलिस ने इन बचत-पत्रों के धोखे से किए भुगतान के आरोपी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। चूक करने वाले विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

1991-1999 के दौरान चोरी हुए किसान विकास पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों की सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बचत-पत्र की श्रेणी	श्रृंखला	क्रम संख्या	बचत-पत्रों की कुल संख्या	मूल्यवर्ग
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. असम	राष्ट्रीय बचत-पत्र	(i) 17 सीसी	174001 - 175000	2000	1000/रु.
			(ii)	185001 - 186000		
	2.	राष्ट्रीय बचत-पत्र	(i) 34 सीसी	125001 - 125100	2397	1000 रु.
			(ii)	125201 - 125303		
			(iii)	125320 - 125799		

1	2	3	4	5	6	7
			(iv)	125801 - 127000		
			(v)	151487- 152000		
	3.		(i) 30 सीसी	681689	170	1000/-रु.
			(ii)	681801-681893		
			(iii)	689819 -689890		
			(iv)	700106, 700116, 700135, 700154		
	4.	किसान विकास पत्र	(i) 35 एए	605001-606000	6200	1000/- रु.
			(ii)	609901-610000		
			(iii)	610901 - 611000		
			(iv)	613001 - 615000		
			(v)	619001 - 621000		
			(vi)	629001 - 630000		
	5.	किसान विकास पत्र	(i) 38 एए	680001 - 681000	21005	1000/- रु.
			(ii)	682001 - 686000		
			(iii)	688001 - 689005		
			(iv)	690001 - 691000		
			(v)	694001 - 706000		
			(vi)	708001 - 710000		
	6.	किसान विकास पत्र	(i) 29 बीबी	723194	948	5000/रु.
			(ii)	725001 - 725099		
			(iii)	725101 - 725703		
			(iv)	730080 - 730081		
			(v)	730126 - 730300		
			(vi)	730801 - 730864		
			(vii)	740301		
			(viii)	753670 - 753672		

1	2	3	4	5	6	7
	7.	किसान विकास पत्र	(i) 50 एए	846005	1204	1000/-रु.
			(ii)	846097 - 847000		
			(iii)	853001-853297		
			(vi)	912509-912510		
	8.	किसान विकास पत्र	(i) 34 सीसी	570101 - 570182	593	10,000/-रु.
			(ii)	579401 -579445		
			(iii)	579495		
			(iv)	579525 -579700		
			(v)	579702 - 579990		
2.	1. बिहार	6 राष्ट्रीय बचत पत्र	16 सीसी	380001 - 381000	2000	1000/-रु.
		6 राष्ट्रीय बचत पत्र		389001 - 390000		
	2.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	21 बीबी	014102 - 014300	795	5,000/- रु.
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		014405 - 015000		
	3.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	20 सीसी	386080 - 386350	385	10,000/-रु.
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		391001 - 391114		
	4.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	35 एए	729882 - 729901	1387	1000/-रु.
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		729991 - 730000		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		740001 - 741000		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		759301 - 754557		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		759901 - 760000		
	5.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	31 बीबी	006001 - 008000	8900	5,000/-रु.
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		010001 - 016000		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		033101 - 034000		
	6.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	34 बीबी	574001 - 574031	286	5,000/-रु.
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		574034 - 574036		
	7.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		574047		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		574086 - 574200		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		574241 - 574242		

1	2	3	4	5	6	7
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		574301 - 574373		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		619037		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		619122 - 619132		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		619135 - 619143		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		619146 - 619175		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		619274 - 619296		
		$5^1/_2$ किसान विकास पत्र		619301 - 619308		
	8.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	22 ईई	699111 - 699300	190	500/- रु.
	9.	6 राष्ट्रीय बचत पत्र	32 सीसी	070001 - 070300 049099 049118 - 049200 049201 -049277 139044 -139045	463	1000/- रु.
	10.	6 राष्ट्रीस बचत-पत्र	22 बीबी	480001 - 480213 480244 - 480249	219	500/-रु.
	11.	6 राष्ट्रीय बचत-पत्र	22 बीबी	000240 005001 - 007000 013001 - 015000 021000 - 022000 023001 - 024000 027001 - 028000	7001	500/- रु.
	12.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	57 बीबी	374669 - 374700 374701 - 374746 374780 - 374782 374901 - 375000	181	5000/-रु.
	13.	$5^1/_2$ किसान विकास पत्र	56 सीसी	882001 - 884000 885001 - 889000 892001 - 893000 893001 - 894000 896001 - 904000 906000 - 912000 949001 - 950000 955001 - 958000	28200	10,000/-रु.

1	2	3	4	5	6	7
	14. $5^{1}/_{2}$ किसान विकास पत्र		45 सीसी	118906 163301 - 163990 173001 - 173775 173795 - 173982 180052 - 180133 180197 - 180200 180201 - 180700	2240	10,000/- रु.
3.	1. दिल्ली	किसान विकास पत्र	27 सीसी	816914 - 816934 816949	22	10,000/-रु.
	2.	किसान विकास पत्र	30 बीबी	365741 - 365744 394851 - 394853	6	5,000/-रु.
	3.	किसान विकास पत्र	41 सीसी	943286 - 943287	2	10,000/रु.
4.	1. हरियाणा	राष्ट्रीय बचत-पत्र	14 ईई	488001-492000	10000	10,000/रु.
		राष्ट्रीय बचत-पत्र	14 ईई	498001-500000		
		राष्ट्रीय बचत-पत्र	14 ईई	502001-506000		
	2.	राष्ट्रीय बचत-पत्र	21 डीडी	687296-687341	46	5,000/- रु.
	3.	किसान विकास पत्र	64 एए	751001-752000 754001-767000 770001-772000 777001-782000 784001-787000 787001-787209 787213-788000 791001-792000 794001-795000 799001-800000 774001-776000	29,997	1,000/-रु.
5.	हिमाचल प्रदेश	किसान विकास पत्र	45 बीबी 51 एए	786001-786006 366013	6 1	5,000/-रु. 1,000/-रु.
6.	जम्मू व कश्मीर	किसान विकास पत्र	57 एए	168288-168292 168355-168357 168417-168600 168628-168673 168808-168828 168839-169000	421	1,000/-रु.

1	2	3	4	5	6	7
7.	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय बचत-पत्र	28 सीसी	262001 262005-262023 262101 262299-262300	23	1,000/-रू .
8.	पंजाब	किसान विकास पत्र	58 एए	810501-811000 818001-819000	1500	1,000/-रु.
			57 बीबी	032801-032900	5000	100/-रु.
9.	तमिलनाडु	किसान विकास पत्र	41 बीबी	674992-675000	9	5,000/-रु.
10.	उत्तर प्रदेश	किसान विकास पत्र	03 जीजी	160001-180000 094801, 095000, 096001, 096299-096300, 096672-096673, 096699, 096706, 096847-096859, 096891-096901, 096908-096916 096999-097000, 133001-133008, 133696,135114, 135140-135145, 135295, 135325-135327, 135401, 135468-135476, 135601-135642, 135782, 134924-134933, 134984-135000, 099007-099052, 099603, 099728, 099939, 099982-099996, 099998-1000000 090450, 090476, 090904-090908, 090995, 090999, 090621,	20297	50,000/-रु.

1	2	3	4	5	6	7
				087102-087105, 083043, 083099, 083146, 083171, 084614, 084856, 082824, 082993, 083000, 089000, 080144, 080200, 080301, 080393-080400, 127971, 155007-155008, 155010-155012, 155072-155075, 155119, 155162, 155205, 155277, 155287, 155648, 155801, 155891, 155892, 155939-155941, 132801-132815, 132925, 093307-093309, 093400-093531, 093646-093647, 092133, 092946, 092950 089136-089138, 089998		
			28 सीसी	290001-291000 296001-297000 300001-301000 303001-304000 314001-315000 356001-357000 324101-324200 324030-324099	6170	10,000/-रु.
			43 सीसी	882952-882972 888801-888838 896200	60	

1	2	3	4	5	6	7
			31 सीसी	350301 350475-350479	6	
			43 बीबी	555999	1	5,000/- रु.
			32 बीबी	105801-106000 794997	201	
			67 एए	360001-360222	222	1,000/- रु.
			51 एए	786836 775001-775056 775518, 770906 761391 839001-840000	1060	
			52 एए	201001-201100 224501-224886 204001 204242-204244 204601	491	
			28 ईई	959812-960000	189	500/-रु.
			22 ईई	961001-961107	107	
		राष्ट्रीय बचत-पत्र	18 बीबी	728001-729000 738001-742000 759001-760000 729401-729600 729779-729974 739386-740000	6011	500/-रु.
11.	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय बचत-पत्र	19 ईई	080001-120000	40000	10,000/-रु.
		किसान विकास पत्र	46 सीसी	840001-920000 960001-961047 961051-965000 970001-971736 976001-977000 971738-975000 980001-985000 990001-991000 991701-991999 992001-992998	102294	10,000/-रु.

1	2	3	4	5	6	7
				993000		
				994001-997000		
				986001-987000		
			44 बीबी	641001-645000	11005	5,000/-रु.
				646001-650000		
				655001-656000		
				662001-664000		
				651296-651300		
			56 एए	080001-120000	40000	1,000/रु.
	राष्ट्रीस बचत-पत्र		32 सीसी	963001-964000	1007	1,000/-रु.
				965229-965234		
				965290		

सिविल सेवा परीक्षा में पर्यावरण विज्ञान को शामिल किया जाना

2979. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए स्वैच्छिक विषयों की सूची में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) पर्यावरण विज्ञान को सिविल सेवा परीक्षा की वैकल्पिक विषयों की सूची में शामिल किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) संघ लोक सेवा अयोग, वैकल्पिक विषयों को शामिल किए जाने संबंधी अनुरोधों पर विचार करने हेतु समय-समय पर विशेषज्ञ समितियां गठित करता है। किसी वैकल्पिक विषय को शामिल करने का निर्णय सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा उन सिफारिशों पर संघ लोक सेवा आयोग की राय को मद्देनजर रख कर लिया जाता है। सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से वैकल्पिक विषय के रूप में पर्यावरण विज्ञान को शामिल किए जाने की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं

2980. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को 8 से 10 प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए छोटे/मध्य वर्गों से संबंधित छात्रों को काफी धन व्यय करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार छात्रों द्वारा इस संबंध में किए जा रहे व्यय को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रवेश परीक्षा के फार्मों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) इस समय सरकारी मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला 15% पूर्व-स्नातक सीटों तथा 25% स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सीटों के आधार पर

किया जाता है जो क्रमशः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से भरी जाती हैं। प्रत्येक राज्य सरकार, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से भरी गई सीटों तथा निजी मेडिकल कालेजों में राज्य की एजेन्सी द्वारा भरे जाने हेतु संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित सीटों के कोटा के अलावा भी, राज्य के सरकारी कालेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सीटों को भरने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर रही है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक अलग-अलग कालेज द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षाओं की विविधता के कारण छात्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए, इस्लामी शिक्षा अकादमी के मामले में दिनांक 14.8.2003 के एक निर्णय द्वारा निर्देश दिया है कि निजी चिकित्सा संस्थाओं का प्रबन्धन छात्रों का सीटों के उनके कोटे के संबंध में या तो राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर अथवा उस राज्य में सभी मेडिकल कालेजों के एक संघ द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन कर सकता है। यदि कोई व्यावसायिक कालेज संघ द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला देना नहीं चाहता है तो उस कालेज को राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों को अनिवार्य रूप से दाखिला देना होगा।

केन्द्र सरकार ने इससे संबंधित प्रवेश परीक्षा के लिए दाखिला एवं प्रभारित शुल्क के संबंध में कोई अलग दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं क्योंकि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला संबंधी मामला राज्य सरकार/संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

मासिक आय बचत योजना घोटाला

2981. श्री पंकज चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मासिक-आय-बचत-योजना' के नाम पर दिल्ली में डाकघर में पैसा जमा करने वाले लोगों को कई लाखों रुपयों से संबंधित घोटाला हाल ही में सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच कराई है और इस मामले में संलिप्त पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) हाल ही में कृष्णा नगर प्रधान डाकघर, दिल्ली में मासिक आय योजना (एमआईएस) के खातों में धोखाधड़ी के कतिपय मामले ध्यान में आये हैं। कुछ एस.ए.एस. एजेंटों ने कतिपय जमाकर्ताओं के एम.आई.एस. खातों से 24,93,501/-रुपये (चौबीस लाख तिरानबे हजार पांच सौ एक रुपये मात्र) की रकम की कथित रूप से धोखाधड़ी की है। पुलिस ने उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

(ग) विभाग ने भी आन्तरिक जांच करवाई है। कतिपय चूक करने वाले चार विभागीय कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

(घ) और (ङ) इस आशय की हिदायतें जारी की गई हैं कि समुचित जांच के बिना, विशेषकर समय से पूर्व खाता बन्द करने और ऐसी रकमों को बचत खातों में अन्तरित करने के मामलों में किसी भी रकम को आहरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

महिलाओं और बच्चों हेतु स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम

2982. श्री चेरुकुमार कुशवाहा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हेतु परम्परागत घरेलू चिकित्सा पद्धतियों सहित कई स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया है और इससे राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के एकीकृत भाग हैं जिनका उद्देश्य मातृ, नवजात और शिशु मृत्युदर और रुग्णता दर को कम करना और महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का सुधार करना है। प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत कई कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये इस प्रकार हैं:-

1. प्रसव पूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव सेवाओं और प्रसवोत्तर परिचर्या सहित अनिवार्य प्रसूति परिचर्या।

आपाती प्रसूति परिचर्या।

संविदात्मक स्टाफ जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन, जन स्वास्थ्य नर्स और अतिरिक्त सहायक नर्स धात्री (ए एन एम) की व्यवस्था।

आपाती प्रसूति परिचर्या और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं आदि के प्रावधान के लिए संवेदनाहरकों और सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं की सेवाओं को अदायगी पर लेना।

उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रैफरल यूनिटों पर औषधों और उपकरणों की व्यवस्था।

चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चौबीसों घंटे प्रसूति सेवा के लिए एक स्कीम।

पंचायतों के माध्यम से गरीब परिवारों से संबंधित गर्भवती महिलाओं के लिए रैफरल वाहन हेतु धनराशि की व्यवस्था।

सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन हेतु सुविधाएं और प्रशिक्षण।

प्रजनक मार्ग संक्रमणों (आर टी आई)/यौन संचारित संक्रमणों (एस टी आई) का निवारण, उपचार और नियंत्रण।

जन प्रचार मीडिया के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों में तीव्रीकरण और निम्नतम स्तर तक स्थानीय विशिष्ट कार्यकलापों का विकेन्द्रीयकरण।

जहां पर सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं वहां पर जागरुकता पैदा करने और सेवा प्रदानगी में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

चिकित्सा/परा-चिकित्सा और अन्य सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय मातृ लाभ स्कीम।

दाइयों को प्रशिक्षण।

15. दूरस्थ और अल्प सेवित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों विशेषकर ई ए जी राज्यों में प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य शिविर।

बच्चों के लिए

1. छः वैक्सीन निवार्य रोगों से प्रतिरक्षण।
2. अतिसार संबंधी रोगों के कारण होने वाली मौंतों पर नियंत्रण।
3. पोलियों का उन्मूलन।
4. विटामिन 'ए' की कमी से दृष्टिहीनता के विरुद्ध रोगनिरोधन।
5. नवजात परिचर्या।

चिकित्सा की पारंपरिक/स्वदेशी प्रणाली

भारत सरकार ने वर्ष 2002 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है जिसमें सोसाइटी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम और आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग एवं नैचुरोपैथी तथा होम्योपैथी (आयुष) के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की बेहतरी परिकल्पित है।

1. प्रजनक और बाल स्वास्थ्य (आर सी एच) कार्यक्रम के अंतर्गत, 9 राज्यों अर्थात्, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 7 आयुर्वेदिक औषधें शुरू की गई हैं।
2. 21 राज्यों के 100 गांवों में 15 सामान्य रोगों, जिसमें मातृ एवं बाल स्वास्थ्य शामिल है, के लिए ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों को औषधियों की आपूर्ति हेतु, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवाइयों के आधार पर ''होम रेमेडिज किट'' संबंधी प्रायोगिक योजना शुरू की गई है।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान आर.सी.एच. कार्यक्रम के अधीन हुए राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं और बच्चों की वास्तविक संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 व्यय	2002-03 व्यय	2003-04 व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1681.82	2043.85	2274.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	215.33	160.03	155.95
3.	असम	868.6	1275.98	652.65
4.	बिहार	1299.04	1776.14	346.33
5.	झारखंड	323.64	356.87	31.78
6.	गोवा	17.36	51.16	3.45
7.	गुजरात	1903.64	1621.16	636.45
8.	हरियाणा	1000.48	1196.88	720.49
9.	हिमाचल प्रदेश	306.85	365.65	102.56
10.	जम्मू व कश्मीर	600.9	215.15	221.79
11.	कर्नाटक	1460.17	1981.92	928.72
12.	केरल	1019.48	1251.05	664.56
13.	मध्य प्रदेश	1294.21	1679.66	861.65
14.	छत्तीसगढ़	278.42	379.06	796.00
15.	महाराष्ट्र	1117.22	2318.96	933.89
16.	मणिपुर	1215.87	573.13	224.21
17.	मेघालय	155.43	139.28	34.74
18.	मिजोरम	728.79	415.55	294.9
19.	नगालैंड	172.48	123.29	8.94
20.	उड़ीसा	452.99	1423.76	212.56
21.	पंजाब	770.32	628.29	260.06
22.	राजस्थान	1423.49	1688.52	2284.37
23.	सिक्किम	28.54	72	97.58
24.	तमिलनाडु	713.13	1953.92	401.35
25.	त्रिपुरा	155.44	88.22	3.65
26.	उत्तर प्रदेश	5551.01	7806.11	1987.22

1	2	3	4	5
27.	उत्तरांचल	132.74	332.38	406.59
28.	पश्चिम बंगाल	1554.47	2063.17	1223.99
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	43.47	17.66	0.15
30.	चण्डीगढ़	21.57	27.82	12.84
31.	दादर और नगर हवेली	6.69	9.31	13.79
32.	दमन और दीव	3.22	11.59	4.60
33.	दिल्ली	339.57	449	40.29
34.	लक्षद्वीप	9.17	9.43	4.98
35.	पांडिचेरी	46.23	47.29	13.70
	कुल	26911.78	34553.24	16861.09

दिनांक 12.08.2004 की स्थिति के अनुसार आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

लम्बित सी.बी.आई. मामले

2983. श्री खगेन दास: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) 5 वर्ष तक तथा 10 वर्ष तक और उससे अधिक समय तक के राज्य-वार कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) अन्तिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संगठन में पर्याप्त कुशल स्टाफ की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) 31.7.2004 की स्थिति के अनुसार, 1555 मामले जांच हेतु लम्बित चल रहे हैं।

(ख) इन 1555 मामलों में से 1530 मामले पांच वर्ष तक की अवधि से लम्बित चले आ रहे हैं, 23 मामले पांच वर्ष से भी अधिक समय से किन्तु 10 वर्ष से कम समय से लम्बित हैं तथा 2 मामले 10 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित हैं। लम्बित मामलों का राज्य-वार वर्गीकरण संभव नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकांश मामलों का विस्तार अन्तरराज्यीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक है।

(ग) कुछ मामलों में जांच में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

* गवाह मिलने में विलम्ब
* दस्तावेज मिलने में विलम्ब
* विभिन्न राज्यों में जांच
* विदेशों में जांच
* अनुरोध पत्रों के जारी किए जाने और कार्यान्वयन में विलम्ब
* विस्तृत क्षेत्र (फील्ड) जांच पड़ताल के कारण विलम्ब
* अभियुक्त द्वारा दायर याचिकाओं पर न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रेक वॉटर फैसिलिटी की स्थापना

2984. डा. पी.पी. कोया: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिनिकोय, अभीनी, कवराटी और अगाटी के दक्षिणी छोर पर जेटी उतारने के लिए 'ब्रेक वॉटर फेसिलिटी' के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित कार्य कब शुरू किए गए थे और परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा क्या थी;

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसको पूरा करने के लिए वर्तमान समय सीमा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) मिनीकोय, अमीन, कवारती और अगाती के दक्षिणी छोर पर, पनकट दीवार अथवा लैंडिंग जेटी स्थापित किए जाने की कोई भी योजना नहीं हैं। फिर भी, सरकार ने 81.29 करोड़ रु. की कुल लागत से, मूरिंग डॉलफिन्स से युक्त जेटियां उपलब्ध करवाने के माध्यम से मिनीकोय, अमीन, कवारती और अगाती के पूर्वी छोर पर पोतारोहण-सुविधाएं स्थापित करने की योजनाएं संस्वीकृत कर दी हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त परियोजनाएं, दिसंबर, 2003 में संस्वीकृत कर दी गई थीं और उनसे संबंधित कार्य के पूरे होने की निर्धारित तिथि, मार्च 2007 है।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत परियोजनाएं

2985. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:
श्री तापिर गाव:
श्रीमती उषा वर्मा:
श्री निहाल चंद:
श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आबंटित और संवितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं; और

(घ) लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत परियोजनाएं				धनराशि	
		शुरू की गई		अब तक पूरी की गई (सं.)	स्वीकृति के लिए लंबित (सं.)	जमा (धनराशि)	जारी (धनराशि)
		सं.	धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध प्रदेश	117	391.00	78	0	239.41	239.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	62.60	5	32	31.37	23.50
3.	असम	27	52.42	9	0	44.57	54.62
4.	बिहार	33	66.33	11	0	84.51	38.70

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	16	75.39	13	0	60.63	66.92
6.	गोवा	4	7.61	2	1	11.91	2.59
7.	गुजरात	370	269.57	338	10	195.80	159.95
8.	हरियाणा	43	115.61	33	2	101.36	75.53
9.	हिमाचल प्रदेश	18	48.85	6	11	31.13	22.14
10.	जम्मू और कश्मीर	34	107.96	8	32	89.15	41.82
11.	झारखंड	7	48.98	1	0	45.25	15.11
12.	कर्नाटक	294	209.68	208	312	168.74	143.41
13.	केरल	13	83.43	3	14	79.54	26.24
14.	मध्य प्रदेश	15	45.71	0	0	183.85	132.29
15.	महाराष्ट्र	195	454.11	24	70	303.46	205.01
16.	मणिपुर	5	14.02	0	6	9.25	5.21
17.	मेघालय	10	21.57	3	3	12.59	13.58
18.	मिजोरम	23	18.17	6	0	8.54	9.54
19.	नगालैंड	5	12.11	0	2	7.10	7.17
20.	उड़ीसा	101	98.89	68	8	85.74	56.30
21.	पंजाब	62	127.76	44	40	120.07	93.05
22.	राजस्थान	218	317.78	172	0	223.57	197.11
23.	सिक्किम	2	4.77	0	1	3.16	2.91
24.	तमिलनाडु	442	306.46	250	0	196.11	164.76
25.	त्रिपुरा	6	13.22	0	0	5.58	4.64
26.	उत्तरांचल	23	29.79	16	72	29.16	20.17
27.	उत्तर प्रदेश	29	183.41	11	13	267.41	121.98
28.	पश्चिम बंगाल	10	121.92	6	2	108.16	67.57
29.	चंडीगढ़	6	11.55	4	2	6.80	5.07
30.	दिल्ली	5	19.36	1	5	80.83	8.16
31.	दादरा और नगरा हवेली	6	1.77	6	0	3.44	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	पाण्डिचेरी	2	4.69	1	0	6.57	3.28
33.	अंडमान और निकोबार	2	7.58	0	0	5.44	0.00
34.	दमन और दीव	0	0	0	0	2.39	0.00
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.18	0.00
	जोड़	2163	3354.07	1327	638	2852.77	2028.84

टेलीफोन सेवाओं में वृद्धि

2986. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान टेलीफोन सेवाओं के उपभोक्ताओं ने अपनी सामान्य वृद्धि बनाए रखी है;

(ख) क्या 4.28 करोड़ फिक्स्ड फोन उपभोक्ताओं की तुलना में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या 3.5 करोड़ तक बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 30.06.2004 की स्थिति के अनुसार, स्थिर फोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 4.3 करोड़ की तुलना में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या 3.77 करोड़ हो गई है।

(ग) विश्व भर में एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है कि स्थिर फोन उपभोक्ता आधार की तुलना में मोबाइल फोन उपभोक्ता आधार अधिक तेजी से बढ़ा है। वर्तमान एकीकृत अभिगम्य सेवा लाइसेंसिंग (यूएएसएल) व्यवस्था के अनुसार, दूरसंचार प्रचालकों को यह अनुमति है कि वे किसी भी माध्यम अर्थात् लैंडलाइन या डब्ल्यूएलएल या सेल्यूलर पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं। परन्तु ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता स्थिर टेलीफोन कनेक्शन की तुलना में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन के साथ चलने-फिरने में आसानी रहती है, वे अपेक्षाकृत कम खराब होते हैं और सेवा प्रदाता को आसानी से बदलने की स्वतंत्रता रहती है। मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार, संभावना है कि मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या चालू वर्ष के अंत तक स्थिर फोन उपभोक्ताओं से अधिक हो जाएगी।

अतिरिक्त स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना

2987. श्री सुकदेव पासवान:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य को अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) महाराष्ट्र और बिहार में कितने अतिरिक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) महाराष्ट्र और बिहार में खोले जाने वाले नए उप-केन्द्रों की संख्या क्रमश: 808 और 1210 है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले उप-केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के मानकों के आधार पर स्थापित किए जाने वाले नए उपकेन्द्र	नए उप-केंद्रों की स्थापना के लिए जारी की गई धनराशि
1.	बिहार	1210	12100000
2.	छत्तीसगढ़	874	8740000
3.	हरियाणा	183	1830000
4.	महाराष्ट्र	808	8080000
5.	मेघालय	51	510000
6.	नगालैंड	23	230000
7.	उड़ीसा	447	4470000
8.	पंजाब	6	60000
9.	राजस्थान	*461	*4610000
10.	त्रिपुरा	40	400000
11.	उत्तरांचल	240	2400000
12.	उत्तर प्रदेश	1944	19440000
13.	पश्चिम बंगाल	2230	22300000
14.	दादरा व नगर हवेली	4	40000
15.	दिल्ली	148	1480000
	कुल:	8669	86690000

*राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए।

कर्नाटक में छोटे/बड़े पत्तनों का विकास

2988. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के छोटे/बड़े पत्तनों के विकास में निजी भागीदारी को अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निजी और सरकारी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक में पत्तनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) महापत्तनों को छोड़कर, अन्य पत्तन, संबंधित राज्य-सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। संबंधित राज्य-सरकारें, इन पत्तनों का विकास करने में गैर सरकारी क्षेत्र को हिस्सा लेने देने में भी सक्षम हैं। कर्नाटक-सरकार से, कर्नाटक में लघु पत्तनों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को हिस्सा लेने देने का कोई भी अनुरोध नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त, इस समय, किसी भी राज्य में लघु पत्तनों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की कोई भी योजना नहीं है।

जहां तक महापत्तनों का संबंध है, कर्नाटक में एक महापत्तन है, अर्थात् नव मंगलूर-पत्तन-न्यास (एन एम पी टी)। कर्नाटक सरकार ने नागार्जुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नव मंगलूर-पत्तन पर एक कैप्टिव कोयला जेटी का निर्माण करने के लिए मै. नागार्जुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन सी पी एल) और नव मंगलूर-पत्तन-न्यास (एन एम पी टी) के बीच समझौता-ज्ञापन के प्रति अनुमोदन का अनुरोध किया है। मै. नागार्जुन पॉवर कार्पोरेशन लिमिटिड (एन सी पी एल) और नव मंगलूर-पत्तन-न्यास के बीच समझौता-ज्ञापन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

लैंड लाइन और मोबाइल फोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

2989. श्री राजेन्द्र कुमार:
मो. मुकीम:
मोहम्मद शाहिद:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
डा. शफीकुर्रहमान बर्क:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में 31 जुलाई, 2004 के अनुसार जिलेवार कितने लैंड लाइन और मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं;

(ख) उक्त जिलों में 31 जुलाई, 2004 की तिथि के अनुसार लैंड लाइन और मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को पूरा करने और मांग पर कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में लैंडलाइन उपभोक्ताओं तथा प्रतीक्षा सूची का जिलावार ब्यौरा क्रमश: विवरण-1, .2 और 3 में दिया गया है। इन राज्यों में मोबाइल फोन ग्राहकों की कुल संख्या नीचे गई है।

(1) आंध्र प्रदेश	594557
(2) उत्तर प्रदेश (पूर्व)	431057
(3) उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	326536

मोबाइल उपभोक्ताओं की कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जा रही है।

(ग) बीएसएनएल ने बुनियादी टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए बड़े पैमाने पर बेतार आधारित प्रणालियां (सीडीएमए तथा कोरडैक्ट) लगाने की योजना बनाई है क्योंकि अधिकांश प्रतीक्षा सूची दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों की है। बीएसएनएल ने वर्ष 2004-05 के दौरान मोबाइल टेलीफोनों सहित कुल 100 लाख कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तीन सर्किटों में टेलीफोन (मोबाइल फोनों सहित) प्रदान करने के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
639700 लाइनें	586600 लाइनें	362500 लाइनें

विवरण I

31.7.04 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में लैंडलाइन उपभोक्ताओं तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	आदिलाबाद	68317	1422
2.	अनन्थापुर	100644	842
3.	चित्तूर	140073	867
4.	कुड्डाप्पा	94827	875
5.	पूर्व गोदावरी	207349	1291
6.	गुन्टूर	210625	2386
7.	हैदराबाद	409271	8826
8.	करीमनगर	128989	6314
9.	खम्माम	85750	1751
10.	कृशना	218029	1321
11.	कुरनूल	104355	790
12.	महबूबनगर	86539	2365
13.	मेडक	76946	2919
14.	नालगोंडा	111340	1583
15.	नेल्लोर	110618	877
16.	निजामाबाद	94409	330
17.	प्रकाशम	100230	2522
18.	रंगारेड्डी	252049	1279
19.	श्रीकाकुलम	51215	377
20.	विशाखापटनम	152849	1154
21.	विजयानगरम	49366	83
22.	वारंगल	98608	3110
23.	पश्चिम गोदावरी	198063	997
		3150461	44281

विवरण II

31.07.04 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश (पूर्व) में लैंडलाइन उपभोक्ताओं तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला	उपभोक्ताओं की संख्या	डब्ल्यू/एल
1	2	3	4
1.			
2.	इलाहाबाद और कौशांबी	110183	1603
3.	आजमगढ़	47601	5174

1	2	3	4
4.	बाराबंकी	32998	3324
5.	बलिया	26584	1547
6.	बान्दा	15779	1051
7.	चिराकूट	5974	468
8.	बहराइच	21513	0
9.	श्रावस्ती	2418	0
10.	बस्ती	15264	1033
11.	संतकबीर नगर	5738	733
12.	सिद्धार्थ नगर	10117	1040
13.	देवरिया	21404	6062
14.	कुशी नगर	15272	5840
15.			
16.	इटावा और औरिया	30955	65
17.	फर्रूखाबाद	24755	2121
18.	कन्नौज	14609	1683
19.	फतेहपुर	19932	1555
20.			
21.	फैजाबाद और अम्बेडकर नगर	44170	4489
22.	बलरामपुर	8228	1618
23.	गोंडा	22594	1840
24.	गोरखपुर	74784	3061
25.	महाराजगंज	11767	801
26.	गाजीपुर	19062	5851
27.	हरदोई	22756	1957
28.	हमीरपुर	13986	155
29.	महोबा	6010	122
30.	झांसी	43134	172
31.	ललितपुर	9569	30
32.	जौनपुर	34173	11423
33.	कानपुर	184999	1672
34.	कानपुर देहात	11476	1352
35.	लखीमपुर	31812	924
36.	लखनऊ	244557	3669
37.	माउ	32714	594
38.	मैनपुरी	26540	2643
39.	मिर्जापुर	25653	1314
40.	सोनभद्रा	24731	1470
41.	जालौन	20416	1606
42.	प्रतापगढ़	25208	2426
43.	राय बरेली	29758	1104
44.	शाहजहांपुर	30142	1038
45.	सीतापुर	31984	2200
46.	सुल्तानपुर	37107	4703
47.	उन्नाव	28701	1918
48.	चन्दौली	13177	2390
49.	संत रविदास नगर	18755	2410
50.	वाराणसी	98652	3478
	जोड़	1647711	101729

विवरण III

31.07.04 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में लैंडलाइन उपभोक्ताओं तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले के नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	प्रतीक्षा सूची
1.	आगरा	116013	3733
2.	फिरोजाबाद	19314	1436
3.	अलीगंज	51047	2229
4.	हाथरस	15243	802
5.	बदायूं	27898	78
6.	बरेली	69046	1039
7.	बिजनोर	62150	2379
8.	बुलन्दशहर	50346	10782
9.	एटा	27655	3722
10.	जी बी नगर	108952	254
11.	गाजियाबाद	195042	4518
12.	मथुरा	59148	922
13.	मेरठ	100654	3809
14.	बागपत	22394	1971
15.	मुरादाबाद	72297	145
16.	जे.पी. नगर	22019	163
17.	मुजफ्फरनगर	80958	3380
18.	पीलीभीत	17440	139
19.	रामपुर	31001	167
20.	सहारनपुर	74373	4830
	जोड़	1222990	46498

लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षण मुक्त वस्तुएं

2990. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री अधीर चौधरी:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से और वस्तुओं को आरक्षण मुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसका लघु उद्योगों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या लघु उद्योग इकाइयों को बैंकों द्वारा ऋण जारी करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो लघु उद्योग इकाइयों को स्वीकृत ऋण जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 8 जुलाई, 2004 को संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट, 2004-05 में, सरकार ने 85 मदों के अनारक्षण का प्रस्ताव रखा है।

पिछले वर्षों में स्टैकहोल्डर्स से परामर्श के बाद कुछ मदों का अनारक्षण किया गया है ताकि प्रौद्योगिकीय उन्नयन, निर्यातों के संवर्धन तथा मितव्ययता प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों को अधिक अवसर मिल सकें।

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण जारी करने में विलम्ब के मामले, सरकार के ध्यान में आ गए हैं। इस मामले की समीक्षा की गई है और बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों के निरस्तीकरण के लिए एक समय-सीमा नियत की गई है, जो 25,000 रुपए तक के ऋण के लिए 2 सप्ताह और 5 लाख रु. तक के ऋण के लिए 4 सप्ताह है, यदि ऋण आवेदन सभी सन्दर्भों में पूर्ण हो और एक चेक लिस्ट के साथ हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में खराब टेलीफोन सेवा

2991. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बार-बार टेलीफोन खराबी की घटनाओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बार-बार अनुरोध के बावजूद भी शिकायतों के संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने का कोई विशेष प्रकोष्ट है जिसमें दो या तीन दिन के अंतर्गत टेलीफोन खराब होने पर भी इसे ठीक नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लैंडलाइन सेवाओं के उपभोक्ता एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जा रही असन्तोषजनक सेवाओं के कारण फोन कटवा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या दो या तीन दिन के अन्तर्गत शिकायतों के संबंध में कार्रवाई न किए जाने तथा दोषी अधिकारियों को सजा देने का अलग लेखा-जोखा रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) खराब टेलीफोनों की बहाली में विलम्ब के मामले में उपभोक्ता, क्षेत्रीय अधिकारियों और मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रयोजनार्थ सर्किल स्तर पर भारत संचार निगम लि. के महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में एक टॉल-फ्री नम्बर 1094 कार्यरत है।

(ङ) जी, हां। असंतोषजनक सेवा के कारण कुछ लैंडलाइन टेलीफोनों के कनैक्शन भी कट गए हैं। विदेश संचार निगम लि. (वीएसएनएल) लैंडलाइन टेलीफोन सेवा प्रदान नहीं करता।

(च) और (छ) दो या तीन दिनों से अधिक समय से लंबित दोषों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। बहाली में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

भर्ती पर प्रतिबंध

2992. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों में रिक्त पदों को न भरने तथा दो तिहाई रिक्तियों की सीधी भर्ती को समाप्त किए जाने की प्रक्रिया जारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर इन उपायों को वापस लेने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 16.05.2001 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यद्यपि सीधी भर्ती की 2/3 रिक्तियां विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों में समाप्त की जानी हैं, फिर भी शेष 1/3 रिक्तियां अब भी भरी जा सकती हैं।

(ख) जी, नहीं, अब तक इन उपायों को वापस लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठत।

(ङ) मुख्यत: संसाधनों की कमी के कारण।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में विकास दर

2993. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों से दूरसंचार क्षेत्र में वार्षिक विकास दर लगातार बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक दर कितनी रही है;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में वार्षिक विकास दर न्यूनतम रही है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विकास दर अधिकतम रही है; और

(ङ) किन-किन राज्यों में वार्षिक विकास दर न्यूनतम रही और बिहार, उत्तर प्रदेश और असम जैसे पिछड़े राज्यों में अनुमानित विकास दर कितनी रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में टेलीफोन कनेक्शनों की औसत अभिवृद्धि दर 28.52 प्रतिशत है।

(ग) कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां अभिवृद्धि दर, देश की औसत अभिवृद्धि दर से कम रही है।

(घ) जिन राज्यों/दूरसंचार सर्किलों में उच्चतम वार्षिक अभिवृद्धि दर दर्ज की गई है, वे पंजाब, दिल्ली और मुम्बई हैं।

(ङ) जिन राज्यों/दूरसंचार सर्किलों में न्यूनतम अभिवृद्धि दर दर्ज की गई है, वे असम, अंडमान व निकोबार और पूर्वोत्तर-। तथा ।। हैं।

सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2004-05 में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार, पूर्वोत्तर-। तथा पूर्वोत्तर-॥ में क्रमशः 4.38 लाख, 9.5 लाख, 2.14 लाख, 0.1 लाख, 1.17 लाख तथा 0.23 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, इन राज्यों में निजी प्रचालक भी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करेंगे जिससे इनमें अभिवृद्धि दर बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

दन्त चिकित्सा कॉलेज/अस्पताल

2994. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने मेडिकल कालेज और अस्पताल हैं;

(ख) देश में राज्य-वार कितने दन्त चिकित्सालय हैं;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में दांतों के मरीजों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की और दन्त मेडिकल कालेज और अस्पताल खोलने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार देश में अस्पतालों की उपलब्धता संबंधी आंकड़ों का रखरखाव नहीं करती है। तथापि, आई.एम.सी. अधिनियम और डेंटिस्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए मेडिकल और डेन्टल कालेजों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। प्रत्येक मेडिकल कालेज को विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए अपने अस्पताल की व्यवस्था करनी होती है। तथापि, डेन्टल कालेजों के मामले में डेंटिस्ट अधिनियम के अर्न्तगत बने नियमों के तहत अन्य अस्पताल की संलग्नता मान्य है। देश के मेडिकल और डेंटल कालेजों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार दन्त परिचर्या सहित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार दन्त चिकित्सक अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नए डेंटल कालेजों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करती रही है। विनियम में निर्धारित अर्हक मानदण्ड को पूरा करने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर सकते है।

विवरण

दिनांक 16.8.2004 की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल और डेंटल कालेजों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या	डेन्टल कालेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27	16
2.	असम	3	1
3.	बिहार	8	7
4.	चण्डीगढ़	1	–
5.	छत्तीसगढ़	2	2
6.	दिल्ली	5	1
7.	गोवा	1	1
8.	गुजरात	14	5

1	2	3	4
9.	हरियाणा	3	8
10.	हिमाचल प्रदेश	2	5
11.	जम्मू व कश्मीर	4	1
12.	झारखण्ड	3	–
13.	कर्नाटक	31	42
14.	केरल	14	9
15.	मध्य प्रदेश	7	6
16.	महाराष्ट्र	38	23
17.	मणिपुर	1	–
18.	उड़ीसा	3	2
19.	पांडिचेरी	5	1
20.	पंजाब	6	11
21.	राजस्थान	8	8
22.	सिक्किम	1	–
23.	तमिलनाडु	19	14
24.	उत्तर प्रदेश	12	20
25.	उत्तरांचल	2	1
26.	पश्चिम बंगाल	9	3
	कुल	229	187

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपास

2995. श्री पी.सी. थामस: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों के शीघ्र निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। केरल सरकार ने दिनांक 20.7.2004 के पत्र द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 11 बाइपासों के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	बाइपास का नाम	रा.रा. सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कोझीकोड बाइपास	17	28.124	भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। 7.254 कि.मी. में निर्माण पूरा हो गया है और 6.37 कि.मी. में निर्माण चल रहा है।
2.	कोल्लम बाइपास	47	13.14	भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। 4.78 कि.मी. में निर्माण पूरा हो गया है।
3.	अलपूझा बाइपास	47	7.58	भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। 3.73 कि.मी. में निर्माण पूरा हो गया है और शेष भाग में निर्माण चल रहा है।
4.	तिरूवनंतपुरम-नैयातिनकारा बाइपास	47	44.253	25.90 कि.मी. में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और 5.47 कि.मी. में यह चल रहा है। 22.633 कि.मी. में निर्माण पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5
5.	तलसेरी-माहे बाइपास	17	18.03	9.142 कि.मी. में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। निर्माण शुरू नहीं हुआ है।
6.	कोयलैंडी डेविएशन बाइपास	17	11.213	भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। निर्माण शुरू नहीं हुआ है।
7.	तिरुपुनित्रा बाइपास	49	9.00	3.75 कि.मी. में भूमि अधिग्रहण चल रहा है। निर्माण शुरू नहीं हुआ है।
8.	मुवत्तुपुझा बाइपास	49	4.58	शुरू नहीं हुआ है।
9.	कोठमंगलम बाइपास	49	3.15	शुरू नहीं हुआ है।
10.	आर्टिंगल बाइपास	47	–	शुरू नहीं हुआ है।
11.	कोडुंगालूर बाइपास	17	–	शुरू नहीं हुआ है।

अमृतसर में पासपोर्ट कार्यालय पुनः खोला जाना

2996. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर में पासपोर्ट कार्यालय पुनः खोले जाने हेतु कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। अमृतसर में पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र खोलने के लिए माननीय सांसद श्री नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सरकार में मंत्री, श्री अवतार हेनरी से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) यद्यपि पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र बंद कर दिए गए हैं, अमृतसर में जिला पासपोर्ट सैल पूर्णतयः कार्य कर रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अमृतसर में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है। तथापि, पिछले नौ वर्षों से अमृतसर में एक पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र कार्य कर रहा है, जिसमें जालंधर पासपोर्ट कार्यालय से नियुक्त स्टाफ द्वारा कार्य किया जा रहा है। अमृतसर में यह पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र जून, 1995 में खुला था। यद्यपि वर्ष 2001 में पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2002 में विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए आरंभ की गई विकेन्द्रीकरण की योजना के भाग के रूप में अमृतसर में जिला पासपोर्ट सैल की पहले ही स्थापना होने के कारण यह जुलाई, 2004 में बंद कर दिया गया था। विकेन्द्रीकरण योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार के विवेक/निर्णय के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में स्थापित जिला पासपोर्ट सैल में जिला मुख्यालयों में पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। विकेन्द्रीकरण योजना का विचार पासपोर्ट बनवाने की इच्छा रखने वाले उन लोगों को, जो अपने आवेदन पत्र जमा कराने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों की लम्बी यात्रा नहीं कर सकते, के लिए उनके दरवाजे तक पासपोर्ट सेवाएं ले जाने का था। इसके बजाय आवेदक अपने आवेदन पत्र, अपने जिलों में जमा करा सकते हैं।

2. यह पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केंद्र कुछ वर्ष पहले उन स्थानों पर कुछ पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के विचार से खोले गए थे, जहां पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, परंतु वह स्थान पूर्ण रूप से पासपोर्ट कार्यालय खोलने योग्य नहीं हैं। 400 से अधिक जिला पासपोर्ट केन्द्रों की तुलना में पूरे भारत भर में 15 पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र है जो वर्ष 2002 से स्थापित हैं, और पूरे भारत में 50 प्रतिशत जिलों से अधिक को कवर करते हैं।

3. यह पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करते हैं और उसे संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित कर

देते हैं, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह कार्य कर रहे हैं। पासपोर्ट कार्यालय आवेदक की पुलिस जांच के लिए अनुरोध भेजते हैं और पुलिस जांच प्राप्त होने के पश्चात् आवेदन पत्र पर प्रक्रिया आरंभ करते हैं और पासपोर्ट जारी कर देते हैं। इसके विपरीत, जिला पासपोर्ट सैल पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करते हैं और उसकी संवीक्षा करने तथा आवेदन की पुलिस जांच करने के पश्चात्, आवेदन पत्रों को आगे कार्रवाई के लिए और पासपोर्ट जारी करने के लिए संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों को भेज देते हैं। इस प्रकार, जिला पासपोर्ट सैलों के मामले में, पुलिस जांच के लिए अनुरोध भेजने और उनकी प्राप्ति का समय बच जाता है जिससे पासपोर्टों को जारी करने में तेजी आएगी।

4. पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र और जिला पासपोर्ट सैल के स्टाफ के संबंध में, अमृतसर में पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र में केवल एक स्टाफ सदस्य था, जो जालंधर पासपोर्ट कार्यालय से नियुक्त हुआ था। इसकी तुलना में, जिला पासपोर्ट सैल, अमृतसर में, जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्य करने के लिए पांच स्टाफ सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

5. पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर बंद किया गया था। इसका कारण यह था कि अमृतसर में जिला पासपोर्ट सैल और पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केंद्र डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के उसी परिसर में कार्य कर रहे थे और इसके कारण जिला प्राधिकारी जिला पासपोर्ट सैल योजना को लोकप्रिय नहीं बना पा रहे थे।

6. यह जिला पासपोर्ट सैल योजना पंजाब में अत्यधिक सफल रही और वर्ष 2003 में जिला पासपोर्ट सैलों के माध्यम से 21 प्रतिशत आवेदन पत्र प्राप्त किए गए।

7. जिला पासपोर्ट सैलों के लोकप्रिय बनने से, पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र अनावश्यक हो गए। पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र को बंद करने का निर्णय अचानक नहीं लिया गया था। यह केवल उन्हीं मामलों में था, जहां जिला पासपोर्ट सैल विकल्प के तौर पर पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। वास्तव में, अधिकतर मामलों में जहां पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्र बंद हो गए हैं, वहां जिला पासपोर्ट सैल के कार्य प्रारंभ करने और सुस्थापित होने के पश्चात् ही ऐसा किया गया। यह पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र उपरोक्त नीति के अनुपालन में तीन अन्य स्थानों पर बंद कर दिए गए हैं।

8. विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने इस बात पर बल दिया है कि विकेन्द्रीकरण योजना को प्रोत्साहित किया जाए और जिला पासपोर्ट सैलों का पर्याप्त प्रचार किया जाए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने जनता के बीच जिला पासपोर्ट सैलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार किया। पासपोर्ट कार्यालय जालंधर को जिला पासपोर्ट सैल अमृतसर की कार्यप्रणाली को निकट से मानीटर करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं।

9. विकेन्द्रीकरण योजना के भाग के रूप में सरकार, प्रत्येक प्राप्त किए गए आवेदन पत्र, उसकी प्रक्रिया और उसे प्रेषित करने तथा जिला पासपोर्ट सैलों के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालयों को पुलिस जांच रिपोर्ट भेजने के लिए प्रति आवेदन पत्र 200 रुपए की राशि वितरित करती है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए विशेष प्रकोष्ठ

2997. श्री काशीराम राणा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के पर्यवेक्षण के लिए कोई अलग या विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के तहत कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या योजना में संशोधन के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय केन्द्रीय स्तर पर प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के कार्यान्वयन की मोनीटरिंग कर रहा है।

(ग) जी, हां। सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) ने 10 मार्च, 2004 तथा 28 मई, 2004 को स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा की है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1993-94 से 2003-04 की अवधि में 22.40 लाख के लक्ष्य के मद्दे शिक्षित बेरोजगार युवा को 19.70 लाख रु. के ऋण संवितरित किए गए हैं, इससे अनुमानत: 29.55 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ङ) और (च) जी, हां। स्कीम के कुछेक पैरामीटर्स जैसे कि कवर किए गए कार्यकलाप, आयु में छूट, शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक आय, ब्लाक/मंडल स्तर इत्यादि पर टास्क फोर्स का गठन को कार्यान्वयन एजेंसियों तथा पी.एम.आर.वाई. के संबंध में ''इवेलूएशन स्टडीज'' में निहित सिफारिशों के आधार पर आशोधित किया गया है।

[अनुवाद]

वर्ष 1993 के बम धमाकों के आरोपी का प्रत्यर्पण

2998. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. को वर्ष 1993 में बम धमाकों के आरोपी आबू सलेम एवं मोनिका बेदी के पुर्तगाल से प्रत्यर्पण में निराशा हाथ लगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके प्रत्यर्पण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) अबू सलेम और मोनिका बेदी के प्रत्यर्पण मामले में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस सीमा तक सफलता हासिल कर ली कि पुर्तगाल के उच्च न्यायालय ने अबू सलेम के मामले में 14.7.2004 को तथा मोनिका बेदी के मामले में 26.11.2003 को प्रत्यर्पण के आदेश पारित किए। परन्तु दोनों अभियुक्तों ने इन प्रत्यर्पण-आदेशों के विरुद्ध पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय में प्रत्यर्पण मामलों की पैरवी कर रही है।

काली सूची में डाले गए सी.जी.एच.एस. दवा विक्रेता

2999. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. के कुछ अधिकृत दवा विक्रेताओं को दिल्ली में हाल ही में काली सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मिली भगत से काली सूची वाले दवा विक्रेताओं द्वारा सी.जी.एच.एस. डिसपेंसरियों को दवा आपूर्ति करने के बारे में कोई प्रतिवेदन/शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाल्लमराजू लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2002 के दौरान मैसर्स ऋषभ एंटरप्राइजिज, नई दिल्ली और मैसर्स ओबराय मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स, करोलबाग को काली सूची में डाला गया था।

(ग) से (ङ) एक शिकायत मिली है कि मैसर्स बांथन में भागीदारी के नाम मैसर्स ऋषभ एंटरप्राइजिज के भागीदारों के नामों के सदृश हैं (जो काली सूची में शामिल हैं)। निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से एक महीने के भीतर उक्त शिकायत पर एक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

[हिन्दी]

टोल टैक्स

3000. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने स्थानों पर टोल टैक्स लिया जा रहा है;

(ख) इसके बारे में विवरण दें; और

(ग) अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों से कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के

23 खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) लिया जाता है। पुलों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित ब्योरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ग) 1976-77 से जुलाई, 2004 तक भारत सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) के रूप में कुल 892.39 करोड़ रु. एकत्र किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जून, 2004 तक प्रयोक्ता शुल्क के रूप में 966.66 करोड़ रु. एकत्र किए गए हैं।

[अनुवाद]

हरिहर-बेलगांव बाइपास की प्रगति

3001. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (282 से 515 कि.मी. हरिहर-बेलगांव बाइपास) एनएचएआई, पीयु धारवाड़ को चार/छः लाइन बनाने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य समयानुसार चल रहा है एवं निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 687.05 करोड़ रु. की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (282 से 515 कि.मी. तक हरिहर-बेलगांव बाइपास) को चार/छः लेन का बनाने का कार्य 18 से 64 कि.मी. की विभिन्न लंबाई के 4 पैकेजों में सौंपा गया है। इसे काफी हद तक दिसम्बर, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भूमि अधिग्रहण में विलंब, एग्रीगेट की अनुपलब्धता, रेलवे से आर.ओ.बी. की रूपरेखा के अनुमोदन में विलंब के कारण इसमें कुछ देरी हुई है।

स्वविवेक कोटा के अधीन टेलीफोन कनेक्शन

3002. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार स्वविवेक कोटा के अधीन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदनों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) अब तक दिए गए कनेक्शनों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) लंबित पड़े आवेदनों की जिलावार संख्या कितनी है;

(घ) देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित आवेदन पर कब तक कनेक्शन दिया जा सकेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) 1.1.2002 से 31.7.2004 तक, आंध्र प्रदेश से विवेकाधीन कोटे के तहत टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों, अब तक प्रदत्त कनेक्शनों की संख्या तथा लंबित पड़े आवेदनों के जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) क्षेत्रों की तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण कनेक्शन देने संबंधी कार्य लंबित पड़े हैं।

(ङ) शेष आवेदनों को 31.12.2004 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

1.1.2002 से 31.7.2004 तक विवेकाधीन कोटा के तहत नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन	अब तक प्रदान किए गए कनेक्शन	आज की तारीख तक लंबित पड़े आवेदन	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	अदिलाबाद	50	50	0	
2.	अनंतपुर	29	19	0	10 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं

1	2	3	4	5	6
3.	चित्तूर	185	170	1*	14 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
4.	कुडप्पा	31	30	0	1 मंजूरी निरस्त कर दी गई
5.	पूर्वी गोदावरी	32	16	0	16 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
6.	गुंटुर	292	278	0	14 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
7.	हैदराबाद+रंगारेड्डी	252	236	0	16 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
8.	करीमनगर	80	79	0	1 मंजूरी निरस्त कर दी गई
9.	खम्माम	52	44	0	8 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
10.	कृष्णा	423	406	0	17 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
11.	कुर्नूल	2	2	0	
12.	महबूबनगर	10	10	0	
13.	मेढाक	262	217	37*	8 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
14.	नालगोंडा	9	6	0	3 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
15.	नैल्लौर	149	135	0	14 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
16.	निजामाबाद	143	116	0	27 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
17.	प्रकाशम	266	242	0	24 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
18.	श्रीकाकुलम	405	358	0	47 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
19.	विशाखापत्तनम	28	28	0	
20.	विजियानगरम	34	31	0	3 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
21.	वारंगल	40	37	0	3 मंजूरियां निरस्त कर दी गईं
22.	पश्चिम गोदावरी	38	37	0	1 मंजूरी निरस्त कर दी गई

*इनके लिए मंजूरी 2004 के दौरान दी गई।

खादी और ग्रामीण उद्योगों की समस्याएं

3003. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामीण उद्योगों को बजटीय सहायता अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण एवं छूट देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी और ग्रामीण उद्योग के समक्ष अब गंभीर समस्याएं आ रही हैं और परिणामत: इकाइयां बंद हो रही हैं एवं बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है;

(घ) क्या सरकार खादी एवं ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी नई नीति पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जहां तक बजट समर्थित अनुदान और छूट का संबंध है, वे हमेशा की तरह जारी हैं। लेकिन लोन हेडों के तहत आवंटन कम हो गया है। 1995 तक, खादी तथा ग्रामोद्योग (के.वी.आई.सी.) खादी कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए 4 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराता था। खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के विस्तार के साथ, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी स्कीम (आई.एस.ई.सी.) के तहत संस्थागत वित्त के जुटाव की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत खादी संस्थानों के साथ-साथ ग्रामोद्योग संस्थानों/राज्य बोर्ड को इंटरेस्ट सब्सिडी एलिलिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए गए जबकि बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की वास्तविक दर और 4 प्रतिशत के बीच का अंतर के.वी.आई.सी. द्वारा ब्याज सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है। इस प्रयास का उद्देश्य संस्थागत वित्त के प्रवाह में वृद्धि करना था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के कार्यान्वयन के साथ, उद्यमियों को मार्जिन राशि के रूप में सहयोग प्रदान किया जाता है जो एक बार का अनुदान है और आवश्यक ऋण बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि, खादी संस्थानों के लिए आई.एस.ई.सी. जारी है।

(ग) जी, नहीं। छूट, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम (आई.एस.ई.सी.) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योगों को सहयोग देने के साथ, पिछले तीन वर्षों में उत्पादन और रोजगार बढ़ रहा है। तीन वर्षों के दौरान उत्पादन तथा रोजगार नीचे दर्शाया गया है:

(मूल्य: रुपये करोड़ों में और रोजगार: लाख व्यक्तियों में)

वर्ष	उत्पादन				रोजगार		
	खादी		ग्रामोद्योग	कुल	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
	गुणवत्ता (मिल स्क्वायर मीटर)	मूल्य	मूल्य	मूल्य			
2001-02	58.90	416.69	7140.52	7557.21	8.48	54.16	62.64
2002-03	62.03	443.07	8126.30	8569.37	8.58	57.87	66.45
2003-04 (पी)	63.27	451.93	9263.98	9715.91	8.61	62.57	71..18

(घ) और (ङ) जी हां, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) ने देश में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इसके साथ-साथ एन.सी.एम.पी. का कहना है कि के.वी.आई.सी. की क्रियाविधि की पुन: समीक्षा होगी और पारंपरिक उद्योगो जैसे कॉयर, पॉटरी, कुटीर उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए नए कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। इसे देखते हुए, सरकार ने कॉयर, हैंडलूम, हस्तशिल्प आदि पारंपरिक उद्योगों के नवीनीकरण के लिए एक कोष गठित करने का प्रस्ताव रखा है। 100 करोड़ रुपये के आरंभिक आवंटन के साथ एक कोष स्थापित किया गया है। संबंधित विभागों/प्रशासनिक मंत्रालयो से विचार-विमर्श करते हुए कोष के इस्तेमाल की प्रणाली सहित ब्यौरों पर काम किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार की अनुमति

3004. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के वे लाभार्थी जो लम्बे समय से चिरकालिक बीमारियों का इलाज रेफरल सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों से करवा रहे हैं, उन्हें अपनी संबंधित सी.जी.एच.एस. डिसपेंसरी से अपना इलाज विशेषज्ञ चिकित्सक से जारी रखवाने के लिए हर बार अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ चिकित्सक का इलाज रोगी की इच्छानुसार तब तक परिवर्तित या रोका नहीं जा सकता जब तक कि विशेषज्ञ स्वयं यह उचित नहीं समझे कि आगे इलाज की आवश्यकता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो रोगी को ऐसी पेचीदा प्रक्रिया से गुजरने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पहले से किसी रेफरल सरकारी अस्पताल में विशिष्ट उपचार ले रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल में अपना उपचार जारी रखने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। चूंकि दवाएं केवल लिखे गए वैध नुस्खों के आधार पर ही जारी की जाती हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उस अवधि जिसके लिए सरकारी डाक्टर द्वारा उन्हें पूर्व के उपचार के बारे में सलाह दी गई थी, के पूरा होने के बाद उपचार कर रहे विशेषज्ञ डाक्टर से नई राय प्राप्त करने/अपने नुस्खे का नवीनीकरण कराने की सलाह दी जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी का विशिष्ट चिकित्सीय उपचार सरकारी विशेषज्ञ डाक्टर की सलाह के आधार पर ही होता है। सरकारी विशेषज्ञ आवधिक तौर पर रोगी की समीक्षा करता है और क्लिनिकल स्थिति के आधार पर विशेषज्ञ नुस्खे/उपचार के कोर्स, को बदलने की सलाह दे सकता है जो रोगी के स्वास्थ्य के समग्र हित में होता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सरकारी विशेषज्ञ डाक्टर की सलाह लेने की अनिवार्यता नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल

3005. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने खस्ता हालात वाले पुल कौन से हैं;

(ख) वे कौन से पुल हैं जिनकी अब तक मरम्मत नहीं की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक इन पुलों के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष-वार योजना क्या थी; और

(घ) वे कौन से क्षतिग्रस्त पुल हैं जिन्हें पुन: निर्मित किया गया है/मरम्मत की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुलों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। तथापि, कुछ संकरे और पुराने पुल हैं जिनकी चरणबद्ध रूप में मरम्मत/पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वार्षिक योजना 2004-05 में पुनर्निर्माण/चौड़े किए जाने/मरम्मत के लिए प्रस्तावित पुलों की सूची विवरण-1 में दी गई है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक स्वीकृत पुलों की सूची विवरण-2 दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	रा.रा. सं.	वार्षिक योजना 2004-05 में शामिल पुलों के नाम
1	2	3
बड़े पुल		
पुनर्निर्माण/चौड़ा करना		
1.	207	17 और 103 कि.मी. पर पुल
मरम्मत		
2.	17	शरवती पुल
3.	17	102.5 कि.मी. पर काली पुल
4.	63	312 कि.मी. पर पुल
5.	48	सकलेशपुर में पुल
छोटे पुल		
पुनर्निर्माण/चौड़ा करना		
6.	13	42/1, 52/1, 64/1, 65/1, 34/1, 72/1, 85/1, 118/2, 122/1 और 168/1 कि.मी. पर पुल
7.	13	426.00 और 448.00 कि.मी. पर पुल
8.	13	503.10 और 522.30 कि.मी. पर पुल
9.	17	107.00, 136.65, 141.44 और 164.80 कि.मी. पर पुल
10.	17	167.4, 171.2, 173 और 178.5 कि.मी. पर पुल
11.	9	415/1 कि.मी. पर पुल
12.	48	309/0 कि.मी. पर पुल
13.	63	हलकोट के समीप 182 कि.मी. पर फ्लाईओवर पुल

1	2	3
14.	63	191.60 और 193.950 कि.मी. पर पुल
15.	63	196/1 और 198/1 कि.मी. पर पुल
16.	63	261/25 और 366/05 कि.मी. पर पुल
17.	207	104/05 और 58/862 कि.मी. पर पुल
18.	207	66/4 और 70/3 कि.मी. पर पुल
19.	207	126/7 और 135/75 कि.मी. पर पुल
20.	209	299/1, 247/1, 301/3 और 306/1 कि.मी. पर पुल
21.	209	364 और 366 कि.मी. पर पुल
22.	209	400/3, 417/2 और 421/2 कि.मी. पर पुल
23.	209	379/1, 394/1 और 400/3 कि.मी. पर पुल
24.	212	173/2 और 167/2 कि.मी. पर पुल
25.	63	205/1 कि.मी. पर पुल
26.	13	714 कि.मी. पर पुल
27.	13	115/1 कि.मी. पर पुल
28.	4 एम के बी	250, 308, 309 और 315 कि.मी. पर पुल
29.	4 एम के बी	256/1, 256/2, 251/1, 270/1 और 272/1 कि.मी. पर पुल
30.	218	8, 9 और 10 कि.मी. पर पुल
31.	218	129, 132 और 139 कि.मी. पर पुल

विवरण II

क्र.सं.	रा.रा. सं.	स्वीकृत पुल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु.)
1	2	3	4
2001-02			
1.	206	341 कि.मी. पर मवीनहल्ला पुल	84.65
2.	13	133/2-4 कि.मी. पर ट्रिपल बाक्स सेल पुल	29.02
3.	218	5/700, 18/500 और 20/500 कि.मी. पर छोटे पुल	83.68
4.	206	48.50 कि.मी. पर पुल	74.64
5.	9	पुल सं. 354/1, 357/1, 372/1, 374/1, 386/1 और 396/1	85.07
6.	48	223 कि.मी. पर हेमवती नदी पुल की विशेष मरम्मत	6.00
7.	209	274 कि.मी. पर पुल की विशेष मरम्मत	12.66
8.	218	112 कि.मी. पर छोटा पुल	23.79
9.	17	368.54 और 368/60 कि.मी. पर कुलूर पुल की विशेष मरम्मत	20.56

1	2	3	4
10.	48	327 कि.मी. पर नेत्रवती पुल की विशेष मरम्मत	12.17
2002-03			
1.	63	349.10 कि.मी. पर पुल	155.02
2.	17	189.15, 189.24, 189.3 और 189.45 कि.मी. पर ट्रिपल बाक्स सेल पुल	132.24
3.	17	99.143 कि.मी. पर मवीनाहोल पुल	11.83
4.	206	336 कि.मी. पर ट्रिपल बाक्स सेल पुल	36.83
5.	63	135 और 140 कि.मी. पर छोटे पुल	94.85
6.	13	431.175 कि.मी. पर पुल	46.88
7.	13	482.400 कि.मी. पर छोटा पुल	90.37
8.	17	241 से 350 कि.मी. पर पुल	160.00
9.	13	109/5 कि.मी. पर डान पुल	271.53
2003-04			
1.	13	497.800 कि.मी. पर पुल	185.24
2.	63	189.600 कि.मी. पर पुल	57.12
3.	209	415.08 कि.मी. पर पुल	34.96
4.	17	बेटकुली के समीप सिंगल बाक्स रेल पुल	144.25
5.	17	छोटा पुल सं. 219/2	17.16
6.	63	छोटा पुल सं. 10/3, 11/3 और 12/3	61.78
7.	13	171.50 कि.मी. पर ट्रिपल बाक्स रेल पुल	98.98
2004-05			
1.	63	197.830 कि.मी. पर छोटा पुल	42.72
2.	209	363/780 और 365/395 कि.मी. पर छोटा पुल	74.12
3.	209	420.100 कि.मी. पर छोटा पुल	37.07
4.	48	308.87 कि.मी. पर पुल	115.71
5.	13	पुल सं. 34/1 और 42/1	53.86

काल-दर/पल्स-दर में संशोधन

3006. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्रीमती कृष्णा तीरथ:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने काल-दर/पल्स-दर में संशोधन किया है एवं 1 जनवरी, 2004 से आईएसडीएन उपभोक्ताओं के लिए तीन अतिरिक्त मूलभूत योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो नए प्रशुल्क एवं योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी आपरेटरों द्वारा प्रभारित दरों की तुलना में संशोधित दरें किस प्रकार तय की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रशुल्क प्रतिस्पर्धात्मक और मार्केट परसेप्शन पर आधारित होते हैं।

विवरण

आईएसडीएन प्रशुल्क

आईएसडीएन टर्मिनल	योजना 1	योजना 2	योजना 3	योजना 4
1	2	3	4	5
आईएसडीएन टर्मिनलों के लिए जांच और संस्थापना प्रभारों की वसूली नहीं की जाएगी, यदि ऐसा उपस्कर उपभोक्ता द्वारा स्वयं खरीदा तथा संस्थापित किया जाता है**				
साधारण आईएसडीएन फोन	275 रु. (एक बार प्रभार)	275 रु. (एक बार प्रभार)	275 रु. (एक बार प्रभार)	285 रु. (एक बार प्रभार)
आईएसडीएन पीसी कार्ड	400 रु. (एक बार प्रभार)	400 रु. (एक बार प्रभार)	400 रु. (एक बार प्रभार)	400 रु. (एक बार प्रभार)
आईएसडीएन फीचर फोन	550 रु. (एक बार प्रभार)	550 रु. (एक बार प्रभार)	550 रु. (एक बार प्रभार)	550 रु. (एक बार प्रभार)
टर्मिनल एडाप्टर	475 रु. (एक बार प्रभार)	475 रु. (एक बार प्रभार)	475 रु. (एक बार प्रभार)	475 रु. (एक बार प्रभार)
आईएसडीएन पीबीएक्स प्रति पोर्ट	800 रु. (एक बार प्रभार)	800 रु. (एक बार प्रभार)	800 रु. (एक बार प्रभार)	800 रु. (एक बार प्रभार)
जी 4 फैक्स टर्मिनल	6,000 रु. (एक बार प्रभार)	6,000 रु. (एक बार प्रभार)	6,000 रु. (एक बार प्रभार)	6,000 रु. (एक बार प्रभार)

1	2	3	4	5
वीडियो फोन	1,350 रु. (एक बार प्रभार)	1,350 रु. (एक बार प्रभार)	1,350 रु. (एक बार प्रभार)	1,350 रु. (एक बार प्रभार)
आईएसडीएन उपस्कर (वैकल्पिक) हेतु मासिक किराया टिप्पणी: व्यैक्तिक आईएसडीएन उपस्कर हेतु मासिक किराये के लिए ये दरें, बीएसएनएल से उपस्कर किराए पर लेने की स्थिति में ही मान्य हैं।				
साधारण आईएसडीएन फोन	550 रु. प्रतिमाह	550 रु. प्रतिमाह	550 रु. प्रतिमाह	550 रु. प्रतिमाह
आईएसडीएन बीआरए प्रशुल्क				
पंजीकरण शुल्क (आईएसडीएन बीआरए)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रारंभिक जमा राशि एक बार एन्टी प्रभार (उपभोक्ता द्वारा बुकिंग के समय देय होगा)	5000/- रु. 2000/- रु.	5000/- रु. 2000/- रु.	5000/- रु. 2000/- रु.	5000/- रु. 2000/- रु.
बीआरए की अभिगम्यता हेतु मासिक किराया यूसेब प्रभार	500 रु.	500 रु.	1500 रु.	3300 रु.
मासिक नि:शुल्क काले	60	शून्य	1200	3600
नि:शुल्क कालों के बाद यूनिट काल प्रभार	61-300 रु. 0.80 300 से ऊपर 1.20 रु.	1.10 रु.	1.10 रु.	1.00 रु.
संस्थापना और जांच प्रभार				
बुनियादी दर अभिगम्यता (बीआरए) हेतु एन्टी 1 तक वायरिंग प्रभार। यदि उपभोक्ता आरंभिक वायरिंग की व्यवस्था स्वयं करता है तो पीएसटीएन सीधी एक्सचेंज लाइनों के मामले में 250 रु. की अतिरिक्त छूट अनुमत्य होगी।**	300 रु.** (एक बार प्रभार)	300 रु.** (एक बार प्रभार)	300 रु.** (एक बार प्रभार)	300 रु.** (एक बार प्रभार)

1	2	3	4	5
उपभोक्ता इंटरफेस बस	500 रु. (एक बार प्रभार)	500 रु. (एक बार प्रभार)	500 रु. (एक बार प्रभार)	500 रु. (एक बार प्रभार)
आईएसडीएन पीसी कार्ड	800 रु. प्रति माह	800 रु. प्रति माह	800 रु. प्रति माह	800 रु. प्रति माह
आईएसडीएन फीचर फोन	1,100 रु. प्रति माह	1,100 रु. प्रति माह	1,100 रु. प्रति माह	1,100 रु. प्रति प्रति माह
टर्मिनल अडॉप्टर	950 रु. प्रति माह	950 रु. प्रति माह	950 रु. प्रति माह	950 रु. प्रति माह
आईएसडीएन पीबीएक्स प्रति पोर्ट	1,600 रु. प्रति प्रति माह	1,600 रु. प्रति प्रति माह	1,600 रु. प्रति प्रति माह	1,600 रु. प्रति प्रति माह
जी 4 फैक्स टर्मिनल	12,000 रु. प्रति माह	12,000 रु. प्रति माह	12,000 रु. प्रति माह	12,000 रु. प्रति माह
वीडियो फोन	2,700 रु. प्रति माह	2,700 रु. प्रति माह	2,700 रु. प्रति माह	2,700 रु. प्रति माह

आईएसडीएन लाइन सेवाओं में तकनीकी रूप से उपलब्ध सभी फोन प्लस सेवाएं (मूल्य वर्द्धित सेवाएं) निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

[हिन्दी]

घातक रोगों के इलाज पर खर्च

3007. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घातक रोगों के क्या नाम हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज पर रोग-वार अनुमानित खर्च क्या है;

(ख) ऐसे रोगों से प्रभावित आम जनता के इलाज के लिए कौन सी सरकारी अनुदान प्रदान करती हैं तथा उसके अनुदान के लिए पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया क्या है; और

(ग) इन रोगों के इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य सरकारी चिकित्सा केन्द्रों को वर्ष 2003-2004 में दिए गए अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह संस्थान सुपर स्पेशिलिटी रेफरल अस्पताल होने के कारण अपने बहिरंग रोगी प्रभाग/एमरजेंसी तथा स्पेशिलिटी क्लीनिकों में सभी तरह के रोगियों को उपचर्या प्रदान करता है। बड़ी संख्या में गंभीर रूप से बीमार मरीज अस्पताल में आते हैं। संस्थान में रोग-वार व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) संस्थान में अति गरीब वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दो स्कीमें हैं, जो निम्न प्रकार है:-

(1) स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान

इस स्कीम के तहत निर्धन और जरूरतमन्द रोगियों को गम्भीर बीमारी के उपचार और गंभीर सर्जरी पर होने वाले अस्पतालीय व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। जिन बीमारियों के लिए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं, वे बीमारियां है-हृदय से जुड़ी बीमारी, गुर्दा प्रत्यारोपण, हिप एण्ड नी रिप्लेसमेन्ट, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, नेत्र ट्यूमर आदि। अनुदान एक बारगी स्वीकृत किया जाता है जो अधिकतर 20,000 रुपये तक होता है तथा यह अनुदान राशि उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी की जाती है जहां मरीज का उपचार हो रहा होता है।

(2) राष्ट्रीय आरोग्य निधि

इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन मरीजों को विशेष सुविधा-सम्पन्न अस्पतालों/संस्थानों या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जो जीवन के लिए घातक गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे हों। ऐसे मरीजों को एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाती है जो उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी की जाती है जहां मरीज

उपचाररत रहता है। जिन अस्पतालों/संस्थानों में उपचारार्थ रिपोर्ट करने वालों के उपचार के लिए 50,000 रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की व्यवस्था है उनमें 10 लाख रुपये की राशि अग्रिम के रूप में सम्बद्ध चिकित्सा अधीक्षकों के पास रखी हुई है। ये संस्थान हैं–अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, एल.एच.एम.सी. एण्ड श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली पी.जी.आई.एम.ई.आर.–चण्डीगढ़, जे.आई.पी.एम.ई.आर.–पांडिचेरी, निमहन्स–बंगलौर, सी.एन.सी.आई.–कोलकाता, एस.जी.पी.जी.आई. एम.एस.–लखनऊ, गांधी जी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (के.जी.एम.सी.), लखनऊ आर.सी.आई.पी.–रांची।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनके स्टेट इलनेस फन्ड के लिए 50% तक का योगदान देती है जो बड़े राज्यों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के लिए 2 करोड़ रुपये तक होता है।

वर्ष 2003-2004 के लिए अस्पतालों/संस्थानों से जुड़े रिवाल्विंग फन्ड का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

निमहन्स-बंगलौर	30.00
एम्स-नई दिल्ली	40.00
सी.एन.सी.आई.-कोलकाता	8.00
जे.आई.पी.एम.ई.आर.-पांडिचेरी	8.00

[अनुवाद]

मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम

3008. मो. मुकीम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए किन निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह बात सही है कि ये अस्पताल कपटपूर्ण गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. द्वारा काली सूची में डाला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए 18 शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लगभग 700 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने के लिए विभिन्न कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं। ये कार्यालय ज्ञापन भारत के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के अस्पताल बिलों के संबंध में कुछ शिकायतें हैं और इस मामले की जांच सी.बी.आई. कर रही है। कुछ अन्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहरों के लिए निजी अस्पतालों के संबंध में, प्रारंभिक जांच शुरू की गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त कुछ निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त "घ" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची जहां पर अनियमितताएं पाई गई

क्र.सं.	अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
1	2	3	4
		हैदराबाद	
1.	अवेयर हास्पिटल	इस अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रैफर करना बन्द कर दिया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	

1	2	3	4
2.	श्रवण हास्पिटल	-तदैव-	
3.	श्रीमती भगवान देवी हास्पिटलस	-तदैव-	
4.	कोणार्क डायगनोस्टिक सेन्टर	-तदैव-	
5.	मेडिसिटी हास्पिटल	इस अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रैफर करना बन्द कर दिया गया।	माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 21.1.04 के आदेश के अनुसार रैफर बन्द करने के आदेश को लागू करना स्थगित कर दिया गया है।
6.	यशोदा सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल	-तदैव-	-तदैव-
7.	सी.डी.आर. हास्पिटल	-तदैव-	-तदैव-
8.	अपोलो हास्पिटल	-तदैव-	-तदैव-
9.	मैसर्स हैदराबाद नर्सिंग होम	क्यों न अस्पताल की मान्यता खत्म कर दी जाए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
10.	कैलाश डायगनोस्टिक एण्ड रिहैबिलिटेशन सेन्टर	-तदैव-	
11.	मैसर्स कामीनानी हास्पिटल	-तदैव-	
12.	मैसर्स निखिल मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल	क्यों न अस्पताल की मान्यता खत्म कर दी जाए के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
13.	मैसर्स मेडिविन हास्पिटल	-तदैव-	
		मेरठ	
1.	दि यशलोक हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रैफर करना बन्द कर दिया गया और कारण बताओ नोटस जारी किया गया।	
2.	तुलसी हास्पिटल	-तदैव-	
3.	मधु नर्सिंग होम	-तदैव-	

1	2	3	4
		पुणे	
1.	एन.एम. वाडिया हास्पिटल	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रैफर करना बन्द कर दिया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
2.	ग्रान्ट मेडिकल फाउंडेशन, रूबी हाल क्लीनिक	-तदैव-	
3.	पूना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	-तदैव-	समीक्षा के बाद, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को फिर रैफर करना फिर चालू कर दिया गया है।
4.	दीनदयाल मेमोरियल हास्पिटल	-तदैव-	-तदैव-

केबल की कमी

3009. श्री एन.एस. कृष्णदास: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने हेतु केबल एवं अन्य सामान की अत्यधिक कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 2003-04 के लिए केबल निविदा के संबंध में मुकदमेबाजी के कारण केबल निविदा को अंतिम रूप देने तथा सर्किलों को केबल आबंटित करने में विलम्ब हुआ। केबल निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात्, 94.992 एलसीकेएम पीआईजेएफ केबल का आर्डर दिया गया था और मार्च, 2004 के विभिन्न सर्किलों को उसका आबंटन किया गया जिसकी उत्तरोत्तर रूप से आपूर्ति की जा रही है और यह आपूर्ति अक्तूबर, 2004 तक पूरी होने की संभावना है।

(ग) 2004-05 के दौरान, भारत संचार निगम लि. 25.008 एलसीकेएम पीआईजेएफ केबल के प्रापण संबंधी कार्रवाई कर रहा है।

सारस की दुर्घटनाएं

3010. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परीक्षण उड़ान के दौरान सारस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 'सारस' परियोजना में देरी हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सारस कब तक संचालन में आ सकेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। सारस के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी, किन्तु दिनांक 19 जुलाई, 2004 को तीसरी परीक्षण उड़ान के दौरान एक मामूली सी घटना हुई।

(ख) जमीन को छूते ही सारस धावकपथ (रनवे) के एक ओर तत्पश्चात् दूसरी ओर घूम गया। इस विमान को नियंत्रित किए जाने और रनवे पर वापस लाने तथा रोके जाने से पहले इसका एक मुख्य पहिया रनवे से नीचे उतर गया।

(ग) और (घ) किसी भी घटना, चाहे मामूली हो, के बाद सतत् उड़ान योग्यता के लिए विमान की अच्छी तरह से जांच

करनी पड़ती है और उस घटना के कारण का पता लगाया जाता है तथा भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस उड़ान परीक्षण को प्रारम्भ करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। कुछेक टैक्सी परीक्षणों के बाद अगस्त, 2004 के तीसरे सप्ताह में उड़ान परीक्षण प्रत्याशित है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण केन्द्र

3011. श्री सुरेश चन्देल:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत परिवार कल्याण केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से विशेषकर मातृ-शिशु कल्याण हेतु परिवार कल्याण केन्द्र खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या 5435 है। तथापि, केन्द्र द्वारा समस्त उप-केन्द्रों से जुड़ी स्कीम का कार्य सम्भालने के बदले, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों से जुड़ी स्कीम को दिनांक 1.4.2002 से राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की राज्यवार संख्या विवरण-1 में दी गयी है।

(ख) और (ग) मातृ-शिशु कल्याण हेतु परिवार कल्याण केन्द्र खोलने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों को शहरी एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के रख-रखाव के लिए जारी अनुदान सहायता तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय राशि का ब्यौरा क्रमश: विवरण-2 और 3 में दिया गया है।

विवरण

देश में कार्यरत परिवार कल्याण केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	131	420
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	0
3.	असम	10	146
4.	बिहार	26	587
5.	छत्तीसगढ़	8	0
6.	गोवा	0	13
7.	गुजरात	113	251
8.	हरियाणा	19	93
9.	हिमाचल प्रदेश	89	77
10.	झारखंड	16	0
11.	जम्मू व कश्मीर	12	82
12.	कर्नाटक	87	269
13.	केरल	0	163
14.	मध्य प्रदेश	55	460
15.	महाराष्ट्र	74	428
16.	मणिपुर	2	31
17.	मेघालय	1	23
18.	मिजोरम	1	14
19.	नगालैंड	0	7
20.	उड़ीसा	10	314
21.	पंजाब	23	129
22.	राजस्थान	61	232

1	2	3	4
23.	सिक्किम	1	15
24.	तमिलनाडु	65	383
25.	त्रिपुरा	9	35
26.	उत्तर प्रदेश	78	907
27.	उत्तरांचल	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	111	335
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
30.	चण्डीगढ़	3	1
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0
32.	दमन व द्वीव	0	0
33.	दिल्ली	69	8
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	0	12
36.	केन्द्रीय क्षेत्र	0	0
	कुल	1083	543

विवरण-2

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए जारी राशि और व्यय राशि

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र					
		2001-02		2002-03		2003-04	
		जारी राशि	सूचित व्यय राशि	जारी राशि	सूचित व्यय राशि	जारी राशि	सूचित व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	302.00	644.80	518.63	664.69	630.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	82.00	21.14	28.02		46.40	26.01
3.	असम	100.00	100.54	56.00	115.96	59.20	105.50
4.	बिहार	85.15		134.13		185.00	
5.	छत्तीसगढ़	29.55		46.50		65.00	
6.	गोवा						35.94
7.	गुजरात	354.00	409.02	536.52	831.31	725.00	
8.	हरियाणा	48.00	1.15	62.59	1.15	100.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	102.00	470.88	152.01	284.57	210.00	
10.	जम्मू व कश्मीर	22.00	25.06	31.30	25.67	45.00	30.38
11.	झारखंड	42.85		76.90		95.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	280.00	548.51	411.33	564.54	565.00	
13.	केरल						
14.	मध्य प्रदेश	175.45	480.28	158.16	614.87	355.00	596.40
15.	महाराष्ट्र	205.00		308.50		425.00	
16.	मणिपुर	35.00	19.44	15.88	0.17	18.00	
17.	मेघालाय	21.00	7.54	7.88	6.98	8.80	6.16
18.	मिजोरम	21.00	15.46	7.13	12.79	8.80	3.32
19.	नगालैंड						
20.	उड़ीसा	34.00		52.76		70.00	
21.	पंजाब	74.00	76.81	30.00		145.00	71.28
22.	राजस्थान	157.00	437.83	241.43	465.24	330.00	488.05
23.	सिक्किम	21.00	33.58	8.00	13.54	6.60	17.38
24.	तमिलनाडु	122.00		178.84		255.00	
25.	त्रिपुरा	70.00	3.31	36.00		35.00	6.19
26.	उत्तर प्रदेश	320.58		464.08		630.00	
27.	उत्तरांचल	12.42	84.21	18.78	100.82	25.00	
28.	पश्चिम बंगाल	379.00	94.94	572.29	252.18	785.00	
29.	दिल्ली	350.00	576.52		175.00	365.69	161.85
30.	पांडिचेरी						
	सकल जोड़	3445.00	4051.02	4153.66	4129.48	6188.49	1548.46

अन्य राज्यों ने व्यय राशि की जानकारी नहीं दी है।

विवरण III

वर्ष 2001-02 के दौरान ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए जारी राशि और व्यय राशि

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	
		जारी राशि	सूचित व्यय राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3135.00	6522.30
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम	2315.00	
4.	बिहार	2981.00	
5.	छत्तीसगढ़	1381.00	
6.	गोवा	95.00	
7.	गुजरात	1875.00	
8.	हरियाणा	693.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	574.00	

1	2	3	4
10.	जम्मू एवं कश्मीर	612.00	
11.	झारखंड	1404.00	
12.	कर्नाटक	2008.00	3605.46
13.	केरल	1216.00	5832.16
14.	मध्य प्रदेश	2054.00	
15.	महाराष्ट्र	3196.00	5183.65
16.	मणिपुर	492.00	
17.	मेघालय	365.00	
18.	मिजोरम	223.00	
19.	नगालैंड	112.00	
20.	उड़ीसा	2344.00	1832.08
21.	पंजाब	962.00	982.18
22.	राजस्थान	1733.00	1342.00
23.	सिक्किम	238.00	367.86
24.	तमिलनाडु	2860.00	3073.81
25.	त्रिपुरा	555.00	
26.	उत्तर प्रदेश	6185.00	7032.36
27.	उत्तरांचल	590.00	
28.	पश्चिम बंगाल	2502.00	4337.59
29.	दिल्ली	80.00	3.74
30.	पांडिचेरी	120.00	
	कुल	42900.00	40115.19

अन्य राज्यों ने व्यय राशि का ब्यौरा नहीं दिया है।

हवाई यात्रा द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत

3012. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समूह 'क' एवं 'ख' सरकारी अधिकारियों को छुट्टी यात्रा रियायत पर दिल्ली श्रीनगर भाग में जाने के लिए हवाई यात्रा करने की अनुमति दिए जाने के पीछे सरकार का क्या तर्क है जबकि श्रीनगर हिंसा संभावित क्षेत्र है;

(ख) क्या जम्मू भारत के महत्वपूर्ण स्थानों से सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से जुड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा को केवल जम्मू-श्रीनगर तक ही प्रतिबंधित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य भागों में भी हवाई यात्रा द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) यद्यपि जम्मू भारत के मुख्य शहरों/कस्बों से रेलमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा है फिर भी कश्मीर घाटी में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, समूह 'क' और 'ख' के सभी सरकारी कर्मचारियों को, दो वर्ष की अवधि के लिए, छुट्टी यात्रा रियायत पर, नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच नेशनल कैरियर की एयर इकानॉमी (वाय) श्रेणी में हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंध, छुट्टी यात्रा रियायत पर श्रीनगर जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं

3013. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति का कोई जायजा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान तथा आज तक राज्य में विभिन्न एक्सचेंजों में कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं; और

(च) राज्य में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। तथापि, कभी-कभी प्रतिकूल मौसम में भूस्खलन, आंधी-तूफान तथा बादल फटने इत्यादि के कारण सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) दोष दर, दोष निपटान, काल समाप्ति दर इत्यादि जैसे कार्य-निष्पादन पैरामीटरों के संबंध में प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इस संबंध में तिमाही आधार पर उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है।

(ङ) हिमाचल प्रदेश के सभी एक्सचेंजों में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है:

(1) वर्ष 2003-04 के दौरान - 606097

(2) 1.4.2004 से 31.7.2004 - 206395

(च) दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- सभी एसबीएम स्विचों को आरएसयू (रिमोट स्विचिंग यूनिटों) में और 256 पोर्ट आरएएक्स को एएन-आरएएक्स (एक्सेस नेटवर्क-रूरल आटोमैटिक एक्सचेंज) में उत्तरोत्तर रूप से बदलना।
- बेहतर संपर्कता के लिए पारेषण माध्यम में वृद्धि करना और पारेषण रिंग प्रदान करना।
- पोल रहित नेटवर्क का सर्जन।
- आईवीआरएस के माध्यम से एसडीसीसी में दोष दर्ज करना।

[अनुवाद]

भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि

3014. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पुर्तगाल ने प्रत्यर्पण संधि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संधि पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त संधि कतिपय अभियुक्तों की भारत में प्रत्यर्पण में कितनी मददगार सिद्ध होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। दोनों पक्षों ने प्रस्तावित प्रत्यार्पण संधि के मसौदों का आदान-प्रदान किया है।

(ग) प्रत्यार्पण संधि के निष्पादन में कानूनी और कार्यविधिक मामलों पर व्यापक वार्ता शामिल होती है। पुर्तगाल के साथ यह वार्ताएं अभी शुरू की जानी हैं, और इसलिए, इस संबंध में एक विशिष्ट समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं होगा।

(घ) प्रस्तावित संधि ऐसे भगोड़े अपराधियों, जिन पर प्रत्यार्पणीय अपराध करने का आरोप है, के प्रत्यार्पण के लिए एक कानूनी रूपरेखा उपलब्ध कराएगी।

वार्षिक योजना राशि में कटौती

3015. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों ने अपनी वार्षिक योजना में कटौती की है और मूल योजना में कितनी कटौती की है तथा उसमें कितनी राशि की कमी की गई है;

(ख) वार्षिक योजना में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी वार्षिक योजना में कमी की है और गुजरात सरकार द्वारा वार्षिक योजना को कार्यान्वित करने हेतु केंद्रीय योजना की कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गुजरात सरकार द्वारा वार्षिक योजना की कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) उन राज्यों के नाम जिन्होंने गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 में अपनी वार्षिक योजना में कटौती की है, कटौती के आकार, मूल तथा संशोधित परिव्ययों सहित ब्यौरे विवरण 1, 2 और 3 में दिए गए हैं।

(ख) योजना के आकार में कमी का मुख्य कारण राज्यों द्वारा यथा प्रत्याशित संसाधनों का जुटाव करने में असमर्थता है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार की वार्षिक योजना आकार को वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 में संशोधित स्तर पर मूल अनुमोदित परिव्ययों से कम कर दिया गया था। केन्द्रीय योजना निधियां केन्द्र सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जाती हैं, न कि राज्यों की वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2001-02 के लिए राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2001-02		
		मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	संशोधित परिव्यय में कटौती की राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,378.00	7,816.48	561.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	661.00	660.91	0.09
3.	गुजरात	7,267.85	6,500.00	767.85
4.	हरियाणा	2,150.00	1,814.17	335.83
5.	कर्नाटक	8,941.56	7,903.79	1037.77
6.	केरल	3,015.00	2,260.00	755.00
7.	मणिपुर	520.00	352.68	167.32
8.	मेघालय	487.00	472.82	14.18
9.	उड़ीसा	3,000.00	2,300.00	700.00
10.	राजस्थान	5,031.00	4,642.35	388.65
11.	तमिलनाडु	6,040.00	5,200.00	840.00
12.	उत्तर प्रदेश	8,400.00	4,872.77	3527.23
13.	पश्चिम बंगाल	7,186.13	5,693.31	1492.82
	कुल	61077.54	50489.28	10588.26

विवरण-2

वर्ष 2002-03 के लिए राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2002-03		
		मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	संशोधित परिव्यय में कटौती की राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,100.00	8,553.19	1546.81
2.	बिहार	2,964.40	2,314.00	650.40
3.	हरियाणा	2,034.00	1,819.19	214.81
4.	कर्नाटक	8,610.61	8,420.63	189.98
5.	केरल	4,026.00	3,425.00	601.00
6.	मेघालय	545.00	480.43	64.57
7.	उड़ीसा	3,100.00	2,550.00	550.00
8.	राजस्थान	5,160.00	4,370.78	789.22
9.	उत्तर प्रदेश	7,250.00	6,393.31	856.69
10.	पश्चिम बंगाल	6,307.00	3,682.50	2624.50
	कुल	50097.01	42009.03	8087.98

विवरण III

वर्ष 2003-04 के लिए राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2003-04		
		मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	संशोधित परिव्यय में कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,970.46	10,028.00	942.45
2.	बिहार	3,320.00	2,642.00	678.00

1	2	3	4	5
3.	गोवा	649.99	619.20	30.94
4.	गुजरात	7,860.00	6,740.00	1120.00
5.	हरियाणा	2,068.00	1,850.00	218.00
6.	केरल	4,430.00	3,796.23	633.77
7.	मध्य प्रदेश	5,703.00	5,076.04	626.96
8.	महाराष्ट्र	12.050.00	10,500.00	1550.00
9.	मेघालय	555.00	536.00	16.65
10.	नगालैंड	500.00	504.00	0.34
11.	उड़ीसा	3,200.00	2,714.50	485.50
12.	पंजाब	2,822.00	2,333.88	488.12
13.	त्रिपुरा	650.00	622.03	27.97
14.	उत्तर प्रदेश	7,728.00	7,257.72	470.28
15.	पश्चिम बंगाल	3,894.00	3,065.28	828.72
	कुल	66400.45	58284.88	8117.71

पद आधारित रोस्टर लागू करना

3016. श्री बनलाल जावमा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने दिनांक 2.7.1997 से रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी श्रेणियों के पदों के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का विचार रोस्टरों संबंधी दिनांक 2.7.1997 और 13.8.1997 के परिपत्रों को वापस लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां।

(ख) श्री आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10 फरवरी, 1995 के निर्णय का कार्यान्वयन किए जाने के प्रयोजन से यह व्यवस्था की गई।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियत करने के मानदण्ड कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) में दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

3017. श्री तापिर गाव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु निर्धारित जिला-वार/वर्ष-वार लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोनों का जिलावार/वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनैक्शन प्रदान करने के लिए अलग-से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए अरुणाचल प्रदेश हेतु निर्धारित वायर्ड लाइन संबंधी लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2001-02	6300	8119
2002-03	4600	5474
2003-04	1400	3681

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गए टेलीफोनों का जिला-वार/वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अब तक अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बीटीएस सहित, वायरलैस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) की कुल 4500 लाइनों की क्षमता संस्थापित की गई है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एमएससी आधारित 7250 क्षमता की डब्ल्यूएलएल प्रणाली संस्थापित करने की योजना है।

चालू वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को 0.030 एलसीकेएम केबल का आबंटन किया गया है।

डब्ल्यूएलएल के उपरोक्त विस्तार कार्यक्रम और आबंटित केबल से अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किए जाने की संभावना है।

विवरण

अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदत्त टेलीफोनों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	1.4.2004 से 1.7.2004
1.	तवांग	335	396	73	122
2.	पश्चिमी कामेंग	430	188	333	49
3.	पूर्वी कामेंग	425	309	189	51
4.	पापम्पेर	513	248	109	0
5.	पूर्वी सियांग	261	64	31	1
6.	पश्चिमी सियांग	586	170	160	0
7.	अपर सियांग	20	141	356	53
8.	अपर सुबांसिरी	364	207	227	2
9.	लोवर सुबांसिरी	457	228	443	65
10.	लोहित	442	960	110	28
11.	दिबांग वैली	139	270	228	2
12.	चांगलोंग	602	420	153	72
13.	तीरप	197	195	66	5
14.	कुरूंगकुमे	51	20	10	6
	कुल	4822	3819	2488	456

लघु उद्योगों को सुरक्षा

3018. श्री सुनील खां: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की सुरक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सामानों पर उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं जिनसे लघु क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या लघु उद्योगों का बढ़ावा देने हेतु एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) लघु औद्योगिक (लघु उद्योग) इकाइयों को 1 करोड़ रुपए की प्रथम स्वीकृति तक उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट है, बशर्ते कि वे अपने निवेशों पर अदा किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ नहीं उठाते हैं। ऐसे मामले में जहां, लघु उद्योग इकाइयां ऐसे क्रेडिट का लाभ उठाती हैं, वहां उन्हें 1 करोड़ रु. की प्रथम स्वीकृति पर साधारण शुल्क के 60 प्रतिशत की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क अदा करना होगा।

(ग) और (घ) लघु उद्योग उधारकर्ताओं को एकल खिड़की के माध्यम से आवधिक ऋण एवं कार्यशील पूंजी, दोनों प्राप्त करने में सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने संयुक्त ऋण सीमा को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. कर दिया है। कई राज्य सरकारों ने भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों से स्वीकृति एवं अनुमोदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एकल खिलाड़ी प्रणाली लागू की है।

[हिन्दी]

मेघदूत कार्ड

3019. डा. राजेश मिश्रा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 'मेघदूत' कार्ड' छपवाने तथा उन्हें देश में सभी डाकघरों द्वारा वितरित न करवाने के पीछे क्या प्रयोजन है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान अलग-अलग कितने साधारण और 'मेघदूत कार्ड' छपवाए और वितरित किए गए;

(ग) इन दोनों कार्डों में अंतर के क्या कारण हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्ड उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(घ) जनहित के विरुद्ध जाने वाली उक्त अवांछित प्रणाली को रोकने तथा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मेघदूत पोस्टकार्ड एक प्रीमियम उत्पाद है, जिसकी शुरुआत डाक विभाग द्वारा सितंबर, 2002 में की गई थी। मेघदूत पोस्टकार्ड की विशेषता यह है कि इसमें पते की बाईं तरफ वाली जगह का इस्तेमाल ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में उत्पादों तथा सेवाओं के विज्ञापन के लिए अथवा विज्ञापकों के संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए किया जाता है।

मेघदूत पोस्टकार्ड छापने का उद्देश्य विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। विभाग को विज्ञापन के एवज में (कम से कम 1 लाख कार्डों के आर्डर पर) प्रति मेघदूत पोस्टकार्ड 2 रु. प्राप्त होते हैं। इसी कारण विभाग मेघदूत पोस्टकार्ड को 0.25 रु. की कम कीमत पर बेच पाता है। विज्ञापन चूंकि हमेशा किसी ग्राहक समूह को लक्ष्य करके दिया जाता है, इसलिए विज्ञापन मेघदूत पोस्टकार्डों के वितरण का क्षेत्र निर्धारित कर सकता है। अत: ये कार्ड अधिकतर विज्ञापकों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में ही उपलब्ध होते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। अब तक विभिन्न राज्यों से विज्ञापकों के आर्डर प्राप्त हुए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। 2002 में विभाग इस उत्पाद की शुरुआत से विज्ञापन राजस्व के रूप में 2.19 करोड़ रु. अर्जित कर चुका है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान मुद्रित तथा वितरित साधारण पोस्टकार्डों की संख्या-2054.1 लाख।

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान मुद्रित तथा वितरित मेघदूत पोस्टकार्डों की संख्या -70.35 लाख।

(ग) मेघदूत पोस्टकार्ड के पते की तरफ के बांए हिस्से पर कोई प्रायोजित संदेश अथवा विज्ञापन होता है। मेघदूत पोस्टकार्ड विज्ञापकों से आर्डर प्राप्त होने पर ही मुद्रित किए जाते हैं। इसलिए इनकी संख्या आर्डर के आधार पर ही निर्धारित होती है। विभाग द्वारा मुद्रित साधारण पोस्टकार्ड विभाग के वार्षिक अनुमान के आधार पर मुद्रित किए जाते हैं और यह डाक विभाग के पारंपरिक डाक उत्पादों में से एक हैं।

विज्ञापक को मेघदूत पोस्टकार्डों के वितरण के क्षेत्र/क्षेत्रों (जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं) के निर्धारण की अनुमति होती है, अतः इन पोस्टकार्डों की उपलब्धता अधिकतर विज्ञापकों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में ही होती है जबकी साधारण पोस्टकार्ड भारत भर के डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेट्री का परिवर्तन

3020. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेन्ट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेट्री (सी.आई.पी.एल.), गाजियाबाद को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (आई.पी.यू.) जैसे स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कमीशन में परिवर्तित होने के बाद सी.आई.पी.एल. में कार्यरत कर्मचारियों के हितों पर आंच आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय भेषजसंहिता फार्माकोपिया आयोग के गठन और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भारतीय भेषजसंहिता प्रयोगशाला की मौजूदा सुविधाओं का प्रयोग करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

समेकित रोग निरीक्षण परियोजना हेतु ऋण

3021. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने समेकित रोग निरीक्षण परियोजना हेतु भारत को ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण का प्रस्ताव रखा है और यह ऋण किन-किन रोगों के लिए स्वीकृति किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रोग निरीक्षण एकक स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां, विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ने वर्ष 2004-2009 के दौरान कार्यान्वित की जाने के लिए प्रस्तावित समेकित रोग निगरानी परियोजना के लिए 68 मिलियन अमरीकी डालर के उदार ऋण देने की पेशकश की है। इस परियोजना में मलेरिया, टाइफायड, हैजे, पोलियो, क्षयरोग, एचआईवी/एड्स, खसरे, प्लेग और अन्य असामान्य सिन्ड्रोमों की निगरानी शुरू की जाएगी। यह परियोजना सड़क यातायात दुर्घटनाओं, जल और वायु की गुणवत्ता और हृदय रोगों, मधुमेह, कैंसरों समेत गैर-संचारी रोगों के जोखिम घटकों को भी कवर करेगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रोग निगरानी समिति इस परियोजना को मानीटर करेगी और स्वास्थ्य विभाग के अधीन केन्द्रीय रोग निगरानी एकक इसको कार्यान्वित करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर दुर्घटनाएं

3022. श्री आत्मा सिंह गिल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर सिरसा में फतेहाबाद रोड, रेलवे क्रासिंग पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं और इस राजमार्ग पर वाहनों की भीड़भाड़ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थान पर पुल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरु किए जाने की संभावना है तथा इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ङ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(च) यदि सरकार उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) दुर्घटनाओं तथा यातायात की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां एक रेल उपरि पुल निर्मित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) रेलवे द्वारा रूपरेखा के अनुमोदन के पश्चात् सामान्य व्यवस्था रूपरेखा (जी ए डी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार की जानी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श हेतु राज्य सरकारों को प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। फिलहाल, इस परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि, पूरा होने की तिथि और इस पर होने वाले संभावित व्यय को बता पाना अभी संभव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3023. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हजारीबाग-बरास्ता-कटकामसंदी-गिधौर और बटकथा से कोडरमा-बरास्ता-जयनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स/एचआईवी पीड़ित बच्चे

3024. श्री रामचन्द्र पासवान:
डा. पी.पी. कोया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एचआईवी/एड्स पीड़ित बच्चे भेदभाव का सामना कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 3 अगस्त, 2004 के 'द एशियन ऐज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) एचआईवी/एड्स पीड़ित बच्चों को दी जाने वाली चिकित्सा संबंधी देखरेख का ब्यौरा क्या है;

(घ) बच्चों के एड्स/एचआईवी से पीड़ित होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एड्स/एचआईवी पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए कोई सरकारी नीति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मानवाधिकार आयोग और अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने इस समस्या को नियंत्रित करने हेतु कोई सुझाव दिए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) एशियन एज ने अपनी 29 जुलाई, 2004 की यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि बच्चों को उनके एच.आई.वी. स्टेट्स के कारण स्कूलों, क्लीनिकों तथा अनाथालयों से निकाला जा रहा है। यह रिपोर्ट सम्भवत: ऐसे व्यक्ति की देखी-सुनी बात पर आधारित है जिससे संवाददाता ने सम्पर्क साधा हो लेकिन इस रिपोर्ट में किसी स्कूल, क्लीनिक अथवा अनाथालय का कोई विशिष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया है जहां यह हो रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नीति में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों की निन्दा नहीं की जाएगी तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। जानकारी और इसके निवारण उपचार, परिचर्या और सहायता से संबंधित सेवाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(ग) 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित एड्स के सभी रोगियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:-

1. जिला अस्पतालों में अवसरवादी संक्रमण और एस.टी.आई. क्लीनिकों में यौन संचारित रोगों का उपचार।
2. माता-पिता से बच्चे में संचरण निवारण के सभी केन्द्रों में माता और नए जन्मे शिशुओं को संक्रमित माताओं से नए जन्मे शिशुओं में होने वाले एच.आई.वी. संचरण के निवारण हेतु नेविरापाइन की एकल खुराक दी जाती है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में पता लगाए गए 8 ए.आर.टी. केन्द्रों में आने वाले रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा के पात्र बच्चों को नियमित रूप से रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा दी जाती है।

(घ) किसी निवारक उपचार के अभाव में एच.आई.वी. संक्रमित माता से बच्चे में 30 प्रतिशत तक एच.आई.वी. संचरण होने की संभावना होती है। तथापि, बच्चों को संक्रमित रक्ताधान, संक्रमित सुईयों, सिरिंजों और यौन कदाचार से भी एच.आई.वी. संक्रमण हो सकता है।

(ङ) और (च) भारत सरकार की एच.आई.वी. नीति से स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि एच.आई.वी. पाजिटिव बच्चों के साथ घर में, समुदाय में, स्कूल में और अन्य सामाजिक समारोहों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जाना चाहिए। एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए गए सामुदायिक परिचर्या केन्द्र भी एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए समग्र परिचर्या प्रदान करते हैं।

आवारा बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) की असुरक्षित समूहों के रूप में पहचान की गई है और उनको स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली लक्षित उपचार परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है। इस समय 25 लक्षित उपचार केन्द्र देश के विभिन्न भागों में विशेषतौर से अवारा बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(छ) और (ज) उपर्युक्त के अलावा भारत सरकार को ऐसे संगठन से इस मुद्दे के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

3025. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु लंबित प्रस्ताव कितने हैं;

(ख) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा करने हेतु मामले से संबंधित समिति की बैठक होगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समिति की बैठक न बुलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) दो परियोजनाएं अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजनगर भूमि स्थित जयप्रकाश अभिघात केन्द्र और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का डा. बी.आर. अम्बेडकर इण्डियन रोटरी कैंसर अस्पताल, पूरी की जा रही हैं। दोनों परियोजनाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा इसमें आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ अधिक समय लगने के साथ-साथ इनमें अधिक लागत आ रही है जिनके लिए आवश्यक स्वीकृति ली जा रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त दंत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के निर्माण से संबंधित एक परियोजना अनुमोदित कर दी गई है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी देय राशि के संवितरण में विलंब

3026. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की ओर से सेवानिवृत्ति के समय अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी देय राशि प्राप्त करने में सामने आ रही समस्याओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) दिनांक 1 जनवरी और 30 जून, 2004 के बीच सेवानिवृत्त हुए बीएसएनएल और एमटीएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तारीख पर भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रशासनिक विलंबों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या अस्पताल का उन्नयन

3027. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 में जापान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने के दृष्टिगत महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जापान की सहायता अनुदान से कामा और जे.जे. अस्पताल, मुम्बई में प्रसूति और शिशु परिचर्या अस्पताल के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जापान का मार्ग प्रशस्त करने हेतु परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सर जे.जे. अस्पताल एवं कामा एंड एल्बलेस हास्पिटल, मुम्बई में चिकित्सा सेवाओं के सुधार की परियोजना अप्रैल, 1997 में जापान सरकार को प्रस्तुत की गई थी। परियोजना की कुल लागत 1380 मिलियन जापानी येन (लगभग 59 करोड़ रुपए) थी। जापानी दल ने अप्रैल, 1998 में परियोजना पर बेसिक डिजाइन स्टडी की। बेसिक डिजाइन स्टडी मिशन ने अनुदान से खरीदे जाने वाले उपस्करों की सूची को अंतिम रूप दिया। लेकिन परियोजना पर आगे कार्रवाई करने से पहले जापान सरकार से पोखरण-2 के बाद भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए और परियोजना लम्बित रखी गई।

आर्थिक प्रतिबन्ध अक्तूबर, 2001 में हटाए जाने पर जापान सरकार ने 2003 में अनुदान सहायता कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का संकेत दिया। परियोजना के लिए जनवरी-मार्च, 2003 में जापानी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जे आई सी ए) द्वारा बेसिक डिजाइन स्टडी की गई। परियोजना को स्वीकृत करने संबंधी आदान-प्रदान पत्रों पर 28 अगस्त, 2003 को हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

3028. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त राज्यों में कितने गांवों में अभी तक डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) उक्त गांवों में डाकघर खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुजरात और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक घरों का जिलावार ब्यौरा विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र में डाकघर रहित गांवों की संख्या क्रमश: 9904 और 24,943 है। हालांकि डाक वितरण, डाक एकत्र करने और डाक-टिकटों तथा डाक सामग्री की बिक्री की सुविधा सभी गांवों में उपलब्ध कराई गई है।

(ग) ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर जनसंख्या, दूरी और वित्तीय मानदंडों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। मानदंड विवरण 3 में दिए गए हैं।

विवरण I

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों की जिलावार सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्रामीण डाकघरों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	371
2.	बनासकांठा	396
3.	गांधीनगर	99
4.	महसाणा	356
5.	पाटन	241
6.	साबरकांठा	566
7.	अमरेली	336
8.	भावनगर	367

1	2	3
9.	जामनगर	340
10.	जूनागढ़	357
11.	कूच	474
12.	पोरबंदर	146
13.	राजकोट	448
14.	सुरेन्द्रनगर	312
15	आनन्द	210
16.	भरूच	378
17.	दहोड	286
18.	डांग	56
19.	खेडा	357
20.	नर्मदा	123
21.	नवसारी	267
22.	पंचमहल	268
23.	सूरत	578
24.	वडोदरा	503
25.	वटसाड	205
	कुल	8190

विवरण II

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों की जिलावार सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्रामीण डाकघरों की कुल संख्या
1	2	3
1.	औरंगाबाद	299
2.	जालना	186
3.	बीड	308
4.	धुले	243
5.	नदुरबार	193
6.	नासिक	596
7.	नान्देड	439
8.	परभनी	165
9.	हिंगोली	118
10.	लातूर	271
11.	जलगांव	483
12.	उस्मानाबाद	273
13.	रत्नागिरी	661
14.	कोल्हापुर	509
15.	सांगली	385
16.	सिन्धुदुर्ग	364
17.	थाणे	347
18.	रायगढ़	402
19.	मुम्बई	0
20.	सतारा	624
21.	सोलापुर	482
22.	अहमदनगर	606
23.	पुणे	614
24.	अकोला	216
25.	वासीम	159
26.	अमरावती	417
27.	बुल्डाना	335
28.	भान्दरा	172
29.	गोंदिया	123
30.	चन्द्रपुर	327
31.	गढ़चिरौली	198
32.	नागपुर	263
33.	वर्धा	166
34.	यवतमाल	350
	कुल	11294

विवरण III

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^1/_3$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि .मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता

3029. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 10 जुलाई, 2004 के 'इनिंग दैनिक अंगद' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अनेक विदेशी प्रवासी उपचार हेतु भारत आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति को विदेशियों हेतु अधिक लोकप्रिय और आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व के अन्य देशों की उपचार लागत की तुलना में काफी कम लागत पर विशेषतौर से हृदय रोग विज्ञान, हृदय शल्य चिकित्सा, जोड़ों के बदलने, नेत्र रोग विज्ञान, रोग विज्ञान और भारतीय चिकित्सा पद्धति इत्यादि के क्षेत्र में चिकित्सीय उपचार की गुणवत्ता का लाभ उठाने के लिए काफी संख्या में विदेशी भारत आ रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के भीतर और विदेशों में इन पद्धतियों की शक्ति के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने की व्यवस्था है। तदनुसार भारत सरकार ने

एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है जिसमें विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषध निर्माताओं की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों इत्यादि के आयोजन करने की व्यवस्था है।

डाकघर खोलना

3030. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री गिरिधारी यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा आज तक उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में जिलावार कितने डाकघर खोले गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने डाकघर खोले गए;

(ग) राज्यों में नए डाकघर खोलने हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इन डाकघरों को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों में कितने डाकघरों का उन्नयन किया गया और अगले तीन वर्षों के दौरान किन-किन डाकघरों का उन्नयन किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 941 डाकघर खोले गए।

(ग) डाकघर खोलने के 182 प्रस्तावों की जांच की जा रही है। इनका खुलना तीन मानदंडों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (मानदंडों का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।)

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन राज्यों में 130 डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया। डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना आय और कार्यभार संबंधी मानदंडों के पूरा होने पर निर्भर करता है। अतः इस समय यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि अगले तीन वर्षों के दौरान कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा।

विवरण-1

गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4
		उत्तर प्रदेश	
1.	इटावा	1	-
2.	झांसी	1	-
3.	एटा	-	1
4.	अलीगढ़	-	1
5.	आगरा	-	1
6.	गाजीपुर	1	-
7.	जौनपुर	1	-
8.	इलाहाबाद	-	2
9.	चंदौली	-	1
10.	वाराणसी	1	-
11.	सहारनपुर	1	-
12.	पीलीभीत	1	-
13.	खीरी	1	1
14.	हरदोई	1	-
15.	बरेली	-	1
16.	शाहजहांपुर	-	1
17.	बस्ती	1	2
18.	गोरखपुर	2	1
19.	बहराइच	1	-
20.	मऊ	1	-

1	2	3	4
21.	कुशीनगर	–	1
22.	बलिया	–	2
23.	कानपुर (एम)	2	1
24.	चित्रकूट	–	1
25.	फतेहगढ़	–	1
26.	अम्बेडकरनगर	1	–
27.	सीतापुर	1	–
28.	बाराबंकी	–	1
29.	सुलतानपुर	–	1
	कुल	18	20
	बिहार		
1.	खगड़िया	1	1
2.	दरभंगा	1	1
3.	सीतामढ़ी	2	–
4.	मुजफ्फरपुर	2	1
5.	सारन	3	–
6.	रोहतास	1	1
7.	नालन्दा	1	1
8.	लखीसराय	1	1
9.	बांका	1	1
10.	जमुई	2	2
11.	पटना	–	1
12.	कैमूर	–	2
13.	शेखपुर	–	2
14.	मुंगेर	–	1
15.	सीवान	1	1
	कुल	15	16

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	औरंगाबाद	1	1
2.	बीड	2	0
3.	धुले	0	2
4.	नंदरबार	1	0
5.	नासिक	2	1
6.	नानडेड	1	1
7.	जलगांव	2	1
8.	उस्मानाबाद	1	1
9.	रत्नागिरी	2	1
10.	कोल्हापुर	2	1
11.	सांगली	1	0
12.	थाणे	3	3
13.	रायगढ़	2	1
14.	मुम्बई	1	0
15.	सतारा	1	2
16.	सोलापुर	1	1
17.	अहमदनगर	2	3
18.	पुणे	3	2
19.	अकोला	1	0
20.	अमरावती	2	1
21.	बुलडाना	1	2
22.	गोंदिया	0	1
23.	गढ़चिरौली	1	1
24.	नागपुर	3	0
25.	यवतमाल	0	1
	कुल	36	27

विवरण-2

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांव के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना जाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को छः 'लेनों' वाला बनाना

3031. श्री अनन्त नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को छः 'लेनों' वाला राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है,

(ग) 2004-05 वित्त वर्ष के दौरान उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के किस भाग को छः लेनों वाला बनाए जाने की संभावना है, और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 का विस्तार दिल्ली से लखनऊ तक है और इसकी लंबाई 499 कि.मी. है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का केवल 5 कि.मी. लंबा खंड ही दिल्ली में आता है और इसे 6/8 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड को वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान 6 लेन का बनाए जाने की संभावना नहीं है।

(घ) इस कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

सेलफोनों की मांग में वृद्धि

3032. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री चन्द्र शेखर दूबे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलफोनों की मांग में वृद्धि के कारण लैंडलाइन टेलीफोनों की मांग में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लैंडलाइन टेलीफोनों की मांग में आई कमी का क्या प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में भारतीय टेलीफोन उद्योगों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें जनशक्ति के अधिकतर उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान मोबाइल सेवा तथा फिक्सड टेलीफोन सेवा के माध्यम से बीएसएनएल, एमटीएनएल और विदेश संचार निगम को हुई आय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(च) लैंडलाइन सेवा की घटती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल में लैंडलाइन टेलीफोनों की मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	बीएसएनएल	एमटीएनएल	
	पूर्व वर्षों में मांग की प्रतिशतता में परिवर्तन	दिल्ली	मुम्बई
2001-02	12.50%	(-) 3.04%	3.55%
2002-03	6.80%	(-)16.62%	0.61%
2003-04	(-)0.09%	(-)5.67%	(-)1.54%

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। सरकार ने संसद के बजट सत्र 2004-05 में आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए 508 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की है। बीएसएनएल ने आईटीआई को एक मिलियन लाइन के जीएसएम उपस्कर के लिए क्रय आदेश दिया है।

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल को मोबाइल सेवा तथा स्थिर टेलीफोन सेवा से होने वाली आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

बीएसएनएल	2002-03	2003-04
मोबाइल सेवाएं	192.03	2066.76
स्थिर टेलीफोन	22102.30	24101.51
कुल	22294.33	26168.29

*बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं अक्तूबर, 2002 के दौरान शुरू हुईं।

(आंकड़े करोड़ रु. में)

एमटीएनएल	2002-03	2003-04
मोबाइल सेवाएं	169.30	186.98
स्थिर टेलीफोन	5637.22	6182.61
कुल	5806.52	6369.59

विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) उपभोक्ताओं को लैंडलाइन, वायरलैस इन लोकल लूप अथवा मोबाइल सेवाएं प्रदान नहीं करता।

(च) टेलीफोन सेवा का चयन उपभोक्ताओं पर छोड़ दिया गया है। सरकार प्रौद्योगिकी के संबंध में तटस्थता का रुख अपनाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल कनैक्टिविटी

3033. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने प्रधान मंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चार महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर बीएसएनएल मोबाइल कनैक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन राजमार्गों पर बिना कनैक्टिविटी वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ग) क्या इन स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल पर स्थान का नाम दर्शाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) नीतिगत तौर पर बीएसएनएल ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करने का प्रस्ताव किया है। बीएसएनएल प्रधान मंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं समेत देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के बड़े हिस्से पर मोबाइल सेवा (सेल वन) प्रदान कर चुका है।

(ग) और (घ) जी, हां। यात्रियों को स्थान की लगभग सही जानकारी देते हुए उस महत्वपूर्ण नजदीकी शहर का नाम दर्शाया गया है जहां सेल्युलर उपस्कर संस्थापित किया गया है।

तमिलनाडु में एक्सप्रेस वे

3034. श्री ए.के. मूर्ति: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के मदुरनथगम नगर के मध्य में चार लेन वाला एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मदुरनथगम के लोगों ने प्रस्तावित एक्सप्रेस वे के निर्माण में मामूली परिवर्तन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। मदुरनंतगम शहर के लिए बाइपास को चार लेन का बनाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मदुरनंतगम बाइपास के प्रारंभ में 80/500 कि.मी. में एक ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है ताकि रा.रा. 45 के लिए मदुरनंतगम शहर में सुरक्षित प्रवेश व निकासी को सुगम बनाया जा सके। ट्रम्पेट इंटरचेंज के स्थान पर उपमार्ग का निर्माण करने के लिए निवासियों के एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस पर सुरक्षा कारणों से सहमति नहीं बन पाई।

सफदरजंग अस्पताल में हृदय संस्थान

3035. श्री रघुनाथ झा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक हृदय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में कार्डियक केथलैब सहित हृदय रोग विज्ञान, कार्डियोथोरोसिस और हृदयधमनी शल्य क्रिया के सुविधा सम्पन्न विभाग कार्य कर रहे हैं। इन विभागों का उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, सफदरजंग अस्पताल में हृदय रोग संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

योग केंद्रों की स्थापना

3036. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशोक रोड, नई दिल्ली में एकमात्र योग केंद्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या मधुमेह, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसे रोगों का उपचार करने के लिए सरकार के समक्ष, दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसे योग केंद्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के नाम से नई दिल्ली के अशोक रोड पर एक स्वायत्त निकाय का गठन किया है जो योग का विकास, संवर्धन और प्रचार करता है तथा आदर्श योग संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान स्वास्थ्य शिविरों व बहिरंग रोगियों/साधकों (स्वस्थ व्यक्तियों) के लिए योग कक्षाओं का आयोजन, योग चिकित्सा से बहिरंग रोगियों का उपचार, योग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराने के साथ-साथ देश-विदेश में आयोजित स्वास्थ्य मेलों में भाग लेता रहा है।

(ग) और (घ) केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, इस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है। इसके पास योग केंद्रों को सहायता अनुदान देने की एक योजना है। तथापि, संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 के तहत राज्य सूची में जन स्वास्थ्य, अस्पताल और औषधालय के उल्लिखित होने के कारण मधुमेह, उच्च रक्त चाप आदि जैसे रोगों का उपचार करने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों में योग केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का दायित्व है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं 69 को 4/6 लेनों का बनाना

3037. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 और 69 को कब तक 4 अथवा 6 लेन में परिवर्तित कर दिया जाएगा;

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर कितनी धनराशि प्रयोग में लाई जा चुकी है;

(ग) क्या जयपुर-किशनगढ़ तथा किशनगढ़-विजयनगर के बीच विभिन्न स्थानों पर आसानी से आवाजाही के लिए पशुओं और पैदल चलने वाले व्यक्तियों के वास्ते, ग्रामीणों ने रास्ता छोड़ने का कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन स्थानों पर मुक्त रास्ते के अनुरोध को स्वीकारा जा चुका है;

(च) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, 76, 79 और 79ए के खंड शामिल हैं और इन्हें दिसम्बर, 2004 तक काफी हद तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। रा.रा. 69 स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है।

(ख) 2307.11 करोड़ रु. उपभोग किए गए हैं।

(ग) हां।

(घ) से (छ) इस संबंध में 11 अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से चार स्थानों अर्थात् दंतारी, नौहारिया, श्रीनगर और गांव बराल-2 में उपमार्ग बना दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में डाक एवं तार सुविधाएं

3038. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां डाक तथा तार सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पंचायत संचार सेवा तथा स्थापित किए गए तार कार्यालयों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में तैयार किए गए समय-बद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में सभी ग्राम पंचायतों को डाक वितरण, डाक एकत्र करने तथा डाक-टिकटें और डाक-सामग्री विक्रय हेतु डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहरहाल, अभी भी ऐसी 6278 ग्राम पंचायतें हैं जहां डाकघर नहीं हैं।

1269 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कोई भी पंचायत संचार सेवा और तारघर कार्यालय स्थापित नहीं हुआ है।

(ग) ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर विभाग द्वारा निर्धारित जनसंख्या, दूरी और वित्तीय मानदण्डों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। डाकघरों का खोलना एक सतत कार्यकलाप है।

जहां तक तार सुविधाओं का संबंध है, ग्रामीण जनता टेलीफोन सेवाओं को वरीयता दे रही है और तारघरों की कोई मांग नहीं है।

एम.टी.एन.एल. में आरक्षण कोटा

3039. श्री कैलाश बैठा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में श्रेणीवार कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) एम.टी.एन.एल. में क, ख, ग तथा घ श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा पूरा भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कब तक इसे पूरी तरह भर दिया जाएगा; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में इंटरनेट एक्सचेंज

3040. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद और गांधी नगर में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 12 इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं (आईएसपी) के एक समूह ने एक लघु राष्ट्रीय भारतीय इंटरनेट एक्सचेंज (निक्सी) की स्थापना अहमदाबाद में करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य के इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से गुजरात राज्य के अन्दर ही एक निक्सी हब स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) निक्सी ने नोएडा (दिल्ली), मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता स्थित अपने चारों इंटरनेट एक्सचेंज नोडों को चालू कर दिया है। छोटे इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य शहरों में निक्सी हब की स्थापना से संबंधित अन्तर्निहित मुद्दों का पता लगा लिया गया है।

एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. में चूककर्ता

3041. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. में चूककर्त्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उनसे कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है;

(ग) इसके परिणामस्वरुप आज तक कितना नुकसान हुआ;

(घ) सरकार द्वारा बकाए की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेसिक टेलीफोन पर मोबाइल फोनों की तर्ज पर नई सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में चूककर्ताओं की कुल संख्या 12147125 है।

(ख) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल के मामले में कुल बकाया राशि 1147.63 करोड़ रुपये है और बीएसएनएल के मामले में यह राशि 3056 करोड़ रु. है।

(ग) बकाया देय राशियों की वसूली करना एक सतत प्रक्रिया है और इन बकाया राशियों को हानि नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि के आंकड़ों में जारी किए गए नए बिलों की राशि भी शामिल होती है जिसकी वसूली यथासमय हो जाती है। यदि किसी वर्ष के दौरान जारी किए गए बिलों की संचयी राशि से संचयी बकाया राशि की तुलना की जाए तो यह 3% से भी कम बैठती है। तथापि, एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा 2003-04 के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि से क्रमशः 0.64 करोड़ रुपए और 28.07 करोड़ रुपए की हानि हुई जो उनके वार्षिक राजस्व के 1% से भी कम है।

(घ) उपभोक्ताओं से देय राशि की वसूली करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

चूककर्ताओं के फोनों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं; रजिस्ट्रीकृत नोटिस जारी किए जाते हैं; चूककर्ताओं के अन्य चालू फोनों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं; जमा राशि से समायोजन किए जाते हैं; बकाया राशि का कामकाज देखने वाले सेलों, परिसमापन बोर्डों और उच्चाधिकार समितियों द्वारा देय राशि के परिसमापन संबंधी कार्रवाई की जाती है; विवादित मामलों को भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत मध्यस्थों को भेजा जाता है; तथा जहां आवश्यक हो, देय राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

(ङ) और (च) स्थिर लाइन के उपभोक्ताओं को बनाए रखने/आकर्षित करने की दृष्टि से एमटीएनएल और बीएसएनएल ने नई मूल्यवर्धित सेवाओं (वायस आधारित) की शुरूआत की है जैसे समाचार, ज्योतिष, खेलकूद की ताजा जानकारी, प्रतियोगिताएं, ब्राडबैंड इंटरनेट सेवा, वायस मेल, एसएमएस (शार्ट मैसेज सर्विस) सुविधा इत्यादि।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में प्रतीक्षा सूची

3042. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण नगरों, जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 31 जुलाई, 2004 तक टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची की क्या स्थिति है;

(ख) जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण नगरों/शहरों/जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए टेलीफोन कनैक्शनों तथा उन पर हुए निवेश का क्या ब्यौरा है;

(ग) जम्मू-कश्मीर में पिछले दो वर्षों के दौरान दूरसंचार परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य को उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया;

(घ) जम्मू कश्मीर में पिछले दो वर्षों के दौरान संचार के क्षेत्र में क्या उत्कृष्ट उपलब्धियां रहीं; और

(ङ) सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए स्वीकृत किए गए/विचाराधीन नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जम्मू और कश्मीर में 31.7.04 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल 42179 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और पूंजीगत कार्यों पर निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2001-02	2002-03	2003-04
कनेक्शन (लाइनों की संख्या)	49278	41266	64673
निवेश (करोड़ रु. में)	117.255	110.529	82.999

(ग) जम्मू और कश्मीर सर्किल में गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न दूरसंचार परियोजनाओं में उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजनाओं के नाम	2002-03 के दौरान उपलब्धि	2003-04 के दौरान उपलब्धि
1	2	3
मोबाइल कनेक्शन	-	40100
वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शन	3247	3872
तारयुक्त (वायर्ड) कनेक्शन	38019	20701
नए एक्सचेंज	13	01
नए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)	177	537

1	2	3
डब्ल्यूएलएल द्वारा बदले गए वीपीटी	208	385
बिछायी गयी कुल ओएफसी लाइनें (मार्ग कि.मी.)	730	270.138
एम/डब्ल्यू (मार्ग कि.मी.)	285	35
इंटरनेट नोड	7	–

राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए गत दो वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	राशि
2002-03	125.74 करोड़ रुपए
2003-04	111.55 करोड़ रुपए

(घ) गत दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

	2002-03 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि	2003-04 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि
मोबाइल कनेक्शनों के लिए स्विचन क्षमता	-	37200
उपलब्ध कराए गए मोबाइल कनेक्शन	-	40100
डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों के लिए स्विचन क्षमता	7500	2000
उपलब्ध कराए गए डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	3247	3872

(ङ) जम्मू और कश्मीर सर्किल के लिए 2004-05 के दौरान किए गए नए प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	:	43000 लाइनें
सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन	:	50000 लाइनें
वायरलाइन कनेक्शन	:	10000 लाइनें
आप्टीकल फाइबर केबल	:	400 मार्ग किलो मीटर
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	:	1234 सं.

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र में समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र (आई.आई.डी.सी.)

3043. श्री जसुभाई दानाभाई धारड़: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे समेकित अवसंरचना विकास केन्द्रों (आई.आई.डी.सी.) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और समेकित अवसंरचना केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है;

(च) प्रत्येक राज्य, विशेषकर गुजरात को लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या पैकेज प्रदान किया गया; और

(छ) केन्द्र सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र की अवसंरचना को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) देश में कार्यरत 27 आई आई डी केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) आई आई डी योजना के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्यों को आई आई डी केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन, परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने और उन्हें तकनीकी-आर्थिक मूल्य-निर्धारण के लिए सिडबी के पास जमा करने की आवश्यकता होती है। सिडबी के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार आई आई डी केन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति देती है।

(च) हालांकि लघु उद्योगों का विकास मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है, केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर उनके

प्रदर्शन तथा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन योजनाओं में राजस्व तथा ऋण सहयोग बढ़ाने, संरचनात्मक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों को गुजरात सहित पूरे देश में समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ पूरे देश को उत्तरोत्तर कवर करने के लिए सरकार ने आई आई डी योजना को संशोधित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के संबंध में केन्द्रीय अनुदान की मात्रा को 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए योजना के फंडिंग प्रारूप को भी उपयुक्त तरीके से आशोधित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का स्थान	स्थापित इकाइयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	गांव नांडिआल, जिला मंडल, कुरनूल	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	गांव गजुलारामाराम, जिला रंगारेड्डी	60
3.	आन्ध्र प्रदेश	गांव टाडा, जिला नैल्लौर	5
4.	असम	डेमो, जिला शिबसागर	1
5.	हरियाणा	गांव मानकपुर, जिला यमुना नगर	115
6.	हिमाचल प्रदेश	गांव ग्वालथाई, जिला बिलासपुर	2
7.	जम्मू एवं कश्मीर	गांव बाटल बाल्लैन, जिला उधमपुर	23
8.	कर्नाटक	गांव कानबारगी, जिला बेलगाम	489
9.	कर्नाटक	मलुर, जिला कोलार	7
10.	केरल	काझाकुट्टम, जिला त्रिवेन्द्रम	23
11.	केरल	आईरांकोली एंड काथीपुर, जिला कन्नुर	15
12.	केरल	माझुवान्नूर, जिला एरनाकुलम	8
13.	केरल	सिथांगोले, जिला कासारगोड	11
14.	केरल	काक्कानेचेरी, जिला मालापुरम	15
15.	केरल	मीनांगदी, जिला वेआनाड	1
16.	महाराष्ट्र	घाटोदी पुसाद, जिला येओतमल	2
17.	मध्य प्रदेश	जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर	10
18.	उड़ीसा	मुकन्डाप्रसाद, जिला खुर्दा	4
19.	उड़ीसा	पित्तामहल, जिला रायगढ़	1

1	2	3	4
20.	राजस्थान	संगारिया, जिला जोधपुर	325
21.	राजस्थान	गोगेलाओ, जिला नागौर	13
22.	राजस्थान	निवाई, जिला टोंक	24
23.	राजस्थान	कलाडवास, जिला उदयपुर	75
24.	राजस्थान	हिंडन सिटी, जिला करौली	5
25.	तमिलनाडु	उरंगामपैथी, जिला मदुराई	69
26.	तमिलनाडु	थिरुमुदिवक्कम, जिला कांचीपुरम	71
27.	तमिलनाडु	विचूर, जिला थिरुवैलोर	11

बी.एस.एन.एल. में हाकी खिलाड़ियों की भर्ती

3044. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. खिलाड़ियों के रूप में हाकी खिलाड़ियों की भर्ती नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बी.एस.एन.एल. इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय कर रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) बी.एस.एन.एल. प्रारंभ में 5 टीम खेलों नामत: क्रिकेट, बास्केटबाल, खो-खो, कबड्डी और वालीबॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(ग) चुने हुए 5 टीम खेलों में से एक बार राष्ट्रीय स्तर की टीमें बन जाने के बाद, हाकी जैसे अन्य टीम खेलों को शामिल करने के लिए भर्ती स्कीम की समीक्षा की जा सकती है।

दूरसंचार नीति में आमूलचूल परिवर्तन

3045. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार नीति 1999 में आमूलचूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) नई दूरसंचार नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस आमूलचूल परिवर्तन को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) टेली-घनत्व में असाधारण वृद्धि, प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों और डिजिटल अंतराल के मुद्दों के संदर्भ में, सरकार नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी 99) में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस करती है। तथापि, फिलहाल कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अंगों को निकालकर जमा करने वाले संगठन

3046. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत अंग निकालकर जमा करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बैंकों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय कितने अंग प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी अंगों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ङ) क्या सभी राज्यों के सरकारी अस्पताल हृदय प्रत्यारोपण करने में सक्षम हैं;

(च) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(छ) ऐसे सरकारी अस्पतालों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां सुप्रशिक्षित शल्य चिकित्सक हैं, जो कि इस प्रकार के प्रत्यारोपण कर सकते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में चल रहे अंग निकाल कर जमा करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या के बारे में अपेक्षित ब्यौरों को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। जहां तक संघ क्षेत्रों का संबंध है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अधीन अंग निकाल कर जमा करने वाला एक संगठन है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जहां तक संघ क्षेत्रों का संबंध है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत हृदय प्रत्यारोपण के प्रयोजन के लिए केवल दो केन्द्र अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और ऐस्कोर्ट हर्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली पंजीकृत हैं। ऐस्कोट हर्ट इन्स्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली ने अभी तक हृदय प्रत्यारोपण करना शुरू नहीं किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि ऐसे 20 से 25 रोगियों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हृदय प्रत्यारोपण किया जाना है। राज्यों में हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा कर रहे रोगियों के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जा रही है।

(ङ) से (छ) हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए आवश्यक अत्यधिक उच्चतम प्रकार की अतिविशिष्ट विशेषज्ञता के कारण सभी राज्य सरकार के अस्पतालों से हृदय प्रत्यारोपण करने में समर्थ होने की आशा नहीं की जा सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए सुप्रशिक्षित शल्य चिकित्सक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस समय भारत सरकार के अधीन किसी अन्य अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण करने की सुविधा नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र में ढांचागत सुधार का प्रभाव

3047. **श्री अधीर चौधरी:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र पर ढांचागत सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या अर्थव्यवस्था को खुला बनाने का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निवेश सीमा बढ़ाने हेतु अधिमानी अवसर प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जबकि संरचनात्मक सुधार जोकि अर्थव्यवस्था के खुलने की ओर ले जाते हैं, ने लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सेक्टर को एक बड़ी प्रतिस्पर्धा के समक्ष खड़ा कर दिया है, सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज ला कर जिसमें लघु उद्योग सेक्टर के सुदृढ़ीकरण तथा इसकी दोनों घरेलू तथा विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की व्यवस्था निहित है, लघु उद्योग को बुरे प्रभाव से बचाने का उद्देश्य रखा है। सहायता उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट की सुगम पहुंच, मार्केटिंग सहायता, सम्पार्श्विकता मुक्त संयुक्त ऋण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा सुधरी हुई बुनियादी संरचना के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सम्मिलित हैं। लघु उद्योग सेक्टर को समय पर मिले सहायता उपायों ने तीव्रता से बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के दबाव का सामना करने में उसे लचीलेपन की प्राप्ति में सहायता प्रदान की है।

(घ) और (ङ) हाई-टेक तथा निर्यात तथा निर्यात उन्मुखी यूनिटों को मार्किट प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से ल.उ. सेक्टर में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों के निट-विवर, हैंड-टूल्स, ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स तथा स्टेशनरी के फील्ड की मदों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश सीमा को 1 करोड़ रु. से बढ़ कर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। स्पोर्ट गुड्स सेक्टर में विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों के मामले में निवेश सीमा को 1 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. करने के सम्बन्ध में प्रारूप अधिसूचना को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जुलाई, 2002 में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

मेडिकल कालेजों की स्थापना

3048. **श्री नकुल दास राई:**
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
डा. राम लखन सिंह:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारों की ओर से अपने-अपने राज्यों में मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से असारीपल्लम, वेल्लोर तथा थेनी में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु अनुमति के लिए वर्ष 2003 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए। असारीपल्लम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार की अनुमति 28.7.04 को प्रदान कर दी गई जबकि जरूरी सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण वेल्लोर में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को 16.7.2004 को नामंजूर कर दिया गया। थेनी में चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में प्रस्ताव न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा था। अत: उसे अपूर्ण मानते हुए 15.10.2003 को वापस कर दिया गया। तथापि, उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सरकारों से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 2004 के दौरान अभी तक इन राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का उन्नयन

3049. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के उन्नयन के लिए संघीय गणराज्य जर्मनी से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में शेष छूटे हुए अस्पतालों तथा शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव 220 करोड़ रुपए की लागत से भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत सहायता के लिए विचार हेतु 5.6.2002 को जर्मन सरकार को भेजा गया था। 17-18 जून, 2003 को हुए भारत-जर्मन वार्षिक परामर्श-2003 के दौरान जर्मन पक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर अपनी सहमत नहीं दी है।

भारत द्वारा 'हब' पत्तनों का उपयोग

3050. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पड़ोसी देशों में पत्तनों का उपयोग खेप लाने ले जाने में करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के उपयोग में लाए जा रहे 'हब' पत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार खेप लाने ले जाने से भारतीय कार्गों का पोत परिवहन खर्च कितना बढ़ा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत को आयातित कार्गो लाने वाले/भारत से निर्यातित कार्गों ले जाने वाले लगभग आधे कंटेनर, कोलंबो, सिंगापुर, दुबई, सलालाह, केलांग इत्यादि जैसे निकटवर्ती विदेशी पत्तनों पर यानान्तरित किए जाते हैं।

(ग) किसी विदेशी पत्तन पर यानान्तरित किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर पर एक बार कार्गो लादे जाने तथा उस कंटेनर से एक बार कार्गो उतारे जाने पर, विदेशी मुद्रा में अतिरिक्त खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पोत द्वारा परिवहन में अंतर्निहित चक्कर के कारण, अतिरिक्त समय लगता है तथा अतिरिक्त लागत आती है। नौवहन-लागत में बिलकुल सही बढ़ोत्तरी की मात्रा नहीं बताई जा सकती।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ज्योतिग्राम योजना को शामिल करना

3051. श्री महेश कनोडिया: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष के अंतर्गत 'ज्योतिग्राम योजना' को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) गुजरात सरकार ने ज्योति ग्राम योजना में संसद सदस्यों द्वारा अपनी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों में से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के गांवों की ओर से योगदान के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।

(ख) ज्योति ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए बुनियादी आधारी संरचना सुविधाएं सृजित करना है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट-1 की मद सं. 19 में शहरों, नगरों और गांवों की गंदी बस्तियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निवास स्थानों में विद्युत जैसी नागरिक सुविधाओं के प्रावधान की अनुमति है। तथापि, भारत सरकार की विद्यमान नीति के अंतर्गत किसी भी केंद्रीय/राज्य कार्यक्रम में, जिसमें ऐसे योगदान का घटक हो, सार्वजनिक और सामुदायिक योगदान का प्रतिस्थापन संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से करने की अनुमति नहीं है। इसकी सूचना गुजरात सरकार को 1 मार्च, 2004 को दे दी गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई

3052. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है और पंजाब में इसकी लंबाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य में राजमार्गों की वर्तमान लंबाई बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 65569 कि.मी. है जिसमें से 1557 कि.मी. पंजाब में हैं।

(ख) जी नहीं। फिलहाल नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा नहीं की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों से सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव

3053. श्रीमती करुणा शुक्ला:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों से सड़क निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य-वार अनुमानित कितनी लागत शामिल है;

(ग) इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान उक्त शीर्ष के अंतर्गत उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्यवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा.रा. (मूल) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

राज्य	प्रस्तावों की संख्या	कुल धनराशि (करोड़ रु.)
मध्य प्रदेश	5	8.34
छत्तीसगढ़	6	25.06
राजस्थान	16	122.91

छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त तीन प्रस्ताव राज्य लोक निर्माण विभाग को वापस कर दिए गए हैं और शेष प्रस्तावों को पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 2004-05 में स्वीकृत करने का लक्ष्य है।

(घ) रा.रा. (मूल) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2003-04 के लिए आबंटन (करोड़ रु.)	2004-05 के लिए आबंटन (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	103.00	90.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.10	6.00
3.	असम	106.83	69.20
4.	बिहार	70.17	66.07
5.	चंडीगढ़	1.50	2.00
6.	छत्तीसगढ़	45.17	50.00
7.	दिल्ली	10.00	6.00
8.	गोवा	24.00	5.00
9.	गुजरात	60.24	74.00
10.	हरियाणा	52.50	53.00
11.	हिमाचल प्रदेश	32.00	45.00
12.	जम्मू और कश्मीर	4.00	0.00
13.	झारखंड	36.70	35.00
14.	कर्नाटक	146.37	76.00
15.	केरल	95.00	71.00
16.	मध्य प्रदेश	72.52	80.00
17.	महाराष्ट्र	120.00	114.00
18.	मणिपुर	15.95	14.00
19.	मेघालय	39.30	23.00
20.	मिजोरम	31.00	22.00
21.	नगालैंड	11.50	14.00
22.	उड़ीसा	68.00	77.00
23.	पांडिचेरी	2.20	3.00
24.	पंजाब	48.73	45.00
25.	राजस्थान	44.27	88.00
26.	तमिलनाडु	87.00	90.00
27.	उत्तरांचल	19.10	24.00
28.	उत्तर प्रदेश	89.05	138.00
29.	पश्चिम बंगाल	73.00	80.00

राष्ट्रीय राजमार्ग-29 का उन्नयन

3054. योगी आदित्यनाथ: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-29 पर गोरखपुर से वाराणसी के बीच की सड़क के उन्नयन हेतु स्वीकृति दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) गोरखपुर और वाराणसी के बीच 209 कि.मी. की दूरी है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 पर गोरखपुर और वाराणसी के बीच 37.60 करोड़ रु. की लागत से 159 कि.मी. लंबाई के लिए सड़क गुणता सुधार/आवधिक नवीकरण कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट केन्द्र

3055. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में शहरों/कस्बों में स्थापित स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यों विशेषत: पश्चिम बंगाल के झारग्राम कस्बे में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्पीड पोस्ट केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कार्य कर रहे सभी स्पीड पोस्ट केन्द्र चिट्ठियां प्राप्त करने और वितरित करने वाले केन्द्र हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नए स्पीड पोस्ट केन्द्रों की स्थापना विशिष्ट वाणिज्यिक और परिचालनात्मक मानदंडों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्थापित स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	असम	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	आंध्र प्रदेश	11
4.	बिहार	11
5.	छत्तीसगढ़	13
6.	दिल्ली	शून्य
7.	गुजरात	39
8.	गोवा	1
9.	हरियाणा	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
11.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
12.	झारखंड	18
13.	कर्नाटक	शून्य
14.	केरल	7
15.	महाराष्ट्र	3
16.	मध्य प्रदेश	42
17.	मणिपुर	13
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	7
20.	नगालैंड	5
21.	उड़ीसा	25
22.	पंजाब	12
23.	राजस्थान	7
24.	सिक्किम	शून्य
25.	तमिलनाडु	शून्य
26.	त्रिपुरा	7
27.	उत्तरांचल	14
28.	उत्तर प्रदेश	16
29.	पश्चिम बंगाल	39
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
31.	पांडिचेरी	शून्य

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन

3056. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित समय-सीमा के भीतर टेलीफोन कनेक्शनों में दोष सुधार के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 94.5 लाख और 10.5 लाख टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दोष ठीक करने संबंधी मानदंड ट्राई द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	टेलीफोन की किस्म	मानदंड	अभ्युक्तियां
1.	बुनियादी	90% से अधिक दोष अगले दिन तक ठीक किए जाने चाहिए।	दोष मरम्मत की औसत दर त्रैमासिक रुप से निकाली जानी चाहिए।
2.	सेल्यूलर	100% दोष 24 घंटे के भीतर ठीक किए जाने चाहिए।	दोष मरम्मत की औसत दर त्रैमासिक रूप से निकाली जानी चाहिए।

विवरण

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण टेलीफोन (केवल बीएसएनएल)	शहरी बीएसएनएल/ एमटीएनएल + निजी आपरेटर + सेल्युलर
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	21366	23679
2.	आंध्र प्रदेश	1349749	5111632
3.	असम	138206	493875
4.	बिहार	396754	1166598
5.	छत्तीसगढ़	83268	276133
6.	गुजरात	853238	4912553
7.	हरियाणा	393918	1598068
8.	हिमाचल	317600	376240
9.	जम्मू एवं कश्मीर	52268	287595
10.	झारखंड	99132	479015
11.	कर्नाटक	868628	4683608
12.	केरल	2135199	3033928
13.	मध्य प्रदेश	333261	2412775
14.	महाराष्ट्र	1362840	5937623
15.	उत्तर पूर्व	105365	300211
16.	उड़ीसा	312255	878340
17.	पंजाब	820993	4136005
18.	राजस्थान	628014	2339976
19.	तमिलनाडु	816461	4512648
20.	उत्तरांचल	99706	383174
21.	उत्तर प्रदेश	676107	5044929
22.	पश्चिम बंगाल	583387	1038610
23.	कोलकाता	0	2865441
24.	चेन्नई	0	2747477
25.	दिल्ली	0	6763792
26.	मुम्बई	0	6765324
	कुल	12447715	68569249

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्काई बोर्ड

3057. श्री नीतीश कुमार:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ स्थानों पर स्काई बोर्ड लगाए गए थे जिस पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री की तस्वीर लगी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) इन पर कुल कितना खर्च आया;

(घ) क्या सरकार का विचार इन स्काई बोर्ड को हटाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) 387 स्थान।

(ग) साइनबोर्डों तथा ढांचों जिन पर इन साइनबोर्डों को लगाया गया था, को खड़ा करने पर हुआ कुल व्यय 3287.67 लाख रु. था।

(घ) और (ङ) सूचना परक साइनबोर्डों को इन ढांचों पर लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण इन साइनबोर्डों का आंशिक पाठ तथ्यात्मक रूप से सही नहीं रह गया था।

(च) अभी तक इन साइनबोर्डों को हटाने में 147.68 लाख रु. व्यय हो चुके हैं।

एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में भ्रष्टाचार के मामले

3058. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई द्वारा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नाम-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार अभियोजन संबंधी मंजूरी जारी करने और/अथवा नियमित विभागीय कार्रवाई करने के लिए समुचित कार्रवाई की गई है।

विवरण

एमटीएनएल और बीएसएनएल के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

क्र.सं.	मामला सं.	आरोपी का नाम और पदनाम
1	2	3
1.	आरसी-6/2003-बंगलौर	1. श्री सुब्बुरामय्या, जीएम
		2. श्री के.डी. भट्ट, निदेशक (फाइनेंस)
		3. श्री ए.आर. नाईक, एजीएम (फ

1	2	3
		4. श्री वी.एम. नाईक, पूर्व डीई सभी बीएसएनएल, करवार दूरसंचार कर्नाटक से संबंधित हैं।
2.	आरसी-14/2003-बंगलौर	1. श्रीमती इस्थर सरोजनी एलेक्स, सीनियर अनुभाग सुपरवाईजर, इन्दिरा नगर, टेलीफोन एक्सचेंज, बीएसएनएल बंगलौर-1
3.	आरसी-15/2003-बंगलौर	-वही-
4.	आरसी-17/2003-बंगलौर	1. श्री राजा मोहन प्रसाद, ईई, बीएसएनएल, मैसूर-1
5.	आरसी-26/2003-बंगलौर	1. एस.सी. कुलकर्णी, डीई, बीएसएनएल, बीजापुर, कर्नाटक-1
6.	आरसी-3/2004-बंगलौर	1. श्री एम्.एन. चिनय्या, वायरमैन, दूरसंचार इलैक्ट्रिकल सब डिविजन, बैंगलोर-1
7.	आरसी-6/2004-बैंगलौर	1. श्री संजय सबरवाल, ईई (सिविल), बीएसएनएल, बैंगलोर 1
8.	आरसी-2(ए)/2003-नागपुर	1. श्री डी.आर. चौधरी, जेटीओ, बीएसएनएल हिंगना जिला नागपुर 1
9.	आरसी-3(ए)/2003-नागपुर	-वही-
10.	आरसी-1(ए)/2004-नागपुर	बीएसएनएल, नागपुर के अज्ञात कर्मचारी और अन्य
11.	आरसी-11(ए)/2003-चंडीगढ़	बीएसएनएल भामे कालन टेलीफोन एक्सचेंज, भटिंडा के अज्ञात कर्मचारी
12.	आरसी-12(ए)/2003-चंडीगढ़	-वही-
13.	आरसी-27(ए)/2003-चंडीगढ़	1. श्री योगेन्द्र प्रसाद, एसडीई दूरसंचार विभाग
14.	आरसी-30 (ए)/2003-चंडीगढ़	1. श्री विजय पाल सिंह, एसडीओ, दूरसंचार विभाग
15.	आरसी-13 (ए)/2004-चंडीगढ़	1. श्री चंदर शेखर, जीएम, बीएसएनएल, रोहतक
16.	आरसी-15 (ए)/2004-चंडीगढ़	-वही-
17.	आरसी-7(ए)/2004-केरल	1. श्री सी. मोहन, एसडीई, बीएसएनएल, कन्नूर, केरल 2. श्री ओ.के. मोहन, जेटीओ, बीएसएनएल, कन्नूर, केरल
18.	आरसी-3 (ए)/2003-जयपुर	1. श्री मोहन सिंह, डीई, बीएसएनएल, झुनझुनु
19.	पीई 3(ए)/2003-जयपुर	1. श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा, इंजीनियर, बीएसएनएल, झालवाड़
20.	आरसी 9(ए)/2003-जयपुर	1. श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा, इंजीनियर 2. श्री बी.एल. गौतम, एसडीई 3. श्री बी.एल. शर्मा, जेटीओ। सभी बीएसएनएल झालवाड़ से संबंधित हैं।

1	2	3
21.	आरसी 3(ए)/2004-जयपुर	1. श्री के.के. यादव, तत्कालीन एसडीई 2. श्री एस.एल. पनवार, जेटीओ 3. श्री शोभा राम, डीएसई 4. श्री डी.सी. गुप्ता, जेटीओ 5. श्री मूलचंद शर्मा, जेटीओ 6. श्री एच.एस. मीणा, एसडीई 7. श्री सुनील भगत, जेटीओ, बीएसएनएल
22.	आरसी 11(ए)/2004-जयपुर	1. श्री एस.सी. शर्मा, तत्कालीन एसडीओ 2. श्री एम.एन. मीणा, तत्काली जेटीओ दोनों ही बीएसएनएल भिवाड़ी (अलवर) से संबंधित हैं।
23.	आरसी 12(ए)/2004-जयपुर	1. श्री एच.ए. सिद्दकी, मुख्य लेखा अधिकारी, बीएसएनएल, नागपुर।
24.	पीई 4 (ए)/2004-जयपुर	1. श्री एन.एल. मीणा, तत्कालीन डीई 2. श्री एस.एल. मीणा, तत्कालीन एओ 3. श्री टी.आर. शर्मा, तत्कालीन एओ(ई) 4. श्री टी.सी. देवतिया, एओ (टीआर-1) 5. श्री बी.एल. शर्मा, तत्कालीन एओ (कम्प्यूटर) 6. श्री नाथू राम, एसडीई 7. श्री सत्यवीर सिंह, जेटीओ सभी टीडीएम कार्यालय, सीकर से संबंधित हैं।
25.	आरसी 1(ए)/2003-जोधपुर	1. श्री प्रेम नारायण गुप्ता, जेटीओ 2. श्री मित्थू सिंह, एचजीटीओ दोनों बीएसएनएल जयतरन से संबंधित हैं।
26.	आरसी 3(ए)/2003-जोधपुर	1. श्री पुखराज झिंगार, जेटीओ, बालोतरा, बाड़मेर
27.	आरसी 5(ए)/2003-जोधपुर	1. श्री लंकारण जोशी, टेलीफोन मैकेनिक 2. श्री डी.आर. चौधरी, जेटीओ दोनों बीएसएनएल, बाड़मेर से हैं।

1	2	3
28.	आरसी 13(ए)/2003-जोधपुर	1. श्री के.के. गुप्ता, एसडीओ 2. श्री राजवीर सिंह, जेटीओ 3. दीप सिंह, टीएम और अन्य सभी बीएसएनएल पाली से संबंधित हैं।
29.	आरसी 14(ए)/2003-जोधपुर	1. श्री एस.के. शर्मा, (जीएमटीडी) 2. श्री के.सी. अग्रवाल, डीजीएम 3. श्री प्रेम प्रकाश, डीई (विजिलेन्स) 4. श्री राधा कृष्ण सोनी, सीएओ 5. श्री राम किशन व्यास, डीई 6. श्री ए.के. शर्मा, डीई (टी) 7. श्री जयराम खटिक, डीई (टी) 8. श्री बानू दास, सीनियर एओ एंड अन्य सभी बीएसएनएल पाली से संबंधित हैं।
30.	आरसी 16(ए)/2003-जोधपुर	1. श्री वेला राम, सीनियर दूरसंचार कार्यालय सहायक, जीएमटीडी का कार्यालय, बीएसएनएल, सिरोही
31.	पीई 1 (ए)/2003-जोधपुर	1. श्री अरूण कुमार जीएमटी (एस) 2. श्री ओ.पी. गुप्ता, डीजीएम, बीएसएनएल, उदयपुर 3. श्री टी.आर. शर्मा, सीएओ, बीएसएनएल, हिम्मतनगर 4. श्री आर.एल. मीणा, डीई (ए), बीएसएनएल, भीलवाड़ा और अन्य
32.	आरसी 2(ए)/2003-गुवाहाटी	1. श्री प्रेम कुमार तत्कालीन एसडीई, बीएसएनएल ईटानगर और अन्य
33.	आरसी 5(ए)/2003-गुवाहाटी	1. श्री एस.के. भदूरी, तत्कालीन जीएमटी, बीएसएनएल, कमरूप, गुवाहाटी और अन्य
34.	आरसी 9(ए)/2003-गुवाहाटी	1. श्री मनौफ उद्दी अहमद, एसडीई (एससीपी), बीएसएनएल सदुनदरपुर
35.	आरसी 11(ए)/2003-गुवाहाटी	1. श्री बिशु भूषण बोरो, फोन मैकेनिक, बीएसएनएल कमरूप, असम
36.	आरसी 13(ए)/2003-गुवाहाटी	-वही-

1	2	3
37.	आरसी 2(ए)/2003-भोपाल	1. श्री सुकुमार चौधरी, डीई
		2. श्री डी.एस. पालीवाल, एसडीई, बीएसएनएल, टॉटी नगर, भोपाल
38.	आरसी 11(ए)/2003-भोपाल	1. श्री गुलाब सिंह यादव, फोन मैकेनिक, बीएसएनएल भोपाल
39.	आरसी 14(ए)/2004-भोपाल	1. श्री पी.एन. महाजन, एसडीई (ए/टी), टीडीएम कार्यालय, खारगोन
40.	आरसी 18(ए)/2004-भोपाल	1. श्री राजपाल सिंह, एओ, बीएसएनएल, भोपाल
41.	आरसी 1(ए)/2003-एसीयू (7/5)	1. श्री आरपीएस पंवार, जीएम, बीएसएनएल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
42.	पीई 1 (ए)/03-धनबाद	1. श्री प्रेम शंकर प्रसाद, एसडीई, बीएसएनएल, धनबाद
43.	आरसी 4(ए)/04-धनबाद	1. श्री पी.एस. प्रसाद, तत्कालीन एसडीई, बीएसएनएल, धनबाद/अन्य
44.	आरसी 01/2003-कोल. दिनांक 17.1.2003	1. श्री एस.एस. गोस्वामी, डिवी. इंजीनियर (सीसी), बीएसएनएल, कोलकाता टेलीफोन्स, श्रीरामपुर और अन्य
45.	आरसी 06/2003-कोल. दिनांक 27.3.2003 (डीए केस)	1. श्री सुकुमार पाल, सब डिवीजनल इंजीनियर (एसडीई), सीसी 2 और 3, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), कोलकाता टेलीफोन्स, भारत सरकार का उपक्रम, सौमा चांदीटोला इंचापुर, संतरागाछी के निवासी, हावड़ा-4
46.	आरसी 08/2003-कोल. दिनांक 31.3.2003 (डीए केस)	1. श्री एस.एस. गोस्वामी, डिवीजनल इंजीनियर (ओएसडी), बीएसएनएल, कोलकाता टेलीफोन्स, उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल
47.	आरसी 11/2003-कोल. दिनांक 29.04.2003	1. श्री चंदन बिस्वास, कैशियर, बीएसएनएल
		2. श्री एच.पी. विद्यार्थी, प्री चेक लिपिक
		3. श्री एस. चक्रवर्ती, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी
		4. श्रीमती सीमा सरकार, लेखा अधिकारी
48.	आरसी 14/2003-कोल. दिनांक 09.05.2003	1. श्री चंदन बिस्वास, कैशियर, बीएसएनएल
		2. श्री एच.पी. विद्यार्थी, प्री चेक लिपिक
		3. श्री एस. चक्रवर्ती, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी
		4. श्रीमती सीमा सरकार, लेखा अधिकारी

1	2	3
49.	आरसी 16/2003-कोल. दिनांक-30.5.2003	1. चंदन विस्वास, टीओए (जी)-1 कैशियर, अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत) के कार्यालय, भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल), कोलकाता-12, निवासी 141, पश्चिम कोडालीया, लिचु बगान, एम. बैरकपुर, 24 उत्तर परगना।
50.	आरसी 17/2003-कोल. दिनांक-18.6.2003	1. श्री एस.पी. सिंघा, सब डिवीजनल आफिसर फोन्स (एसडीओपी), (पूर्व), आसनसोल दूरसंचार जिला, बीएसएनएल, आसनसोल 2. श्री भगवान राम, टेलीकाम मैकेनिक एसडीओपी (पूर्व) आसनसोल दूरसंचार जिला के अधीन, बीएसएनएल, आसनसोल 3. श्री क्षितिश्वर प्रसाद लौराछीआ, डिवीजनल इंजीनियर, जीएम का कार्यालय, आसनसोल।
51.	आरसी 18/2003-कोल. दिनांक-19.6.2003	1. श्री एस.के. पात्र, सब डिवीजनल आफिसर फोन्स (एसडीओपी), (प.), आसनसोल दूरसंचार जिला, बीएसएनएल, आसनसोल, पश्चिम बंगाल 2. श्री ए.के. लायक, टेलीफोन मैकेनिक एसडीओपी (प.) आसनसोल दूरसंचार जिला के अधीन, आसनसोल 3. श्री के.पी. लौराछीआ, डिवीजनल इंजीनियर (प्रशा.) बीएसएनएल, आसनसोल।
52.	आरसी 20/2003-कोल. दिनांक-19.6.2003	1. श्री राम दास मंडल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कैश), दूरसंचार महाप्रबंधक का कार्यालय, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल, बीएसएनएल, आसनसोल, पश्चिम बंगाल (ए-1) 2. श्री ए. बोस, वरिष्ठ टीओएएस(जी), तत्कालीन कैशियर, दूरसंचार महाप्रबंधक का कार्यालय, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल, बीएसएनएल आसनसोल, पश्चिम बंगाल (ए-2)
53.	आरसी 42/2003-कोल. दिनांक-24.10.2003	1. श्री सुधांशु शेखर गोस्वामी, पूर्व डिवीजनल इंजीनियर (केबल निर्माण) वाह्य सेरामपुर, कोलकाता टेलीफोन्स 2. श्री अशुतोष दास जेटीओ, स्टोर्स, केवल निर्माण चंदननगर, बीएसएनएल डीई/सीसी/सेरामपुर के अधीन
54.	आरसी 45/2003-कोल. दिनांक-7.11.2003	1. श्री राम दास मंडल, एओ (कैश), जीएम आसनसोल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल 2. श्री अशोक बोस, वरिष्ठ टीओए कैशियर, जीएम आसनसोल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल

1	2	3
55.	आरसी 01/2004-कोल. दिनांक 1.1.2004	1. श्री बी.एन. लाहिड़ी, डिवीजनल इंजीनियर, एनटैली डिवीजन, कलकत्ता टेलीफोन्स
		2. श्री एन.सी. सरकार, एसडीई, टांगरा एक्सचेंज, कलकत्ता टेलीफोन्स
		3. श्री रंजीत कुमार मालाकर, जेटीओ, टांगरा आरएसयू एक्सचेंज, कलकत्ता टेलीफोन्स
56.	आरसी 17/2004-दिनांक-15.4.2004	1. श्री एस.एस. गोस्वामी, तत्कालीन डीई/सीसी सेरामपुर, बीएसएनएल, कलकत्ता टेलीफोन्स
57.	आरसी 32/2004-कोल. दिनांक-24.6.2004	1. श्री दिलीप सील, तकनीशियन, चकदाहा टेलीफोन एक्सचेंज, चकदाहा, नादिया
		2. श्री प्रशांत कुमार दास, वरिष्ठ दूरसंचार कार्यालय सहायक
58.	आरसी 35/2004-दिनांक-6.7.2004	1. श्री हरीकांत राय, टेलीकॉम मैकेनिक, जगत बल्लवपुर, टेलीफोन एक्सचेंज, बीएसएनएल हावड़ा
59.	आरसी 1(ए)/2003-पटना	1. श्री एम.पी. सिंह, डीई, (टी), बीएसएनएल, बिहार
60.	आरसी 6(ए)/2003-पटना	1. श्री अशोक चौधरी, एसडीई, हिल्सा (बिहार)
61.	आरसी 8(ए)/2003-पटना	1. श्री राकेश कुमार सिन्हा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण क्षेत्र मसौढ़ी क्षेत्र, पटना
62.	आरसी 9(ए)/2003-पटना	1. श्री वशी अहमद, टीटीए, बीएसएनएल, चेहरा कलां टीई वैशाली
63.	आरसी 10(ए)/2003-पटना	1. श्री जगन्नाथ साहू, वरिष्ठ टीओए, एसडीई, बरौनी का कार्यालय, बेगुसराय
64.	आरसी 11(ए)/2003-पटना	1. श्री मंजर हसन, एल ए, सीजीएमटी का कार्यालय, बीएसएनएल, पटना
65.	आरसी 13(ए)/2003-पटना	1. श्री दीपक पटेल, वरिष्ठ टीओए, एसडीओ का कार्यालय, बीएसएनएल, दानापुर, पटना
66.	आरसी 19(ए)/2003-पटना	1. रामकुमार, लिपिक, एसडीईटी का कार्यालय, बीएसएनएल, दानापुर
67.	पीई 1/2003-पटना	1. श्री परदेशी राम, तत्कालीन जीएम
		2. श्री सी.पी. सिंह, जीएम
		3. श्री राम सकल, डीजीएम
		4. श्री के.पी. सिंह, डीई

1	2	3
		5. श्री आर.बी. लाल, एसडीई, सभी बीएसएनएल, गया
		6. श्री बी.एन. सिन्हा, टीडीएम
		7. श्री ध्रुव मिश्रा, वरिष्ठ ए.ओ.
		8. श्री एच.एस. श्रीवास्तव, एसडीई सभी बीएसएनएल मोतीहारी से संबंधित हैं।
		9. श्री शंकर प्रसाद, टीडीएम
		10. श्री एम. कुमार, डी.ई.
		11. श्री एस.आर. पासवान, डी.ई.
		12. श्री जी. राय, एस.डी.ई. सभी हाजीपुर से संबंधित हैं।
		13. श्री आर.सी. शर्मा, वरिष्ठ टी.ओ.ए.
		14. श्री रमेश प्रसाद, वरिष्ठ टी.ओ.ए.
		15. श्री एस.सी. साहू, एस.डी.ई.
		16. श्री रामजी सिंह, वरिष्ठ टी.ओ.ए. तथा अन्य
68.	आर सी 1(क)/2004-पटना	1. श्री सुदामा सिंह, एस डी ई, बीएसएनएल गया
69.	आर सी 3(क)/2004-पटना	1. श्री रामबदन सिंह, वरिष्ठ टी ओ(ए) बीएसएनएल, बिहार शरीफ
70.	आर सी 4(क)/2004-पटना	1. श्री मोहन साह, लिपिक, एस डी ओ (ग्रामीण बीएसएनएल, टीई बिल्डिंग, पटना)
71.	आर सी 7(क)/2004-पटना	1. श्री बी. हंसडाक, वरिष्ठ ए ओ
		2. श्री नवल किशोर, ए ए ओ
		3. श्री पी.के. सिंह, सहायक सभी पी जी एम टी, बीएसएनएल, पटना से संबंधित हैं।
72.	आर सी 12(क)/2004-पटना	श्री हंसडाक, वरिष्ठ ए ओ, पी जी एम टी, बीएसएनएल, पटना
73.	आर सी 18(क)/2004-पटना	1. श्री टी.एन. गुप्ता, एस डी ई (समूह) फतूहा, बीएसएनएल, पटना
74.	आर सी 21(क)/2004-पटना	1. श्री चन्द्रकांत, टेलीफोन मैकेनिक, बीएसएनएल, हिल्सा

1	2	3
75.	आर सी 22(क)/2003-चेन्नई	1. श्री अंबू, लाइनमैन, बीएसएनएल, टी ई, चेन्नई
76.	आर सी 24(क)/2003-चेन्नई	1. श्री राजेश कच्छप, डी जी एम (एफ एण्ड ए)
		2. श्री आर. बालाचन्द्रन, सी ए ओ
		3. श्री के. सुब्रामण्यम, वरिष्ठ ए.ओ.
		सभी बीएसएनएल, चेन्नई से संबंधित हैं।
77.	आर सी 28(क)/2003-चेन्नई	1. श्री के. मणिरत्नम, एस डी ओ
		2. श्री ए. सेकर, टी एस (ओ), बीएसएनएल तिरूवन्नामलाई
78.	आर सी 46(क)/2003-चेन्नई	1. श्री भास्करन, जे ई (सिविल)
		2. श्री मुरूगन, ए ई, बीएसएनएल, नागरकोल
79.	आर सी 47(क)/2003-चेन्नई	1. श्री एम. कुमारेसन, एस डी ई
		बीएसएनएल, त्रूचेनगोड एस डी एस दूरसंचार डिविजन, तमिलनाडु
		2. श्री अर्जुनन, टी एम, टीटूचेनगोड एक्सचेंज
80.	आर सी 32(क)/2004-चेन्नई	1. श्री एन. किरूपनानथन, चे टी ओ, बीएसएनएल अराकोणम
81.	आर सी 36(क)/2004-चेन्नई	1. श्री गजेंद्रन, लाइनमैन, वैयाप्पामलाई टी ई, तिरूचेनगोड, नमक्काई जिला
82.	आर सी 03/03-भुवनेश्वर	1. श्री देबानन्दा दास, आर एम, टी ई, मणिकगडा, नायागरा
83.	आर सी 24(क)/03-भुवनेश्वर	1. श्री रबिन्द्रा कुमार नायक, एस डी ओ (टी), बालेसोर
84.	आर सी 27(क)/03-भुवनेश्वर	1. श्री निरंजन जैना, वरिष्ठ एस एस, बीएसएनएल बालासोर
85.	आर सी 35(क)/03-भुवनेश्वर	1. श्री बलराम रौत्रे, अनुभाग पर्यवेक्षक
		2. श्री रामचन्द्र दास, अनुभाग पर्यवेक्षक जी एम टी, भुवनेश्वर।
86.	आर सी 14(क)/04-भुवनेश्वर	1. श्री आर.के नायक, एस डी ओ (टी), बालासोर
87.	पीई1(क)/03-गोवा	1. श्री बी.जे. शेर्क, तत्कालीन डिविजनल इंजिनियर (ट्रांस)
		2. श्री वी.एम. चौधरी, तत्कालीन एस डी ई (ओ एफ सी), बीएसएनएल, गोवा
88.	आर सी 7(क)/03-गोवा	1. श्री एम एस कालोली, जे टी ओ, बीएसएनएल, गोवा

1	2	3
89.	आर सी 51(क)/03 दिल्ली	1. श्री हरभजन सिंह, एस ई (सी) 2. श्री निहालचंद, ई ई (सी) 3. श्री आर. एल. घेरा, ई ई (सी) 4. श्री आर.सी. बंसल, ए ई 5. श्री एन एस डबास, ए ई (सी) 6. श्री अनिल कुमार, जे ई 7. श्री आर.आर. मीणा, जे ई 8. श्री एच.एस. शर्मा, ए ओ (सी) 9. श्री कुलभूषण, खजांची, सभी एमटीएनएल दिल्ली से संबंधित हैं।
90.	आर सी 54(क)/03 दिल्ली	1. एमटीएनएल/बीएसएनएल, नई दिल्ली के अज्ञात कर्मचारी
91.	पी ई 15/2003-दिल्ली	1. श्री हरभजन सिंह, एस ई, एमटीएनएल, खुर्शिद लाल भवन, नई दिल्ली
92.	आर सी 62(क)/2003-दिल्ली	1. श्री आर.एल. घेरा, कार्यपालक अभियंता (सी), एमटीएनएल, नई दिल्ली
93.	आर सी 64(क)/2003-दिल्ली	1. श्री सोमनाथ, जे टी ओ 2. श्री रण उजागर, आर एम 3. श्री वेद प्रकाश, आर एम 4. श्री एस.पी. सिंह, टी टी ए (मृत्यु से) तथा अन्य एमटीएनएल, नई दिल्ली
94.	आर सी 69(क)/2003-दिल्ली	1. श्री निहाल चंद, कार्यपालक अभियंता(सी) 2. श्री आर.सी. बंसल, ए ई (सी) 3. श्री अनिल कुमार, जे ई (सी) तथा एमटीएनएल, नई दिल्ली के अन्य अज्ञात अधिकारी
95.	आर सी 19(क)/2004-दिल्ली	1. श्री एच.एस. शर्मा, वरिष्ठ ए.ओ., एमटीएनएल, नई दिल्ली
96.	आर सी 26(क)/2004-दिल्ली	1. श्री दम्बेर सिंह, एस डी ई, एमटीएनएल, नई दिल्ली
97.	आर सी 4(क)/2003-मुम्बई	1. श्री मौर्या, लाइनमैन 2. श्री एलबी. यादव, जे टी ओ, एमटीएनएल, मुंबई

1	2	3
98.	आर सी 7(क)/2003-मुम्बई	1. श्री बी.पी. यादव, जे टी ओ, एमटीएनएल, मुम्बई
99.	आर सी 32(क)/2003-मुम्बई	1. श्री एस.सी. वर्मा, डी जी एम (इलै.), एमटीएनएल, मुम्बई
100.	आर सी 36(क)/2004-मुम्बई	-वही-
101.	आर सी 7(क)/2004-मुम्बई	1. श्री डी.एम. बगाडे, वाणिज्यिक अधिकारी, टेलीफोन एक्सचेंज कल्याण
102.	आर सी 39(क)/2004-मुम्बई	-वही-
103.	आर सी 3(क)/2003-डी ए डी	1. श्री भोपाल सिंह, जे ई दूरसंचार विभाग, सहारनपुर
104.	आर सी 6(क)/2003-डी ए डी	1. श्री आर.सी. श्रीवास्तव, डी ई श्री ए.के. अग्रवाल, एस डी ओ श्री वी.सी. शर्मा, एस डी ओ श्री पी.के. अग्रवाल, एस डी ई/पीई(ई), बीएसएनएल आगरा के सभी अधिकारी
105.	आर सी.10(क)/2003-डी ए डी	1. श्री आर.एस. त्रिपाठी, एस डी ई, ठाकुरद्वार एक्सचेंज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 2. श्री राम धीरज शुक्ला, आर/एम भांजपुर एक्सचेंज 3. श्री खेम सिंह, टी टी ए, डिंगरपुर एक्सचेंज 4. श्री लखन सिंह, आर/एम, डिंगरपुर एक्सचेंज तथा अन्य
106.	आर.सी. 19(क)/2003-डी ए डी	1. श्री ओम प्रकाश, एस डी ई 2. श्री दर्शन लाल, जे टी ओ 3. श्री के.एन. दिवेदी, जे टी ओ 4. श्री श्याम सुंदर, टी टी ए सभी बीएसएनएल मेरठ से संबंधित है। 5. श्री दिवान सिंह, नियमित मजदूर सभी बीएसएनएल, मेरठ से संबंधित हैं।
107.	आरसी 8(ए)/2004/डीएडी	1. श्री बाबू राम, तत्कालीन डीई. संजय प्लेस-II बीएसएनएल 2. श्री राजू अरोड़ा, तत्कालीन एसडीओ(पी), टी.पी. नगर, आगरा 3. श्री डी.पी. अग्रवाल, तत्कालीन जेटीओ, टी.पी. नगर, आगरा, बीएसएनएल

1	2	3
108.	आरसी 8(ए)/2003-गांधीनगर	1. श्री एल.के. विठलपुरा, मंडल अभियंता (ग्रामीण), बीएसएनएल, अहमदाबाद
109.	आरसी 16(ए)/2003/गांधीनगर	1. रामेशंकर यादव, सतर्कता अधिकारी, अहमदाबाद, दूरसंचार जिला, अहमदाबाद
110.	आरसी 1(ए)/2004/गांधीनगर	1. श्री किरम पी. पटेल, उप मंडल अभियंता (फोन्स-III) बीएसएनएल नरोदा, अहमदाबाद
111.	आरसी 6(ए)/2004/गांधीनगर	1. श्री ए.ए. शेख, फोन मैकेनिक, वेद टेलीफोन एक्सचेंज, बीएसएनएल, जिला-मेहसाना
112.	आरसी 11(ए)/2004/गांधीनगर	श्री जी.ए. वेगदा, फोन मैकेनिक, नरोदा टेलीफोन एक्सचेंज, बीएसएनएल, अहमदाबाद
113.	आरसी 8(ए)/2004/गांधीनगर	1. श्री किरण पी. पटेल, सहायक महाप्रबंधक (प्रचालन), बीएसएनएल, भावनगर
114.	आरसी 2(ए)/2004/वीएसके	1. श्री के. नागेश्वर राव, फोन मैकेनिक
115.	आरसी 6(ए)/2003/जबलपुर	1. श्री संजय कुमार शर्मा, एसडीओ (फोन्स)-II, बीएसएनएल, बिलासपुर (सी.जी.)
116.	आरसी 7(ए)/2003/जबलपुर	1. श्री सुनील कुमार, पूर्व अभियंता (सिविल), मंडल-II, बीएसएनएल, जबलपुर
117.	आरसी 9(ए)/2004/जबलपुर	1. श्री बी.एस. पटेल, एसडीओ (फोन्स), बीएसएनएल, कोरबा (सीजी)
118.	पीई 3(ए)/2004/जबलपुर	1. श्री के. खुटीयारे, उप महा-प्रबंधक (वित्त), बीएसएनएल, बिलासपुर, सीजी
119.	आरसी 2(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री यू. कृष्णामचारी, जेई, नंदीपेट, निजामाबाद
120.	आरसी 8(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री आई. शेषगिरी राव, एसडीई, नालगोंडा
121.	आरसी 20(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री जगदीश प्रसाद, ईई, हैदराबाद
122.	आरसी 21(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री अन्ना मलाई, एओ, तिरूपति
123.	आरसी 25(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री बाबू राव, जेटीओ, चिंतले, हैदराबाद
124.	आरसी 29(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री संपथ कुमार, टीडीएस 2. श्री सी. संबाशिव राव, डीई/एमएम 3. श्री बी. गंगाधर राव, डीई/टी/समस्त नालगोंडा
125.	आरसी 34(ए)/2003/हैदराबाद	1. देवदास, डीई, पेड्डापल्ली, करीमनगर
126.	आरसी 6(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री पी. कोटेश्वर राव, एसडीओ(ग्रुप्ड), सिद्दीएट 2. श्री सिवाजी राजू, एसडीई, रामायम पेट 3. श्री पी. पंडुरगाराव, डीईटी, सिद्दीएट

1	2	3
127.	आरसी 7(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री के. सूर्या राव, एसडीओ, पाटनचेरू, हैदराबाद
		2. श्री एन. चन्द्रा अमरराजू, एसडीओ, संगारेड्डी
		3. श्री आर.बी. किशोर, डीई(मेंट) सिद्दी एट
128.	आरसी 8(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री बी. रंगैयाह, एओ, खम्माम
		2. श्री एम.वी.एन. सूर्यानारायण राव, एओ, कार्यालय जीएमटीडी, हैदराबाद
129.	आरसी 9(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री एम. नागेश्वर नैक, टीटीए
130.	आरसी 10(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री बी. विजय कुमार, जेटीओ, पराकला, वारंगल
131.	आरसी 14(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री एल.वी. शास्त्री, डीई, महबूबनगर, वारंगल
132.	आरसी 20(ए)/2004/हैदराबाद	1. श्री एल.वी. शास्त्री, डीई, महबूबनगर, हैदराबाद
133.	पीई 4(ए)/2003/हैदराबाद	1. श्री के. संपथ कुमार, जीएम, गुलबर्गा
		2. श्री के. वसंथाराव, एओ कार्यालय जीएमटीडी, नालगोंडा
134.	पीई 5(ए)/2003/हैदराबाद	सर्व श्री
		1. एस.के. कृष्णाचारी, डीई, कदीरी
		2. के. वीराभद्रप्पा, डीई, हिंदूपुर
		3. के.एस. चन्द्रशेखर, डीई(आंतरिक)(सेवानिवृत्त)एम अनंतपुर
		4. एम. जेरमैय्या, डीई (सेवानिवृत), गुटांकल
		5. एम. सैनथ शर्मा, डीई, डीएमवी (सेवानिवृत्त), तडीपत्री
		6. एस. रंगैयाह, एसडीओटी, कदीरी, अनंतपुर
		7. एस. मुजिब, एसडीई, कदीरी, अनंतपुर
		8. एम. नागेश्वर राव, एसडीओटी, हिंदूपुर
		9. बी.एच.के. बगावन, एसडीई(जी) गोरंतला
		10. आर.पी. सिंह, एसडीई(ई) अनंतपुर
		11. वी. अंजानेयूलू, एसडीओटी, अनंतपुर
		12. एस. सिवरमैयाह, एसडीई(जी), ठरावकोंडा, अनंतपुर
		13. एम. मुनीस्वामी राजू, एसडीई, कन्नेकल, अनंतपुर
		14. एस. अंजनप्पा, एसडीई(जी) रायदुर्ग
		15. एस.एम.डी. हूसैन, एसडीई(जी), धर्मावरम

1	2	3
		16. वाई. बलिया, एसडीओटी, धर्मावरम
		17. ई. प्रभाकर सेट्टी, जेटीओ, कदीरी
		18. रघुनाथ रेड्डी, जेटीओ(जी), कदीरी
		19. वेकोंबाराव, जेटीओ, कन्नेकल, अनंतपुर
		20. एम. श्रीनिवासाराव, जेटीओ, गोरंतला, अनंतपुर
		21. एम. नागरजुना रेड्डी, जेटीओ, कन्नेकल, अनंतपुर
		22. जी. पूजान्ना, एसडीई(जी) महबूबनगर
		23. जी.वी. रेड्डी, एसडीई(पूर्व. II), हिंदूपुर
		24. ए. रामबाबू, जेटीओ, पेनूकोंडा, अनंतपुर
		25. ए. सुब्बा राव, एसडीई तडीपत्री, अनंतपुर
		26. ई. चिदनंदा मूर्ती, एसडीई, गूटी
		27. जी. गुरू मूर्ती, जेटीओ, अनंतपुर

''सिम कार्ड'' के लिए प्रतीक्षा सूची

3059. श्री गणेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कुल कितने व्यक्तियों को बी.एस.एन.एल. मोबाइल सिम कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या इन ''सिम कार्डों'' की भारी मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त कनेक्शन की मांग कर रहे प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार, देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 6230746 है जिनके पास बीएसएनएल का मोबाइल सिम कार्ड है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) नीतिगत तौर पर बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची नहीं रखता। परंतु बीएसएनएल की मोबाइल सेवा की भारी मांग के कारण, कुछ राज्यों में प्रतीक्षा सूची रखी गई है और 31.7.2004 की स्थिति के अनुसार जिन राज्यों में इसे रखा जा रहा है उनमें कुल 777400 आवेदक प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं। वाजिब प्रशुल्क, अच्छी गुणवत्ता और नेटवर्क की देशव्यापी उपलब्धता के कारण बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं की भारी मांग है।

(ङ) वर्तमान में बीएसएनएल अपने सेल्युलर नेटवर्क क्षमता को 6 मिलियन लाइनों से बढ़ाकर 9 मिलियन लाइनें कर रहा है। बीएसएनएल ने 2005 के अंत तक क्षमता को 15 मिलियन लाइनों तक बढ़ाने की और योजना बनाई है ताकि इसकी सेवा की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. के लिए नैदानिक किट

3060. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक

एक रासायनिक मिश्रण तैयार किया है जिसे मरीज के रक्त नमूने से मिलाने के बाद स्लाइड पर देख कर शीघ्र ही एचआईवी संक्रमण का पता लगाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में इस उपकरण को लोकप्रिय बनाने और उपयोग शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। जैव रसायन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैम्पस, नई दिल्ली ने रक्त नमूनों में एचआईवी एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए नेक्ड आई विजुअल इरिथ्रोसाइड एग्लुटिनेशन (एनईवीए) एस्से तकनीक विकसित की है। इस परीक्षण के विपणन के लिए भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस अध्ययन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता दी गई है।

जैव रसायन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के बाद इसे मेसर्स केडिला फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड, अहमदाबाद को स्थानान्तरित किया है। तथापि, तथ्य यह है कि यहां ऐसे परीक्षण किट हैं जो अब बाजार में उपलब्ध हैं और इन्हें भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर लाइसेंस दिया गया है। इन सभी त्वरित परीक्षण किटों से व्यक्ति में एचआईवी स्तर की जांच करने में (रक्त नमूनों के द्वारा) लगभग 30 मिनट का समय लगता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एचआई टेस्ट किटों को विश्व बैंक के द्वारा खरीदने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रतियोगी बोलियों की प्रक्रिया अपनाने के बाद केन्द्रीय स्तर से खरीदता है। देश के विनिर्माताओं, लघु उद्योगों, भारत सरकार के उपक्रमों आदि को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

हमारे रिकार्डों के अनुसार इस विशेष उत्पाद (एनईवीए) ने प्रतियोगी बोलियों की प्रक्रिया में भाग लिया है। लेकिन उत्पाद का मूल्य अधिक होने के कारण यह प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ है। इसलिए इसे अभी तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

3061. डा. रामलखन सिंह:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्य-वार विशेषत: मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में संख्या कितनी है जिन्हें अब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में नहीं बदला गया है;

(ख) इन एक्सचेंजों के कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाने की संभावना है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सर्किलों के एक्सचेंजों सहित बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्कों के अन्तर्गत देश के सभी एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नई जैव प्रौद्योगिकी नीति

3062. श्री जुएल ओराम:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्तावित नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त नीति के कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मानव कल्याण और आर्थिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को बनाने और जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करने की योजना के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) इस नीति को चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक बनाए जाने की आशा है।

एसटीडी/आईएसडी प्रीपेड कार्ड

3063. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में कोई एसटीडी/आईएसडी प्रीपेड कार्ड शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कार्ड से किन देशों से बात की जा सकती है तथा इसका शुल्क कितना है और ये कार्ड कितने-कितने मूल्य के हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) वीएसएनएल ने निम्नलिखित दो ब्रांडों के अंतर्गत कालिंग कार्ड शुरू किए हैं:

* *इंडिया-आन-काल*, जो एक इन्बाउंड कार्ड है, और वर्तमान में इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों (संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन) से भारत में बात की जा सकती है।

* *हैलो दुनिया*, यह एक आउटबाउंड कार्ड है, वर्तमान में इसका प्रयोग टाटा इंडीकाम मोबाइलों, लैंड लाइन और फिक्स्ड-वायरलेस टेलीफोनों से आईएसडी कॉल करने में किया जा सकता है। वर्तमान में इस कार्ड का प्रयोग नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई के महानगरों के बीच एसटीडी काल करने में भी किया जा सकता है।

(ग) यूएस-इंडिया कार्ड 540 रु., 1080 रु. और 2700 रु. के मूल्यों में उपलब्ध है; यूके-इंडिया कार्ड 540 रु. के मूल्य में उपलब्ध है, जबकि गल्फ-इंडिया कार्ड 1080 रु. के मूल्य में दिया जाता है। जहां तक इनकमिंग कालों का संबंध है, प्रशुल्क 9.48 रु. प्रति मिनट में 21.48 रु. प्रति मिनट की दर से लिया जाता है जो उस देश पर निर्भर करता है जहां से काल की जाती है।

जहां तक आउटगोइंग अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कालों का संबंध है, प्रशुल्क 7.20 रु. प्रति मिनट से 19 रु. प्रति मिनट की दर से लिया जाता है जो उस देश पर निर्भर करता है जहां पर काल की गई है।

राष्ट्रीय लंबी दूरी की काल के संबंध में, प्रशुल्क 2.99 रु. प्रति मिनट है। वर्तमान में इस कार्ड से महानगरों के बीच भी काल की जा सकती है।

केन्द्रीय भंडार में काली सूची में डाले गए विक्रेता

3064. श्री विजय कृष्ण: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार में पंजीकृत कुछ विक्रेताओं को बाजार मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के कारण उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया/काली सूची में डाल दिया गया किन्तु बाद में उन्हें उसी नाम से या परिवर्तित नाम से पुन: पंजीकृत कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काली सूची में डाले गए आपूर्तिकर्त्ताओं को परिवर्तित नाम इत्यादि से पुन: पंजीकृत करने के लिए केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) अधिक मूल्य वसूलने के कारण कुछ विक्रेताओं का पूर्व में केन्द्रीय भण्डार द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया गया था लेकिन उनमें से किसी को भी उसी नाम या परिवर्तित नाम से पुन: पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

3065. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में उपलब्ध नई सुविधाएं केवल देश के महानगरों और छोटे शहरों तक ही सीमित रह गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का विश्लेषण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध दूरसंचार सुविधाओं में व्याप्त विसंगति को दूर करने के उपायों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न सेवा प्रदाता देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को सरल बनाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की भी स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

'एम्स' में संसद सदस्यों के साथ अशिष्ट व्यवहार

3066. श्री धरसुराम माझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स में संसद सदस्यों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 19 जून, 2004 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्थानीय दवा विक्रेताओं से खरीद

3067. श्री किन्जरपु येरन्नायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थानीय दवा विक्रेताओं से सीधी खरीद बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लम्बित बिलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। तथापि, यदि विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई कोई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है तो इसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाता है।

ऐसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के मामले में, जिनसे कोई अधिकृत स्थानीय केमिस्ट संबद्ध नहीं होते हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को खुले बाजार से दवाएं खरीदने की अनुमति प्रदान की जाती है जिसके लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) ऐसे वरिष्ठ नागरिकों (के.स.स्वा.यो. पेंशनभोगी कार्डधारियों) जिनको खुले बाजार से औषध सामग्री खरीदने की अनुमति दी गई है, के बिलों की प्रतिपूर्ति का काम सरकार ने के.स.स्वा. योजना से संबंधित अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशक को सौंप दिया है ताकि पेंशनभोगियों को भुगतान करने का काम तेजी से किया जा सके और उनको कोई असुविधा न हो।

प्रक्षेपास्त्र रक्षा कार्यक्रम में भारत को शामिल करना

3068. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रक्षेपास्त्र रक्षा कार्यक्रम में भारत को शामिल किए जाने संबंधी अमरीकी प्रस्ताव पर कोई राय बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 4 जून, 2004 को शिमला में समाप्त हुए रक्षा नीति समूह, जो भारत-अमरीका सैन्य संबंधों का मार्गदर्शन करता है, की तीन दिवसीय बैठक में वाशिंगटन ने उक्त कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुतीकरण और संक्षिप्त जानकारी दी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) मिसाइल डिफेंस पर अमरीकी पक्ष द्वारा प्रस्तुतियां और बातचीत वर्ष 2001 से ही भारत-अमरीकी रक्षा नीति समूह की कार्यसूची में रहा है। अमरीकी पक्ष ने रक्षा नीति समूह की अंतिम बैठक में 1 जून, 2004 को दिल्ली में मिसाइल डिफेंस पर एक प्रस्तुति दी। सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है जिसके अंतर्गत

इसने मिसाइल डिफेंस विषय पर अमरीका के साथ आरंभिक चर्चा और बातचीत की है।

जम्मू और कश्मीर में सड़क नेटवर्क

3069. चौधरी लाल सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में, विशेषत: कठुआ, उधमपुर और डोडा जिले में सड़क नेटवर्क की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। जम्मू और कश्मीर में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग हैं–रा.रा. 1ए, रा.रा. 1बी और रा.रा. 1सी।

जम्मू औ कश्मीर में पंजाब/जम्मू और कश्मीर सीमा से श्रीनगर तक रा.रा. 1ए श्रीनगर, खानाबल, बनिहार, बटोटे, उधमपुर, कुंजवाणी, विजयपुर, कठुआ और पठानकोट से गुजरता है तथा उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर इसे दिसम्बर, 2007 तक चार लेन का बनाने का लक्ष्य है। रा.रा. 1बी डोडा जिला से गुजरता है। रा.रा. 1सी डोमेल और कटरा को जोड़ता है तथा यह उधमपुर जिले से गुजरता है। रा.रा. 1बी और 1सी को संसाधनों की उपलब्धता और परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार चरणबद्ध रूप में दो लेन का बनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में अन्य सड़कों का सुधार और विकास करना इस मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। तथापि, राज्यीय सड़कों का सुधार करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की सहायता करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों में 35.37 करोड़ रु. के 12 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

सहायकों के वेतनमान में विसंगति

3070. श्री प्रसन्न आचार्य:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्यपीठ ने मूल अपील संख्या 1538/87 में चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुपालन में केन्द्रीय उत्पाद एवं आयकर निरीक्षक आदि की तुलना में सहायकों के वेतनमान में विसंगति को पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 31.7.1990 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उक्त दिशा-निर्देश के अनुपालन में सहायकों का वेतनमान 1640-2900 रुपए में प्रोन्नत कर दिया;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यय विभाग ने अपने दिनांक 21.4.2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय उत्पाद और आयकर निरीक्षकों का वेतनमान 6500-10500 रुपए में प्रोन्नत करके सहायकों के लिए नई विसंगति उत्पन्न कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) मूल अपील (ओ.ए.) संख्या 1538/87 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहायकों के वेतनमान में प्रथमदृष्टया विसंगति है। उन्होंने सरकार को, उस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार करने का निदेश दिया।

(ख) इस मुद्दे पर सम्पूर्णत: विचार करने के पश्चात सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.7.1990 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों को 1.1.1986 से 1640-2900 रुपए का वेतनमान मंजूर करने का निर्णय लिया।

(ग) व्यय विभाग ने अपने 21.4.2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ आयकर निरीक्षक और निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद) के वेतनमान संशोधित कर दिए हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पद के साथ संबद्ध कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्वरूप आयकर निरीक्षक और निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद) से भिन्न है, अत: ये तुलनीय नहीं हैं।

इस प्रकार, आयकर निरीक्षक और निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद) के वेतनमान के उन्नयन के कारण कोई विसंगति उत्पन्न हो गई है, यह नहीं कहा जा सकता।

(घ) उपर्युक्त (ग) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3071. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने संबंधी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के इच्छुक कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) जी, नहीं। विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत पहले से ही विद्यमान योजनाओं के अलावा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कोई अन्य योजना प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा व्यय में वृद्धि

3072. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि गत कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चिकित्सा शीर्ष में होने वाले व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि व्यय में वृद्धि के बावजूद आम जनता को उचित इलाज समय पर नहीं मिल पाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) यद्यपि स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय निश्चित रूप से बढ़ता रहा है, फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4 अमरीकी डालर पर बन रहा है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान जन स्वास्थ्य पर व्यय कमोवेश 1 प्रतिशत से कम पर स्थिर रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सरकार, विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच बढ़ाकर देश के आम लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का एक विस्तृत तंत्र तैयार किया गया है। सरकार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसे प्रमुख संचारी और असंचारी रोगों के नियंत्रण में अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय अभिकरणों से सहायता जुटाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से निर्धनों और सेवाओं से वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के वास्ते सात राज्यों में विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तथापि, सभी प्रयासों के बावजूद, राज्यों के बीच स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की उपलब्धता में अन्तर है और औषधियों की आपूर्ति, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती तथा नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में कुछ कमियां हो सकती हैं।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3073. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उन स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि उपलब्ध करवाती है जो देश में, विशेषत: कर्नाटक में परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उन्हें आबंटित धनराशि का सुचारू रूप से इस्तेमाल किए जाने की निगरानी करने के लिए कोई एजेंसी है;

(घ) यदि हां, तो चूककर्ता संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के आकलन/मूल्यांकन कार्य करने के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा मूल्यांकन अभिकरणों का

एक पैनल तैयार किया गया है जो विवरण-II पर दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन परियोजना का पहला और तीसरा वर्ष पूरा होने पर किया जाता है। लिंग विषयक समर्थन योजना के अंतर्गत, जिसके लिए वित्तीय सहायता यूएनएफपीए द्वारा प्रदान की जाती है, वित्तीय सहायता चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान की जाती है जिन्हें मानीटरिंग गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है जबकि परियोजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया गया था। मानीटरिंग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों ने परियोजना कार्यान्वयन की देख-रेख और मानीटरिंग की।

(घ) और (ङ) जिन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके संबंध में जो कार्रवाई की गई हैं, उसे विवरण-III में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मदर गैर-सरकारी संगठन स्कीम

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मदर गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6
1.	एकलव्य मेमोरियल लीग प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	1,000,000.00		978,414.00
2.	राहुल मेडि.एंड हेल्थ सर्विसेस सोसायटी, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	4,000,000.00	3,898,562.00	3,200,000.00
3.	सोसायटी फार नेशनल इंटीग्रेशन थ्रु रूरल डेवलपमेंट, प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	2,234,000.00		1,936,708.00
4.	सेंट पीटर्स मल्टीपर्पस हेल्थ वर्करस (फिमेल), गुंटूर	आंध्र प्रदेश		900,000.00	850,000.00
5.	एचईएडीएस, अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	750,000.00	739,649.00	2,689,345.00
6.	सोशियल एक्शन फार सोशियल डेवलपमेंट,	आंध्र प्रदेश	1,500,000.00		1,440,000.00
7.	अरुणाचल प्रदेश, वीएचए	अरूणाचल प्रदेश		2,987,396.00	
8.	रूरल वूमेन अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन आफ असम	असम	1,600,000.00	3,000,000.00	2,964,147.00
9.	वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ असम गुवाहाटी	असम		2,613,000.00	
10.	देशबन्धु क्लब, कछार	असम	1,855,000.00		1,704,646.00
11.	सांइटिफिक एजूकेशन प्रोम एण्ड फाउंडेशन, पटना	बिहार	1,600,000.00	2,360,000.00	2,324,240.00
12.	मिल्लत एजूकेशन सोसायटी, समस्तीपुर	बिहार		1,200,000.00	1,736,000.00
13.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, समस्तीपुर	बिहार		1,760,000.00	1,800,000.00
14.	आदर्श महिला शिल्पा कला केन्द्र, पटना	बिहार		2,129,408.00	2,400,000.00
15.	अदिति, पटना	बिहार			2,987,600.00
16.	भगवान बुद्ध विकास सेवा केन्द्र, पटना	बिहार	400,000.00	596,355.00	600,000.00
17.	आर्थिक आत्म निर्भरता समाजिक विकास अभिकरण, पटना	बिहार	400,000.00	800,000.00	1,166,700.00

1	2	3	4	5	6
18.	दाउदनगर अर्गेनाइजेशन फार रूरल डेवलपमेंट, औरंगाबाद	बिहार	1,200,000.00		1,983,397.00
19.	शांतिदूत, नालंदा	बिहार	400,000.00	600,000.00	579,254.00
20.	राजेन्द्रा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन एण्ड सोशियल वेलफेयर	बिहार	1,200,000.00		1,189,100.00
21.	सेंटर फार लेबर एजूकेशन एण्ड सोशल रिसर्च	छत्तीसगढ़	2,500,000.00		
22.	उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डेवेलपमेंट एण्ड पावर्टी एलेविएशन, इलाहाबाद	छत्तीसगढ़			1,200,000.00
23.	इन्डकेयर चेरिटेबल ट्रस्ट	दिल्ली	1,013,890.00	1,500,000.00	
24.	सोसवा, नार्थ	दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब	3,625,000.00		6,607,853.00
25.	गुजरात वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन, अहमदनगर	गुजरात		1,250,000.00	
26.	सेंटर फार हेल्थ एजूकेशन ट्रेनिंग एण्ड न्यूट्रीशन अवेयरनेस	गुजरात	876,997.00	676,317.00	1,345,849.00
27.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया अहमदाबाद	गुजरात	1,200,000.00	1,395,562.00	
28.	समग्र विकास ट्रस्ट, अमरेली, गुजरात	गुजरात	1,000,000.00	2,426,389.00	
29.	एच पी वी एच ए	हिमाचल प्रदेश		2,271,377.00	
30.	सोसायटी फार सोशल अपलिफ्ट थ्रु रूरल एक्शन	हिमाचल प्रदेश			1,277,980.00
31.	निश्चल फाउंडेशन (एसएनएस), गुडगांव, (एमएनजीओएन एच. पी.)	हिमाचल प्रदेश	1,600,000.00	2,000,000.00	
32.	स्वाच फाउंडेशन, पंचकुला	हरियाणा	2,489,464.00	2,500,000.00	2,959,657.00
33.	हरियाणा नवयुवक कला संघम	हरियाणा		474,418.00	
34.	जे. एण्ड के. एक्स सर्विसेज लीग, जम्मू	जम्मू एण्ड कश्मीर	1,200,000.00	1,352,5444.00	
35.	कलमाकरि सेंटर प्लैरा, जम्मू	जम्मू एण्ड कश्मीर			997,770.00
36.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र	झारखंड		2,129,386.00	
37.	ग्राम निगम मंडल, नक्षदा	झारखंड/बिहार	1,600,000.00	2,289,963.00	1,200,000.00
38.	वूमेन इन सोशल एक्शन, मिदनापुर	झारखंड		2,400,000.00	2,327,632.000
39.	फूलीन महिला चेतना विकास केन्द्र, देवघर	झारखंड	400,000.00	576,645.00	
40.	कर्नाटका वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन	कर्नाटक	2,128,829.00		
41.	सोसवा, कर्नाटक	कर्नाटक		4,000,000.00	3,890,854.00
42.	सैंट जॉनस मेडिकल कालेज, बंगलौर	कर्नाटक		3,364,741.00	
43.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, तिरूवनंतपुरम	केरल	1,500,000.00	1,390,591.00	

1	2	3	4	5	6
44.	केरल वालंटरी हेल्थ सर्विसेज, कोट्टायम	केरल	2,000,000.00		
45.	महिला उत्कर्ष संस्थान, इंदौर	मध्य प्रदेश		1,200,000.00	
46.	तरूण संस्कार, जबलपुर	मध्य प्रदेश		1,200,000.00	
47.	संभव, ग्वालियर	मध्य प्रदेश		3,378,818.00	3,600,000.00
48.	सार्वजनिक परिवार कल्याण एवम सेवा समिति, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
49.	संस्कार शिक्षा, समिति	मध्य प्रदेश	1,200,000.00	1,533,773.00	1,761,990.00
50.	मध्य प्रदेश वी एच ए, इंदौर	मध्य प्रदेश	1,900,000.00	692,888.00	
51.	एफपीएआई, मुम्बई (एम. पी. में एमएनजीओ)	मध्य प्रदेश	2,500,000.00		3,288,868.00
52.	मेडिकल कांउसिल सेंटर, भोपाल	मध्य प्रदेश	1,200,000.00	1,762,450.00	
53.	श्री पर्शवानाथ बाल मंदिर समिति, इंदौर	मध्य प्रदेश	1,200,000.00	960,000.00	1,183,876.00
54.	उत्थान-सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, इलाहाबाद	मध्य प्रदेश			1,200,000.00
55.	सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे	महाराष्ट्र		7,739,521.00	
56.	सोसवा, पुणे	महाराष्ट्र	1,900,000.00		3,366,057.00
57.	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, अहमदनगर	महाराष्ट्र	1,624,000.00		1,374,160.00
58.	गोदावरी फाउंडेशन, जलगांव	महाराष्ट्र	1,000,000.00		2,467,773.00
59.	लेमिडिंग चेरपुर होम्योपैथिक एण्ड यूनानी एसोसिएशन, वांजिंग	मणिपुर		2,269,217.00	
60.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, इम्फाल	मणिपुर		2,731,823.00	
61.	नागालैंड वी एच ए	नागालैंड		2,128,829.00	
62.	उड़ीसा वीएचए, भुवनेश्वर	उड़ीसा	3,000,000.00	4,892,593.00	3,200,000.00
63.	माई हर्ट, भुवनेश्वर	उड़ीसा		6,000,000.00	2,962,049.00
64.	आग्रेनाइजेशन फार सोशल चेंज एण्ड रूरल डेवेलपमेंट, भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
65.	ईश्वर	उड़ीसा		584,000.00	
66.	आसरा	उड़ीसा	800,000.00	1,159,634.00	1,195,643.00
67.	एनीमल वेलफेयर सोसायटी आफ उड़ीसा	उड़ीसा		1,200,000.00	1,187,893.00
68.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	उड़ीसा			600,000.00
69.	प्रकल्प	उड़ीसा		600,000.00	478,800.00
70.	आंचलिक कुंजेश्वरी संस्कृतिका, पुरी	उड़ीसा	1,000,000.00	3,000,000.00	2,993,185.00

1	2	3	4	5	6
71.	एनआईएचआरडी, कटक	उड़ीसा	800,000.00		1,189,483.00
72.	एफपीआई, मोहाली	पंजाब		1,500,000.00	
73.	वीएचए आफ पंजाब, चंडीगढ़	पंजाब	1,000,000.00		
74.	भोरूका चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर	राजस्थान	1,700,000.00		
75.	बुद्धग्राम सोसायटी फार एजूकेशन कंसाईंटिएशन एवयरनेस एण्ड ट्रेनिंग	राजस्थान		1,200,000.00	
76.	यूआरएमयूएल, रूरल हेल्थ रिसर्च, बीकानेर	राजस्थान	1,000,000.00	3,000,000.00	
77.	चेतना	राजस्थान	1,000,000.00		
78.	वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ सिक्किम	सिक्किम	1,000,000.00		2,371,294.00
79.	रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, सिवांगई	तमिलनाडु	2,000,000.00		1,795,902.00
80.	तमिलनाडु वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन, चेन्नई	तमिलनाडु		2,598,151.00	
81.	गांधीग्राम इंस्टीच्यूशन आफ रूरल हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल	तमिलनाडु	3,500,000.00	3,930,383.00	
82.	दीपम एजूकेशन सोसायटी फार हेल्थ, चेन्नई	तमिलनाडु	800,000.00		887,264.00
83.	एफपीएआई, मदुरै	तमिलनाडु	2,345,652.00		2,482,741.00
84.	वीएचए आफ त्रिपुरा, अगरतल्ला	त्रिपुरा	1,500,000.00		1,780,034.00
85.	सोएआरटीई, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश		2,400,000.00	1,834,645.00
86.	इंडियन इंस्टीच्यूट फार डेवलपमेंट स्टडी एण्ड रिसर्च, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	3,600,000.00		3,534,000.00
87.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2,000,000.00	3,550,471.00	2,830,471.00
88.	नीझिल इंटीग्रेटेड रूरल प्रोजेक्ट फार हेल्थ एण्ड डेवलपमेंट	उत्तर प्रदेश	2,400,000.00	3,288,624.00	2,800,000.00
89.	उत्थान-सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिवियेशन, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2,500,000.00		3,558,000.00
90.	वर्ल्ड वेलफेयर एण्ड रिसर्च सेंट, गोंडा	उत्तर प्रदेश	2,000,000.00	2,909,142.00	2,774,05.00
91.	एफपीएआई, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	3,600,000.00		3,548,209.00
92.	यूपी वीएचए	उत्तर प्रदेश			2,135,852.00
93.	हिमालय इंस्टीटच्यूशन हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून	उत्तरांचल		3,392,695.00	
94.	सीआईएनआई, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल			3,883,404.00
95.	गाना उन्नयन परिषद, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1,500,000.00		1,500,000.00
96.	पश्चिम बंगाल वीएचए, कोलकाता	पश्चिम बंगाल		3,980,300.00	3,996,313.00

1	2	3	4	5	6
		नवीन योजनाएं			
1.	रूरल वूमेन अपलिफ्टमेंट	असम	115.000.00		
2.	जन स्वास्थ्य सहयोग	छत्तीसगढ़		2,207,100.00	
3.	प्रयास	दिल्ली	869,500,00		
4.	वीएचएआई, नई दिल्ली	दिल्ली			700,000.00
5.	महिला सेवा ट्रस्ट अहमदाबाद	गुजरात	11,210,526.00		
6.	एसएनएस फाउंडेशन, गुड़गांव	हरियाणा	1,456,000.00	837,400.00	
7.	एसएनएस फाउंडेशन, गुडगांव	हिमाचल प्रदेश	244,125.00		
8.	युवक प्रतिष्ठान	महाराष्ट्र		1,500,000.00	
9.	सोसवा, पुणे	महाराष्ट्र	3,000,000.00	1,975,000.00	
10.	वीएचएआई, दिल्ली	मध्य प्रदेश	874,073.00		700,000.00
11.	पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया	नई दिल्ली	802,762.00		
12.	वीएचएआई, नई दिल्ली	उड़ीसा	1,700,000.00		
13.	जन चेतना परिषद	उड़ीसा	1,000,000.00	1,304,000.00	
14.	अरासन रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी	तमिलनाडु	206,775.00		
15.	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलेपमेंट, कोलकाता	पश्चिम बंगाल		5,150,867.00	
16.	वूमेन इन सोशल एक्शन	पश्चिम बंगाल		421,000.00	

लिंग विषयक यू एन एफ पी ए सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्यान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य/संघ राज्य	वर्ष 2001-02 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, दिल्ली	दिल्ली			460,630.00
2.	मोबाइल क्रेचेज, नई दिल्ली	दिल्ली	1,287,634.00	195,262.00	252,582.00
3.	इन्स्टीटच्यूट फार डेवलपमेंट एण्ड कम्युनिकेशन, चंडीगढ़	बिहार		297,448.00	
4.	सेंटर डायरेकट, पटना	बिहार		787,554.00	
5.	आर्गेनाइजेशन फार सोसियो इकोनोमिक्स एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पटना	बिहार	247,968.00	283,900.00	283,900.00
6.	दाउदनगर डेवलपमेंट संस्थान, दाउदनगर	आंध्र प्रदेश	783,300,00	597,497.00	156,660.00
7.	विशाखा जिला नव निर्माण समिति, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	808,920.00	808,071.00	

1	2	3	4	5	6
8.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति	राजस्थान	669,600.00	709,753.00	
9.	स्व-सहयोग संस्था, चकसू	राजस्थान	325,474.00	169,050.00	
10.	इंडियन इंस्टीट्यूट फार रूरल डेवलपमेंट, जयपुर	राजस्थान	148,471.00		
11.	लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन	राजस्थान		773,928.00	
12.	कनसर्नड सिटीजेन	राजस्थान		910,967.00	
13.	गिल्ड आफ सर्विसेज (सेंट्रल), चेन्नई	तमिलनाडु		19,318.00	
14.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, वांगजिंग	मणिपुर	832,928.00	666,515.00	
15.	कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थउबल	मणिपुर		54,810.00	
16.	खुराई यंग वूमेन्स सोसियो कल्चरल आर्गेनाइजेशन	मणिपुर		186,900.00	
17.	सेवाना, तिरूवेन्द्रम	केरल	139,860.00	32,328.00	
18.	जनशक्ति	केरल		68,843.00	
19.	अन्वेशी वूमेंस काउंसिलिंग सेंटर, कालीकट	केरल		867,384.00	176,835.00
20.	दीपक चैरिटेबल ट्रस्ट, बड़ोदरा	गुजरात	1,574,034.00	149,957.00	219,396.00
21.	पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति, पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश	921,361.00	560,000.00	
22.	पश्चिम बंगाल वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन	पश्चिम बंगाल		912,900.00	
23.	यूथ एसोसिएशन फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन	उड़ीसा		457,832.00	
24.	केरल स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर	केरल		867,382.00	
25.	कम्युनिटी एक्शन फार सोशल ट्रांसफार्मेशन, तिरूविरूथनपुल्ली	तमिलनाडु	1,21,700.00	956,750.00	204,096.00

विवरण II

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत पूर्व-आकलन/मूल्यांकन/कार्य क्षेत्र आकलन के लिए नामिका

1. निदेशक
   भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध अनुसंधान संस्थान
   1, प्रभुदयाल मार्ग
   संगानेर एयरपोर्ट, जयपुर

2. निदेशक
   भारतीय परिवार नियोजन संघ
   बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट
   मुम्बई

3. निदेशक
   नाबाकृष्णा चौधरी
   सेंटर फार डेव. स्टडीज
   भुवनेश्वर-751013

4. निदेशक
   राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान
   मुनीरका, नई दिल्ली

5. मुख्य कार्यपालक
   भारतीय स्वैच्छिक संघ
   टंग स्वास्थ्य भवन
   10, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

6. निदेशक
   सीआईएनआई, गांव दौलतपुर
   डा. पेलन
   24 परगना
   पश्चिम बंगाल

7. निदेशक
गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और प.क. न्यास
अम्बाथुरई
डिंडिगुल, तमिलनाडु

8. निदेशक
ओम टावर
190-ए विधानसभा मार्ग
लखनऊ

विवरण III

गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1.	गोदावरी फाउंडेशन, महाराष्ट्र	इस मदर गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध निधियों के दुरूपयोग की एक शिकायत थी। जांच परामर्शदाता ए आर सी द्वारा 29.5.2003 से 30.6.2003 तक की गई। दूसरी जांच ए सी (एन जी ओ) द्वारा अवर सचिव (एस-1) द्वारा 12-14 नवम्बर, 2004 तक की गई। गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाए गए।
2.	आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक विकास अभिकरण, पटना, बिहार	मदर गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए कदाचार के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई। राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
3.	चेतना, राजस्थान	वर्ष 2002-2003 के समुपयोजन प्रमाणपत्रों के अनुसार उनके पास 158551/- रुपए की खर्च न की गई राशि शेष है। चेतना राजस्थान को अलग से पंजीकृत नहीं किया गया है। जब तक वे राजस्थान में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देते, उनको सहायता अनुदान रोक दिया गया है।
4.	डवलपमेंट एक्शन थ्रु सेल्फ हेल्प नेटवर्क (दर्शन केरल)	इस गैर-सरकारी संगठनों को ''डे केयर सेंटर'' के लिए 1,41,400 रुपए की राशि जारी की गई थी। मानीटरिंग रिपोर्टों और यू एन एफ पी ए द्वारा किए गए दौरों से खातों के रख-रखाव में अनियमितताएं तथा निधियों का दुरूपयोग पाया गया। आगे के लिए धन राशि जारी करना रोक दिया गया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लेखा परीक्षा स्कन्ध को इस गैर-सरकारी संगठन के खातों की लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
1.	देवनसिद्धेश्वर प्रसन्न एजू. सोसाइटी, बीदर, कर्नाटक
2.	नेशनल एजू. माइनोरोटीज सोसाइटी, कोठापेट, गंटूर
3.	ग्रामीण विकास संस्थान, भरतपुर, राजस्थान
4.	हरिजन पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति माधेपुर, मधुवनी, बिहार
5.	हस्त कला विकास केन्द्र माधेपुर, मधुवनी, बिहार

एड्स हेतु टीके का आविष्कार

3074. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री निखिल कुमार:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अधीर चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित राष्ट्रीय एच.आई.वी. संदर्भ केन्द्र के अनुसंधान दल ने एड्स के लिए प्रभावी टीका विकसित कर लिया है जैसा कि 21 जुलाई, 2004 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए समाचार की सच्चाई क्या है;

(ग) क्या उक्त दल मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एच.आई.वी. के लिए वैक्सीन विकसित करने के वास्ते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र की सहायता करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित इस राष्ट्रीय एच.आई.वी. संदर्भ केन्द्र ने एच.आई.वी. 1 सब टाइप-सी के लिए एक डी.एन.ए. रीकामबिनेन्ट वैक्सीन विकसित करने की सूचना दी है इसकी प्रभावकारिता, निरापदता आदि का पता लगाने के लिए इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण किया जाना अभी बाकी है।

(ग) से (ङ) जी हां। भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नैदानिक परीक्षण करने के लिए इस वैक्सीन की उपयुक्तता की जांच करने के वास्ते एक विशेषज्ञ दल गठित कर रहा है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

पेंशन देयता

3075. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न राज्यों की पेंशन देयता 1990-91 में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों के 4.81 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 तक उनकी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 11 प्रतिशत तक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पेंशन देयताओं की उच्च प्रतिशतता वाले राज्यों की सहायता के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। कुल राजस्व प्राप्तियां तथा पेंशन देयताओं का वर्षवार विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां तथा पेंशन देयताएं

वर्ष 1990-91 (बजट अनुमान) से 2003-04 (बजट अनुमान) तक

(लाख रु.)

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियां (टीआरआर)	पेंशन देयताएं	टीआरआर में पेंशन देयताओं का प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1990-91	6445905	309733	4.81
1991-92	7740805	366394	4.73
1992-93	8761643	384435	4.39
1993-94	10086088	461608	4.58
1994-95	11548224	562337	4.87

1	2	3	4
1995-96	13547784	679924	5.02
1996-97	15114020	867927	5.74
1997-98	17516536	1078307	6.16
1998-99	20013640	1420267	7.10
1999-2000	21474055	2009196	9.36
2000-01	24224270	2382030	9.83
2001-02	28308334	2679066	9.46
2002-03	30354742	3039629	10.01
2003-04	33171594	3578651	10.79

स्रोत : आरबीआई-राज्य वित्त-बजटों (1991-92 से 2003-04 तक) का एक अध्ययन

[हिन्दी]

विवेकाधीन निधि

3076. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलाज के लिए मरीजों को स्वास्थ्य मंत्री की विवेकाधीन निधि से प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त निधि से धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) दिनांक 17.8.2004 की स्थिति के अनुसार कुल मामलों की संख्या 50 है।

(घ) इस निधि से सहायता स्वीकृत करने के लिए मापदण्ड दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान

इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख शल्यक्रिया उपायों एवं बड़े रोगों के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती से संबंधित व्यय का एक भाग चुकाने के लिए निर्धन और जरूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हृदय रोग, गुरदा प्रत्यारोपण, कूल्हे और घुटने को बदलना, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, नेत्र, ट्यूमर आदि ऐसे रोग हैं जिनके लिए अनुदान मंजूर किए जाते हैं। इस निधि से सहायता प्रदान करने से संबंधित स्कीम/मानदण्डों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होते हैं।

(2) किसी भी स्थिति में अनुदान की राशि सामान्यतया 20000 रुपए से अधिक नहीं होती है। यह अनुदान एकमुश्त अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है और उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी किया जाता है जहां रोगी इलाज करा रहा होता है।

(3) सभी अनुदान अनावर्ती प्रकृति के होते हैं और कोई आवर्ती देयता नहीं होती है।

(4) पहले ही व्यय कर दी गई राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

(5) सामान्यतया केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे रोगियों को ही यह अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम

3077. श्री सुकदेव पासवान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में चल रहे सार्वजनिक टीका कार्यक्रम कौन-कौन से हैं; और

(ख) प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आबंटित निधि कितनी है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) (1) नियमित प्रतिरक्षण दिया जाता है।

बीसीजी	–	जन्म पर
डीपीटी	–	6,10,14 सप्ताहों पर तथा 18-24 महीनों पर
ओपीवी	–	6,10,14 सप्ताहों पर तथा 18-14 महीनों पर तथा संस्थागत प्रसव में कोई खुराक नहीं दी जाती।
खसरा	–	9-12 महीनों पर
डीटी	–	5 वर्षों पर
टीटी	–	10 वर्षों तथा 16 वर्षों पर
टीटी	–	गर्भवती महिलाओं के लिए दो खुराकें तथा यदि 3 वर्षों में टीका लगा हो तो एक खुराक

(2) पल्स पोलियो कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक टीकाकरण, जहां प्रत्येक अभियान में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ओपीवी की एक खुराक दी जाती है।

(ख) 2004-05 में निम्नलिखित हेतु बजट अनुमान है–

(1) नियमित प्रतिरक्षण – 217.00 करोड़ रुपए

(2) पल्स पोलियो कार्यक्रम – 1011.70 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में कमी

3078. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रचार और विस्तार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) वर्ष 2004-2005 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधि कितनी है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी नसबन्दियां की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी नहीं। परिवार नियोजन विधियों से संबंधित निम्नलिखित कार्यनिष्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में गर्भनिरोधक सेवाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

परिवार नियोजन विधियां	2002-03	2003-04*
नसबंदी	4,793,289	4,875,462
आई यू डी निवेशन	6,121,166	6,079,328
कण्डोम उपयोगकर्ता	22,087,930	21,931,545
खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	9,236,647	8,751,291

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) नसबंदी कराने वालों को मजदूरी की हानि के बदले 150 रुपए प्रति नसबंदी की दर से मुआवजा प्रदान किया जाता है। कार्य-सम्पादन (ट्रानजेक्शनल) लागत को कवर करने और इन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ई ए जी राज्यों में इसे हाल ही में बढ़ाकर प्रति महिला नसबंदी के लिए 200 रुपए और प्रति पुरुष नसबंदी के लिए 250 रुपए कर दिया गया है। इन राज्यों में मान्यताप्राप्त प्राइवेट/गैर-सरकारी संगठन के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को सामाजिक विपणन और सामाजिक फ्रेनचाइज से नसबंदी एवं आई यू डी निवेशन के लिए मुआवजे का व्यापक पैकेज प्रदान किया जा रहा है। लोगों को नि:शुल्क आपूर्ति एवं सामाजिक विपणन दोनों चैनलों के माध्यम से गर्भनिरोधक प्रदान किए जा रहे हैं। नए गर्भनिरोधक अर्थात् आई यू डी 380 ए और आपातकालीन गर्भनिरोधकों को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल किया गया है तथा संचार माध्यमों के जरिए एवं विकेन्द्रीकृत स्तरों पर परिवार कल्याण विषय का व्यक्ति विशिष्ट प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान परिवार नियोजन सेवाओं के लिए सीधे ही 528.67 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई पुरूष नसबंदी की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र/एजेन्सी	2001-02	2002-03*	2003-04*
1	2	3	4	5
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या > 20 मिलियन)**			
1.	आन्ध्र प्रदेश	44,486	42,406	30801
2.	असम	56	138	406
3.	बिहार	443	584	454
4.	छत्तीसगढ़	2,039	2,862	3242
5.	गुजरात	1,897	1,831	1677
6.	हरियाणा	1,383	1,416	1705
7.	झारखंड	431	521	326
8.	कर्नाटक	575	1,074	771
9.	केरल	1,137	1,645	1511
10.	मध्य प्रदेश	5,125	6,082	7000
11.	महाराष्ट्र	34,076	37,499	42000
12.	उड़ीसा	2,742	1,122	1233
13.	पंजाब	1,127	1,200	1638
14.	राजस्थान	1,410	1,737	1767
15.	तमिलनाडु	507	466	956
16.	उत्तर प्रदेश	1,971	1,765	5469
17.	पश्चिम बंगाल	1,532	1,835	860
II.	**छोटे राज्य**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	2	3
2.	दिल्ली	1,788	2,011	1712
3.	गोवा	10	26	13
4.	हिमाचल प्रदेश	3,001	3,054	3160
5.	जम्मू व कश्मीर	253	538	403

1	2	3	4	5
6.	मणिपुर	5	360	144
7.	मेघालय	26	40	9
8.	मिजोरम	0	1	2
9.	नागालैंड	54	56	19
10.	सिक्किम	426	359	180
11.	त्रिपुरा	14	10	1
12.	उत्तरांचल	1,055	1,527	1900
III.	संघ क्षेत्र			
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24	15	11
2.	चण्डीगढ़	83	60	63
3.	दादर एवं नगर हवेली	15	33	26
4.	दमन एवं द्वीव	1	4	5
5.	लक्षदीप	0	-	0
6.	पांडिचेरी	18	16	21
IV.	अन्य एजेन्सियां			
1.	रक्षा मंत्रालय	2,533	2,416	2882
2.	रेल मंत्रालय	946	835	722
	अखिल भारत	111,192	115,546	113,092

*आंकड़े अनंतिम है
- शून्य

भोपाल गैस त्रासदी के अभियुक्तों का प्रत्यर्पण

3079. श्री राजेश कुमार मांझी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले 20 वर्षों से अमेरिका से भोपाल गैस त्रासदी के अभियुक्तों के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि अभियुक्त श्री वारेन एंडरसन की आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई है और अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत जो व्यक्ति 80 वर्ष की आयु से अधिक हो जाता है उसे दंडित नहीं किया जा सकता;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अमेरिका से श्री वारेन एंडरसन को लाने हेतु कार्यरत अधिकारियों को दंडित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी और उन्हें कब तक दंडित कर दिया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। भोपाल गैस लीक त्रासदी से सम्बद्ध आपराधिक मामले में मुकदमे के लिए वारेन एंडर्सन के प्रत्यर्पण के लिए मई, 2003 में संयुक्त राज्य की सरकार को औपचारिक अनुरोध किया गया था। जून, 2004 में संयुक्त राज्य की सरकार ने सूचित किया है कि उसने अनुरोध की जांच कर ली है और यह निष्कर्ष निकाला है कि इस अनुरोध को निष्पादित नहीं किया जा सकता।

यह अनुरोध भारत और संयुक्त राज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि के कुछ प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।

(ग) प्रत्यर्पण संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति की आयु के कारण उसके प्रत्यर्पण किए जाने का निषेध करता हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूडान में भारतीय सैन्य टुकड़ियां भेजना

3080. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के अंतर्गत सूडान में भारतीय सैन्य टुकड़ियां भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या है जहां संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के अंतर्गत वर्तमान में भारतीय सेना तैनात है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर भारत सरकार ने सहायक तत्वों के साथ पैदल सेना बटैलियन दल, छः उपयोगिता हैलीकोपटर वाली एक वायु सेना इकाई और विशेष पुलिस इकाई और व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों वाले पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराने की वचनबद्धता की है।

(ग) भारत दलों को हाल में लेबनान इथियोपिया-एरीट्रिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में यू.एन. पीसकीपिंग मिशन में तैनात किया गया है। भारतीय पुलिस कार्मिक, कोसावो में यू.एन. मिशन में कार्य कर रहे हैं।

उत्तरांचल में दूरभाष केन्द्र/डाकघर

3081. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में जिले-वार विशेषत: हरिद्वार में खोले गए दूरभाष केन्द्र, डाकघरों और उप-डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) वे स्थान कौन-से हैं जहां वर्ष 2003-2004 के दौरान नये दूरभाष केन्द्र, डाकघर और उप-डाकघर खोले जाने प्रस्तावित थे;

(ग) सरकार के समक्ष डाकघरों और उप-डाकघरों को खोलने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इस समय उत्तरांचल में विशेषकर हरिद्वार में टेलीफोन एक्सचेंजों और प्रधान डाकघरों, मुख्य डाकघरों, उप-डाक घरों, अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) पच्चीस (25) टेलीफोन एक्सचेंज और पांच (5) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोले जाने प्रस्तावित थे, जिनमें से वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक 17 एक्सचेंज और 5 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जा चुके हैं जैसाकि विवरण-II में दिया गया है। एक एक्सचेंज हरिद्वार जिले में खोला गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान कोई नया डाकघर अथवा उप-डाकघर नहीं खोला गया।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है जो विभागीय उप-डाकघर खोले जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। तथापि, जिला चम्पावत के गांव झुडेली में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जाने संबंधी एक प्रस्ताव, जो लगता है कि मानकों को पूरा करता है, विचाराधीन है।

विवरण I

खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या (जिला-वार)

क्र.सं.	एसएसए का नाम	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	49
		बागेश्वर	9
		चंपावत	15
		पिथौरागढ़	34
2.	देहरादून	देहरादून	61
3.	हरिद्वार	हरिद्वार	29
4.	नैनीताल	नैनीताल	29
		यूएस नगर	46
5.	नया टिहरी	उत्तर काशी	24
		नया टिहरी	45
6.	श्रीनगर	चमोली	32
		रुद्रप्रयाग	21
		पौढ़ी	51
		कुल	444

उत्तरांचल में खोले गए उप-डाकघरों (एसओ) और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (ईडीबीओ) की संख्या संबंधी सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		उप-डाकघर	ईडीबीओ	उप-डाकघर	ईडीबीओ	उप-डाकघर	ईडीबीओ
1.	अल्मोड़ा	–	4	–	1	–	–
2.	बागेश्वर	–	1	–	–	–	2
3.	चमोली	–	–	–	–	–	2
4.	रुद्रप्रयोग	–	2	–	–	–	–
5.	देहरादून	–	–	–	–	–	–
6.	हरिद्वार	–	–	–	–	–	–
7.	नैनीताल	–	–	–	–	–	–
8.	यूएस नगर	–	1	–	–	–	–
9.	पौढ़ी	1	3	–	2	–	–
10.	पिथौरागढ़	–	1	–	–	–	1
11.	चम्पावत	–	–	–	–	–	–
12.	टिहरी	–	3	–	1	–	–
13.	उत्तरकाशी	–	–	–	–	–	–
	कुल	1	15	–	4	–	5

विवरण II

उत्तरांचल में वर्ष 2003-04 के दौरान प्रस्तावित/खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2003-04 में प्रस्तावित एक्सचेंजों की कुल सं.	वर्ष 2003-04 में खोले गए एक्सचेंजों की कुल सं.	एक्सचेंज का नाम
1.	अल्मोड़ा	7	2	कमान, माटेला, भुजान
2.	बागेश्वर		0	
3.	चंपावत		2	सुखीधुंग, रीठा साहिब
4.	पिथौरागढ़		3	खिरमंडे, बराम, जाजरादेवी
5.	देहरादून	4	3	यमुना कालोनी, गढ़ी कैंट, चिलहर
6.	रुद्रप्रयाग	7	1	माखुमठ
7.	चमोली		0	
8.	पौढ़ी		2	सिलोगी, पोखाल
9.	हरिद्वार	1	1	धामधेरा, रूड़की कैंट के पास
10.	उत्तरकाशी	4	1	मानपुर
11.	नया टिहरी		0	
12.	नैनीताल	2	1	बरेली रोड़, हल्दवानी
13.	यू.एस. नगर		1	देवीपुरा
	कुल	25	17	

वर्ष 2003-04 के दौरान खोले गए डाकघर/उप-डाकघर

क्र.सं.	जिला	विभागीय उप- डाकघर (डीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ)
1	2	3	4
1.	अल्मोड़ा	शून्य	शून्य
2.	बागेश्वर	शून्य	कठायतवाड़ा, चारसोन (मंत्री का मामला)
3.	चंपावत	शून्य	शून्य
4.	पिथौरागढ़	शून्य	उरई (मंत्री का मामला)
5.	देहरादून	शून्य	शून्य

1	2	3	4
6.	रूद्रप्रयाग	शून्य	शून्य
7.	चमोली	शून्य	अंदरप्पा, चौड़
8.	पौढ़ी	शून्य	शून्य
9.	हरिद्वार	शून्य	शून्य
10.	उत्तरकाशी	शून्य	शून्य
11.	नया टिहरी	शून्य	शून्य
12.	नैनीताल	शून्य	शून्य
13.	यू.एस. नगर	शून्य	शून्य

ई.ई.जेड. से परे अनन्य अधिकार

3082. श्री मनोरंजन भक्त: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे 1.5 मिलियन वर्ग कि.मी. के समुद्री तल पर अनन्य अधिकार मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानो के अंतर्गत उक्त क्षेत्र पर भारत अपना दावा कब तक प्रस्तुत करेगा;

(ग) उक्त कदम से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर होने वाले सम्भाव्य प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के भू-भागीय समुद्र से परे भू-भाग के विस्तार का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) समुद्री कानून, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर एक विस्तारित महाद्वीपीय शैल्फ के लिए भारत के दावे की अभिसमय द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ निकाय अर्थात् महाद्वीपीय शैल्फ की सीमा संबंधी आयोग (सी.एल.सी.एस.) द्वारा जांच किए जाने के बाद भारत के महाद्वीपीय शैल्फ के बारे में जानकारी होगा।

(ख) भारत, महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा संबंधी आयोग (सी.एल.सी.एस.) को इस उद्देश्य के लिए नियत समय सीमा से पहले महाद्वीपीय शेल्फ बढ़ाने की अपना दावा प्रस्तुत करेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन

3083. श्री शिशुपाल एन. पाटले:
श्री निहाल चन्द:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य, विशेषत: राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा और उनकी लंबाई कितनी है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विशेषत: महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के संबंध में, अग्रेषित किये गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों और छह लेनों में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान राज्य सहित राष्ट्रीय

राजमार्गों तथा उनकी लंबाई के राज्यवार ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की पिछली घोषणा 25.2.2004 को की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए दिनांक 25.2.2004 के बाद प्राप्त होने वाली प्रस्तावों के ब्योरे विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि, इसी अवधि के दौरान भंडारा जिले के लिए राज्यीय राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा संबंधी कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यीय सड़कों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सड़क निधि से जारी की गई धनराशि के ब्योरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु.)
1.	2001-02	299.59
2.	2002-03	950.28
3.	2003-04	778.94

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 14,279 कि.मी. को 4/6 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत चार लेन बनाने की ऐसी परियोजनाओं को व्यवहार्यता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस परियोजना में लगभग 10,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कार्य शामिल है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3537
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और एन ई-1	2871
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71 71ए, 71बी, 72, 73 और 73ए	1468
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए और 88	1208
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 2सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805

1	2	3	4
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 86ए और 92	5200
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजा	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	4182
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97 और 119	5599
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2325
32.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	223	300
	जोड़		65569

विवरण II

दिनांक 25.2.2004 के बाद राज्य सरकारों से प्राप्त नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी प्रस्तावों के ब्योरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़क/खंड का ब्योरा	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	(1) मैसूर-मालावल्ली सड़क	45
		(2) बिलीकेरे-हसन-हास्पेट-मनवी-रायचूर सड़क	612
		(3) मैसूर-श्रीरंगापटनम-हिरीयूर-गुलबर्ग-बीदर सड़क	743
		(4) बंगलौर-मैसूर-मादीकेरे-पुट्टूर सड़क	361
		(5) बेलगांव-यारागल्ली-मुदगल-रायचूर-महबूबनगर सड़क	338
		(6) धारवाड़-रामनगर सड़क	52
		(7) बंतवाल-मुदीगेरे-बेलूर-सीरा, चिंतामई-श्रीनिवासपुर-मुलबगल-राज्य सीमा	487
		(8) जीवारगी-हतीगुड्डूर-लिंगासुगूर-सिंधानूर-बेल्लारी	248
		(9) डोडाबल्लापुर-नंदी-विजयपुरा-वीमागल-कोलार	82
		उप जोड़	2968
2.	मेघालय	(1) नांन्गस्टोन-तुरा सड़क	218
		(2) अगिया-मेधीपाड़ा-फुलवाबड़ी-अमपाती-महेन्द्रगंज-पुराखसिया-बरेनगापाड़ा सड़क	224
		उप जोड़	442
3.	उड़ीसा	(1) बहरामपुर-रायागाड़ा-कोरापुट सड़क	313
		उप जोड़	313
4.	राजस्थान	(1) मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		(2) नसीराबाद-देवली सड़क	95
		(3) कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		(4) खैरवाड़ा-डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम सड़क	210
		(5) स्वरूप गंज-कोटरा-सोम-खेरवाड़ा सड़क	147
		(6) फलूदी-नागौर सड़क	140
		(7) श्रीडूंगरगढ़-सरदारशहर-पुलासर-बलारासर-जासरासर	115
		(8) सवाई माधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		(9) कोसी-कामा-दीग-भरतपुर-रूपवास-सीपाऊ-धौलपुर	139

1	2	3	4
		(10) गौतमी-चौराहा-दीसूरी-सादरी-सैंदरो-अहोर-जालौर-बरमर	306
		(11) फालोदी-बालोतरा-जालौर-सिरोहे	343
		(12) नागौर-दीदवाना-खूर-सीकर	176
		(13) कीर की चौकी-भींडर-सैठलम्बर-असपर-दुर्गापुर	146
		(14) होडल-पुनहाना-नहारतपूर-रूपवास-धौलपुर	202
		(15) चांदवाजी-चोमू-रा.रा. 8 पर बागरू	171
		(16) सिरोहे-मांदर-डीसा (गुजरात)	68
		(17) गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाई माधोपुर	248
		उप जोड़	2715
5.	तमिलनाडु	(1) साथी (साथीयामंगलम)-अतहनी-पैवानी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 82)	52.80
		(2) अविनासी-तिरूपुर-पालादम-पोलाची-मीनकराई सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 19)	99.60
		उप जोड़	152.40
6.	पश्चिम बंगाल	(1) पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया वाया असररिया और बिहार में गुलाबबाग	102
		उप जोड़	102
		कुल जोड़	6692.40

[अनुवाद]

डाक विभाग की प्रमुख सेवाएं

3084. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया है कि विभिन्न सरकारी विभाग/मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि डाक विभाग की प्रमुख सेवाओं को नजरअंदाज करके कुरियर कम्पनियों की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रभावी उपाय क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिवों तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से इस बारे में बातचीत की गई है।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार समिति का गठन

3085. श्री रामजी लाल सुमन:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विशेष बजट, यदि कोई हो, निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्होंने मुख्यमन्त्रियों से शासन प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) जनता के मन में विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए पारदर्शिता लाने एवं अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु क्या कार्य योजना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सिविल सेवाओं में अधिक ईमानदारी, कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने तथा उन्हें उत्तरदायी एवं नागरिक हितैषी बनाने के लिए शासन में प्रणालीगत परिवर्तनों की सिफारिश करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं महोदय।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां महोदय।

(च) प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से निम्नलिखित की ओर ध्यान देने को कहा है:-

(1) शासन संस्थानों को क्रियाशील बनाना,

(2) लोक सेवाओं के प्रावधानों में जवाबदेही सुनिश्चित करना,

(3) सरकारी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करना,

(4) अपेक्षित नतीजों के साथ प्रोत्साहन शामिल करना।

(छ) कार्य-योजना में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को कानून बनाना, नागरिक चार्टर बनाना तथा लोक सेवाओं के वितरण में सुधार लाना शामिल है।

बी.टी.एस. टावरों की स्थापना

3086. श्री मो. ताहिर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों और मुख्यालय दूरभाष केन्द्रों में बी.टी.एस. टावर स्थापित करने का है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेल्यूलर फोन सुविधा सुलभ हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में उपलब्ध सेल फोन का दायरा बहुत ही सीमित है;

(घ) यदि हां, तो बी.टी.एस. टावर कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) देश में जिला मुख्यालयों को कवर कर लेने के बाद इस सुविधा का विस्तार तहसील मुख्यालयों तक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों को सुविधा के दायरे में लाने से इनके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुविधा सुलभ हो जाती है।

(ग) से (ङ) इस समय सुल्तानपुर, अमेठी, जगदीशपुर क्षेत्र, गौरी गंज, कोरवा और कादीपुर शहरों में सुविधा का विस्तार केवल शहरी सीमाओं तक ही सीमित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सुविधा का विस्तार भदर, समेरी, जामोन और शुकुल बाजार तक करने की योजना है।

[अनुवाद]

पत्तनों की बुनियादी सेवाओं में सुधार करना

3087. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप देश में पत्तनों की बुनियादी सेवाओं को सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) समुद्री व्यापार की मांगों को पूरा करने के लिए देश में पत्तनों का विकास, सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पत्तनों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना भी शामिल है। महापत्तनों के विकास से संबंधित योजनाएं, सरकार की पत्तन-क्षेत्र से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की जाती हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान, महापत्तनों के विकास के लिए 4531.29 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें से, 450.00 करोड़ रु. सरकार की ओर बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाए जाने हैं और 4081.29 करोड़ रु. संबंधित पत्तनों द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक और बजट से इतर संसाधनों के जरिए जुटाए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 11257.00 करोड़ रु. का निवेश किया जाना भी परिकल्पित है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के जरिए उत्पादकता सुधारने, लागत की दृष्टि से किफायती एवं प्रभावी सेवाओं का प्रावधान करने और सेवा की गुणता बढ़ाकर, उसे वैश्विक रूप से तुल्य और प्रतिस्पर्द्धा किए जाने योग्य स्तरों पर लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह सब, समय के अनुसार उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप, मौजूदा पारंपरिक बर्थों का उन्नयन करके/उन्हें बदलकर; नई बर्थों का निर्माण करके; कार्गो हैंडलिंग-उपस्कर और अनुरक्षण-प्रक्रियाओं का उन्नयन करके; जहां आवश्यक हो, वहां आंतरिक सड़क-नेटवर्क और परिचालन-प्रणालियों का पुन: डिजाइन बनाकर और उनका उन्नयन करके; वाणिज्यिक लेखाकरण-पद्धतियों सहित, भण्डारण-सुविधाओं और पत्तन से संबंधित अन्य अवसंरचनात्मक उन्नयन करके; उपस्कर और श्रम-उत्पादकता में सुधार करके; कार्मिक-बल को इष्टतम स्तर पर लाकर; प्रशिक्षण देकर; सूचना-प्रौद्योगिकी आदि का इष्टतम प्रयोग करके हासिल किए जाने की योजना है।

जम्मू कश्मीर में मुगल रोड

3088. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री विजय कृष्ण:
श्री के.एस. राव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक मुगल रोड को पुन: खोलने व उसके पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक चालू हो जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मुगल रोड का निर्माण जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा किया जाना है। केंद्रीय सरकार, परियोजना की लागत के 50% की सीमा तक निधि उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा परियोजना का साध्यता अध्ययन किया गया है। लागत और तकनीकी मानदंड नियत करने के लिए राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है। नियत लागत ज्ञात हो जाने के बाद निधि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मंत्रालय द्वारा कार्य स्वीकृत किया जा सकता है। कार्य प्रारंभ किए जाने का समय बता पाना अभी संभव नहीं है।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

3089. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में 1430 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक सहायता 18 करोड़ रु. से बढ़ाकर 40 करोड़ रु. करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उन्हें दी गई वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 40 करोड़ रु. करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है।

(ख) पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के लगभग 3% है जिसमें हाल ही में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं हैं। पंजाब को आबंटित अनुरक्षण एवं मरम्मत धनराशि 19.09 करोड़ रु. है जो सभी राज्यों को आबंटित कुल धनराशि का लगभग 3% भी है। धन के अभाव के कारण पंजाब के लिए आबंटन को बढ़ाकर 40 करोड़ रु. नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भूकम्प वेधशाला की स्थापना

3090. श्री देविदास पिंगले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में कम से कम दस बड़े जलाशय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास वहां भूकम्प वेधशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देना

3091. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री मोहन रावले:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग हेतु देश में राज्य-वार रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बढ़ावा दी गई नई औद्योगिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ दिए गए प्रोत्साहनों के माध्यम से नई औद्योगिक इकाइयां खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां। सरकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे कस्बों में रोजगार के अवसरों के सृजन की दृष्टि से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत सृजित रोजगार की, संवर्धन की गई नई औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार संख्या तथा सृजित किए गए संभावित रोजगार की संख्या का ब्योरा विवरण-I पर उपलब्ध है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक इकाइयों की लक्ष्यकृत राज्य-वार संख्या विवरण-II पर उपलब्ध है।

विवरण I

(इकाई एवं रोजगार संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-2002		2002-2003		2003-04	
		इकाईयां	रोजगार	इकाईयां	रोजगार	इकाईयां	रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार	50	376	196	1392	58	504
2.	बिहार	37	552	229	1965	88	3817
3.	झारखंड	191	1308	298	9398	323	3969
4.	उड़ीसा	619	5711	668	2816	1031	13432
5.	सिक्किम	–	–	16	120	113	449
6.	पश्चिम बंगाल	2892	16159	2459	22531	3348	27349
7.	दादर एवं नगर	1	14	5	192	02	61

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	दमन द्वीव	–	–	–	–	–	–
9.	गोवा	482	5511	244	3556	126	1715
10.	गुजरात	83	795	126	1717	290	2236
11.	महराष्ट्र	2564	31613	2249	27990	857	15498
12.	चंडीगढ़	119	805	1	7	08	162
13.	दिल्ली	31	299	9	293	07	231
14.	हरियाणा	511	16786	677	15964	923	33200
15.	हिमाचल प्रदेश	594	14845	423	11644	414	13485
16.	जम्मू एवं कश्मीर	790	8052	105	3129	775	6845
17.	पंजाब	1118	27115	1358	31461	882	13600
18.	राजस्थान	2647	46724	3036	43040	2496	51338
19.	आन्ध्र प्रदेश	797	23308	1818	34500	1079	31996
20.	कर्नाटक	1311	20459	1411	29648	1422	29958
21.	केरल	1437	28325	789	21394	2046	50291
22.	लक्षद्वीप	1	46	–	–	09	127
23.	पांडिचेरी	6	80	3	5	47	219
24.	तमिलनाडु	598	11011	764	11017	1568	24028
25.	छत्तीसगढ़	139	4445	216	7254	697	19815
26.	मध्य प्रदेश	1049	21492	703	10947	1041	23683
27.	उत्तरांचल	269	5333	375	6881	1106	16825
28.	उत्तर प्रदेश	1863	43002	1677	42652	2134	57847
29.	अरुणाचल प्रदेश	5	157	30	806	32	865
30.	असम	199	2878	559	7003	1223	15548
31.	मणिपुर	11	54	79	2196	36	682
32.	मेघालय	157	1908	153	2515	210	2172
33.	मिजोरम	9	214	143	3970	33	1173
34.	नागालैंड	162	2931	64	981	61	2331
35.	त्रिपुरा	25	702	141	2021	244	4316
	कुल योग	20767	343010	21024	361005	24747	471458

विवरण II

2004-05 के लिए लक्षित इकाइयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजनाएं
1	2	3
1.	चंडीगढ़	93
2.	दिल्ली	38
3.	हरियाणा	727
4.	हिमाचल प्रदेश	637
5.	जम्मू एवं काश्मीर	670
6.	पंजाब	1362
7.	राजस्थान	2266
8.	अंडमान निकोबार	45
9.	बिहार	1328
10.	झारखंड	725
11.	उड़ीसा	989
12.	पश्चिम बंगाल	2605
13.	अरूणाचल प्रदेश	72
14.	असम	1491
15.	मणिपुर	79
16.	मेघालय	416
17.	मिजोरम	127
18.	नागालैंड	256
19.	त्रिपुरा	281
20.	सिक्किम	91
21.	आन्ध प्रदेश	1295
22.	कर्नाटक	1329
23.	केरल	1230
24.	लक्षद्वीप	01
25.	पांडिचेरी	10
26.	तमिलनाडु	1212
27.	दादर एवं नगर हवेली	02
28.	दमन एवं द्वीव	02
29.	गोवा	469
30.	गुजरात	711
31.	महाराष्ट्र	2096
32.	छत्तीसगढ़	542
33.	मध्य प्रदेश	1120
34.	उत्तरांचल	681
35.	उत्तर प्रदेश	2273
	योग	27272

[अनुवाद]

सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों का विकास

3092. श्री उदय सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्वाली दूरसंचार कंपनियां देश में निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में दूरसंचार विकास सरकारी क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो देश में सरकारी क्षेत्र में दूरसंचार विकास को बढ़ाने हेतु बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी प्रचालकों के कुल कार्यरत टेलीफोन कनेक्शनों की पिछले चार वर्षों की 31 मार्च तक की स्थिति और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी वृद्धि दर को दर्शाने वाली तुलनात्मक तालिका नीचे दी गई है:

	सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एमटीएनएल और बीएसएनएल)		निजी प्रचालक	
	टेलीफोन कनेक्शन (लाख में)	वृद्धि दर	टेलीफोन कनेक्शन (लाख में)	वृद्धि दर
31.3.01 की स्थिति के अनुसार	324.5	-	38.4	-
31.3.02 की स्थिति के अनुसार	381.62	17.6%	68.06	77.2%
31.3.03 की स्थिति के अनुसार	431.71	13.1%	114.46	68.2%
31.3.04 की स्थिति के अनुसार	464.83	7.7%	300.57	162.9%

(घ) सरकारी क्षेत्र में दूरसंचार विकास की वृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) चालू वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल का 105 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है जिसमें से 90% सेल्युलर और वायरलेस लोकल लूप वाले कनेक्शन हैं जो किफायती हैं और उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किए जाते है।

(2) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण टेलीफोनी में उठाई गई हानि की भरपाई के लिए मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदन दे दिया है।

[हिन्दी]

आवासों में लघु उद्योगों का चलाया जाना

3093. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बड़े व छोटे शहरों में लोग एक या दो कमरे वाले आवासों में लघु उद्योग चलाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में चल रहे ऐसे लघु उद्योगों की अनुमानित राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इन उद्योगों के माध्यम से कितने मूल्य का औसत वार्षिक उत्पादन हो रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन लघु उद्योगों के विकास और विस्तार हेतु एक अलग औद्योगिक नीति बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) हालांकि, देश के बड़े व छोटे शहरों में एक या दो कमरे वाले आवासों में लघु उद्योग चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों के संबंध में अलग सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है, लघु उद्योगों की तीसरी गणना के अनुसार लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 105.21 लाख थी। इस संख्या में देश के बड़े व छोटे शहरों में एक या दो कमरे वाले आवासों के भीतर चलाई जाने वाली इकाइयां शामिल हैं। इन उद्योगों को औसत वार्षिक उत्पादन का मूल्य केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च) सरकार ने क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण विपणन, निर्यातों, आधारिक संरचना विकास आदि के संबंध में अति लघु एवं घरेलू इकाइयों सहित लघु उद्योग इकाइयों को सहायता का एक व्यापक पैकेज प्रदान किया है। इस संबंध में कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

ग्लोबल फण्ड द्वारा वित्तीय सहायता

3094. **श्री आई.जी. महाजन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल फण्ड द्वारा एड्स, क्षय रोग और मलेरिया के उन्मूलन हेतु वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निधि का किस आधार पर उपयोग किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पान्नाबाका लक्ष्मी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जी एफ ए टी एम	वित्त प्रदान करने की तारीख	रोग	परियोजना की शीर्षक	अनुमोदित निधियां (लाख अमरीकी डालर में)		निधियों के उपयोग किए जाने का आधार
1	2	3	4	5	6	7
				5 वर्ष	पहले दो वर्षों में संवितरण हेतु अनुमोदन	
1	अप्रैल 2002	क्षयरोग	नवनिर्मित राज्यों नामत: छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार और चार शहरी मलिन बस्तियों में गैर-सरकारी संगठन की पहुंच (रीच) तथा प्रत्यक्ष निगरानी उपचार निधि का सुदृढ़ीकरण	8.783 (3 वर्षों के लिए)	5.650	निधियों के उपयोग का आधार विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पहले ही अनुमोदित मानकों के अनुसार है।
2	जनवरी, 2003	एच आई वी/एड्स	माता से बच्चे में संचार की रोकथाम और सार्वजनिक क्षेत्र के एन्टीरिट्रोवायरल उपचार का उन्नयन करके माताओं, उनके परिवारों और एच आई वी/एड्स से पीडित लोगों के लिए एच आई वी निवारण एवम परिचर्या	100.081	26.110	(1) प्रसवपूर्व क्लीनिकों के जरिए गर्भवती माताओं के लिए स्वैच्छिक एवम् परामर्शी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (2) उत्कृष्टता वाले 11 केन्द्रों में एन्टीरिट्रोवायरल उपचार की व्यवस्था (3) परिचर्या और सहायता के जरिए एच आई वी पाजीटिव माताओं तथा बच्चों का अनुवर्ती उपचार

1	2	3	4	5	6	7
						(4) माता से बच्चे में रोग के संचार की रोकथाम संबंधी सेवाओं में लगे चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों का क्षमता निर्माण (5) उपरोक्त क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठन संघों की सहभागिता।
2	जनवरी, 2003	क्षयरोग	उत्तर प्रदेश और बिहार के 110 मिलियन गैर सेवित (अनकवरड) लोगों के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम का विस्तार और चार शहरी मलिन बस्तियों में प्रत्यक्ष निगरानी उपचार विधि का सुदृढ़ीकरण	29.100	7.080	निधियों के उपयोग का आधार विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पहले ही अनुमोदित मानको के अनुसार है।
3	अक्तूबर 2003	एच आई वी-क्षयरोग का सह संक्रमण	भारत में एच आई वी और क्षयरोग की रोकथाम में सार्वजनिक एवम निजी क्षेत्र के प्रभावी कार्यकलाप	14.820	0	(1) छः उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों के 329 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वैच्छिक एवम परामर्शी केन्द्रों का विस्तार (2) चुनिन्दा मेडिकल कालेजों तथा जिला अस्पतालों में एन्टीरिट्रोवायरल उपचार की व्यवस्था (3) परिचर्या और उपचार को सुविधाप्रद बनाने के लिए एच आई वी परीक्षण किटों की व्यवस्था
4	जून, 2004	एच आई वी/एड्स	भारत में एच आई वी/एड्स क्षयरोग और मलेरिया की रोकथाम और उपचार को तेज करना	165.414	0	(1) छः उच्च व्याप्तता दर वाले तथा दिल्ली सहित 9 कम व्याप्ता दर वाले राज्यों में जन स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी प्रणाली के माध्यम से एन्टीरिट्रोवायरल उपचार का उन्नयन

1	2	3	4	5	6	7
						(2) एन्टीरिट्रोवायरल उपचार करा रहे लोगों के सम्बन्ध में निदान जांच (स्क्रिनिंग) मानीटरिंग और सहायता के लिए अधिक पहुंच हेतु निजी कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करना (3) एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोगों की सहभागिता (4) उपरोक्त कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठन संघ की सहभागिता
4	जून, 2004	मलेरिया	भारत में एच आई वी/एड्स क्षयरोग और मलेरिया की रोकथाम और उपचार को तेज करना	69.053	0	(1) परिधीय स्वास्थ्य सुविधाओं में सामुदायिक सहभागिता के और दुर्गम क्षेत्रों तथा घातक मलेरिया के निदान और उपचार वाले छोटे अस्पतालों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्च स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में निदान और उपचार के लिए पहुंच को बढ़ाना (2) एकीकृत वेक्टर नियंत्रण के जरिए मलेरिया के संचार के जोखिम को कम करना (3) मलेरिया नियंत्रण के बारे में जागरूकता तथा सामुदायिक गैर-सरकारी संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाना

किराए के मकानों में डाक और तारघर कार्यालय

3095. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में सरकारी परिसरों तथा किराये के मकानों में चल रहे डाकघरों और तारघरों की राज्यवार और श्रेणीवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) आगामी वर्ष के दौरान राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में कितने नए डाकघरों, उप-डाकघरों और तारघरों को खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों, विशेषकर मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक गांव को डाक सेवा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) डाक और तारघर कर्मचारियों हेतु वर्तमान आवासीय कालोनियों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(च) क्या इन कालोनियों की संख्या पर्याप्त है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकारी परिसरों तथा किराये के मकानों में चल रहे डाकघरों और तारघरों का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) डाकघर खोलना/उनका दर्जा बढ़ाना मानदण्डों को पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अत: इस वर्ष खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की सही-सही संख्या का इस समय उल्लेख नहीं किया जा सकता है। तारघर कार्यालयों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) डाकघर केवल उन्हीं स्थानों पर क्रमिक रूप से खोले जायेंगे जो दूरी, आय और जनसंख्या संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हैं। बहरहाल, सभी गांवों में डाकियों के जरिये दैनिक डाक वितरण तथा डाक-टिकटों और डाक सामग्री के विक्रय की डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 300 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में पत्र-पेटियों की व्यवस्था के जरिये पत्र एकत्र किए जा रहे हैं। अलग से मथुरा क्षेत्र नहीं है। मथुरा डाक डिवीजन उत्तर प्रदेश सर्किल में आगरा क्षेत्र के अन्तर्गत है। ऊपर उल्लेख किए अनुसार, यहां भी मानदण्डों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जायेंगे। चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, अत: इस समय विशेष ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

(ङ) से (छ) डाक-तार कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनियों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा, क्या ये कालोनियां पर्याप्त है और नहीं, इस संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय आदि, एकत्र किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

खादी क्षेत्र में निवेश

3096. श्री तथागत सत्पथी: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सहित देश में खादी क्षेत्र में निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में खादी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण उद्योगों की राज्यवार ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां। सरकार, उड़ीसा सहित सभी राज्यों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रत्यक्षत: राज्य अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के माध्यम से फंड आबंटित करती है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार ने, देश में खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2080 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। 10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान केवीआई क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार संवितिरत फंड्स का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अन्तर्गत उड़ीसा में 1699 परियोजनाएं और देश में 45771 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ब्योरा विवरण-II पर दिया गया है। 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान खादी क्षेत्र में उड़ीसा सहित प्रस्तावित ग्रामीण उद्योगों की राज्यवार संख्या विवरण-III पर दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03		2003-04	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0.00	0.54	0.00	0.0
2.	दिल्ली	474.99	358.41	794.15	794.4
3.	हरियाणा	424.51	589.54	394.96	2008.2

1	2	3	4	5	6
4.	हिमाचल प्रदेश	202.9	419.96	214.77	873.8
5.	जम्मू-कश्मीर	117.63	284.97	98.35	455.0
6.	पंजाब	592.41	879.09	257.16	1259.4
7.	राजस्थान	846.56	1167.34	587.50	2916.9
8.	अंडमान-निकोबार	5.35	5.01	12.81	106.5
9.	बिहार	544.61	142.21	251.36	681.1
10.	झारखण्ड	233.46	156.61	152.26	253.7
11.	उड़ीसा	77.46	207.6	16.93	907.0
12.	प. बंगाल	471.26	981.08	268.37	1731.3
13.	अरूणाचल प्रदेश	32.83	62.19	22.97	125.7
14.	असम	433.59	276.45	119.78	1135.1
15.	मणिपुर	26.4	62.13	15.02	129.9
16.	मेघालय	17.55	89.21	1.22	237.9
17.	मिजोरम	13.23	163.48	2.00	225.2
18.	नागालैंड	27.05	53.72	22.02	315.3
19.	त्रिपुरा	10.67	141.80	1.71	369.3
20	सिक्किम	7.01	15.82	0.00	102.2
21.	आन्ध्र प्रदेश	294.11	1173.57	166.11	1547.7
22.	कर्नाटक	647.52	1241.66	567.63	1797.0
23.	केरल	748.35	940.29	292.45	2763.6
24.	लक्षद्वीप	0	822.66	0.00	0.0
25.	पांडिचेरी	0.43	10.37	0.00	4.0
26.	तमिलनाडु	19108.81	307.21	1280.56	1397.1
27.	दादर व नगर हवेली	0.42	9.64	0.00	1.2
28.	दमन व दीव	0.25	0	0.00	0.0
29.	गोवा	18.13	112.45	4.57	201.5
30.	गुजरात	1055.07	176.54	709.94	291.8

1	2	3	4	5	6
31.	महाराष्ट्र	608.88	684.22	111.46	1515.0
32.	छत्तीसगढ़	36.07	258.87	60.93	1113.2
33.	मध्य प्रदेश	254.05	440.02	125.39	1667.4
34.	उत्तरांचल	438.14	253.5	277.4	1150.2
35.	उत्तर प्रदेश	4079.72	1853.61	3076.70	3376.4
36.	विभागीय	649.41	1297.14	300.58	8758.4
37.	यूएनडीपी	20.00	9436.05	0.00	0.00

विवरण II

(इकाइयां)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003 परियोजना	2003-04 परियोजना
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	196	58
2.	बिहार	229	88
3.	झारखण्ड	298	323
4.	उड़ीसा	668	1031
5.	सिक्किम	16	113
6.	प. बंगाल	2459	3348
7.	दादरा व नगर हवेली	5	62
8.	दमन व दीव	-	-
9.	गोआ	244	98
10.	गुजरात	126	290
11.	महाराष्ट्र	2249	857
12.	चंडीगढ़	1	08
13.	दिल्ली	9	07
14.	हरियाणा	677	923
15.	हिमाचल प्रदेश	423	414
16.	जम्मू-कश्मीर	105	775
17.	पंजाब	1358	882
18.	राजस्थान	3036	2496
19.	आन्ध्र प्रदेश	1818	1079
20.	कर्नाटक	1411	1422
21.	केरल	789	2046
22.	लक्षद्वीप	196	09
23.	पांडिचेरी	3	37
24.	तमिलनाडु	764	1568
25.	छत्तीसगढ़	216	697
26.	मध्य प्रदेश	703	1041
27.	उत्तरांचल	375	1106
28.	उत्तर प्रदेश	1677	2134
29.	अरूणाचल प्रदेश	30	32
30.	असम	559	1223
31.	मणिपुर	79	92
32.	मेघालय	153	210
33.	मिजोरम	143	33
34.	नागालैंड	64	61
35.	त्रिपरा	141	244
	कुल योग	21024	24747

विवरण III

लक्ष्य परियोजना की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	93	100	108
2.	दिल्ली	38	41	44
3.	हरियाणा	727	785	1588
4.	हिमाचल प्रदेश	637	688	743
5.	जम्मू-कश्मीर	670	723	781
6.	पंजाब	1362	1471	1588
7.	राजस्थान	2266	2447	2643
8.	अंडमान-निकोबार	45	49	53
9.	बिहार	1328	1435	1549
10.	झारखण्ड	725	783	845
11.	उड़ीसा	989	1068	1154
12.	प. बंगाल	2605	2813	3038
13.	अरूणाचल प्रदेश	72	78	84
14.	असम	1491	1611	1740
15.	मणिपुर	79	85	92
16.	मेघालय	416	449	485
17.	मिजोरम	127	138	149
18.	नागालैंड	256	276	299
19.	त्रिपुरा	281	303	328
20.	सिक्किम	91	98	106
21.	आन्ध्र प्रदेश	1295	1399	1511
22.	कर्नाटक	1329	1436	1551
23.	केरल	1230	1326	1435
24.	लक्षद्वीप	01	01	01

1	2	3	4	5
25.	पांडिचेरी	10	10	11
26.	तमिलनाडु	1212	1309	1414
27.	दादर व नगर हवेली	02	2	3
28.	गोवा	02	506	547
29.	गुजरात	469	767	829
30.	महाराष्ट्र	711	2264	2446
31	छत्तीसगढ़	2096	586	632
32.	मध्य प्रदेश	542	1210	1306
33.	उत्तरांचल	1120	736	795
34.	उत्तर प्रदेश	681	2456	2652
	कुल	27272	29454	31810

एड्स के मरीजों का उपचार

3097. **श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री वाई.जी. महाजन:
योगी आदित्यनाथ:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स के मरीजों को अस्पतालों में समुचित चिकित्सा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार ऐसे मरीजों हेतु अस्पतालों में विशेष वार्ड स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एड्स मरीजों की चिकित्सा हेतु समुचित एच.आई.वी. नैदानिक किट्स सहित विशेष अस्पतालों की स्थापना करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या एड्स से पीड़ित गरीब मरीजों को नि:शुल्क दवा की आपूर्ति करने हेतु कोई व्यवस्था की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या प्रत्येक वर्ष, गलत टीका लगाये जाने से हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसे भयावह रोगों से हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो रही है:

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम देश में सभी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से एच आई वी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को यौन संचरित संक्रमणों तथा संयोगिक संक्रमणों के उपचार के लिए नि:शुल्क इलाज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त माता-पिता से बच्चों में संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों में 273 केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें एच आई वी पाजिटिव माता तथा नवजात शिशु दोनों को एन्टी रेटरोवाइरल दवाई यानि नेविरापाइन नि:शुल्क दी जाती है। हाल ही में छ: उच्च व्याप्तता वाले राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित पहचाने गए 6 सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क एंटी-रेटरोवाइरल इलाज की शुरूआत की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस एंटी रेटरोवाइरल इलाज की सुविधा को 8 केन्द्रों से बढ़ाकर 25 केन्द्रों तक किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एच आई वी/एड्स से प्रभावित मरीजों के प्रति बरते जाने वाले भेदभाव तथा लांछन को दूर करने के लिए

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नीति के तहत उन्हें अलग वार्ड नहीं दिए जाते हैं। वास्तव में यह सिफारिश की जाती है कि एच आई वी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को सामान्य वार्ड में दाखिल किया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (क) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज प्रदान किया जाता है।

(छ) और (ज) अभी एच.आई.वी. का टीका नहीं बना है। किसी भी टीके को विसंक्रमित सुई (स्टराइल निडिल) के द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। एड्स रोगियों को गलत ढंग से टीका लगाए जाने से हुई मृत्यु से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं है।

(झ) स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को आवश्यक सावधानियों का अनुसरण करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें केवल विसंक्रमित सुइयों एवं सिरिजों का प्रयोग करना चाहिए।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से किए जाने वाले कार्य

3098. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में किन विशिष्ट कार्यों को करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अंतर्गत 1,38,000 ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लक्ष्य सहित देश में लगभग 25 लाख के अतिरिक्त रोजगार सृजन का प्रस्ताव है। 10वीं योजना अवधि के लिए परियोजनाओं एवं रोजगार सृजन का राज्यवार लक्ष्य क्रमश: विवरण-I और II पर दिया गया है।

(ग) 2004-05 के लिए राज्य-वार आबंटन विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण I

10वीं योजना अवधि के लिए आर ई जी पी के तहत परियोजना लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़	71	86	93	100	108
2.	दिल्ली	35	35	38	41	44
3.	हरियाणा	736	673	727	785	1588
4.	हिमाचल प्रदेश	644	590	637	688	743
5.	जम्मू एंड काश्मीर	653	620	670	723	781
6.	पंजाब	1388	1261	1362	1471	1588
7.	राजस्थान	2121	2098	2266	2447	2643
8.	अंडमान एंड निकोबार	40	42	45	49	53
9.	बिहार	1299	1230	1328	1435	1549

1	2	3	4	5	6	7
10.	झारखंड	529	671	725	783	845
11.	उड़ीसा	759	916	989	1068	1154
12.	पश्चिम बंगाल	2404	2412	2605	2813	3038
13.	अरूणाचल प्रदेश	66	67	72	78	84
14.	असम	1400	1381	1491	1611	1740
15.	मणिपुर	70	73	79	85	92
16.	मेघालय	101	385	416	449	485
17.	मिजोरम	110	118	127	138	149
18.	नागालैंड	120	237	256	276	299
19.	त्रिपुरा	112	260	281	303	328
20.	सिक्किम	6	84	91	98	106
21.	आन्ध्र प्रदेश	1271	1199	1295	1399	1511
22.	कर्नाटक	1166	1231	1329	1436	1551
23.	केरल	1245	1139	1230	1329	1435
24.	लक्षद्वीप	2	1	01	01	01
25.	पांडिचेरी	8	9	10	10	11
26.	तमिलनाडु	1165	1122	1212	1309	1414
27.	दादर और नगर हवेली	2	2	02	2	3
28.	दमन और दीव	2	2	2	2	3
29.	गोवा	190	434	02	506	547
30.	गुजरात	529	658	469	767	829
31.	महाराष्ट्र	1524	1941	711	2264	2446
32.	छत्तीसगढ़	492	502	2096	586	632
33.	मध्य प्रदेश	1180	1037	542	1210	1306
34.	उत्तरांचल	650	631	1120	736	795
35.	उत्तर प्रदेश	2154	2105	681	2456	2652
	कुल	24216	25252	27272	29454	31810

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	19065	23700	24884	26127	27432
2.	अरुणाचल प्रदेश	975	1350	1417	1487	1561
3.	असम	21000	27350	28717	30152	31659
4.	बिहार	19485	24350	25567	26845	28187
5.	गोवा	2850	8600	9030	9481	9955
6.	गुजरात	7935	13050	13702	14387	15106
7.	हरियाणा	11040	13350	14017	14717	15452
8.	हिमाचल प्रदेश	9660	11700	12285	12899	13543
9.	जम्मू और कश्मीर	9795	12300	12915	13560	14238
10.	कर्नाटक	17490	24350	25567	26845	28187
11.	केरल	18675	22550	23677	24860	26103
12.	मध्य प्रदेश	17700	20550	21577	22655	23787
13.	महाराष्ट्र	22710	38400	40319	42334	44449
14.	मणिपुर	1050	2415	2535	2661	2794
15.	मेघालय	1515	7600	7980	8379	8797
16.	मिजोरम	1650	2350	2467	2590	2719
17.	नागालैंड	1800	4700	4935	5181	5440
18.	उड़ीसा	11385	18150	190571	20009	21009
19.	पंजाब	20820	24950	26197	27506	29593
20.	राजस्थान	31815	41550	43627	45808	48097
21.	सिक्किम	90	1650	1732	1818	1908
22.	तमिलनाडु	17325	22200	23299	24473	25696
23.	त्रिपुरा	1680	5150	5407	5677	5960
24.	उत्तर प्रदेश	32310	41600	43679	45862	48151
25.	पश्चिम बंगाल	36045	47700	50084	52587	55126

1	2	3	4	5	6	7
26.	अंडमान एंड निकोबार	600	1531	1607	1687	1771
27.	चंडीगढ़	1065	52	53	54	55
28.	दादर और नगर हवेली	30	211	221	232	243
29.	दमन और दीव	30	50	52	54	56
30.	दिल्ली	525	700	735	771	809
31.	लक्षद्वीप	30	50	52	54	56
32.	पांडिचेरी	120	200	210	220	231
33.	छत्तीसगढ़	7380	9950	10447	10969	11517
34.	झारखंड	7845	13300	13965	14663	15396
35.	उत्तरांचल	9750	12500	13125	13781	14470
	कुल	363240	500159	525150	551385	579646

विवरण III

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05 आर.ई.जी.पी. के तहत मार्जिन मनी आबंटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	चंडीगढ़	4.00
2.	दिल्ली	29.00
3.	हरियाणा	1119.00
4.	हिमाचल प्रदेश	713.00
5.	जम्मू और कश्मीर	570.00
6.	पंजाब	1399.00
7.	राजस्थान	2160.00
8.	अंडमान और निकोबार	143.00
9.	बिहार	1196.00
10.	झारखंड	906.00
11.	उड़ीसा	829.00
12.	पश्चिम बंगाल	2126.00
13.	अरुणाचल प्रदेश	97.00
14.	असम	1431.00
15.	मणिपुर	285.00
16.	मेघालय	285.00
17.	मिजोरम	426.00
18.	नागलैंड	162.00
19.	त्रिपुरा	162.00
20.	सिक्किम	101.00
21.	आन्ध्र प्रदेश	2484.00
22.	कर्नाटक	1885.00
23.	केरल	1193.00
24.	लक्षद्वीप	1.00

1	2	3
25.	पांडिचेरी	6.00
26.	तमिलनाडु	1136.00
27.	गोवा	285.00
28.	गुजरात	588.00
29.	महाराष्ट्र	1774.00
30.	छत्तीसगढ़	857.00
31.	मध्य प्रदेश	1210.00
32.	उत्तरांचल	570.00
33.	उत्तर प्रदेश	3746.00
	कुल	29878.00

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर बाइपास का निर्माण

3099. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के रेवा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 और 27 जीर्णशीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के रेवा शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर बाइपास बनाने हेतु स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त बाइपास के जल्दी निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रा.रा. 7 और 27 को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) जी नहीं। रीवा शहर के लिए बाइपास के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी गई है। इसका निर्माण कार्य बी.ओ.टी. आधार पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों को दवाएं प्रदान करने में भेदभाव

3100. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों/संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों इत्यादि को सी.जी.एच.एस. डाक्टरों द्वारा प्रदत्त स्थानीय खरीद नुस्खा पर्ची प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा नियुक्त सी.जी.एच.एस. पैनल दवा विक्रेताओं द्वारा दवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य सी.जी.एच.एस. लाभार्थी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के बीच भेदभाव को खत्म करने हेतु कोई कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधें उपलब्ध होती हैं। तथापि, विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई कोई ऐसी दवा जो औषधालय में उपलब्ध नहीं होती वह वैयक्तिक नुस्खे के आधार पर निम्नलिखित तरीके से प्राधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता से लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती है।

(1) स्थानीय क्रय मांगपत्र द्वारा इस मामले में वैयक्तिक नुस्खे पर आधारित आवश्यक औषधों की निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन एक समेकित मांग सूची तैयार की जाती है और उसे संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता को भेज दिया जाता है जो औषधालय को उन औषधों की आपूर्ति करता है और औषधालय द्वारा वे दवाइयां लाभार्थियों को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

(2) अत्यावश्यक/जीवन रक्षक दवाइयों के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी को एक प्राधिकृत पर्ची दी जाती है, जो औषधालयों द्वारा जारी इस पर्ची के बदले प्राधिकृत दवा विक्रेता से सीधे ही (स्वयं) औषधें ले लेता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त प्रक्रिया सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के सम्बन्ध में बिना किसी भेदभाव के अपनाई जाती है जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगी और उनके परिवार वाले शामिल हैं जिनके पास वैध के.स.स्वा.यो. का कार्ड है।

(ङ) से (छ) उपरोक्त (क) से (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर और इंटरनेट सुविधा

3101. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं और गांवों की संख्या कितनी है जहां केन्द्र सरकार ने कम्प्यूटर और इंटरनेट सुविधा मुहैया करायी है;

(ख) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा गांवों की संख्या कितनी है जहां यह सुविधा अब तक मुहैया नहीं करायी गई है;

(ग) ऐसे राज्यों/गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जाएगी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) नामक दूरसंचार विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम देश के प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी ब्लाक मुख्यालयों में फ्रैंचाइजी के जरिए इंटरनेट ढाबा स्थापित कर रहा है, जिनमें कम्प्यूटरों का एक सेट रहेगा। अब तक कुल 6308 ब्लाक मुख्यालयों में से 3984 ब्लाक मुख्यालयों में 4062 इंटरनेट ढाबा स्थापित किए गए हैं। विभिन्न ब्लाक मुख्यालय में इंटरनेट ढाबाओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित तत्कालीन विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) योजना के अंतर्गत 4251 विद्यालयों को शामिल किया गया था तथा उन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए थे। क्लास योजना के अंतर्गत शामिल विद्यालयों की राज्यवार सूची विवरण-II में दी गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग ने देश के विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001-02 में विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन की एक संशोधित योजना आरम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत विवरण-III में दी गई सूची के अनुसार 3112 विद्यालयों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नीचे दिए अनुसार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी है:

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने एक देशव्यापी नेटवर्क की स्थापना की है जिसमें देश के 601 जिलों में से इस समय 587 जिले शामिल हैं। इन जिलों में स्थापित जिला सूचना केन्द्रों में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सम्पर्क उपलब्ध हैं।

- आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 487 ब्लाक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कम्प्यूटर तथा अति लघु अपरचर टर्मिनलों (वीसैट) के माध्यम से इंटरनेट सम्पर्क उपलब्ध कराए गए हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य में भी 139 ब्लाक मुख्यालयों में से 60 में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के सहयोग से वारणा परियोजना के अंतर्गत 70 ग्रामों में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई है।

- चुनिन्दा ई-शासन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश के एक-एक गांव में 4 स्थानों पर चार ग्रामीण समाधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

- विद्या वाहिनी प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के 7 जिलों के 140 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को कम्प्यूटर तथा वी-सैट के साथ सम्पर्क वाले इंटरनेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे दूरस्थ शिक्षण मोड पर अधिगम सामग्रियां उपलब्ध करवा सकें ।

(ख) से (घ) शेष कुल 2324 ब्लाक मुख्यालयों को वीएसएनएल द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 14 शेष जिलों में नेटवर्क सुविधा तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के शेष ब्लाक मुख्यालयों में 79 सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना का कार्य राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाएगा। इन संगठनों द्वारा तैयार किए गए अपने-अपने कार्यक्रमों के अनुसार और संबंधित राज्यों की तैयारी के आधार पर इन्हें पूरा करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार इंटरनेट ढाबा की स्थिति तथा वर्ष 2004-05 के लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	ब्लाक मुख्यालयों की वर्तमान संख्या	इंटरनेट ढाबा की स्थिति	इंटरनेट ढाबा के लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	5	1	4
2.	आंध्र प्रदेश	1104	1099	5
3.	असम	219	25	195
4.	बिहार	533	223	310
5.	छत्तीसगढ़	164	105	41
6.	गुजरात	228	305	0
7.	हरियाणा	111	91	20
8.	हिमाचल प्रदेश	75	76	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	119	2	117
10.	झारखण्ड	211	22	189
11.	कर्नाटक	175	175	0
12.	केरल	152	152	0
13.	मध्य प्रदेश	313	222	91
14.	महाराष्ट्र	358	357	1
15.	पूर्वोत्तर-I	99	7	92
16.	पूर्वोत्तर-II	120	1	119
17.	उड़ीसा	314	26	288
18.	पंजाब	140	140	0
19.	राजस्थान	237	202	35
20.	तमिलनाडु	397	362	35

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश पूर्व	598	153	445
22.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	208	90	118
23.	उत्तरांचल	95	26	69
24.	पश्चिम बंगाल	351	200	151
	कुल	6308	4062	2324

विवरण II

विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) योजना के अंतर्गत शामिल विद्यालयों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	क्लास योजना के अंतर्गत शामिल विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	172
2.	अरूणाचल प्रदेश	20
3.	असम	102
4.	बिहार	123
5.	गोवा	70
6.	गुजरात	171
7.	हरियाणा	127
8.	हिमाचल प्रदेश	214
9.	जम्मू एवं कश्मीर	53
10.	कर्नाटक	377
11.	केरल	177
12.	मध्य प्रदेश	422
13.	महाराष्ट्र	404
14.	मणिपुर	26
15.	मेघालय	42
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	17
18.	उड़ीसा	117
19.	पंजाब	137
20.	राजस्थान	239
21.	सिक्किम	22
22.	तमिलनाडु	195
23.	त्रिपुरा	46
24.	उत्तर प्रदेश	434
25.	पश्चिम बंगाल	257
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22
27.	चण्डीगढ़ प्रशासन	08
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली)	210
29.	दादरा एवं नगर हवेली	09
30.	दमन एवं दीव	04
31.	लक्षद्वीप	09
32.	पांडिचेरी	08
	कुल	4251

विवरण III

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	विद्यालयों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	180
2.	त्रिपुरा	50
3.	छत्तीसगढ़	100
4.	दादरा एवं नगर हवेली	14
5.	हरियाणा	100
6.	पश्चिम बंगाल	300
7.	पंजाब	200
8.	आंध्र प्रदेश	500
9.	तमिलनाडु	200
10.	मणिपुर	50
11.	गोवा	50
12.	उत्तर प्रदेश	300
13.	हिमाचल प्रदेश	100
14.	मिजोरम	40
15.	सिक्किम	29
16.	मध्य प्रदेश	390
17.	गुजरात	300
18.	मेघालय	59
19.	कर्नाटक	150
	योग	3112

राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर सड़क दुर्घटना

3102. श्री अतीक अहमद: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 पर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं दोषयुक्त सड़क अभियांत्रिकी, भोजनालयों/ढाबों में शराब परोसने, अतिक्रमण और पर्याप्त परिवहन शिक्षा की कमी की वजह से होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 पर सभी अतिक्रमणों को हटाने हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजमार्गों पर दुर्घटनाएं मुख्यत: ड्राइवरों द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाने, मद्यपान के प्रभाव में गाड़ी चलाने और गलत दिशाओं से ओवरटेकिंग के कारण घटित होती हैं। पर्याप्त यातायात सुरक्षा उपायों, यातायात शिक्षा की कमी और अतिक्रमणों के कारण भी दुर्घटनाएं घटित होती हैं।

(ख) मार्गाधिकार के अंदर आने वाले कुछ अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। तथापि, कुछ मामलों में इन्हें हटाया नहीं जा सका था क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

(ग) सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए रा.रा. 1 पर स्थित सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) पेट्रोल पंपों और वैयक्तिक संपत्तियों के आगे बीच के अनधिकृत खाली स्थान बंद कर दिए गए हैं।

(2) बीच के खाली स्थानों में रेलिंगें और न्यूजर्सी क्रैस बैरियर बनाए गए हैं ताकि कई स्थानों पर पैदल यात्रियों, साइकिल और स्कूटर सवारों को बार-बार क्रास करने से रोका जा सके।

(3) जानवरों की आवाजाही को निषिद्ध करने के लिए चुनिंदा स्थानों पर मार्गाधिकार में कंटीले तार लगाए गए हैं।

(4) राजमार्ग गश्ती दल द्वारा मार्गों से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों, क्षतिग्रस्त वाहनों और मृतक जानवरों को हटाया जाता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयां

3103. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे लघु उद्योगों तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देशों और शर्तों की वजह से अधिक से अधिक लघु उद्योग इकाइयां रुग्ण हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बंद हुई लघु उद्योग इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा इन उद्योगों को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित श्रमिकों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) देश में चल रहे लघु उद्योगों की कुल संख्या (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) तथा 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार इन इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अनुमानित तौर पर क्रमश: 113.95 लाख तथा 271.36 लाख थी। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) से (घ) हालांकि लघु उद्योग इकाइयों में रुग्णता की घटनाएं हैं, जोकि कई कारणों से हैं, विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देशों और शर्तों के कारण रुग्णता के बारे में कोई सूचना/आंकड़े नहीं हैं।

विवरण

31.3.04 की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग इकाइयों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) में कार्यरत श्रमिकों का राज्यवार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चल रही लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू एंड कश्मीर	79198	166193
2.	हिमाचल प्रदेश	82526	141618
3.	पंजाब	408122	988864
4.	चंडीगढ़	24095	52516
5.	उत्तरांचल	115328	212594
6.	हरियाणा	241839	602301
7.	दिल्ली	191787	682307
8.	राजस्थान	478246	944276
9.	उत्तर प्रदेश	1849829	4356052
10.	बिहार	562284	1178359
11.	सिक्किम	400	1439
12.	अरूणाचल प्रदेश	1356	4013
13.	नागालैंड	15012	61814
14.	मणिपुर	51985	148901
15.	मिजोरम	12039	27046
16.	त्रिपुरा	26374	61996
17.	मेघालय	24390	71382
18.	असम	210523	466913
19.	पश्चिम बंगाल	835454	2360783
20.	झारखंड	143446	300466
21.	उड़ीसा	420524	1004754
22.	छत्तीसगढ़	285818	578757
23.	मध्य प्रदेश	859458	1463401
24.	गुजरात	574358	1378609
25 एवं 26.	दमन एवं दियू एवं दादर एवं नगर हवेली	3260	45724
27.	महाराष्ट्र	870306	2232779
28.	आन्ध्र प्रदेश	948137	2328848
29.	कर्नाटक	713538	1783511
30.	गोवा	7686	31901
31.	लक्षद्वीप	576	1783
32.	केरल	490434	1213160
33.	तमिलनाडु	853407	2196474
34.	पांडिचेरी	959	38329
35.	अंडमान एवं निकोबार	3469	8140
	अखिल भारतीय जोड़	11395000	27136003

सिंध में हिंदुओं का अपहरण

3104. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिंध प्रांत में हिंदुओं के अपहरण की घटनाओं में हुई चिंताजनक वृद्धि के बारे में जानकारी है जिसकी वजह से वहां हिंदुओं में काफी आक्रोश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विरोध जताते हुए पाकिस्तान सरकार को कोई पत्र लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है।

गांवों को टेलीफोन सुविधा

3105. **डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गांवों की राज्यवार स्थिति क्या है जो दूरसंचार सुविधा से वंचित हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन सुविधा हेतु प्रतीक्षा-सूची में पंजीकृत/सूचीकृत गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली लगाने हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा से वंचित गांवों का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) टेलीफोन सुविधा हेतु प्रतीक्षारत गांवों की संख्या उपर्युक्त भाग (क) में दी गई है। 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की पंजीकृत संख्या 1353458 है। प्रतीक्षा सूची का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान डब्ल्यूएलएल/लैंडलाइन पर 10.5 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 8061 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने की भी योजना है।

विवरण I

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार प्राइवेट बुनियादी सेवा प्रचालकों के हिस्से सहित टेलीफोन सुविधा से वंचित गांवों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	30.06.2004 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा से वंचित गांव
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	3
2.	आंध्र प्रदेश	6041
3.	असम	4861
4.	बिहार	2602
5.	झारखंड	4799
6.	गुजरात	6911
7.	हरियाणा	39
8.	हिमाचल प्रदेश	338
9.	जम्मू और कश्मीर	1951
10.	कर्नाटक	0
11.	केरल	0
12.	मध्य प्रदेश	14205
13.	छत्तीसगढ़	5055
14.	महाराष्ट्र	10926
15.	उत्तर पूर्व I	2908
16.	उत्तर पूर्व II	3748
17.	उड़ीसा	6236
18.	पंजाब	0

1	2	3
19.	राजस्थान	15625
20.	तमिलनाडु	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3792
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2336
23.	उत्तरांचल	3872
24.	पश्चिम बंगाल	1031
25.	कोलकाता	0
26.	चेन्नई	0
	कुल	97279

विवरण II

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किल/मेट्रो जिला	30.6.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	116
2.	आंध्र प्रदेश	25964
3.	असम	10726
4.	बिहार	83468
5.	झारखंड	4820
6.	गुजरात	53290
7.	हरियाणा	67493
8.	हिमाचल प्रदेश	41246
9.	जम्मू और कश्मीर	14370
10.	कर्नाटक	77751
11.	केरल	367559
12.	मध्य प्रदेश	11595
13.	छत्तीसगढ़	994
14.	महाराष्ट्र	140709
15.	उत्तर पूर्व I	4570
16.	उत्तर पूर्व II	2121
17.	उड़ीसा	15314
18.	पंजाब	66092
19.	राजस्थान	121018
20.	तमिलनाडु	37338
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	68402
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	20733
23.	उत्तरांचल	2800
24.	पश्चिम बंगाल	114969
25.	कोलकाता	0
26.	चेन्नई	0
	कुल	1353458

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी प्रविधि

3106. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु क्रियान्वित की जा रही प्रविधि का ब्योरा क्या है;

(ख) देश में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के नए विकास हेतु प्रविधि का ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों से वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 30 जून, 2004 तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के ब्योरे इस प्रकार हैं:

(1) निर्माण की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण ठेका करार के प्रावधानों के अनुसार सिविल कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण हो चुके खंडों का अनुरक्षण दीर्घ और अल्पकालीन कार्य तथा अनुरक्षण ठेकों द्वारा किया जाता है।

(3) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण रियायत अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपा जाता है। विकास कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों द्वारा अथवा विभागीय रूप से अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार अथवा वार्षिकी आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से अथवा विशेष प्रयोजन तंत्र से किया जाता है।

(ग) और (घ) 30 जून, 2004 तक राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के राज्यवार ब्योरे और इन परियोजनाओं के लिए की गई स्वीकृतियों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव	
		संख्या	धनराशि करोड़ रु.	संख्या	धनराशि करोड़ रु.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24	44.90	16	31.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	22.06	0	0.00
3.	असम	13	76.55	4	13.06
4.	बिहार	11	54.03	3	3.50
5.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00
6.	छत्तीसगढ़	4	7.17	0	0.00
7.	दिल्ली	3	13.82	1	1.09
8.	गोवा	0	0.00	0	0.00
9.	गुजरात	15	27.49	0	0.00
10.	हरियाणा	9	42.41	0	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	12	34.17	2	5.39
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00
13.	झारखंड	7	25.92	6	25.65
14.	कर्नाटक	30	51.86	15	19.39
15.	केरल	12	46.19	4	8.66

1	2	3	4	5	6
16	मध्य प्रदेश	5	8.34	0	0.00
17	महाराष्ट्र	12	156.60	9	8.49
18	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
19	मेघालय	7	18.37	5	14.52
20	मिजोरम	5	20.49	0	0.00
21	नागालैंड	0	0.00	0	0.00
22	उड़ीसा	2	11.63	0	0.00
23	पांडिचेरी	1	2.83	0	0.00
24	पंजाब	11	31.77	2	3.97
25	राजस्थान	16	122.95	0	0.00
26	तमिलनाडु	9	37.91	0	0.00
27	उत्तर प्रदेश	27	77.15	20	53.13
28	उत्तरांचल-	1	1.36	0	0.00
29	पश्चिम बंगाल	3	1.31	0	0.00
	जोड़	243	927.28	87	188.64

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस औषधालयों/अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति

3107. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों विशेषकर सफदरजंग और एम्स के डाक्टर अपनी ड्यूटी का समुचित निर्वाह नहीं कर रहें हैं तथा मरीजों को निजी क्लीनिकों, नर्सिंग होम्स में तथा धनी व्यक्तियों को उनके आवासों पर देख रहे हैं जैसे कि 10 जुलाई, 2004 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें छपी खबर के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या डाक्टरों द्वारा सी.जी.एच.एस. औषधालयों में अपनी ड्यूटी नहीं करने का भी यही कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसे सरकारी डाक्टरों पर कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औषधीय पौधे लगाया जाना

3108. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषधीय पौधे लगाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित अनुदानों और जिन गैर-सरकारी संगठनों ने आबंटन प्राप्त किए हैं, उनके ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II पर हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों/किसानों को आबंटित किए गए सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य	2001-02 के दौरान सहायतानुदान	2002-03 के दौरान सहायतानुदान	2003-04 के दौरान सहायतानुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	10.00	27.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	6.00
3.	बिहार	2.00	1.00	–
4.	दिल्ली	–	8.00	29.00
5.	गुजरात	5.00	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	–	11.00	–
7.	जम्मू व कश्मीर	–	14.00	8.00
8.	केरल	–	–	2.00
9.	मध्य प्रदेश	5.00	4.00	–
10.	महाराष्ट्र	–	6.00	–
11.	मणिपुर	8.00	2.00	10.00
12.	मिजोरम	1.00	20.00	–
13.	राजस्थान	–	2.00	–
14.	तमिलनाडु	–	7.00	12.70
15.	उत्तर प्रदेश	78.00	38.00	40.00
16.	उत्तरांचल	15.00	23.50	30.00
17.	प. बंगाल	–	–	2.00
	योग	114.00	146.50	166.70

विवरण II

आंध्र प्रदेश-प्रोत्साहक क्रियाकलाप गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की (रुपये लाखों में)
1.	डेवलपमेंट आफ नर्सरी टू सप्लाई सीडिंग/सीड्स टू फार्मर्स टू पोपूलरर्स मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन इन ड्राट प्रोन रिजन्स	डा. एस. वेदोवथी प्रेजीडेंट. हर्बल फोकलोर रिसर्च सेंटर, बी-23, वैंकुठपुरम, तिरूपति-517502	3	6	5.00
2.	इंटरनेशनल कान्फ्रेंस आन मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स	के. नरसिंहा रेड्डी स्वामी रामानंद तीरथ आर्गेनाइजेशन कमेटी फार इंटरनेशनल कान्फ्रेंस आन एम एंड ए प्लांट्स, हैदराबाद-500016	1	–	5.00
	योग				10.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	क्यू पी एम प्रोडक्शन आफ क्यू पी एम नर्सरी-इंडेगरड एसपीपी-प्रोमोशन आफ एमपीस एंड क्रीएशन एमोंग फार्मर्स आफ ए पी	ए.वी. सीतारामैया, चैतन्य भारती सेवा संगम डोर नं. 3, 53, 3सरा वार्ड, वाटर टैंक के पास, मडाला विलेज, मुप्पाला मंडल, गुंटूर जिला-522403 फोन-08641-280271	3	टू ग्रो रेयर एंड इंडेगरेयड एसपीपी (क्यू पी एम) 13.2 लाख 6 स्पीसीज गुग्गुल सर्पगंधा, अशोक, आमला, गुडमार, डी. हेमिल्टोनी	25.00
2.	नेशनल सेमिनार आन इनवेस्टमेंट अपोर्चोनीटीज इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हेल्ड आन 10-11 अक्टू. 2003	श्री कोटेश्वरा राव एस एस आर, प्रेजीडेंट दी फेडरेशन आफ आंध्र प्रदेश चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन हाउस, रेड हिल्स, पी.ओ. बाक्स नं. 14, हैदराबाद-500004	1	–	2.00

अरुणाचल प्रदेश–प्रोत्साहक क्रियाकलाप गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	नर्सरी एंड रेजिंग आफ प्लांटिंग स्टाक एंड ट्रेनिंग/समिनार	वेन भिक्खू विमलानंदा सेक्रेटरी, अरुणाचल पाली विद्यापीठ, चोंगखाम, लोहित डिस्ट्रिक्ट	3	क्यू पी एम 2 लाख, ट्रेनिंग/ सेमिनार	6.00
				योग	6.00

बिहार–प्रोत्साहक परियोजनाएं–गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
1.	स्टेट लेवल ट्रेनिंग, वर्कशाप/ सेमिनार आफ मेडिसिनल प्लांट्स अंडर प्रोमोशनल स्कीमस	जैनेन्द्र कुमरा, सचिव ग्राम स्वराज अभियान संस्थान विले, कारिहोन, पी.ओ. बिशनपुर बेझा डिस्ट्रिक्ट वैशाली, बिहार टेलि. 0612-357230	2	2.00
			योग	2.00

परियोजना (2002-2003)

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि (वर्ष)	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय स्वीकृति
1.	डिस्ट्रिक्ट सेमिनार एंड वर्कस आन एमपीस.	गनेश प्रसाद सिंह, जनरल सेक्रटरी, पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन, विलेज चामथा बरकुत, जिला-बेगुसराय-851111 फोन-06278-27071	1		1.00

दिल्ली-प्रोत्साहक क्रियाकलाप-गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि (वर्ष)	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय स्वीकृति
1.	प्रमोशन आफ एंपीज इन रूरल दिल्ली	हरपाल राना, जनरल सेक्रेटरी ग्रामीण स्वाभिमान विलेज मुडका दिल्ली-41 फोन-011-25188405	3	–	6.00
2.	इंटरनेशनल सेमिनार आन प्रमोशन आफ टेक्नोलाजी आफ मेडिसिनल प्लांट्स	डा. आर.सी. पालीवाल हर्बल बायोमेड फाउंडेशन, ए-7, पुष्पांजली इन्कलेव दूरभाष-011-27014590 फैक्स-27028721	1	2	2.00
			योग		8.00

प्रोत्साहक गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	सेमिनार नेशनल सेमिनार आन स्कोप आफ एंपीज एंड आमची सिस्टम आफ मेडिसिन इन हिमालयन रीजन	श्री एम.जी. अगोला सेक. हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसि. लद्दाख बुद्धिस्ट विहार, बेला रोड, नई दिल्ली 23965323, 23985895	2 दिन इन अक्टू.-नवंबर, 2003	सेमिनार	4.00
2.	मोटिवेटिंग एक्शंस एट दी ग्रास रूट फार डेवलपमेंट आफ हर्बल सेक्टर इन उत्तरांचल	मनोज कुमार मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरे. पीस इंस्टी. 178-एफ पाकेट 4 डी डी ए फ्लैट मयूर विहार फेज-I नई दिल्ली 91 दूरभाष-22719005	2	मार्केटिंग टू डाक्यूमेंटेशन (प्रेपेरेशन आफ मानिटरिंग एंड इवेलूवेशन मैन्यूअल)	10.00
	प्रोडक्शन आफ क्यू पी एम एंड ट्रेनिंग/एक्सटेंशन प्रोग्राम टू फार्मर्स	श्री बी.के. सिन्हा रिटा. पी.सी. सी एफ यू पी रिटनंद बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन, ए.के. सी हाउस, ई-27 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-24	3	क्यू पी एम 4 लाख, लैंड 7 एकड़ मैन स्पीसीज आमला, सर्पगंधा, अशोक, बेल, अर्जुन, बहेड़ा, ट्रेनिंग/एक्स.	15.00
				योग	29.00

गुजरात–प्रोत्साहक परियोजनाएं–गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
1. एन जी ओ	ए प्रोजेक्ट फार दी प्रमोशनल एक्शन इन आग्यूमेंटेशन आफ प्लांट बेस्ड मेडिसिनल रॉ मेटेरियल इन दी 3 नार्थर्न डिस्ट्रिक्ट आफ गुजरात	अशोक कुमार, आई एफ एस, रिटा. वोलूंटियर्स आफ चैरिटी, 374/ए सेक्टर 23 गांधी नगर, गुजरात 382023 टेलि (079) 3234616	3	5.00
		योग		5.00

हिमाचल प्रदेश–प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की (रुपये लाखों में)
1.	रोल आफ एजु. इंस्टि. इन कंजरवेशन आफ मेडिसिन प्लांट इन हिमाचल प्रदेश	सुश्री वंदना थपलियाल स्टेट डायरेक्टर (नार्थ रीजन) डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया फील्ड आफिस फारेस्ट कालोनी मिस्ट चेंबर खालिनी, शिमला फोन-0177-2626295	3	1.26	6.00
	कल्टीवेशन आफ एंपीज चचिओट ब्लाक मण्डी	डा. लाल सिंह निदेशक, हिमालयन रिसर्च ग्रुप, उमेश भवन, छोटा-शिमला-171002 फोन-2626820	3	0.5	5.00
				योग	11.00

जम्मू और कश्मीर–प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	स्टाबिलिसमेंट आफ मेडिसिनल प्लांट्स नर्सरी	लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. सम्याल, जे एंड के एक्स-सर्विसेज लीग अंबफाला जम्मू-180005 टेलेक्स-0191-2564326	3	2.5	5.00

1	2	3	4	5	6
2.	एक्स. एक्टीविटी फार आर्गेनाइजिंग सेमिनार आफ रीजनल लेवल टू दा वेलफेयर सोसाइटी	त्वेवनाग चेस्टर सी पी ई ए डी ग्रुप जानशार सानी पी.ओ. पादुम जिला कारगिल, जे. एंड के.	2	–	2.00
3.	प्रोडक्शन आफ क्यू पी एम एट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जे. एंड के.	मि. मोहम्मद रफी खान, प्रेजीडेंट ह्यूमन चेन वेलफेयर सोसायटी दादू अनंतनाग जे. एंड के. फोन-0191-2555964/2555696	3	3.0	7.00
			योग		14.70

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	मार्केटिंग/ट्रेडिंग आफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हर्ब्स	मैसर्स आजाद इंटरप्राइजिज बाईपास रोड, जिला-कुपवाड़ा, कुपवाड़ा-कश्मीर	5	मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग 8 एसपीपी वेलरिना, कुथ, पोडोफाइलम, कुटकी, अतीस आदि	8.00
				योग	8.00

केरल प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	कंडक्टिंग 6 नं. आफ सेमिनार आन मेडिसिनल हर्ब्स	डा. डी. रामानाथन, जन. सेक्रेटरी, आयुर्वेदिक मेन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया, अरफ्फा टावर, वेलियन्नूर रोड, त्रिशूर-21	1	केवल दो संगोष्ठियों के लिए	2.00
				योग	2.00

मध्य प्रदेश–प्रोत्साहक परियोजनाएं–गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
1.	कंजरवेशन एंड कल्टीवेशन आफ मेडिसिनल प्लांट	डा. गुरपाल सिंह जरियाल संकाय सदस्य सी ई डी एम ए पी, 60 जेल रोड, जहांगीराबार, भोपाल-462008, मध्य प्रदेश	2	5.00
			योग	5.00

तमिलनाडु–प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता		परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	कल्टीवेशन एंड एक्सटेशन आफ मेडिसिनल प्लांट	अनिल सौमित्रा 100/45, शिवाजी नगर, स्पंधन भोपाल, फोन- 0755-276768	1	20		3.00
2.	इंटरनेशनल कान्फ्रेंस आन एक्सपोर्ट प्रोमोशनल आफ एंपीज फार पावर्टी एलीवियेशन आफ इंडिया	डा. आर. सुगंधी, प्रेजीडेंट, पिपुल फार एनीमल वसुंधरा भवन, ई-4, पटेल नगर भोपाल-462021 फोन-0755-2752727	1	–		1.00
				योग		4.00

महाराष्ट्र–प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता		परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की (रुपये लाखों में)
	1	2		3	4	5
1.	मोटिवेशन आफ फार्मर्स फार फार्मिंग आफ मेडिसिनल प्लांट इन पुणे एंड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट	डा. संदीप एन. देशमुख चेयरमैन जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, मार्फत समाज सेवा केंद्र, सर्वे नं. 4272, बिहाइंड अकुर्दी पो.आ. अकुर्दी पुणे फोन-020-27472851 (एक्स. 6440) फैक्स-27473398	1	–		2.00

1	2	3	4	5
2. स्टाबिलिसमेंट आफ नर्सरी फार रेजिंग एंपीज	मिस रोहिणी देशमुख प्रेजीडेंट श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, वकाडला, शोलापुर, फोन-50217-246155	2	1.0	2.00
3. नागार्जुन एंपीज प्रोजेक्ट	श्री पी.एन. औचर, प्रेजीडेंट, विद्यानगर, अकोला रोड, हिंगोली, डिस्ट्रिक्ट, हिंगोली-431513	2	-	2.00
			योग	6.00

मणिपुर-प्रोत्साहक परियोजनाएं-गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
1.	औषधीय पादपों के विकास एवं कृषि हेतु केंद्रीय स्कीम	बी.ए. शर्मा, अध्यक्ष, अनुसंधान और विकास संगठन, पी ए आई सी ओ एस सोसाइटी, ब्रह्मपुर, खोंगमान, मांगजिन, इंफाल-795001, मणिपुर दूरभाष-(0385)-220029	3	8.00
			योग	8.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप—गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की (रुपये लाखों में)
1.	औषधीय पादपों पर राज्य स्तरीय विस्तार एवं प्रशिक्षण	एम बीरेन सिंह, वांगजिंग तेंथा फार्मर्स डवलेपमेंट एसो. तेंथा विलेज, वांगजिंग, थोबल, जिला मणिपुर	2	-	2.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	नर्सरी डेवलपमेंट फार क्यू पी एम एट टार्मेंगलोग डिस्ट्रिक्ट	श्री अमू कामेई, सचिव, मणिपुर ट्राइबल पायोनियर एसोसिएशन, मिनुथांग, स्टेडियम रोड, इंफाल-795001	2	क्यू पी एम 5.0 लाख, क्षेत्र 5 एकड़, 2 पादप अतीस, सर्पगंधा	10.00
				योग	10.00

मिजोरम–प्रोत्साहक परियोजनाएं–गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
1.	हर्बल औषधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री बलशाला बी एस आर एन आर एम एम.डी. (ए.एम.) बेथानी हेल्थ सेंटर, एस. सिफिर, पी.ओ. आईजोल, 796031 दूरभाष (0389)-364408	2	1.00
			योग	1.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	मेडिसिनल प्लांट्स प्लांटेशन इन 8 डिस्ट्रिक्ट आफ मिजोरम	मि. लायनजुआला प्रेजीडेंट, केंद्रीय वाई एम ए आफिस, तुखुतलंग, आईजोल फोन-0389-2322869 फैक्स-2326973	3	50	20.00
				योग	20.00

राजस्थान प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	स्टेट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम फार कल्टीवेटर्स	गोविंद शरण शर्मा राजस्थान उरीशी अरम ग्रामीण बागबानी विकास संस्थान, 14-गोकुल पुरी, थाना सर्किल जयपुर	2	–	2.00
				योग	2.00

तमिलनाडु-प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	कल्टीवेशन आफ मेडिसिनल प्लांट	एस. थानीकचलम, इथनुर कुडालोर जिला तमिलनाडु फोन-044-28150836	2	12	2.00
2.	कंजरवेशन एक्शन आन एम पी एस	सी. जगन्नाथ, एग्जीक्यूटिव चेयरमेन, ए एन एस ए तिरूचिरापल्ली सी/ओ एस एम पी बी, तमिलनाडु टेलेक्स-0431-2760443	3	–	5.00
				योग	7.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
	1	2	3	4	5
1.	एक्स-सीटू कल्टीवेशन आफ सिक्स स्पीसीज आफ मेडिसिनल प्लांट्स	मि. एस. रामास्वामी, सचिव, एम ए एस एस, नं. 3, वैलूर मेन रोड, रामालिंगा नगर, साउथ एक्सटेंशन, त्रिची-620017	3	एरिया 25.5 एकड़, स्पीसीज आंवला, मूसली पिप्पली, कालमेघ, चंदन, बाह्मी	10.00

	1	2	3	4	5
2.	आर्गेनाइजिंग ए रिजीनल सेमिनार एंड बायर सेलर मीट ऑन हर्बल आन 23 दिसंबर, 2003	श्री रेथिनावेलू प्रेजीडेंट तमिलनाडु चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, 178-बी कामराजनगर सलाई, मदुरई-625009	1 दिन	–	0.70
3.	नेशनल सेमिनार ऑन प्रोडक्शन एंड यूटीलाइजेशन आफ आंवला	श्री एस.एस. मेहता, प्रेजीडेंट आंवला ग्रोवर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, 256, एडवाल्टा, आश्रम रोड, फेयरलेंड, सेलम-636016	3 दिन	–	2.00
				योग	12.70

उत्तर प्रदेश प्रोत्साहक परियोजनाएं-गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
	1	2	3	4
1.	फील्ड प्लांटेशन एंड नर्सरी डवलेपमेंट फार क्वालिटी प्लांटिंग आफ भूमि आमलकी, आंवाल, बेल	डा. ए.के. जोहरी, हेड, एग्रो बायोटेक्लोनालाजी डिवीजन, डाबर रिसर्च फाउंडेशन, 22 साइट-4 साहिबाबाद-201010, गाजियाबाद, उ.प्र.	सतत प्रक्रिया	10.00
2.	क्वालिटी प्लांटिंग मेटेरियल एंड सीड प्रोडक्शन आफ एंड्रोग्राफिस पेनीकुलेटा, ग्लाइरिजा ग्लाब्रा	डा. ए.के. जोहरी, हेड, एग्रो बायोटेक्नालाजी डिवीजन, डाबर रिसर्च फाउंडेशन, 22साइट-4 साहिबाबाद-201010, गाजियाबाद, उ.प्र.	सतत प्रक्रिया	8.00
3.	प्रोजेक्ट आन डेवलेपमेंट आफ हर्बल वेयर फार्मर्स कुड लर्न अबाउट एक्स-सीटू कल्टीवेशन	डा. कौशल कुमार, उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डवलपमेंट एंड पावर्टी एवलीवियेशन 18-ए, आकलेंड रोड सिविल लाइंस, इलाहाबाद, दूरभाष-(0532)-420454, 615847 फैक्स:420984/425105-एम तिवारी @yojana.nic.in	3	20.00
4.	सबमिशन आफ प्रोजेक्ट आन सप्लाई आफ क्यू पी एम	डा. कौशल कुमार, उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डवलपमेंट एंड पावर्टी एवलीवियेशन 18-ए, आकलेंड रोड सिविल लाइंस, इलाहाबाद, दूरभाष-(0532)-420454 फैक्स: 420984	3	20.00

1	2	3	4
5.	सबमिशन आफ प्रोजेक्ट आन इन्फोर्मेशन एजूकेशन एंड कम्यूनिकेशन, ट्रेनिंग/वर्कशाप/ सेमिनार	डा. कौशल कुमार, उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डवलपमेंट एंड पावर्टी एवलीवियेशन, 18-ए, आकलेंड रोड सिविल लाइंस, इलाहाबाद, दूरभाष- (0532)-420454 फैक्स: 420984	3	20.00
		योग		78.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप-गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	
1.	प्लांट इज ए सोर्स आफ हेल्थ	जय प्रकाश, सेक्रेटरी, निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग विकास समिति, विलेज-सकारा, पो. हसनपुर, जिला-गाजीपुर फोन-0548-220234	1	-	1.00
2.	डेवलपमेंट आफ हर्बल गार्डन कल्टीवेशन आफ मेडिसिनल प्लांट एंड अवेयरनेस क्रीएशन इटीसी	विद्या शर्मा, वसुंधरा विकास समिति 39, टीचर कालोनी, फरीदपुर बरेली-फोन- 05821-24306	2	6.0	2.00
3.	आर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग आन हर्बल कल्टीवेशन	प्रो. वी.के. दुबे, नेशनल काउंसिल आफ डेवलपमेंट कम्यूनिकेशन, बी-30/14-22, कोसलेश नगर, सुदेरपुर, वाराणसी फोन-0542-2318574	1	-	1.00
4.	सिम्पोसियम आन इमर्जिंग ट्रेनिज इन इंडियन मेड प्लांटस	दी फ्रेंडस आफ नेचर नसीम मंजिल, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ 226020 फोन-0522-2368064 फैक्स-2338572	2	सिंपोसियम आन मेड	2.00
5.	प्रोड आफ क्यू पी एम आफ एलोवीरा एंड अवेयरनेस एक्टीविटी इन डिस्ट्रिक्ट फरूखाबाद यू.पी.	लुईस खुर्शीद, बुनियाद 4-गुलमोहर एवेन्यू आमिया नमर, नई दिल्ली-110025 फोन 011-26322720 फैक्स-26849662	2	12.0	10.00

	1	2	3	4	5
6.	ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट एंड नुर. आफ कामर्सियल इंप. एंप्स.	एस.एस. शर्मा सेक्रेटरी म्याना 4-गुलमोहर एवेन्यू जामिया नगर मुरारी नगर जी टी रोड खुर्जा, यू पी फोन-05738-243184	3	0.80	3.00
7.	इस्टाब्लिसमेंट नुर. फार प्रो. क्यू पी एम एंड आर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फार फार्मर्स	अनमोल सिंह, प्रेजीडेंट श्री अनमोल ग्रामोद्योग सेवा से 1012, लखनऊ, इंदिरा नगर	3	5.50 लाख क्यू पी एम	19.00
				योग	38.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	ट्रेनिंग एंड प्रमोशन नर्सरी मथुरा जिले में औषधि पौधों की खेती हेतु विस्तार कार्यक्रम	मेजर बी.पी. शर्मा, अध्यक्ष, केशव धाम, वृंदावन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जानम भूमि मथुरा-281122 यू.पी.	3	1 एकड़ अशवगंधा, सर्पगंधा, आमला, फार्मर्स	15.00
2.	प्रोडक्शन आफ कल्टीवेशन आफ मेडिसिनिल प्लांट एंड ट्रेनिंग आफ फार्मर्स	श्री विनय कुमार ट्रेनिंग असिस्टेंट कृषि भवन केंद्र दीन दयाल इंस्टीट्यूट चित्रकूट	3	10 एकड़ अशवगंधा स. मुसावी सेवा मुलेठी, आमला वेल, क्यू.पी.एम. इन 5 लाख, ट्रेनिंग टू फार्यर्स मैन्यूअल ट्रेनिंग	20.00
3.	ट्रेनिंग इन एग्रो-फोरेस्ट्री आफ मेडिसिनल प्लांट	डा. बी.एन. मेहरोत्रा, जीवनीय सोसाइटी ई-III 249, सेक्टर-एच, अलगंज, लखनऊ-226024	2	आई ई सी मेटेरियल ट्रेनिंग प्रो. टू फार्मर्स ट्रेनिंग मेन्यूल	5.00
				योग	40.00

उत्तरांचल प्रोत्साहक परियोजनाएं-गैर-सरकारी संगठन (2001-2002)

#	शीर्षक	नाम व पता	अवधि वर्षों में	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)
1.	एक्स-सीटू कल्टीवेशन आफ सम पैरामाउंट टेक्सा आफ हाई एल्टीटूडीनल टोन्स वेली	ए के बदोनी, सचिव जनरल 17, सेवाला खुर्द पी.ओ. मोन्बेवाला देहरादून उत्तरांचल टेलि. 0135-641283 ई-मेल शेर @sanchar.in	3	15.00
			योग	15.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2002-03)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	इस्टाब्लिसमेंट आफ प्रोपेगेटरी आफ फोर मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज आफ क्यू पी एम	हरपाल सिंह नेगी, उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डवलपमेंट सेंटर, नरेन बागर, चमोली फोन-01363-255134/50 फैक्स-255204	3	07.00	6.00
2.	प्रोडक्शन आफ क्यू पी एम आफ कोस्टस (ससुरियल अप्पा)	ए के बदोनी सेक्रेटरी जनरल शेर 17 सेवा कुर्ष पी ओ मोन्बेवाला, देहरादून फोन-0135-2641283	2	3.5 लाख सीडलिगांस	05.00
3.	प्रोडक्शन आफ प्लांटिंग मेटेरियल आफ शतावरी	बुद्दू मिंया विल. कुमोल पी ओ गरीसन चमोली फोन-01363-268108	2	1.25 एकड़ (45,000 प्लांटस)	01.50
4.	ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम	पी. सिंह पुष्पावन हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान, रावत भवन, श्रीनगर (गढ़वाल) फोन-01368-251803	1	–	2.00
5.	नर्सरी फार आंवला इन डिस्ट्रिक्ट देहरादून	मिसेज सरिता असवाल एल आई जी-21 फेस-1. इंदिरापुरम देहरादून	1	–	1.00
6.	डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन आफ मेडि. प्लांटस	पुष्प शर्मा अध्यक्ष, नेरा महिला समिति, विल. नेरा जिला-पिथौरागढ़ उत्तरांचल फोन-05738-243184	3	–	5.00
7.	जड़ी-बूटी खेती उत्पादन, स्वास्थ्य उपचार रोजगार विकास	जयंती लाल भाई सचिव, जय मा लोक विकास पशु सेवा संस्थान गोन्त्री पट्टी गजादा डिस्ट्रिक्ट, उत्तरांचल	2	0.40	3.00

प्रोत्साहक क्रियाकलाप–गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की स्वीकृति (रुपये लाखों में)
1.	इंटग्रेशन आफ माइक्रो प्रोपेग्रेशन टेक्नालाजी फोर प्रोपेगेशन आफ हाई वेल्यू एंपीस	डा. विभा धंवन, बाई रिसोर्स एंड बाइटेक्नालाजी डिवि. दा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (टेरी) दरबारी सेठ हेबीटेट लोधी रोड, नई दिल्ली	3	चिरायत कलमांसी अतीस कुथ, कुटकी क्यू.पी.एम. 5 लाख	15.00
2.	इंपोवरिंग वूमेन फार हेल्थ एंड इन्कम थ्रो एम पी एस इन 50 विल. आफ चौखंटिया एंड ब्लाक आफ अल्मोड़ा	सतीश चंद्र पंत, इंस्टि. आफ हिमालयन इन्यारमेंट इन्व. रिसर्च. मासी बाजार ब्लाक चौखंटिया जिला-अल्मोड़ा मासी-253658	3	25 हेक्ट. क्यू पी इम फार 50 एस एच जी डाक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग मैन्यूअल	15.00
				योग	30.00

पश्चिम बंगाल–प्रोत्साहिक क्रियाकलाप गैर-सरकारी संगठन (2003-04)

#	परियोजना का शीर्षक	आवेदक का नाम व पता	परियोजना अवधि वर्षों में	क्षेत्र एकड़ में एवं प्रजातियां	वित्तीय सहायता की (रुपये लाखों में)
1.	नेशनल सेमिनार/ वर्कशाप/एग्जीबिशन आन मेडिसिनल प्लांट्स, प्रोडक्टस एंड पेटेंट्स	मैसर्स एसोसिएशन आफ आयुर्वेदिक डाक्टर, 90, डी.पी. नगर, (1 के.जी. रोड), कोलकाता-700050	3 दिन	नेशनल सेमिनार	2.00
				योग	2.00

आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्य बल

3109. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध तथा संगठित अपराध, स्वापक औषधियों आदि के अवैध व्यापार के संबंध में तुर्की और इजराइल के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए संयुक्त कार्य दल की स्थापना को अंतिम रूप दे दिया है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इन देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त हस्ताक्षरित समझौते के क्या परिणाम निकले और विभिन्न संबद्ध समस्याओं से निपटने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) भारत ने जून, 2000 में इस्राइल के साथ आतंकवाद का सामना करने पर संयुक्त कार्य दल की स्थापना की है। सितम्बर,

2003 में आतंकवाद का सामना करने के लिए तुर्की के साथ एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना की गई है। इससे इन दोनों देशों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ सूचना और अनुभव बांटने, आंतकवाद के वित्तपोषण, नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार और संगठित अपराध को रोकने में सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहयोगात्मक आधार तैयार होता है।

[हिन्दी]

मयूर विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालय खोला जाना

3110. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मयूर विहार-फेस 3, डी.डी.ए. कालोनी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक खोला जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। मयूर विहार फेज-3, डी डीए कालोनी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आरक्षण से संबंधित कार्यालय ज्ञापन

3111. श्री बनलाल जावमा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक संसद में विधेयक लाकर आरक्षण से संबंधित कार्यालय ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है जिनमें संशोधन किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने इन संशोधनों के अनुपालन में कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो संशोधित कार्यालय ज्ञापनों का कार्यान्वयन आरंभ न करने वाले मंत्रालय/विभाग/उपक्रम कौन-कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) ऐसे संवैधानिक संशोधनों का ब्यौरा, नीचे दिया जा रहा है जो कि आरक्षण के विषय से जुड़े विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों की विषय वस्तु में किए गए-

1. दिनांक 29.8.1997 के उस कार्यालय ज्ञापन को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में 81वां संशोधन किया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा बकाया रिक्तियों पर भी लागू होगी।

2. दिनांक 22.7.1997 के उस कार्यालय ज्ञापन को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में 82वां संशोधन किया गया जिसके तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति के मामलों में अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानदण्डों में दी गई ढील/छूट को समाप्त कर दिया गया था।

3. दिनांक 30.01.1997 के उस कार्यालय ज्ञापन को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में 85वां संशोधन किया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार, आरक्षण के माध्यम से पहले पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की तुलना में अपनी पहले वाली वरिष्ठता पुन: प्राप्त कर लेगा।

(ख) और (ग) सभी मंत्रालयों/विभागों को क्रमश: दिनांक 20.07.2000, 3.10.2000 और 20.01.2002 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा उपर्युक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग संगत मामलों में इन अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

(घ) संशोधित कार्यालय ज्ञापनों का कार्यान्वयन न होने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

डेंगू फैलने से रोकना

3112. श्री सीताराम सिंह:
श्री विजय कृष्णा:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में डेंगू से राज्य-वार कितने लोग पीड़ित हैं;

(ख) सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार इस रोग को नियंत्रित करने में सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 2004 के दौरान (10 अगस्त, 2004 तक) देश में डेंगू के मामलों की संख्या तथा उससे हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों में शामिल है:-

* सभी नियंत्रण एवं रोकथाम के तरीकों को बताते हुए राज्यों/संघ क्षेत्रों को शुरू में ही चेतावनी दिया जाना।
* संस्थागत तथा प्रबंधक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित मानवशक्ति विकास तथा कुशल प्रबंध सूचना पद्धति
* व्यक्तिगत स्तर पर रोकथाम करने तथा सामुदायिक साझेदारी हेतु सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण।
* महामारी का जल्दी पता चलना तथा निदान।
* मुख्यत: स्रोत में कमी करके वैक्टर नियंत्रण।

डेंगू नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सहायता आवश्यकता आधारित है तथा प्रकोप होने पर प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-2004 के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण, क्षमता निर्माण तथा प्रकोप के नियंत्रण हेतु सहायता के लिए प्रभावित राज्यों को 369.35 लाख रु. की आर्थिक सहायता जारी की गई थी।

(ग) और (घ) 1996 से देश में सूचित मामलों एवं मौतों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	मामलें	मौतें
1996	16517	545
1997	1177	36
1998	707	18
1999	944	17
2000	650	7
2001	3306	53
2002	1926	33
2003	12754	215
2004*	754	5

(*) 10 अगस्त, 2004 तक

10 अगस्त, 2004 तक डेंगू के 754 मामलों तथा 5 मौतें होने की सूचना दी गई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3069 मामलों तथा 66मौतों की सूचना दी गई थी।

विवरण

वर्ष 2004 के दौरान रिपोर्ट किए गए डेंगू के राज्यवार मामले

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2004 (10 अगस्त तक अनन्तिम)	
		मामलें	मौतें
1.	आंध्र प्रदेश	18	0
2.	बिहार	0	0
3.	चंडीगढ़	0	0
4.	दिल्ली	6	0
5.	गोवा	1	0
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	0	0
8.	कर्नाटक	89	1
9.	केरल	474	4
10.	महाराष्ट्र	0	0
11.	उड़ीसा	0	0
12.	पंजाब	0	0
13.	राजस्थान	21	0
14.	तमिलनाडु	145	0
15.	उत्तर प्रदेश	0	0
16.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	754	5

[अनुवाद]

त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल

3113. श्री राजेन गोहेन: क्या संचार प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में कई बार उपभोक्ताओं का गलत और त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत और पानी के मीटरों की तर्ज पर टेलीफोनों के लिए मीटर आरंभ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और सही टेलीफोन बिल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) असम में कभी-कभी उपभोक्ताओं को अधिक राशि के बिल प्राप्त होते हैं। तथापि, गत वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बिलों के संबंध में प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का प्रतिशत 1 प्रतिशत से भी कम था।

(ख) और (ग) बीएसएनएल नेटवर्क में सभी टेलीफोन एक्सचेंज डिजिटल इलेक्ट्रानिक हैं और उक्त प्रणाली में ही उपभोक्ताओं के मीटर पठन का कार्य होता है जो त्रुटिहीन, विश्वसनीय और सुरक्षित है, अत: उपभोक्ता के आवास पर बिजली/पानी के मीटरों की तर्ज पर टेलीफोनों के अलग-अलग मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिलिंग प्रणालियों को उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि यथासंभव सही टेलीफोन बिल जारी किए जा सकें।

[हिन्दी]

एस.टी.डी. सुविधा

3114. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कितने तालुकों/तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा से युक्त दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) उक्त राज्यों में कितने तालुकों/तहसीलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) ऐसे तालुकों/तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुजरात के सभी 226 तालुक मुख्यालयों, आंध्र प्रदेश के सभी 1126 मंडलों और पश्चिम बंगाल के सभी 323 ब्लाक मुख्यालयों के टेलीफोन एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा उपलब्ध है।

(ख) शून्य।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

3115. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं के आरक्षण का प्रावधान करने का प्रस्ताव है जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सुलभ है। भारत सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से कोई भी जातियां सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट के लिए लंबित आवेदन

3116. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन लंबित है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कितने पासपोर्ट जारी किये गये हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को इन सुझावों को कार्यान्वित करने के निर्देश दे दिए है; और

(च) यदि हां, तो इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) आंध्र प्रदेश के दोनों पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट आवेदनों की सं. 31 जुलाई, 2004 को 3238 थी।

(ख) 31 जुलाई, 2004 की स्थिति की अनुसार आंध्र प्रदेश के दो पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी पासपोर्टों की सं. निम्नलिखित है:

पासपोर्ट कार्यालय	2002	2003	जनवरी-जुलाई 2004
हैदराबाद	2,31,530	2,57,850	1,171,001
विशाखापत्तनम	45,777	50,346	37,713

(ग) से (च) पासपोर्ट जारी किये जाने की प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित समिति ने वर्ष 2001 में अपनी रिपोर्ट में अनेक अनुशंसाएं की। इन अनुशंसाओं में शामिल हैं: पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदनों की प्राप्ति और जांच का विकेन्द्रीकरण, पासपोर्ट कार्यालयों और प्रभावी सार्वजनिक सूचना की तकनीकी को सुविधाजनक बनाये जाने और शिकायत निवारण तंत्र का उन्नयन। इनमें से अधिकतर अनुशंसाओं को क्रियान्वित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

डाक सेवाओं को बेहतर बनाया जाना

3117. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लोग डाकघर मासिक सेवा की ओर उन्मुख हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्याज दर 13% से घटकर 8% रह गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या ब्याज लेने के लिए आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में लगकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और डाकघर के चक्कर भी काटने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ई-बैंकिंग के इस दौर में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। हालांकि, डाक विभाग प्रधान डाकघरों में बचत बैंक कार्यों का क्रमिक रूप से कंप्यूटरीकरण कर रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

डब्ल्यूएलएल सेवा का कार्यकरण

3118. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान किये गये अधिकांश टेलीफोन कनैक्शन ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) प्रौद्योगिकी के जरिए उपलब्ध कराए गए अधिकांश टेलीफोन कनेक्शन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कुछ मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त और अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण एफडब्ल्यूटी (फिक्स्ड वायरलेस टेलीफोन्स), उपभोक्ता के परिसर में लगे टर्मिनल उपकरणों सहित प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त नान स्टैंडर्ड एक्सटर्नल बैटरी चार्जर से भी एफडब्ल्यूटी क्षतिग्रस्त होते हैं। कुछ स्थानों पर डब्ल्यूएलएल प्रणालियों और सी-डॉट एक्सचेंज के बीच जंक्शन कभी-कभी अवरुद्ध हो जाते हैं। सी-डॉट संगठन को समस्या की जानकारी है और वह एक साफ्टवेयर पैच विकसित कर रहा है जिसकी जांच चल रही है।

(ग) मौजूदा डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी में कोई भी परिवर्तन लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3119. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन के लिए सर्किलवार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) ऐसे बूथों के आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सभी लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इन बूथों के आबंटन के समय शिक्षित बेरोजगार युवाओं/विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) तमिलनाडु में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) के आबंटन के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन बूथ 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन उदारतापूर्वक आबंटित किए जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सामान्यत: सार्वजनिक टेलीफोन बूथ सभी आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार आबंटित किए जाते हैं। तथापि, प्रतीक्षा सूची के रहते हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों सहित विकलांग व्यक्तियों को आबंटन में प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि अधिकांश क्षेत्रों में मांग पर पीसीओ उपलब्ध हैं, इसलिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्राथमिकता की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक/रोगी अनुपात

3120. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 28 जुलाई, 2004, के द टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिक्स की अत्याधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों-रोगियों के अनुपात के अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार के स्टाफ को कम करने के निर्देश, जिसके अंतर्गत वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से केवल 1/3 रिक्तियों को भरे जाने अथवा कुल मंजूर शुदा पदों के 1 प्रतिशत पदों को भरने की विभाग को अनुमति है, को लागू करने के कारण केन्द्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सकों और परा-चिकित्सकों की कमी है। सरकार के इन निर्देशों से छूट प्राप्त करने के लिए इस विषय को उच्च स्तर पर उठाया गया है ताकि केन्द्र सरकार के अस्पतालों में खाली पदों को भरा जा सके। विभिन्न राज्य सरकार के अस्पतालों में डाक्टरों और मरीजों के अनुपात से संबंधित आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

महाराष्ट्र में 'क्लाउड सीडींग' परियोजना

3121. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कृत्रिम वर्षा के लिए प्रकल्प वर्षा नामक एक 'क्लाउड सीडींग' परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) कृत्रिम बादल वर्षा करने में कितने सफल रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के लिए आबंटित धनराशि

3122. श्री जसुभाई दाभाई बारड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/आबंटित की गयी/जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई/ उपयोग में लायी गई;

(ग) कितनी धनराशि लौटायी गयी और इस धनराशि को लौटाने के क्या कारण हैं;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक गुजरात के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी/आबंटित की गयी; और

(ङ) गुजरात सरकार ने कौन-कौन सी परियोजनाओं पर इस धनराशि का उपयोग किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के संबंध में प्रचलित मूल्यों पर कुल संशोधित परिव्यय और वास्तविक व्यय क्रमश: 30019.62 करोड़ रुपये और 24657.98 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों में राज्यों के निजी संसाधन और केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। जारी केन्द्रीय सहायता की सम्पूर्ण राशि का राज्य द्वारा उपयोग कर लिया गया था।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान कुल संशोधित परिव्यय और वास्तविक व्यय/संशोधित अनुमान क्रमश: 12740 करोड़ रुपये और 12143.19 करोड़ रुपये है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा योजना आबंटन का कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और सामाजिक सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पोषाहार आदि क्षेत्रकों की विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उपयोग कर लिया गया है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा वर्दी, वस्तुओं और जूतों की आपूर्ति

3123. श्री कैलाश बैठा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भंडार को अनुमोदित दरों पर वर्दी, वस्तुओं और जूतों की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दस वर्षों के दौरान वर्दी और जूतों के मूल्यों की समीक्षा नहीं की गई है अथवा नए आपूर्तिकर्ताओं को सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिक संख्या में आपूर्तिकर्ताओं को सूची में सम्मिलित करने के लिए और गुणवत्ता और वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, सामान्य श्रेणी के समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों को उनकी वर्दी के एक हिस्से के रूप में अनुमोदित दरों पर वूलन सर्ज और जूतों इत्यादि की आपूर्ति किए जाने के लिए केन्द्रीय भण्डार को प्राधिकृत किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले दस वर्षों से वर्दी और जूतों की दरों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि आपूर्ति, निर्धारित दरों पर प्राप्त हो जाती हैं और इन दरों के संशोधन की कोई मांग नहीं की गई है। केन्द्रीय भण्डार द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं के नामों की सूची की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वर्दी की आपूर्ति में वर्दी का नाप लेने आदि जैसी सेवाओं का मूल्य भी जोड़ दिया गया है तथा इनकी दरें पहले ही प्रतिस्पर्धी स्वरूप की हैं क्योंकि सरकारी विभागों को वर्दी की आपूर्ति करने के लिए अन्य अभिकरणों को भी प्रधिकृत किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 को चार लेनों वाला बनाया जाना

3124. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **सड़क परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग संख्या-76 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेनों वाला बनाए जाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बानरा, अंटा, कोटा नगरों के बाहरी क्षेत्रों पर बाईपास सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो कितने शहरों में बाईपास सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है और उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रा. रा. 76 की केवल 599 कि.मी. लंबाई को चार लेन का बनाया जाना है। उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खंड जो स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व-पश्चिम महामार्ग दोनों का हिस्सा है, के 99 कि.मी. में कार्य को दिसंबर, 2004 तक काफी हद तक पूरा करने का लक्ष्य है। शेष लंबाई में चार लेन बनाने के कार्य को दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) राजस्थान राज्य में रा.रा. 76 पर 10 शहरों के लिए बाइपास बनाए जाने के प्रस्ताव हैं। अनुमानित लागत 1023 करोड़ रु. है और कार्य को दिसंबर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत कार्य

3125. श्री नकुल दास राई: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार कब तक धनराशियां जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए 60.59 करोड़ रु. के 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1.	असम	9	31.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	मणिपुर	8	4.39
4.	मेघालय	7	19.98
5.	मिजोरम	1	2.92
6.	नागालैंड	1	1.97
		26	60.59

त्रिपुरा और सिक्किम को अपने प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आते हैं।

(ग) तकनीकी पैरामीटरों और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन इन प्रस्तावों को वर्ष 2004-05 तक अनुमोदित करने का लक्ष्य है।

विदेशी सहायता से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

3126. श्री अनन्त नायक: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशी सहायता से देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से देशों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) देश में विदेशी सहयोग के साथ संयुक्त उपक्रमों सहित लघु उद्योग (एस.एस.आई.) की स्थापना वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा की जाती है। लघु उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) संबंधी प्रस्तावों के प्रत्येक मामले पर विचार-विमर्श सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार गुणाधार पर किया जाता है। मौजूदा नीति स्वत: रूट के रास्ते लघु उद्योग में 24% तक एफ.डी.आई. अनुमेय करती है। जिस मामले में एफ.डी.आई. 24% से अधिक हो तथा प्रस्ताव लघु उद्योग सेक्टर

में एक मात्र विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों के संबंध में हो, तो निवेशक को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा उसे प्रत्येक मद के संबंध में 50% का निर्यात-दायित्व की वचनबद्धता देनी होगी।

सुपर कम्प्यूटर

3127. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवातों के मार्ग का माडल बनाने और उनकी भविष्यवाणी करने हेतु अधिक संख्या के डॉपलर वैदर रडार नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है और कौन-कौन से स्थानों पर ऐसे रडार पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं; और

(ग) इस पर कितनी संभावित लागत आयेगी और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे तथा राज्यों और केन्द्र सरकार का इसमें कितना हिस्सा होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौजूदा नेटवर्क के चक्रात अंवेषण रडार (सी डी आर) भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित हैं। चेन्नई और कोलकाता में लगे दो पुराने रडारों को पहले ही नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले डापलर मौसम रडारों में बदला जा चुका है। मछलीपतनम तथा विशाखापतनम में इसी प्रकार के दो रडार संस्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) में एक स्वदेशी डापलर मौसम रडार को लगाया गया है।

(ग) प्रत्येक डापलर मौसम रडार का मूल्य लगभग 12-15 करोड़ रुपये है। डापलर मौसम रडार वायु और वृष्टिपात जैसे महत्वपूर्ण मौसम वैज्ञानिक मानदण्डों के विषय में मात्रात्मक सूचना उपलब्ध करता है और साथ ही बड़ी मात्रा में ऐसे उत्पाद भी उपलब्ध कराता है जिनका चक्रवातों, तूफानों, बादलों के फटने, आंधी, झंझावातों आदि का पता लगाने में सीधा प्रयोग होता है। इन घटनाओं से जान-माल की काफी हानि होती है। तीव्र चक्रवात आने पर अनुमानित हानि करोड़ों रुपयों की होती है। केन्द्र सरकार की निधियों का उपयोग करके रडार खरीदे जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा लागत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता।

'ब्रॉड बैंड सर्विसिज'

3128. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री जुएल ओराम:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार उद्योग ने आयकर अधिनियम की धारा 80 (1क) 4(1) के अंतर्गत अवसंरचना सुविधा की परिभाषा में ब्रॉडबैंड को शामिल करने और तदनुसार 10 वर्ष तक कर छूट दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय टेलीफोन विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा ब्रॉडबैंड सर्विसिज को दिये गये अन्य बड़े लाभों/प्रस्तावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) ब्रॉडबैंड को पहले ही आयकर अधिनियम की धारा 80(1क) 4(2) के तहत शामिल किया जा चुका है। दूरसंचार उद्योग की ओर से धारा 80(1क) 4(i) के तहत लाभ प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) ट्राई ने 'इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में तेजी लाने संबंधी सिफारिशों' में ब्राडबैंड सेवाओं के विकास संबंधी नीतियों के बारे में कतिपय सिफारिशें की है। ट्राई द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों की सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

ब्राडबैंड के संबंध में ट्राई की प्रमुख सिफारिशों की सूची

1. ब्राडबैंड सेवाओं के तीव्र विकास को प्रोत्साहन देने और इनमें तत्काल प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाने की दृष्टि से शेयर्ड अनबंडलिंग और बिट स्ट्रीम एक्सेस दोनों के लिए समयबद्ध रूप में गैर-भेदमूलक लोकल लूप अनबंडलिंग (एलएलयू) का निष्पादन किया जाना चाहिए। स्थानीय लूप का स्वामी जोकि एकीकृत अभिगम अथवा बुनियादी सेवा अभिगम प्रदाता (एलएल प्रचालक) होता है, उसके पास यह निर्णय करने का अवसर रहता है कि वे अपने स्वयं के उपयोग हेतु और साथ ही

अभिगम के इच्छुकों को बिट स्ट्रीम एक्सेस प्रदान करने के लिए अवसंरचना का उन्नयन करने की दृष्टि से किन एक्सचेंजों में निवेश करना चाहते हैं। बिट स्ट्रीम एक्सेस के एलएल प्रचालक द्वारा सुविधा प्रदान किए जाने की संभावित तारीख के साथ ऐसे एक्सचेंजों की सूची विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए। यह सूची एलएलयू कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने के एक माह के भीतर प्रदान कर दी जानी चाहिए। यह सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसे नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाना चाहिए।

2. प्राधिकरण एलएलयू कार्यक्रम को समयबद्ध और चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करेगा जिसका प्रत्येक चरण 3 महीने का होगा। एलएलयू कार्यक्रम के प्रथम चरण में एलएल प्रचालक बिट स्ट्रीम एक्सेस प्रदान करने के लिए जिन एक्सचेंजों का चयन नहीं करेंगे (अथवा इसे प्रदान करने में असमर्थ होंगे) वहां एल एल प्रचालकों के लिए शेयर्ड अनबंडलिंग और स्थापना की सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्राधिकरण प्रत्येक चरण के दौरान इसके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करेगा और इसके उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से यथोचित कार्रवाई करेगा।

3. प्राधिकरण का यह अनुमान है कि एलएल प्रचालक को अपने स्वयं के प्रयासों से अथवा अपने फ्रैंचाइजियों के माध्यम से ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ध्यान देना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। प्राधिकरण का यह विचार है कि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने की शुरूआत करने के लिए एलएल प्रचालकों के उपरोक्त अनबंडल्ड लोकल लूप तक अन्य लोगों द्वारा गैर-भेदमूलक अभिगम करने का भी महत्वपूर्ण स्थान होगा। प्राधिकरण इस संबंध में होने वाली गतिविधियों को मानीटर करेगा और उसे आशा है कि उपरोक्त प्रत्येक चरण के दौरान गैर-फ्रैंचाइजी अभिगम के इच्छुकों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के लिए एलएल प्रचालकों द्वारा इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

4. नई ब्राडबैंड-सक्षम अवसंरचना के रॉल आउट को प्रोत्साहन देना जारी रखने के लिए एलएलयू को एलएलयू कार्यक्रम के कार्यान्वयन के वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-2005 से पांच वर्ष पुरानी लाइनों के लिए ही कार्यान्वित किया जाएगा। भविष्य में सभी संस्थापनाओं द्वारा पांच वर्ष पूरे कर लेने पर उन पर यही सिद्धांत लागू होगा। अत: वे सभी संस्थापन एलएलयू के योग्य हो जाएंगे जिनको 1999-2000 के वित्तीय वर्ष से पहले पूरा कर लिया गया था और 2004-2005 के वित्तीय वर्ष के अंत में वे लाइनें एलएलयू नियमों के दायरे में आ जाएंगी जो 1999-2000 के दौरान संस्थापित कर दी गई थीं। एलएल प्रचालकों को इन सिफारिशों को जारी किए जाने की तारीख से 21 दिनों के भीतर प्राधिकरण को सभी लाइनों की पूर्ण सूची तथा उनके सेवा में संस्थापन किए जाने के संबंधित वर्ष की सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसे एलएलयू कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने में सार्वजनिक संदर्भ हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। किन्हीं परिस्थितियों में, एलएलयू कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यदि लाइनों की संस्थापना की तारीख का पता लगाने के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अनबंडल्ड लाइनों के लिए प्रभावी तारीख को बाद की किसी तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में इन मानदंडों की समीक्षा की जाएगी क्योंकि प्राधिकरण एलएलयू कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की नियमित रूप से पुनरीक्षा करता है।

5. वीएसटी प्रचालकों के लिए भी वही मुक्ताकाश नीति अपनाई जानी चाहिए जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ब्राडकास्टरों के लिए उपलब्ध है। वीएसटी सेवा प्रदाताओं को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह के साथ सीधे कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. न्यूनतम आकार के वी सैट डिश संबंधी विनियम को हटा दिया जाना चाहिए ताकि आपरेटर उपलब्ध प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाकर लागत में और अधिक बचत कर सकें तथा प्रचालन संबंधी कुशलता बढ़ा सकें। इसके अलावा, उपग्रह केन्द्रों के लिए अप-लिंक और दूरस्थ केंद्रों के लिए डाउन-लिंक दोनों के लिए वी सैट पर थ्रूपुट प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिया जाना चाहिए। एसएसीएफए क्लीयरेंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तक्षेप स्तर स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रहें।

7. वी सैट आपरेटरों के लिए लाइसेंस इस तरह संशोधित किया जाना चाहिए कि वे एक ही हब-स्टेशन का प्रयोग कर आईएसपी जैसे बहुविध विशिष्ट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच कनेक्टिविटी प्रदान कर सकें तथा इस तरह स्वयं अपने आईएसपी लाइसेंस के माध्यम से ग्राहकों को सीधे इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान कर सकें। इसके द्वारा आईएसपी लाइसेंस के साथ दूरस्थ-स्टेशन

का उपयोग एक वितरण बिन्दु के रूप में भी किया जा सकता है तथा उस एक स्टेशन से बहुविध स्वतंत्र उपभोक्ताओं का डाटा संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

8. इस सिफारिश का उद्देश्य स्थिर पीएसटीएन और मोबाइल वायस जैसी अन्य सेवाओं को कवर करना नहीं है और इसमें इंटर-कनेक्टिंग वायस सेवाओं के लिए किसी पीएसटीएन एक्सचेंज/पीएलएमएन नेटवर्क के साथ किसी इंटर-कनेक्शन की कल्पना नहीं की गयी है।

9. एसएसीएफए/डब्ल्यूपीसी क्लीयरेंस के लिए डब्ल्यूपीसी को सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् वीसैट आपरेटर को उप स्थान पर संस्थापन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां संस्थापन पहले से अधिकृत भवन की भूमि पर हो तथा संस्थापन की कुल ऊंचाई सबसे ऊपरी छत से पांच मीटर से कम है जो सुरक्षित संस्थापन के लिए पर्याप्त है। यदि वी सैट आपरेटर का आवेदन डब्ल्यूपीसी द्वारा अस्वीकृत किया जाता है या इससे किसी अन्य प्रणाली में हस्तक्षेप हो रहा है, भले ही इसे क्लीयरेंस मिलने के पश्चात् किसी बाद की तारीख में संस्थापित किया गया हो, तो आपरेटर को उस स्थान पर प्रचालन बंद करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी ओर, यदि एसएसीएफए/ डब्ल्यूपीसी से क्लीयरेंस संबंधी निर्णय एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो आपरेटर संस्थापन संबंधी कार्य कर सकता है।

10. अंत में यह सिफारिश की जाती है कि रिसीव-आनली वी सैट के लिए एसएसीएफए/डब्ल्यूपीसी क्लीयरेंस की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए यदि अवस्थिति पहले से अधिकृत भवन की भूमि पर हो और संस्थापन की कुल ऊंचाई सबसे ऊपरी छत से पांच मीटर से कम हो जो सुरक्षित संस्थापन के लिए पर्याप्त है।

11. उपग्रह के रास्ते रिसीव-आनली इंटरनेट सेवा को समर्थ बनाने के लिए, डीटीएच प्रदाता को आईएसपी लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। डीटीएच और अन्य रिसीव-आनली उपग्रह सेवाओं के माध्यम से आंकड़ों को डाउनलोड करने हेतु उपभोक्ताओं को अनुमति देने के लिए आईएसपी लाइसेंस की अनुमति दी जानी चाहिए। चूंकि यह कनेक्टिविटी रिसीव-आनली उपग्रहों के माध्यम से है इसलिए इसके लिए डब्ल्यूपीसी या एसएसीएफए से कोई अतिरिक्त क्लीयरेंस या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है यदि संस्थापन पहले से अधिकृत भवन की भूमि पर है और संस्थापन की कुल ऊंचाई सबसे ऊपरी छत से पांच मीटर से कम है जो सुरक्षित संस्थापन के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, एनओसीसी शुल्क की आवश्यकता नहीं हो सकती है जिसका उपयोग अपलिंग अनुश्रवण के लिए किया जाता है और इस सेवा के लिए भी अतिरिक्त शुल्क स्तर नहीं होना चाहिए।

12. डीटीएच प्रचालकों के लिए मुक्त आकाश नीति अपनानी चाहिए जैसा कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ब्रोडकास्टरों के लिए उपलब्ध है। डीटीएच सेवा प्रदाताओं को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह के साथ सीधे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ताकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को व्यापक स्तर पर वीडियो और ब्राडबैंड सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

13. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को डीटीएच मंच का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को द्वि-दिशात्मक डाटा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें वीसैट प्रदाताओं के लिए यथा अनुशंसित नियमों और विनियमों का अनुपालन करना चाहिए। ऐसा डाटा सेवाओं में प्रविष्टि एवं लाइसेंस शुल्क हेतु समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करते समय किया जाना चाहिए।

14. यद्यपि सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क का मुद्दा परामर्श प्रक्रिया के अधीन है, फिर भी सिफारिश की जाती है कि वीसैट और डीटीएच प्रचालकों को भी अन्य प्रचालकों की तरह लाइसेंस शुल्क में 2% की छूट दी जानी चाहिए।

15. इसके अलावा, लाइसेंस शुल्क का परिकलन करते समय वीसैट प्रचालकों के लिए एजीआर की परिभाषा में वीसैट हार्डवेयर की बिक्री शामिल न की जाए जो कि उपभोक्ता परिसर में कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु जरूरी होती है। 4% डब्ल्यूपीसी प्रभारों को भी घटाकर, ऐतिहासिक परिवर्तनों के अनुपात में, एजीआर का 1% किया जाना चाहिए। 1% डब्ल्यूपीसी प्रभार के अतिरिक्त, आवेदन प्रक्रिया शुल्क, आदि जैसा अन्य कोई डब्ल्यूपीसी प्रभार नहीं लगाया जाए।

16. अंततः डीटीएच प्रचालकों को भारत के भीतर अप-लिंकिंग के लिए स्पेक्ट्रम रायल्टी शुल्क में छूट दी जाए।

17. अ-हस्तक्षेप, अ-संरक्षण और अ-अनन्यता के आधार पर लो-पावर आउट डोर यूसेज के लिए 2.40-2.48 गीगा हर्ट्ज बैंड का लाइसेंस खत्म कर दिया जाए। लाइसेंस खत्म करने की यह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी-निर्पेक्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार 5.725-5.85 गीगा हर्ट्ज बैंड के लिए भी लाइसेंसिंग खत्म कर देनी चाहिए ताकि ब्रोडबैंड के लिए बेतार अभिगम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा 5.15-5.35 गीगा हर्ट्ज बैंड को शीघ्रतापूर्वक रिक्त कर दिया जाए और उद्देश्यों की शीघ्र प्राप्ति हेतु लाइसेंस खत्म कर दिया जाए।

18. फ्रिक्वेंसी आबंटन, साइटिंग क्लियरेंस और लाइसेंसिंग प्रणाली को सुचारू बनाया जाए तथा बोझिल प्रक्रियागत आवश्यकताओं को खत्म करके तथा डब्ल्यूपीसी के तत्काल कम्प्यूटीकरण के द्वारा स्पेक्ट्रम प्रबंध के स्वचालन के जरिए इसे समयबद्ध किया जाए।

19. बेस स्टेशन को डब्ल्यूपीसी और एसएसीएफए क्लियरेंस मिलने पर, प्वाइंट-टू-मल्टी प्वाइंट नेटवर्क में वैसी ही भौगोलिक स्थितियों में रिमोट एक्सेस प्वाइंट्स के संस्थापना का कार्य शुरू करने की अनुमति डब्ल्यूपीसी अथवा एसएसीएफए क्लियरेंस के बिना दी जानी चाहिए यदि क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु लागू कागजी कार्रवाई संबंधी कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा संस्थापना का कार्य पहले से प्राधिकृत भवन के धरातल पर किया जाना है और संस्थापना की कुल ऊंचाई उपरी छत से पांच मीटर से कम है जोकि सुरक्षित संस्थापना हेतु पर्याप्त है। यदि संस्थापना से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो प्रचालक को उस एंटेना का प्रचालन बंद कर देना चाहिए। डब्ल्यूपीसी कागजात प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर, यदि संस्थापना अनुमति नहीं दी गई है, तो कारण बताते हुए आवेदन का जवाब दे दे अन्यथा प्रचालक यह मान लेंगे कि संस्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है।

20. एनएफएपी 2002 के आईएनडी 49 में यह कहा गया है: ''टीडीडी अभिगम प्रौद्योगिकियां, विशेषकर बहुविद्य प्रचालकों के साथ सह-अस्तित्व कायम करने की क्षमता वाली देश में ही विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित माइक्रो सेल्यूलर डब्ल्यूएलएल प्रणालियों की अपेक्षाओं.....'' को डब्ल्यूएलएल के संदर्भ को समाप्त करने के लिए बदला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि चालू प्रौद्योगिकियों तथा बैण्डों और भावी योजनाओं के लिए फिक्सड वायरलैस और मोबाइल वायरलैस प्रौद्योगिकियों के बीच के संबंध में ठीक किए जाएं जो पूर्व की डब्ल्यूएलएल व्यवस्था के कारण रह गए हैं।

21. इसके अलावा, बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध ऐसे वैकल्पिक स्पेक्ट्रम बैंडों का पता लगा सकता है जो उच्च मांग वाले बैंडों (हार्ड डिमांड बैंड्स) में नहीं है ताकि उनका प्रयोग ब्राडबैण्ड सेवाएं प्रदान करने और उनके उपयोग हेतु प्रोत्साहनात्मक मूल्य तैयार करने के लिए किया जा सके।

22. केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह सिफारिश करनी चाहिए कि सभी नई अवसंरचनाओं और नागरिक (सिविक) परियोजनाओं के लिए जीआईएस के विस्तृत मानचित्र तैयार किए जाएं। मार्गाधिकार (राइट-आफ-वे) की अनुमति के लिए आवेदन करते समय ये मानचित्र तुरंत उपलब्ध होने चाहिएं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं में भविष्य में उचित समय पर डाटा केबलों को डालने के लिए खुदाई (डक्ट्स) की व्यवस्था शामिल की जानी चाहिए। तत्पश्चात्, इस सिफारिश को कानून का रूप दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य सरकारों द्वारा इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्र सरकार, इस प्रकार के डक्टों तथा उनकी अभिगम्यता के लिए पैरामीटरों के निर्धारण पर विचार कर सकती है।

23. इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह सिफारिश करनी चाहिए कि वे सरकारी कार्यालयों को बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए प्रचालकों को एक्सचेंज में मार्गाधिकार की अनुमति देने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार करें। इस व्यवस्था से सरकार की आनलाइन सेवा प्राप्त करने में सहायता मिलती है, प्रचालकों को लाभ मिलता है और सरकार अभिगम्यता शुल्क का भुगतान करने से भी बच जाती है। तत्पश्चात् इस सिफारिशों को कानून का रूप दिया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकारों द्वारा इनका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

24. केन्द्र सरकार को निजी स्वामित्व वाली बहुमंजिली इमारतों तथा आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में दूरसंचार प्रचालकों के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)

अभिगम्यता प्रदान करने और इस स्वरूप की सभी नई परियोजनाओं में दूरसंचार सेवाओं के लिए खुदाई (डक्ट) की व्यवस्था करने हेतु विधि-सम्मत पैरामीटर तैयार करने चाहिएं।

25. पट्टेशुदा लाइनों के स्थानीय खण्ड वाले अभिगम्यता प्रदाता उदाहरणार्थ बीएसओ को उनकी लाइसेंस शर्तों के भाग के रूप में कार्य-आदेश सौंपा जाना चाहिए ताकि तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन समयबद्ध तरीके से बैकहाल आपरेटरों (एनएलडीओ, आईपी-II प्रचालकों आदि) को स्थानीय "शहर के भीतर" लिंक प्रदान किया जा सके।

26. आईपी-II के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने संबंधी प्राधिकरण की सिफारिशों के बारे में सरकार को तीव्रता से विचार करना चाहिए। इसी तरह, इन प्रचालकों के लिए बैंक गारंटी समाप्त करने संबंधी मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। अंत में, अन्य दूरसंचार प्रचालकों को प्रदान की गई पट्टेशुदा लाइनों से प्राप्त राजस्व भाग हेतु एनएलडी प्रचालकों, बीएसओ, यूएसएल प्रचालकों और आईएलडी प्रचालकों के लिए यही नियम लागू किया जाना चाहिए।

27. एनआईएक्सआई के निदेशक मंडल के मौजूदा कार्य दल को दो महीने के भीतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक करार तथा प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिएं और तत्संबंधी योजनाएं तथा मूल्य सूची तैयार करनी चाहिए।

28. बैकबोन सेवा प्रदाताओं जिनमें राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रचालक (एनएलडीओ), बुनियादी सेवा प्रचालक (बीएसओ) और आईपी-II प्रचालक भी शामिल हैं, की सेवाओं को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की सेवाओं के लिए आगामी दो वर्षों तक के लिए एनआईएक्सआई को लिंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य कर देना चाहिए, यदि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

29. इंटर-कनेक्शन को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ "ख" या "ग" श्रेणी के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के प्वाइंट आफ प्रजेन्स से एनआईएक्सआई नोड तथा पट्टेशुदा लाइनों की लागत में प्रथम दो वर्षों के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस सहायता का अनुपात क्रम 30-50% होना चाहिए।

30. मोडेम तथा रूटरों सहित पीसी तथा ब्राडबैण्ड कस्टमर प्रिमाइज ईक्विपमेन्ट (सीपीई) के लिए पहले वर्ष में 100% मूल्यह्रास की अनुमति देने पर विचार किया जाना चाहिए।

31. मूल्य अनुसूची के माध्यम से सरकार द्वारा यथा परिभाषित पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) के मूल्य पर उन संगठनों को कर-अनुलाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए, जो सरकार/स्थानीय निकायों और धर्मार्थ संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों को पीसी दान में देते हैं।

32. अंततः भारत में आयातित पर्सनल कम्प्यूटरों के पुनश्चक्रण (रिसाइक्लिंग) हेतु एन्टी-डम्पिंग शुल्क समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

33. ब्राडबैण्ड और इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करने में प्रयुक्त तैयार उत्पादों और निविष्टियों (पुरजों, अवयवों और अतिरिक्त कल-पुरजों) पर लगे शुल्कों को घटाकर, मोबाइल फोनों पर लगने वाले शुल्कों के बराबर कर दिया जाना चाहिए।

34. इसके अलावा, इन मदों पर लगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटाकर आयातित परिसज्जित माल पर लगे शुल्कों के समान और यथानुपात आधार पर प्रस्तावित सीमा शुल्कों के बराबर किया जाना चाहिए।

35. ऐसे वेब होस्टिंग उद्यमों को होने वाले लाभों पर आगामी 5 वर्षों तक के लिए आयकर में न्यूनतम 50% की आंशिक रूप से छूट दी जानी चाहिए।

36. इन्टरनेट सेवा प्रचालकों को प्रदत्त सेवा के मूल्य के 8% सेवा कर के भुगतान से आगामी 5 वर्षों तक के लिए छूट दी जानी चाहिए। इस छूट से उपभोक्ताओं की ऐसी सेवाओं की लागत तत्काल 8% कम हो जाएगी।

37. भारत सरकार सभी राज्य सरकारों से भी यह सिफारिश करे कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली सीमाओं तक इलेक्ट्रानिक माध्यम (ई-कामर्स) के जरिए से प्रदान की जा रही सेवाओं और माल के संबंध में बिक्री कर को आगामी 5 वर्षों तक समाप्त कर दें। तत्पश्चात् इस सिफारिश को कानून का रूप दिया जाए ताकि राज्य सरकार द्वारा इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

38. मनोरंजन कर, जो कतिपय राज्यों से इस समय ब्राडबैण्ड अंशदान और मनोरंजन सेवाओं पर लगभग 30% वसूला

जाता है, को समाप्त करने के लिए इसी प्रकार की सिफारिश अथवा कानून भारत सरकार द्वारा तैयार करके राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए, यदि उन्हें ब्राडबैण्ड अथवा इंटरनेट प्लेटफार्म के जरिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तत्पश्चात् इस सिफारिश को कानून का रूप दिया जाए ताकि राज्य सरकार द्वारा इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सकें।

39. सभी निगमों, चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी, को घर पर ब्राण्डबैंड सेवा अभिगम्यता के लिए कर्मचारियों को वार्षिक 6000/- रु. भत्ता देने की अनुमति होनी चाहिए। इस भत्ते को निगम की करयोग्य आय से हटा दिया जाए। यही सुविधा स्व-रोजगारयुक्त व्यावसायिकों को भी दी जाए ताकि वे भी ब्राडबैण्ड सेवाओं का लाभ उठा सके।

40. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में, एक विस्तृत समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करने और उसकी निगरानी करने के लिए तथा इस उद्देश्य को हासिल करने हेतु भरसक प्रयास करने के लिए एक पद सृजित किया जाए। इस पद का नाम परियोजना निदेशक (ई-गवरनेंस) होगा और यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर का होना चाहिए। यह अधिकारी मंत्रियों की समिति का हिस्सा होगा जो अग्रता निर्धारण और परस्पर विभागीय समन्वय संबंधी कार्य करेगा, क्योंकि इन प्रयासों से सरकार का दायरा बढ़ेगा। इस मंत्रालयी समूह में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, विधि, वित्त और वाणिज्य विभाग शामिल किए जाएं। मंत्रियों के समूह में कुछ प्रतिष्ठित उद्योग नेताओं को शामिल किया जाए ताकि वे गैर-सरकारी निविष्टियां प्राप्त करने में मदद कर सकें। इस मंत्रालयी समूह की जिम्मेदारी, इलैक्ट्रानिक सेवाओं (ई-सर्विसेज) के माध्यम से "आन लाइन" पर भारत को लाने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने की होगी और परियोजना निदेशक उन मौजूदा प्रयासों का परस्पर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगा जो राज्य और केन्द्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं और निम्नोक्त चार क्षेत्रों में नए पहल-कार्यों के रूप में निष्पादित किए जा रहे हैं: केन्द्रीय सरकार की प्रक्रियाओं और प्रणाली में ई-गवरनेंस, इलेक्ट्रानिक-शिक्षा (ई-एजुकेशन), इलेक्ट्रानिक स्वास्थ्य (ई-हेल्थ) और केन्द्रीय सरकार से यथा-संभव वित्त पोषण सहित राज्य सरकारों द्वारा ई-गवरनेंस। इस दृष्टिकोण का विकास करके, परियोजना निदेशक निष्पादन और समन्वय का एक नोडल बिंदू होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहल-कार्यों का कार्यान्वयन समय पर किया जा रहा है और उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है।

भूकंप अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3129. **श्री महेश कनोडीया:**
श्री दिनशा पटेल:
डा. तुषार अमर सिंह चौधरी:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विनाशकारी भूकंप के पश्चात् गुजरात सरकार राज्य में भूकंप अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी, हां। गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य अपने आंतरिक संसाधनों और बाहरी सहायता से संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। संस्थान के प्रमुख के रूप में एक महानिदेशक की पहले ही नियुक्ति कर दी गई है। गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विश्व बैंक ऋण में से 30.00 करोड़ रुपये की धनराशि संस्थान के लिए आबंटित कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भूकंप खतरे के बेहतर आकलन के लिए गुजरात में अनेक अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता की है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन के लिए संयुक्त योजना

3130. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन देश में परिवार नियोजन के लिए संयुक्त रूप से एक ठोस योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन से जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोलियो उन्मूलन पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

3131. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी हां। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम और व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 13 और 14 जुलाई, 2004 को राज्यों के अधिकारियों और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी।

(ख) राज्यों में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम और सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने पर अपनाई जाने वाली व्यापक कार्यनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकारों के अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे 22 अगस्त, 2004, 10 अक्तूबर, 2004 और 21 नवम्बर, 2004 को आयोजित होने वाले अगले टीकाकरण दौरों में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शामिल करें। लोगों में उच्च-रोगप्रतिरक्षणता बनाए रखने के लिए राज्यों को समुचित सूक्ष्म नियोजन, मानीटरिंग, पर्यवेक्षण, वैक्सीन संभारतंत्र और समीक्षाओं के माध्यम से निम्न कार्यनिष्पादन वाले क्षेत्रों का चयन करके सामान्य टीकाकरण कार्य में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

(ग) टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करना तथा समुचित स्तर पर सुधार लाने के लिए कार्रवाई करना।

[हिन्दी]

मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम

3132. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन वर्षीय मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उक्त पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के लिए राशि

3133. श्री गणेश सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त राशि मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना में शामिल 8 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। परियोजना के शुरूआती चरण में राज्य

में 15 जिलों के 90 विकास प्रखण्डों को शामिल किया गया था। तत्पश्चात् राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर मलेरिया नियंत्रण के लिए सहायता देने हेतु पांच और प्रखण्डों को व्यापक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था।

[अनुवाद]

प्रोत्साहनों को वापस लिया जाना

3134. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से जनसंख्या कितनी फैली है और इन क्षेत्रों को कौन-से वित्तीय और सहायक प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) इन क्षेत्रों में पिछड़ेपन का कारण किस हद तक, केन्द्र सरकार की ओर से ध्यान न दिए जाने को माना जाएगा;

(ङ) सरकार की इस समस्या पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं। योजना आयोग में पिछड़े क्षेत्रों को दिए गए प्रोत्साहनों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, कोई भी क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। तथापि, कुछ स्कीमों के उद्देश्य से, विभिन्न विभाग/मंत्रालयों निधियों, प्रोत्साहनों इत्यादि के आवंटन के लिए अपने-अपने मानदण्ड का प्रयोग करते हैं। योजना आयोग ने राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत "पिछड़े जिले पहल" स्कीम के सीमित उद्देश्य के लिए पिछड़े जिलों की पहचान की है। वर्तमान में कुल 132 जिले जिसमें 100 पिछड़े जिले तथा 32 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले इस स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं। इस स्कीम के तहत पहचान किए गए जिलों को प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रु. की राशि अर्थात् तीन साल के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) किसी क्षेत्र की योजना तथा विकास एवं उद्देश्य के लिए निधियों का आवंटन मुख्यत: राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार इस संबंध में केंद्रीय सहायता के वितरण फार्मूले में तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए वेटेज के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता पहुंचाती है। इसके अलावा, वित्त मंत्री के बजट भाषण 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार, देश के निर्धनतम तथा अति पिछड़े जिलों में सामाजिक तथा वास्तविक अवसंरचना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2005-06 से पिछड़ा राज्य अनुदान निधि संचालित कर दी जाएगी।

कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

3135. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों को लाभप्रदता हेतु उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए इस आधार पर कि बोनस के स्थान पर अपात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि दी जाए के संबंध में केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के भुगतान के बारे में दिनांक 2.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों को उनके वेतन का 20 प्रतिशत अधिक बोनस का भुगतान किया गया और क्या केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि कर्मचारी अपने वेतन के 20 प्रतिशत अधिक बोनस के हकदार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो अपात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार द्वारा सार्वजनिक कोष से खरीदी गई लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं को सरकारी विभागों को बेचने से प्राप्त धनराशि में कोई धोखाधड़ी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अपात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति देने के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है।

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय भण्डार के किसी भी कर्मचारी को उसके वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) अपात्र कर्मचारियों को, संगठन की लाभप्रदता के लिए उनके योगदान की सराहना के रूप में, बोनस के बदले में अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी में विदेशी व्यापार

3136. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों द्वारा कितनी धनराशि का विदेशी व्यापार किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यवार कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार किया गया है; और

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में इस उद्योग की प्रगति में भिन्नता होने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान भारत से कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवाओं का 58000 करोड़ रुपए का निर्यात होने का अनुमान है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अलग-अलग राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास में भिन्नता राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मूलसंरचनात्मक सुविधाओं तथा प्रोत्साहन के स्तर, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता तथा पूंजीनिवेश के समग्र वातावरण पर निर्भर करती है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवाओं का राज्यवार निर्यात एवं प्रतिशत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04 के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवाओं का निर्यात (करोड़ रु.)	कुल निर्यात का प्रतिशत
1	2	3
पश्चिम बंगाल	1600.00	2.759
छत्तीसगढ़	0.78	0.001
उड़ीसा	325.00	0.560
उत्तर प्रदेश	3550.00	6.121
दिल्ली	3500.00	6.034
हरियाणा	5000.00	8.621
मध्य प्रदेश	105.00	0.181
पंजाब	190.00	0.328
चण्डीगढ़	50.00	0.086
राजस्थान	150.00	0.259
हिमाचल प्रदेश	5.00	0.009
उत्तरांचल	1.00	0.002
जम्मू तथा कश्मीर	1.00	0.002
कर्नाटक	19400.00	33.448
तमिलनाडु	8100.00	13.966
आंध्र प्रदेश	5650.00	9.741
केरल	300.00	0.517
पांडिचेरी	25.00	0.043
महाराष्ट्र	9982.00	17.210
गोवा	6.00	0.010
गुजरात	159.22	0.275

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाना

3137. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जिन्हें गांवों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए अनुबंधित किया गया था और वे टेलीफोन कनेक्शन नहीं दे सकीं;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया है;

(ग) सरकार ने ऐसी दोषी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने हेतु क्या स्पष्टीकरण दिया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं:

(1) मै. भारती टेलीनेट लि. (अब भारती इन्फोटेल लि.)

(2) मै. टाटा टेलीसिर्वसिज लि.

(3) मै. टाटा टेलीसर्विसिज (महाराष्ट्र) लि.

(4) मै. रिलायंस इन्फोकाम लि.

(5) मै. श्याम टेलीलिंक लि.

(6) मै. एचएफसीएल इन्फोटेल लि.।

(ग) और (घ) छह निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों, जिन्हें 1997-98 में लाइसेंस दिए गए थे, को अपने संबंधित सेवा क्षेत्रों में एक निर्धारित संख्या में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने थे। एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था की घोषणा के परिणामस्वरूप, छह निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक नवंबर 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था में स्थानांतरित हो गए और इस प्रकार राल आउट दायित्व में निर्धारित संख्या में सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) और वीपीटी का प्रावधान किए जाने के स्थान पर जिला मुख्यालयों की कवरेज शामिल हो गई।

सरकार ने सेवा शुरू करने तथा साथ ही डीईएल और वीपीटी का प्रावधान किए जाने में राल आउट दायित्वों को पूरा न किए जाने के कारण इन छह निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों से 53.75 करोड़ रु. की राशि की परिनिर्धारित नुकसानी वसूल की है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 497/2004]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2002 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 498/2004]

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2003 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 499/2004]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 500/2004]

(3) (एक) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-03 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 501/2004]

(5) (एक) भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 502/2004]

(7) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 503/2004]

(9) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 504/2004]

(11) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 505/2004]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 506/2004]

(15) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 238(अ) जो 25 फरवरी,

2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मई, 2004 की तारीख को उक्त अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न धाराओं के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 507/2004]

(16) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 जो 25 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 508/2004]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 24 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-4/2000-एएण्डएस (वाल-II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 509/2004]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोय, मैं श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 715(अ) जो 22 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय सशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 735(अ) जो 24 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 716(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 736(अ) जो 24 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 717(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 798(अ) जो 5 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 382(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं?

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 510/2004]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 716(अ) जो 22 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 और 87 के उसमें उल्लिखित पुलों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 717(अ) जो 22 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 के उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 759(अ) जो 1 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क के उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 511/2004]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, श्री बालू जी, कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि नोटिस दिया गया है। अगली बार, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री टी.आर. बालू: मुझे अफसोस है, महोदय।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 512/2004]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 513/2004]

(2) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 514/2004]

(3) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 515/2004]

(4) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 516/2004]

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री भिखिलालानन्द सर (बर्दवान): मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) पेय जल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन; और

(2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(1) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी पहला प्रतिवेदन; और

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं विभिन्न स्थायी समितियों के माननीय सभापति और माननीय सदस्यों को उनके द्वारा किए गए अत्यंत बढ़िया कार्य करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

पैंसठवां और छियासठवां प्रतिवेदन

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी 65वां प्रतिवेदन; और

(2) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¼ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

एक सौ पच्चीसवां से एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ पचीसवां प्रतिवेदन;

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन; और

(3) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¼ बजे

परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

अठहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल): महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के संबंध में परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के अठहत्तरवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों का निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (एक) के अनुसरण मैं इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (एक) के अनुसरण मैं इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) कयर बोर्ड

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4(1)(ङ) के अनुसरण मैं इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4(1) (ङ) के अनुसरण मैं इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों, विनियमों और उप नियमों के नियम 15 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों, विनियमों और उप नियमों के नियम 15 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 5(ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अध्यधीन श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 5(ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अध्यधीन श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया के नियमों तथा विनियमों के नियम 3(सात)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए उप-नियमों के अध्यधीन सेन्ट्रल कमेटी आफ द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

'कि टयूबक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया के नियमों तथा विनियमों के नियम 3(सात)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए उप-नियमों के अध्यधीन सेन्ट्रल कमेटी आफ द टयूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अभी तक यह मेरे पास नहीं पहुंचा है। जब यह मेरे पास आ जायेगा तो मैं इस पर गौर करूंगा। अब, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्णास्वामी बोलेंगे।

अपराह्न 12.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर रोक और श्रमजीवी वर्गों पर अन्य प्रतिबंध लगाए जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदूर): महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस पर वह वक्तव्य दें:

''कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर रोक और श्रमजीवी वर्गों पर अन्य प्रतिबंध लगाए जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों के हड़ताल करने से संबंधित अधिकार को दबाने की चेष्टा तथा कामगार वर्गों पर अन्य प्रतिबंध लगाने से पैदा हुई स्थिति और इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सामान्यत: सरकारी कर्मचारियों के मामले में प्रभारी विभाग है। जो कर्मचारी उद्योगों में काम करते हैं वे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा शासित होते हैं। मैं अपनी बात, माननीय सदस्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में उठाए गए सवाल तक ही सीमित रखूंगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अथवा इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में 6 अगस्त, 2003 को यह निर्णय दिया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का न तो कोई मौलिक, सांविधिक अधिकार है और न ही साम्यिक अथवा नैतिक अधिकार।

इस बारे में माननीय सदस्यों को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार, सरकारी कर्मचारियों की वैध चिंताओं और खासतौर से, पूर्णतया कार्यशील एक शिकायत निवारण तंत्र के प्रति सजग है। संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की योजना कई वर्ष से काम कर रही है और इस योजना ने अपनी उपयोगिता सरकार और सरकारी कर्मचारियों—दोनों के ही संदर्भ में साबित की है। इस योजना का उद्देश्य, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का तथा साझा सरोकार के मामलों में नियोक्ता के रूप में सरकार के और सरकारी कर्मचारियों के संघों के बीच अधिकतम सहयोग के साथ ही लोक सेवा की कुशलता में सुधार सुनिश्चित करने का है। इसलिए संयुक्त परामर्शदायी तंत्र, केन्द्रीय सरकार और उसके कर्मचारी संघों/यूनियनों के बीच किन्हीं मतभेदों के समाधान के लिए समय की कसौटी पर परखा हुआ एक मंच उपलब्ध कराता है।

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव सरकार की ओर से प्रस्तावित नहीं है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, श्रमिक आन्दोलन संघर्ष का आन्दोलन है। श्रमिकों के महान बलिदानों और आन्दोलनों से उन्हें बातचीत करने, सामूहिक समझौता करने और हड़ताल करने के अधिकार जैसे सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम अधिकार दिए जाते हैं। इन सब चीजों को एक ही दिन में हासिल नहीं किया गया बल्कि

यह आन्दोलन तीन शताब्दियों गत 18वीं शताब्दी जब से औद्योगिक क्रांति हुई से भी अधिक समय तक चला।

तमिलनाडु सरकार श्रमिकों के बड़ी कठिनाई से अर्जित अधिकारों को एक-एक करके छीनने में कुख्यात हो गई है और वह उनके उत्पीड़न और बर्खास्तगी की सीमा तक पहुंच गई है। हाल में, पिछले वर्ष जैसा कि पूरा राष्ट्र जानता है कि तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अध्यापकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। उन्हें परताड़ित किया गया। लाखों राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। इसलिए, हमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इस सांविधिक अधिकार की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए सुरक्षोपाय किए गये हैं। मेरा सुझाव है कि यह सुरक्षोपाय राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी दिए जाने चाहिए। मनुष्य होने के नाते, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी समान समझा जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। डी.एम.के. पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं सरकार से इस सभा में हड़ताल के अधिकार को सांविधिक अधिकार बनाते हुए विधान पारित करने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से यही आशा करता हूं। मैं इस सरकार से आश्वासन चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हड़ताल के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के बीच व्यापक असंतोष रहा है, इस निर्णय के विरुद्ध पांच करोड़ सरकारी कर्मचारी और सरकारी क्षेत्र के कामगार 24 फरवरी को हड़ताल पर चले गए और उन्होंने केन्द्र सरकार से हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। इसलिए राज्य सरकार के लगभग सात लाख कर्मचारियों और अध्यापकों को तमिलनाडु में हड़ताल पर जाना पड़ा क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों को दी जाने वाले पेंशन संबंधी लाभों में कटौती कर दी थी। जब सभी अवसर बंद हो गए और उनके पास कोई अन्य चारा न था तो उन्हें पड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल सफल रही। हड़ताल को कुचलने के लिए तमिलनाडु सरकार को आवश्यक सेवा बनाए रखने का अधिनियम लागू करना पड़ा।

हजारों कर्मचारी और अध्यापक गिरफ्तार किए गए और सेवा से बर्खास्त किए गए। मामला यह नहीं था कि हड़ताल का अधिकार मौलिक है या नहीं। मामला यह था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा हड़ताल पर गए हजारों राज्य सरकारी कर्मचारियों के बर्खास्त किए जाने का औचित्य है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने उस मामले पर निर्णय नहीं दिया जिसके लिए मामला दायर किया गया था। लेकिन भारत में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की मनमानी कार्रवाई पर टिप्पणी किए बिना यह माना कि हड़ताल का अधिकार न तो सांविधिक है न ही मौलिक, यह न तो साम्यिक है और ना ही नैतिक, भारत के उच्चतम न्यायालय ने पाया कि सभी विवादों का निपटान संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र द्वारा किया जाना चाहिए। मुझे मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़कर आश्चर्य हुआ कि संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र कई वर्षों से कार्य कर रहा है और यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि यह लाभदायक है तो प्रत्येक ऐसे मामले में जब माध्यस्थम या न्यायाधिकरण से कोई पंचाट आता है तो सरकार हमेशा ही इस पंचाट को निरस्त करने के लिए संकल्प क्यों लाती है। इस सभा में ऐसे ही तीन संकल्प लम्बित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 19 में यह उल्लेख है कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति, हथियारों के बिना शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने, संघ बनाने तथा भारतीय भूभाग में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता होगी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। संघ बनाने का अधिकार आन्दोलन या प्रतिरोध से अलग नहीं है। हम संघ बनाने के अधिकार को आन्दोलन या प्रतिरोध करने के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता है। कई देशों में, हड़ताल के अधिकार को कर्मचारियों और कामगारों को 1977 में दिया गया था। ऐसा बनाता है कि कुछ 16 देशों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के अधिकार को स्पष्ट स्वीकृति थी और 1985 तक इस सूची में आठ और देश जोड़ दिए गए। ब्रिटेन में यहां तक कि इजराइल में भी हड़ताल की वैधानिकता को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। इटली में, निजी और सरकारी कर्मचारियों दोनों के ही हड़ताल के अधिकार को मान्यता प्राप्त है। फ्रांस में निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जब विश्व के अन्य देशों में अपने नागरिकों को हड़ताल का अधिकार दिया गया है तो हमारा देश जो कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा लोकतंत्र है में निजी और सरकारी कर्मचारियों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उनको यह संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत सरकार यह क्यों महसूस करती है कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है?

मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक है या नहीं। यदि यह संतोषजनक है तो हमारे देश में कई बार हड़तालें क्यों हुईं? महोदय, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का कैसे निवारण किया जा सकता है। सरकार की

[श्री बसुदेव आचार्य]

परेशानी क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले ऐसा नहीं महसूस किया जाता था। हमारे देश के कामगार श्रेणी का यह ऐसा अनन्य अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। आज भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है और उनका हड़ताल का अधिकार न तो मौलिक है और न ही नैतिक। लेकिन कल भारतीय उच्चतम न्यायालय टिप्पणी कर सकता है कि हमारे देश के कामगारों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा। महोदय, कामगारों के हड़ताल करने के इस अनन्य अधिकार को अब छीना जा रहा है।

अनेक माननीय सदस्य: यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से उन कामगारों के संबंध में जान सकता हूं कि जो 24 फरवरी से केवल इसी मांग पर हड़ताल पर चले गए? पिछले लोक सभा चुनाव में, तमिलनाडु के लोगों ने अपना मत दे दिया। उनका यह मत तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जानबूझ कर की गई कार्रवाई के विरुद्ध है। वे तमिलनाडु सरकार की फासीवादी नीति के विरुद्ध हैं। तमिलनाडु के लोग और भारत के लोगों ने अपनी पूर्व की सरकारों के कामगार-श्रेणी-रोधी, जनविरोधी नीति के खिलाफ और उन्हें बदलने का मत दिया है। पूर्व की जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार देश के कामगार श्रेणी एवं कर्मचारियों के अधिकारों को छीनना चाहती है। अब, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु विधान ला रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि हड़ताल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने हेतु उपयुक्त विधान लाने से सरकार के रास्ते में कौन-सी रुकावट आ रही है? हमारे देश के कर्मचारियों और कामगार श्रेणी के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे टिप्पणी करने की अनुमति दें कि माननीय मंत्री ने खतरा मोल लेने का काम किया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस बारे में था? माननीय मंत्री ने जानबूझकर इससे बचने की कोशिश की है क्योंकि वह कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। प्रमुख प्रश्न सामान्य रूप से कामगारों-हड़ताल के अधिकार के प्रति सरकार के रवैये के बारे में है। न केवल सरकारी कर्मचारियों के बारे में मंत्री इस पर पूरी तरह से चुप रहे हैं।

यहां दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार है और दूसरा, क्या कामगार लोग, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें हड़ताल पर जाने का अधिकार है। महोदय, आप प्रसिद्ध वकील रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यहां, मैं वकील नहीं हूं। मैं यहां शांति बनाए रखने के लिए हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैंने कहा, 'आप थे'। मैंने कभी नहीं कहा, 'आप हैं।' आपने इसे छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी भी हूं। आप कृपया अपनी बात जारी रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है और वह निर्णय तमिलनाडु में हड़ताल के संबंध में था। उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। उसने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। हम भी उसे समझते हैं। लेकिन निर्णय देते समय यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है—उच्चतम न्यायालय के उस विशेष पीठ ने अपनी राय दी है कि देश में कामगारों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है। तालाबंदी या कटौती के बारे में कोई शब्द नहीं कहा गया है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में कोई शब्द नहीं कहा गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की उस विशेष पीठ ने, अपने विवेक से कहा है कि कामगारों को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है।

यही ठोस कारण हैं जिससे लोग उद्वेलित हो गए हैं। इस पर माननीय मंत्री बिल्कुल चुप हैं या कोई अनजान है अथवा टिप्पणी नहीं करना चाहते। यहीं हमने गत भारतीय श्रम सम्मेलन में एक प्रश्न किया था। आपको याद होगा कि गत भारतीय श्रम सम्मेलन में क्रमशः सी.आई.टी.यू. (सीटु) और ए.आई.टी.यू.सी. (एटक) का प्रतिनिधित्व करते हुए डा. पाण्डेय और स्वयं मैंने पूर्व प्रधान मंत्री से पूछा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ऐसा इसलिए कि उस समय माननीय महान्यायवादी ने कहा था कि यह निर्णय भूलवश दिया गया है और इसे नहीं देना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ''भूलवश'' शब्द नहीं था। वे निर्णय से सहमत नहीं हैं। ''भूलवश'' शब्द का उपयोग न करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैंने इसमें संशोधन कर लिया है। हम चाहते थे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और बताएं कि उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। लगातार पूछने के बाद माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि, ''हम भी खुश नहीं हैं।'' तब हमने सुझाव दिया था कि इसका समाधान करने के लिए सरकार को ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करनी चाहिए। बैठक नहीं हुई। सरकार ने बाकी अन्य चीजें की। लेकिन ट्रेड यूनियनों के साथ उस मुद्दे पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था।

इस सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वे निर्णय में विश्वास करते हैं या वे निर्णय से सहमत हैं। क्या वे विश्वास करते हैं कि कामगारों और सामान्य रूप से कामगार लोगों, केवल वही नहीं हैं जो सरकारी सेवा से संबंधित हैं को हड़ताल करने का अधिकार है या नहीं। अब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। सभी इतिहास जानते हैं। हड़ताल मौलिक अधिकार है। हड़ताल मूलभूत अधिकार है, मैं ट्रेड यूनियनों की तरफ से बोल रहा हूं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कामगार लोगों को इस हड़ताल के अधिकार को प्राप्त करने के लिए खून बहाना पड़ा, प्राण न्यौछावर करने पड़े, जेल जाना पड़ा और अपना रोजगार गंवाना पड़ा। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कामगार श्रेणी द्वारा इसे प्राप्त किया गया और भारत में भी। हमें याद है कि बाम्बे कामगार वर्ग आर.आई.एन. विद्रोह के समर्थन में हड़ताल पर चला गया था। पश्चिम बंगाल में, सरकारी कर्मचारी श्री विधान चन्द्र राय के शासन काल में हड़ताल पर चले गए थे। भारत में गोवा के मुक्ति आंदोलन के समर्थन में आम हड़ताल हुई थी। उस समय किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। चूंकि किसी ने तमिलनाडु सरकार के उत्पीड़न और तानाशाही रवैये को चुनौती देने का साहस किया था इसलिए न्यायपालिका ने अचानक ऐसी प्रतिक्रिया दी थी।

कामगारों की तरफ से ऐसा प्रश्न है, क्या आप पूर्ववर्ती सरकार के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं और इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चुप रहना चाहते हैं? या क्या आप यह कहेंगे कि सरकार यह विश्वास करती है कि भारत में कामगारों को हड़ताल पर जाने का अधिकार है? हड़ताल करना मजाक नहीं है। कामगार मौज-मस्ती के लिए हड़ताल पर नहीं जाते हैं। हड़ताल के दौरान कामगारों को त्याग करना पड़ता है। उन्हें अपनी नौकरियां गंवानी पड़ती हैं, उन्हें उनका वेतन नहीं मिलता; वे जेल जाते हैं; यहां तक कि उनकी हत्या हो जाती है। ऐसा कई मौकों पर हुआ है। जमशेदपुर में, पचास के दशक में, 15 कामगारों को मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने जमशेदजी टाटा के उत्पीड़क नीतियों के विरुद्ध हड़ताल करने का साहस किया था। हमने अपने हितों की रक्षा करने के लिए खून बहाया है।

मेरा सरकार से मूल प्रश्न यह है कि क्या आप बराबर चुप रहना चाहते हैं? या क्या आप यह कहेंगे कि कामगारों को अंतिम उपाय के रूप में हड़ताल पर जाने का अधिकार है? मैं ट्रेड यूनियनों की तरफ से कहता हूं कि हड़ताल अंतिम उपाय है। मैं जोर देकर कहता हूं कि देश में श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। कोई श्रम कानून प्रभावी नहीं है। आप हरियाणा या पंजाब चले जाएं। आप यहां तक कि दिल्ली का ही मामला लें। उदाहरणस्वरूप पेप्सी कोला का ही मामला लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं हैं। आप नाम का उल्लेख किए बिना सिर्फ इतना उल्लेख करें कि विभिन्न राज्यों में ऐसा हुआ है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा सिर्फ इतना कहना है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। परामर्शदात्री मशीनरी ध्वस्त हो गई है। श्रम मंत्रालय तो बंधुआ मंत्रालय जैसा ही है। इसके पास कामगारों के हितों की रक्षा करने की कोई स्वतंत्र प्रभावी भूमिका नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की कमी है। इसलिए, कामगारों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित मशीनरी के तथाकथित ध्वस्त होने की पृष्ठभूमि में क्या सरकार इस बात से सहमत है कि कामगारों को अंतिम उपाय के रूप में हड़ताल पर जाने का अधिकार है?

माननीय मंत्री जी, यदि आप लोगों की दयनीय दशा के बारे में सोचते हैं तो आप कामगारों की दयनीय दशा के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं?

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी क्षेत्र के कामगारों को भी उनकी वेतन नहीं मिलता है। इस देश के राष्ट्रपति कारखानों का स्वामी है। इस सरकार, इससे पूर्व की सरकार द्वारा 2000 करोड़ रु. की धनराशि की अदायगी नहीं की गई। उन्होंने अपने कामगारों को भी वेतन नहीं दिया। आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। दुःखग्रस्त होकर हुई मौतों के मामले भी सामने आए हैं। सरकार ने धनराशि की अदायगी नहीं की है। इस दयनीय दशा का निवारण करने की प्रणाली कहां है? कृपया मुझे बताएं ...*(व्यवधान)* कामगारों को उनका वेतन नहीं मिला है। दयनीय दशा का निवारण करने वाली प्रणाली किसलिए है? इसलिए, सरकार से मेरा विशेष प्रश्न यह है। वर्तमान सरकार नये जनादेश के साथ आई है ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी, आप नये जनादेश के साथ आए हैं। इसलिए, नये जनादेश के अनुरूप कृपया मुझे यह बताएं क्या आप हड़ताल को उचित और कामगारों का अन्तिम आश्रय मानते हैं।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए किसी कानून को बनाने का निर्णय लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध है अपितु भारतवासियों के लोकतान्त्रिक अधिकारों के भी विरुद्ध है। यह भारत की लोकतांत्रिक पद्धति के लिए एक बड़ा खतरा है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि "कर्मचारियों की आशंकाओं के अनुरूप यदि कुछ सीमा तक अन्याय भी होता

[श्री के. सुब्बारायण]

है तो उन्हें इसके निवारण के लिए लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में कानून का सहारा लेना चाहिए।" भारत में कानूनी सहायता का क्या अर्थ है? इस कानूनी सहायता की लागत कितनी है? न्याय पाना इतना आसान नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इन सभी चीजों से परिचित हैं। कृपया अपना प्रश्न करें।

श्री के. सुब्बारायण: इसमें काफी समय लग जाता है। एक निर्णय पाने में वर्षों लग जाते हैं। निलम्बित कामगारों की बेरोजगारी का मामला श्रम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक 25 वर्षों में पहुंचता है। कल्याणकारी राज्य में, निवारण तत्काल होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न करें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं थोड़ा उदार हूं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप इसका दुरुपयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री के. सुब्बारायण: दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में हड़ताल के अधिकार का प्रावधान है। यह कामगार वर्ग का लोकतांत्रिक हथियार है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार कामगारों का अधिकार, उनके हड़ताल के अधिकार को बनाये रखने के लिए संविधान में इसी के अनुरूप संशोधन करेगी?

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्णत: असंतुष्ट हूं। प्रश्न कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित है। मेरे साथी श्री दासगुप्त ने कहा है कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया है। वास्तव में उन्होंने गोल-मोल उत्तर दिया है। उन्होंने कहा:-"केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और पर्याप्त तरीके उपलब्ध हैं.....जे.सी.एम. मतभेदों के समाधान के लिए समय की कसौटी पर खरा उतरा एक मंच है।"

इसका यह अर्थ हुआ कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं और उन्हें हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार के विरुद्ध है।

जब प्रश्न सामान्यत रूप से कर्मचारियों से सम्बन्धित हो तो वह राज्य सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र से सम्बन्धित बहुसंख्यक कर्मचारियों को पूर्णत: नजरअंदाज करके केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बारे में कैसे उत्तर दे सकते हैं? यह सम्पूर्ण स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि हड़ताल न तो मौलिक न कानूनी और न ही नैतिक अधिकार है। मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। संविधान को शब्दश: और इसकी मूलभावना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मैं सहमत हूं कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि यूनियन और एसोसियेशन बनाने का अधिकार है और इसमें हड़ताल करने के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु यूनियन का अर्थ क्या है? यूनियनों का कार्य कामगारों के सामाजिक-आर्थिक हितों की सुरक्षा करना है। यूनियन बनाना और अधिकारों के लिए सौदेबाजी एक-दूसरे के पर्याय है। जब आप सौदेबाजी के लिए सहमत हो जाते हैं, तो हड़ताल के लिए भी सहमत होते हैं जो कि सौदेबाजी का समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया है।

सम्पूर्ण संसार में हड़ताल लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। इस प्रकार, यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार और सौदेबाजी करने का अधिकार एक-दूसरे के पर्याय हैं। इसके बजाय, संविधान की व्याख्या शब्दश: की गई है न कि मूल भावना के अनुरूप। इसलिए, सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है? क्या वे संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ेंगे कि कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार होगा?

यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दौरान प्रसार माध्यम और सभी यह कह रहे थे कि हड़ताल सबसे अधिक दुरूपयोग किये जाने वाला हथियार है, कामगार नागरिकों की समस्याओं और ऐसी अन्य चीजों के प्रति असंवेदनशील हैं। और तो और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि 'हड़ताल' एक गन्दा शब्द है और कामगारों का दृष्टिकोण स्वकेन्द्रित होता है। इसका कारण यह है कि भारत में अब कामगार वर्ग और शासक वर्ग के रूप में एक बड़ा वर्ग-भेद हो गया है।

महोदय, मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। एक ऐसे दल से सम्बन्धित होने के कारण जो सामाजिक न्याय का बीड़ा उठाता है, मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है कि कई वर्षों पहले भारत में मनु धर्म के अनुसार कामगारों का जन्म भगवान के पैरों से और शासकों का जन्म भगवान के माथे से हुआ है। इस प्रकार मुझे आश्चर्य होता है क्या हमारे बीच मतभेद इतना गहरा है कि हम शासकों को कामगारों की व्यथा को भी नहीं समझा सकते हैं। इसलिए, मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह कामगारों की व्यथा को समझे और यह निर्णय करें क्या कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नियमों के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में

केवल पांच सदस्य ही भाग ले सकते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं जानता हूं कि सभा के सभी दल सरकार का दृष्टिकोण जानने के लिए चिंतित हैं। मेरे पास कुछ अनुरोध आए हैं। मेरे विचार में मैं सभी को सम्मिलित नहीं कर सकता हूं किन्तु मुद्दे की महत्ता पर विचार करते हुए मैं कुछ सदस्यों को समय दूंगा। अब, प्रमुख प्रतिपक्ष की ओर से किसी भी माननीय सदस्य को नहीं बोलना है क्योंकि उनकी ओर से कोई भी नाम नहीं आया है। इसलिए, एक विशेष मामले के रूप में—कृपया भविष्य में इसे पूर्वोदाहरण के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाए—मैं कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का समय देता हूं। अब, मैं श्री संतोष गंगवार को वक्तव्य देने का समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने अपना नाम दिया है लेकिन आपने अपना नाम नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अब आप फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: कालिंग अटैंशन में ऐसा होता नहीं है इसलिए मैंने नाम नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गीते जी, मैं कुछ माननीय सदस्यों को सवाल पूछने का चांस देने की कोशिश कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप मुझे भी चांस दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें भी बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गंगवार, कृपया केवल अपने प्रश्न पूछे। यदि आप केवल प्रश्न पूछते हैं तो मैं कुछ अन्य माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का समय दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: श्री गुरूदास गुप्ता जी ने जो कहा, उसके साथ मैं अपने आपको जोड़ते हुए कहूंगा कि हड़ताल अन्तिम हथियार नहीं है और हम सब यह जानते हैं। राइट टू स्ट्राइक होना चाहिए। श्री गोलवालकर जी ने जो कहा, उसे मैं यहां कोट करना चाहूंगा:

[अनुवाद]

"हड़ताल के अधिकार का अर्थ कार्य न करने का अधिकार नहीं है तथा कार्य करने के अधिकार का अर्थ हड़ताल न करने का अधिकार नहीं है।"

आई एल ओ सम्मेलन में हड़ताल करने के अधिकार के प्रश्न को स्वीकार किया गया था।

[हिन्दी]

हम यह चाहते हैं कि आई एल ओ कन्वेंशन में जो हुआ है पार्लियामेंट उसे रेटीफाई करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब वे हड़ताल के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें व्यवधान मत डालिए।

श्री संतोष गंगवार: केन्द्रीय सिविल सेवा आचार नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अत: केन्द्रीय सिविल सेवा आचार संहिता में 'हड़ताल का अधिकार' का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

यह गवर्नमैंट इम्प्लाइज के लिए है। अगर हम इसे सही ढंग से एप्लाई करते हैं, मेरा आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब हम इस पर चर्चा करके कोई फैसला लें। जैसा माननीय मंत्री जी का बयान है, जैसा भी कहा गया है, वह केवल एक सफाई मात्र है। इसके ऊपर कर्मचारी उद्वेलित हैं क्योंकि मैं कुछ दिन इस मंत्रालय में रहा हूं। हर स्तर पर कर्मचारी इस बात का पक्षधर है कि इस प्रकार की तलवार नहीं लटकनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस पर विस्तृत चर्चा करके एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाये क्योंकि वह बाकी कर्मचारियों पर भी प्रभावित होगा, ऐसा मैं समझता हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा करके एक सही फैसला लिया जाये जो वास्तव में उनके हित में रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सांताश्री चटर्जी बोलेंगे। श्री चटर्जी कृपया केवल प्रश्न करें। लंबा भाषण मत दें। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ प्रश्न करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही स्पष्ट तथा संक्षिप्त प्रश्न करूंगा।

महोदय, एक प्रख्यात न्यायविद् के रूप में, मैं एक लंबे समय से संसद में हूं, आप जानते ही होंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में तमिलनाडु का कर्मचारी वर्ग लगातार हड़ताल पर था तथा नियोक्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने हड़ताली नेताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

वह स्वतंत्रता संघर्ष का युग था, परन्तु स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद यह चिंता का विषय है कि कर्मचारी वर्ग को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा।

एक आई एल ओ सम्मेलन है तथा भारत उसका भाग है। आई एल ओ सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय आई एल ओ सम्मेलन के कर्मचारी वर्ग के हड़ताल करने के अधिकार अथवा संबद्ध होने के अधिकार अथवा मौलिक अधिकारों से सहमत हैं। क्या यू पी ए सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का पालन करेगी, क्या यह देश के कर्मचारी वर्ग के हितों की रक्षा करेगी?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर रोक लगाने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि श्रमिक संगठन कर्मचारी मजबूर होकर हड़ताल पर जाते हैं। उनका आखिरी शस्त्र हड़ताल होता है। जैसे अभी मंत्री जी ने कहा, उन्होंने अपने वक्तव्य में केवल केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए उल्लेख किया है जबकि कामगार संगठन में ज्यादातर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो जन्म से ही संघर्ष करते आए हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। जब राज्य या केन्द्र सरकार का रवैया अड़ियल होता है तभी श्रमिक संगठन मजबूर होकर हड़ताल पर जाते हैं। अगर समय-समय पर सरकार उनके हितों की रक्षा करे तो कर्मचारी हड़ताल के लिए मजबूर न हों।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस सदन में श्रमिक संगठन के हितों की रक्षा के लिए, उनके मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था करें ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके और उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार मिल सके।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारी संघ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय या जितनी भी संबंधित आर्गनाईजेशन्स हैं, उनकी मजदूरों के लिए जो भावना है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन साथ ही मैं सदन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि बहुत सी सरकारी संस्थाएं जैसे मेडिकल, आवश्यक हैं। उनमें भी स्ट्राइक हो जाती है। अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, अगर आल इंडिया इंस्टीट्यूट या हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े अस्पतालों में कर्मचारी केवल इसलिए स्ट्राइक करें कि उनको काम नहीं करना है, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर उनका उत्पीड़न हो रहा हो तब वे स्ट्राइक करें। आजकल देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल का एक यह उद्देश्य होता है कि वे काम करने से बचना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न करें। यह पूरी तरह एक विशेषाधिकार है जो कि स्पष्टीकरण लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों को दे रहा हूं। इसलिए, कृपया कोई भाषण न दें। बहुत से सदस्यों ने नोटिस दिए हैं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आवश्यक सेवाओं में स्ट्राइक पर कुछ प्रतिबंध लगाकर यह करना चाहिए कि वे विदिन वन, टू और थ्री मन्थ्स एक्रास दी टेबल बात करें। अगर तब भी संभव न हो तो उसके बाद स्ट्राइक पर जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह पूछिए कि क्या सरकार ऐसी स्थिति पर विचार करेगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, वह क्या कह रहे हैं?

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: आप मुझे बोलने दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो वह कह रहे हैं, आप उससे बंधे नहीं हैं। कोई भी किसी दूसरे की टिप्पणी से बंधा नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: मैं एक मिनट लूंगा।

मेरी मथुरा कौन्सटीटूऐंसी में एक रिफाइनरी है। वहां के कर्मचारी हिन्दुस्तान के हाइएस्ट पेड कर्मचारी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: आयल कम्पनी के कर्मचारी जब अनैसेसरी स्ट्राइक पर जाते हैं तब पेट्रोलियम उत्पादन कम होता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह की जो हड़तालें होती हैं, उनको रोकने के लिए पहले उनसे बात करके फिर उसकी इजाजत देनी चाहिए। जैसे रेलवे है या अन्य विभाग हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप जब चाहें हड़ताल कर दें और काम बंद कर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गीते।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मैंने श्री अनंत गीते का नाम लिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। आपको जो कहना था, कह दिया। वह उसका जवाब देंगे।

श्री अनंत गीते, कृपया प्रश्न करें, केवल प्रश्न। मुझसे सहयोग करें। बहुत से माननीय सदस्यों ने नोटिस दे दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मैं सीधा सवाल करूंगा। सरकारी कर्मचारी हों या गैर-सरकारी कर्मचारी हों, सभी को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सभी को उनके प्रति सहानुभूति है। राइट टू स्ट्राइक को लेकर आज सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हो रही है। इसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है। मैं गुरूदास दासगुप्त जी की बात से सहमत हूं कि हड़ताल का हथियार आखिरी हथियार है। मजबूरन वर्कर्स को हड़ताल पर जाना पड़ता है। कोई शौक के लिए हड़ताल नहीं करता। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, उसका हम आदर करते हैं। संसद सर्वोच्च है। इस देश के करोड़ों वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए सदन में इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय में सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाना चाहती है? इस प्रकार की बैठक होनी चाहिए। इस सदन में कई ऐसे उदाहरण हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, सदन ने उस निर्णय पर विचार करके उसके खिलाफ अपना मत दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के निर्णय के बारे में उसकी क्या राय है और वह इसके लिए क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। आप लंबी बात न कह कर केवल प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बृजकिशोर त्रिपाठी, अन्य सदस्यों ने नोटिस दिया है परन्तु आपने कोई नोटिस नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): राइट टू स्ट्राइक भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है। इसलिए कामगारों को, श्रमिक संगठन को यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट इस पर आया है, इससे यह अधिकार इनसे छिन जाता है। ठीक है उनको फैसला देने का यह अधिकार है, लेकिन सरकार का इस पर क्या रुख है? केन्द्र सरकार को इस पर अपनी स्पष्ट राय देनी चाहिए। प्रजातांत्रिक पद्धति में संसद सर्वोच्च है। इसलिए जब इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो रही है तो सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और सकारात्मक संकेत देना चाहिए कि कामगारों को हड़ताल का अधिकार है, उसको रिस्टोर किया जाएगा। इसके लिए अगर कोई लेजिस्लेशन लाना हो या संविधान में संशोधन करना हो, तो विधि मंत्रालय की राय लेकर वह करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन।

मैं किसी को भी प्रश्न के अतिरिक्त कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसे खुली बहस नहीं बनाना चाहता। नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। कृपया केवल एक प्रश्न करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): अध्यक्ष महोदय, हम सभ्य समाज के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। उच्चतम न्यायालय का आदेश, सभ्य समाज के मुंह पर निसंदेह एक काला धब्बा है। हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल हैं। हमें पालन करना होगा अथवा उस समझौते में दिए गए निर्देशों अथवा प्रावधानों का पालन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न करें। आपने जो कहा वो सभी सदस्यों ने पहले कहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया हस्तक्षेप न करें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। सरकार के सामने दो विकल्प हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या करूं? यह आपका दुर्भाग्य है कि आपने अपना नाम सूचीबद्ध नहीं कराया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं माननीय मंत्री महोदय से दो पहलुओं के बारे में एक संबंधित प्रश्न करना चाहता हूं।

एक यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने एक विशेष अनुमति याचिका का प्रावधान है क्योंकि उच्चतम न्यायालय से केवल इस बारे में राय मांगी गई थी। मामला बिल्कुल अलग था। उनके समक्ष प्रश्न यह रखा गया था कि तमिलनाडु का अध्यादेश वैध था अथवा अवैध। इस मामले से निपटते हुए उन्होंने केवल एक टिप्पणी की थी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कहा कि यह इतरोक्ति है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने का पूरा अवसर है। विकल्प के तौर पर सरकार इस सदन में एक विधेयक ला सकती है, जिससे कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार मिल सके।

इसके अलावा यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रावधान है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान में कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार है, यदि उसे अवैध घोषित नहीं किया गया है। एकमात्र शर्त यह है कि 24 घंटे का नोटिस देना अनिवार्य है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह अधिकार के तौर पर कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार देंगे। यह मेरा सीधा प्रश्न है। सरकार के सामने दो विकल्प हैं। सरकार या तो एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकती है या सांविधिक विधेयक ला सकती है।

अध्यक्ष महोदय: आपने एक प्रश्न पूछने में पांच मिनट लगाए हैं न कि केवल एक मिनट।

श्री रामदास आठवले, कृपया अपना प्रश्न करें। यदि वह प्रश्न न हुआ तो मैं कार्यवाही-वृत्तांत में उसे शामिल नहीं करूंगा। कृपया कोई भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट आने से पहले इम्पलाइज और वर्किंग क्लास को स्ट्राइक करने का अधिकार था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट के बाद वह अधिकार उनसे छीन लिया। लोकतंत्र में यह अच्छी बात नहीं है। भारतीय लोकतंत्र बेहतरीन लोकतंत्र है। वर्किंग क्लास के इम्पलाइज को स्ट्राइक करने का अधिकार देने के बारे में संविधान में संशोधन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो तमिलनाडु में जो कुछ हुआ और जयललिता ने इम्पलाइज के साथ जो अन्याय किया जिसके कारण एक भी सीट हासिल नहीं हुई, उसे देखते हुए आप इस बात पर विचार करें। आज वर्किंग क्लास आपके साथ है। वर्किंग क्लास को सपोर्ट करने का निर्णय सरकार को लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकारी कर्मचारियों के लिए इस उपबंध का समर्थन कर रहे हैं। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम में पहले ही विद्यमान है। इस अधिकार को समाप्त करने की आशंका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है या इस टिप्पणी के कारण पुनरीक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री रघुनाथ झा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. बीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका। मैंने आपके दल के एक सदस्य को भी अनुमति दी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मैं माननीय सदस्यों के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको भी मेरे साथ सहयोग करना चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध है मैं आपको अनुमति दे रहा हूं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब श्री रघुनाथ झा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैं बुनियादी प्रश्न की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आखिर संसद की सुप्रीमेसी है या नहीं? आज जुडिशियरी का हर मामले में इंटरवैंशन हो रहा है। यहां तक कि पालिटिकल पार्टीज को भी बंद करने का अधिकार नहीं है। उसने उस पर रोक लगा दी है। हम आपसे स्पष्ट तौर पर जानना चाहेंगे कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं, क्या वे हमें प्राप्त होंगे या नहीं? उसने केवल सरकारी इम्पलाइज और दूसरे इम्पलाइज द्वारा हड़ताल करने पर ही नहीं बल्कि पालिटिकल पार्टीज द्वारा करवाए जाने वाले बंद के अधिकार पर भी रोक लगा दी है। इसके बारे में क्या सरकार म्यूटवल लैजिस्लेशन लाना चाहती है या नहीं? कहीं सरकार की यह हालत न हो-"देवी, दूबर और बकरा मोठ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राजनीतिक दल कर्मकार नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सरकार के पास पावर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें कर्मकारों की हड़ताल की चिंता है। आपने प्रभावी ढंग से अपनी बात कही है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: आप सुप्रीमेसी को बहाल करें। आज हर बात में जूडिशियरी इंटरवीन कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राजनीतिक दल के सदस्य अपने नेताओं के कर्मकार हैं।

अब, श्री तरित बरण तोपदार। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या इरादा है ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, सरकार का जो डिसीजन है, वह मालूम होना चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी, मिनिस्टर साहब का जवाब सुनने के लिये पेशेंस रखिये।

श्री तरित बरण तोपदार: मंत्री महोदय, देश को जानकारी देने के लिए कष्ट करें कि उनका इरादा क्या है जो स्ट्राइक करने का अधिकार दिया गया है और उसके अर्जन के लिये स्ट्रगल किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह किसी अनुकम्पा के आधार 'पर नहीं है यह न्यायालय के आदेश और टिप्पणियों के कारण किया गया है। कई बार न्यायालय आदेश देते हैं और जहां उनका निर्णय लागू नहीं होता वहां आदेश देने के लिए वे अपनी टिप्पणी के रूप में उसकी विस्तृत व्याख्या भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं आप सही नहीं हैं। हां, सर्वोच्च न्यायालय की इतर उक्तियां बाध्यकारी होती हैं चाहे वे इसमें परिवर्तन करें या न करें।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में निर्णय देने के अनुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के संबंध में भी टिप्पणी की है। जो कि इतरोक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। मैं विनम्रता से कहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है।

श्री सुरेश पचौरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा के विषय के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मैं इनके द्वारा कर्मकारों के कल्याणार्थ उठाए गए कुछ मुद्दों को जानकर भी खुश हूं।

[श्री सुरेश पचौरी]

मैं दूसरे मुद्दे उठाने से पहले यह बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि अधिकतर सदस्य कर्मकारों के कल्याण के संबंध में सरकार की राय जानने के उत्सुक हैं जहां तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का संबंध है मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है? मैं यहां पर इसका उल्लेख करना चाहता हूं:

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सभी कर्मकारों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए जो हमारे कार्यबल का 93 प्रतिशत है, का कल्याण और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। ऐसे कर्मकारों जैसे बुनकरों, हथकरघा कर्मकारों, मछुआरों, मछुआरिनों, ताड़ी निकालने वाले, चमड़ा कर्मकारों इत्यादि के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।"

अब मैं दूसरे मुद्दों पर आऊंगा।

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ऑटोमैटिक हायर और फायर के विचार को अस्वीकार कर दिया है। जिससे यह पता चलता है कि श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है लेकिन ऐसे परिवर्तनों से कर्मकारों और उनके परिवार के हितों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए और इन्हें मजदूर संघों के परामर्श से ही लागू किया जाना चाहिए।"

जहां तक कर्मकारों के हितों का संबंध है सरकार की यही राय है।

जहां तक कर्मचारियों का संबंध है इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला औद्योगिक कर्मकार। दूसरा सरकारी कर्मचारी और तीसरा औद्योगिक कर्मकार जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। जहां तक औद्योगिक कर्मकारों का संबंध है वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से शासित होते हैं। उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 की उपधारा (ञ) में परिभाषित किया गया है जिसमें उद्योग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

जहां तक हड़ताल की परिभाषा का संबंध है औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य के लिए हड़ताल को धारा 2 की उपधारा (छ) में परिभाषित किया गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और इस पर माननीय सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन जहां तक हड़ताल के संबंध में कर्मकारों के अधिकारों का प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक कर्मकारों को हक है और उन्हें सामूहिक सौदेबाजी के एक हिस्से के रूप में हड़ताल पर जाने का अधिकार है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री सांताश्री चटर्जी: क्या आप इस अधिकार को बरकरार रखना चाहते हैं?

श्री सुरेश पचौरी: पहले मुझे समाप्त करने दें। इसके पश्चात् भी यदि कोई मुद्दा बचा रहता है, तो आप इसे उठा सकते हैं और मैं इसका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री के भाषण में व्यवधान न डालें।

श्री सुरेश पचौरी: जहां तक अन्य कर्मकारों का संबंध है अगले वर्ग में सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं में नियोजित औद्योगिक कर्मकार आते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 की उपधारा (ढ) में परिभाषित किया गया है। इसमें अन्य सेवाओं के साथ-साथ रेलवे सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी शामिल किया गया है जिसके बारे में माननीय सदस्य कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने उल्लेख किया है। लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं में नियोजित कर्मकारों की हड़ताल पर स्पष्ट रूप से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं" शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं।

एक प्रतिबंध यह है कि कोई कर्मचारी ऐसा नोटिस देने के 15 दिन के भीतर हड़ताल पर नहीं जा सकता और ऐसा नोटिस 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले कर्मकार हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। वे 14 दिन पहले नोटिस देकर हड़ताल पर जा सकते हैं।

अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं जो मेरे मंत्रालय से संबंधित है। जिन दो मुद्दों पर मैं आपकी अनुमति से पहले बोल चुका हूं वह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। आप भली-भांति जानते हैं कि वे श्रम मंत्रालय से संबंधित हैं, लेकिन मैंने सोचा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देना उचित होगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: यही तो दुर्भाग्य है इस सरकार का कि जिसका विभाग होता है, उसका मंत्री ही यहां नहीं होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब यह बोल रहे हैं, तो यह भारत सरकार के मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी: सरकारी कर्मचारियों के बारे में जहां तक सरकार के रुख की बात है वे आचरण नियमों तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए अन्य नियमों द्वारा शासित होते हैं। आचरण नियमों का नियम 7 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने का निषेध करता है। आचरण नियमों के उद्देश्यों हेतु किसी हड़ताल से नियम 207 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय द्वारा निपटा जाता है।

अब, कर्मचारियों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए इसके बारे में सवाल उठाया जा सकता है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक सरकारी कर्मचारियों के हितों और अधिकारों का सवाल है, ये सरकारी कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 14, 311 और 16 के अन्तर्गत संरक्षित हैं। यदि सरकारी कर्मचारी को सेवा शर्तों के बारे में कोई शिकायत हो तो उसके पास न केवल सांविधानिक अधिकार हैं बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत सांविधानिक उपचार भी उपलब्ध हैं। सरकारी कर्मचारी अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। उसके बाद भी सरकारी कर्मचारी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के हित में एक और प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जैसे प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र विद्यमान हैं। यह पूछा जा सकता है कि यदि फिर भी सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं हो तो अगला मंच कौन सा है? मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए अलग मंच है, वह माध्यस्थम के रूप में है। कर्मचारियों की ओर से मांग है कि किसी भी समझौते को माध्यस्थम बोर्ड को नहीं भेजा जा सकता है। एक माननीय सदस्य ने माध्यस्थम के परिणाम के बारे में पूछा है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 240 पंचाटों में से केवल 5 पंचाटों को संसद द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति है। यह मंच सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ खुला हुआ है।

अब मैं दूसरी बात पर आना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का जिक्र किया था। कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का हवाला दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन सं. 87 और 98 का संबंध संघों की स्वतंत्रता और संगठित तथा सामूहिक प्रयास हेतु कामगारों के अधिकारों की रक्षा से है। किन्तु हड़ताल करने के अधिकार के बारे में कोई पृथक कन्वेंशन नहीं है। सरकार ने कन्वेंशन सं. 87 और 98 का भी अनुसमर्थन नहीं किया है। हम प्रतिभागी थे किन्तु सरकार ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्वेंशन में जो कोई निर्णय लिया गया हमें उस निर्णय का संज्ञान नहीं लेना चाहिए।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस कन्वेंशन में जो भी निर्णय लिया गया, हम देखना चाहेंगे कि जो कुछ हमारे नियमों के अनुसार संभव हो *...(व्यवधान)* मुझे बात पूरी करने दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने बिना व्यवधान डाले सबकी बात सुनी है। कृपया इनके प्रति शिष्टाचार बरतें।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी: यदि कोई बात रह गई है तो उन बातों का उत्तर देने के लिए मैं यहां हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। जब यह समाप्त करेंगे, तब मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, जैसा कि मैंने कहा, हमने इस संकल्प पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य के रूप में इस संकल्प की भावना का अनुसरण करना हमारे देश पर बाध्यकारी है। अत: जहां तक संभव हो हम इस संकल्प का अनुसरण करेंगे। इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संकल्प की भावना के अनुसार भारत कामगारों को सामूहिक सौदेबाजी का एक विकल्प उपलब्ध कराता है और मैं ऐसा आश्वासन दे सकता हूं।

यह कहा गया है कि मैंने कुछ बातों को शामिल नहीं किया है। मैंने कामगारों–सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक कामगार और अनुसूची (1) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कामगारों से संबंधित सभी बातों को शामिल करने का प्रयास किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इन सबकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में की गयी टिप्पणियों से जो शंका उभरी है उसके मद्देनजर वे विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं की बैठक बुलाना चाहेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे?

श्री गुरूदास दासगुप्त: श्रमिक संघ भी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और यदि संभव हो तो श्रमिक संघ भी। मेरे विचार से आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मुझे खुशी है कि आपने इस बारे में पूछा। वस्तुत: अपनी बात समाप्त करने से पहले मुझे इसे भी शामिल करना चाहिए था। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले कि यह निर्णय कैसे लिया गया इसका उल्लेख करना चाहूंगा। टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में 6 अगस्त, 2003 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल के बारे में कुछ मत व्यक्त किया है। मैं यहां उसका उल्लेख करना चाहूंगा। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि क्या सरकार इसकी समीक्षा करवाएगी अथवा नहीं। मेरा उत्तर है 'हां' यह समीक्षाधीन है।

मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि जब यह फैसला समीक्षाधीन हो तब यहां उल्लेख किया जाए कि हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। किन्तु जहां तक हमारी भावना का प्रश्न है, मैंने जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को उद्धृत कर रहा था तब इसका उल्लेख किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: राजनीतिक दल और श्रमिक संघ।

श्री सुरेश पचौरी: श्री गुरूदास दासगुप्त, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मैंने सं.प्र.ग. सरकार की प्रतिबद्धता को पढ़ा था। यह उसमें सुस्पष्ट है। मेरे विचार से मुझे इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक राजनीतिक दलों को शामिल करने का सवाल है हम इसके लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इसकी भावना को स्वीकार करते हैं।

सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.13 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर तेरह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[*श्रीमती सुमित्रा महाजन* पीठासीन हुई]

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदया, कल हमने सदन में सावरकर जी के अपमान के संदर्भ में मुद्दा उठाया था कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने सावरकर जी, स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है, तब सदन के नेता ने सदन में कहा कि हम इस संदर्भ में सरकार की तरफ से वक्तव्य देंगे। आज सुबह 11 बजे जब सदन गठित हुआ तब भी हमने इस मामले को उठाया था। तब चेयर से स्पीकर महोदय ने कहा कि सरकार वक्तव्य देने वाली है, लेकिन यहां सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है। सरकार भी सावरकर जी का जान-बूझ कर यहां अपमान कर रही है। सरकार की ओर से यहां बार-बार अपमान हो रहा है।

सभापति महोदय, राज्य सभा में जब यह मामला उठा था तो वहां यह जवाब दिया गया कि हमें यह पता नहीं है कि सावरकर जी के वचनों को हटाया है या नहीं। ...*(व्यवधान)* लेकिन महात्मा गांधी जी के वचन वहां लिखे थे। ...*(व्यवधान)* महोदया, इस तरह बार-बार उनका अपमान किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: गीते जी, सरकार ने कहा है तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदया, श्री मणिशंकर अय्यर भारत सरकार के मंत्री हैं और वे दिल्ली में हैं, उन्हें यहां स्टेटमेंट देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदया, सदन के नेता ने स्टेटमेंट देने की बात कही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: गीते जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं, आप उनकी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, कृपया मुझे कुछ

समय दीजिए। मैं इस मुद्दे पर सदन में बाद में बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, इस सरकार द्वारा सावरकर जी के बारे में इस प्रकार से नहीं हो सकता। यह कोई तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)* इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी का अपमान हुआ है। यहां पर सदन के नेता को आकर स्टेटमैंट देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अब सरकार की ओर से कहा जाता है कि बात करके बताया जायेगा। यह जान-बूझकर किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है और यहां सावरकर जी का अपमान किया जा रहा है। जान-बूझकर सरकार के एक मंत्री द्वारा उनको अपमानित कर रहे हैं और सदन में स्टेटमैंट नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जब वे बोल रहे हैं तो उन्हें समय देना चाहिए। आप सुनिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, यह मामला कल से उठा हुआ है, राज्य सभा का सदन एडजर्न हो गया। इसके बारे में यहां पर सदन में वक्तव्य नहीं दिया, सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: मैं अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूं? ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं सदन में बाद में बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: ऐसा नहीं होगा, आप सुनिये। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: मुझे देखने दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, मणिशंकर अय्यर यहां मंत्री हैं, उन्होंने वीर सावरकर जी का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप लोग भी एक बात समझिये कि जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने यह बात कही है,

[अनुवाद]

कि वे कुछ जानकारी के साथ वापस आएंगे।

[हिन्दी]

तो आपको उसके लिए समय देना चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: एक मंत्री के खिलाफ हम यहां पर कल से बात उठा रहे हैं। मंत्री से जानकारी लेने में सरकार को कितना समय लगता है? ...*(व्यवधान)* वीर सावरकर जी का अपमान हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे देश की जनता आज इसके लिए क्रोधित हो चुकी है। सावरकर जी, जिनकी बदौलत आज हम यहां पर इस सदन में बैठे हुए हैं, ये जो मंत्री यहां बैठे हैं, ये उनकी बदौलत यहां पर बैठे हैं। ...*(व्यवधान)* हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान मंत्री करें और सरकार खामोश रहे, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। वहां सदन के नेता ने सदन में वक्तव्य दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: नहीं, इतना समय तो आपको देना पड़ेगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अभी तक उनकी स्टेटमेंट यहां पर नहीं आ रहा है। कल से हम यहां पर मांग कर रहे हैं। यहां सदन में जब तक स्टेटमेंट नहीं होगा या श्री मणिशंकर अय्यर यहां पर माफी नहीं मांगेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह सावरकर जी का अपमान है, यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। सरकार की ओर से अपमान हो रहा है और सरकार उस पर बयान भी नहीं करने जा रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बार-बार नहीं कहें। इतना समय तो आपको देना पड़ेगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सावरकर जी के अपमान के संदर्भ में सरकार को यहां पर बयान तुरन्त देना चाहिए, लेकिन सरकार भी उनका अपमान करना चाहती है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजादी दिलाई है, उनकी बदौलत ही आज सजन में हम यहां पर स्वतंत्र हिन्दुस्तान में बैठे हैं और सरकार की ओर से बार-बार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आपको समय देना होगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, यहां पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

अपराह्न 2.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आज, हमारे पास नियम 193 के अधीन चर्चा हेतु दो मामले हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा-पटल पर रखे हुए माना जाए।

(एक) तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इरोड जिले में अमरावती नदी तट से बालू हटाए जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मेरे पलानी निर्वाचन क्षेत्र में इरोड जिले के अंतर्गत आने वाले वेल्लाकोइल, मुलानूर और दारापुरम संघों को अमरावती नदी द्वारा जलापूर्ति की जाती है। अमरावती नदी में 30 छोटी और बड़ी समेकित पेयजल योजनाएं हैं। अमरावती नदी से हजारों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती है।

हाल ही में ठेकेदारों द्वारा नदी तल से भारी मात्रा में रेत निकाला जा रहा है। वास्तव में, चेन्नई उच्च न्यायालय ने नदी तलों से रेत निकालने के मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की थी और इसलिए एक समिति बनाई गई थी। समिति की सिफारिश के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने पी.डब्ल्यू.डी. से रेत की खुदाई कराकर उसे दूसरों को बेचने का निर्णय लिया। रेत की खुदाई के लिए कतिपय मानदंड, विशेष रूप से नदीतल से 50 मीटर तक खुदाई न करने और एक मीटर से गहरी खुदाई न करने, निर्धारित किए गए। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश और सरकार के निदेश के बावजूद भी निजी आपरेटर खुले तौर पर रेत हटा रहे हैं। उन्होंने मानदण्डों का पालन किए बिना काफी अधिक रेत पहले ही हटा दिया है। यदि वहां से काफी अधिक रेत हटाने की अनुमति दी जाती है तो इसका मृदा अपरदन का बहुत प्रभाव पड़ेगा जो दीर्घावधि में न केवल कृषि कार्यों अपितु संबंधित क्षेत्रों के भू-जल स्तर पर भी प्रभाव डालेगा।

इसलिए मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और इस आशय के आवश्यक निदेश जारी करे कि उच्च न्यायालय के आदेशों और तमिलनाडु सरकार के निदेशों के विपरीत अमरावती नदी तल से रेत न हटाया जाए।

(दो) आंध्र प्रदेश को नेशनल ड्रेनेज टेक्नालाजी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता ताकि राज्य अनुसंधान कर सके और जल निकासी सुधार के उपाय अपना सके

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): आंध्र प्रदेश राज्य भारत के समृद्ध कृषि राज्यों में से एक है और यह खाद्यान्नों, तिलहनों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यदि जल निकासी सुधार पर यथोचित ध्यान दिया जाए तो उत्पादन और फसलों की उत्पादकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय जल निकासी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे पुराने डेल्टा हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी भारी हो रही है और राज्य जलभराव और बाधित जल-निकासी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। जल निकासी प्रणाली के अवरुद्ध होने और जलभराव, जिसका काफी बड़ा भाग कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में आता है, से राज्य का लगभग 1.1 मी. हे. का अनुमानित क्षेत्र समस्या का सामना कर रहा है।

अत: राज्य सरकार ने भारत सरकार से आंध्र प्रदेश को अनुसंधान कार्य करने तथा राज्य के सामान्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल-निकासी सुधार उपाय अपनाने हेतु सुदूर प्रशिक्षण/प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय जल निकासी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जल्दी कार्यवाही करना सही रहेगा।

[हिन्दी]

(तीन) भिवाड़ी और रेवाड़ी शहरों को बड़ी रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलवर, राजस्थान के अंतर्गत आने वाला भिवाड़ी कस्बा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक कस्बों में से एक है। भिवाड़ी में लगभग 1000 से भी अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और इसके अलावा भिवाड़ी हेतु एक इनलैंड कंटैनर डिपो की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस क्षेत्र में

*सभा पटल पर रखे माने गये।

व इसके आसपास पर्याप्त जनसंख्या निवास करती है और राजस्थान सरकार ने भी भावी विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसे बड़े कस्बे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया हुआ है।

भिवाडी दिल्ली से 75 किलोमीटर, रेवाडी से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वर्तमान में भिवाडी रेल मार्ग के मानचित्र में नहीं है। मेरा निवेदन है कि भिवाडी को बड़ी लाइन के रेल मार्ग से रेवाड़ी से जोड़ा जाये। लगभग 25 किलोमीटर का यह रेल मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इस क्षेत्र का विकास करने को तीव्रगति देने में अत्यधिक सहयोगी सिद्ध होगा।

अत: मैं चाहूंगा कि रेवाड़ी-भिवाड़ी रेल मार्ग की लागत एवं यातायात संभावनाओं तथा प्रतिफल की दरों के अद्यतन अनुमान हेतु इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे इसी वर्ष करवाया जावे।

[अनुवाद]

(चार) देश में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नरसारावपेट): बालिका भ्रूण-हत्या ने लड़का और लड़की के जन्म अनुपात में खतरनाक असंतुलन पैदा कर दिया है। इस समय प्रत्येक 1000 लड़कों पर 845 लड़कियां हैं। लोग लड़का होने की गरज से लिंग निर्धारण जांच कराते हैं और गर्भ में ही बालिका की हत्या कर देते हैं। यह एक जघन्य अपराध है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। चिकित्सकों और नीम-हकीमों के पास उपलब्ध अल्ट्रासाउंड मशीनों का लिंग निर्धारण के मामलों में प्राय: दुरूपयोग किया जाता है और वे आसानी से पैसा कमाने के लिए इस खुले तौर पर इस अनैतिक काम को करते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस ज्वलंत सामाजिक समस्या के सभी पहलुओं की जांच करे और वर्तमान अधिनियम में पी.एन.डी.टी. जैसी सभी खामियों को बंद कर दे और यदि आवश्यक हो, तो इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों से सलाह करके एक व्यापक संशोधित विधान लाए।

(पांच) मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मुद्रास्फीति की दर दिनोंदिन बढ़ रही है और यह 7.5 प्रतिशत को पार कर गई है। विभिन्न बड़ी दवा कंपनियों और व्यापारियों द्वारा आम गरीब आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली दवाओं पर बहुत अधिक लाभ लिया जा रहा है उदाहरण के लिए कुछ दवाओं की खुदरा कीमत 1.20 रुपये प्रति 10 गोली है किंतु इसे बाजार में 26 रुपये और उससे अधिक कीमत पर बेचा जाता है चूंकि उस पर अंकित कीमत काफी अधिक कीमत दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, कई बार कर कटौती का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचता है किंतु करों में हुई मामूली सी वृद्धि का भार तुरन्त आम आदमी पर लाद दिया जाता है। इस्पात की कीमतों में वृद्धि के बाद, तेल कंपनियों ने नए गैस सिलिण्डरों की आपूर्ति रोक दी है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए प्रभाव से आम गरीब आदमी को असहनीय कठिनाई हुई है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने हेतु तुरन्त उपाय करे और आम गरीब आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करे।

[हिन्दी]

(छह) वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के संसद सदस्य की सिफारिशों पर अनिवार्य रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री राम स्वरूप कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, 60 वर्ष से ऊपर वाले ऐसे व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, जिनका भरण-पोषण करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो। देखने में आया है कि कुछ मामलों में 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लड़के अथवा लड़कियां उनका पालन-पोषण करने से साफ इन्कार कर देते हैं।

ऐसे वृद्ध जीवित ही मृत के समान हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पेंशन के समय यह जांच करायी जाए कि क्या पेंशन चाहने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा संबंधी है, जिससे उसे आर्थिक सहायता अथवा दो वक्त का भोजन और कपड़ा मिल रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को पेंशन मिलनी चाहिए।

दूसरी ओर देखने में आया है कि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए लोग सरकारी कर्मचारियों से झूठी सिफारिश/जांच लिखवा देते हैं कि उनको भोजन व कपड़ा देने के लिए कोई पुत्र-पुत्री आदि नहीं है और इस प्रकार वह पेंशन पाने में सफल हो जाते हैं।

मेरा निवेदन है कि वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए स्थानीय सांसद की सिफारिश आवश्यक रूप से प्राप्त की जाए, तभी पेंशन स्वीकृत की जाए क्योंकि उसे अपने क्षेत्र के व्यक्तियों की स्थिति का सही ज्ञान होता है।

(सात) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर रीवा में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के रीवा नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर बाईपास का निर्माण विगत कई वर्षों से लंबित है। भूमि का अधिग्रहण भी हो गया है किंतु अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। इस राजमार्ग के दोनों ओर एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े हायर सैकेण्ड्री स्तर के विद्यालय तथा तीन महाविद्यालय स्थित हैं। निर्माण कार्य आरंभ न होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और अब तक कई छात्रों की मृत्यु भी हो चुकी है। विद्यालय और महाविद्यालय के अतिरिक्त इस राजमार्ग पर दर्जनों औद्योगिक इकाइयां भी स्थित हैं, जिनमें हजारों लोग काम करते हैं। पूर्व में केन्द्र सरकार इस राजमार्ग का निर्माण करना चाहती थी परन्तु प्रदेश सरकार अवरोध उत्पन्न करती रही थी और अब प्रदेश सरकार निर्माण कार्य करना चाहती है परन्तु केन्द्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिल रही है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 का तत्काल निर्माण कार्य आरंभ कराने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि रीवा नगर के निवासियों और पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के जान माल की रक्षा की जाये और आवागमन सरल हो सके।

[अनुवाद]

(आठ) कर्नाटक के उदुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में समुद्र द्वारा भू-क्षरण की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

श्रीमती मनोरमा माधवराज (उदुपी): दक्षिण कन्नड़ तट पर बसे हुए मछुआरे बहुत सी समस्याओं से घिरे हुए हैं। मैं उनकी आजीविका के स्रोत में प्रमुख बाधाओं के रूप में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करती हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदुपी के अंतर्गत पड़ने वाले तट पर समुद्र के कटाव ने स्थलाकृति और पारिस्थितिकीय संतुलन में भारी परिवर्तन कर दिया है। तट रेखा पर नारियल की उपज वाले क्षेत्र सहित बहुत सारा भू-क्षेत्र समुद्र से कटाव के कारण नष्ट हो गया है। घटते हुए भू-क्षेत्र ने पुनर्वास हेतु नियत स्थान को संकुचित कर दिया है और जेट्टियों/घाटों को भी उखाड़ दिया है। राज्य सरकार ने धन की कमी के कारण समुद्र से भू-कटाव को रोकने के लिए दीर्घावधि समाधान का प्रयास करने के बजाय तदर्थ उपाय ही किए हैं। मैं केंद्र से आग्रह करती हूं कि समुद्री किनारों को सुदृढ़ बनाने के लिए और निधियां आवंटित करने हेतु आगे आएं अथवा इस परियोजा के लिए विदेशी सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करें—या तो जापान से अथवा किसी अन्य स्केंडिनेवियाई देशों से सहायता प्राप्त करें।

जिले में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियों के मुहाने में गाद होने के कारण मछली पकड़ने वाल नौकाओं के लिए संकट पैदा हो गया है जिससे जहाजरानी चैनल छिछला हो जाता है और पोत नष्ट हो जाते हैं और लोगों की मौतें होती हैं। मैं केंद्र से आग्रह करती हूं कि केरल से गोवा तक समुद्री तट पर युक्तिपूर्ण कार्य हेतु तलकर्षण पोत लगाए।

(नौ) पश्चिम बंगाल में मोहितनगर समपार पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिन्नाती सेन (जलपाईगुडी): सिलीगुड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली सड़क उत्तर बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण राज्य राजमार्ग है क्योंकि यह शेष भारत और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर के बीच प्रमुख सम्पर्क है। परिणामस्वरूप इस सड़क पर भारी यातायात है। किंतु रानीनगर-जलपाईगुड़ी के बीच मोहितनगर क्रांसिग पर एक खतरनाक लेवल क्रासिंग है जब रेलगाड़ी मार्ग पर रेलगाड़ियां बंद भी कर दी जाती हैं तो उसके पश्चात् भी स्थानीय लोगों को मोहितनगर रेल गेट को पार करने में भारी जाम का सामना करना पड़ता है और यह वास्तव में यातायात के लिए भी मुश्किल पैदा कर देता है। इसमें 30 से 45 मिनट लगते हैं जिसमें वाहन यातायात से भारी जाम हो जाता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मोहितनगर लेवल क्रासिंग पर रेल उपरिपुल का निर्माण कराया जाए जो कि जलपाईगुड़ी के लोगों और इस सड़क का उपयोग करने वाले लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के आगरा-कानपुर खंड पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजपथ संख्या-2 जो वाया इटावा-फिरोजाबाद होकर गुजरती है, के निर्माण में हो रहे विलम्ब से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ इटावा में हो रहे बाईपास का निर्माण कार्य 2004 तक पूरा होना था जबकि एक साल से इसका कार्य रुका है, जिससे आम नागरिकों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के दिनों में तो पानी जमा रहता है, जिससे आवागमन में भी काफी दिक्कत होती है। अस्तु, आगरा-कानपुर रोड का

निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये एवं इटावा बाईपास का भी निर्माण अविलम्ब करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(ग्यारह) महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र को आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): महाराष्ट्र का पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के युवकों को पर्याप्त रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या के कारण इस क्षेत्र के युवक भी अपनी जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं हैं और कुंठित रहते हैं। यदि उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो निकट भविष्य में उनके आत्महत्या करने की पूरी संभावना है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र को आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करें।

(बारह) केन्द्रीय सहायता देकर उड़ीसा में दरिंगीबाड़ी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): उड़ीसा में पारम्परिक रूप से पिछड़े तथा मुख्यत: जनजातीय बहुल जिले कोंधामल में दरिंगीबाड़ी, जो कि एक सौंदर्यपूर्ण पर्यटन स्थल है, समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वतीय सीढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पतियों और वन्य जीवों यानि जंगल तथा इसमें वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आदर्श स्थिति तथा स्वस्थ जलवायु संबंधी स्थिति के कारण उड़ीसा के पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक ने इसे उड़ीसा की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। जो लोग दरिंगीबाड़ी की यात्रा करते हैं वे इसे भारत का दूसरा कश्मीर कहते हैं। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद भी अभी तक इस स्थान को भारत के पर्यटन नक्शे के अंतर्गत नहीं लाया गया।

भारत सरकार जनजातीय क्षेत्रों में वन्य जीव पर्यटन, वन पर्यटन तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। यदि आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं और स्थल को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो दरिंगीबाड़ी को भारत के पर्यटन नक्शे के अंतर्गत लाया जा सकता है। दरिंगीबाड़ी को भी एक सुंदर पर्वतीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है जो अंततोगत्वा हजारों घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

चूंकि राज्य सरकार इस परियोजना की लागत वहन करने की स्थिति में नहीं है इसलिए मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वहां पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने और बिना और विलम्ब किए केंद्रीय सहायता जारी करके इस राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) केरल में काजू उद्योग का पुनरुद्धार करने और उसे बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): केरल में काजू उद्योग प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में से एक है। इस उद्योग के 500 से अधिक कारखानों में हजारों मजदूर विशेषकर महिला मजदूर कार्यरत हैं। इन पर ढाई लाख से अधिक परिवार निर्भर हैं। वर्ष 1970 में अच्युत मेनन सरकार द्वारा केरल राज्य काजू विकास निगम की स्थापना इस उद्योग के विकास और मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय जैसे न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, इत्यादि के लिए किया गया था। इस निगम के अंतर्गत आने वाले कारखानों को गत तीन वर्षों के दौरान बंद कर दिया गया। लगभग 40,000 मजदूर बेरोजगार हो गये। राज्य सरकार ने इन कारखानों को खोलने के लिए कोई प्रयास नहीं किये। निगम को इसे पुन: खोलने तथा रोजगार प्रदान करने और काजू निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सौ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। हथकरघा और कायर जैसे पारंपरिक उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान करने की वित्त मंत्री जी की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस योजना में काजू उद्योग शामिल नहीं है। इसीलिए, मैं सरकार से हथकरघा और कायर उद्योगों के साथ-साथ इसे शामिल करने और 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जुटाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(चौदह) महाराष्ट्र में नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल दूरसंचार सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री देविदास पिंगले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, नासिक संसदीय क्षेत्र का पर्यटन, पुरातत्व शिक्षा, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। नासिक के नजदीक देवलाली छावणी क्षेत्र तथा अंबउ और सिन्नर औद्योगिक इकाइयां हैं। परन्तु, दूरसंचार सेवाओं की दृष्टि से नासिक शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र अभी तक देश की अन्य उन्नत क्षेत्रों की तुलना से अत्यधिक पिछड़ा है। हजारों

[श्री देविदास पिंगले]

ग्रामीण उपभोक्ता तथा सैंकड़ों छोटे-छोटे गांव अभी तक दूरसंचार सेवाओं से वंचित हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नासिक संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में डब्ल्यू.एल.एल. उपकरण, बी.एस.एन.एल. सेल्युलर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करायें।

(पन्द्रह) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या को सुलझाए जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड राज्य स्थित मेरे निर्वाचन क्षेत्र गिरीडीह बोकारो जिला के अंतर्गत गोमिया तथा अन्य प्रखंडों में सी.सी.एल. द्वारा कोयले की खुदाई के कारण जल स्तर जमीन के काफी नीचे चला गया है, फलस्वरूप साड़म, होसीर, हजारी, गोमिया, झीरकी खुदगडा, चांपी, खेतको, अंगवाली, पिचवरी, बुडीयारवाद, गिरिडीह, पंचबा तथा धनबाद जिला बाघमारा प्रखंड के छाताबाद, लेवाबाद मोहदा, कपूरिया, बांस कपूरिया, भटमुड़ना, कतरासगढ़, पचगढ़ी तथा वेरमो प्रखंड के विभिन्न गांवों के निवासियों का जीवन जल की कमी के कारण संकट में पड़ गया है। इन गांवों की महिलाओं को गांवों से काफी दूरी से पानी लाना पड़ता है तथा वह भी प्रदूषित पानी होता है।

अत: जनहित में होगा कि उपरोक्त गांवों में पानी की समुचित व्यवस्था करायी जाये ताकि क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित हो सकें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सरकार की ओर से यह कहा गया कि सरकार वक्तव्य देगी। सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यह सरकार जान-बूझकर सावरकर जी का अपमान कर रही है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.18 बजे

(इस समय श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, यह देश का दुर्भाग्य है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया आप अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सरकार ने स्टेटमैंट देने की बात कही है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सरकार इस मुद्दे पर पुन: उत्तर देगी। कृपया उन्हें कुछ समय दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, सरकार की ओर से बार-बार वीर सावरकर जी का अपमान किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* सरकार जानबूझकर वीर सावरकर जी का अपमान कर रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम देश में विद्युत की कमी से उत्पन्न स्थिति पर आगे की चर्चा आरंभ करेंगे। श्री राम कृपाल यादव अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* कल मैं ग्रामीण विद्युत पर चर्चा कर रहा था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.48 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.48 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, सदन के नेता यहां जो स्टेटमैंट देने जा रहे थे, उसके लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हमने आज सुबह भी कहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रणव मुखर्जी कुछ कहने वाले हैं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते ने कल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा की गयी कतिपय टिप्पणियां और कार्यवाही के संबंध में कतिपय मुद्दे उठाये। मैंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि मैं तथ्यों का पता करूंगा और मैं सभा को उनके बारे में बताऊंगा। वस्तुत: मैंने तथ्यों का पता लगा लिया है। मुझे जो जानकारी श्री मणिशंकर अय्यर से मिली है, इन बातों को नोट किया जाना चाहिए, निम्नलिखित है:

"(एक) स्वतंत्र्य ज्योत भारतीय तेल निगम फाउंडेशन की एक परियोजना है। इसका प्रबंधन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है और बोर्ड के अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।

(दो) स्वातंत्र्य ज्योत स्वतन्त्रता आंदोलन की स्मृति में सतत् प्रज्वलित रहने वाली ज्योति है, इसीलिए, केवल यही उचित है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उस आधारशिला पर याद रखा जाना चाहिए जिस पर ज्योति रखी हुई है। यह कार्य मेरे कहने पर किया गया था।

(तीन) मैंने न तो सरकारी समारोह में और न ही उसके बाद हुई प्रेस सम्मेलन में विनायक दामोदर सावरकर का उल्लेख किया।

(चार) समारोह के अन्त में, एन.डी.टी.वी. द्वारा उनके बारे में पूछे जाने पर मैंने भारत के नागरिक की हैसियत से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किये थे और ये विचार सर्वथा विदित और पहले भी व्यक्त किया जा चुका है लेकिन एक मंत्री की हैसियत से मैं मंत्री परिषद् के निर्णयों को मान लेने के लिए बाध्य था।"

मुझे यही तथ्य ज्ञात हुआ है। धन्यवाद, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलिए। मैं श्री गीते को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, नौ अगस्त के स्वतंत्रता ज्योति समारोह के सम्बन्ध में जो खबरें आई हैं, वे सारी की सारी खबरें सही हैं, यह सदन के नेता के वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है। सभापति महोदया ...*(व्यवधान)* क्षमा चाहता हूं, आपसे पहले सभापति महोदया आसन पर विराजमान थीं इसलिए गलती से अध्यक्ष महोदय की जगह सभापति महोदया मेरे मुंह से निकल गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अध्यक्षपीठ को कितनी देर कार्य करने दिया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता ज्योति का निर्माण वहां हुआ था। उसका उद्घाटन करने के लिए भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके निर्माण का कार्य पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के कार्यकाल में हुआ था। उन्हीं के आदेश पर हुआ था। जब यह निर्णय हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): यह काल हमारा है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं वही बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* तब यह निर्णय हुआ था कि उसका निर्माण इंडियन आयल कार्पोरेशन करेगा वही उसका मेनटेनेंस को भी देख रहा है। उस स्वतंत्रता ज्योति पर चार स्वतंत्रता सेनानियों के वचनों को उद्धृत करने का निर्णय हुआ था, क्या कहा था यह भी बताया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब वहां पर उद्घाटन हुआ, तो उस स्वतंत्रता ज्योति पर स्वातंत्र्य वीर सावरकर के वचन नहीं थे। ...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सरकार को निर्णय बदलने की पावर है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: यही सत्य है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप अपनी भावी पीढ़ियों को गलत उदाहरण मत दीजिए।

[हिन्दी]

गीते जी, आप उनको इग्नोर कीजिए। मैं आपको सुन रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी आप बैठिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार बदल गई है। सरकार के बदलने के बाद निर्णय बदलने का अधिकार है, जिसका जिक्र सत्ता पक्ष ने अभी किया। हम यही आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकार के मंत्री जी ने निर्णय लिया था, उसको पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर जी ने बदलकर, सावरकर जी के वचनों को हटा दिया है। हम महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम उनके वचनों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप महात्मा गांधी के वचन वहां पर जरूर लिखें, लेकिन सावरकर जी के वचन जो हटाए गए हैं, उनका अपमान पेट्रोलियम मंत्री ने किया है, इस सरकार ने किया है। हमारी मांग है कि उनके वचनों को दोबारा स्वतंत्रता ज्योति पर उद्धृत किया जाए। यदि वे वचन उद्धृत नहीं किए जाते तो मणिशंकर जी को और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। यदि यह वक्तव्य सरकार की ओर से आएगा कि उनके वचनों को उद्धृत किया जाएगा *...(व्यवधान)* वीर सावरकर जी के वचनों को उद्धृत करने का वचन दिया जाना चाहिए। यदि सरकार ऐसा करती है तो उसको इस बारे में बयान देना चाहिए, अन्यथा सरकार और मणिशंकर जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश की सौ करोड़ जनता और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। सदन के नेता यहां उपस्थित हैं। हमें महात्मा गांधी जी से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सावरकर जी के वचनों को जो हटाया गया है, उन वचनों को वहां उद्धृत किया जाए। यदि सरकार, सदन के नेता, इस बात को स्वीकार करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसे स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया सुनिये। कृपया अध्यक्षपीठ को सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, आपने अपनी मांग प्रस्तुत कर दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: यदि नहीं करते हैं तो सरकार सावरकर जी का अपमान कर रही है। उन्हें यहां माफी मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे बोलने दीजिए। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या बोलूंगा?

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय पर बोलने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सोचता हूं कि श्री रामदास बंडु आठवले को अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए ताकि वह बोल न सकें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मनोरंजन भक्त, आप कृपया बैठ जाइए। इसका आपके निर्वाचन क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अखिल बसु (आरामबाग): इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिए। मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: कारपोरेशन पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के अन्दर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री राम कृपाल यादव जी, आप शोर क्यों मचा रहे हैं?

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैं शोर नहीं मचा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, फिर आप बोल क्यों रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कल, सभा के नेता से मुझे ज्ञात हुआ कि वह आपके द्वारा मुद्दा उठाये जाने के पश्चात् वक्तव्य देना चाहते थे। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो कुछ कहा उसके अनुसरण में उन्होंने वक्तव्य दिया है। जहां तक इसे समझा गया है यह प्रत्यक्ष रूप से सरकारी मामला नहीं है बल्कि इसका संबंध भारतीय तेल बोर्ड से है। इसीलिए, सरकार को बोर्ड के साथ मामले पर विचार करने देना चाहिए। इस पर बोर्ड को निर्णय लेने दीजिए। सरकार ने यह कार्य नहीं किया है, किसी न्यास ने यह कार्य किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: फिर भी, एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। न्यास ने यह कार्य किया है। आपने अपनी बात कह दी है। कोई भी इतिहास को नहीं मिटा सकते। आप चिंतित क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि क्या सरकार द्वारा डिसिजन चेंज हुआ है? पहले यह बात तय हो गई थी *...(व्यवधान)* जिन चार लोगों का इनस्क्रिप्शन वहां होना चाहिए क्या उसमें परिवर्तन किया गया? हमारी पहली यह डिमांड है। अगर इसमें परिवर्तन किया गया है तो क्यों किया गया है? दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जी के वचनों का इनस्क्रिप्शन होने से किसी को आब्जैक्शन नहीं है। यह पांचवां वहां हो सकता है लेकिन सावरकर जी का इनस्क्रिप्शन डिलिट करके अपमान हुआ है। उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब फिर से इनस्क्रिप्शन वहां लाया जाए। क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, आपने अपनी बात कह दी है। मैंने वह सुन ली है। अब हमें पुन: सभा की कार्यवाही पर ध्यान देना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सदन के नेता यहां पर हैं। यदि वह इस पर बयान दें तो अच्छा होगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको केवल आपकी संतुष्टि के अनुसार वक्तव्य मिले। सरकार ने वक्तव्य दे दिया है। आपने भी अपनी बात कह दी है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है। आपने मांग की है। कृपया सभा को काम करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, जो मांग हमने अभी की, उस पर सदन के नेता बयान दें। यदि वह कल सुबह 12 बजे बयान देना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं है लेकिन सदन के नेता बयान दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह वक्तव्य दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, यह गोलमोल जवाब है। उसे चेंज किया गया है या नहीं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं। कल, कुछ मामले ध्यान में लाए गए थे। मैंने सभा को सूचित किया था कि मैं सम्बन्धित व्यक्ति से पता करूंगा। मैंने सम्बन्धित व्यक्ति से पता किया था और मैंने माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी है। मैंने आरंभ में ही इस बात का उल्लेख किया था कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया था, निर्णय फाउंडेशन द्वारा लिया गया था। इसका निर्णय फाउंडेशन को लेना है। इसलिए, प्रश्न कि निर्णय सरकार ने लिया है, वैध नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: कारपोरेशन पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के अन्दर है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आई.ओ.सी. कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं है *...(व्यवधान)* सरकार जानबूझकर वीर सावरकर जी का अपमान कर रही है *...(व्यवधान)* आई.ओ.सी. पेट्रोलियम मंत्री के अधीन है *...(व्यवधान)* हमारा मंत्री जी पर आरोप है *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। और आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, सरकार इस तरीके से वीर सावरकर जी का अपमान नहीं कर सकती *...(व्यवधान)* सरकार उनका अपमान कर रही है और बार-बार अपमान कर रही है *...(व्यवधान)* सरकार वीर सावरकर जी की महानता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा था, वे बोल चुके हैं। आप आगे बोलना चाहते थे। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी और क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 3.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, हम एक चर्चा कर चुके हैं और मैं सभा के माननीय नेता के प्रति आभारी हूं कि वे बयान देने के लिए सहमत हो गए हैं-वे जो कुछ कहना चाहते हैं, यह उन पर है-कल अपराह्न 2.00 बजे। यदि यह बयान पहले देना है, तो वह पहले आ सकते है एवं मामले पर बयान दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, कल सदन के नेता यहां बयान दें, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस ढंग से वीर सावरकर जी के अपमान को लेकर सरकार ने जो रवैया अपनाया है, हम उस रवैये के संदर्भ में पैट्रोलियम मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर जी और सरकार की निंदा करते हुए सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 3.17 बजे

(तत्पश्चात् श्री अनंत गंगाराम गीते तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: अभी बहिष्कार क्यों करते हैं, कल सुनकर बात करिये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.18 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 22 पर आते है–नियम 193 के अधीन चर्चा। श्री राम कृपाल यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव के भाषण के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हाइडल इलैक्ट्रिसिटी पैदा करने की ओर आकृष्ट कर रहा था। मैं कह रहा था कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं। वहां से जो पानी निकल रहा है, उसकी वजह से पूरे बिहार, आसाम तथा अन्य राज्यों में बाढ़ से तबाही हो रही है। केवल अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो बिजली का उत्पादन सस्ती दर पर ज्यादा से ज्यादा होगा और लोगों को 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली भी सहूलियत से पहुंचेगी। मैं छोटा से उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर कोसी नदी पर पनबिजली परियोजना स्थापित कर दें तो वहां से 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी तरह से नेपाल से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, यदि उन नदियों पर हाइडल स्थापित कर दें तो बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन भी होगा और देश में जो बिजली की समस्या है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आप निश्चित तौर पर इस पर कोई ठोस कदम उठाकर, ठोस निर्णय लेने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो बाढ़ की भीषण स्थिति पैदा हो रही है, इस पर हम लोग प्रति वर्ष चर्चा करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने सदन में अपनी बात उठाई है। वहां करोड़ों-करोड़ रुपयों और जानमाल की क्षति हो रही है। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। इस पर माननीय मंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित तौर पर जो पैसा ये लगा रहे हैं, बिजली उत्पादन में उसकी अच्छी खासी राशि होटल प्रोजैक्ट्स के लिए दें तो बड़ी कृपा होगी।

जहां तक विद्युत को ग्रामीण इलाकों में ले जाने की बात कही जा रही है, सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है। यूपीए के कामन मिनिमम प्रोग्राम में इस संबंध में समझौता भी है और माननीय प्रधान मंत्री जी का भी एटीट्यूड है और माननीय मंत्री जी भी ऐसा चाहते हैं। जब तक आप इस पर निर्णय नहीं लेंगे कि बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़े, तब तक आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है। आपने दसवीं योजना में लक्ष्य रखा था कि 41 हजार मैगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे लेकिन उसकी पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। दो वर्षों में मात्र 6000 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो लक्ष्य रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप उसमें जुट जाइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिना विद्युत के देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर देश को तरक्की के शिखर पर ले जाना है तो विद्युत उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। देश की हर समस्या का निदान इससे हो सकता है, चाहे वह सुखाड़ हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो या गांवों की समस्याएं हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से देश आजाद हुआ है, तब से बिहार की उपेक्षा हुई है। हमारे यहां दो थर्मल पावर स्टेशन्स हैं, एक बरौनी में और दूसरा कांटी में। उनकी क्षमता इतनी घट गई है कि 50 मैगावाट बिजली का उत्पादन वे कर पा रहे हैं। क्या 50 मैगावाट बिजली का उत्पादन करने से बिहार की समस्या का निदान हो जाएगा? नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप बिहार के कांटी और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन्स का आधुनिकीकरण करने के लिए राशि दें। राज्य सरकार ने आपके पास प्रपोजल भेजा है। वहां अगर आप पैसा देंगे तो 500-500 मैगावाट एक थर्मल पावर स्टेशन से बिजली का उत्पादन हो सकता है। कुल मिलाकर 1000 मैगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता दोनों थर्मल पावर स्टेशनों की है। हमारा एक्सप्लाइटेशन हुआ है। जब जाइंट बिहार था तो कोयला हम देते थे और अब रद्दी किस्म का कोयला हमारे थर्मल पावर स्टेशन्स को दिया जाता है जिससे उनकी उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। अब झारखंड बंट गया। हमारे संसाधन समाप्त हो गए हैं और हम बेहाल हो गए हैं। जब तक केन्द्र सरकार की कृपा नहीं होगी, तब तक हम कैसे बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं? बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है। हम आप पर डिपैन्ड कर रहे हैं। हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो कैसे हम बिहार के गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है, कामन मिनिमम प्रोग्राम में जो समझौता है, कैसे हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। बिहार के 90 प्रतिशत गांवों में अंधेरा है। कागजों पर आंकड़े हो सकते हैं मगर वास्तविक स्थिति यह है कि गांवों में किसानों को भी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम कृपाल यादव]

बिजली नहीं मिल पा रही है। आप 90 प्रतिशत राशि इसके लिए दीजिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम 10 प्रतिशत अपने संसाधनों से खर्च कर सकते हैं। हम बेहाल हैं। हमारी आमदनी का जरिया झारखंड बनने के बाद खत्म हो गया है। हम चाहेंगे कि आप बिहार के गांवों में विद्युतीकरण करवाएं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): झारखंड बंटा कैसे?

श्री राम कृपाल यादव: आपने बांट दिया।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': हमने नहीं बांटा, आपने प्रस्ताव किया था।

श्री राम कृपाल यादव: इसकी बात मत करें। राज्य का बंटवारा तो केन्द्र की सरकार करती है और आपने बिहार का नाश किया।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': बिहार की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब व्यवधान पैदा न करें, यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की लगातार उपेक्षा हुई है। हम यूपीए सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के साथ न्याय कीजिए, उसको ऊपर उठाइए। वह बीमार राज्य है। अगर परिवार में एक भाई बीमार है तो परिवार कैसे मजबूत होगा? इसी प्रकार देश के सभी राज्य मजबूत होंगे तभी देश मजबूत हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार की आबादी आठ करोड़ है। उसकी उपेक्षा कर के देश चाहे कि वह आगे बढ़ जाएं, यह सम्भव नहीं है। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके पास प्रपोजल भेजा है। उसे आप लागू करने का काम कीजिए। मुझे पता लगा है कि अभी कैबीनेट नोट भी आया है। मुझे विश्वास है कि आप उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी बिहार गए थे। वहां गया में उन्होंने बिहार के लोगों को बहुत आश्वासन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विद्युत के क्षेत्र में सहयोग देने का काम करेंगे। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बिहार की जनता आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि आप बिहार को विद्युत के क्षेत्र में पूरा सहयोग देंगे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव विद्युत के संबंध में आपको प्रेषित किया है। मुझे आशा है कि आप प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने बिहार में ट्रांसमीशन के लिए पैसा दिया है, उत्पादन के लिए नहीं। हमारे यहां जब विद्युत का उत्पादन होगा ही नहीं, तब हम ट्रांसमिट किसे करेंगे? आप उत्पादन के लिए राशि मुहैया कराने का काम कीजिए। अभी माननीय श्री राजीव रंजन सिंह ललन बोल रहे थे कि माननीय श्री नीतिश कुमार जी, पूर्व मंत्री के यहां एन.टी.पी.सी. का एक थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है। उन्होंने कहा है कि पांच साल में पूरा करेंगे। मुझे पता नहीं कब वह पूरा होगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि उसका भी काम जल्दी से जल्दी पूरा कराएं ताकि उसकी क्षमता का भी पूरा लाभ उठाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बिहार को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्राथमिकता देने का काम करिए और बिहार की जो समस्या है, उसे देखते हुए निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम आप उठाएगें, ऐसा मुझे विश्वास है। बिहार की हालत बिजली उत्पादन कम होने के कारण बहुत खराब है। बिहार की गरीबी देश की गरीबी है। बिहार की उपेक्षा कर के देश उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें से 35 प्रतिशत बिजली चोरी में जा रही है और 15 प्रतिशत तकनीकी खराबी के कारण लास हो रहा है। चोरी रोकने के लिए ठोस और कठोर कानून बनें जिससे चोरी करने वाले लोग यह सोचने पर मजबूर हो सकें कि बिजली की चोरी करने पर हमारा यह हस्र होगा, तो वे बिजली की चोरी कभी नहीं करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा और बिजली की चोरी नहीं रुकेगी, तो आप बिजली का कितना भी उत्पादन बढ़ा लीजिए, हालात सुधरेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि बिजली चोरों के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई करने का कानून बनाएं और उसे इम्पलीमेंट करें। इस संबंध में सरकार की जो प्लानिंग है, वह सकारात्मक होनी चाहिए।

महोदय, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बिजली गुम हो गई थी। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां सात-सात और आठ-आठ घंटे बिजली नहीं मिलती है। जब दिल्ली में यह हालत है, तो देश के और बिहार के गांवों की स्थिति का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: बिजली क्यों नहीं मांगते हैं?

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, आपके माध्यम से बिजली ही की मांग माननीय मंत्री जी से कर रहा हूं। बिहार ही नहीं, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में भी बिजली की कमी है। महोदय क्या आपके यहां बिजली की कमी नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: अभी तो ठीक चल रहा है।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और बधाई के पात्र हैं कि आपके राज्य में बिजली की कमी नहीं है और ठीक प्रकार से बिजली आ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमारे मंत्री सक्षम हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री बिहार पर पर्याप्त ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, यदि देश को प्रगति करनी है, तो निश्चित रूप से बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, कहा जाता है कि पानी के बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है, लेकिन मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जैसे पानी के बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है, वैसे ही वर्तमान युग में बिजली के बिना भी आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है। देश को तरक्की करनी है, तो बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा। देश को यदि बाढ़ और सुखाड़ से बचाना चाहते हैं, तो आपको हाइड्रो इलैक्ट्रीसिटी का जनरेशन करना होगा। आज थर्मल पावर के माध्यम से तीन रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली बन रही है। देश की जनता गरीब है, इतनी ऊंची दर पर बिजली खरीद नहीं सकती है। इसलिए आपको पनविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर जोर देना पड़ेगा और उनके माध्यम से सस्ती बिजली उत्पादित करनी होगी। आज पूरा देश और दुनिया बिजली पर निर्भर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे इस चर्चा का उत्तर दें, तो उसमें बिहार के प्रति निश्चित रूप से सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए बिहार के सभी गांवों में विद्युत पहुंचाने के लिए बिहार राज्य को बिजली उत्पादन हेतु एक रुपए में 90 पैसे केन्द्र सरकार के लगें और 10 पैसे बिहार सरकार से लिए जाएं, इस आधार पर सहायता प्रदान करें, ताकि बिहार के गांवों में बिजली पहुंच सके। बिहार आगे आ सके और मुख्य धारा में जा सके। आप बिहार के साथ निश्चित तौर पर न्याय करने का काम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपने अपना मामला बहुत प्रभावी तरीके से रखा है।

माननीय सदस्यगण इस चर्चा में व्यवधान डालने के लिए मुझे खेद है। सभा पटल पर कुछ महत्वपूर्ण पत्र रखे जाने हैं। मैंने माननीय मंत्री श्री पलानीमनिक्कम को सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति दे दी है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(एक) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 82/2004-सी.शु. जो 18 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए) और रसोई गैस पर सीमा शुल्क की प्रभावी दरों को 18.8.2004 से कम किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 44/2004-के.उ.शु. जो 18 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरों को 18.8.2004 से कम किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** एल.टी. संख्या 724/04]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति–*जारी*

[अनुवाद]

अपराह्न 3.31 बजे

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश प्रभु—उपस्थित नहीं हैं। श्री जयप्रकाश।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश और किसी भी विकासशील देश के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है. क्योंकि सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, इंसान, कारखानेदार, किसान और मजदूर के सार्वजनिक जीवन में बिजली का बड़ा महत्व है। मैंने देखा है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाएं देश में जो लागू की गई, आठवीं-नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राईवेटाइजेशन पर बड़ा बल दिया गया। बिजली के निजीकरण की बात दूसरी पंचवर्षीय योजना में चली, लेकिन निजीकरण की वजह से न तो केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकारें इसके विस्तार में लगीं और न ही जो प्राईवेट लोग लेना चाहते थे, वे इस काम को आगे बढ़ा सके। इससे देश को बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों को हिदायतें दें। जिन प्रदेशों में हम हाइडल से, पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करवा कर दूसरे हिस्सों में, जहां नदियां हैं, पानी का फ्लो नहीं बनता, वहां बिजली की सप्लाई की जा सके, क्योंकि हाइडल पावर के माध्यम से ही देश में सस्ती बिजली दे सकते हैं।

अपराह्न 3.32 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

महोदय, हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि में जितनी सस्ती बिजली हम दे सकेंगे, उतना ही किसान को लाभ होगा और देश के किसान को खेती में लाभ होगा तथा वह देश उन्नति करेगा। आज पूरे हिन्दुस्तान के किसान को महंगी बिजली, जो ट्यूबवेल को दी जा रही है, उसकी वजह से खेती लाभकारी नहीं रही है। महोदय, आप भी पंजाब से आते हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले पांच-छ: वर्षों से खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। उसमें बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। बिजली की कमी की वजह से हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है। बिजली महंगी होने से उसकी इनपुट ज्यादा पड़ जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हाइडल पावर से हम जितनी बिजली तैयार कर सकें, उतनी तैयार करनी चाहिए। थर्मल पावर की बिजली हमारे हरियाणा और पंजाब में है, यानी कोयला बिहार और धनबाद से लाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं। जब कोयला हरियाणा, पंजाब में आता है तो वह महंगा पड़ता है। उसकी बजाए अगर पावर ग्रिड का एक नेशनल ग्रिड बना दिया जाए, पूरे देश की बिजली की ट्रांसमिशन लाईनों से देश को जोड़ दिया जाए तो जो कोयला यहां आने में महंगा पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा। बिहार और झारखंड में बड़े-बड़े थर्मल प्लांट लगाए जाएं, जो कोल से बिजली तैयार करें और वह बिजली यहां लाई जाए। मतलब कोयले की ट्रांसपोर्टेशन की बजाए बिजली को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो मेरे हिसाब से यह काफी सस्ती पड़ेगी। आज जो देश में नुकसान हो रहा है, पांच भागों में बिजली बांटी गई है। पांच भागों में जो नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां हाइडल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन वहां आप बिजली तैयार करेंगे तो नार्थ-ईस्ट स्टेट्स से हमारे इलाके में वहां की बिजली हम नहीं ला पाएंगे। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि चाहे पैसा ज्यादा खर्च हो, लेकिन पांच ग्रिडों की बजाए एक नेशनल ग्रिड बनाया जाए ताकि जहां-जहां बिजली के सार्सेस ज्यादा हैं, वहां से हम बिजली उस इलाके में ट्रांसपोर्ट करके ला सकें। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से नदियां नीचे की ओर आती हैं, पंजाब में भी आपने कई जगह हाइडिल पावर प्लांट बनाये हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जितनी नदियां बहती हैं, इनके फ्लो का भी ऐसा सिस्टम बनाकर उनका पानी रोककर डैम बनाया जाये। डैम बनने से दो लाभ होंगे। किसान के खेत को पानी मिलेगा और जनता को पीने का पानी मिलेगा और सस्ती बिजली पैदा होगी। तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आप जो बिजली दे रहे हैं, हमारा किसान उसकी कभी भी भरपाई नहीं कर सकता। आज किसान बहुत घाटे में है, यही हालत आज कारखानेदार की है। मेरा सुझाव है कि थर्मल पावर प्लांट उस इलाके में लगाये जायें, जहां कोयला हो। हाइडिल के बाद कोयले और पानी ही दूसरा सस्ता साधन है।

दूसरे, इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बना, उससे भी उपभोक्ताओं को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जायें ताकि प्रदेश सरकारें अपने-अपने इलाके में ज्यादा बिजली पैदा करके कारखानेदार को और किसान को दे सकें। इससे पूरे देश में बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में बिजली की खपत बढ़ रही है, लेकिन बिजली की पैदावार नहीं बढ़ रही है, बल्कि कम हो रही है। बिजली की पैदावार कम होने की वजह से आज हमें देखने में आया है कि दूसरे देशों के मुकाबले में हम जो उत्पादन कारखाने में तैयार करते हैं, वह महंगा रहता है, उनका सस्ता आता है। इसी वजह से आज हिन्दुस्तान पूरी

दुनिया की एक मंडी बनकर रह गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बिजली के उत्पादन में ज्यादा पैसा खर्च किया जाये ताकि हमारे कारखानेदारों को सस्ती बिज[illegible]मिलेगी तो हमारा उत्पादन भी सस्ता होगा और हम दूसरे देशों के मुकाबले में कम्पीटीटर बन जाएंगे।

तीसरा मेरा सुझाव है कि एटोमिक इनर्जी प्लांट लगाने चाहिएं। चर्चा थी कि इससे बहुत खतरा है। मेरा एक सुझाव है मेरी अपनी सोच है कि जो एटोमिक इनर्जी के प्लांट हैं, जैसे राजस्थान में और पंजाब के परले हिस्से में हैं, वैसे ही हरियाणा में भी लगाये जायें। मैंने पढ़ा है कि पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा एटोमिक इनर्जी प्लांट लगे हुए हैं। वहां तो कोई नहीं मरा तो हिन्दुस्तान में ऐसा क्या है। एटोमिक एनर्जी प्लांट से भी सस्ती बिजली पैदा होती है, लेकिन ये सारे के सारे साउथ और वेस्ट में लगे हुए हैं। यदि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी, जहां कोयला बाहर से लाना पड़ता है, जहां पानी नहीं है, वहां एटोमिक इनर्जी प्लांट लगाये जायें तो इससे सुरक्षा की दृष्टि से भी फायदा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि बोर्डर पर, सीमा पर ये प्लांट लगा दें। यदि कोई बाहरी ताकत हम पर हमला करती है तो हम मरेंगे तो वे कैसे बचेंगे। इससे हमें बिजली भी मिलेगी और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वे भी डर कर रहेंगे कि इनके पास खतरनाक प्लांट हैं। इनसे हम किसानों को और कारखानेदारों को सस्ती बिजली दे सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय एटोमिक इनर्जी प्लांट पर भी लगाया जाये।

एन.टी.पी.सी. एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जो सारे देश को बिजली देता है। लेकिन एन.टी.पी.सी. का जो प्रदेशों में बहुत ज्यादा पैसा बकाया है, यदि एन.टी.पी.सी. का पैसा नहीं मिलेगा तो एन.टी.पी.सी. कहां से बिजली तैयार करके प्रदेशों में देगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश सरकारें इस मामले में केन्द्र सरकार का दुरुपयोग समझिये या नाजायज फायदा उठाकर बिजली एन.टी.पी.सी. से लेती रहती हैं, लेकिन एन.टी.पी.सी. का पेमेण्ट नहीं करतीं, जिससे कि एन.टी.पी.सी. की हालत आज बहुत खस्ता है और प्रदेश सरकारें जो बिजली यहां से लेती हैं, रीजनल पार्टीज, खासकर जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज की सरकार हैं, हमारे हरियाणा की बात मैं कह सकता हूं। हरियाणा में बिजली केन्द्र से लेते हैं और पैसा एन.टी.पी.सी. को नहीं देते, उस पैसे से अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, अपने परिवार के विस्तार के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एन.टी.पी.सी. का बकाया भी जल्द से जल्द रिकवर किया जाये और एन.टी.पी.सी. यदि खस्ता हालत में होगा तो इस देश में बिजली के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा काम आज एन.टी.पी.सी. कैसे करेगा। एन.टी.पी.सी. के पास ज्यादा पैसा होगा तो बिजली के उत्पादन के लिए हाइडिल प्रोजैक्ट और थर्मल पावर प्लांट ज्यादा लगेंगे। पैसा नहीं होगा तो बेचे जायेंगे। इससे पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

मेरा एक सुझाव है कि स्माल हाइडल प्रोजैक्ट लगाये जायें। जो अच्छे बहाव की छोटी-छोटी नदियां हैं या नहरें हैं, उन पर स्माल हाइडल प्रोजैक्ट्स ज्यादा लगाये जायें ताकि छोटे-छोटे क्षेत्रों में बिजली पहुंचायी जा सके। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उस बिजली का फायदा किसान को सीधा दिया जाये क्योंकि हाइडल से जो बिजली बनेगी, उसकी कास्ट 15 से 25 पैसे तक होगी। इससे किसान को फायदा होगा। देहात में उस बिजली का सर्कुलेशन किया जाये।

अभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात चली थी। मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव में बिजली है लेकिन हरियाणा प्रदेश के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वे बयान देते हैं कि दिसम्बर में हम 24 घंटे बिजली देंगे जबकि पहले सितम्बर तक कहते थे। देहात के नाम से, इस देश के किसान के नाम से सारा राज चलता है लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के देहात की हालत यह है कि वहां तीन दिन बाद केवल पांच-छह घंटे के लिए बिजली आती है जबकि अभी गर्मी है, मच्छर है और इन दिनों बीमारी भी ज्यादा फैलती है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से देहात में बिजली देने के लिए कहें। शहरों में बड़े लोग रहते हैं। शहरों में तो लोग जनरेटर भी रख सकते हैं। जहां गरीब लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, उनके लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। लोक सभा और विधान सभा में जब हम रिकार्ड देखते हैं तो पाते हैं कि वर्ष 2007 तक सारे देश के देहात को बिजली से जोड़ दिया जायेगा जबकि पिछले आंकड़े देखने से ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से बिजली की खपत बढ़ रही है, अगर वह बढ़ती रही, तो हिन्दुस्तान के उस आदमी को बिजली कभी नहीं मिलेगी जो झुग्गी झोंपड़ी और इंटीरियर्स में रहता है। वह बिजली से वंचित रह जायेगा। देश की तरक्की में बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक हम गरीब आदमी, गरीब किसान को बिजली नहीं देंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकेगा।

टिहरी एक बहुत बड़ा हाइडल प्रोजैक्ट है। वह कई वर्षों से बन रहा है लेकिन टिहरी का प्रोडक्शन अभी तक नहीं आया। यदि टिहरी से बिजली मिलेगी तो मैं समझता हूं कि हरियाणा, उत्तरांचल और दिल्ली को भी बिजली मिल सकती है। मेरा कहना है, कि इस तरीके से जो बड़े-बड़े हाइडल प्रोजैक्ट्स पेंडिंग हैं, उनके लिए स्पेशल पैसा एलाट करके जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्शन लाया जाये ताकि इस देश के किसान को, इस देश की जनता को, कारखानेदार को ज्यादा बिजली मिल सके।

[श्री जय प्रकाश]

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश का आप ज्यादा ध्यान रखिये क्योंकि वहां जब सूखा पड़ा तो पंजाब ने हमारा पानी बंद कर दिया। जब बारिश ज्यादा हुई तो एसवाईएल में पानी डाल दिया जिससे हम बाढ़ में बह गये। हमें बिजली मिलती नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया जावे जो ऐटामिक एनर्जी का हो, जो गैस बेस्ड हो। आज हिन्दुस्तान में गैस की कोई कमी नहीं है इसलिए आप गैस का बढ़िया प्लांट लगायें।

जब सूखे की बात आती है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम केन्द्र से भीख नहीं मांगेंगे। जब बाढ़ की बात आती है तो कहते हैं कि हम केन्द्र से पैसा नहीं मांगेंगे। बिजली की बात आती है तो कहते हैं कि हम केन्द्र के सामने हाथ नहीं फैलायेंगे। साढ़े चार साल से हरियाणा के किसान को 10 पैसे का अनुदान भी नहीं मिला। वहां बिजली का बहुत बड़ा अभाव है। थर्मल पावर प्लांट हरियाणा प्रदेश में पिछले पांच साल से नहीं लगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाये।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने नियम 193 के अधीन इस चर्चा की शुरूआत की। कारण यह है कि ऊर्जा विकास का इंजन है। बिना विद्युत के यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

आज हम विद्युत की कमी की चर्चा कर रहे हैं जिसकी पूरे देश में अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई है। पिछले विद्युत सर्वेक्षण से यह पता चला था कि हमारे पास प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट विद्युत की कमी चल रही है। इसलिए, इसकी पूर्ति के लिए पिछली राजग सरकार ने वर्ष 2001 में विद्युत विधेयक की पहल की थी। इसमें यह विचार किया गया था कि वर्ष 2012 तक, इससे देश में एक लाख मेगावाट विद्युत बढ़ेगी एवं कुछ हद तक विद्युत क्षेत्र में कुछ सुधार हो सकेगा। मैं सत्ता में आई नई सरकार से आशा करता हूं कि यह इस नीति का अनुसरण करेगी एवं देश को उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजग सरकार द्वारा शुरू किये गए अकार्यान्वित नवीन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगी ताकि हम विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें।

मूलत:, विद्युत विधेयक जो पिछली सरकार द्वारा पारित किया गया था, विद्युत अधिनियम, 1910 का मिश्रण था। वह अधिनियम 1948 तक हमारा मार्गदर्शन करता रहा। इसलिए, दो अधिनियमों के मिलान कर विद्युत अधिनियम बनाया गया एवं इसे कानूनी रूप दिया गया। अंतत: यह सभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। जैसा कि 13वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में मुझे याद है कि उस विधेयक का कोई विरोध नहीं हुआ था। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह सरकार बिना किसी भेदभाव के विभिन्न राज्यों के साथ कोई भेदभाव करे बिना पहले विधेयक में किए गए उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन करने पर ध्यान देगी।

महोदय, मैं उड़ीसा राज्य से हूं जिसे विद्युत की अधिकता कला राज्य कहा गया है। हमारी सरकार के दौरान तालचर में ताप विद्युत संयंत्रों में प्लांट लोड फैक्टर सात प्रतिशत से 35 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत बढ़ा है।

मैं आपके राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। अन्य राज्यों में भी जहां ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं वहां भी ऐसी ही स्थिति है।

एक बात का मुझे अचरज हो रहा है और वह यह कि पिछले पचास वर्षों तक सरकार रहने के बावजूद नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन बहुत कम रहा है। आज जो हम अधिष्ठापित क्षमता लगा रहे हैं वह मात्र 2.4 प्रतिशत है। परन्तु इस क्षेत्र में समुचित रूप से खोज ही नहीं हुई है। निस्संदेह, विद्युत का यह विशेष स्रोत ऊर्जा मंत्रालय के अधीन नहीं है। मुझे पता है कि यह अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसलिए, मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश के लिए और अधिक विद्युत का उत्पादन करने हेतु अंतरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग पर दबाव डाले।

आज यह बड़ी अचरज की बात है कि भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग मात्र 350 कि. वाट है। परन्तु साथ ही साथ पारेषण और वितरण के घाटे इतने अधिक हो गये हैं कि सरकार को इस पर एक विधेयक लाना होगा ताकि अधिकारियों को मंडल, उप मंडल स्तरों पर और अधिक शक्तियां दी जा सके जहां वे घाटों को रोक सकें क्योंकि ऊर्जा की बचत का अर्थ ऊर्जा में बढ़ोत्तरी करना है। इसलिए, सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सीधा रुख अख्तियार करना चाहिए। आज हम बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। यह सम्माननीय सभा इस पहलू पर चर्चा कर रही है। इसे समुचित उपाय प्रस्तुत करने चाहिए ताकि भविष्य में हमें इस पर चर्चा न करनी पड़े।

अनेक राजनीतिक वादे किए गए हैं कि किसानों के मामले में बिजली बिल माफ किये जाएंगे। पंजाब सरकार ने लोगों से वादा किया है कि वह बिजली बिल माफ कर देगी। क्या यह व्यावहारिक है? क्या वह व्यावहारिक तौर पर ऐसा कर सकती है।

अब जहां कहीं भी चुनाव होने जा रहे हैं वहां सभी राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं कि हम बिजली की बकाया राशि माफ कर देंगे और किसानों को निःशुल्क बिजली मुहैय्या कराएंगे। परन्तु हमें इस कदम की संभाव्यता को सुनिश्चित करना है क्योंकि यदि हम सोने की मुर्गी को ही मार देंगे तो हमें सोने का अण्डा नहीं मिलेगा। सोने की मुर्गी की एक कहानी है जो सोने का अण्डा देती है। इसलिए या तो आप इस मुर्गी को मार देना चाहते है या फिर आप इस मुर्गी को बचाना चाहते हैं जो सोने का अण्डा देती है क्योंकि आज विद्युत क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और चाहे वे कृषि क्षेत्र हो या फिर उद्योग, बिजली के बगैर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए, विद्युत की कमी वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि देश में अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हो सके।

महोदय, अरुणाचल प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य करीब 54,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, सियांग नदी, लोहित नदी और तिरप नदी को मिलाकर 50,382 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जिसके पास विद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता है, राजग सरकार को छोड़कर सभी पिछली सरकारें अब तक मात्र 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही कर पाई हैं। इस प्रकार, वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यही कुछ कर रही हैं।

उड़ीसा में विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। किन्तु परियोजनाओं की स्वीकृति और उन्हें पूरा करने में इतना समय लग जाता है कि किफायतीपन ही समाप्त हो जाता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस समस्या के निवारण के लिए कोई तंत्र बनायें। किसी परियोजना की घोषणा करते समय इस बात की भी घोषणा की जानी चाहिए कि इसे कब तक पूरा किया जाएगा। किसी विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में अनेक मंत्रालय शामिल होते हैं। इसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल होते हैं। माननीय मंत्री, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह यहां उपस्थित हैं। वह बिहार के हैं। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। स्वर्णरेखा परियोजना जिसे शुरू किया जाना था, जिससे करीब 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ होता तथा जिससे उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र में भूमि सिंचित हुई होती, लेकिन वह शुरू ही नहीं हो सकी क्योंकि झारखण्ड सरकार ने नहीं बल्कि तत्कालीन बिहार सरकार ने श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में इस पर आपत्ति जताई। जबकि झारखण्ड के मुख्यमंत्री, श्री अर्जुन मुण्डा ने कहा था कि हम लोग स्वर्ण रेखा और क्वायलकारो परियोजाओं की धीरे-धीरे क्रियान्वित करेंगे। इस प्रकार विद्युत उत्पादन के मामले में पूर्वी क्षेत्र को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया है और वहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या लोगों को घर खाली करने की है। घर खाली कराने की भी एक समुचित तरीका होना चाहिए। नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए 400 कि.वा. लाइन का जल्दी से निर्माण किया जाना चाहिए।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो कि एक पिछड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। किन्तु मेरा जिला 600 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन करता है। जलविद्युत काफी अच्छे किस्म की विद्युत है। यह काफी स्वच्छ और प्रदूषण रहित विद्युत है। एकमात्र समस्या जनजातियों का पुनर्वास तथा पड़ने वाला पर्यावरणीय प्रभाव है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ताप विद्युत परियोजना और पन विद्युत परियोजनाओं के विस्थापितों का समुचित ख्याल रखना चाहिएं। यदि उनका समुचित पुनर्वास किया जाता है तो वे इन परियोजनाओं का स्वागत करेंगे। उनके लिए नौकरियां भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कम से कम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां, जिनके लिए अधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, इन लोगों को दी जा सकती हैं ताकि वे इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें। जलविद्युत की अपार संभावनाएं हैं।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस विद्युत विधेयक के माध्यम से विनियामक परिषदों के बनने के पश्चात् मेरा राज्य उड़ीसा देश का पहला राज्य है जिसने विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है।

पहले विद्युत बोर्ड तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एक साथ मिलकर देश में विद्युत कार्यक्रमों की निगरानी करते थे। परन्तु आज विद्युत बोर्डों की चिन्ताओं को भी तो देखिये सही। 1,00,000 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा हो रहा है। इसलिए, इस परिस्थिति में एकमात्र उपाय विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना है। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि अधिकांश राज्यों ने विनियामक प्राधिकरण की स्थापना इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें बड़ी राजनीति है। मुझे पता है कि विद्युत बोर्डों में 'सीटू' और अन्य यूनियनें मजदूर यूनियनों को नियंत्रित करती हैं तथा वे देश की बदौलत ऐसा नहीं करने दे रही हैं। मैं समझता हूं कि कुछ त्याग किया जाना चाहिए और विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। महोदय, मैं आपको बता दूं कि भाकपा के पूर्व विधान सभा सदस्य, श्री प्रसन्न कुमार पाण्डा, ब्रजराजनगर को

[श्री बिक्रम केशरी देव]

खाली करने के संबंध में धरना पर बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में दल का हित नीचे रखा जाना चाहिए और देश का हित ऊपर तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत बोर्डों और विनियामक परिषदों में समुचित समन्वय होना चाहिए ताकि देश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके और गरीब किसान अथवा गरीब व्यक्ति अपने घरों में आवश्यक विद्युत प्राप्त कर सकें।

कुटीर ज्योति कार्यक्रम और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम मात्र कागजों तक सीमित होकर रह गये हैं। आप सौर ऊर्जा लगाइये और कहें कि गांव का विद्युतीकरण हो गया। आप बिजली की एक लाइन खीचें, इसे गांव के मध्य तक न ले जाएं बल्कि इसे गांव के किनारे पर ही छोड़ दें और कहें कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया। एक गरीब किसान अथवा गरीब ग्रामीण पूंजी कहां से लाएगा जिससे वह अपने गांव में बिजली ला सके या अपने बच्चों को शिक्षा दे सके अथवा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सके या टेलीविजन देख सके या उसका बच्चा घर पर पढ़ सके ताकि उसकी व उनके जीवन में प्रगति हो सके।

इन सभी कारकों पर विचार करते हुए, मैं श्री पाण्डा द्वारा की गयी इस चर्चा का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के एक अंग के रूप में—प्रत्यक्षत: नहीं, बल्कि सं.प्रग. सरकार को समर्थन देते हुए–वे निष्ठापूर्वक यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विद्युत से संबंधी मुद्दों और कार्यक्रमों, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो।

मैंने पिछली लोक सभा का सदस्य होने के नाते श्री पाण्डा और वाम मोर्चा के अनेक अन्य सदस्यों को इस विधेयक का समर्थन करते हुए देखा है। उसका कोई विरोध नहीं किया गया था। *...(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): नहीं, यह सच नहीं है। हमने इस विधेयक का विरोध किया था। *...(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: उन्होंने इसका पूर्णतया विरोध नहीं किया था। कोई निर्णय नहीं लिया गया था, परन्तु उन्होंने इस विधेयक का अनुमोदन किया था। *...(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): यदि वह कार्यवाही-वृत्तांत को देखें तो पाएंगे कि हमने इसका विरोध किया था *...(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: इसका अभिप्राय है कि वे बिजली नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बगैर जो कुछ भी बोला जाएगा, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित किए थे। अब तक, हमने दो घंटे और 40 मिनट लिए हैं। इस मुद्दे पर अभी भी दस से ज्यादा सदस्यों को बोलना है और माननीय मंत्री जी भी इस चर्चा पर जवाब देंगे। जूट उद्योग पर नियम 193 के अन्तर्गत एक दूसरी चर्चा की जानी है। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से संक्षिप्त भाषण देने का अनुरोध है ताकि मैं अन्य मुद्दों पर अधिक संख्या में सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान कर सकूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती, कृपया अब आप अपना भाषण दें।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जाधवपुर): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देना चाहता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

इस अवसर पर चूंकि मेरा यह पहला भाषण है, मैं इस सम्मानीय सभा के सभी सहयोगियों को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूं।

निश्चित रूप से, श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा रखा गया प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में कोई भ्रम नहीं है। इसे विद्युत अथवा बिजली कुछ भी कहें, यह देश के समक्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विकास का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर कोई शंका नहीं है। परन्तु, हमारी स्वतंत्रता के 57 वर्षों के बाद, आज भी, हमारे यहां एक लाख राजस्व ग्राम ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। मेरे विचार से विद्युत तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा अब बदल गई है। पहले, एकल विद्युत कनेक्शन वाले मौजा अथवा ग्राम को विद्युतीकृत मौजा अथवा राजस्व ग्राम माना जाता था। अब, इसे कम से कम 10% पर्यावासों में विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। मैं विभाग तथा मंत्री से देश में विद्युतीकरण की रूपरेखा को पुनर्निधारित करने और पुनर्सर्वेक्षण करने और अंतिम रुप देने का अनुरोध करता हूं। यदि ऐसा समुचित रुप से किया जाता है तो संभवत: नई परिभाषा के अनुसार, हमारे यहां 30 या 40 प्रतिशत से अधिक गैर-विद्युतीकृत ग्राम होंगे। इसी प्रकार,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

50 प्रतिशत से अधिक घरों में विद्युत नहीं है। यदि गांव अथवा घरों में विद्युत है, तो इसकी गुणवत्ता खराब है। और तो और दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में विद्युत-कटौती, विद्युत की कमी और लोड-शेडिंग से तबाही हो रही है। इस प्रकार, हम जानते हैं कि स्थिति बहुत भयावह है।

महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में, हरियाणा को, विनिर्माण क्षेत्र में विद्युत की कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। कर्नाटक को विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 2.2 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में भी हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हरियाणा के मामले में, यह नुकसान 3.1 प्रतिशत का था। कर्नाटक के मामले में यह नुकसान 13.3 प्रतिशत था। इस प्रकार, वस्तुत: राष्ट्र हित में भारी नुकसान हो रहा है। अतएव, इन पर उचित रुप से गौर करना चाहिए। मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि विद्युत अधिनियम 2003, जिसे पिछले चार या पांच वर्षों में तैयार किया गया था, ही समाधान हो सकता है। मेरे विचार से यह कोई समाधान नहीं है। यह सम्पूर्ण समाधान नहीं है। यदि हम विस्तृत ब्यौरों पर बयान दें, तो यह व्यर्थ साबित हो सकता है। हमारे द्वारा भारी व्यय का वहन किया जाना होगा। इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। विद्युत अधिनियम में क्या समाधान दिया गया था? पूर्व की सरकारों द्वारा क्या समाधान दिया गया था? वस्तुत:, यह विभिन्न पहलुओं वाले निजीकरण की ओर लक्षित था। यह उत्पादक तथा संवितरण में निजीकरण के प्रति लक्षित था। परन्तु पारेषण अनिवार्य रुप से सरकार के पास होना चाहिए और उत्पादन और संवितरण, निजी क्षेत्र के पास होना चाहिए। क्यों? हम एनरान की नियति के बारे में और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों के बारे में जानते हैं। संभवत:, हम आगे नहीं बढ़ सके। मैं बाद में आंकड़ों की बात करूंगा। इस अधिनियम में निश्चित रुप से नहीं, बल्कि सरकार के दृष्टिकोण में वर्ष 2012 तक घरेलू कनेक्शन और 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनाई गई थी। हम वर्ष 2012 तक घरेलू विद्युतीकरण को पूरा करने की अपेक्षा रखते हैं और हम प्रति सब्सिडी को जारी रखने में इच्छुक नहीं हैं। इसे एक समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस चर्चा के दौरान हमारे मित्रों द्वारा हमारे किसान वर्ग और ग्रामीण जनता की दशा के बारे में उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार लागत में वृद्धि हो रही है, उस पर गौर कीजिए इसमें 6 रुपए प्रति इकाई तक की वृद्धि होने वाली है। यह मुद्दों का वास्तविक और समुचित समाधान नहीं हो सकता।

महोदय, वर्ष 2003 के इस अधिनियम में, हम देखते हैं कि संवितरण के संबंध में, विशेषाधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंसिंग का कोई प्रश्न नहीं है। शहरी क्षेत्रों में, लाइसेंसिंग होनी चाहिए क्योंकि कई कंपनियां इच्छुक हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में, लाइसेंसिंग का कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां भी इच्छुक नहीं होंगी। निजी एजेंसियों अथवा सहकारी एजेंसियों को निम्न लाइसेंस के इसे पूर्ण रुप से सौंप कर अंत में हम विद्युतीकरण विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी अपने उत्तरदायित्व से इंकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से, पूरे मुद्दों को नए दृष्टिकोण से देखे जाने की तत्काल आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि, माननीय प्रधान मंत्री और मंत्रालय उचित रुप से योजना बना रहे होंगे। उन्हें इसे ठीक प्रकार से योजनाबद्ध करना चाहिए।

विद्युत को लाभ एवं नुकसान के अर्थों में अंकगणितीय तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। देश की वृद्धि दर, इसकी अर्थव्यवस्था और प्रत्येक बात के समूचे प्रश्न पर ठीक से मिश्रित करना चाहिए।

दूसरा मुद्दा, जिसका मैं संदर्भ देना चाहता हूं, वह कई वर्षों से उत्पादन के मामले में दिशा निर्धारित नहीं किया जाना है। हम ताप विद्युत पर पूर्णत: निर्भर कर रहे हैं। हम ताप विद्युत संबंधी समस्याओं को जानते हैं। ताप विद्युत उत्पादन की प्रमुख समस्या यह है कि देश में जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है। मेरे विचार से यह और 40 से 50 वर्ष चलेगा, जैसाकि अध्ययन से पता चलता है। संभवत: विश्व स्तर पर भी, जीवाश्म ईंधन भंडार में कमी आ रही है। हम मुख्यत: जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों हैं? हम पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामों पर गौर करें। पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में, हम 33 प्रतिशत जल विद्युत का उत्पादन कर रहे थे। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में, इसमें 40 से 46 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। परन्तु, इसमें पुन: गिरावट आई। आठवीं योजना के पश्चात्, यह 24 से 26 प्रतिशत की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार, हम उत्पादन की योजना समुचित रूप से नहीं बना रहे हैं। आप जानते हैं कि यह अनुपात 40:60 होना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है कि 40 प्रतिशत पनविद्युत और 60 प्रतिशत तापविद्युत हो। इस प्रकार, पनविद्युत पर समुचित प्रयास किया जाना चाहिए।

केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही, 58,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है। आज तक क्या हुआ है? आज तक हम 1334 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं, जोकि उससे 2 प्रतिशत से भी कम है और 2,334 मेगावाट उत्पादित किया जाना है। इसे सम्मिलित करने पर यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्त क्षमता का तीन से चार प्रतिशत होगा। इस प्रकार, विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पनविद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा नाभिकीय विद्युत के बारे में है। यह समस्त उत्पादन का केवल दो प्रतिशत है। इसमें पूर्वी क्षेत्र में कोई नाभिकीय विद्युत संयंत्र नहीं है। क्यों? वहां भंडार उपलब्ध है। पूरे देश में कोयला इत्यादि का वहन किया जाता है। इसलिए, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, नाभिकीय विद्युत हेतु विशिष्ट योजना की तत्काल आवश्यकता है।

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

तीसरा गैर-पारंपरिक ऊर्जा है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा के संबंध में हमारा लक्ष्य क्या है? 1,12,000 राजस्व गांवों में से हमने लगभग उन 18,000 गांवों की पहचान की है, जहां गैर-पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। हम गैर-पारंपरिक ऊर्जा को मुख्यत: सुगमता की दृष्टि से देख रहे हैं। हमें इसे उत्पादन तथा स्वच्छ विद्युत की दृष्टि से भी देखना चाहिए। स्पष्ट रुप से गैर-पारंपरिक ऊर्जा अत्यधिक स्वच्छ विद्युत है और यहां तक कि यह जल विद्युत से भी बेहतर है। हमें इसकी उचित ढंग से योजना बनानी चाहिए ताकि गैर-पारंपरिक ऊर्जा पर अनुसंधान अंकित हो सके।

मेरा विश्वास है कि सरकार द्वारा उत्पादन के साथ वितरण आदि में भी दिशा को उपयुक्त रुप से निर्धारित किया जाना चाहिए। मैं अपने उन मित्रों के साथ विचारों को बांट रहा हूं जो कह रहे थे कि देश का पूर्वी भाग उपेक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, समाप्त करें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मैं और तीन मिनट का समय लूंगा।

यह भावना रही है अथवा यह कहा जा रहा है कि गत पांच वर्षों में यह बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है, यह बहुत ही सही निर्णय लिया गया था तथा विद्युत के क्षेत्र में सही कदम उठाए गए हैं। मैं इससे अलग राय रखता हूं। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु इन मुद्दों की गहराई से जांच कर रहे थे। शायद, यही कारण हो कि उन्हें जाना पड़ा। मैं नहीं जानता, लेकिन क्या हुआ?

एक माननीय सदस्य: *...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप को अभी बोलना है। जब आप बोलेंगे तो फिर वे भी बीच में बोलेंगे, फिर क्या बनेगा?

डा. सुजान चक्रवर्ती: यदि आप गत पांच वर्षों में विकास के तथ्य देखते हैं तो हम वास्तविक पिक्चर देखेंगे। उत्पादन में वृद्धि कितनी थी? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, बीच-बीच में टिप्पणी न करें।

श्री विक्रम केशरी देव: उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है जो कि सभा का सदस्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं रिकार्ड देखूंगा, यदि नाम होगा तो मैं उसे निकलवा दूंगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यदि उन्होंने पूर्व मंत्री के बारे में उल्लेख किया है तो यह ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, जो कि सभा का सदस्य नहीं है। वह सरकार की नीतियों पर आरोप लगा सकते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इसे पहले ही निकलवा दिया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह रेकार्ड पर नहीं जाएगा, आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती: वर्ष 1995-96 से वर्ष 1998-99 तक उत्पादन में 379.8 बिलियन यूनिट से 481 बिलियन यूनिट वृद्धि हुई। इसलिए, 1995-96 और 1998-99 के बीच 30 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1998-99 और 2003-04 के बीच उत्पादन 481 बिलियन यूनिट से बढ़कर 558.1 बिलियन यूनिट हुआ था। गत पांच वर्षों में, उत्पादन में मात्र 16 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पिछले पांच सालों में इसमें 30 प्रतिशत वृद्धि हुई ...(व्यवधान)। मैं इसका पुन: जिक्र करूंगा, इसके साथ ही इन आंकड़ों के अलावा, आप देखेंगे कि नौवीं योजना से आगे हमने निजीकरण, अवसंरचनात्मक योजना, इत्यादि की बातें की। इनका क्या हुआ? यहां तक कि 16 प्रतिशत की प्रति गारंटी स्वीकृत की गयी थी। गत सात वर्षों में क्या परिणाम निकला?

इसलिए, मैं विश्वास करता हूं कि उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए जिस तरह से मेरे कुछ मित्र देख रहे हैं। स्पष्ट रुप से मेरा इससे मतभेद है। राष्ट्रीय ग्रिड अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत का पूर्वी भाग स्पष्ट रुप से सापेक्षत: बुरी स्थिति में है।

मेरा अंतिम प्वाइंट वर्ष 2007 तक सभी गांवों में विद्युतीकरण हो और सभी घरों में वर्ष 2012 तक विद्युतीकरण हो। सरकार ने इस संबंध में स्वयं सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों यथा एन.टी.पी.सी. जलविद्युत निगम और दो अन्य उपक्रम हैं जो कि विद्युत उत्पादन से संबंधित हैं जैसे चार उपक्रमों को ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्माण की जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है। हम उत्पादन में भी पिछड़ रहे है, लेकिन आर.ई.सी. ने इन संगठनों के साथ समझौता किया है ताकि ये सभी उत्पादक कंपनियां ग्रामीण विद्युतीकरण में निर्माण करें। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या औचित्य है? क्या हम अपने दृष्टिकोण से अलग होते नहीं जा रहे है?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तिहतरवें संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण विद्युतीकरण में पंचायतों को शामिल करने और होने की संभावना दी है। यही सही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें। मैंने आपको 13 मिनट का समय दिया है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: इसलिए, मेरा विश्वास है कि सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण में स्पष्ट रूप से पंचायतों को शामिल करने के मामले की पुनर्जांच करेगी स्पष्ट रूप से यह बेहतर होगा। इसलिए, मैं यह कहकर कि इसे गहराई से पुन देखें जाने की आवश्यकता के साथ में समाप्त करता हूं। इसे विभिन्न समूहों, सदस्यों और पंचायत प्रणाली के प्रतिनिधियों आदि से सलाह मशवरे की जरुरत है। नई नीति को स्पष्ट रुप से बनाए जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने सभी साथियों और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में विद्युत की अत्यधिक कमी के बारे में, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*कर्नाटक में गत तीन वर्षों से कई भयानक सूखे पड़े हैं। इस वर्ष राज्य में कुछ वर्षा हुई लेकिन यह वर्षा जल रागी, ज्वार आदि जैसी फसलों के लिए ही पर्याप्त है। राज्य में टैंक भरे नहीं हैं और प्रमुख बांधों को भी इष्टतम स्तर पर जन्म नहीं मिला है। इसलिए, कर्नाटक में कृषक समुदाय को जल समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इसके अलावा, पूरे राज्य में विद्युत संकट भी है।

राज्य सरकार का कहना है कि किसानों को प्रत्येक दिन कम से कम चार घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन तुमकुर जिले में किसानों को मुश्किल से दो घंटे ही बिजली मिलती है। पूरे जिले में वालटेज में उतार-चढ़ाव होता रहता है। इससे किसान समुदाय के लिए गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। वास्तव में कर्नाटक के दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण बिजली के बारे में कुछ भी नहीं जानते है। इन परिस्थितियों में किसानों के जीवन स्तर में कैसे सुधार हो सकता है? ग्रामीणों और किसानों की उपेक्षा करके हमारा किस प्रकार का लोकतंत्र है?

पूरे देश में बिजली की चोरी चरम सीमा पर है और कर्नाटक इसका अपवाद नहीं है। हमारे राज्य में कई क्षेत्रों में विद्युत तार बहुत पुराने हैं। कई स्थानों पर ये तार टूटे पड़े हैं। इससे अन्ततोगत्वा बिजली की क्षति होती है और कुछ लोगों को इन जिंदा तारों को छूकर के अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

बिजली की मांग दिन ब दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। इसलिए, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्य संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए।

इसी प्रकार, ताप विद्युत संयंत्रों को भी अधिक विद्युत का उत्पादन करना चाहिए। रायचूर ताप विद्युत संयंत्र में अक्सर खराबी आ जाती है और इसे दूर करने में महीनों लग जाते हैं। इसलिए, ऐसे उचित कदम उठाए जाने अति अनिवार्य हैं जिससे कि इन विद्युत संयंत्रों में खराबी उत्पन्न न हो।

देश में विशषत: कर्नाटक राज्य में जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत पर्याप्त नहीं है। इस उद्देश्य हेतु कनकपुरा तालुक में मेकेदातु और बैंगलोर के निकट मुटीयालमाडु आदर्श स्थान हैं। कर्नाटक में और भी कई अन्य ऐसे स्थान हैं जहां जल विद्युत संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। वहां सम्पूर्ण बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसलिए, मैं माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री, श्री पी.एम. सईद जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में कम-से-कम दो जल विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कृषक इसलिए परेशान होते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि केन्द्र को ही कर्नाटक के कृषकों के बचाव में आगे आना होगा।

केन्द्र और राज्यों को विद्युत के समुचित आबंटन के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, लाइनमैन (कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड) ग्रामवासियों को बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वास्तव में, उन्हें ग्राम पंचायत मुख्यालय में उपस्थित होना चाहिए। ग्रामवासी और कृषक उनकी तलाश करते रहते हैं और वे उन्हें ढूंढ़ पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसी ही और भी कई समस्याऐं हैं जो काफी हद तक विद्युत आबंटन को प्रभावित करती हैं। इसका समाधान सम्बन्धित विद्युत बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए और केन्द्र को इन मामलों में गहन रुचि लेनी चाहिए।

अब, कर्नाटक में विद्युत बोर्ड उन सभी स्थानों पर मीटर लगाने की योजना बना रहा है जहां कृषि के लिए विद्युत उपयोग की जा रही है। राज्य का कृषक समुदाय राज्य के इस कदम का विरोध कर रहा है। कृषकों को निशुल्क विद्युत प्रदान की जानी चाहिए। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषक हम सभी को भोजन उपलब्ध कराते हैं। हमें इसका प्रतिदान करना चाहिए

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एल. मल्लिकार्जुनैया]

और उन्हें खेती के लिए मुफ्त विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए। तभी अनाज, फल, सब्जी और अन्य वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। अन्यथा, मूल्यों में तेजी से वृद्धि होगी और मुद्रा स्फीति में तेजी आयेगी। इस देश के लोग पहले ही मुद्रास्फीति और अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर भारत सरकार से देश के सभी कृषकों को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने की अपील करता हूं जिससे कि कृषक न केवल हमें खाद्यान्न उपलब्ध करवायेंगे अपितु खाद्यान्नों के निर्यात में हमारी सहायता करेंगे तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बी. महताब—उपस्थित नहीं। अब श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बिजली एक महत्वपूर्ण विषय है और बिजली का संकट पूरे मानव जीवन को प्रभावित करता है। महोदय, मैं समय की मर्यादा को जानता हूं, इसलिए ख्याल रखूंगा। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव हमारे वरिष्ठ साथियों ने दिए, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। यह बात सही है, अभी हमारे साथी ने कहा कि 1910 में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कुछ बड़े महानगरों में निजी कम्पनियों ने बिजली की शुरुआत की और उस जमाने में बिजली को विलासिता की चीज समझा जाता था। आजादी के बाद यह महसूस किया गया कि बिजली विलासिता की चीज नहीं है, विकास की एक आधारशिला है और उसी के चलते 1948 में जब डा. अम्बेडकर इस देश के कानून और बिजली मंत्री थे, उस समय इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट बना था। आज चाहे कृषि हो उद्योग का सवाल हो, सेवा क्षेत्र का सवाल हो, बिजली की आवश्यकता के बगैर कोई क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि बिजली और विकास दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आज जो सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्री पिछली लोक सभा में उपाध्यक्ष थे और मैंने उन्हें कई बार उपाध्यक्ष के रूप में आसीन होते हुए देखा है। इसलिए वह जब कभी मिलते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है कि यह ऊर्जा मंत्री हैं। मुझे यही लगता है कि यह उपाध्यक्ष ही हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे उन्हीं का रूप समझिए।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप यह जो आठ प्रतिशत विकास की दर हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए आगे आने वाले पांच वर्षों में बिजली उत्पादन में कम से कम 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजली उत्पादन के परिणाम अब तक सामने आए हैं, वे कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। नौवीं और दसवीं योजना में बिजली उत्पादन में भारी कमी के कारण मांग और आपूर्ति का अंतर काफी बढ़ गया है। इस समय देश में कुल बिजली की उत्पादन क्षमता लगभग एक लाख मेगावाट है।

2011-2012 तक अगर एक लाख अतिरिक्त मैगावट बिजली का उत्पादन हम नहीं करेंगे तो जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर सकते। छठी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत 24,100 गांव प्रतिवर्ष विद्युतीकरण करने का था, लेकिन सातवीं योजना में यह 20,100 गांव रह गया। नवीं योजना में यह आंकड़ा कोई खास आगे नहीं बढ़ा और सरकार का लक्ष्य जो 2007 तक गांवों में बिजली पहुंचाने का है। इन आंकड़ों के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि वह असम्भव सा दिखायी देता है।

मैं ऊर्जा मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहूंगा कि जो बिजली के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं, कितने गांवों में विद्युतीकरण हो गया, मेहरबानी करके कोई तंत्र विकसित करिये और उसकी जांच-पड़ताल करवाइये। होता क्या है कि हमने कह दिया कि हमने फलां गांव में विद्युतीकरण कर दिया। एक राजस्व गांव है, उस गांव के सात, आठ, दस मुजारे हैं और कई गांव तो ऐसे हैं कि उन गांवों के उपग्राम राजस्व गांव से बड़े हैं। जब हम विद्युतीकरण की बात करते हैं तो विद्युतीकरण का मतलब होता है कि जो गांव राजस्व गांव हैं, उस नाम से हमने विद्युतीकरण कर दिया। उसके बाद 10-12 उपग्राम हैं। उन उपग्रामों में हम विद्युतीकरण नहीं करते, इसलिए एक गांव के एक हिस्से में, आंशिक हिस्से में अगर बिजली पहुंच जाती है तो हम मानकर चलते हैं कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया, जो किसी भी कीमत पर न व्यावहारिक है, न न्यायसंगत है। इसे देखने की आवश्यकता है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 6,07,491 गांवों में से अब तक 4,93,204 गांवों तक बिजली पहुंची है। ये सरकारी आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों का सही आंकलन कर लें तो मैं समझता हूं कि वह संख्या और भी कम होगी।

बिजली 80 प्रतिशत थर्मल पावर सैक्टर से आती है। बिजली का उत्पादन कैसे करें, यह एक अलग सवाल है। सईद साहब ने स्वयं स्वीकार किया है कि आज बिजली की जो समस्या है,

उसका बहुत बड़ा कारण तकनीकी गड़बड़ी और विद्युत की चोरी है। राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और कोई राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में पैसे की कमी की वजह से नहीं चल रहा है, वह कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में चल रहे हैं, इसे देखने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: वहां आपकी सरकार है।

श्री रामजीलाल सुमन: हम थोड़े-बहुत यहां साझेदार हैं, थोड़े-बहुत आप वहां साझेदार हैं, लिहाजा पाप-पुण्य में दोनों भागीदार हैं। आप ज्यादा मत बोलिये, हमसे कुछ मत कहलवाइये। वे मेरे पड़ोसी हैं। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि तकनीकी कारणों से और बिजली की चोरी से ही बहुत कुछ आज बिजली का संकट है।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली स्वदेशी उत्पादन है। मुझे माफ करना, नेफ्था और गैस पर आधारित अगर आप बिजली बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि एक ईंधन पैदा करने के लिए आप दूसरा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयले से आप जो बिजली बनाते हैं, उस कोयले की क्वालिटी को सुधारने की आवश्यकता है। कहीं-कहीं तो देखने में आता है कि 60-65 परसेंट कोयले में राख होती है। जब तक कोयले की क्वालिटी को आप नहीं सुधारेंगे, नेफ्था और गैस पर आधारित बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर न रहें और दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बिजली के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है, बिजली क्षेत्र में जनता से टैक्स वसूल करके सब्सिडी दी जाती है, उसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलता।

ये सब्सिडी राज्य विद्युत बोर्ड के भ्रष्टाचार का शिकार बन जाती है। मैं समझता हूं कि राज्य विद्युत बोर्डों के क्रियाकलापों को देखने की आवश्यकता है। उनके काम को जब तक आप पारदर्शी नहीं बनाएंगे तब तक अच्छे नतीजे आने वाले नहीं हैं।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए चीनी मिल, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग आदि के उपभोक्ताओं के लिए जो कैपटिव पावर प्रोजैक्ट लगाने की अनुमति दी है, उसके कुछ अच्छे परिणाम आये हैं। बिजली की जो दर है, वह सस्ती है। उन लोगों ने काफी हद तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है लेकिन उनको जो लाइसेंस देते हैं, उस लाइसेंस पर आप यह प्रतिबंध लगाते हैं कि उनका जो प्रतिष्ठान हैं, उसी प्रतिष्ठान तक वह बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास अगर अतिरिक्त बिजली है, तो उस बिजली को वे बेच नहीं सकते। इस तरह वह बिजली बेकार चली जाती है। इस तरह का अगर कोई विचार आपके पास हो और मैं समझता हूं कि इस काम को यदि आप आगे बढ़ायें तो कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश कि सिलसिले में बहुत थोड़ा समय आपसे लूंगा। मेरा पहला निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान मांग है, वह लगभग 6,500 मेगावाट से 7000 मेगावाट के बीच में है जबकि केन्द्र और राज्य सरकार की विद्युत परियोजनाओं में विद्युत की कुल उपलब्धता 5000 मेगावाट से 5,200 मेगावाट के बीच में रहती है। मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर है, उसकी वजह से हमें बिजली की कटौती करनी पड़ती है। अब तो किसी भी सरकार का मूल्यांकन इस लिहाज से होने लगा है कि उस सरकार के समय में बिजली की क्या स्थिति रही।

आज उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है। दूसरा संकट हमारे सामने यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन गृहों से राज्यों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार जो विद्युत अंश दिया जाता रहा है, वह फार्मूला आज विभिन्न राज्यों की विद्युत की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जिसकी आबादी लगभग 17 करोड़ है, उस राज्य को केन्द्रीय विद्युत गृहों से आवंटित ऊर्जा लगभग 3,100 मेगावाट है। मैं किसी राज्य की आलोचना नहीं करना चाहता। हरियाणा की जनसंख्या 1.8 करोड़ है और आवंटित ऊर्जा एक हजार मेगावाट है। पंजाब की जनसंख्या 2.2 करोड़ है और आवंटित ऊर्जा लगभग 1300 मेगावाट है तथा राजस्थान जिसकी जनसंख्या 4.8 करोड़ है, उसकी आवंटित ऊर्जा लगभग 1200 मेगावाट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का आवंटन करें।

हम नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे राज्य का हक मारकर हमें दें लेकिन हमारी आबादी की जो आवश्यकता है, उसके अनुकूल आप हमें विद्युत की आपूर्ति करेंगे। यह स्थिति केन्द्रीय सेक्टर के विद्युत आवंटन में विसंगति इंगित करती है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश को कम से कम राजस्थान के समतुल्य लाने के लिए न्यूनतम 750 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा के आवंटन की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने हमारे सामने एक और संकट पैदा कर दिया है। वह संकट यह है कि जब उत्तरांचल राज्य बना तो उत्तरांचल राज्य बनने के समय भारत सरकार ने आदेश दिया कि उत्तरांचल राज्य को एक हजार मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए। जल विद्युतग्रहों की एक हजार क्षमता वाली बिजली ईकाई उत्तरांचल राज्य को

[श्री रामजीलाल सुमन]

हस्तांतरित हो गयी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार का फरमान जारी हुआ कि उत्पादित विद्युत का 10 परसेंट अंश भी उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तरांचल को दे दिया जाये।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार उत्तरांचल को इस समय 1300 मेगावाट ऊर्जा उपलब्ध हो रही है।

जबकि उत्तरांचल की आवश्यकता 500 से लेकर 600 मेगावाट के बीच है। जिन सूबों के पास क्षमता से ज्यादा बिजली है, वे अनाप-शनाप कमाई कर रहे हैं। कहीं बिजली ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तरांचल के पास जो विद्युत है, उत्तरांचल की विद्युत की जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक सरप्लस ऊर्जा उसके पास है।

अंत में, ऊर्जा मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर 2002 में केन्द्र सरकार द्वारा ग्रिड में अनुशासन बनाए रखने के लिए आपने एबीटीबी व्यवस्था लागू की। उत्तर प्रदेश द्वारा इस व्यवस्था का पूरा पालन किया गया परन्तु मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर होने के कारण उत्तर प्रदेश को अपने अंश से अधिक ऊर्जा आयात करने की बाध्यता उत्पन्न हो गई। पिछले कुछ समय से उत्तरीय क्षेत्र का प्रेषण केन्द्र नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत का आयात करने पर असामान्य रूप से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। 1.4.2004 से केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा राज्य द्वारा अपने अंश से अधिक विद्युत आहरित करने पर लागू विद्युत की अधिकतम दर 4.20 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.00 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। 4.20 रुपये से बढ़ाकर आपने 6.00 रुपये प्रति यूनिट बिजली कर दी है। आखिर कहां जाएं। आवश्यकता ज्यादा है और प्रदेश बड़ा है। जिन प्रदेशों के पास आज अतिरिक्त बिजली है, वे दे नहीं रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि यह जो स्थिति है, गत वर्ष यूआई चार्ज के रूप में दिल्ली ने 447 करोड़ रुपये तथा उत्तरांचल ने 74 करोड़ रुपये अर्जित किए। चालू वर्ष में दिल्ली एवं उत्तरांचल ने क्रमशः 173 करोड़ रुपये एवं 20 करोड़ रुपये यूआई चार्ज के रूप में अधिक लिए। उत्तर प्रदेश द्वारा गत वर्ष यूआई चार्ज के रूप में लगभग 145 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जबकि चालू वित्तीय वर्ष से अब तक 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा लगभग 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। यदि यूआई चार्ज की वर्तमान दरों को संशोधित नहीं किया गया तो यूआई चार्ज की धनराशि 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। हमसे 500-700 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूल किये जा रहे हैं। हमारी क्षमता, हमारी मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आज चारों तरफ त्राहि-त्राहि है, किसान मांग करते है। उसकी मांग अपनी जगह जायज है। बिजली मिल नहीं रही है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सूखा पड़ रहा है, चारों तरफ मार ही मार है और हम लोग असहाय स्थिति में हैं और उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके मार्फत ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। देश में विद्युत की समस्या अपनी जगह है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में उनकी अतिरिक्त कृपा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री—उपस्थित नहीं। श्री दुष्यन्त सिंह।

श्री दुष्यन्त सिंह (झालावाड़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह इस सभा में मेरा प्रथम भाषण है। मैं देश में विद्युत की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा आरंभ की गई है।

विद्युत देश के आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं का महत्वपूर्ण साधन है। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि हमारे देश का प्रत्येक राज्य अत्यधिक विद्युत समस्या का सामना कर रहा है, और मानसून की असफलता ने उत्तरी भारतीय राज्यों में इस स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है।

विद्युत समस्या ने कृषि, उद्योग और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2003-04 में भारत में विद्युत उत्पादन लगभग 558.1 बिलियन किलोवाट था। मैं यह कहता हूं कि इस समय देश में ऊर्जा की कमी लगभग 7.1 प्रतिशत है। सबसे अधिक खपत के समय यह कमी लगभग 11.2 प्रतिशत तक हो जाती है। सरकार ने देश में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना की है किन्तु मांग आपूर्ति की तुलना में बहुत अधिक है। नीति निर्माता आपूर्ति के पक्ष पर ही ध्यान दे रहे हैं जबकि उन्हें मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए।

मैं इस समय यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और इसलिए केन्द्र और राज्यों दोनों को भारत में विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए मिलजुलकर कार्य करना चाहिए।

मैं यह भी उल्लेख करता हूं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में हमने जून, 2003 में केन्द्रीय विद्युत अधिनियम पारित किया था। इसके मुख्य उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र

में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने में आने वाली बाधाओं को हटाने, आम आदमी अथवा उपभोक्ताओं की सहायता करना, गुणवत्ता और मूल्य विनियमन बनाना, शिकायतों का निवारण करना, जो लोगों को राज्य एवं जिला स्तरों पर होती है। राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन तथा राज्यों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा देना जो सम्बन्धित राज्य को क्षेत्र के विभिन्न भागों से विद्युत प्राप्त करने में सहायता करेगा जैसे व्यापक सुधार करना था।

मुझे इस अवसर पर कहना पड़ेगा कि राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। राज्यों में बिजली की बहुत चोरी हो रही है। इस समय ट्रांसमीशन तथा वितरण घाटा लगभग 34 प्रतिशत है। किसान, औद्योगिक क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहे हैं। एक विस्तृत पैकेज बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इनमें हम कुछ नए परिवर्तन कर सकें।

सत्ता संभालने के बाद वर्तमान सरकार ने बजट में दो प्रमुख क्षेत्रों-सभी के लिए बिजली तथा लघु उद्योग के उत्थान के लिए अवसर पैदा करने की बात कही थी। यह केवल तभी संभव है जब सभी संबंधित पक्ष साथ मिलकर चलें।

मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है। इसलिए मैं अपने राज्य राजस्थान पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करूंगा। जहां तक हमारे राज्य का संबंध है तो सिंधु जल संधि, सतलुज-रवि-व्यास जल बंटवारे जैसी कई राज्यों के साथ हमारी बहुत-सी संधियां हैं तथा यह आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना, यू बी डी सी चरण-2 परियोजना, शाहापुरा परियोजना तथा तीन बांध परियोजना जैसी अन्य जल विद्युत परियोजनाओं में से अपने हिस्से का दावा कर रहा है। समझौते के अनुसार राजस्थान को पंजाब से 575.54 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए। इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे प्रधानमंत्री की सहायता से पंजाब को हमारा हिस्सा जारी करने का निर्देश दें, जोकि उन्होंने अभी तक रोका हुआ है।

जहां तक आवासीय तथा व्यावसायिक उपभोक्ताओं का संबंध है तो बिजली के मूल्य बढ़ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तीन वर्ष की अवधि के दौरान बिजली के शुल्क में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा विभाग राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार कर रहा है। इसके बाद से ही शुल्क बढ़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार परमाणु ऊर्जा की यूनिट का मूल्य 264.49 पैसे प्रति यूनिट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और दरों को संशोधित करें।

मैं राजस्थान की ओर से कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार हमारी सहायता करे तथा परमाणु ऊर्जा का शुल्क घटाकर लगभग 1.75 रु. प्रति यूनिट करे।

राजस्थान में रायगढ़ परियोजना के माध्यम से ताप विद्युत के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। भारत सरकार गैस पाइपलाइन के लिए ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की बात कर रही है। मेरा सुझाव है कि यदि हमें पाइपलाइन मिलती है तो इससे रायगढ़ गैस संयंत्र को हमारे क्षेत्र में विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों की अपार संभाव्यता है क्योंकि राज्य के बारासिंघा तथा गुडा खण्डों में बड़ी मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है। विद्युत उत्पादन में यह उपयोगी सिद्ध होगा। मंजूरी की तारीख के 48 महीनों के भीतर ही पहली यूनिट आरंभ की जा सकती है। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का मामला केन्द्र सरकार के पास लंबित है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना को शुरु करने में हमारी सहायता करें।

हमारे राज्य में कोल इंडिया ने जागौर में कई नलकूप खोदे हैं। कोयला 'ग' श्रेणी का है तथा गुणवत्ता बहुत खराब है। परन्तु एक रूसी विशेषज्ञ हैं जिसने इस बारे में सकारात्मक रिपोर्ट दी है। इस क्षेत्र में एक भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना की स्थापना करना व्यवहार्य है।

भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम आरंभ किया है, परन्तु उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता नहीं दी। डी.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत अब तक 15,642 करोड़ रु. स्वीकृत हो चुके हैं। इसके दायरे में देश के लगभग 466 नगर हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले दो वर्षों में गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को प्रोत्साहन घटक के रुप में 80.5 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है। मेरा सुझाव है कि राजस्थान की आबंटन राशि बढ़ाई जाए तथा राजस्थान को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाए।

बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए हमें जल विद्युत, पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जोकि बहुत आकर्षक हैं। ये पुन: प्रयोज्य तथा प्रदूषण रहित हैं। पवन विद्युत उत्पादन की राजस्थान में अपार संभावना है परन्तु इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बिजली के और उत्पादन के लिए राज्य की अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता प्रदान करे जिससे कि लोगों की समस्याएं कम हो सकें।

जोधपुर में परियोजना के लिए नेफ्था संयंत्र से एल.एन.जी. संयंत्र में परिवर्तन के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति लंबित है। इसी प्रकार सीनार जिले में हर्ष प्रहलाद नामक एक और परियोजना है। अत: इस संबंध में मिलकर कार्य करने के लिए तथा इन मामलों में तेजी लाने के लिए हमें विद्युत तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता की आवश्यकता है।

[श्री दुष्यंत सिंह]

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध है, देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पावर ग्रिड कारपोरेशन तथा नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख तक यह संभव हो पाएगा। केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल दे रही है। सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अगले पांच वर्षों तक 490 करोड़ रु. प्रतिदिन की दर से लगभग 9 लाख करोड़ रु. की आवश्यकता पड़ेगी।

मैं यही कहूंगा कि यह कपोल कल्पना है। हमें निजी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के एक लाख गांवों को कवर करने के लिए एक त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिशानिर्देश क्या है तथा दिशानिर्देश कौन निर्धारित कर रहा है। दिशानिर्देश ऐसे बनाने चाहिएं जो केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि आम आदमी के लाभ के लिए इनका पूरा पालन किया जाए।

सरकार को लक्ष्यों को संशोधित करने तथा विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य विद्युत उपक्रमों को निर्देश देने चाहिएं। ट्रांसमिशन एवं वितरण हानि तथा बिजली की चोरी को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। दसवीं योजना, बिजली की समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं होगी। राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई ऊर्जा नीति बनाई जानी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केन्द्र से गैर-आबंटित कोटे से आबंटन को 20 से 35 प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से हमारी मांगों पर विचार करने तथा उस पर आगे कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मैं अध्यक्षपीठ तथा सभी-सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। मैं एक संक्षिप्त उद्धरण के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा:

[हिन्दी]

तरक्की के लिये जरूरत है, ताकत भी है यह बिजली,
कयामत है, शरारत है, इनायत भी है यह बिजली,
कोई बिजली किसी के ख्वाब में जब मुस्कराई,
तो कहा उसने जीने की इबादत है यह बिजली।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया जिसका संबंध देश की बेरोजगारी मिटाने, गरीबी दूर करने से जुड़ा हुआ है। मैं अपने साथी श्री प्रबोध पाण्डा के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन में इस विषय पर चर्चा करके एक दिशा-निर्देश देने का काम किया।

उपाध्यक्ष जी, दुनिया के महान चिन्तक कामरेड लेनिन ने रूस के जार के खिलाफ आन्दोलन किया और जब वह सत्ता में आये तो उस समय अखबार वालों ने उनसे पूछा कि वह समाजवाद लाना चाहते है, वह समाजवाद कैसे लायेंगे? कामरेड लेनिन ने उसका उत्तर एक वाक्य में दिया कि तुम हमें बिजली दो, हम समाजवाद ला देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली हमारी जीवन-रेखा के समान है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को महामहिम राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुये अपनी चिन्ता दर्शायी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य देश की मुख्यधारा से जुड़े हुये नहीं हैं। ये गरीब, कमजोर और बीमार राज्य हैं। उन्होंने इन राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने का इशारा किया था ताकि वे देश की मुख्यधारा से जुड़ जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम में भी इस ओर तवज्जह दी गई है कि इस क्षेत्र में हम विस्तार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं जो कहूं कि विद्युत के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के आजाद होने के वक्त हमारी विद्युत की इंस्टाल्ड कैपेसिटी मात्र 1362 मेगावाट थी। जो आज बढ़कर एक लाख बारह हजार मेगावाट हो गई है। इसके लिए हम अपने देश की सरकारों को बधाई देना चाहते हैं। पांच लाख गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, लेकिन देश की आजादी के 57 वर्ष के बाद भी कई लाख गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी है। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी श्री रामगोपाल यादव जी कल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिजली की पर-कैपिटा खपत जिस देश में ज्यादा है, उस देश ने जितनी ही ज्यादा तरक्की की है। आज अगर हम दुनिया के कुछ देशों से मिलान करें तो आप देखेंगे कि खपत के मामले में पर कैपिटा कंजम्पशन के क्षेत्र में ब्राजील 1783, चीन 719, यू.के. 5843, आस्ट्रेलिया 6606, यू.एस.ए. 8784 और भारत 586 है।

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): यह 15 यूनिट से 586 हुआ है।

श्री रघुनाथ झा: 15 यूनिट से आगे आपने बढ़ाया है, मैंने आपकी तारीफ की है। लेकिन हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बैठकर कोई ठोस मास्टर प्लान

बनाये। जब तक आप इस बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे, तब तक चाहे वह ट्रांसमिशन का मामला हो, जनरेशन का मामला हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, इस मामले में आपने जो लक्ष्य दसवीं पंचवर्षीय योजना में रखे हैं, वे पूरे नहीं हो पायेंगे। अभी माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन कह रहे थे कि इन्हें पूरा करने में आपको काफी समय लगेगा। आपको इन्हें प्रायोरिटी सैक्टर में लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम बिहार राज्य से आते हैं। हम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि बिहार का बंटवारा किसके कारण हुआ, लेकिन जिनके कारण बिहार का बंटवारा हुआ, उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी की गई या हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता के साथ अन्याय किया गया। बिहार के बंटवारे के बाद आप देखेंगे कि झारखंड की आबादी 1/4 है और बिहार की 3/4 है। हमारे उड़ीसा के मित्र कह रहे थे कि हमारे यहां तेनुघाट, स्वर्णरेखा और पतरातु थर्मल पावर स्टेशन थे, जिनसे लगभग दो हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है। उसमें से 1540 मेगावाट झारखंड में चली गई, जिसकी आबादी एक-चौथाई है और हमारे यहां मात्र पांच सौ मेगावाट रह गई, जिसकी आबादी तीन-चौथाई है। नेपाल से आने वाली बाढ़ को आपने फ्री छोड़ दिया है, वहां से आने वाली बाढ़ के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। हर वर्ष हमारे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है और भयंकर बाढ़ के कारण हमें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे पास कृषि के अलावा और कोई चीज नहीं है, उसके बदले हमारी भरपाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है।

अपराह्न 5.00 बजे

सईद साहब सदन के पुराने और अनुभवी सदस्य हैं। हम सबको कहने में कोई हिचक नहीं कि श्री सुरेश प्रभु योग्य और काम करने वाले मंत्री थे। जिन्होंने भी उनको हटाया, वह भी राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। कारण जो भी हो हम जानना चाहते हैं, लेकिन पोलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। एक योग्य व्यक्ति से जिस तरह आशा की जाती थी कि बिजली के क्षेत्र में वह कुछ काम करेंगे, क्योंकि उस आदमी को ज्ञान था, उस आदमी को जानकारी थी, कुछ करने की तमन्ना भी थी, और जब वे कुछ कर रहे थे, ऐसे समय में उनको हटा दिया गया। अब सईद साहब जैसे एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में इस मंत्रालय को दिया गया है। हम उनसे उम्मीद रखते हैं परंतु कोई फेवर नहीं चाहते लेकिन यह निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि वे यह जरूर देखें कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। महोदय, आप देखेंगे कि थर्मल पावर सैक्टर में हम कहना चाहते हैं कि बरौनी में 320 मैगावाट की क्षमता है, मुजफ्फरपुर कांटी में 220 मैगावाट की क्षमता है। कुल मिलाकर 540 मैगावाट की क्षमता है, परंतु उत्पादन 50 मैगावाट होता है। इसको बढ़ाने के लिए, इसके उन्नयन के लिए, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है। सईद साहब को कैबिनेट में मैमोरण्डम ले जाना है और वहां ले जाकर मंत्रिपरिषद से इसको स्वीकृत कराना है ताकि इसके माडर्नाइजेशन का काम आरंभ हो और उस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के कांटी के विस्तार में दो यूनिट्स की स्वीकृति हुई है जिसको 500 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन करना है। एक मैगावाट बिजली उत्पादन के लिए 4 करोड़ रुपये चाहिए और बिहार सरकार की इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने संसाधनों द्वारा इतना उत्पादन कर सके। इसके लिए आर्थिक संसाधन भी हमारे पास नहीं हैं। झारखंड बंटवारे के बाद तो स्थिति और भी खराब हुई है। इसलिए आज 300 मैगावाट बिजली अगर बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमें 2540 करोड़ रुपये चाहिए। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप इसको मंजूरी दें। हम नहीं चाहते कि आप हमें दे दीजिए। एन.टी.पी.सी. संस्था के अंतर्गत इसको कराने का काम आप करिये।

महोदय, अब हम जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। हम अधिक समय न लेते हुए दो-तीन बातें कहना चाहेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं में बिहार के इंद्रपुरी जलाशय योजना में 450 मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। उसमें झारखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति लेनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें सहमति दे दी है और यह जवाबदेही आपकी है और केन्द्र सरकार की है कि उन दोनों सरकारों से सहमति लेकर इसकी मंजूरी की जाए और पन बिजली का उत्पादन शुरू किया जाए। उसी तरह से कैमूर में 2580 मैगावाट पन बिजली पंप स्टोरेज लगाया गया है। इसको केन्द्र सरकार अपने अधीन ले और एन.एच.पी.सी. के द्वारा इसको कराने का काम करे।

महोदय, हम इस बात को जानते हैं कि पनबिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि पनबिजली सस्ती दर पर लोगों को मिलती है। हम लोगों का जो इलाका है वह नेपाल और भूटान से सटा हुआ इलाका है। अगर आप नेपाल से निकलने वाली नदी कोसी में हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट लगाते हैं, तो 3000 मैगावाट पनबिजली पैदा हो सकती है। इसी तरह से बागमती, कमलाबालान, भद्रक और अन्य नदियों पर यदि पनबिजली परियोजना बनाएं, तो बहुत बिजली पैदा हो सकती है आप गंडक के ऊपर इस प्रकार के डैम बना सकते हैं। अगर आप गंडक के ऊपर डैम बनाकर पनबिजली का उत्पादन करें, तो आपको 10,000 मैगावाट पनबिजली मिल सकती है।

[श्री रघुनाथ झा]

महोदय, मैं आपसे अन्त में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत गांवों का देश है। आज हम कृषि पर निर्भर हैं। अगर बिहार के ग्रामीण विद्युतीकरण को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मात्र छः प्रतिशत घरों में बिजली पहुंची है। विद्युतीकृत घरों का राष्ट्रीय औसत 30 प्रतिशत है। बिहार में 45,103 गांव हैं जिनमें आधे से अधिक गांव अभी भी विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। जो गांव विद्युतकृत बताए जाते हैं उनमें भी एक-चौथाई गांवों में अधूरी विद्युत है। जैसे कि एक गांव में किसी एक घर में बिजली दे दी, किसी गांव में एक ट्यूबवैल को बिजली दे दी और पूरे गांव को विद्युतीकृत मान लिया गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत बिहार के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एक विशेष प्रोजैक्ट बनवाइए। यदि आप देश के अन्य प्रदेशों की भांति सिर्फ 50 प्रतिशत शेयर देंगे, तो बिहार के गांवों में बिजली पहुंचनी संभव नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि बिहार को 90 प्रतिशत सहायता और 10 प्रतिशत ऋण दिलाने का काम कीजिए, तब विद्युतीकरण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए, माननीय मंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के लिए मास्टर प्लान बनवाइए जिसके अन्तर्गत जनरेशन, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रब्यूशन की उचित व्यवस्था बनाकर, बिहार को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए और उसे देश के दूसरे राज्यों से मिलाने की बात कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा जी, आपके भाषण के बीच में किसी ने रनिंग कमेंट्री नहीं की। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि इस बारे में आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय स्वयं कह रहे हैं कि आप हमारे भाषण के बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं करें। यदि आपने हमारे भाषण के बीच में टोका-टाकी की, तो कल से हम भी आपके भाषण के बीच में रनिंग कमेंट्री करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: कम्प्रोमाइज कर लीजिए।

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय राजीव रंजन सिंह 'ललन' के भाषण के बीच में कोई कमेंट्री नहीं करेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बिजली जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही साथ मैं माननीय श्री प्रबोध पाण्डा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा उठाई और इस कारण इसमें भाग लेने का हमें भी अवसर मिला।

महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है, जिससे पूरे देश का विकास साफतौर से जुड़ा हुआ है, चाहे वह औद्योगिक उत्पादन हो, कृषि उत्पादन हो, सर्विस सैक्टर हो, या फिर जो सामान्य जनजीवन है, वह पूरा बिजली के साथ सीधा संबंधित है।

अपराह्न 5.09 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए)

महोदय, किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो, यदि पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं हो, तो कम से कम उतनी बिजली तो जरूर उपलब्ध हो, जितनी बिजली की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि बिजली किसी भी देश के विकास की चाबी है। जिस देश में बिजली नहीं है, वहां के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे यहां देश में बिजली के क्षेत्र में जो हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता से हमें कई-कई राज्यों में, विभिन्न जगहों पर छः प्रतिशत से लेकर 18, 19 एवं 20 प्रतिशत तक बिजली की कमी है। हमें जितनी बिजली चाहिए इतनी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन हम आज यह प्रयास कर रहे हैं कि बिजली के उत्पादन को बढ़ा कर बिजली की कमी को पूरा करें।

महोदय, मैं माननीय बिजली मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता में आज जो कुप्रबंधन है उसे भी दूर करके बेहतर प्रबंधन के माध्यम से उत्पादन को जो आपकी क्षमता है उसे बढ़ाकर, उसका पूरा उपयोग करके आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। बिजली के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा है—जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज एक लाख 12 हजार मेगावाट बिजली की हमारे देश की क्षमता है, इंस्टाल्ड केपेसिटी है और उस इंस्टाल्ड केपेसिटी के विरुद्ध आज हम बिजली का उत्पादन 60 से 65 प्रतिशत तक कर पा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे अभी झा जी ने बिहार के बारे में बताया कि वहां 540 मेगावाट की क्षमता है और 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां दस प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक बिजली का उत्पादन होता है। आज अगर हम उस उत्पादन को बढ़ा कर 90 से 95 प्रतिशत तक ले जाएं तो हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सवाल ट्रांसमिशन का है, यह भी बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है। आज ट्रांसमिशन बिजली के क्षेत्र में चार जौन्स में बांटा हुआ है। आज जो स्थिति है, उसमें नार्थ और वेस्ट जोन में बिजली की कमी है। साऊथ जोन में आवश्यकता के अनुरूप आप बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न सैक्टर में बिजली सरप्लस है। आपके ट्रांसमिशन की समस्या के कारण जो कमी वाले क्षेत्र हैं, वहां आप

बिजली को नहीं ले जा पा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप ट्रांसमिशन को सुधार कर, बिजली का जो आपका उत्पादन है उसे कमी वाले क्षेत्रों में भी पहुंचा सकते हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पार्टी लाईन से हट कर अपनी बातें कही। श्री सुरेश प्रभु ने ऊर्जा के क्षेत्र में काफी मेहनत की थी। वास्तव में उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र की समस्या को समझा था और उसे समझ कर उसे दूर करने की दिशा में वे आगे बढ़े थे। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि श्री सुरेश प्रभु ने काफी अच्छा काम किया था। उन्होंने जो काम किया था, आज आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने जिन कामों को अधूरा छोड़ा था, उन्हें आप आगे ले जा सकते हैं। अगर कोई भी अच्छा काम किया हो, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अभी नौ वक्ता हैं तथा मंत्री महोदय को उत्तर भी देना है। प्रत्येक वक्ता को अधिकतम समय तीन मिनट दिया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदय, हम लोगों का जो समय है, उसके अनुसार अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको सूची दिखा सकता हूं। आपको केवल एक मिनट का समय दिया जाता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदय, टाइम अलॉटिड तो पहले का भी पूरा देख लीजिए।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से 29 प्रतिशत बिजली का लास हो रहा है। जो विकसित देश हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूशन में मेक्सिमम लास छः प्रतिशत का है। आज बिजली की चोरी के माध्यम से 29 परसेंट हमारा लास हो रहा है और जो तकनीकी व्यवस्था है, उसका एडवांसमेंट न होने के कारण से हो रहा है। आज हम उस लास को पूरा करें। चोरी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी कास्ट आफ प्रोडक्सन और टैरिफ में बहुत अन्तर है। बिजली कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना बिजली की चोरी नहीं हो सकती है। बिजली की चोरी को रोकने में अगर हम कामयाब होते हैं और यदि हमारे 29 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन लास को मेक अप करते हैं तो हम काफी हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं।

रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में अभी झा जी ने कहा कि यह 50 प्रतिशत है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 50 परसेंट विद्युतीकरण नहीं हुआ है, सिर्फ पांच परसेंट हुआ है।

श्री रघुनाथ झा: हमने कहा कि 6 प्रतिशत गांवों में इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': बिहार में आज ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत विद्युतीकरण है। जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हुआ है, वहां भी विद्युत नहीं पहुंच पा रही है। इसका कारण है कि ट्रांसफार्मर नहीं हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। एक-एक ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों को इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन से लेकर जूनियर इंजीनियर तक दौड़ना पड़ता है, तब एक ट्रांसफार्मर उपलब्ध होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन पर भी हम कंसेंट्रेट करें।

कांटी और बरौनी की चर्चा उन्होंने की। कांटी और बरौनी में आज आवश्यकता इस बात की है कि उसका माडर्नाइजेशन हो। उसका माडर्नाइजेशन करने के बाद उसकी टेक्नोलाजी को एडवांस टेक्नोलोजी में परिवर्तित किया जाये। भारत सरकार को उसमें आगे आना चाहिए। इसके साथ हम माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहेंगे कि राज्यों को जो पैसा आप देते हैं, वह सही खर्च हो रहा है या नहीं, इस पर भी आपको नियंत्रण और मोनेटरिंग करने की आवश्यकता है। उस पर आप नियंत्रण करें, यह आज की आवश्यकता है।

एक बात मैं अन्त में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आज कहलगांव सुपर थर्मल पावर में बिजली का उत्पादन हो रहा है। माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो हम जानना चाहेंगे कि कहलगांव में सुपर थर्मल पावर में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसमें से कितनी बिजली आप बिहार को दे रहे हैं? अगर बिहार के अन्दर कहलगांव से बिहार की जो बिजली की आवश्यकता है और वहां आपूर्ति और आवश्यकता में जो गैप है, जो अन्तर है, उस अन्तर को आप कहलगांव सुपर थर्मल पावर से बिजली बिहार को उपलब्ध करायें और उस गैप को पूरा करने की कृपा करें, क्योंकि कोई भी पिछड़ा राज्य हो, उन्होंने बताया कि बिहार

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

आज पिछड़ा राज्य है, बंटवारे के बाद जो मुख्य आधार कृषि है, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति कृषि पर आधारित है, इसलिए आज अगर बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, बिहार को भी राष्ट्रीय स्तर पर लाना है तो आज उसके लिए आवश्यकता है कि बिजली की कमी को आप पूरा करें और उस पर विशेष तौर पर ध्यान केन्द्रित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुखराम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं अपने सहयोगियों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विद्युत जीवन के लिए अत्यावश्यक घटकों में से एक है। दुर्भाग्यवश, देश में कुछ समय से विद्युत संकट उत्पन्न हुआ है। वस्तुत:, यहां मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अन्तर है। मेरे कुछ माननीय सहयोगियों ने चर्चा में भाग लेते हुए जो ब्यौरे दिए हैं उनमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत में विश्व के अनेक देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बहुत कम है। यहां पर खपत जो भी हो हम उस मांग को भी पूरा करने में असमर्थ हैं। यहां विद्युत संकट के अनेक कारण हैं। हर कोई चाहता है कि अधिक विद्युत का उत्पादन होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद के पांच दशकों में हमने विकास किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्तासीन सरकारों ने विद्युत के क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता नहीं दी। यह एक कारण है और अब यद्यपि हम समस्या को समझते है और यद्यपि हम इसका समाधान भी जानते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार ने अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए एक अलग कदम उठाया था इस कदम के अंतर्गत विद्युत का निजीकरण किया गया था। मैं सोचता हूं कि यह दृष्टिकोण बहुत खतरनाक हो रहा है और देश में विद्युत के निजीकरण के बावजूद और विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के बावजूद अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति बाधित हुई है। विद्युत की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। एक ओर विद्युत के संकट और अभाव के कारण कुछ उद्योगों और कृषि को नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर विद्युत के बढ़ते हुए प्रभारों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। अत: यह जरूरी है कि विद्युत के निजीकरण की संभावना पर पुन: विचार करना चाहिए। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के प्रभाव के अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश पर हमारे देश के अनेक महत्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में जा रहे हैं और बहुराष्ट्रीय निगम विद्युत और पेयजल जैसे दो क्षेत्रों में रुचि रखते है जिसका उपयोग करोड़ों लोगों द्वारा किया जाता है। वे देश को और आसानी से लूट सकते हैं। वे इनसे बड़ा लाभ कमा सकते हैं।

राज्य विद्युत बोर्ड को अकुशलता और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया जाता है और इस आधार पर अनेक राज्य विद्युत बोर्डों को भंग कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों और कई अन्य राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों को भंग कर दिया गया है और उन्हें विभिन्न स्वतंत्र निगमों ने विभाजित किया गया है और परिणामस्वरूप विद्युत के मूल्य बढ़ गए हैं। जबसे निजीकरण किया गया है यह पूरी तरह वाणिज्यिक हो गए हैं। मैं सोचता हूं कि विद्युत का वाणिज्यिकरण एक बहुत खतरनाक दृष्टिकोण है। मैं यह नहीं कहता कि उद्यमियों और किसानों को इसे मुफ्त में दिया जाए। लेकिन इसे एक सेवा क्षेत्र के रुप में लिया जाना चाहिए। इसे देश के विकास हेतु एक अति महत्वपूर्ण घटक समझना चाहिए।

महोदय मैं यहां सभा को एनरान दाभोल परियोजना की याद दिलाना चाहूंगा जिसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। बहुत गलत ढंग का प्रयोग किया गया था और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह एनरान परियोजना और महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच हुए समझौते की विस्तृत जांच के बारे में सोंचे। मुझे याद है कि भारत सरकार ने प्रति गारंटी दी है। इसमें प्रत्येक की भूमिका का पता चलना चाहिए। एनरान परियोजना के पीछे एक बड़ा कांड है। अब पूरा विश्व एनरान कम्पनी के बारे में जानता है और इन्होंने किस प्रकार विश्व को धोखा देने की कोशिश की और किस प्रकार भारतीय जनता को धोखा देने की कोशिश की।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि हमें विद्युत बोर्डों की समस्याओं को ठीक करना है तो हमें वाणिज्यिकरण के दृष्टिकोण और निजीकरण के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं दरों का हवाला देना चाहूंगा। पूर्व में हमारे देश में एक मेगावाट विद्युत उत्पादन पर 2.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपए का खर्च आता था। जब से निजीकरण हुआ है तब से इसका मूल्य 4 करोड़ रुपए से 4.5 करोड़ रुपए और कभी-कभी 5 करोड़ रुपए भी हो जाता है।

यहां विद्युत के लिए कुछ नियत और विभिन्न प्रकार हैं। निवेश जमा ब्याज जमा और लाभ का 16 प्रतिशत नियत प्रभार है। जबकि ईंधन और परिवहन की लागत बदलते रहने वाली लागत बनती जा रही है। नियत मूल्य को नियत किया जाता है तो इसमें

बहुत धोखाधड़ी की जाती है। दुर्भाग्यवश उपभोक्ता को इसका शिकार बनाया जा रहा है। ईंधन की कीमतें विशेषकर गैस और नाफ्था की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसलिए जबकि गुणवत्ता वाली विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है जबकि पर्याप्त विद्युत नहीं आ रही है विद्युत की लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है गरीब लोगों को विद्युत नहीं दी जा रही है। इस प्रकार देश में तथाकथित विद्युत सुधार एक प्रकार से अधिक विद्युत उत्पादन में एक बाधा बन गए हैं। विश्व बैंक ने यह धमकी दी है कि वह आंध्र प्रदेश को नया ऋण नहीं देगा और पुराने ऋणों की किश्तों को भी रोक देगा क्योंकि आंध्र प्रदेश की नई सरकार ने किसानों को मुफ्त विद्युत देने की घोषणा की है। पिछले चार वर्षों में आंध्र प्रदेश में सूखा और भुखमरी व्याप्त है। 3500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। इन परिस्थितियों में लोगों की मांग पर नई सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए किसानों को मुफ्त विद्युत देने की घोषणा की है। विश्व बैंक को इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? वह देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह हमें निश्चित करना है कि हमें मुफ्त में विद्युत देनी है या हमें इसके लिए प्रभार लेना चाहिए। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हम पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट उदाहरण है। वे कह रहे हैं कि यहां पर अधिक से अधिक निजीकरण होना चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत के लोगों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल विद्युत क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इस पर बार-बार होने वाला खर्च बहुत कम है। पन विद्युत का पूरा उपयोग होना चाहिए। अपारम्परिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पूरा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि दलाल को मिलने वाली राजसहायता वास्तव में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रक्षित विद्युत की अनुमति कुछ उद्योगों में दी जा सकती है। लेकिन आगे निजीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए। देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। गरीबों को प्रति राजसहायता से लाभान्वित किया जाना चाहिए।

सबसे पहले मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम 2003, जोकि बहुत असंतुलित है, उपभोक्ता विरोधी है और गांव विरोधी है, को समाप्त करना चाहिए। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के निरसन के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिएं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): सभापति महोदय, विद्युत देश की आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना का महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, सभी राज्यों में पांच वर्षों के भीतर घरेलू विद्युतीकरण पूरा किया जाना चाहिए और "सबके लिए विद्युत" के लक्ष्य को वर्ष 2012 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार द्वारा नई ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति बनाई गई है। प्रत्येक ब्लाक में 33 या 11 के.वी. लाइन का सब-स्टेशन के ग्रामीण बिजली वितरण सृजित करने की रणनीति बनाई गई है।

दूसरी रणनीति, प्रत्येक गांव में कम से कम वितरण ट्रांस्फार्मर प्रदान कर ग्रामीण बिजली अवसंरचना सृजित करने की है। तीसरी, ग्रामीण ट्रांसफार्मर से गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण करों के विद्युतीकरण के बारे में है। चौथी, ऐसे गांवों के लिए विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन प्रणाली के बारे में है जहां ग्रेड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या किफायती नहीं है। इन रणनीतियों से सरकार अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदों को पूरा करने में समर्थ होगी।

महोदय, अभी भी करीब एक लाख से अधिक गांवों में विद्युत पहुंचाया जाना बाकी है। अभी तक केवल 80 प्रतिशत गांवों को ही विद्युतीकृत किया जा सका है। इसलिए विद्युत मंत्रालय को राष्ट्रीय बिजली नीति में व्यापक सुधार करना चाहिए। अन्यथा, सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, राष्ट्रीय बिजली नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थिति में, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में "पुरूलिया पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट" नाम की एक पनबिजली परियोजना है। यह बहुत बड़ी और अद्भुत परियोजना है। यह संयुक्त उपक्रम की परियोजना है। एन.एच.पी.सी. 70 प्रतिशत का योगदान देती है और राज्य बिजली बोर्ड 30 प्रतिशत वित्त मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी है। हम वित्त मंत्रालय को अनुमति या स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे एक अद्भुत परियोजना होने के नाते, मैं विद्युत मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मुद्दे को वित्त मंत्री के समक्ष उठाएं ताकि परियोजना वर्ष 2008 तक पूरा हो जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): सभापति महोदय, बोलने के लिए अवसर प्रदान करने पर मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

सबसे पहले, मैं माननीय सदस्य श्री सुधाकर रेड्डी से सहमति जताऊंगा। प्रश्न यह है कि ऋण देने वाली संस्थाएं चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या विश्व बैंक या ए.डी.बी.ए. हो वे शर्तें नहीं रख सकते कि हमें जल, बिजली उत्पादन आदि के क्षेत्र में क्या करना चाहिए। केरल में दूसरा अनुमान है कि ए.डी.बी.ए. ने सरकार से कहा कि बिजली को निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए। मामले के बारे में निर्णय करना उनका काम नहीं है। इसका निर्णय करने का काम हमारा है।

महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहां प्राय: सभी पक्षों को शामिल कर लिया गया है। हालांकि मैं अपारम्परिक स्रोतों अक्षरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। इस क्षेत्र ने पहले ही स्थापित विद्युत क्षमता और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों की तैनाती में अपना योगदान दिया है। अक्षरणीय स्रोतों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर मार्च 1990 में 36 मेगावाट से मार्च, 1997 में 1186 मेगावाट हो गयी और मार्च, 2002 में यह बढ़कर 3510 मेगावाट हो गयी। सभी स्रोतों से कुल स्थापित विद्युत क्षमता में इसका प्रतिनिधित्व 3.5 प्रतिशत का है। इस क्षेत्र की उपलब्धि प्रशंसनीय है विशेषकर इस तथ्य पर विचार करने पर कि सिर्फ 1980 के दशक की शुरूआत में ही इस पर ध्यान दिया गया। सांख्यिकी से पता चलता है कि दो दशकों में अक्षरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से ज्यादा है जिसमें पांच वर्षों में केवल 2700 मेगावाट बिजली का ही योगदान कर सका है।

पूरे विश्व में, विद्युत उत्पादन के इस स्रोत को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वस्तुत:, यूरोपीय समुदाय ने वर्ष 2010 तक कुल बिजली उत्पादन में अक्षरणीय विद्युत स्रोतों का 22 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान लगाया है। कारण स्पष्ट है। जीवाश्म ईंधनों का भंडार घटता जा रहा है और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़ी-बड़ी पनविद्युत परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं। विशेषज्ञ लोग ऐसा कहते हैं। परमाणु विद्युत उत्पादन के संबंध में भी यही स्थिति है। अभी मैं इसकी तह में नहीं जाता हूं।

महोदय, विश्व में भारत का स्थान पवन ऊर्जा क्षमता में पांचवां, सोलर फोटोवोल्टाइक (एस.पी.वी.) प्रणालियों की स्थापना में चौथा और एस.पी.वी. प्रणाली के उत्पादन में तीसरा है। यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य सस्ती प्रौद्योगिकी है।

सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि उन्हें कुछ विशेष प्रकार के भवनों में सौर जल ऊष्मण प्रणाली के आवश्यक प्रावधान बनाने हेतु भवन उप-नियमों में संशोधन करना चाहिए। मैं इसके बारे में सभी रिपोर्टों को उद्धृत कर सभा का और समय नहीं लेना चाहता। इसी तरह से, देश के विभिन्न भागों में बायो-गैस संयंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। समयाभाव के कारण मैं यहां सांख्यिकी नहीं बताना चाहता।

महोदय, छोटी पनबिजली परियोजनाओं और मेरे राज्य केरल में जो कुछ हो रहा है, इस बारे में बताना चाहूंगा। केरल में, राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी पहली 3 मेगावाट वाली पन बिजली परियोजना वर्ष 1996 में शुरू की थी। अभी हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 72.02 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली ऐसी 10 परियोजनाएं चल रही हैं। वर्ष 1998 में, हमने चीन के साथ तकनीकी सहयोग करने का निर्णय लिया जहां इन लघु परियोजनाओं को भारी सफलता मिली। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने विकासशील देशों में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कसौटी के रूप में चीनी माडल के लघु पनबिजली विकास की सिफारिश की है। चीन में इसे बड़ी सफलता मिली है और समयाभाव के कारण, मैं यहां आंकड़े नहीं देना चाहता। केरल में ऐसी 18 परियोजनाओं के निर्माण के लिए चीन के साथ हमने समझौता किया है। हमने अब तक चार परियोजाएं पूरी कर ली हैं।

मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने केरल में बिजली मंत्री को थिरूवम्बाड़ी नामक स्थान में आने का अनुरोध किया जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। लेकिन उन्होंने अब तक उस स्थान का दौरा नहीं किया। मैं माननीय विद्युत मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि केरल में राज्य बिजली बोर्ड कुछ लघु पन बिजली परियोजनाओं द्वारा सामना की जा रही तकनीकी समस्याओं का समाधान करने में उत्साह नहीं दिखा रहा है। थिरुवनबाड़ी के निकट एक परियोजना है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र (कालीकट) में है, और जो 'ठरुमी' के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत सफल परियोजना थी जिसे चीन के सहयोग से बनाया गया था, लेकिन चालू वर्षा ऋतु में, इसमें कुछ समस्याएं आ गई और इसका कुछ हिस्सा खराब प्रबंधन के कारण बर्बाद हो गया। इसके बारे में कोई भी चिंतित नहीं है और कोई भी यह नहीं चाहता कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन किया जाए। केरल के विद्युत मंत्री से लोगों के सभी प्रतिनिधियों ने यह अनुरोध किया है कि वह आए और स्थान का निरीक्षण करे लेकिन उन्होंने अभी तक इस स्थान का निरीक्षण नहीं किया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आए और स्थान का निरीक्षण करें।

महोदय हमने 466.85 मेगावाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 198 स्थानों की पहचान की है। लेकिन हमने देखा है कि राज्य के विद्युत प्रबंधक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। पहले से ही निष्पादित परियोजनाओं में राज्य विद्युत बोर्डों के साथ हुए विद्युत क्रय समझौतों में समस्याएं आ रही हैं और अत्यधिक उत्पादन सत्र के दौरान राज्य सरकारें विद्युत क्रय की अनिच्छुक हैं। यहां पर मैं हमारे राज्य विद्युत बोर्ड की पूरी मानसिकता को मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

सायलंट वैली परियोजना का मुद्दा 1970 में उठा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मामले में हस्तक्षेप किया और परियोजना को बंद कर दिया गया था। इसने विश्व का ध्यान आकृष्ट किया था। मैं यहां पर प्रोफेसर एम.जी.के. मेनन की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सायलंट वैली जीवमंडल विश्व के लिए बहुत मूल्यवान है और इसलिए इस परियोजना का बंद किया गया था लेकिन अब राज्य सरकार पाथराकडावू में एक जल विद्युत परियोजना की स्थापना की योजना बना रही है जोकि सायलंट वैली से केवल 3 किलोमीटर दूर है।

महोदय मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार विशेषज्ञ और इंजीनियर लोगों को धोखा देते है। कुंती नामक नदी पाथराकडावू में है जो केरल में बहती है। वे कहते है कि 20 वर्ष पहले जल बहाव 293 क्यूबिक मीटर था। हर कोई जानता है कि कम वर्षा और बड़ी संख्या में पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उस नदी में उतना जल नहीं बह रहा है जितना 20 वर्ष पूर्व बहता था। लेकिन अब इंजीनियर कहते है कि नदी में 498 क्यूबिक मीटर जल बह रहा है। यह सिर्फ 70 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए 400 करोड़ रुपए से 500 करोड रुपए खर्च करने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर 198 छोटी परियोजनाओं की पहचान की गई है इनमें से अधिकतर में आधा कार्य हो चुका है। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए या अधिक का निवेश किया गया है। इनसे 300 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन हो। वे ऐसा नहीं करना चाहते। वे 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं और पाथराकडवू सायलंट वैली परियोजना को शुरू करना चाहते हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि पाथराकडवू परियोजना को मंजूरी दी जाती है तो इससे पड़ने वाले पूरे प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं यहां पर समय के अभाव में सायलंट वैली के मुद्दे को नहीं उठाना चाहता हूं। वे 70 मेगावाट परियोजना और पाथराकडवू के बारे में जो तर्क दे रहे हैं सही नहीं है। यह एक बहुत बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई 16 मीटर से भी अधिक है। इसे बड़ा बांध माना गया है। वहां यह जरूरी नहीं है। मैं केवल यह कहता हूं कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कुछ बड़े नौकरशाहों को खुश करने के लिए इस परियोजना की सिफारिश की गई है। वहां बड़ी धनराशि बड़ा निवेश और बड़ी परियोजना है। वे ज्यादा विद्युत नहीं चाहते वे अधिक निवेश चाहते हैं।

महोदय वहां पर 26.5 प्रतिशत पारेषण हानि होती है। केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि आप पहले पारेषण हानि को कम करे। माना 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की कमी की जाती है आपके पास कितनी विद्युत होगी? इसके बारे में कोई नहीं सोचता। विद्युत नियामक समिति के समक्ष उन्होंने कहा '2003-04 तक हम पारेषण हानि को 3.73 प्रतिशत तक कम कर देंगे।' क्या कोई इसकी परवाह करता है? क्या कोई परवाह करता है कि पारेषण हानि से कैसे निपटा जाए? इसकी कोई चिंता नहीं करता। कोई भी छोटी परियोजनाओं के बारे में चिंतित नहीं है।

यह मेरा निवेदन है कि सरकार को लघु जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा, पन विद्युत और ऐसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए ताकि इनसे अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हो सकें। इस मुद्दे पर यह मेरा नम्र निवेदन है।

मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे देश से जो कुछ भी बाहर जा रहा है उसे उस व्यक्ति को नहीं मिलने देना चाहिए जिसका हमारे राष्ट्र से कोई वास्ता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): सभापति महोदय, सदन में कल से पावर क्राइसिस, ऊर्जा की समस्या पर चर्चा चल रही है जिसमें इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। मैं भी इस विषय पर दो-तीन बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दो-तीन बातों पर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहमति बनी है। देश में पिछले 50 सालों में पावर जनरेशन बढ़ी है। यह और भी बढ़नी चाहिये। ट्रांसमीशन और क्वालिटी में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिये। डिस्ट्रीब्यूशन में और अच्छा सिस्टम आना चाहिये। पावर हमारे लिये विकास की पहली शर्त है। सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कई बार कैपिटा पावर कंजम्पशन की बात की गई है। आज भारत इस मामले में ब्राजील से भी पीछे है। यदि हम इस मामले में चीन के साथ कम्पीटीशन करें तो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन में उनसे आधे हैं।

अपराह्न 5.44 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय, यहां पावर सैक्टर की कई डाइमेंशन्स पर चर्चा की गई है। यदि हम पावर मिनिस्ट्री की वार्षिक रिपोर्ट का

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

अध्ययन करें तो एक विषय ध्यान में आता है कि उड़ीसा और दिल्ली को पावर रिफार्मस पायनीयर कहा गया है। हमारा उड़ीसा के साथ गहरा अनुभव है। पावर सैक्टर में रिफार्म्स आएं, पावर सैक्टर में कम्पिटीशन आये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन पावर सैक्टर में जो प्राइवेट सैक्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इस क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, ये पीपुल्स ओरिएंटेड होनी चाहिए। उनकी जनहित के साथ एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में पावर मिनिस्ट्री को सोचने की जरूरत है। उड़ीसा में हमारा अनुभव है वहां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मनमाने काम करती हैं। ये सरकार से सहायता लेती हैं, लोन्स लेती हैं, ऐड लेती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जितना इम्प्रूवमैन्ट होना चाहिए, उतना इम्प्रूवमैन्ट नहीं हो रहा है।

आज ग्रामीण विद्युतीकरण की बात बहुत जोर से कही गई। दिल्ली को पावर रिफार्म्स में पायनियर स्टेट कहा जाता है। दिल्ली को पावर रिफार्म्स के क्षेत्र में पायनियर स्टेट का एक उदाहरण माना जाता है। कल संसद में कई बार पावर डिसरप्ट हुई। दिल्ली में जहां हम रहते हैं, वहां चार घंटे बिजली नहीं आती हैं। मैं उड़ीसा से आता हूं और दिल्ली में भी रहता हूं। हमारी स्टेट में प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी का अनुभव है मैं आपके सामने रख रहा हूं। पावर सैक्टर में सबसे खराब अनुभव डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हैं। नेशनल पावर ग्रिड में जितनी स्पीड से तरक्की होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात का कई बार उल्लेख किया गया कि भारत के 5 लाख 87 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। यह 1991 की सैन्सज के आंकड़े हैं। मैं अभी लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने रखता हूं। वर्ष 2001 की जनगणना में भारत के लगभग 43.52 परसेन्ट गांवों में हाउसहोल्ड में बिजली पहुंची है। लेकिन गांवों में जो बिजली पहुंची है वह अच्छे लोगों के घरों में पहुंची है और अच्छे लोगों के घरों में बिजली पहुंचना और ग्रामीण भारत में बिजली पहुंचना एक बात नहीं हो सकती। ये आंकड़े कहते हैं कि 43.52 परसेन्ट गांवों में बिजली पहुंची है। मैं जिस प्रांत से आता हूं उस प्रांत को नीचे माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाता है। उड़ीसा में बीस परसेन्ट लोगों को बिजली मिलती है और 80 परसेन्ट लोगों को बिजली नहीं मिलती है। बंगाल, बिहार और झारखंड जिसे ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है, अगर उसे दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बीस परसेन्ट के नीचे दस परसेन्ट, पांच परसेन्ट के नीचे हाउस होल्ड तक बिजली पहुंची है। क्या हम इसे विकास कह सकते हैं। इस पर ऊर्जा विभाग को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही गई। सब सरकारों द्वारा इस दिशा में प्रयास किये गये हैं। लेकिन मैं एक अन्य विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम चलती है, यह ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का अपग्रेडेशन करने के लिए चलती है। हमारे पास एक सूचना है, माननीय मंत्री जी सदन को जब अपने जवाब से आश्वस्त करेंगे तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ए.पी.डी.आर.पी. प्रोग्राम में अभी नया प्रोविजन लाने की कोशिश की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को जो सहायता दी जाती है, उस प्रोविजन के द्वारा यह सहायता सीधे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देने की कोशिश की जाती है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उड़ीसा में प्राइवेट कंपनियों के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत बुरा अनुभव मिला है। इसलिए इस बारे में पावर मिनिस्ट्री को पुनर्विचार करना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में एक विषय और लाना चाहता हूं कि पावर सैक्टर में अगर आज प्राब्लम्स के क्षेत्रों को हम गिनते हैं तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा समस्या है। इसके अलावा गांवों में लोक हुक डालकर बिजली की चोरी करते हैं, जो बिजली की प्राब्लम के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैं आपको कई प्रकार के अनुभव बता सकता हूं। बड़े-बड़े उद्योग करने वाले लोग ऐसा करते हैं। उड़ीसा में एक व्यक्ति कुटीर ज्योति के नाम पर कनैक्शन लेता है और बाजू में पैट्रोल पंप उसकी बिजली से चलता है। ऐसे जो पावर थैफ्ट हैं उनके कारण सालाना 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। पारेषण और संवितरण हानि के लिए बिना मीटर दी जा रही विद्युत और विद्युत की चोरी दो मुख्य कारण हैं। इसके लिए पुरानी लाइन्स को बदलना चाहिए। जो ओवरलोड हो रहा है उसके बारे में भी कुछ चिन्ता करनी चाहिए। जो नये एरियाज हैं, कई विषयों पर बार-बार कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपने दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर सुझाव दिये हैं। हमारा आइडियल रेशियो है कि हाइडल पावर प्रोजैक्ट्स पर ज्यादा पैसा देना चाहिए। बायो फ्यूल भी एक नया कंसैप्ट इस देश में उभर रहा है। इतना बड़ा बायो मास भारत में है, उस पर ऊर्जा विभाग को ध्यान देना चाहिए। कार्बन टैक्नोलाजी लेटैस्ट टेक्नोलाजी के नाते विश्व में उभर रही है। भारत में उसके रिसर्च पर क्या काम हो रहा है इसके संबंध में भी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएं। कोल बेस्ड मीथेन की बात भी आजकल हो रही है जिस पर अनुसंधान हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में ऐसे जो नए विकल्प हो सकते हैं, उन पर नई सदी में कुछ नया मैपिंग किया जा सकता है। भारत की आवश्यकता को देखते हुए आने वाले 20-25 सालों की पावर मैपिंग के बारे में क्या पावर डिपार्टमैंट सोच सकता है।

मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उड़ीसा से आता हूं। उड़ीसा में जो 4500 मैगावाट बिजली उत्पादित होती है, उसमें से 3000 मैगावाट बिजली मेरे संसदीय क्षेत्र में उत्पादित होती है। वहां ज्यादातर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं। वहां

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया का एक क्लोज्ड डाउन प्लांट तालचेर में है। श्री आचार्य जी जानते हैं क्योंकि उन्होंने वहां का दौरा भी किया है। वहां एन.टी.पी.सी. की बड़ी एक्टिविटीज हैं। जो पिट हैड पर कोयला खदान के सामने बना बनाया फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्या एन.टी.पी.सी. उसको टेकओवर कर सकती है, इस बारे में भी विचार करना चाहिए।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उड़ीसा में बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। आपका प्लान है 162 प्रकल्पों के बारे में जो हाइडल सैक्टर्स चल रहे हैं, 50000 मैगावाट की बात सोच रहे हैं। अब एनटीपीसी ने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है और प्रोजैक्ट्स लगाना शुरू किया है। उड़ीसा में एनटीपीसी और एनएचपीसी के माध्यम से अभी तक कोई भी हाइडल प्रोजैक्ट प्राधिकृत नहीं हुआ है। ऐसे केन्द्रीय प्रकल्प उड़ीसा में एनएचपीसी और एनटीपीसी के माध्यम से लगाने के बारे में क्या आप सोच सकते हैं। एक विषय जिस पर सब हम होते हैं, और मैं भी अपने अनुभव से कहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में और प्राइवेट इनवैस्टमैंट बढ़ना चाहिए लेकिन हमारा देश एक वैलफेयर स्टेट है। इस वैलफेयर स्टेट में डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी एक बार मोनोपली प्राइवेट डिस्ट्रिब्यूशन की मोनोपली प्राइवेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के हाथ में छोड़नी चाहिए या नहीं, उस पर पोलिटिकली हम सहमत हों, एक कनसैन्सस बने। हमारा अनुभव कहता है कि प्राइवेट कंपनी के पास डिस्ट्रिब्यूशन सैक्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री सर्वानन्द सोनोवाल।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय जब मेरा नाम पुकारा गया था तब मैं अनुपस्थित था और मैं स्थाई समिति की बैठक में व्यस्त था। इसलिए, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: अब, मैं उनका नाम पुकार चुका हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदय, सबसे पहले विशेषकर असम में बिजली की स्थिति के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस सम्माननीय सभा में देश की बिजली की स्थिति की पहले ही चर्चा हो चुकी है।

मैं श्री प्रबोध पाण्डा का आभारी हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के समक्ष रखा।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान के इस युग में विद्युत आरंभ से ही देश की समग्र वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भारत में हमें हर कोने से सूचना मिल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति बिजली संकट से प्रभावित है। इसलिए माननीय विद्युत मंत्री को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा। आपको कोई विशेष कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि देश में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जा सके तथा हम गांवों और शहरों में उद्योगों के विकास के बारे में आशा का संचार कर सकें।

मैं अब असम की बात करूंगा। आपको मालूम ही होगा कि असम में चाय उद्योग हैं। आयल इंडिया तथा ओ एन जी सी हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आजकल असम के लोगों को अंधेरे के साये में जीना पड़ रहा है। असम में बिजली की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर तिनसुकिया तथा डिब्रुगढ़ जिले देश में सबसे ज्यादा राजस्व का भुगतान करने वाले क्षेत्र हुआ करते हैं। हम केन्द्र सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। परन्तु हमें कभी भी पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप हमारा चाय उद्योग प्रभावित हो रहा है। शहरों और गांवों के अस्पताल तथा अन्य संस्थान इससे प्रभावित हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस पर आधारित अमगुड़ी विद्युत संयंत्र की स्थापना का वादा किया था। यह हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री बी.के. हान्डिक के निर्वाचन क्षेत्र में है। परन्तु अब तक इस पर कार्य आरंभ नहीं हुआ है। दूसरी ओर पिछले दो महीने से डिब्रुगढ़ और तिनसुकिया में लोड शैडिंग की समस्या है। असम के लोगों ने न केवल उसकी शिकायत की है बल्कि वे अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने, असम सरकार को अपने असंतोष से अवगत कराया। परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है। इसीलिए मैं माननीय विद्युत मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि वे असम के बिजली संकट को गंभीरता से लें।

हमारे यहां पर्याप्त संख्या में नदियां हैं। हमारे यहां ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां हैं। वहां 138 सहायक नदियां हैं। हमारे पास प्राकृतिक गैस है, कोयले का पर्याप्त भंडार है। हम कोयले पर आधारित तथा गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। हम जल आधारित विद्युत संयंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात संक्षेप में करें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: इसीलिए हम माननीय विद्युत मंत्री से तत्काल विद्युत संयंत्र लगाने के लिए विनम्रतापूर्वक अपील कर रहे हैं तथा अनुरोध कर रहे हैं। यदि आपकी इसमें रुचि है तो विद्युत संयंत्र लगाने के लिए मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं। यह कोयले पर आधारित संयंत्र भी हो सकता है। यह गैस आधारित संयंत्र भी हो सकता है तथा यह जल आधारित संयंत्र भी हो सकता है क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, जोकि भारत के अति संपन्न निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, वहां कोयला, गैस तथा जल संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे पास जल, वन, गैस तथा कोयले जैसे सब कुछ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि चाहे राष्ट्रीय योजना हो अथवा राज्य योजना इस मुद्दे को उच्च वरीयता दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि इस मामले को उठाया जाएगा। अयगुड़ीकी गैस आधारित विद्युत परियोजना पर विशेष विचार किया जाएगा। असम को बिजली की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

भारत सरकार को देश में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए उचित निवेश करना चाहिए तथा योजना बनानी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण विचार-विमर्श का मामला है कि बिजली के क्षेत्र को निजी कंपनियों को सौंपा जाए या नहीं। कल यदि इसे पूरी तरह निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है तो हो सकता है कि हमें दिन का उजाला भी देखना नसीब न हो। इसलिए पूरे देश में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। हमें इस पर विशेष चर्चा भी करनी चाहिए ताकि हम निर्णय ले सकें कि इसे किस क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहिए। इस बारे में उचित जांच-पड़ताल की जानी चाहिए उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही होगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री प्रबोध पाण्डा जी और श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा देश में बिजली के कम उत्पादन पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने और बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बिजली मानव जीवन का मूल अंग है, जो हमारे देश के विकास से सीधी जुड़ी हुई है। मेरा यह सौभाग्य था कि 12वीं लोक सभा में विद्युत मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति का मैं सदस्य था तब माननीय बसुदेव आचार्य जी उस समिति के चेयरमैन थे।

सायं 6.00 बजे

मुझे आपके साथ पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 1950 से अब तक हम लोग एक लाख 12 हजार मेगावाट ही बिजली पैदा कर पाए, जो लक्ष्य से बहुत कम है। हमारी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर दो-तीन वर्ष में हम केवल पांच या छः मेगावाट बिजली पैदा कर पाए हैं, जो बहुत ही कम है। उस पर भी हम टोटल उत्पादन की आठ प्रतिशत कटौती भी कर लेते हैं। कुछ राज्यों में, अभी जैसे हमारे दल से माननीय श्री सुमन जी ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारा उत्तरांचल प्रदेश अलग हुआ, वहां बिजली ज्यादा पैदा होती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार ने 14 घंटे बिजली देने का वायदा किया था, आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जो कमी और डिमांड वाले राज्य हैं, उन्हें बिजली देनी चाहिए। राष्ट्रीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन भी बने। पूर्वोत्तर राज्यों में हमने देखा कि पन-बिजली बनाने के स्रोत ज्यादा हैं, हम कम लागत में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

महोदय मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों को, जहां बिजली के स्रोत ज्यादा हो सकते हैं वहां आर्थिक मदद करें, बिजली उत्पादन को बढ़ावा दें। दुर्भाग्य है कि पन-बिजली के क्षेत्र में केवल 15 प्रतिशत ही हम दोहन कर पा रहे हैं। जल विद्युत और हाइड्रो इलैक्टिक उत्पादन को बढ़ावा देने की बात है, जैसे पर्यावरण की बात आती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप एक मिनट रुक जाइए। छः बज रहे हैं, मैं सदन की सहमति चाहता हूं, क्योंकि आज जूट पर भी 193 के तहत डिसकशन है। यदि सदन सहमत है, सभी नेताओं की सहमति हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है, इस पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है और ऊर्जा मंत्री जी को इस पर जवाब भी देना है। इसलिए आज इस पर डिसकशन हो जाए और कल जूट पर चर्चा कराएं। आज इसे पूरा करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, पावर पर डिसकशन और रिप्लाई तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। शैलेन्द्र जी, आप कंटीन्यू करिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, 1988 में विद्युत उत्पादन, पन-बिजली बनाने की जो सिफारिश लम्बित पड़ी है, मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उस सिफारिश को लागू किया जाए ताकि हमारा बिजली का उत्पादन हो सके। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): सभापति महोदय, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कल के लिए बिजनेस एडवायजरी कमेटी में कुछ फैसले हुए हैं। मेरे ख्याल में शायद मणिपुर पर चर्चा कल है। ...*(व्यवधान)* आप जैसे फैसला करें, वैसे ही ठीक होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि कल दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है-एक खाद्य और दूसरा मणिपुर। कल आप तीन-तीन सब्जैक्ट लेंगे तो क्या संभव है कि आप डिटेल डिबेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जूट वाला शुरू कर लीजिए और उस पर डिबेट कर दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, कल के लिए एक कालिंग अटेंशन है और एक पीडीएस पर चर्चा नियम 193 में लगी हुई है। इसे अगर आप जल्दी खत्म करके जूट वाला करा दें तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय: यह तो माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है। अगर माननीय सदस्य समय कम लें तो यह जल्दी खत्म हो सकता है।

श्री संतोष गंगवार: श्री बंसल जी की बात से मैं सहमत हूं। इस पर शायद थोड़े से माननीय सदस्य ही और बोलने वाले होंगे, उन्हें बुलवा दीजिए और इस पर मंत्री जी जवाब दे दें। उसके बाद जूट वाला शुरू करवा दीजिए, रिप्लाई चाहे कल करवा दें, जो आपको ठीक लगे वह करवा दें।

सभापति महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, और कितने माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, जूट का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस पर चर्चा हो, कल ऊर्जा मंत्री जी बयान दे दें और मैं समझता हूं कि कल जूट पर ज्यादा सार्थक चर्चा हो सकती है। अभी हमारे पास समय है। पी.डी.एस. पर चर्चा शुक्रवार को हो जायेगी या मनडे को हो जायेगी। इस समय आपके पास सरकारी काम-काज ज्यादा नहीं है और उसे एडजस्ट किया जा सकता है।

सभापति महोदय: सुमन जी, आपको याद होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव भी सदन के सामने है।

श्री पवन कुमार बंसल: बी.ए.सी. में फैसला हुआ है कि 31 अगस्त, एक और दो सितम्बर को, तीनों दिन गवर्नमेंट बिजनेस होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बी.ए.सी. में सभी पार्टी के नेता सदस्य होते हैं, उनकी एक राय निश्चित है, इसलिए अभी रिप्लाई तक और जूट को लेने तक, जैसा समय होगा, वह हम करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि आजादी के 56-57 वर्ष होने के बावजूद भी हम आज तक विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान नहीं दे पाये हैं। जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 19 प्रतिशत, बिहार में पांच प्रतिशत और झारखण्ड में केवल तीन प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों में हम विद्युतीकरण कर पाये हैं, जबकि हमारा लक्ष्य 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कर देने का है। उसके लिए भी हमें अतिरिक्त बिजली चाहिए। इसके लिए हमें दो लाख मैगावाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। आज 33 प्रतिशत विद्युत चोरी हो रही है, इसे भी हमें रोकना पड़ेगा।

जैसा कि तमाम सुझाव इस पर आये हैं, इस पर हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। खासकर 1997-98 में जो पुराना विद्युत पावर स्टेशन के आधुनिकीकरण की बात थी, उसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे देश की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो पायेगी। भारत सरकार द्वारा नये सिरे से राष्ट्रीय विद्युत नीति को बनाना पड़ेगा, ताकि हम सभी राज्यों को बराबर जितनी उनकी मांग होगी, उतनी बिजली हम दे पाएंगे। ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर विद्युतीकरण कराकर हमें पावर सप्लाई ज्यादा इसलिए देनी पड़ेगी कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहां के उत्पादन से ही हम देश का विकास कर सकते हैं, इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खासकर गैर-परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन पर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। *...(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं। केन्द्र को राज्य सरकारों की मांग को देखते हुए और मदद करनी पड़ेगी।

इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारी 18 करोड़ की आबादी है। प्रतिदिन हम 25 से 27 करोड़ रुपये की बिजली अन्य प्रदेशों से खरीदकर सप्लाई दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में हम 14 घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी दादरी गाजियाबाद में विद्युत संयंत्र लगाने के लिए सरकार ने शिलान्यास किया है। मेरे ख्याल से वह 2-3 साल के अन्दर बनकर तैयार होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि भूमि तथा अन्य राज्य उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सहायता के रूप में आप दें।

मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करके आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, सबसे पहले मैं श्री प्रबोध पाण्डा और श्री बसुदेव आचार्य का धन्यवाद करता हूं। मेरे विचार से हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि यह सभा विद्युत की गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: विजयेन्द्र पाल सिंह जी, आज समय का ख्याल रखें।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, समय के अभाव के कारण मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: भूमिका छोड़ दीजिए, मेन पाइंट पर सीधा जाइये।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: विद्युत की कमी की स्थिति का कारण यह है कि देश के अधिकतम भागों में राज्य विद्युत बोर्ड दिवालिएपन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसीलिए, उद्यमियों के पास निजी क्षेत्र से निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आ रहा हैं क्योंकि उनके पास उत्पादित किए जाने वाली विद्युत का भुगतान करने के लिए धन नहीं है।

यह एक बड़ी समस्या है। हम नए मंत्री से वक्तव्य की आशा कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश को विद्युत क्षेत्र सुधारों की चिंता है। हमने लगभग एक वर्ष पूर्व यह विद्युत अधिनियम 2003 पारित किया है। हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि एक वर्ष में, इसके बाद नया अधिनियम अस्तित्व में आया है–और हमें इस नए अधिनियम से इतनी अधिक आशाएं थी–वास्तव में हमने क्या प्राप्त किया है। इस विद्युत अधिनियम, 2003 की मुख्य विशेषता ओपन एक्सेस है जो कि एक नई बात है। जब यह ओपन एक्सेस आएगी, तो इससे पूरे परिदृश्य में बदलाव होगा और देश में सुधार होंगे? ओपन एक्सेस वास्तव में क्या है। वह यह है कि आप विद्युत को एक राज्य से, अतिरिक्त विद्युत वाले राज्यों से या अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में ले जा सकते हैं और यह कार्य तब किया जा सकता है जब आप पावर ग्रिड भी नेशनल ग्रिड बनाए। मेरे विचार से नेशनल ग्रिड बहुत जल्द बनेगा क्योंकि ग्रिड के सभी क्षेत्रीय नेटवर्क बनाने का कार्य पहले ही हो चुका है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि विद्युत की कमी मूलत: व्यस्त समय पर होती है यदि विद्युत की कमी व्यस्त समय पर होती है, यूं कहिये कि 11 से 12 प्रतिशत, क्या हम देश के लिए टाइम जोन नहीं बना सकते क्योंकि तभी आए दिन लाइट की बचत कर पाएंगे? यदि कोलकाता और दिल्ली में भिन्न समय है तो आपके पास भिन्न टाइम जोन लेंगे और इससे देश में भिन्न-भिन्न व्यस्त समय होगा ताकि नेशनल ग्रिड चालू हो जाए, और यह व्हीलिंग हो सके। हम कुछ क्षेत्रों को बचा सकते हैं और अतिरिक्त विद्युत भी अन्य क्षेत्रों को पहुंचायी जा सकती है। जब भारत की अपेक्षा छोटे देशों में दो-तीन टाइन जोन हैं, तो हम देश में भिन्न-भिन्न टाइम जोन क्यों नहीं बना सकते हैं?

अन्य बात पिटहेड जनरेशन के बारे में है। आपको राज्यों में हर जगह कोयला ढोने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बड़े मेगा थर्मल पावर स्टेशन हैं और तब क्या इस पावर ग्रिड के बाद व्हीलिंग को लाया गया है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने न्यूक्लियर सिविल प्रोग्रामिंग के बारे में कहा है। आज अमरीका भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है क्योंकि पोखरण-2 के बाद हमें बहुत सी समस्याएं हुई थीं और वह हमें कोई प्रौद्योगिकी देने को तैयार नहीं था। कनाडा ने भी हमें प्रौद्योगिकी और राजस्थान में आई.ए.पी.पी. को भी ईंधन देना बंद कर दिया था। लेकिन अब सोच में बदलाव आ गया है। आपकी सूचना के लिए, यह सच है कि विश्व में परमाणु ईंधन सस्ता है। फ्रांस की 85 प्रतिशत विद्युत आवश्यकता परमाणु ऊर्जा केंद्रों से पूरी होती है इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

अन्य कारण यह है कि उत्पादन के क्षेत्र में निवेश नहीं है क्योंकि विनियामक संरचना और अनुबंधात्मक दायित्व नहीं थे। इस विद्युत अधिनियम, 2003 के होने से, विनियामक संरचना और अनुबंधात्मक दायित्व हमें अधिक निवेश दिला सकते हैं। अन्य कारणों में से एक कारण है कि वे राज्यों में मुफ्त विद्युत की बात कर रहे हैं और यह एक बहुसंख्यक कार्य बन चुका है। मैं केवल एक बात कहूंगा। कोई भी व्यक्ति नहीं, कम से कम स्वयं मैं राजसहायता के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मुफ्त विद्युत के लिए बजट बनाया जाना आवश्यक है। उनके कार्यक्रम में और बजट प्रस्तावों मे और बजट बनाए जाने की आवश्यकता है और यही कारण है कि राज्य विद्युत बोर्ड दिवालिए होते जा रहे हैं, और घाटे में आते जा रहे हैं। यदि राज्य मुफ्त विद्युत देने को तैयार है तो उन्हें इसके लिए बजट बनाना चाहिए। अन्यथा राज्य विद्युत बोर्ड वास्तव में कैसे चलेंगे?

मेरा विचार है कि मैं काफी बोल चुका हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान झारखंड क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगा जहां बिजली उत्पादन के लिए हर संभावनाएं उपलब्ध हैं, जहां अनेक छोटी-बड़ी नदियां हैं और सैंकड़ों कोलरियां हैं। वहां बोकारो थर्मल जैसा थर्मल पावर स्टेशन है। वहां चंद्रपुरा थर्मल, पत्रातु थर्मल और लाल पनिया हाइडल का निर्माण हुआ। इसके बावजूद भी कागज-पत्र में 3 प्रतिशत विद्यतीकरण जरूर है लेकिन धरातल पर मात्र एक प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले बोकारो थर्मल का निर्माण हुआ था और फिर बगल में बी-प्लांट तैयार हुआ। यह कहकर उस प्लांट को बंद कर दिया गया कि इसकी पावर शक्ति कम हो गई है और इसकी जगह नया प्लांट बनाया जाएगा। राशि के अभाव में इस प्लांट का काम बंद कर दिया गया, काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राशि उपलब्ध करवाकर इस प्लांट के काम को शुरू करवाया जाए ताकि झारखंड उपेक्षित न रहे। झारखंड में पानी की कमी नहीं है, मजदूरों की कमी नहीं है, लोहे की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, सब चीजों से सम्पन्न रहते हुए भी वहां काम शुरू नहीं हो रहा है। वहां राशि उपलब्ध करवाकर ए-प्लांट का काम शुरू करवाया जाए ताकि झारखंड का विकास हो सके। जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक किसी जगह का विकास संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. एम. जगन्नाथ उपस्थित नहीं है, श्री के.एस. राव-उपस्थित नहीं।

अब श्री भर्तृहरि महताब बोलेंगे, वह अन्तिम वक्ता है। उनके बाद मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं देश में बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में बिजली की कमी और इससे उत्पन्न समस्याओं को श्री प्रबोध पाण्डा ने बिल्कुल सही ढंग से उठाया है।

बिजली किसी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना होती है और देश में विद्युत क्षेत्र की भारी कमी है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति में सुधार कैसे किया जाये। वर्ष 2012 तक मांग पर बिजली की उपलब्धता जैसे वायदों से पूर्व हमें बहुत दूर जाना होगा अर्थात् हमने जो स्वप्न देखा है उसे साकार करना होगा। इन वायदों को हकीकत में बदलने के लिए विद्युत क्षेत्र में त्वरित विकास और पुनर्गठन पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, राज्य विद्युत बोर्ड, वितरण, फीडर और उपभोक्ता जैसे छह स्तरों पर नीतिगत हस्तक्षेप परिकल्पित किया गया है।

वर्ष 2012 तक अनुमानित बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो पंचवर्षीय योजनाओं अर्थात् दसवीं और ग्यारहवीं योजना में 1,00,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है। दसवीं योजना में लगभग 41,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जाएगी शेष ग्यारहवीं योजना में जल विद्युत पर विशेष बल देते हुए इसे स्थापित किया जाए। यही योजना है। यहां इस 41000 मेगावाट बिजली को केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बांटा गया है।

इसमें केन्द्रीय क्षेत्र 22,500 मेगावाट, राज्य क्षेत्र 11,400 मेगावाट और निजी क्षेत्र 7100 मेगावाट का योगदान देगा जो कि कुल मिलाकर 41,000 मेगावाट बन जाएगा, दसवीं योजना में ऐसी परिकल्पना की गयी है।

श्री पी.एम. सईद: क्या आप दसवीं योजना की बात कर रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: हां, 7100 मेगावाट निजी क्षेत्र के द्वारा।

श्री पी.एम. सईद: मैं समझता हूं कि निजी क्षेत्र से 7100 मेगावाट का योगदान होगा।

श्री भर्तृहरि महताब: हां। निजी क्षेत्र से 7100 मेगावाट का योगदान होगा। लगभग 19000 मेगावाट की परियोजना पहले ही निर्माणाधीन है और लगभग 8900 मेगावाट समग्र क्षमता की परियोजना को अपेक्षित अनुमति मिल गयी है। ये वहीं आंकड़े हैं जिन्हें मैं सरकारी रिकार्ड से एकत्रित कर सका। लेकिन मांग पर बिजली उत्पादन करने का विचार अर्थात् जब कभी उपभोक्ता को बिजली की आवश्यकता हो, उसे यह उपलब्ध करायी जाये और ऐसा ही किया जाना चाहिए। वर्ष 2012 तक हमें 1,00,000 मेगावाट की आवश्यकता है और दसवीं योजना के अन्तर्गत यह मात्र 41000 मेगावाट है।

सभापति महोदय: कृपया, मुख्य मुद्दे पर बात करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यह ही मुख्य मुद्दा है। हम संसद में यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि गांवों में बिजली गुल क्यों रहती है या गांवों को ज्यादा बिजली क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है। इन समस्याओं पर अर्थात् राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर विधान सभाओं में चर्चा होनी चाहिए। हमें यहां पर योजना,

[श्री भर्तृहरि महताब]

इस क्षेत्र अर्थात् दसवीं और ग्यारहवीं योजना में हमने क्या परिकल्पित किया है, कमी कहां हैं; केन्द्र द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के लिए कितना धन मुहैया कराया जाना है से संबंधित चर्चा करनी है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: वर्ष 1958 में स्थापित क्षमता से जो बिजली पैदा की जा रही है वह मात्र 1713 मेगावाट है और वर्ष 2003 में 1,07,875 मेगावाट पैदा की जा रही है।

श्री पी.एम. सईद: आपकी बात गलत है। यह स्थापित क्षमता है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपने आपको सही करता हूं। यह स्थापित क्षमता है। भारी वृद्धि के बावजूद देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत लगभग 350 यूनिट है जो कि विश्व में सबसे कम है, भारत में लगभग 13 प्रतिशत 'पीक सारटेज' तथा लगभग 7 प्रतिशत ऊर्जा की कमी बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या विद्युत बोर्डों और अन्य विद्युत इकाइयों द्वारा कम विद्युत पारेषण और कम विद्युत वितरण व्यवस्था से संबंधित है। यह समस्या विद्युत को सबसे आखिर में प्रयुक्त करने वालों जैसे किसानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, उद्योगों चाहे वे अनुसूचित हो या गैर-अनुसूचित जिन्हें लगातार बिजली चले जाने से जूझना पड़ता है, से जुड़ी हुई है। बिजली का बार-बार चले जाना, अनियमित वोल्टेज, निम्न और अन्य आपूर्ति बारम्बारता इन सभी से बिजली का बार-बार चले जाना बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ी है। इन कारकों के कारण अपर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता, वर्तमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग की कमी और अपर्याप्त अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक जैसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

यही प्रश्न है जिसे मैं पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ने राज्यों को उत्पादन और वितरण हेतु सलाह देने के लिए कोई समीक्षा की है? राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता हेतु प्रमुख कारक टेढ़ा प्रशुल्क ढांचा है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत कम है।

श्री भर्तृहरि महताब: टेढ़े प्रशुल्क के कारण असतत प्रति राजसहायता, भारी पारेषण और वितरण घाटा आदि होते जा रहे हैं। इनका मुख्य कारण सीधी चोरी, मीटर बिना आपूर्ति, राज्य विद्युत बोर्डों के वितरण ढांचे में जवाबदेही का अभाव आते हैं। विद्युत क्षेत्र में तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक कि उक्त मुद्दों को सभी स्तर पर सुलझा नहीं दिया जाता है।

यह बार-बार कही गयी है कि वर्ष 1991 से उड़ीसा वितरण सुधारों की प्रयोगशाला बन गया है और पुन: इसे वर्ष 1997 में फिर से कार्यान्वित किया गया है। इसलिए उड़ीसा विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधारों की प्रयोगशाला बन चुका है।

मैं इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं क्योंकि हम इसका सामना कर रहे हैं। हर दिन यह समस्या लोगों के सामने आ रही है। मैं जानना चाहता हूं सरकार अभी भी मानती है कि वितरण सुधार ऊर्जा क्षेत्र को सही रास्ते पर लाने के लिए मुख्य कुंजी है या आपके पास कोई अन्य विकल्प है।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र ऐसा तीसरा राज्य है जिसने किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई है। मुफ्त बिजली मुहैया कराने का निर्णय अवैध है। मैं कह रहा हूं 'अवैध' क्योंकि हमने तेरहवीं लोक सभा में एक अधिनियम लागू किया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा बिजली मुफ्त मुहैया नहीं की जा सकती है। जैसा कि सही उल्लेख किया गया है कि कुछ बजटीय प्रावधान करने होंगे। जवाबदेही हो और मत प्राप्त करने के लिए कोई चाहे कोई इधर हो या उधर चाहे कोई विपक्ष में बैठा हो या सत्ता पक्ष में सभी ऐसा कर रहे हैं। जब कभी प्रतिस्पर्द्धा होती है तो आप इस पर किस तरह नियंत्रण करेंगे? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री भर्तृहरि महताब, अन्तिम वक्ता से पहले वक्ता है, श्रीमती जयाप्रदा अन्तिम वक्ता है। उनके भाषण के बाद, मैं मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं इस मौके पर यह याद दिलाना चाहती हूं कि बापू जी का कहना था कि गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा लेकिन यह सपना ही रहने वाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जिस मुख्य विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। खुश इसलिए हूं कि कम से कम हम इस मामले में चर्चा कर रहे हैं और मुझे दुख इसलिए है कि 57 साल की आजादी के बाद भी हम बिजली की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। आज बिजली की खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिक्कत है। यह बहुत दुख की बात है कि खास तौर पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां लोगों और खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के बारे में सोचते हैं। उनके नसीब में नहीं है कि वे बिजली के बल्ब के नीचे बैठ कर

पढ़ाई कर सकें। आज हम जिस क्षेत्र में भी विकास करना चाहते हैं चाहे वह एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सैक्टर हो, इनमें अगर हम प्रगति या विकास करना चाहते हैं तो बिजली की बहुत जरूरत है। आज देश को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी सरकार दे सकती है या नहीं? बिजली देना या उत्पादन करना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन उसे सही और सस्ती कीमत पर दे सकें ताकि हम देश को विकास की ओर ले जा सकें।

आज मैं यहां एक मिसाल देना चाहती हूं। सदन में सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि एनरान द्वारा महाराष्ट्र में जो डाभोल में एक प्रोजैक्ट लगा था, वहां बिजली का उत्पादन शुरु हुआ था, बिजली बननी भी शुरु हुई थी लेकिन वह बहुत महंगी थी। वह बिजली 7.10 रुपए पर-यूनिट पड़ रही थी। इस कारण महाराष्ट्र के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इन्कार कर दिया। इससे लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा यह भी कहना है कि कोयला और पानी जैसे रिसोर्सेज का हम ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस दिशा में सरकार के क्लैरिटी विजिन की जरूरत है। यह क्लैरिटी इसलिये चाहिये कि हम कितनी पब्लिक डिमांड पूरा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर में सही ढंग से ट्रांसपीरेंसी है या नहीं, यह देखना जरूरी है। जहां सरकार को दिक्कत होती है, वहां विजिन-2020 होना चाहिये कि आने वाले प्लान हमारी डिमांड को कहां तक पूरा कर सकते हैं। यदि हम पड़ोसी देशों और विशेषकर जब हम देखते हैं कि चीन में इतना विकास हो रहा है तो हम उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहां स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। हालांकि मैं आंध्र प्रदेश से हूं, जो मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर आई हूं। यह मेरा धर्म बनता है कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री इसके लिये प्रयास कर रहे हैं और दादरी में 3500 मेगावाट का बिजलीघर बनाये जाने के लिये उन्होंने घोषणा की हैं। जहां तक बिजली के सिक यूनिट्स का संबंध है, ये सारे भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में भी हैं। हम इन सिक यूनिट्स को रिवाइव कर सकते हैं और इसके लिये पैकेज दे सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि नये प्रोजैक्ट्स बनते हैं तो वे कुछ सालों में छोड़ दिये जाते हैं। फिर हम बाहर से बिजली खरीदने की कोशिश करते हैं। हम यहां बिजली का उत्पादन इसलिये नहीं कर पाते क्योंकि हम यहां के रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

जहां तक हाईडल प्रोजैक्ट्स का सवाल है, हमारे यहां बाढ़ और सुखाड़ की गम्भीर स्थिति है। बिजली की डिमांड को देखते हुये हमें कोई न कोई निर्णय करना चाहिये। इसके लिये एक स्पेशल कमेटी बनाकर उसकी मानिटरिंग करनी चाहिये। जहां हाईडल प्रोजैक्ट्स के चैनल्स ड्राई हो गये हैं, उन्हें रिवाइव करना चाहिये। गांवों में बिजली की दिक्कत की वजह से बिजली की ज्यादा चोरी होती है। उसकी मानिटरिंग एक टास्क फोर्स के जरिये करनी चाहिये।

अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्लानिंग कमीशन की तरह सरकार को नेशनल एनर्जी पालिसी बनाकर इन सबकी मानिटरिंग करनी चाहिये।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): सभापति महोदय, मैं श्री प्रबोध पाण्डा और श्री बसुदेव आचार्य का इस मामले के उठाने और सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के लिए बधाई देता हूं। देश में विद्युत की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए इस पर विचार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुझे यह जानकर हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने इस चर्चा के दौरान सभी मुद्दों को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

हमें यह विषय कल ही समाप्त कर देना चाहिए था किन्तु विषय की व्यापकता की वजह से यह सम्भव नहीं हो सका। दोपहर तक मुझे आशंका थी कि क्या हम इसे आज पूर्ण कर पायेंगे। इसलिए, मैं आपके और सदस्यों के धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा। मैं अपना मामला आपके समक्ष कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करूंगा।

वास्तव में यह विषय बहुत तकनीकी है। मुझे भी इसका अध्ययन एक छात्र और एक आम आदमी की तरह करना होगा। मैंने इस विषय को कुछ समझा है। मैं यह समझ सकता हूं कि सदस्य किस प्रकार इसे समझने का प्रयास कर रहे थे। श्री सिंह ने कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। कई अन्य सदस्यों जैसे प्रो. रामगोपाल यादव और कई विशेषज्ञ जैसे श्री बसुदेव आचार्य जो ऊर्जा समिति के नियमित सभापति हुआ करते थे, ने कई बिंदुओं को छुआ है। मैं नहीं जानता इस बार कैसे उन्हें यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस बार उन्हें रेलवे समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, प्रो. रामगोपाल यादव और श्री बसुदेव आचार्य दोनों को इस विषय की तकनीकी जानकारी है और दोनों बोलते भी अच्छा हैं।

श्री पी.एम. सईद: मुझे ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद।

सरकार में हम जानते हैं कि देश सात प्रतिशत तक ऊर्जा और विद्युत की समस्या का सामना कर रहा है और उच्चतम कमी

11 प्रतिशत है। इस समय पर इस बात का मूल्यांकन करना अति महत्वपूर्ण होगा कि हमने 1947 में अपनी यात्रा कैसे आरम्भ की उस समय हमारी क्षमता कितनी थी और अब कितनी है? हमने 1362 मेगावाट से आरम्भ किया था और अब 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार यह 1,12,058 मेगावाट तक पहुंच गई है। तब प्रति व्यक्ति हमारा खपत कितनी थी? तब यह 15 यूनिट थी। अब हमारी खपत कितनी है? अब यह 582 यूनिट है। इसकी विकसित देशों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जी, हां, फिर भी यदि आप हमारी यात्रा पर ध्यान दें तो यह मामूली उपलब्धि नहीं है। तब कितने गांवों में बिजली थी? तब बिजली केवल 1500 गांवों में थी। अब हम पहले ही 4,75,000 गांवों का विद्युतीकरण कर चुके हैं जो 81% है। कुछ सदस्यों ने कई बिन्दुओं को उठाया। मैं समय के अभाव में सभी पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने कई चीजों की प्रशंसा की। एक बात जो उन्होंने उठाई कि विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। इसका उल्लेख करते समय, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ पा रहा हूं। विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण और विद्युत संवितरण राज्यों और राज्य विद्युत बोर्डों एवं इकाइयों द्वारा किया जाता था।

सन् 1975 में केन्द्र सरकार ने इसमें कदम रखा। अब केन्द्र सरकार देश की आवश्यकता की एक तिहाई अथवा एक-तिहाई से कुछ अधिक उत्पादन अथवा सृजन कर रही है। चूंकि संवितरण पूर्णत: राज्यों और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किया जाता है, पारेषण भी कुछ समय तक राज्यों के हाथों में था। अब यह कार्य केन्द्र के पास है। अब यह कार्य पावर ग्रिड द्वारा किया जाता है। एक हजार सर्किट किलोमीटर का कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। इसमें से 50,000 केवल पावर ग्रिड द्वारा सम्पन्न किया गया है। देश में हमारी विद्युत का कुल तंत्र संवितरण क्षेत्र में है। कई माननीय सदस्यों ने इस ओर संकेत भी किया है। जो भी उत्पादन किया जा रहा है वह पुरानी मशीनों की वजह से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। इस क्षेत्र की वृद्धि करने अथवा सुदृढ़ एवं नवीकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। परिणामस्वरूप टी. और डी. हानि बहुत अधिक है। दोनों को जोड़कर यह 45 प्रतिशत तक हैं। यह खतरनाक स्थिति है। केन्द्रीय विद्युत अधिनियम भी इसका एक कारण था। मीटरों का न होना, घटिया स्तर के मीटर, 55 प्रतिशत बिलिंग और 45 प्रतिशत प्राप्ति कुछ ऐसी ही समस्याऐं हैं। इससे क्या समस्या होगी? आप इसे कमी के संदर्भ में माप सकते हैं। यह कमी 45,000 मेगावाट तक थी। यह स्थिति है। इसका लेखा-जोखा नहीं है।

पारेषण प्रणाली और संवितरण प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाऐं तैयार की गई हैं उनमें से एक को मैं 'न्यू डील' कहूंगा। हमने ए.पी.डी.आर.पी. के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। हमने 16,100 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। कई राज्यों ने इसका उपयोग किया है। इसका परिणाम यह निकला कि मीटर न लगे होने के कारण, अत्यधिक चोरी के कारण, तकनीकी हानि के कारण, विद्युत बोर्डों और इकाइयों के बकाया राशियों के कारण यह 41 करोड़ रुपये रह गया है। इसका प्रतिभूतिकरण होना चाहिए। इसे बाण्ड्स में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

इन प्रोत्साहनों और केन्द्र द्वारा की गई पहल का अधिकतर राज्य विद्युत बोर्डों का लाभ उठाया है। अब, वे खड़े होने हैं और सरकारी उपक्रमों को भुगतान करने की स्थिति में है, वे ब्याज अदा करने की स्थिति में है।

यह सच है कि एक विद्युत संयंत्र को आरम्भ करने के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्कता होती है। आठवीं और नौवीं योजनाओं में हमारी सबसे बड़ी कमी यह थी कि हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकें। यह 50 प्रतिशत से कम थी। इसलिए, यह समस्या उत्पन्न हुई। सन् 1985 से 1990 तक, यह लगभग 100 प्रतिशत थी। राजीव जी के कार्यकाल के दौरान हमने 20,000 मेगावाट का उत्पादन किया। यह लगभग 100 प्रतिशत था। किन्तु आठवीं और नौवीं योजनाओं के दौरान, यह 50 प्रतिशत से कम था। यह केवल 35,000 मेगावाट था।

अब, हमने दसवीं योजना में 41,100 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई है। ग्यारवीं योजना के लिए भी अतिरिक्त क्षमता के सम्बन्ध में पहले से ही अग्रिम योजना बना ली गई है। यह 60,000 मेगावाट है। यह हमारे विद्युत उत्पादन को दोगुना कर देगा।

इन सभी नये उपायों से सभी ग्रामों तक विद्युत पहुंच जायेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में पांच वर्षों के भीतर प्रत्येक गांववासी, प्रत्येक ग्रामीण के घर के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। यही जनादेश इस सरकार को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि हम इसे प्राप्त कर लेंगे।

महोदय, आप सोच रहे होंगे कि यह सब हम कैसे करेंगे। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि इन 41000 मेगावाट में से हमने पहले ही 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है और 27000 मेगावाट पर काम चल रहा है। राज्यों के लिए केवल 7000 मेगावाट छोड़ा गया है। वहां भी, अन्तिम रूप दे दिया गया है। अभी तीस दिन हैं और इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता है। अत: हमें विश्वास है कि हम 41000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने की स्थिति में होंगे। इन सबसे बढ़कर, हमारे पास 3000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत से भी होगी। ऐसी भी व्यवस्था है।

अतएव, इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। कैसा रहे अगर पश्चिम बंगाल लगभग शत प्रतिशत बिजली की चोरी रोक सके? कैसा रहे अगर कुछ अन्य राज्य भी बिजली की चोरी रोक सकें?

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): आन्ध्र प्रदेश ने भी बिजली की चोरी रोकी है।

श्री पी.एम. सईद: हां, आपने सही कहा। आंध्र प्रदेश ने भी बिजली की चोरी रोकी है।

कुछ हद तक हरियाणा ने भी इसे रोका है। अथएव हमारे राज्यों तथा केन्द्र दोनों की ओर से मिलकर प्रयास होना चाहिए। वित्त की कोई समस्या नहीं है। इस 41000 मेगावाट के बारे में कोई समस्या नहीं है। हम इसे करने की स्थिति में होंगे।

सायं 6.49 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

किन्तु कठिनाई आठवीं और नौवीं योजना में थी, क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड और इकाइयों का कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति खराब थी।

अब हमने निजी क्षेत्र से सहायता लेने का लक्ष्य रखा है। वे शुरू में घबराए थे और इसलिए वे नहीं आए साथ ही भारी कर्ज के कारण-बकाया लगभग 41000 करोड़ था-सरकारी क्षेत्र ऐसा करने में असमर्थ था। सारी बातों का निचोड़ यही था।

श्री सांताश्री चटर्जी: एनरान के विषय में क्या विचार है?

श्री पी.एम. सईद: मैं उस विषय में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। यह मामला लम्बित हैं। इससे निर्णय प्रभावित हो सकता है। मैं इससे बचने की कोशिश करूंगा। हां, सभी इसे जानते हैं और मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहूंगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं, विशेषत: जल विद्युत उत्पादन के विषय में। ताप विद्युत की तुलना में यह बेहतर है। दीर्घकालीन योजना में हमारे पास 1,50,000 मेगावाट की संभावित क्षमता है। हमारे पास यह योजना है; और इसमें 50000 मेगावाट जल विद्युत क्षेत्र से होगा।

श्री भर्तृहरि महताब: क्या यह 11वीं योजना में है?

श्री पी.एम. सईद: आंशिक रूप से 11वीं योजना में और आंशिक रूप से 12वीं योजना में। हमारा यह लक्ष्य है।

प्रो. रामगोपाल यादव (सम्भल): परमाणु ऊर्जा के बारे में क्या विचार है?

श्री पी.एम. सईद: इसे 10वीं योजना में बढ़ाया जाएगा। 300 मेगावाट के लिए योजना थी, अब यह 2500 मेगावाट होने जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एटोमिक पावर प्लांट नरौरा में लगा हुआ है और वह बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप उसकी सिफारिश कर दें, वह एक यूनिट और शुरू हो जाए तो अच्छा होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जब मंत्री महोदय अपनी बात समाप्त करें तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अब सदन का समय खराब कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पी.एम. सईद: श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो कहा है, वह बिलकुल सही है। हम मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारा काम है, हम टेक-अप कर सकते हैं।

[अनुवाद]

हम इसे टेक अप कर सकते हैं। मैंने पहले ही अतिरिक्त क्षमता के बारे में उल्लेख किया है। समय की कमी के कारण, मैं कुछ उन बातों के बारे में नहीं बोलूंगा जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। केन्द्रीय और पूर्वी क्षेत्र में कोयला उपलब्ध है। उत्तर और उत्तर पूर्व में जल उपलब्ध है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: आप सिफारिश ही कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: आप पूर्वी क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं।

श्री पी.एम. सईद: मैं सहमत हूं। पिछले साल, आपके राज्य ने 800 करोड़ रु. की बिजली का उत्पादन किया है। मैं यह जानता हूं; धन्यवाद।

[श्री पी.एम. सईद]

पावर ग्रिड की क्षमता कितनी है? ये सभी पांचों जोन जुड़े हुए हैं। पावर ग्रिड से राज्यों और गांवों तक का संपर्क एक समस्या है। इसे जोड़ने के लिए हमारे पास योजना है। अभी 8400 मेगावाट की क्षमता है और 10वीं योजना के अन्त तक यह 23,000 मेगावाट होगी।

ग्यारहवीं योजना के अन्त तक यह क्षमता 30,000 मेगावाट होने जा रही है। मेरे विचार से मैंने मोटे तौर पर सभी मुद्दों को शामिल कर लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: मुफ्त बिजली के बारे में क्या राय है?

श्री पी.एम. सईद: अपने भाषण की अंतिम पंक्ति में आपने इसका जिक्र किया था। मेरे अनुसार, 2003 अधिनियम एक नया विधान है। कई माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। विद्युत नीति, टैरिफ नीति, ग्रामीण विद्युत नीति इत्यादि इन सब चीजों का उल्लेख इस अधिनियम में है। इसे स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दस जून थी। 13 राज्यों को छोड़कर जिन्हें कुछ और समय चाहिए था, सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसकी समीक्षा का उल्लेख न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किया गया था और हमने उस वायदे को पूरा किया है। किसी अन्य के द्वारा कोई और बात नहीं कही गयी है। हां, किसी भी अधिनियम की समीक्षा जब भी आवश्यक हो, की जा सकती है। 2003 अधिनियम के मामले में 13 राज्यों ने 2 महीने से 11 वर्षों तक समय को बढ़ाने की मांग की है और हमने यह दो दिया है।

श्री सांताश्री चटर्जी: क्या यह अधिनियम किसी भी तरह हमारे लिए सहायक है?

श्री पी.एम. सईद: इसे पारित कराने में तीन वर्ष लगे। पूरे एक वर्ष तक स्थायी समिति ने पूरे देश में सभी संबद्ध व्यक्तियों से परामर्श किया। स्थायी समिति ने असामान्य रूप से अधिक समय लिया और तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह कि इसे किसी राज्य पर थोपा नहीं गया है। यह स्वीकृति पर आधारित है। कुछ राज्यों के मामले में हो सकता है कि उनकी शत प्रतिशत इच्छा न रही हो।

श्री पवन कुमार बंसल: इस अधिनियम में श्री बसुदेव आचार्य की बुद्धिमता है।

श्री पी.एम. सईद: मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एक बात पक्की है कि इस अधिनियम को किसी पर थोपा नहीं गया था। इस अधिनियम ने राज्यों को अलग-अलग बांट कर पुनर्गठित करने का अवसर दिया है। अब वे बहुत बेहतर और अच्छी स्थिति में हैं। कुछ राज्यों के अनुसार, कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो ठीक न हो लेकिन कुल मिलाकर यही स्थिति है।

जहां तक नीति का संबंध है, हमने पहल शुरू की है। श्री अर्जुन सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं। बमुश्किल तीन माह बीते हैं। हमने यह कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। मैंने मुख्यमंत्रियों और राज्य विद्युतमंत्रियों को स्वयं लिखा है। मेरे सचिव ने सभी संबद्ध जोनल सचिवों से मुलाकात की है और इस पर हम सक्रियता से विचार कर रहे हैं। यह नीति स्पष्टत: दृष्टिगोचर है और इसे बहुत शीघ्र तैयार किया जा रहा है।

श्री सांताश्री चटर्जी: क्या इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी?

श्री पी.एम. सईद: हमने पहले ही इसकी समीक्षा की है और 13 राज्यों को समय में छूट भी मिला है ...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी: विद्युत संबंधी स्थायी समिति को इस पर पुन: विचार करने दीजिए।

श्री पी.एम. सईद: वास्तव में जब कभी आवश्यकता हो, इस अधिनियम की समीक्षा की जा सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

सायं 7.00 बजे

महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों में कतिपय कार्य शुरू किए हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन ने भी कतिपय कार्य शुरू किए हैं तथा कुछ समझौते किए हैं। ऐसा नहीं है कि वे जा रहे हैं और राज्यों को परेशान कर रहे हैं बल्कि वे स्वयं सहायता हेतु अनुरोध कर रहे हैं। मैं श्री लालू यादव के साथ बिहार गया था और हम गया गये थे।

हमने वहां पर 80 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना का उद्घाटन किया था। अब मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी विकास हो रहा है। वे भी यह अनुरोध कर रहे हैं कि उनका काम भी शुरू किया जाए। यह वित्त और काम दोनों की दृष्टि से एक व्यापक योजना है। अब उन्होंने हमें यह काम सौंपा है। हम वित्तीय मामलों में उनकी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने यह कार्य करने के लिए हमें प्राधिकृत किया है।

जहां तक बिहार का संबंध है, श्री राम गोपाल यादव और अन्य मित्रों ने कुछ स्थानों का उल्लेख किया है। हमारी उनमें बहुत रुचि है और हम उनकी समस्या पर सबसे अधिक विचार करेंगे क्योंकि वे हमें सारा काम सौंपने की उत्सुक हैं। हाल ही में मुझे यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने एक निर्णय किया है कि रोजगार 10 प्रतिशत या 100 प्रतिशत हो सकता है। अभी तक उन्हें राशि भेजी जाती थी किंतु वे डी पी आर तैयार नहीं कर सके

अथवा वे फारम्यूलेशन नहीं बना सके। किंतु अब सारी तैयार और कार्यान्वयन भी सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।

पुरुलिया के बारे में, मार्च 2004 में पी आई बी ने परियोजना को स्वीकृति दे दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार से पुन: ए बी आई सी से ऋण प्रबंधन जारी रखने की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था। कुछ दिनों पहले, हमें उनसे सूचना प्राप्त हुई है। अब पी आई बी की सिफारिश को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं श्री बसुदेव आचार्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस पर पी आई बी के साथ विचार किया जाएगा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। किंतु यह कार्य सस्ती दरों पर किया जाना चाहिए क्योंकि देश की आबादी का 70 प्रतिशत भाग गरीब और सीमांत किसानों का है। यदि दरें सस्ती नहीं होंगी तो उन्हें बिजली कैसे मिलेगी? इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रति राजसहायता के प्रावधान को पुन: शुरू करेगी। यह प्रावधान पहले था।

दूसरे, चर्चा के दौरान न केवल मैने अपितु इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय विद्युत नीति के बारे में एक बात उठाई है। आप किस प्रकार की राष्ट्रीय विद्युत नीति के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों से सलाह करने के बारे में सोच रहे हैं? मैं इन दो बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री पी.एम. सईद: प्रति राजसहायता पहले से ही मौजूद है और अभी भी जारी है। वास्तव में नई विद्युत नीति में भी इसे छोड़ा नहीं गया है। स्थिति यह है।

नीति के बारे में, मुख्यमंत्रियों को भी प्रारूप भेजा गया है। इनमें से कुछ से टिप्पणियां मिलने की प्रतीक्षा है। अधिकांश टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी है। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन होने जा रहा है। वे सम्मेलन में मिल रहे हैं। हमें उनमें से कुछ के पत्र प्राप्त हो गए हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: क्या आप सस्ती दरों पर विद्युत दे रहे हैं?

श्री पी.एम. सईद: हमारी मंशा यह है कि दरें सस्ती होनी चाहिएं, विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर बिजली का उपभोग करने की स्थिति में हो। ऐसा तभी हो सकता है जब प्रतिस्पर्धा हो और आपके पास इसके लिए अवसर हों। अब, पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन में कारोबार कैसा है? वहां उपभोक्ता हैं और वे इसे ले रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरनमायडु: मैं इन दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह शीर्ष संस्था है। मुफ्त बिजली देने पर सरकार का रूख क्या है? आप राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुफ्त बिजली के बारे में इस सरकार का रूख क्या है? दूसरा प्रश्न बिजली की चोरी और उसके पारेषण से हुई हानि है। इस देश में ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। कुछ राज्य बिजली चोरी और परियोजना की हानि को नियंत्रित करने हेतु बहुत अच्छे उपाय कर रहे हैं। सभी कानूनों को लागू करके वे काफी बिजली बचा रहे हैं और काफी राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप ऐसे राज्यों को कोई प्रोत्साहन दे रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार बिजली चोरी पर नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देगी? कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों के हित के मुद्देनजर वर्ष 2003 के विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है। अधिनियम में कुछ खामियां हैं। उनका अध्ययन करने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के हित में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की है। क्या सरकार ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, उनका पहला प्रश्न मुफ्त बिजली के बारे में है। मैं एक बार फिर यह बात स्पष्ट कर दूं कि विद्युत अधिनियम में यह कहा गया है कि जनसंख्या के किसी भी भाग को राजसहायता दी जा सकती है बशर्ते कि उस विशेष राज्य के बजट में उसका प्रावधान किया जाए। स्थिति यह है *...(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा: मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रतिराजसहायता दी जाएगी या नहीं।

श्री पी.एम. सईद: प्रतिराजसहायता अभी भी मौजूद है और वह जारी रहेगी।

श्री पवन कुमार बंसल: सरकार द्वारा देश के सभी गांवों में बिजली देने की इच्छा और प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। पुन: इस मुद्दे पर आते हैं। पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों ने इस संबंध में काफी अच्छा काम किया है। अत: कहने के लिए बहुत अधिक नहीं है। किंतु एक मेरे क्षेत्र चंडीगढ़ के बारे में एक प्रासंगिक बात है। वहां पर जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण काफी अधिक लोग 'लालडोरा' से बाहर रह रहे हैं। विशेष रूप से पंजाब में काफी अधिक 'डेरे' बन गए हैं। वे लोग पैसा चुकाने के इच्छुक हैं और वे इसे चुकाना चाहते हैं। किंतु उन्हें कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे जिससे उन्हें बिजली उपलब्ध कराई जा सके क्योंकि वे इसके लिए भुगतान करने के इच्छुक हैं। वे लोग गांवों के बाहर रह रहे हैं जैसे लोग आबादी से बाहर रह रहे हों किंतु उन्हें राजस्व संपदा में भी शामिल किया जाए।

श्री पी.एम. सईद: क्या वे भी ग्राम इकाईयां हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: वे राजस्व संपदा के अंतर्गत आते हैं किंतु 'आबादी' क्षेत्र से बाहर हैं। अत: उन्हें गांव नहीं माना जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: वे गांव से कुछ दूरी जैसे 500 गज दूर रहते हैं।

श्री पी.एम. सईद: वहां तक पावर ग्रिड नहीं पहुंच सकता है और यह किफायती भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आई पी पी अर्थात् स्वतंत्र विद्युत उत्पाद वहां पहुंच सकते हैं। सरकार उसे प्रोत्साहन देगी। स्थिति यह है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: वे वहां क्यों जाएंगे? आई पी पी केवल तभी वहां जाएंगे जब उन्हें लाभ होगा। अन्यथा वे इतने दूरस्थ क्षेत्रों में क्यों जाएंगे। क्या यह उनके लिए लाभप्रद है? मिश्रित कस्बे और ये क्षेत्र उन संगठनों के लिए लाभप्रद नहीं हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आई पी पी उन सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे? यह संभव नहीं है।

श्री पी.एम. सईद: हम राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों को इस बात के लिए राजी करेंगे कि वे देखें कि स्वतंत्र विद्युत उत्पाद उन्हें बिजली देने के लिए वहां मौजूद हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: राज्य सरकारों को राजी करें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को ऐसा करने के लिए निदेश दें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): मैं मंत्री जी से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था और वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने भी सार्क देशों के सम्मेलन में कहा है कि सार्क देश मिलकर सार्क ग्रिड बनाएंगे। भारत उसमें विशेष भूमिका निभाएगा, क्योंकि वह दक्षिण एशिया के मध्य में है। यह बात प्रधान मंत्री जी ने सार्क सम्मेलन में कही थी, जिसका उल्लेख मैंने अपने कल के भाषण में किया था। नेपाल 83,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। भूटान 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है और बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है।

[अनुवाद]

मैं सार्क ग्रिड के बारे में बात कर रहा हूं जिसके लिए राजग के पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वचन दिया था। श्री मनमोहन सिंह ने सार्क सम्मेलन में 'प्रेस' में यह कहा था कि वे सार्क ग्रिड बनाएंगें। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इसका पालन किया जा रहा है? अथवा क्या आपने विचार त्याग दिया है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, यह श्री लक्ष्मण सिंह की स्थायी सीट है। पिछली लोक सभा अर्थात् 13वीं लोक सभा में भी वे इसी सीट पर बैठते थे।

श्री लक्ष्मण सिंह: मुझे यहां बैठने पर गर्व है।

श्री पी.एम. सईद: हम द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 'सार्क' देशों के बारे में भी यही बात लागू है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र के माध्यम से विद्युत के संवितरण में दिल्ली राज्य अग्रणी रहा है। दो कम्पनियों को राज्य में विद्युत के संवितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह इस संबंध में अग्रणी है।

श्री पी.एम. सईद: दिल्ली अग्रणी नहीं है। पश्चिम बंगाल इस संबंध में अग्रणी है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैं विद्युत के संवितरण के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं। निजी क्षेत्र के माध्यम से विद्युत का संवितरण।

श्री पी.एम. सईद: मैं भी निजी क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: यदि ऐसा है तो वे भी अग्रणी रहे हैं। पुरानी कम्पनी के 750 कर्मचारियों की छंटनी की गयी। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की सुविधा दी जानी थी। निजी क्षेत्र की कम्पनियां उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की सुविधा नहीं दे रही है। इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? क्या केन्द्र इस संबंध में हस्तक्षेप कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभों का भुगतान किया जाए? क्या इस धनराशि का भुगतान निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए अथवा पुरानी कम्पनी द्वारा? क्या आप इस संबंध में कुछ कर सकते हैं? यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पुरानी कम्पनी के 750 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया गया है। उनकी छंटनी की गयी है। यह काफी गम्भीर मामला है। मैं अभी इसी समय इसका उत्तर नहीं चाहता हूं। परन्तु कृपया इसके बारे में कुछ करें। 750 कर्मचारियों को अभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ मिलना शेष हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: हमने विद्युत की समस्याओं के बारे में चर्चा की है। मैं अपने भाषण में पहले ही बिजली की चोरी का

जिक्र कर चुकी हूं। यदि कतिपय राज्यों और स्थानों में बिजली की चोरी हो रही है तो क्या उन्हें इसे रोकने हेतु एक कृतक बल रखने का विचार आया है?

श्री पी.एम. सईद: जयाप्रदा जी, अनेक राज्यों ने इस संकट को नियंत्रित करने व रोकने हेतु पहले ही कानून बना लिए हैं। इस संबंध में मैंने बंगाल और आंध्र प्रदेश का भी उल्लेख किया है। नौ राज्यों ने कानून बनाए हैं। वे इसे नियंत्रित कर रहे हैं। वास्तव में इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों और कम्पनियों को यह विचार करना है कि बिजली-चोरी के मामलों में किस मौजूदा कानून का प्रयोग किया जाए। यदि किसी नए कानून की आवश्यकता है तो वे इसे भी बना सकते हैं। साथ ही साथ, मैं देशवासियों से एक बात का अनुरोध करता हूं। यह संकट हमारे विद्युत को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए देश में, शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी कार्यालयों में इस संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। अनेक स्थानों पर ऐसी जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। इस मामले को ऐसे सभी स्थानों पर प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि इसे रोका जा सके।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह पहले ही एक प्रश्न पूछ चूके हैं। विनियामक आयोग उनके द्वारा उल्लिखित इस समस्या की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि वह बिहार की समस्या को देखते हुए उसे प्राथमिकता देंगे। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने सिद्धांत रूप से मान लिया कि पन-बिजली की योजना लगाना आवश्यक है और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसकी योजना भी बनायी है। जैसा मैंने अपने भाषण के दरम्यान कहा कि बिहार की विभिन्न नदियों से और नेपाल से निकली हुई नदियों से पानी बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। वह इसकी योजना भी बचा चुके हैं लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि इसके लिए क्या करेंगे? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इसकी योजना बनायी है या बनाएंगे तो क्या बिहार को प्राथमिकता देंगे क्योंकि वहां बड़े पैमाने में पन-बिजली का स्कोप है जिससे बाढ़ की भी रोकथाम होगी, बड़े पैमाने में बिजली का उत्पादन होगा और सभी को सहूलियत होगी।

श्री पी.एम. सईद: उपाध्यक्ष जी, राम कृपाल जी सदस्य के तौर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। मैंने उनके सवाल को गौर से सुना और जवाब भी दिया। मैं उसे दोनारा दोहराना चाहता हूं। जब इस बारे में प्लान बनाया जाएगा तो उनकी स्टेट की तरफ गौर से देख कर सोचा जाएगा और जो भी होगा, हम करेंगे।

सायं 7.18 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। श्री रूपचंद पाल।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.19 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा–*जारी*

(दो) जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगले मद, मद सं. 23 पर चर्चा करेंगे। श्री बसुदेव आचार्य चर्चा को आरंभ करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जूट एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है ...*(व्यवधान)* हमारे देश के विभाजन के समय जूट उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और जूट मिलें पश्चिम बंगाल में रह गयी।

महोदय, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया था और उनसे जूट का उत्पादन करने का अनुरोध किया था ताकि पश्चिम बंगाल राज्य की कुछ जूट मिलें चलती रहें। पश्चिम बंगाल के किसानों ने भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू की अपील को माना। धान उत्पादन क्षेत्रों को जूट उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया और इस प्रकार सभी जूट मिलें पुनर्जीवित हो गयी।

[श्री बसुदेव आचार्य]

आज भारत सरकार की गलत नीति के कारण पश्चिम बंगाल के 40 लाख जूट उत्पादकों और 2.5 लाख जूट श्रमिकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1980 में परिस्थिति क्या थी? जब प्लास्टिक लाबी से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने लगी तो भारत सरकार ने महसूस किया कि 40 लाख जूट उत्पादकों और 2.5 लाख जूट श्रमिकों के रक्षार्थ कानून बनाना आवश्यक है। उस कानून का मुख्य उद्देश्य जूट उत्पादकों और जूट श्रमिकों की रक्षा करना था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग से जूट उद्योग की रक्षा करना था।

जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम को वर्ष 1987 में पारित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4, उप धारा 2 में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य जूट सामग्री के उपयोग के स्तर तथा उपलब्ध कच्चे जूट की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखना, जूट उद्योग एवं कच्चे जूट के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना तथा जूट उद्योग को निरन्तर बनाए रखना है।

महोदय, इस अधिनियम के बन जाने के पश्चात्, हमने यह पाया है कि शनैः शनैः इस अधिनियम को समाप्त किया जा रहा है। जब वर्ष 1987-88 में इस अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था तो खाद्यान्नों के लिए 100 प्रतिशत जूट पैकेजों का इस्तेमाल किया जाता था। चीनी के लिए भी यह 100 प्रतिशत था। यूरिया के लिए, यह 50 प्रतिशत था और सीमेन्ट के लिए 70 प्रतिशत था। वर्ष 1988-89 में, यह खाद्यान्नों, चीनी और यूरिया के लिए 100 प्रतिशत था और सीमेन्ट के लिए 70 प्रतिशत था। वर्ष 1994-95 में चीनी और खाद्यान्नों के लिए यह 100 प्रतिशत था लेकिन यूरिया के लिए 65 प्रतिशत और सीमेन्ट के लिए 70 प्रतिशत था। वर्ष 1995-96 में, चीनी और खाद्यान्नों के लिए 100 प्रतिशत था, लेकिन यूरिया के लिए 50 प्रतिशत और सीमेन्ट के लिए 50 प्रतिशत था। वर्ष 1998-99 में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, खाद्यान्नों और चीनी के मामले में यह 100 प्रतिशत था, लेकिन यूरिया के मामले में यह घटकर 20 प्रतिशत रह गया था और सीमेन्ट के मामले में यह शून्य था। फिर वर्ष 2001-02 में, यूरिया और सीमेन्ट दोनों के लिए, जूट पैकेजों का इस्तेमाल शून्य था, और सीमेन्ट के लिए भी यह शून्य है। वर्ष 2002-2003 में, चीनी के मामले में यह घटकर 90 प्रतिशत रह गया था।

जूट पैकेजिंग मैटेरियल कम्प्लसरी यूज आफ पैकेजिंग कमिटीज विधेयक 1987 में, इस अधिनियम, के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित एक प्रावधान है। इसके तहत अर्थदंड का प्रावधान है। धारा 5 में, यह कहा गया है कि 'धारा 3 के अंतर्गत किसी वस्तु, वस्तुओं के वर्ग अथवा उनके प्रतिशत की आपूर्ति अथवा वितरण के लिए उन वस्तुओं को जूट पैकेजिंग पदार्थ में पैक किये जाने का आदेश है तो ऐसी वस्तु, वस्तु-वर्ग और उनके प्रतिशत की आपूर्ति विशेष आदेश की तिथि पर अथवा उस तिथि से नहीं की जायेगी। उस सामान को आदेश के अनुसार पैक नहीं किया जाता है।'

हमने यह पाया है कि स्थायी परामर्शदात्री समिति की एक सिफारिश है और वह सिफारिश भी धारा 4, उप-धारा 2 (घ) के अनुरूप होनी चाहिए, 'कि जूट उद्योग और कच्चे जूट के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा'। इसीलिए, स्थायी परामर्शदात्री की सिफारिश भी धारा 4, उप-धारा 2 (छ) पर आधारित होनी चाहिए कि जब भी स्थायी परामर्शदात्री समिति कोई निर्णय लेगी अथवा कतिपय सिफारिशें करेगी, तो मजदूरों के हितों और जूट किसानों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा।

महोदय, यद्यपि यूरिया और उर्वरक के मामले में इस अधिनियम के प्रावधानों का बहुत उल्लंघन हुआ है, लेकिन फिर भी इस अधिनियम, के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यद्यपि अधिनियम अनिवार्य है, यूरिया और उर्वरक के मामले में उन्होंने इसका अत्यधिक उल्लंघन किया था।

महोदय, यह चर्चा हम आज ही क्यों कर रहे हैं? और भी कई मामले हुए हैं। दिनांक 5 जुलाई को, कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। महोदय, मैं दिनांक 6 जुलाई, 2004 के कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को उद्धृत करना चाहूंगा। इसके अनुसार:

> "इसलिए हम केन्द्र सरकार द्वारा अपने वस्त्र मंत्रालय के 1 जुलाई 2004 के जारी आदेश के संबंध में की गई कार्यवाही से असहमत हैं। जाहिर है, इसका उद्देश्य वर्तमान न्यायालय की कार्यवाही को निष्फल करना है। हम इसलिए अपील की अनुमति देते हैं और माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करते हैं। हम केन्द्र सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय के संबंध में 1 जुलाई, 2004 को जारी उस अधिसूचना आदेश को भी निरस्त करते हैं जो कि 1 जुलाई 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है और उसमें यह कहा गया है कि 1 जुलाई 2004 को ऐसी अधिसूचना के जारी होने से पूर्व जूट पैकेजिंग सामग्री के संबंध में यथास्थिति तब तक बनायी रखी जाए जब तक कि केन्द्र सरकार की स्थायी परामर्शदात्री समिति द्वारा नयी सिफारिश न की जाए और फिर उनके आधार पर नयी अधिसूचना जारी की जा सकती है। स्थायी परामर्शदात्री समिति सुनवाई की नयी तिथि नियत करेगी और अपीलकर्त्ताओं और ऐसे अन्य लोगों को नोटिस जारी करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और उनकी ओर से किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए धारा 4 (2) को ध्यान में

रखते हुए केन्द्र सरकार को नयी सिफारिशें करेगी। यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है–और विशेषकर खंड 'घ'–जिसके संबंध में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। और तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कार्यवाही करेगी।"

महोदय, 1 जुलाई की यह अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल को लिये गये निर्णय पर आधारित थी। अपने कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जूट पैकेजिंग मैटेरियल अधिनियम, को लगातार समाप्त करती रही। हमने अगस्त, 2003 माह में क्या देखा? उन्होंने इस अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त करने के प्रयास किये। वे 16 अप्रैल, 2004 को अधिसूचना जारी करना आवश्यक क्यों समझते थे जबकि लोक सभा नहीं थी? लोक सभा भंग हो चुकी थी। 20 अप्रैल, 2004 को चुनावों का प्रथम चरण शुरू होना था।

इसलिए चुनावों से ठीक पहले उस समय के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी करना आवश्यक क्यों समझा? इस अधिसूचना को जारी करने की क्या आवश्यकता थी? क्या ऐसा चुनावों और प्लास्टिक लाबी से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के कारण किया गया था? यह क्यों आवश्यक था? मैं वर्तमान कपड़ा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे पिछली सरकार के पदचिह्नों पर क्यों चल रहे हैं वह पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधार सकते थे क्योंकि वे जूट उत्पादक और किसानों के हितों को बर्बाद करना चाहते थे क्योंकि उनकी नीति किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी थी। इसलिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे।

कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी। मैंने 5 अगस्त को कपड़ा मंत्री से बातचीत की थी। मुझे 5 अगस्त को श्रमिक संघ द्वारा बताया गया था कि उनसे कहा गया है कि यदि उनके पास कोई प्रस्ताव है तो वे उसे 6 अगस्त तक जमा करा दे। मैंने 5 अगस्त को मंत्री से संपर्क किया था और उनसे कहा था कि वे अपना प्रस्ताव एक दिन में कैसे जमा करा सकते है। उन्हें बताया गया था कि यदि वे बैठक में अपने विचार रखना चाहते है तो वे 9 अगस्त को आ सकते है यह वही तिथि है जब बैठक होनी थी। बैठक का निर्णय क्या था?

स्थाई सलाहकार समिति के निर्णय से न जूट उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हो पायी और न ही जूट श्रमिकों के हित की सुरक्षा हो पायी। स्थाई सलाहकार समिति ने क्या सिफारिशें की थी? खाद्यान्नों के मामले में यह सरकारी खरीद एजेन्सियों के लिए 100 प्रतिशत और अन्य के लिए 80 प्रतिशत थी। यह सरकारी खरीद एजेन्सियों और अन्य दोनों के लिए सभी तरीके से 100 प्रतिशत थी। अब स्थाई सलाहकार समिति ने सरकारी एजेन्सियों के लिए 100 प्रतिशत और अन्य के लिए 80 प्रतिशत की सिफारिश की है। यह अधिनियम के उपबंधों को समाप्त करना नहीं है।

महोदय, लेवी शुगर के मामले में यह सरकारी खरीद एजेन्सियों के लिए 100 प्रतिशत और अन्य के लिए 75 प्रतिशत है।

हम क्या मांग कर रहे थे, श्रमिक संघ क्या मांग कर रहे है और जूट उत्पादक क्या मांग कर रहे है कि खाद्यान्नों के मामले में 100 प्रतिशत और चीनी के मामले में भी 100 प्रतिशत होनी चाहिए। लेकिन दिनांक 9 अगस्त को हुई स्थाई सलाहकार समिति की बैठक में इसे खाद्यान्नों के मामले में 80 प्रतिशत और चीनी के मामले में अन्य के लिए 75 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की गई थी। क्या कपड़ा मंत्रालय ने इस बात का परिकलन कर लिया है कि सार्वजनिक वितरण और सरकारी खरीद के मामले में और लेवी चीनी के मामले में यह कितने प्रतिशत होगी? क्या जूट को बैगों की आवश्यकता और कमी होगी?

आज कुल 62 जूट मिलें हैं इन 62 मिलों में से 58 जूट मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आज जूट मिलों में 2 लाख से ज्यादा श्रमिक है। यह पश्चिम बंगाल राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्थाई सलाहकार समिति या परिषद के इस निर्णय से निश्चित तौर पर जूट उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा और साथ ही पश्चिम बंगाल को जूट उत्पादकों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के किसानों को आश्वासन दिया गया था और किसानों ने भी सकारात्मक रूप से उस आश्वासन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आज किसानों के साथ-साथ श्रमिक भी संकट का सामाना कर रहे है।

हम जूट के पैकेजों के उपयोग के लिए क्यो पूछ रहे हैं? प्लास्टिक पैकेजों के उपयोग के क्या प्लान है? यह हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर द्वारा फरवरी, 2000 में जूट और पोलीप्रोपीलिन की सापेक्षिक कीमतों और लाभों के संबंध में एक स्वतंत्र अध्ययन, एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। मुझे नहीं पता कि क्या मंत्री को इस अध्ययन की जानकारी है या नहीं। इसमें प्लास्टिक उद्योग के तथाकथित कवच की कुछ चौकाने वाली बातों के बारे में बताया गया था और प्लास्टिक की बनिस्पत जूट के अनेक लाभों की स्थापना की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को इसके जूट उद्योग से प्राकृतिक लाभ है इससे न केवल लाखों लोग 5 जीवनयापन करते है अपितु यह पर्यावरण हितैषी भी है। यह सस्ता भी है भारत में बड़ी मात्रा में पैकेजिंग करने के लिए जूट सर्वोत्तम उपाय है। जट और सिंथेटिक्स के बीच अवांछित युद्ध समाप्त होना चाहिए।

[श्री बसुदेव आचार्य]

पर्यावरण अनुकूल जूट को आसानी से बेचा जा सकता है। सिंथेटिक थैलों को जब जूट नष्ट किया जाता है तो वे पृथ्वी में जहर फैलते हैं और यह सिद्ध हो चुका है। जूट की न्यूनतम मियाद पांच वर्ष होती है। इसका कई बार पुनः प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु सिंथेटिक के मामले में इसकी लदान और सामग्री सम्भरण क्षमताएं जूट से कम है जूट पूर्णतया स्वदेश में पैदा किया जाता है और एक प्रमुख नकदी फसल है।

आयातित पोलिएस्टर से बने सिंथेटिक थैलों में अनेक संयोजी चीजें होती हैं।

अपनी बेहतर मियाद और संभलाई गुणों के कारण यह प्लास्टिक से सस्ता होता है। प्लास्टिक के थैले अपनी मियाद अवधि में जूट के थैलों से बहुत कम समान की ढुलाई करते हैं। इसलिए, यह सिंथेटिक थैलों से ज्यादा लाभदायक है परन्तु भारत सरकार और वस्त्र मंत्रालय धीरे-धीरे जूट के थैले कम कर रहे हैं और ऐसे सिंथेटिक के थैलों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो इसके उद्देश्य में कहा गया था: ''इस अधिनियम में कच्चा जूट तथा जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन, उसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों और उससे संबंधित मामलों के हित में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्री का अनिवार्य प्रयोग करने का प्रावधान किया गया है'' इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जूट उद्योग के महत्व को मान्यता प्रदान की।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप और कितना समय लेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने अभी शुरू ही किया है। यह लाखों लोगों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अभी समाप्त करने के लिए नहीं कहा। मैं केवल यह जानना चाहता था कि आप और कितना समय लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं पंद्रह मिनट और लूंगा। मुझे कुछ और समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको भाषण रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं केवल पंद्रह मिनट और लूंगा क्योंकि मेरे दल के मुख्य सचेतक श्री रूपचंद पाल भी बोलेंगे। वह इस विषय के विशेषज्ञ हैं।

अधिनियम में मान्यता दी गई है कि जूट पैकेजिंग उद्योग की नींव है और इसलिए जूट के थैलों के लिए स्थायी बाजार सुनिश्चित करने की जरूरत है। अधिनियम प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करता है। अधिनियम में इस संबंध में किसी चूक के लिए स्पष्ट दंड और इसे संज्ञेय अपराध बनाये जाने की भी व्यवस्था है। अधिनियम के आलोक में सरकार ने चार अनिवार्य वस्तुओं-खाद्यान्न, चीनी, यूरिया और सीमेंट के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग की शर्त लगाई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीमेंट और चीनी अभी तक उस सूची में है अथवा उन्हें समाप्त कर दिया गया है।

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): वे अभी भी सूची में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे खेद है, मैं यूरिया तथा सीमेंट की स्थिति जानना चाहता था। मैं जानना चाहता हूं कि चूक करने वालों को क्या दंड दिया गया।

पश्चिम बंगाल में पांच राष्ट्रीयकृत जूट मिलें हैं। राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम, एन जे एम सी की छः मिलें हैं। उनमें से पांच पश्चिम बंगाल में तथा एक बिहार में हैं। जब मैं माननीय मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात् उनसे मिला तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वह एन जे एम सी की कुल मिलें को पुनः चालू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उन्हें 9 अगस्त को एक पत्र लिखा था। 8 अगस्त को औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड बी.आई.एफ.आर. ने एन.जे.एम.सी. की सभी मिलों को बंद करने का आदेश दिया था। बी आई एफ आर ऐसा निर्णय क्यों लिया? हमने माननीय वस्त्र मंत्री के साथ अनेक बार बैठक की। श्री तरित बरन तोपदार गत कई वर्षों से एन.जे.एम.सी. के पुनरूद्धार के लिए संघर्षरत रहे हैं। हमने कई बैठकें की थीं परन्तु भारत सरकार ने कभी भी सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। यद्यपि, यूनियनों ने बी.आई.एफ.आर. को संयुक्त रूप से पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया है परन्तु भारत सरकार और वस्त्र मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की इस जूट निर्माण इकाई के पुनरूद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहे।

परन्तु भारत सरकार और वस्त्र मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की इन जूट निर्माण इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान में विफल रहे। आज एन जे एम सी में 13,000 श्रमिक हैं और एक समय एन जे एम सी में 22,000 श्रमिक थे। यदि सभी मिलों को बंद किया जाता है तो इन 13,000 श्रमिकों का क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एन जे एम सी के श्रमिकों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब बी.आई.एफ.आर. ने अपना आदेश जारी किया तो वस्त्र मंत्रालय ए आई एफ आर के पास जा सकता है। उत्तर के समय माननीय वस्त्र मंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला हमें बताएंगे कि

क्या सरकार बी आई एफ आर के आदेश के विरुद्ध एआईएफआर के पास जाने की योजना बना रही है।

मैंने पहले ही बताया था कि जूट उद्योग केवल श्रमिकों के लिए नहीं है बल्कि इसमें दो लाख से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। परन्तु अधिनियम को समाप्त करने के कारण 40 लाख जूट उत्पादकों का क्या होगा? जे सी आई है। इस वर्ष सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए प्रति कुतंल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। यह 930/- से 1,000/- रुपए प्रति कुंतल है। किंतु कुछ दिन पहले ही मैं मुर्शिदाबाद जिले में गया था और मुझे बताया गया था कि जे सी आई ने जूट की खरीद के लिए एक भी निविदा नहीं खोली ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): उन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि वे खरीद नहीं करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: यदि जे सी आई बाजार में नहीं आएगा, यदि कुछ केंद्र नहीं खोले जाते हैं तो औने-पौने दामों पर बिक्री को कैसे रोका जा सकता है। भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। सहकारी समितियों द्वारा भी जूट का एक निश्चित प्रतिशत खरीदा जा रहा है। इसलिए, जब तक जूट उत्पादकों द्वारा उत्पादित जूट को जे सी आई द्वारा नहीं खरीदा जाता तब तक जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा।

एक दूसरी समस्या है जो जूट उद्योग के सामने आ रही है और वह हाल ही में घोषित बी आई एस मानदंड है। आई जे आई आर ए जैसी जूट मिलों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की आपत्तियों के बावजूद भी दबाव में आकर संशोधन किया गया था। आई एस: 12650: 1997 के अंतर्गत सभी निश्चितताओं को जारी रखना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्व मानदंड जारी रहने चाहिए। यह नये मानदंड, जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है, के कारण है कि उस विशिष्टता के अनुसार जूट उद्योग को जूट के थैले बनने में कठिनाई होगी।

सायं 7.55 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

इसलिए, पूर्व प्रणाली को जारी रहना चाहिए। यह लाखों लोगों से संबंधित प्रश्न है। जूट उद्योग पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। हम मांग करते है कि जूट पैकेजिंग मैटिरियल अधिनियम को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस एसी ने खाद्यान्न तथा चीनी के मामले में जूट के थैलों का उपयोग करने की सिफारिश की है। इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। चीनी तथा खाद्यान्नों के लिए 100 प्रतिशत जूट के थैलों के उपयोग को बहाल किया जाना चाहिए। जूट उद्योग तथा पश्चिम बंगाल के चार लाख जूट उत्पादकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम को और कमजोर नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जूट क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। आंध्र प्रदेश स्थित मेरे निर्वाचन क्षेत्र में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, और विशाखापट्टनम जिलों में जूट किसान हैं। चार मिलियन किसान जूट की खेती पर निर्भर हैं और 2.5 लाख लोग इस उद्योग में कार्यरत हैं। प्रत्येक वर्ष किसानों को उनके निवेश का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। भारत सरकार जूट और मेस्ता फसलों के लिए भी प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती रही है। पिछले 15 वर्षों से 1989 से 2002 तक, भारत सरकार जूट और मेस्ता की विभिन्न किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 25 रुपए, 30 रुपए और 33 रुपए की दर से वृद्धि करती रही है। वर्ष 2003-04 के बाद, भारत सरकार विशेषकर केवल टी डी-5 और कुछ अन्य किस्मों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती रही है। आंध्र प्रदेश में, विशेषकर मेरे क्षेत्र में, किसान जूट और मेस्ता की डी-बाटम और एक्स-बाटम की खेती कर रहे हैं। गत 15 वर्षों से वे न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का लाभ उठाते रहे हैं। वर्ष 2003-04 से उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए उन्हें उनके निवेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि पहले की तरह सभी किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। प्रति वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार बाजार उपकर के रूप में प्रति सौ रुपए में एक रुपया, बिक्री कर के रूप में चार रुपए, थैले पर चार रुपए और टी एस टी और वस्तु कर पर चार रुपए वसूलती रही हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार विभिन्न करों की वसूली करती रही हैं और राजस्व को प्राप्त करती रही हैं, हालांकि सभी किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही हैं। यह कृषक समुदाय के प्रति घोर अन्याय है। अब किसानों को काफी कठिनाई हो रही है।

दूसरा पहलू यह है कि इस उपयोग में जूट किसानों को टिकाये रखने और उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, भारत सरकार को विविधीकरण गतिविधियों पर और जोर देना होगा। देश से बाहर विभिन्न देशों में जूट उत्पादों का काफी गांव है। इसीलिए भारत सरकार को जूट उत्पादों हेतु इस विविधीकरण पर संकेंद्रित होना होगा। तभी इस बाजार में संवृद्धि होगी और किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

रात्रि 8.00 बजे

दूसरी बात यह है कि जूट किसानों के संरक्षण और जूट उद्योग के बचाव हेतु, भारत सरकार के जूट पैकेजिंग (कंपल्सरी यूज इन कमोडिटीज) अधिनियम, 1987 को समान रूप से क्रियान्वित करना होगा। इसमें कोई छूट नहीं देनी होगी। यह एक परिस्थितिकीय अनुकूल उद्योग है। इसलिए, सभी इस अधिनियम, का समर्थन कर रहे हैं। प्लास्टिक एक गैर-जैव अपघटकीय पदार्थ है। यह पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा। इसलिए, इस उद्योग और कृषक समुदाय का संरक्षण करने हेतु इस अधिनियम को पूर्णत: कार्यान्वित करना होगा ताकि वे खाद्यान्न, चीनी और अन्य वस्तुओं की पैकिंग हेतु जूट के थैलों का उपयोग कर सकें।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है जैसा कि मंत्री वास्तविकता जानते हैं और वे एक किसान समर्थन मंत्री हैं। इसलिए पूरे देश में किस्मों पर गौर किए बिना सभी किस्मों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को पहले की भांति क्रियान्वित करना होगा। वह रिकार्ड देख सकते हैं। पूर्व में, वे सभी किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे थें। आंध्र प्रदेश में हमारे किसान उक्त किस्मों को नहीं उगा रहे हैं। इसलिए, हमें उन किसानों को दंडित नहीं करना चाहिए। इसके मद्देनजर मेरा इस सरकार से यह अनुरोध है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए और साथ ही जूट किसान और जूट उद्योग को संरक्षण देना चाहिए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, जूट को स्वर्ण-धागा माना जाता है और आज पूरे विश्व में एक नई चेतना जागृत हुई है जो यह दर्शाती है कि भविष्य में जूट उद्योग का काफी योगदान होगा बशर्ते कि हम बिना किसी विलंब के समुचित उपाय करें। मैं व्यर्थ बोलकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि हमें वैश्वीकरण के मद्देनजर और विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के मद्देनजर इस क्षेत्र की विद्यमान दुर्दशा को महसूस करना हैं क्योंकि कुछ ही महीनों के अन्दर मल्टी-फाइबर व्यवस्था भी लागू हो जाएगी।

महोदय, सभी यह जानते हैं कि जूट एक परिस्थितिकीय अनुकूल प्राकृतिक रेशा है। पश्चिम बंगाल को पारंपरिक जूट उद्योग वाला क्षेत्र माना जाता है, जोकि स्वाधीनता पूर्व भी फलफूल रहा था। बंटवारे के बाद, सभी जूट मिलें भारतीय क्षेत्र में छोड़ दी गईं जबकि कच्चे जूट का उत्पादन करने वाले क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में रह गया। अतएव, स्थानीय उत्पादकों को जूट का उत्पादन करने अथवा इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था जिससे कि उन जूट मिलों को कच्चा माल मिल सके, जो पश्चिम बंगाल में स्थित थीं। परन्तु स्वर्ण धागा, जिसे जूट कहा जाता है स्वर्ण फल सिंथेटिक रेशे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया है।

वर्ष 1987 में, भारत सरकार ने एक अधिनियम को लागू कर हस्तक्षेप किया था, जिसके द्वारा जूट पैकेजिंग को इस क्षेत्र को प्राणवायु प्रदान करने हेतु अनिवार्य बनाया गया था। तथापि, यह एक अस्थायी उपाय था। उस समय, सरकार ने जूट उत्पादकों और जूट मिलों की आवश्यकता को उचित ढंग से पहचाना था, जिसने 2.5 मिलियन कामगारों और 4 मिलियन जूट उत्पादकों को आजीविका प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में भी जूट उद्योग द्वारा 2 मिलियन लोगों को आजीविका उपलब्ध कराई गई थी। अतएव, हमें इसे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

यह क्षेत्र राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के राजकोष में भी अंशदान करता है। परन्तु यह विरोधाभास ही है कि इस अधिनियम के प्रख्यापन के बाद से ही, बोरे की बढ़ती मांग के बावजूद बंगाल में जूट की खेती के क्षेत्र में कमी आती रही है। स्वाभाविक रूप से, बोरों की पर्याप्त आपूर्ति को बनाए रखने के लिए, सरकार की जूट के थैलों का आयात करने हेतु परमिट जारी करने के लिए अक्सर बाध्य किया जाता था। वर्तमान बाजार अर्थव्यवस्था के लाभ ने तत्पश्चात् विदेशों में उत्पादकों और उद्योगों की सहायता की।

हमें इस क्षेत्र हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि विकसित देशों का इतिहास यह प्रकट करता है कि यह एक वस्त्र उद्योग है, जिसने किसी विकसित अर्थव्यवस्था हेतु मूल आधार रखा है। जूट भी वस्त्र उद्योग का हिस्सा है। पश्चिमी यूरोप, अमरीका, के कई देश और दक्षिण कोरिया, चीन जैसे कई देश वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में फल फूल रहे हैं, और जूट भी उसी उद्योग का एक हिस्सा है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): इसीलिए इसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

श्री अधीर चौधरी: श्री तोपदार जी, आप उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां सर्वाधिक जूट मिल हैं। परन्तु आप इस तथ्य से नहीं नकार सकते कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने फलते फूलते सिंथेटिक उद्योग के मद्देनजर कोई पूर्व-निरोधी कार्रवाई नहीं की है।

श्री तरित बरण तोपदार: क्या आप इस समस्या का समाधान करने हेतु कोई उपाय सुझा सकते हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी: चौधरी जी, आपको इस मुद्दे के संबंध में गुमराह किया गया है।

श्री अधीर चौधरी: पश्चिम बंगाल में नौकरशाहों के मेलजोल से और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों की मिली भगत से,

गैर भरोसेमंद आपरेटर बंगाल में इस क्षेत्र में फल फूल रहे हैं।

आप इससे मना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं मजदूरों की अन्य रोजगार सुविधाओं को दबाकर रातों-रात भागने वाली कंपनियां कर मुक्त रह रही हैं। यह कैसे सम्भव है? यदि आपकी सरकार पर्याप्त रूप से कर्त्तव्यनिष्ठ है एवं पर्याप्त रूप से सतर्क है, तो रातों-रात भागने वाली कंपनियां कर मुक्त कैसे रह रही हैं? इसलिए मैं यह बता रहा था कि आपको पुनर्वास या अन्य किसी बात के लिए केन्द्र सरकार का विरोध करने की आदत को भूलना या छोड़ना चाहिए। इस क्षेत्र की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए आपको तरीके खोजने चाहिए थे।

श्री तरित बरण तोपदार: अनिवार्य जूट पैकिंग अधिनियम के बारे में बोलिए जो उद्योग को उत्तरजीविता होने में समक्ष बनाएगा। आपका क्या विचार है? क्या इसे वापस लिया जाए?

श्री अधीर चौधरी: नहीं, लेकिन यह लम्बे समय या सदियों के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि परिस्थितियां तीव्रगति से परिवर्तन ले रही हैं। आप यह नहीं मान सकते हैं कि आप एक अलग-अलग द्वीप में रह रहे हैं। वैश्विक बाजार के मद्देनजर से एवं वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर आप स्थायी रूप से सभी प्रकार की मद्द एवं पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि राज्य सरकार होने के नाते आपको इस क्षेत्र के प्रति अपने दायित्व निभाने चाहिएं।

श्री तरित बरण तोपदार: राज्य सरकार ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकती है।

सभापति, महोदय: कृपया कोई व्यवधान पैदा न करें।

श्री अधीर चौधरी: मैं केवल उन्हीं जूट उगाने वाले किसानों की वकालत कर रहा हूं क्योंकि प्रतिस्पर्धा के वातावरण में आप नए उपाय अपनाए बिना इस क्षेत्र को जीवित नहीं रख सकते हैं। नए उपाय अपनाकर आपको इस उद्योग को बचाना होगा जिसमें आप पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णत: असफल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अधीर रंजन चौधरी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री अधीर चौधरी: इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने एवं विकास के लिए योजनाओं का आधिक्य है जैसे-पूंजी राजसहायता योजना, जैसे जूट सेवा केन्द्र, कच्चा माल बैंक, डिजाइन विकास योजना, कर अधिकार पासबुक योजना, एवं विदेशों में बाजार विस्तार के लिए उत्पादन विकास परिषद। इन सभी उपायों के बावजूद हम जूट उद्योग का विकास क्यों नहीं कर पाये हैं? इस बारे में माननीय मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री चौधरी आप कितना समय लेंगे?

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं कुछ मिनट और लूंगा।

महोदय, विशेषज्ञों द्वारा इस क्षेत्र की पहचान की गई समस्याएं एवं अब तक निरर्थक साबित हुई समस्याएं निम्न प्रकार हैं:

1. उच्च श्रम लागत
2. कच्चे जूट के उत्पादन में अस्थायित्व
3. मांग में कमी
4. मशीनों का अप्रचलन; और
5. सिंथोटिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा

यह पहचाने गए समस्या क्षेत्र हैं। इन्हें दूर करने के लिए उपाय है: उत्पादकता में वृद्धि, कच्चे जूट की गुणवत्ता का उन्नयन एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में जूट सामान्य के लिए अतिरिक्त मांग हेतु प्रेरित करना। इसलिए इस क्षेत्र को जीवित रखने के लिए समग्र उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

श्री तरित बरण तोपदार: जैसे कि?

श्री अधीर चौधरी: आपकी सरकार ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन को निरूत्साहित किया क्योंकि आप हमेशा ही आधुनिक कार्यक्रमों के विरोधी रहे हैं। इसलिए हम आज तक नुकसान उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)* आप दायित्व से भाग नहीं सकते हैं। अनिवार्य जूट पैकेजिंग के अलावा जूट सामान्य के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में अध्ययन करने के लिए आपको जूट संस्था स्थापित करनी पड़ेगी।

श्री तरित बरण तोपदार: भाजपा का अनुसरण मत कीजिए, राजीव गांधी का अनुसरण कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: आप महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु का अनुसरण कीजिए। तमिल जहां पर जूट का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है 300 से अधिक एकक चल रहे हैं। कच्ची जूट पश्चिम बंगाल या अन्य जूट उत्पादक राज्यों से जाती है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एवं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल राज्य के जूट मिल मालिकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी

[श्री अधीर चौधरी]

में आई जे एम ए शामिल है। यहां मजदूरों को मालिकों द्वारा 120 रुपये से 180 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिये जा रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय व्यापारियों की मिलें हैं। स्वतंत्रता-पूर्व काल में अधिकांश मिल मालिक विदेशी थे। जब वे देश छोड़कर चले गए, उन मिलों को स्थानीय उद्यमियों ने खरीद लिया था। कई बार, प्रवासियों ने स्थानीय उद्यमियों के लिए मिलें छोड़ दीं जिनका बिना नई तकनीक अपनाए बिना प्रौद्योगिकी उन्नयन के एक मात्र उद्देश्य लाभ कमाना था। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सम्पूर्ण जूट उद्योग तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की कमी से त्रस्त है। सम्पूर्ण मशीनरी अनुपयोगी है और अब तक कोई नई तकनीक नहीं अपनायी गई है यही कारण हैं पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि इन जूट उद्योगों के उन्नयन को प्रेरित करने के लिए नए निवेश किये जाने चाहिएं।

निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान परिस्थितियों में वे मिल मालिक इस क्षेत्र में अपनी आय पुन: निवेश कर सकें। इसलिए राज्य सरकार के साथ परामर्श कर केन्द्र सरकार को नए निवेश के लिए प्रोत्साहित एवं उपाय करने चाहिए ताकि इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सके, विशेषकर उन जूट उगाने वाले किसानों के लिए जो वास्तव में त्रस्त हैं एवं जिनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे बच सकें।

मैं बसुदेव आचार्य से असहमत हूं जिन्होंने अभी-अभी बताया कि जूट खरीद कार्य मुर्शीदाबाद जिले में शुरू नहीं हुआ है। मेरे विचार में, उन्होंने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। जूट खरीद का कार्य मुर्शीदाबाद में पहले से ही शुरू किया जा चुका है एवं दर लगभग 900 रुपए प्रति क्विंटल है क्योंकि वहां कुछ श्रेणीकरण है। जे सी आई एम एस पी आपरेशन के लिए केन्द्रक एजेंसी है एवं जूट आयुक्त उच्चतम प्राधिकारी है। जूट की विभिन्न दरें निर्धारित करने के लिए पूर्णतया जूट आयुक्त पर निर्भर है।

पिछले वर्ष टी-डी-5 का कोटा 35 प्रतिशत निर्धारित किया गया था लेकिन इस वर्ष यह कोटा बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से ब्यान देने का अनुरोध करूंगा। पिछले वर्ष टी-डी-3 एवं टी-डी-4 का कोटा पांच प्रतिशत था और इसे इस वर्ष बढ़ाकर 22.32 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछले वर्ष टी-डी-6 की खरीद 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, इस वर्ष इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछले वर्ष टी-डी-5 की खरीद 20 प्रतिशत थी, इस वर्ष इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। समस्या यह है। जूट उत्पादन करने वाले जिलों में टी डी-4 एवं टी डी-5 ग्रेड वाली गुणवत्ता जूट प्रचुर मात्रा में नहीं हैं। यहां खरीद कोटे की प्रतिशतता बढ़ा दी गई है जबकि उपलब्ध ग्रेड की प्रतिशतता कम हो गई है। इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा, उन जूट उगाने वाले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

रात्रि 8.24 बजे

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): माननीय सभापति महोदय, जूट उद्योग पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्रा, उड़ीसा और त्रिपुरा, लगभग 90 प्रतिशत जूट का उत्पादन इन क्षेत्रों से होता है। इन क्षेत्रों में जूट के साथ जो उद्योग लगे हुए हैं, उनमें लगभग दो लाख मजदूर कार्यरत हैं और पूरे जूट के उद्योग के साथ, इसका उत्पादन करने वाले किसान और किसान के साथ यदि हम उनमें लगे हुए व्यापारी और सब को जोड़ लें तो लगभग एक करोड़ लोग इस काम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनके सामने वर्तमान में गहरा संकट है। पश्चिम बंगाल में जूट मिलें नहीं चल रही हैं, जूट की खरीद नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार की कुछ नीतियों के कारण यह संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस संकट के समाधान के लिए आदरणीय बसुदेव आचार्य जी ने चर्चा उठाई। अभी बीच-बीच में चर्चा चल रही थी, मुझे कभी-कभी यह सोचकर हैरानी होती है कि एक तरफ वामपंथियों की बैसाखी के सहारे कांग्रेस की सरकार चल रही है और वहां से दबका दिखाकर कि हम बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेंगे, इससे मुझे तो यह विचार करना पड़ता है, अपने वामपंथी मित्रों के बारे में सोचता हूं कि इस सरकार को किस तरह से आप बैसाखी के सहारे चलाते रहेंगे, जो आपकी भावनाओं की कद्र न करे। जो आप जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं है, सारा देश इस बात को मानता है कि पश्चिम बंगाल में मजदूरों के सामने संकट है, उद्योगपति अपने उद्योग ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और जब ऐसे संकट की घड़ी में आप इस ज्वलन्त मुद्दे को चलायें तो इस सदन के अन्दर कांग्रेस का एक भी लीडर उपस्थित नहीं है। केवल मंत्री महोदय हं, चूंकि उनकी मजबूरी है। चूंकि बसुदेव आचार्य जी ने इस विषय को रखा है, लेकिन सरकार चलाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण विषय को कांग्रेस ने इस हल्केपन से ले लिया कि कि आज सदन के अन्दर एक भी व्यक्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जूट पर्यावरण का मित्र है और आज इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से हमारे देश में बहुत से रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कबीर साहब का एक वचन है, सब घर देखा, एक ही लेखा, आप जो पार्टियों की स्थिति बता रहे हैं, मैं चेयर से इस बात को नहीं कहना चाहता था।

श्री प्रदीप गांधी: माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जूट पर्यावरण का मित्र है और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार अनेक प्रकार की कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। जब सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करना चाहती है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा है कि हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जब आप रोजगार के अवसर सृजित करने की बात करते हैं तो एक तरफ जिस रोजगार में लगे हुए लाखों-करोड़ों लोगों को आप रोजगार से हटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए कि ऐसा कौन सा एक्ट है, जिस पैकेजिंग एक्ट के कारण से क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों का अध्ययन हो और अध्ययन होने के बाद न्यूनतम कुछ आइटमों पर जूट के उपयोग की अनिवार्यता लागू, अनाज पर हो, शक्कर पर तो अभी लागू है, लेकिन कई चीजों पर प्लास्टिक बैगों का उपयोग होता है, मोएस्चर के कारण से उसमें कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं और वह खाद्यान्न उपयोगी नहीं होती हैं, इसके विरुद्ध हमारे सामने जूट है। जूट का मल्टी परपज उपयोग है। बहुआयामी उपयोग करके उससे किसी प्रकार का पर्यावरण का नुकसान न हो तो उसके लिए आवश्यक है कि इस उद्योग को पुनर्जीवित किया जाये। इस उद्योग को पनपाने के लिए किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाये। यह उद्योग धीरे-धीरे 1960 से लेकर 1970 के दशक में जब रूस और अमेरिका को हिन्दुस्तान का जूट जाता था तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला यह क्षेत्र था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। 1980 के बाद के दशकों में विदेशों में इस माल का जाना बन्द हो गया और माल का जाना बन्द होने से उसके कारण विदेशी मुद्रा में कमी आ गई। ऊपर से केन्द्र की सरकार ने क्या किया कि इसके ऊपर सैस लगा दिया। अब आप देखिये, एक तरफ इस सैस के लगाने का कारण है कि जो नये उद्योग आएंगे, जो राशि इस सैस से जैनरेट होगी, उस टैक्स के कारण से तो उन उद्योगों के आधुनिकीकरण में उनको सपोर्ट किया जायेगा। इस नाते आप उस पैसे की वसूली कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस टैक्स के माध्यम से कितनी राशि वसूल की गई और कितने उद्योगों को आपने इस राशि को दिया ताकि वे वहां पर स्थापित हो सकें। अभी तक ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है, केवल इस राशि की वसूली हो रही है। अगर वसूली के बाद इसका पुनर्विनियोजन नहीं होगा तो वह राशि डम्प होती जायेगी। इसके कारण वर्तमान में इस उद्योग के सामने संकट खड़ा हो गया है। वह कितनी राशि है, उसके आंकड़ें माननीय मंत्री जी के पास होंगे। जब ये बतायेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मेरा कहना है कि यह टैक्स हटा देना चाहिए। इस टैक्स की वजह से जूट उद्योग के सामने संकट है, टैक्स हटा देने से उनको लाभ मिलेगा।

जूट उद्योग में तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। जब तक तकनीकी सुधार नहीं होगा, तब तक हम परम्परागत रूप से जो काम कर रहे हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। इस गुंजाइश को किस तरह पूरा किया जाये, इसके लिए आवश्यक है कि हम उन्हें शुल्क ऋण, साफ्ट ऋण उपलब्ध करायें ताकि वे तकनीकी उन्नयन की दिशा में बहुत अच्छी तरह काम कर सकें।

सभापति महदोय, पूरे देश में लगभग 71 जूट मिलें हैं। इसके अलावा छोटी-मोटी सुतली तथा अन्य चीजें बनाने के अलग-अलग कारखानें हैं। उसमें से लगभग 59 जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हैं और सात आंध्र प्रदेश में हैं। पश्चिम बंगाल में चूंकि वाम मोर्चा की सरकार है, वाम मोर्चा सरकार ने जूट मिल, उद्योगपति और लेबर्स के बीच प्रोडक्शन लिंक वेजेज देने का समझौता किया। बंगाल सरकार, लेबर्स और उद्योगपति के बीच एमओयू हुआ। उस एमओयू के अन्तर्गत प्रोडक्शन लिंक वेजेज देने की बात वहां की सरकार ने तय की। जहां तक मेरे संज्ञान में है, अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस एमओयू को इम्लीमैंट करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया। उद्योग को पुनर्जीवित और विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार अपनी तरफ से उसमें मदद कर सकती है। राज्य सरकार को भी इस दिशा में सक्रियतापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। यदि वहां की सरकार इसे लागू करे तो उसका लाभ निश्चित रूप से मजदूरों और उद्योगपतियों को प्राप्त होगा। उसके माध्यम से वहां के जो उद्योग हैं, उनको पुनर्जीवित किया जा सकेगा। उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही को करना चाहिए।

चूंकि यह उद्योग 100 वर्ष पुराना है। 100 साल पुराने इस उद्योग के कारण भारत की एक पहचान बनी। इस पहचान को कायम रखते हुए इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए। इन दिनों खासकर अनाज में जिस तरह से प्लास्टिक के उपयोग की छूट दी गयी है, उसे निश्चित रूप से विदड्रा करना चाहिए। विदड्रा करके इसके समर्थन देने से निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ देश को मिलेगा।

अभी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी पटसन के, जूट के उपयोग की तकनीक विकसित हुई है। नयी तकनीक का अध्ययन करके बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं। हमारे यहां आईटीआई यूनिट जैसे अध्ययन करने वाले संस्थान हैं। सरकार ने एक अध्ययन कराया। एक अध्ययन आदरणीय बसुदेव जी ने बताया कि उस अध्ययन के दौरान ये सजेशन्स प्राप्त हुए हैं। अध्ययन में लाखों-

[श्री प्रदीप गांधी]

करोड़ों रुपये व्यय किये होंगे। यदि अध्ययन के बाद हम उसे कार्यरूप में परिणत नहीं करेंगे तो फिर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हाऊस में चर्चाएं होंगी और हमको चर्चा का उत्तर मिलेगा। समाचार-पत्रों में छपेगा लेकिन कारगर कदम उठाने के लिए मिल-जुलकर काम करना चाहिए। कुछ विषय राजनीति से ऊपर उठकर भी होते हैं। उस दिशा में भी हमें गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सम-सामयिक विषय के रूप में यह विषय सामने आया है। जब विषय सामने आया है तो निश्चित रूप से हमें और आपको गंभीरतापूर्वक इस बारे में विचार करते हुए कदम उठाने चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इस दिशा में जो अच्छे काम हो सकते हैं, वे किए जाएं। एक विशेषता और है खासकर जिन क्षेत्रों में जूट की खेती होती है, उन क्षेत्रों में नक्सलवाद ने कम जन्म लिया। इसलिए आवश्यक है कि इस तरह के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। यदि हम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इससे किसानों को स्थाई रूप से रोजगार प्राप्त होंगे। आज किसानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हैं। सरकार भी कहती है कि कैश क्राप लें। जो हम परम्परागत रूप से खेती करते हैं, उसमें परिवर्तन हो। उसके लिए बजट में करोड़ों, अरबों रुपये का प्रावधान किया जाता है कि परम्परागत खेती से हटकर दलहन, तिलहन और नकदी फसलों को लेने के लिए किसान अपने आपको प्रेरित करे। उसे इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडी, अनेक प्रकार की योजनाओं में अनुदान प्रदान किया जाता है। यदि हम इस व्यवस्था को लागू कर अपने किसानों को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको कैश क्राप लेने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे उद्योग पार्टिकुलर क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यदि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो राजस्थान के अलवर में भी उद्यान लगे हैं, अन्य प्रान्तों में भी उद्योग लगे हैं। यदि उद्योगों के लिए कच्चा माल सर्व-सुलभ उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी अन्य क्षेत्रों को प्राप्त होगा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि जूट के बोरों की कीमत अधिक है, उसकी बनिस्पत प्लास्टिक के बोरों की कीमत कम है। कीमत कौन तय करता है? न्यूनतम वेजेस सरकार तय करती है। बंगाल के एक मजदूर को आठ घंटे मिल में काम करने के बाद 205 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी हम तय करते हैं, बिजली के रेट्स हम तय करते हैं, सारे विषय हमारे हाथ में हैं और जब हम ही सब कुछ तय करते हैं तो यह कहना कि उसकी कीमत बढ़ी हुई है, उसके उपयोग को हतोत्साहित किया जाए, यह तर्कसंगत बात नहीं है। हम अन्य चीजों की कीमतें भी तय करना छोड़ दें तो इसका लाभ मिलेगा। बंगाल के बारे में श्री बसुदेव आचार्य ने कहा कि बीआईएफआर के माध्यम से मिलों को बंद करने के आदेश हो गए हैं जिससे मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया है, उनके परिवार कष्ट में हैं, उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या है। मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की यूनिट्स को कैसे वायबल किया जाए, किस तरह पुनर्चलन में लाया जाए, इसके लिए कोई तर्कसंगत नीति बनाई जाए। संकट यही आता है कि जब तक पुराने मिल मालिकों की पुरानी देनदारियां नहीं देंगे तब तक यूनिट को नहीं चला सकते। यदि हमें मजदूरों की तात्कालिक समस्या का समाधान करना है तो इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, एक सुनियोजित नीति बनानी होगी कि यदि कोई उद्योगपति या मजदूर यूनियन एक ग्रुप बनाकर, एक संगठन बनाकर उसे चलाने के लिए आगे आता है तो पुरानी बातों को थोड़ा किनारे रखकर तात्कालिक रूप से किस तरह समस्या का समाधान हो सके, उस दिशा में विचार करना चाहिए। अगर हम पुरानी परिपाटी को लेकर चलेंगे कि आप अपना पीएफ का इतना पैसा देंगे, ऊर्जा का कर इतना देंगे, सेल्स टैक्स का इतना बकाया देंगे, जब आप इसे देंगे तब मिल हस्तान्तरित की जाएगी और आप इसे चला पाएंगे तो मुश्किल होगा। कोई भी मिल चलाने वाला व्यक्ति दूसरी की देनदारियां देकर उद्योग चलाने की हिम्मत नहीं करता। वह उद्योग तब चलाएगा जब उसे लाभ दिखाई देगा। या तो सरकार जनभावना से यह कार्य करे। कहीं सामाजिक भावना से किया भी है, तो वहां जितनी सरकार द्वारा संचालित यूनिट्स हैं, वे कहीं न कहीं घाटे में हैं और हर साल हर मंत्रालय की पी.यूज. बजट्री सपोर्ट की मांग करती हैं। कब तक हम बजट के माध्यम से सपोर्ट करते रहेंगे इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यदि कोई व्यक्ति चलाने के लिए आगे आए, तो उसको अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए कोई नीति बनानी चाहिए। चाहे आप उनको माफ करें या न करें, चाहे तो पांच-दस साल के लिए एक समय सीमा बांध दें कि इस अवधि में आप किस्तों में राशि अदा करेंगे। आप यूनिट को भी चलाएं और मजदूरों को रोजगार के अवसर भी दीजिए। खुद भी पैसा जैनरेट करेंगे, जो बाद में आपको देनदारी के रूप में देना पड़ेगा, यह भी उनके साथ निश्चित होना चाहिए। यदि हम वचनबद्धता लेते हैं, स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से उद्योग पुनर्स्थापित होकर चल पाएंगे। सरकार के पास आकर पैसा मांगकर कुछ पीरियड के लिए चलाएंगे, इस व्यवस्था से जो मिलें चलेंगी, उनको जो भी पैसा देंगे, उस वक्त तो चलेंगी, लेकिन कुछ समय के बाद पुरानी परम्परा की ओर मुड़ जाएंगी यानी फिर बंद होने की स्थिति में आ जाएंगी। इसलिए आवश्यकता है कि सक्रियतापूर्वक, गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। इस दिशा में समाधान के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए मिलकर प्रयत्न होना चाहिए।

मंत्री जी इस विषय में गम्भीर हैं, ऐसा मैं मानता हूं। वाम मोर्चा के सहयोगियों ने जो आग्रह किया है, उसको आप स्वीकार करें, नहीं तो कटुता बढ़ेगी। इससे संकट सामने आएगा। इसलिए संकट को न्यौता मत दें। हम तो चाहेंगे कि संकट जल्दी आए।

श्री तरित बरण तोपदार: संकट नहीं आने वाला है।

श्री प्रदीप गांधी: लगता है आपकी मिली जुली कव्वाली चलती है। कांग्रेस और वाम मोर्चा की मिली जुली कव्वाली से समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री तरित बरण तोपदार: आप पैकेज के बारे में बोले।

श्री प्रदीप गांधी: मैंने कहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान दिखाई नहीं पड़ता। यदि इस तरह से मिलीजुली कव्वाली होंगी तो समस्या का समाधान कम होगा। समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर प्रयत्न होना चाहिए। ताकि इससे मजदूरों और किसानों की भलाई हो। देश में उद्योग रीढ़ की हड्डी रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए आपको सार्थक कदमै उठाने होंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती: सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय: घंटी बजाई जा रही है.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चूंकि गणपूर्ति का अभाव है, इसलिए सभा कल 19 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 19 अगस्त, 2004/28 श्रावण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री नकुल दास राई श्री खारबेल स्वाई	322
2.	श्री अनन्त नायक प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	323
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	324
4.	श्री वाडिगा रामकृष्णा श्री राजेश कुमार मांझी	325
5.	श्री खीरेन रिजीजू डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	326
6.	श्री अवतार सिंह भडाना	327
7.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्री बृजभूषण शरण सिंह	328
8.	श्री रामदास बंडु आठवले श्री रघुवीर सिंह कौशल	329
9.	श्री रूपचन्द मुर्मू श्री प्रभूनाथ सिंह	330
10.	श्री हेमलाल मुर्मू	331
11.	श्री नीतीश कुमार श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	332
12.	श्री घुन्नूलाल मोहले डा. एम. जगन्नाथ	333
13.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन श्री मनसुखभाई डी. वसावा	334
14.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	335
15.	डा. राम लखन सिंह श्री कृष्णा मुरारी मोघे	336
16.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्रीमती निवेदिता माने	337
17.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री तथागत सत्पथी	338
18.	श्री रायापति सांबासिवा राव	339
19.	श्री दुष्यन्त सिंह	340
20.	श्री सुरेश कुरूप श्री निखिल कुमार चौधरी	341

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3048, 3060
आदित्यनाथ, योगी	2937, 3054, 3097, 3130
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	2925
आचार्य, श्री प्रसन्न	2916, 3070
अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2948, 2987, 3030, 3045, 3121
अहमद, श्री अतीक	2944, 3102

1	2
अहीर, श्री हंसराज जी.	2964
अप्पादुरई, श्री एम.	2954, 3046, 3097
आठवले, श्री रामदास बंडु	3025, 3118
श्रीराम, श्री जुएल	2932, 2969, 3062, 3128
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2927, 2969, 2989, 3032
'बचदा', श्री बच्ची सिंह रावत	2920, 3076
बैस, श्री रमेश	2967
बैठा, श्री कैलाश	2938, 3039, 3123
बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2927, 2945, 3043, 3122
बर्क, डा. सफीकुर्रहमान	2928, 2989, 3072
भड़ाना, श्री अवतार सिंह	3050, 3128
भगोरा, श्री महावीर	2979
भक्त, श्री मनोरंजन	2946, 3082
भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2975
बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भज	2985
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2999
वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2922
बुधौलिया, श्री राजनारायन	2926
चक्रवर्ती, श्री अजय	3010, 3103
चन्द, श्री निहाल	2952, 2985, 3083
चन्देल, श्री सुरेश	3011
चन्द्र कुमार, प्रो.	2955
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3003
चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह	3129
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3130
चौधरी, श्री निखिल कुमार	3103
चव्हाण, श्री शिवराज सिंह	2909, 3107

1	2
चौधरी, श्री पंकज	2981, 3104
चौधरी, श्री अधीर	2956, 2969, 2990, 3047, 3074
दरबार, श्री छतर सिंह	2959
दास, श्री खगेन	2983
दासगुप्त, श्री गुरूदास	2990
देवरा, श्री मिलिन्द	2912, 3080
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	2926, 3078
थोत्रे, श्री संजय	2964
दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3021, 3032
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2961
गढ़वी, श्री पी.एस.	3129
गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2936, 2964, 3027
गमांग, श्री गिरधर	2923
गांधी, श्री प्रदीप	2931
गाव, श्री तापिर	2985, 3017
गिल, श्री आत्मा सिंह	3022
गोहेन, श्री राजेन	2947, 3113
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2988
गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3128
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	2943, 3052
हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2998
जगन्नाथ, डा. एम.	3063
जाटिया, डा. सत्यनारायण	3007, 3105
जयाप्रदा, श्रीमती	2921, 3057, 3085, 3093
झा, श्री रघुनाथ	2908, 3035
कामत, श्री गुरूदास	2976
कनोडिया, श्री महेश	2962, 3051, 3129
खैरे, श्री चन्द्रकांत	2917

1	2
खां, श्री सुनील	3018
खन्ना, श्री अविनाश राय	2933
खारवेनथन, श्री एस.के.	2942, 3041, 3087, 3119
कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3029, 3124
कोया, डा. पी.पी.	2984, 3024
कृष्ण, श्री विजय	2918, 2966, 3064, 3088, 3112
कृष्णदास, श्री एन.एन.	3009, 3106
कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3001
कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2963, 2978, 2982, 3091
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	2950
'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2993, 3065, 3093, 3136
माधवराव, श्रीमती मनोरमा	3012
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2972
महाजन, श्री वाई.जी.	3000, 3062, 3091, 3094, 3097
महतो, श्री बीर सिंह	2958, 3114
महताब, श्री भर्तृहरि	2969
माझी, श्री परसुराम	2949, 3066
मंडल, श्री सनत कुमार	2992
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2918, 3074, 3112
माने, श्रीमती निवेदिता	3074
मांझी, श्री राजेश कुमार	3079
मरन्डी, श्री सुदाम	2924
मेघवाल, श्री कैलाश	2940, 2969, 3044, 3074, 3085
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3023
मिश्रा, डा. राजेश	3019
मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3015
मोदी, श्री सुशील कुमार	2967

1	2
मोहले, श्री पुन्नूलाल	3058, 3132
मुकीम, मो.	2989, 3008
मो. ताहिर, श्री	2939, 3086
मूर्ति, श्री ए.के.	2929, 3034, 3115
मुर्मू, श्री हेमलाल	3056
मुर्मू, श्री रूपचन्द	3055, 3131
नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2934, 3011, 3028, 3048
नायक, श्री अनन्त	3031, 3126
नायक, श्रीमती अर्चना	2923
निखिल कुमार, श्री	3074
नीतीश कुमार, श्री	3075
पलानीसामी, श्री के.सी.	2957
पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	2959
पाण्डा, श्री प्रबोध	2985, 2994, 3087
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3053
पासवान, श्री राम चन्द्र	3024
पासवान, श्री सुकदेव	2987, 3077
पटेल, श्री दिन्शा	3129
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3058
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2910, 3033
पाटले, श्री शिशुपाल एन.	2991, 3083
पिंगले, श्री देविदास	2968, 3090
प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3134
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	2966, 3074, 3088
प्रसाद, श्री हरिकेवल	2978, 2997
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3026, 3085
राई, श्री नकुल दास	3048, 3125

1	2
राजेन्द्र कुमार, श्री	2989, 3081
राजेन्द्रन, श्री पी.	2992, 3084
रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3049, 3127
राणा, श्री काशीराम	2997, 3028
राव, श्री के.एस.	2969, 3088
राव, श्री रायापति सांबासिवा	3068, 3109
राठौड़, श्री हरिभाऊ	3078
रावले, श्री मोहन	3091
रावत, प्रो. रासा सिंह	2935, 3037
रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3005, 3101
रेड्डी, श्री मधुसूदन	3058
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3049
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	3062
रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3028, 3030
सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2998, 3014, 3109
शर्मा, डा. अरूण कुमार	2973
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3030
सतीदेवी, श्रीमती पी.	2941
शाहिद, मोहम्मद	2989
शैलेन्द्र कुमार, श्री	2980, 3100
सत्पथी, श्री तथागत	3096
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3006
सेठी, श्री अर्जुन	3070
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3042, 3137
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2953, 3110

1	2
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3020
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	2964, 3027, 3120
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2951
शुक्ला, श्रीमती करूणा	2930, 3053
सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2985, 3073
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2996, 3089
सिंह, श्री अजित कुमार	2960
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3030
सिंह, चौधरी लाल	2971, 3069
सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2986, 3075
सिंह, श्री दुष्यंत	2985, 3098
सिंह, श्री गणेश	2915, 3059, 3133
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2918, 3074
सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2970, 3095
सिंह, श्री मोहन	2967
सिंह, श्री प्रभुनाथ	2969, 3036, 3135
सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2985, 3013, 3108
सिंह, डा. राम लखन	3048, 3061
सिंह, श्री सीताराम	2965, 3112
सिंह, श्री सुग्रीव	2963
सिंह, श्री उदय	2969, 3092
सुमन, श्री रामजीलाल	2993, 3085, 3136
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2919, 2962, 3040, 3117, 3129
थामस, श्री पी.सी.	2995
ठुम्मर, श्री वी.के.	3129

1	2
थुपस्तन, श्री छेवांग	2913
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	3006
त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3004, 3099
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3000, 3062, 3129
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3028, 3114
वीरेन्द्र कुमार, श्री	2974, 3071
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2977
वर्मा, श्री राजेश	2978
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2966, 3088, 3112
वर्मा, श्रीमती ऊषा	2985
विनोद कुमार, श्री बी.	3002, 3097
यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3038, 3061, 3114, 3116
यादव, श्री गिरिधारी	3030
यादव, श्री राम कृपाल	2958, 3030
येरननायडू, श्री किन्जरपु	2914, 3067
जाहेदी, श्री महबूब	2911
जावमा, श्री वनलाल	3016, 3111

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	328, 334, 335
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	331, 340
विदेश	:	322, 327, 337, 339
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	323, 324, 329, 330, 333, 338
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	
महासागर विकास	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	341
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	325
पोत परिवहन	:	
लघु उद्योग	:	326, 332, 336
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2975
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	2997, 3003, 3091, 3096, 3098
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2909, 2910, 2912, 2913, 2915, 2926, 2929, 2934, 2939, 2949, 2953, 2958, 2961, 2968, 2970, 2974, 2978, 2981, 2986, 2989, 2991, 2993, 3002, 3006, 3009, 3013, 3017, 3019, 3026, 3028, 3030, 3032, 3033, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3044, 3045, 3055, 3056, 3058, 3059, 3061, 3063, 3065, 3081, 3084, 3086, 3092, 3095, 3101, 3105, 3113, 3114, 3117, 3118, 3119, 3128, 3136, 3137
विदेश मंत्रालय	:	2918, 2933, 2944, 2996, 3014, 3068, 3079, 3080, 3082, 3104, 3109, 3116
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2914, 2917, 2925, 2927, 2928, 2930, 2931, 2932, 2938, 2941, 2946, 2950, 2951, 2952, 2954, 2957, 2963, 2964, 2965, 2967, 2969, 2971, 2980, 2982, 2987, 2994, 2999, 3004, 3007, 3008, 3011, 3020, 3021, 3024, 3025, 3027, 3029, 3035, 3036, 3046, 3048, 3049, 3060, 3066, 3067, 3072, 3073, 3074, 3076, 3077, 3078, 3094, 3097, 3100, 3107, 3108, 3110, 3112, 3120, 3130, 3131, 3132, 3133
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	
महासागर विकास	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2916, 2920, 2936, 2943, 2972, 2977, 2979, 2983, 2992, 2998, 3012, 3016, 3064, 3070, 3071, 3085, 3111, 3115, 3123, 3135.

पी.एल.एस.–48/3/18/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।